चतुर्दश माला, खंड 27, अंक 30

मंगलवार, 15 मई, 2007
25 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 63
Dated 25 Sept. 2008

(खंड 27 में अंक 21 से 32 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ट
सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 27, दसवां सत्र, 2007/1929 (शक)]

अंक 30, मंगलवार, 15 मई, 2007/25 वैशाख, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
गुजरात के आणंद जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना	1
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1–3, 543
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 562 और 564 से 566	3–32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 563 और 567 से 581	32–93
अतारांकित प्रश्न संख्या 5313 से 5510	73–457
सभा पटल पर रखे गए पत्र	458–469
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
चौथा प्रतिवेदन	469–470
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन	470
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	470
श्रम संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	470–471
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	471

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

(दो) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्रीमती रेनुका चौधरी 472

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 77वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री जयराम रमेश 472-473

विद्यालयों को सहायता के बारे में 19.12.2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3942 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों संबंधी वक्तव्य

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 473-474

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य 473-476

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) शहीद सुखदेव की जन्मशती को गौरवपूर्ण तरीके से मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में 476-487

(दो) मैं. बाटा उद्योग द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और विक्रय प्रबंधकों को कथित रूप से निकाले जाने के बारे में 487-489

(तीन) देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु एक केन्द्रीय विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में 490-497

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली के लिए पानी छोड़े जाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सज्जन कुमार 498

(दो) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल को उद्योग का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती किरण माहेश्वरी 498-499

(तीन) कोयला उत्पादन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि अर्जित किए जाने से विस्थापित किसानों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज ग. अहीर 499-500

(चार) देश के सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा 500-501

(पांच) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 पर चल रहे कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. रामलखन सिंह 501

विषय	कॉलम
(छह) हिमालय की पारिस्थितिकी की रक्षा करने हेतु हिमालय विकास प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता	
श्री कीरेन रिजीजू	501–502
(सात) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड के कार्यकरण को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	502
(आठ) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रह रही थारू जनजातियों को टेलीमेडिसन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रवि प्रकाश वर्मा	502–503
(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड का कार्य चालू वर्ष 2007 में प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री सीताराम यादव	503
(दस) "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" के तहत उड़ीसा में परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री भर्तृहरि महताब	503–504
सरकारी विधेयक	
(एक) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006	504–530
विचार करने के लिए प्रस्ताव	504
श्री पवन कुमार बंसल	504
श्री पी. चिदम्बरम	504–505, 518–525
श्री अमिताभ नन्दी	505–507
श्री भर्तृहरि महताब	507–511
श्री के.एस. राव	511–513
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह	513–515
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी	515–517
श्री वरकला राधकृष्णन	517–518
खंड 2 से 28 और 1	525–529
पारित करने के लिए प्रस्ताव	530
(दो) भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005	530–542, 543–555
विचार करने के लिए प्रस्ताव	530
श्री शरद पवार	530–533, 543–547
श्री बिक्रम केशरी देव	533–536

विषय **कॉलम**

श्रीमती पी. सतीदेवी 536–538

श्री ब्रह्मानंद पंडा 538–539

श्री प्रबोध पाण्डा 539–540

श्री लक्ष्मण सिंह 540–542

खंड 2 से 55 और 1 547–554

पारित करने के लिए प्रस्ताव 555

नियम 193 के अधीन चर्चा

मूल्य वृद्धि 555–583

श्री प्रबोध पाण्डा 555–559

श्री अनंत कुमार 559–566

श्री एस.के. खारवेनथन 566–572

श्री समिक लाहिरी 572–576

श्री रवि प्रकाश वर्मा 576–582

श्री अनन्त गंगाराम गीते 582–583

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 595

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 596–602

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 603–604

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 603–604

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 15 मई, 2007/25 वैशाख, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

गुजरात के आणंद जिले में एक दुखद सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कल गुजरात के आणंद जिले में काफी दुखद घटना घटी जहां बच्चों समेत काफी ज्यादा संख्या में निर्दोष लोग मारे गए हैं। यह बहुत दुख की बात है। हम इस दुखद मौत के प्रति शोक व्यक्त करते हैं तथा शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मुझे विश्वास है कि मृतकों के परिवार के सदस्यों को राहत पहुंचाने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में यथापेक्षित सभी कदम उठाए जाने चाहिए। अब हम दिवंगत लोगों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, हम नन्दीग्राम मामले का स्थायी समाधान चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः एक सदस्य को शपथ ग्रहण करनी है। एक नया सदस्य शपथ लेने जा रहा है। कृपया उन्हें शपथ लेने की अनुमति दें।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

[अनुवाद]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

अध्यक्ष महोदयः महासचिव माननीय सदस्य का नाम शपथ लेने के लिए पुकारेंगे।

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अब प्रश्न काल, प्र.सं. 562, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जीः (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह काफी दुखद है। किसान मारे जा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जीः अनुसूचित जाति की महिलाएं और बच्चे मारे जा रहे हैं। हम स्थायी समाधान चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया निहितार्थ अधिरोपित नहीं करें। मैंने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा। आप आज आएं हैं जबकि घटना 14 मार्च को हुई थी। आज आप मुझसे कुछ करने के लिए कह रही हैं। अचानक यह नहीं हो सकता है। मैंने कहा है कि मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, मैं आपके द्वारा इस मामले को उठाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण गंभीर घटना 14 मार्च को घटी। डेढ़ महीने, लगभग दो महीने बीत गए हैं।

कुमारी ममता बैनर्जीः मैं इस मामले को उठा रही हूं क्योंकि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदयः यह इसलिए क्योंकि आपने आने तथा सभा में भाग लेने तथा अनुरोध करने की कृपा नहीं की।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, क्या आप मुझे शून्य काल के दौरान अनुमति देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह शून्य काल नहीं है। कृपया प्रतीक्षा करें। धैर्य रखें। अब हम प्रश्न काल शुरू करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के अलावा, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी इच्छानुसार किसी भी समय उठ कर मामला नहीं उठा सकते हैं। यह उचित नहीं है। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मामले को उठाने के लिए एक उचित समय होता है। आप सभी जानते हैं। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह समय नहीं है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 562, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

कंडीशनल एक्सेस सिस्टम

***562. +श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली तथा अन्य शहर, जहां कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.) पहले शुरू किया गया था, के दर्शकों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या अब 'कैस' (सी.ए.एस.) का विस्तार कुछ अन्य क्षेत्रों तथा शहरों में भी किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन क्षेत्रों में 'कैस' (सी.ए.एस.) का विस्तार किस सीमा तक किया गया है; और

(घ) 'कैस' (सी.ए.एस.) के अंतर्गत दर्शकों को मिलने वाले लाभों तथा इस संबंध में उनकी अतिरिक्त देयताओं के बारे में ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) बहु-प्रणाली संचालकों द्वारा यथासूचित केवल टी वी परिवारों में सेट टॉप बाक्सों (एस टी बी) के विस्तार की दृष्टि से प्राप्त प्रतिक्रिया से पता चलता है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के कैस अधिसूचित क्षेत्रों में 15 लाख अनुमानित केबल टी वी परिवारों में से 5 लाख से अधिक सेट टॉप बाक्स (दिल्ली 2.1 लाख, मुंबई 2.4 लाख और कोलकाता 0.6 लाख) अधिष्ठापित/वितरित किए गए हैं। इसमें शेष उन परिवारों का जागरूक निर्णय भी परिलक्षित है जिन्होंने सेट टॉप बाक्स का विकल्प चुनने की बजाए फिलहाल फ्री-टु-एयर (एफ टी ए) चैनल, डी टी एच, डी डी डायरेक्ट आदि को देखने जैसे अन्य विकल्पों को वरीयता दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दर्शकों को मिलने वाले कुछ लाभ निम्नानुसार हैं:

(1) व्यष्टि सशुल्क चैनल का चयन करने और केवल चुने हुए चैनलों के लिए भुगतान करने की सुविधा।

(2) सेट टॉप बाक्सों को खरीदने की जरूरत के बिना केवल एफ टी ए चैनलों को देखने की सुविधा।

(3) चैनल के ट्रांसमिशन की बेहतर गुणवत्ता के फलस्वरूप टी वी देखने का बेहतर अनुभव प्राप्त करना।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(4) सशुल्क चैनलों का सावधानीपूर्वक चयन करके मासिक केवल बिलों पर नियंत्रण रखने की संभावना।

(5) देखने लायक न समझे जाने वाली विषय-वस्तु पर प्रतिबंध लगाने की सुविधा।

(6) इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड की सुविधा।

(7) प्रति सशुल्क चैनल अधिकतम फुटकर कीमत पर प्रतिबंध के रूप में विनियामक ढांचे; अधिकतम बेसिक सर्विस टियर प्रभारों, सेट टॉप बाक्सों की आपूर्ति हेतु किराया दरों तथा सेवा प्रदाताओं द्वारा अपनाये जाने वाले सेवा मानकों की गुणवत्ता की उपलब्धता।

दर्शकों पर कुछ अतिरिक्त दायताएं इस प्रकार हैं;

(1) सेट टॉप बाक्स अधिप्राप्त करने का चयन करना।

(2) चैनलों की विशेष पसंद और इसका मासिक घरेलू बजट के साथ संतुलन स्थापित करना।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जबकि सरकार सीएएस को कई महानगरो में लागू करने की सोच रही है, क्या यह सच है कि सी ए एस को डी टी एच से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है? उदाहरण के तौर पर, दक्षिणी दिल्ली के केवल अपनाने वाले साढ़े छह लाख घरों में से एक लाख घरों ने डी टी एच प्रणाली का विकल्प अपनाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्राई की सिफारिश की तुलना में सी ए एस के संबंध में बिक्री उपरांत सेवा काफी खराब है तथा स्थापित की जाने वाली काल सेंटर अब तक स्थापित नहीं की गई है। बहुसेवा प्रदाताओं ने काफी कम संख्या में 'केबल हेड एन्डस' लगाए हैं जिसके परिणामस्वरूप काफी ज्यादा कंजेशन हो गया है। अतएव, कई चैनल प्रणाली की तुलना में फ्री टू 'एयर' प्रणाली में जा रहे है क्योंकि बहुत ज्यादा अंशदान नहीं है। अतएव मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या आप डी टी एच से बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्द्धा का अनुभव कर रहे हैं; और, (ख) उपभोक्ताओं की समस्याओं से निपटने के लिए या बिक्री उपरांत सेवा के संबंध में और स्थापित की जा रही केबल हेड एड्स के संबंध में आप क्या कर रहे हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर्वप्रथम, मैं सभा को जानकारी दे दूं कि सी ए एस सं.प्र.ग. की भारी सफलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी योजना रा.ज.ग. सरकार के कार्यकाल में बनाई गई थी लेकिन संपूर्ण तंत्र ने कुल पारदर्शिता नहीं होने के कारण इसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा। अंत में, न्यायालय के निदेश पर तथा उनके बताए अनुसार, सं.प्र.ग. सरकार ने 31 दिसंबर, 2006 से समूची व्यवस्था को लागू कर दिया तथा इसे उपभोक्ता सुलभ सी ए एस की व्यवस्था पर भरपूर समर्थन मिला।

महोदय, यह सच है कि प्रथम सप्ताह में सेट टॉप बॉक्सों की आपूर्ति के संबंध में कुछ आरंभिक समस्याएं हुई थी। जनवरी के दो सप्ताहों में इसका पूरी तरह से समाधान कर दिया गया। अब जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा वह सच है कि प्रतिस्पर्द्धा है तथा वे लोग जो टेलीविजन का आनंद बिना केवल पर निर्भर रहे उठाना चाहते हैं वे डी टी एच का विकल्प ले सकते हैं तथा वे लोग जो टेलीविजन का मामला पेटी वी निर्धारित मूल्य के साथ न्यूनतम अंशदान के साथ करना चाहते हैं, वे इसका विकल्प चुनें। यह लचीलापन यहां मौजूद है। शुरूआत में छह एम एस ओ अग्रणी रूप से कार्य कर रहे हैं जबकि हमने 26 एम एस ओ को लाइसेंस दिया है। इस मामले में, ट्राई सभी स्टेक होल्डरों से गंभीर वार्ता कर रही है और इस समस्या को भी इस महीने के अंत तक सुलझा लिया जाएगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जैसा कि सरकार महानगर के अन्य भागों में तथा अन्य महानगरों में 'कैस' के बारे में सोच रही है, इसको लेकर भारी विवाद है, कई रेजिडेन्ट वेलफेयर ऐसोसिएशन और केबल ऑपरेटर कह रहे हैं कि 'कैस' को स्वैच्छिक और आवश्यक बनाया जाए। अतएव, मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या हम अन्य महानगरों में शुरूआत कर रहे हैं, यदि हां, तो कब? यह स्वैच्छिक होगा या आवश्यक जैसाकि रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने और केबल ऑपरेटरों ने अनुरोध किया है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सबसे पहले मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वास्तविक स्थिति यह है कि हमारा पहला उद्देश्य है तीन बड़े महानगरों नामत: मुम्बई, कोलकाता और दिल्ली में 'कैस' संचालन पूरा करें क्योंकि चेन्नई में इसे पूरा किया जा चुका है। हमने इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है इस मामले को ट्राई द्वारा एम एस ओ और राज्य सरकारों के साथ उठाया जा रहा है राज्य सरकारें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि नोडल अधिकारी के कार्यकरण के लिए उनका सहयोग अत्यावश्यक है। मुझे खुशी है कि जून के अंत तक हम तीन महानगरों में पूर्ण संचालन की घोषणा कर पाएंगे। इसमें छह महने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी 2008 तक 'कैस' संचालन के लिए सभी महानगर पूरी तरह तैयार होंगे।

जहां तक अन्य शहरों का सवाल है, 2001 की जनगणना के अनुसार जिन प्रमुख शहरों में दस लाख से अधिक लोग रह रहे हैं वहां हम देश के महानगरों में पूरा करने के बाद इसे लागू करने के बारे में सोच रहे हैं।

जहां तक इसे स्वैच्छिक बनाए जाने का प्रश्न है यह ठीक नहीं है क्योंकि जो भी स्वैच्छिक विकल्प की बात कर रहा है वह नहीं समझता कि इससे उन चैनलों और प्रसारण कर्ताओं को बड़ा नियंत्रण और प्रमुखता मिल जाएगी। जो लोगों को फिर से 'बुके' और 'बंच' लेने को बाध्य करेंगे। इस प्रकार लोग अपने प्रिय पे चैनल से वंचित रह जाएंगे। जिसके वे 5 रु. की न्यूनतम लागत पर मजे ले सकते हैं, हालांकि यह मामला अभी भी 'ट्राई' के विचाराधीन है।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, वर्ष 2003 से सशर्त अधिगम प्रणाली (कैस) के संबंध में प्रयास शुरू किए गए थे। हालांकि विवरण से एस टी बी की कम पहुंच का पता चलता है। आम लोगों में यह आशंका है कि 'पे चैनल' पर लोकप्रिय कार्यक्रम देखने के अवसर से वे वंचित रह जाएंगे। विभिन्न पणधारकों नामत: प्रसारण कर्ता, केबल ऑपरेटर, एम एस ओ और उपभोक्ताओं में विश्वास की कमी है। इसके मद्देनजर क्या सरकार किसी व्यापक नीति पर विचार कर रही है ताकि 'कैस' की पहुंच बढ़ायी जा सके और दूसरे, अधिसूचित क्षेत्रों में पहुंच के संबंध में कोलकाता में मात्र 6 लाख ही पहुंच है। माननीय मंत्री ने पहले ही कहा है कि सुगमता से 'कैस' लागू करने के लिए राज्य स्तरीय समितियां गठित की गयी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार सुगमता से 'कैस' लागू कराने के लिए राज्य स्तरीय समिति गठित करने के प्रति अनिच्छुक है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुम्बई और कोलकाता दोनों ही शहरों में 'कैस' अंशत: लागू है। राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर बहुत शीघ्र ही दूसरा और तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जैसाकि मैंने अभी पहले बताया है।

हमें तीन बातों का ख्याल रखना है नामत: (क) क्या एमएसओ की कार्यकुशलता स्तर तथा सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति करने की केबल ऑपरेटरों की क्षमता ठीक है; (ख) उपभोक्ताओं का आवेदन और प्रतिक्रिया चैनल और उनकी पसंद निर्धारित करने के लिए ठीक-ठीक होनी चाहिए; और (ग) अंतत: हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि समग्र निगरानी और शिकायत दर्ज करने वाली प्रणाली स्तरीय हो। इन बातों को ध्यान में रखकर हम बहुत शीघ्र कोलकाता और मुम्बई में अपनी पहुंच पूरी कर लेंगे जैसाकि मैंने कहा है।

मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि सेट टॉप बाक्स के बारे में कोई भ्रान्ति नहीं होनी चाहिए। जब 2003 में सेट टॉप बाक्स की परिकल्पना की गयी थी उस समय इसकी कीमत 5000 रु. से 7000 रु. थी। अब, नई नीति के अंतर्गत हमने ऐसा किया है कि यदि आप सीधे इसे खरीदते हैं तो यह 1900 रु. से 2000 रु. का पड़ेगा। किन्तु दर्शकों को एक वाजिब प्लान देते हुए हमने कहा है कि सेट टॉप बाक्स का इस्तेमाल करके पे चैनलों के लिए मात्र 250 रु. का सिक्योरिटी जमा तथा 45 रु. प्रति माह का भुगतान करें अथवा 999 रु. सिक्योरिटी जमा के तौर पर और मात्र 30 रु. प्रतिमाह का भुगतान करें ताकि इससे उन्हें भारी राहत मिल सकेगी। और अधिकांश दर्शक इसी को अपना रहे हैं। यदि कोई अपना निवास स्थान बदलता है और कहीं अन्यत्र जाता है तो वह सेट ऑप बाक्स लौटा सकता है, उसे लागत ह्रास के पश्चात् प्रतिदाय दिया जाएगा और वह जिस स्थान पर जाता है वहां दूसरा सेट टॉप बाक्स ले सकता है।

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, क्या यह सच है कि आज इस्तेमाल किए जा रहे सेट टॉप बाक्स बरसात के मौसम में विशेषत: जब बारिश की बूंदों से डिस्क गीली हो जाए तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं? क्या सरकार एक बेहतर प्रौद्योगिकी लाने के बारे में सोच रही है जो हर मौसम में अनुकूल हो, क्या 'दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण' ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सशर्त अभिगम प्रणाली और डी टी एच की कीमतों को विनियमित करने को कहा है और क्या सरकार द्वारा दर्शकों को 'कैस' से कोई लाभ मिल रहा है अथवा नहीं, इस बारे में कोई मूल्यांकन कराया गया है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सबसे पहले, मैं इनके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि 'कैस' के बारे में शायद ही कोई गंभीर शिकायत है। बरसात के मौसम में भी 'सेट टॉप बाक्स' काम करते रहते हैं। इस संदर्भ में शिकायत का स्तर नगण्य है। फिर भी, अनिवार्य निर्देश है कि यदि इसके संचालन में दर्शक को कोई तकनीकी समस्या होती है तो दो दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी उसे दूर करेंगे। यदि वे इसकी अनदेखी करते हैं तो दर्शक नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता है और नोडल अधिकारी केबल नेटवर्क एक्ट के अनुसार आवश्यक सभी अनिवार्य कदम उठाएगा।

सेट टॉप बाक्सों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। हम दो लाख से अधिक सेट टॉप बाक्स की आपूर्ति करने की स्थिति में हैं। यदि इन बाक्सों की आगे जरूरत होती है, जब दूसरा चरण पूरा हो जाता है तो उसे भी पूरा किया जाएगा।

सेट टॉप बाक्स के इस्तेमाल के बारे में व्यवस्था इतनी सरल है कि इसे कोई भी घर में देख सकता है। अतएव, इन मामलों में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है।

मैं कहूंगा कि सरकार और 'ट्रॉई' से शहरों के अन्य भागों में और 'कैस' उपलब्ध कराने की मांग हो रही है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या प्रत्येक राज्य से सभी राज्यों की राजधानियों में सशर्त अभिगम प्रणाली लागू करने की मांग है? यदि नहीं, तो किस राज्य को इस प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि ऐसी भावना है कि दर्शकों के लिए लाभ से ज्यादा जवाबदेही है। यदि हां तो जवाबदेही से अधिक लाभ होने के लिए जवाबदेही को कम करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में पहली बार हमने सशर्त अभिगम प्रणाली की संकल्पना को वो भी चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया है। हमने शुरू में जिन आरंभिक समस्याओं का सामना किया था उन्हें दूर किया है। अब हम समस्या के दूसरे भाग को दूर कर रहे हैं। वह है, सेट टॉप बाक्स लगाने के बाद दर्शकों के बिल नियमित रूप से लिए जाते और समस्याओं प्रणाली में डाले जाते हैं। अत: उन्हें देर से बिल मिलने की समस्या है जिसके कारण उन पर और बोझ पड़ता है इस मुद्दे पर ट्रॉई ने पणधारकों के लिए पहले ही एक प्रणाली दे दी है। आज मुझे ट्रॉई द्वारा जो संचार मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है, बताया गया कि इस मुद्दे पर एम एस ओ 15 मई तक अंतिम हल पा लेगा। जब कभी मुझे अंतिम रिपोर्ट मिलेगी मैं संसद को अद्यतन प्रणाली के बारे में बताऊंगा। मैं यह कहना चाहूंगी कि लाभ बहुत हैं।

जब शुरू-शुरू में इस देश में सेलूलर मोबाइल आए थे तब लागत अधिक थी। अब यह इतनी कम है कि सब कोई इसे रख सकता है। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि जिस प्रकार सभी राज्यों में मांग बढ़ रही है, मेरे विचार से सेट टॉप बाक्स की लागत भी घटेगी। अब इसे शून्य शुल्क पर आयात किया जाता है। हमने वित्त मंत्रालय से प्रस्ताव किया है कि शून्य शुल्क पर कलपुर्जे आयात करने की अनुमति दें ताकि घरेलू उत्पादन को गति मिल सके और हम अबकी कीमतों में भारी कमी कर सकें।

डी टी एच के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा तरीका है जिससे भारत के दूरस्थ भागों में भी केबल टी.वी. पर निर्भर हुए बिना घरों तक टेलिविजन पहुंच सकता है। इस संबंध में डी टी एच रास्ते बना रहा है प्रसार भारती के डी टी एच के अलावा निजी ऑपरेटर भी डी टी एच प्रदान कर रहे हैं और जहां कहीं समर्थन और अवसर है वहां प्रत्येक राज्य में वे पहुंच बना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे जिस तरीके से अपने जवाब में कह रहे हैं कि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम के अंदर यह प्रयास बहुत अच्छा है, क्योंकि एनडीए गवर्नमेंट में श्रीमती सुषमा जी ने इसकी शुरूआत की थी। शायद ऐसे अनचाहे चैनल्स, जो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे चैनल्स के ऊपर रोक लगे, इस दृष्टि से यह शुरू किया गया था। आपने कहा कि जो बॉक्सेस लगाए हैं, वे बड़े शहरों में हैं और अब कुछ अन्य छोटे-छोटे गांवों में भी उपलब्धता करवा रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जगहों पर भी आज के समय में टी.वी. और ऐसी चीजें पहुंच गई हैं। ऐसे चैनल्स के माध्यम से जो बहुत गलत-सलत बता रहे हैं। उसके कारण हमारी संस्कृति पर, हमारे बच्चों पर और हमारे परिवारों के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ रहा है। उनके ऊपर रोक लगाने का एक तरीका था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सैट-टॉप बॉक्सेस की कमी है, उपलब्धता नहीं है, इसलिए 'कैस' आप केवल बड़े शहरों में ही लागू कर रहे हैं और बॉक्सेस केवल बड़े शहरों में ही दे रहे हैं। अगर मैं उन बड़े शहरों में, दिल्ली का ही उदाहरण दूं, तो मैं जिस जगह पर हूं, वहां सांसद के नाते मैं यह कह सकती हूं कि मैंने यदि कोई कनैक्शन लिया है, तो सैट-टॉप बॉक्स मेरे यहां भी नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वे कहते हैं कि वह अवेलेबल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, क्वैश्चन पूछिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: अध्यक्ष महोदय, जब दिल्ली में ही नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे अनुमान लगा सकती हूं कि और जगहों पर मिल रहा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब शहरों में भी उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है, तो जो गलत चैनल्स चल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति पर कुप्रभाव डाल रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कोई और कदम भी उठा रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बात 'कैस' से संबंधित नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय यह 'कैस' से जुड़ी बात नहीं है। तथापि, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि

[हिन्दी]

जहां तक 'कैस' का सवाल है, दिल्ली के जिस इलाके में यह लागू हुआ है, उसमें अगर एक भी व्यूअर को शिकायत हो कि मुझे सैट-टॉप बॉक्स नहीं मिल रहा है, तो मैं उसे 24 घंटे के अंदर मुहैय्या कराने की जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, बल्कि 2 लाख से ज्यादा सैट-टॉप बॉक्सेस हमारे एम.एस.ओ. के हाथ में अभी भी मौजूद हैं, जबकि कल तक 7 लाख सैट-टॉप बॉक्सेस लोगों को मुहैय्या कराए जा चुके हैं। जहां तक गलत प्रभाव डालने वाले चैनल्स को रोकने का सवाल है, उसका, इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसे यदि लागू करें, तो यह तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा चैनल देखना चाहते हैं। यह तो आप तय करेंगे कि आप कौन सा चैनल देखना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में आपकी मर्जी से चैनल आएगा। किसी से किसी प्रकार की कोई जबर्दस्ती नहीं है।

जहां तक संस्कृति पर कुप्रभाव डालने वाले चैनल्स पर अंकुश लगाने का सवाल है, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार के समय में, आपने किसी भी चैनल पर, अंकुश लगाने के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया, लेकिन हमारी सरकार के समय में, हमने दो चैनलों को ऐसा सबक सिखाया कि संस्कृति के बारे में उन्हें पता लग गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में सदस्यों द्वारा आपस में की जा रही ये सभी बातें रूकनी चाहिए।

प्रश्न संख्या 563—श्री चन्द्रकांत खैरे—उपस्थित नहीं
श्री रघुवीर सिंह कौशल—उपस्थित नहीं

प्रश्न 564—श्री काशीराम राणा।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदें

+
***564. श्री काशीराम राणा:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एम.एन.सी.) द्वारा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों के संबंध में आरक्षण नीति के उल्लंघन के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति का उल्लंघन करने वाली ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा किस प्रकार के उल्लंघन किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ प्रत्येक मामले में कंपनी-वार क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त कार्रवाई के क्या परिणाम रहे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षण की नीति का उल्लंघन करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (एमएनसी) की भारतीय सहायक कंपनी के खिलाफ औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की है।

(ख) से (घ) इस बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम, उसका पता, उसके द्वारा विनिर्मित मद और मामले की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

बहुराष्ट्रीय कंपनी के मामले की स्थिति, जहां आरक्षण नीति के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाने की पहल करने के लिए आदेश जारी किए गए थे

क्र.सं.	इकाई का नाम	पता/दूरभाष/फैक्स	विनिर्मित मदें	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मै. टप्परवेयर इंडिया प्रा. लि. और मै.	वर्क्स: बिल्डिंग नं. 2, प्लॉट संख्या एल-1, ऑल्मंड स्ट्रीट, नाचाराम,	प्लास्टिक के उत्पाद (इंजैक्शन	आरक्षण नीति के उल्लंघन के लिए इकाई के विरुद्ध एलबी नगर, हैदराबाद के

1	2	3	4	5
	डार्ट मैन्यूफैक्चरिंग इंडिया प्रा.लि.	आईडीए, हैदराबाद। दूरभाष; 91 40 27158168/69. फैक्स: 91 40 27158165	मोल्डेड)	साइबराबाद जिले में, 23.11.2005 को III मेट्रोपोलिटन मैजिस्टेट की अदालत में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। मामले की जांच एस.एच.ओ., नाचाराम पुसिल थाने द्वारा न्यायालय के निर्देश के अनुसार की गई थी। 3.1.2007 को एस.एच.ओ. ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया है।

श्री काशीराम राणाः अध्यक्ष जी, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों का शेयर लगभग 40 परसेंट है और जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें लगभग 35 परसेंट लघु उद्योगों में बने माल का शेयर है। इन उद्योगों में लाखों लोग रोजगार प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण, खास कर के एस.एस.आई. के लिए जो रिजर्व आइटम्स रखे थे, उनमें कुछ ऐसी कंडीशन्स हैं कि यदि कोई एम.एन.सी. अपने यहां बने कुल माल का 50 परसेंट एक्सपोर्ट करती है, तो वह लघु उद्योगों के लिए रिजर्व की गई आइटम को अपने उद्योग में बना सकती है। इसके कारण आज स्थिति यह हो गई है कि हमारे लघु उद्योग खत्म होते जा रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य महोदय, यह प्रश्न आरक्षण नीति के उल्लंघन से संबंधित है।

श्री काशीराम राणाः महोदय, मैं मुद्दे पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुद्दे पर आइए। यह वाद-विवाद नहीं बल्कि प्रश्न काल है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणाः अध्यक्ष महोदय, हमारे सेमीस्किल्ड और अनस्किल्ड कामगारों को जो इन उद्योगों में रोजगार मिलता है, वे उद्योग आज खत्म होते जा रहे हैं। जहां तक वायलेशन का सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो मुझे जवाब दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक ऐसी एम.एन.सी. है जिसने रिजर्वेशन का वायलेशन किया है और माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में जो जवाब दिया है, उसकी मेरे पास कॉपी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वायलेशन के तीन केसेस हुए हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने ऐसा जवाब देकर हाउस को मिसगाईड किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः श्री काशीराम राणा, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री काशीराम राणाः मैं आपको उल्लंघन के तीन मामलों के बारे में ब्यौरा दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह सूचना देने का नहीं बल्कि सूचना प्राप्त करने का समय है।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणाः अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है। राज्य सभा में पूछे गए सवाल का यह जवाब है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने जिन कंडीशन्स पर एम.एन.सी. को एस.एस.आई. के लिए रिजर्व आइटम को प्रोड्यूस करने या उसे उत्पादित करने की छूट दी है, उसे समाप्त करने की सोच रहे हैं?

श्री महावीर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मल्टीनेशनल कंपनी के वॉयलेशन के संदर्भ में प्रश्न किया है। इन्होंने तीन इंडस्ट्री के बारे में बताया। मैं आपके गाध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005 से मेरे संज्ञान में

आया है कि केवल एक कंपनी जिसका उल्लेख मैंने इनको दिए गए उत्तर में भी किया है। मैंने इन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनी के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के आधार पर जवाब दिया है। यदि कोई कंपनी उत्पाद बनाना चाहती है तो डीआईआर एक्ट, 1951 के आधार पर इस प्रकार का नियम है कि 24 प्रतिशत उत्पादन का वह निर्यात करेगी। यदि कोई कंपनी इस एक्ट का वॉयलेशन करती है तो हम उस पर कार्यवाही करते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इनको बंद किया जाएगा? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वॉयलेशन की जो भी सूचना आएगी, मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा।

श्री काशीराम राणा: मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रश्न किया था कि एमएनसीज को जो छूट दी गई है, क्या उसे समाप्त करेंगे या नहीं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे एसएसआई यूनिट्स जो रिजर्व आइटम में से उत्पादन करते हैं, उसी प्रकार के आइटम्स का आयात विदेशों से बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे लघु उद्योगों को नुकसान हो रहा है। इतने बड़े पैमाने पर जो आइटम्स का आयात हो रहा है, उसे रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई कोशिश की है?

अध्यक्ष महोदय: इसका ताल्लुक इस प्रश्न से नहीं है।

श्री काशीराम राणा: इस प्रश्न से ताल्लुक है।

अध्यक्ष महोदय: आपके जोर से बोलने से क्या ताल्लुक हो जाएगा?

श्री काशीराम राणा: महोदय, आपको तो प्रोटैक्शन देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं प्रोटैक्शन दूंगा, यदि प्रश्न रैलेवेन्ट होगा। आप वॉयलेशन के बारे में पूछिए।

[अनुवाद]

आप नीति बदलने की बात कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा: अध्यक्ष महोदय, आज लघु उद्योग खत्म हो रहा है और मैं यही जानना चाहता हूं कि लार्ज स्कैल पर जो आइटम्स का आयात हो रहा है, उसको क्या सरकार रोकेगी?

श्री महावीर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इससे हमारा लघु उद्योग समाप्त हो रहा है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि पूरे उद्योग का 39 प्रतिशत लघु उद्योग उत्पादन कर रहे हैं और लगभग 34 प्रतिशत हम निर्यात कर रहे हैं। यदि हम आंकड़े उठाकर देखें तो जब से आरक्षण लागू हुआ, है, इस वक्त 114 उत्पादों को आरक्षित सूची में रखा गया है आरक्षण को समाप्त करने के लिए हमारे यहां एक नियम है, उस नियम के आधार पर हम आरक्षित करते हैं। यदि कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है, जिसकी जानकारी आपके पास है, उसके बारे में मुझे आप बताएं मैं उस पर अवश्य कार्यवाही करूंगा।

[अनुवाद]

श्री संगीता कुमारी सिंह देव: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लघु उद्योगों हेतु आरक्षित वस्तुओं के संबंध में आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वाली कंपनियों की पहचान करने हेतु एक निगरानी समिति गठित की है।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर निगरानी समिति बनी हुई है। आरक्षण का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी के लिए हमने मैसर्स दलाल एण्ड कन्सल्टेंट को नियुक्त किया है, जिनके द्वारा हम सर्वेक्षण करते हैं कि कौन सी बड़ी कंपनी नियमों का उल्लंघन कर रही है। इस प्रकार से स्टेक होल्डर्स, विशेषज्ञों और सैक्रेटरी लघु उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है जो निगरानी रखती है।

महोदय, आरक्षण नीति का उल्लंघन न हो, इसके लिए हम पूरी तरह से सतर्क हैं।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है लघु औद्योगिक इकाइयां अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। वे वृहत औद्योगिक इकाइयों के लिए मूल उपकरणों के रूप में कल-पुर्जों की आपूर्ति करती हैं तथा उनमें रोजगार सृजन की पर्याप्त क्षमता है।

मैं जानना चाहता हूं कि लघु औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा व उनके संरक्षण के लिए तथा उन्हें और विकसित करने के लिए क्या सरकार के पास विचारार्थ ऐसी कोई योजना है जिसमें विशेष

रूप से लघु औद्योगिक इकाइयों हेतु और अधिक वस्तुओं को आरक्षित करने की बात की गयी हो। यदि हां, तो ये योजनाएं कौन-सी हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न उल्लंघनों से संबंधित है। क्या इसमें लघु औद्योगिक इकाइयों के बारे में कुछ भी है?

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, यह वस्तुओं के आरक्षण से संबंधित है। यह निश्चित रूप से मुख्य प्रश्न से जुड़ा है।

अध्यक्ष महोदय: यदि मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री महोदय, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, यहां प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास सूची है। आरक्षण का एक नियम है और उस आरक्षण के नियम के आधार पर 1967 से अब तक 114 आरक्षित वस्तुओं की मदें हैं और जब-जब इस उदारीकरण वैश्वीकरण के युग को देखते हुए, डब्लू.टी.ओ. को देखते हुए आवश्यकता पड़ती है, तब-तब हम आरक्षण करते हैं। आरक्षण की प्रक्रिया लम्बी चलती है और उसके आधार पर हम वस्तुओं को आरक्षित करते हैं।

मोहम्मद सलीम: महोदय, आपने सही फरमाया कि यह जो सवाल है, आरक्षण सम्बन्धी उल्लंघन का जो मामला है और मंत्री महोदय ने मूल प्रश्न का या पूरक प्रश्न का जो जवाब दिया, उससे स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही मामला दर्ज किया गया है। वह सुओ मोटो किया गया है या कैम्पेन के आधार पर किया गया है, उनकी जो मोनेटरिंग कमेटी है, उनके पास से है या जो लघु उद्योग की इफैक्टिड पार्टी है, उसने जाकर कोर्ट में अपील की और कोर्ट के निर्देश पर किया, यह स्पष्ट नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मेरा यह कहना है कि यह केवल एक केस नहीं है। आज के जमाने में ये सही कह रहे हैं कि 49 प्रतिशत प्रोडक्शन होता है और लघु उद्योग का निर्यात होता है, लेकिन ब्राण्ड की वजह से बड़ी-बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनिया या भारतीय मल्टीनेशनल कंपनियां जो मार्केटिंग करते हैं, वह लघु उद्योग में बनता है, लेकिन उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उससे लघु उद्योग को कोई फायदा नहीं पहुंचता। आपको मालूम होगा कि हमारे क्षेत्र में बैठकखाना बाजार में एक्सरसाइज कापी बनती है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ पता नहीं है। मैं पाता हूं कि आपका प्रश्न अप्रासंगिक है।

मोहम्मद सलीम: महोदय, 'एक्सरसाइज बुक' उनके संरक्षण के अंतर्गत आरक्षित वस्तु है, परंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्राण्ड के अंतर्गत इसका विपणन कर रही हैं और यह एक उल्लंघन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है।

अध्यक्ष महोदय: कोई उल्लंघन नहीं है। मंत्री जी, क्या यह उल्लंघन का मामला है?

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य मौ. सलीम जी ने अच्छा प्रश्न किया, लेकिन जो मेरे संज्ञान में केवल एक मल्टीनेशनल कंपनी का ही आया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यही वजह है कि ये प्रश्न बढ़ गए हैं। आपके प्रश्न ऐसे हैं। मैं आपको संरक्षण देने की कोशिश कर रहा हूं। आप पहले ही यह कह चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरे पास केवल एक मल्टीनेशनल कंपनी की सूचना है। सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे पास पूरे देश में डारैक्टर्स नियुक्त किये गये हैं। वे सूचना देते हैं, उसके आधार पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं। ये सीनियर मैम्बर हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ सदस्यों को काफी सुस्पष्ट होना चाहिए तथा सटीक प्रश्न पूछने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री महावीर प्रसाद: देश में एक मल्टीनेशनल कंपनी के अलावा देश में और बड़ी कंपनियां हैं, जो 10 की संख्या में हैं

और उनके ऊपर हमने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि आप चाहेंगे तो पूरी कार्रवाई की जानकारी मैं आपके पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अलग बुलाकर बता दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अफसोस है, अपनी सीट पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के अधिकार क्षेत्र से बचाने के लिए इस देश में आरक्षण के कानून बने थे। इसको सन् 1967 में लागू किया गया, जब श्रीमती इन्दिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। उसके पीछे कुछ कारण थे, लेकिन आज मोटे तौर पर मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह केवल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी मिली, जो इनके आदेशों का उल्लंघन करती है। वस्तुत: हम देखते हैं कि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है और जो मोनेटरिंग की पद्धति हमारे देश में बनाई गई, वह भ्रष्टाचार का शिकार होकर इसका निरंतर उल्लंघन करती है और उससे नुकसान होता है। इसके पीछे कारण है कि ऐसी बहुराष्ट्रीय कपंनियां जो 24 से लेकर 36 फीसदी निर्यात कर सकती हैं, उनको लघु उद्योग के क्षेत्र के भी उत्पादों को बनाने की छूट है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो भ्रष्टाचार का मूल है, उन कंपनियों को निर्यात के बहाने, लघु उद्योग क्षेत्र की चीजों को बनाने के बहाने को खत्म करने और निर्यात के बहाने उत्पाद के जो कानून हैं, उन्हें समाप्त करने की कोशिश क्या भारत सरकार करेगी?

श्री महावीर प्रसाद: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरे संज्ञान में जो सूचना है, मैं उस पर कार्यवाही कर रहा हूं। भ्रष्टाचार को मिटाने का उत्तरदायित्व उनका भी है और मेरा भी है। हमारी सरकार इसके प्रति सतर्क और सचेत है। अगर इस प्रकार की कोई भ्रष्टाचार मूलक कंपनी है, तो आप उसका उदाहरण दीजिए। मैं उसका जवाब दूंगा कि मैं उसके ऊपर क्रिमनल कार्यवाही करूंगा।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना की समीक्षा

***565. +श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के वित्तपोषण ढांचे में कतिपय परिवर्तन करने का है तथा सरकार ने योजना में कतिपय खामियों की भी पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियां अप्रयुक्त रह जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रश्न नहीं उठता। वस्त्र उद्योग एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है, यह रोजगार सृजन करने वाला उद्योग है। विधेयक राष्ट्रीय औद्योगिक और व्यापार नीतियों के उदारीकरण तथा वस्त्र व्यापार के वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रौद्योगिकी उन्नयन का कार्य बहुत बड़े पैमाने पर बाकी है। इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने व इसे बढ़ाने तथा इसकी सम्पूर्ण दीर्घावधिक अर्थक्षमता बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित ब्याज दरों के समान ब्याज दर पर समय पर और पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्वैश्चन पूछिए।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: इसके प्रौद्योगिकी स्तर के उन्नयन तथा कम ब्याज दर पर जो ब्याज की अंतर्राष्ट्रीय दरों के

समान हो पूंजी उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: महोदय, जो प्रश्न आज आपने पूछा है, उसका जवाब मैंने कहा है कि "(क) जी नहीं, (ख) प्रश्न नहीं उठता।" आपने जो पूछा इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि वही पांच प्रतिशत वाले रेट आफ इंटरेस्ट की सब्सिडी है, इंटरनेशनल कंपीटीशन, विशेषकर चाइना को ध्यान में रखते हुए, हमने एक अच्छी स्कीम इंप्लीमेंट की है और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि तीन साल में इसका इतना अच्छा रिस्पांस है कि आज हमारी इंडस्ट्री काफी खुश है और इसके साथ ही जो प्रेशर था, इसीलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने इसी बजट में इसके एक्सटेंशन के लिए हां कहा।

[अनुवाद]

श्री आंनदराव विठोबा अडसूल: माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है और उत्तर दिया है तब यह बात उनके उत्तर-पत्र में क्यों नहीं है? यही समस्या है।

अध्यक्ष महोदय: आपने प्रश्न पूछा है कि क्या वित्तपोषण की पद्धति में परिवर्तन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा है: "कोई परिवर्तन नहीं है।" यही बात उन्होंने कही है। यही प्रश्न है।

श्री अनंदराव विठोबा अडसूल: बुनाई के अलावा अन्य अनुक्रमों जैसे सिले-सिलाए वस्त्रों का प्रसंस्करण, मैनुफैक्चरिंग और मेड-अप मैनुफैक्चरिंग को विदेशी मुद्रा अर्जन बढ़ाने और रोजगार के अवसर बनाए रखने हेतु टी यू एफ योजना के दूसरे चरण में बड़ा लाभार्थी होना चाहिए। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: महोदय, यह स्कीम, स्टेप्स टेकेन स्कीम ही है। आपने जो कहा, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कंपोनेंट में हमने 7000 करोड़ रुपए दिए हैं, स्पिनिंग में 6500 करोड़ रुपए, प्रोसेसिंग में 2000 करोड़ रुपए और वीविंग में 16 सौ करोड़ रुपए डिस्बर्समेंट हुआ है। तीन साल में 32 हजार करोड़ रुपए, पूरी स्कीम के लिए हमने सैंक्शन किए हैं। इसमें से तीन साल में 21 हजार करोड़ का डिस्बर्समेंट हो चुका है। आउट आफ 21 हजार करोड़ में से 15-16 हजार करोड़ रुपए 3 साल में दिए हैं। जब हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, तो क्या स्पिनिंग वालों ने लाभ लिया है और इनको फिर से इसी रेट आफ इंट्रेस्ट पर देना है, कंस्ट्रक्टर्स बिल्डिंग बनाते हैं, कंपाउंड वॉल बनाते हैं, रास्ते बनाते हैं, वह भी इसमें इन्क्ल्यूड करना है। प्लानिंग कमीशन की सूचना के हिसाब से पूरी स्कीम को आने वाले दिनों में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कि इतने प्रेशर के बावजूद उन्हें यही लाभ मिले और इंटरनेशनल कंपटीशन में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट खरे उतरें। स्कीम का लाभ ज्यादा लोगों को मिले, इसलिए प्लानिंग कमीशन के साथ बैठकर आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज के लोगों से सजेशन्स लेकर जो नया फार्मूला बनेगा, हम वह रखेंगे। आज वह समय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव—उपस्थित नहीं।

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछना चाहता हूं, उसका पार्टली जवाब मंत्री जी ने अभी दिया है। जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार में आदरणीय काशीराम राणा जी मंत्री थे, तब 25 हजार करोड़ रुपये की कपड़ा मिलों की टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड की स्कीम की योजना जाहिर की गई थी। मैं अहमदाबाद से आता हूं जो एक जमाने में मैनचैस्टर कहा जाता था। देशभर में सबसे ज्यादा कपड़ा मिलें अहमदाबाद में हैं। देश के हजारों, लाखों लोग कपड़ा मिलों पर निर्भर हैं। अगर हमारे देश की पहचान ही मर जाएगी तो कपड़ा मिलों में काम करने वाले लाखों लोग कई सालों से बेकार हो गए हैं और हो जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि सन 2002 में आपने जो 25 हजार करोड़ रुपये की योजना घोषित की थी, उसके अंतर्गत कितने राज्यों की कितनी मिलों को, विशेष अहमदाबाद में धनराशि दी गई है? जिन मिलों ने आवेदन पत्र दिया है कि वे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, उन्हें धनराशि कब तक देंगे?

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, 25 हजार करोड़ रुपये नहीं, 31 हजार करोड़ रुपये मैंने बताए। तीन साल में 50 प्रतिशत से ज्यादा यानी 16 हजार करोड़ रुपये, इसका सबसे ज्यादा लाभ तमिलनाडु ने लिया यानी 6,200 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र का 4,600 करोड़ रुपये, पंजाब का 2,600 करोड़ रुपये और गुजरात का नम्बर चौथा है—2,300 करोड़ रुपये। मिलवाइज लिस्ट बहुत लम्बी है जिसे मैं नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पौंस रहा है, एक बैच है जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात ने काफी अच्छा लाभ लिया है और आने वाले दिनों में उन्हें यह लाभ मिलता रहेगा। अगले हफ्ते या मई के अंत तक इसके 911 करोड़ रुपये जो बाकी हैं, उसमें से 600, 700 करोड़ रुपये देने की संभावना है।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, रोजगार और धनोपार्जन की दृष्टि से, वस्त्र उद्योग देश का सर्वाधिक पारंपरिक उद्योग है। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है जहां वस्त्र उद्योग के एक हिस्से के रूप में जूट उद्योग का जन्म हुआ। यह प्रशंसनीय है कि आपके पास 25,000 करोड़ रुपये की निधि और तत्पश्चात् 32,000 करोड़ रुपये की निधि है। परंतु प्रश्न जो शेष रह जाता है वह यह है। वित्त पोषण और प्रस्तावित वित्तपोषण के बावजूद जिसकी आप देश में चर्चा कर रहे हैं, वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग में रूग्णता की स्थिति है और यह रूग्णता किसी बड़ी प्रौद्योगिकी जो आप अपना रहे हैं की वजह से नहीं है तथा प्रति इकाई निर्माण लागत ऊंची है।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप आसान ऋण के रूप में जो धनराशि उनको देते हैं, उसकी निगरानी करते हैं कि आखिर उसका समुचित प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं तथा क्या कोई निगरानी प्रणाली अस्तित्व में है क्योंकि निधियों के अन्यत्र प्रयोग की शिकायतें हमेशा मिलती रहती हैं। पश्चिम बंगाल के विकास के संबंध में क्या स्थिति है?

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, मौनीटरिंग सिस्टम है। टेक्सटाइल और जूट का ज्यादा लाभ लेने वाले चार ग्रुप मेन हैं। मैं आपको बंगाल की फिगर्स भेज दूंगा। आप जो मॉडर्नाइजेशन की बात कह रहे हैं, एनटीसी और जूट की सिक मिलों का प्रश्न अलग है। इसका बहुत लाभ लिया गया है और आने वाले दिनों में भी लोग इसका लाभ लेंगे। हम इन्वैस्टमैंट के हिसाब से कह सकते हैं कि इससे 25 लाख लोगों को नई इम्प्लॉयमैंट मिली होगी यानी यह

[अनुवाद]

निवेश और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है तथा अधिक रोजगार सृजित कर रहा है।

[हिन्दी]

यह काफी अच्छी स्कीम है। लोगों ने इंटरनेशनल कम्पीटिशन के हिसाब से इसे किया है। यह ठीक है कि वैस्ट बंगाल में कॉटन कम है, जूट ज्यादा है। वहां काफी जूट इंडस्ट्रीज सिक हैं। इस बारे में भी हम विचार कर रहे हैं, यह आपको मालूम है। मैं समझता हूं कि वैस्ट बंगाल में एसएसआई में 36 केसेज हैं, नान-एसएसआई में 48 केसेज हैं और वैस्ट बंगाल को 421 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री रिजीजू। क्या आपके क्षेत्र में कोई टेक्सटाइल मिल है।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में यह बात नहीं कही लेकिन उन्होंने अपने ओरल जवाब में कहा है कि 25 हजार करोड़ रुपये से 31 हजार करोड़ रुपये का अपग्रेडेशन किया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत में हमारा ट्रेडीशनल मैथेड, ट्रेडीशनल प्रैक्टिस रही है। हम माडर्न टैक्नोलॉजी के जरिये आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ ट्रेडीशनल मैथेड है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अपग्रेडेशन के लिए आपने उसे ज्यादा माडर्न रिक्वायरमैंट के साथ जोड़कर कौन-कौन से कदम उठाये हैं क्योंकि रूरल एरिया में हम अभी भी अपने मैथेड को अपनाते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला: अध्यक्ष महोदय, ट्रेडीशनल में हैंडलूम आता है। हैंडलूम के लिए हमने 20 कलस्टर सैंक्शन किये हैं। एक कलस्टर के पीछे हम दो करोड़ रुपये देते हैं। हैंडलूम को हमने कलस्टर के नीचे, टफ्ज टीयू एफ एस के नीचे इनक्लूड किया है। अब ट्रेडीशनल और माडर्नाइजेशन का बहुत फर्क है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपये इन्वेस्ट होते हैं। हैंडलूम वाली पुरानी टेक्नोलॉजी में बहुत कम पैसे खर्च होते हैं। इसमें एक कलस्टर के पीछे दो करोड़ रुपये आते हैं जबकि हमने 20 कलस्टर सैंक्शन किये हैं।

नक्सल प्रशिक्षण शिविर

+
***566. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादियों ने विभिन्न राज्यों में अपने प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या नक्सलवादियों के उल्फा, लिट्टे और जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादी संगठनों से संबंध हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) यद्यपि इस संबंध में कोई विशिष्ट ब्यौरा देना संभव नहीं है फिर भी नक्सलियों के बारे में यह जाना जाता है कि वे निर्जन और अगम्य स्थानों पर अपने संवर्गों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सरकार को ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें समय-समय पर यह उल्लेख किया जाता है कि नक्सलियों और देश के विभिन्न भागों में सक्रिय आतंकवाद और अलगाववादी गुटों के बीच साठगांठ होने की संभावना है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नक्सली क्रियाकलापों तथा हिंसा रोकने और इनसे कारगर ढंग से निपटन के लिए आसूचना एकत्र करने के अपने प्रयास और अभियान तेज कर दें। केन्द्र सरकार, हथियार, संचार और अन्य संबंधित आधारभूत ढांचे के लिए पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी अभियान चलाने की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने हेतु सहायता भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, नक्सल-विरोधी अभियानों में राज्य पुलिस बलों की सहायता करने हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया जाता है।

इस स्थिति और नक्सलियों के क्रियाकलापों से निपटने के लिए अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निरंतर आधार पर समीक्षा करने के लिए समन्वय और निगरानी तंत्रों की भी स्थापना की गई है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के दो भाग थे। पहला, विभिन्न राज्यों में नक्सलियों के कितने प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वे कहां-कहां चल रहे हैं। दूसरा, क्या इनका लिट्टे, उल्फा और जम्मू-कश्मीर के आतंकवादियों से संबंध है? माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह संभावनाओं पर आधारित है। इन्होंने कहा है-''यद्यपि इस संबंध में कोई विशिष्ट ब्यौरा देना संभव नहीं है, फिर भी यह जाना जाता है कि निर्जन और अगम्य स्थानों पर अपने संवर्गों को नक्सली प्रशिक्षण देते हैं। सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि इनके अलगाववादी संगठनों से कोई संबंध हैं या नहीं, लेकिन विभिन्न ऐसी रिपोर्टों की जानकारी है जिसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि इनकी सांठ-गांठ हो सकती है।'' मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इनके पास जब इतना खुफिया तंत्र है तब इनको यह जानकारी नहीं है कि कहां प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, किन अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों से उनके संबंध हैं, तो घटना घटने के पूर्व ये कौन सी कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी को अपना जवाब जिम्मेदारी से देना चाहिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमान् नैक्सलाइट के ट्रेनिंग कैम्प पुलिस के ट्रेनिंग कैम्पों, जैसे हैदराबाद, दिल्ली या मुम्बई में होते हैं वैसे नहीं होते। नैक्सलाइट के ट्रेनिंग कैम्प पहाड़ी और झाड़ी वाले इलाकों में होते हैं। वे आज एक जगह होते हैं, तो कल दूसरी जगह होते हैं और परसों तीसरी जगह होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। हम कह रहे हैं कि इस प्रकार की ट्रेनिंग की व्यवस्था नैक्सलाइट की तरफ से की गई है। उसकी जानकारी स्टेट गवर्नमैंट को है और स्टेट गवर्नमैंट ने वह जानकारी हमें दी है। हमें इंटेलीजैंस डिपार्टमैंट के लोगों से भी जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, यदि आप वे आंकड़े मांगेंगे, तो वह मैं अभी आपको दे सकता हूं। मगर हैदराबाद में जैसे पुलिस का ट्रेनिंग कैम्प चल रहा है वैसा नैक्सलाइट का कैम्प कहां पर चल रहा है, ऐसा नहीं बोला जा सकता । इसे आपको ध्यान में रखना जरूरी है।

दूसरी बात यह है कि हम आज से न कहकर 1980 से कहते आ रहे हैं कि अलग-अलग जगहों पर टैरोरिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं। अलग-अलग ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बातचीत करते रहते हैं। वे एक-दूसरे को मदद करने की बात करते हैं। मगर जैसा एग्रीमैंट दो देशों के बीच होता है और साइन होता है वैसा एग्रीमैंट उनके अंदर नहीं होता। वे समझदारी से काम करते हैं। हमने आपको जो उत्तर दिया है, वह इस दृष्टि को ध्यान में रखकर दिया है। निश्चित रूप से कहां पर ट्रेनिंग कैम्प चल रहा है, निश्चित रूप से एग्रीमैंट क्या साइन किया हुआ है, उसकी हमें जानकारी नहीं है। मगर उनके आपस में संबंध हैं। वे एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और उनके ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। हम स्टेट गवर्नमैंट को बार-बार बताते हैं कि उनके ट्रेनिंग कैम्प यहां चल रहे हैं इसलिए, आपको वहां एक्शन लेना है। यही हमारे जवाब का मतलब है।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय गृहमंत्री जी स्पष्ट लिखते तो ऐसा मतलब नहीं निकाला जाता।

ये जितने भी मानवाधिकारवादी संगठन हैं, वे अपरोक्ष रूप से नक्सलवादी आंदोलनों को समर्थन देते हैं और अब तो स्थिति और भी भयावह हो गयी है कि पुलिस एवं अर्धसैनिक बल एनकाउण्टर करने से भी डरेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या पुलिस के मनोबल को तोड़कर आप नक्सलवादी-आतंकवादी संगठनों से निपट पाएंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य ने यह एक बहुत अच्छी बात सामने रखी है कि जो आतंकवाद फैला रहे हैं, उनके मन में आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट रूप से एक नीति भी है। जहां पर कोई झगड़ा होता है, वहां वे उपस्थित होते हैं, जब पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है और उसमें कोई मारा जाता है तो वह बिना वजह मारा गया यह भी कहते हैं। फिर ह्युमन राइट्स का वायलेशन हुआ, वे लोग ऐसा भी कहते हैं और उसके बारे में प्रचार करते हैं। यह बात सही है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इस परिस्थिति में जो सत्य है, उसे सामने लाना जरूरी है। मगर सरकार होने के नाते, एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते, हमें यह देखना जरूरी है कि किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या न हो, यह भी देखना जरूरी है कि ह्युमन राइट्स का वायलेशन न हो, यह देखना भी जरूरी है कि इस प्रकार की कार्यवाही में किसी निरपराध व्यक्ति को हानि न हो। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर, अपनी नीति बनाकर इस समस्या को हल करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जाता है, मगर जब वह प्रयास होता है तो कभी-कभी ह्युमन राइट्स की तरफ से टिप्पणियां होती हैं, कभी-कभी पुलिस के मोराल पर भी असर पड़ता है, इसलिए उस तरफ से भी टिप्पणियां होती हैं। दोनों में कुछ सत्य है, लेकिन दोनों ही में पूरा सत्य नहीं है, जो सत्य है उसके लिए हमको नीति बनाकर काम करना है। आपने जो बातें कही हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि

[अनुवाद]

"सरकार को नक्सलियों तथा अन्य आतंकवादी एवं अलगाववादी संगठनों के बीच संभावित सांठ-गांठ के बारे में समय-समय पर आने वाली-रिपोर्टों की भी जानकारी है।"

[हिन्दी]

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के भद्राचलम डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का बस्तर का इलाका है—कोण्टा, दोरनापाल, जगदलपुर और बस्तर। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लगे हुए महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और गढचिरौली इलाके हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से लगा हुआ बिहार का डेहरी-आनसोल और डाल्टनगंज इलाका है, इन सभी इलाकों में एक साथ अलग-अलग ग्रुप्स में नक्सलवादी गतिविधियां इन दिनों में काफी तीव्र हुई हैं। पिछले दिनों जिस प्रकार से बस्तर इलाके में घटनाएं हुईं और जिस तरह से नक्सलवादियों ने वहां एक समानांतर सरकार की व्यवस्था कर रखी है, उसकी जानकारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को है। आपने एक संयुक्त दल इस दृष्टि से बनाया है कि उन पर कार्यवाही की जाए। उसके बाद भी यदि वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाएं, वहां के निवासियों पर बार-बार हमले होते रहें तो सरकार केवल यह कहें कि हमने राज्य सरकार को सहायता देने का प्रबंध किया है, उसे आधुनिक शस्त्र वगैरह दे रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि यह केवल राज्य सरकार का विषय न होकर यह देश की शांति और सुरक्षा का विषय है। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसके लिए कौन से प्रभावी कदम उठाने जा रही है? क्या संयुक्त कमान की गतिविधियों को और तेज करेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा नक्सलवादी गतिविधियां छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। उनकी संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत, 60 प्रतिशत तक हो गयी है। इंसीडेंट्स की संख्या 40 प्रतिशत तक और मृत्यु की संख्या 60 प्रतिशत हो गयी है। अगर छत्तीसगढ़ की इस संख्या को अलग रखा जाए तो अन्य सभी राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों की संख्या में कमी नजर आती है। छत्तीसगढ़ की सरकार की, उनके कहने के मुताबिक, हमने मदद की है। आपकी मालूमात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पैरा-मिलिटरी फोर्सेज हमने छत्तीसगढ़ को दी हैं। दूसरे राज्यों को चार, तीन या एक-एक बटालियन्स दी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को हमने 13 बटालियन्स दी हैं। इसका मतलब यह होता है कि हमने उनको 13,000 लोगों की मदद दी है। इतना ही नहीं, उस काम के लिए हमने उन्हें सबसे ज्यादा 14-15 के करीब आर्म्ड व्हिकल्स दिए हैं। इसके अलावा उनके सलाहकारों के कहने पर यूएवी नामक ऐसा यंत्र दिया है जिससे आसानी से देखा जा सकता है कि कौन कहां पर जा रहा है, खासतौर से यह यंत्र सिर्फ मिलिटरी के लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी जो वे मांगते हैं, हम देते हैं। अगर हैलिकॉप्टर मांगते हैं तो वह भी नागालैंड से भेजा है तथा और बटालियन भी दी हैं। हम यहां से मालूमात देते हैं, फौज देते हैं, सामान देते हैं, पैसा देते हैं और नैतिक बल भी देते हैं, कभी उन पर टीका नहीं करते। लेकिन इसके बाद भी बदकिस्मती है कि इतना कुछ होने पर भी वे अपनी ड्यूटी नहीं निभाते। इसलिए यहां

कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें वहां जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन वह नहीं दी जाती, क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है, स्टेट की एक्सक्लूसिव रिस्पांसिबिलिटी है। इतना होने पर भी हमें जिम्मेदार ठहराया जाता है और कहा जाता है, जबकि हम और वे अलग नहीं हैं। लेकिन उन्हें बचाने के लिए हम पर वार करना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ आपका है, उस पर आपको काम करना है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्हें पूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए तथा यदि माननीय मंत्री जी उत्तर देते हैं उसके बाद आपत्ति उठाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछें।

चौधरी लाल सिंह: मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभी जानते हैं कि एक प्रक्रिया बनी हुई है। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रक्रिया है। ऐसा मत करिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं। यह ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह के भाषण के सिवाय कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मैं आपकी इजाजत से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारी रियासत जम्मू-कश्मीर में ऐसा सुनने में आया है कि मोहोर के अपर रिजेज पर और डूडू बसंतगढ़ के अपर एरिया तथा नील, पांगोल पामिरिस्तान में ट्रेनिंग कैम्प चल रहे हैं। इसके साथ ही कई कैम्प पीओके में भी चल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह के भाषण के सिवाय कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार अपने एरिया में जो इस तरह के कैम्प चल रहे हैं, उनके बारे में क्या कर रही है और मैंने जिन जगहों का उल्लेख किया है, क्या सरकार को उसकी जानकारी है, अगर है तो उस पर क्या कार्रवाई करना चाहती है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह के भाषण के सिवाय एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकार के फेल्योर होने तक ही न बैठी रहे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अगर राज्य सरकार आतंकवाद या उग्रवाद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और आपके द्वारा दी गई सहायता से भी वह अपने मकसद में फेल हो जाती है तो क्या केन्द्र सरकार का फर्ज नहीं बनता कि वह देश हित को देखते हुए उस बारे में कोई कानून बनाने की सोचे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको संविधान बदलना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: यह बात सही है कि यह जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार पर छोड़ कर केन्द्र सरकार, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं कहने जा रही है...*(व्यवधान)*

श्री गणेश सिंह: अभी कुछ देर पहले तो आप कुछ और बात कह रहे थे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, इस तरह से रनिंग कमेंट्री नहीं चलेगी।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप मंत्री जी को भी तो कहें।

अध्यक्ष महोदय: जब जरूरत होती है, हम मंत्री जी को भी कहते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: केन्द्र सरकार ने अपनी तरफ से किसी भी राज्य सरकार को न तो सदन में और न बाहर दोष देने का काम किया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अभी-अभी तो किया था। ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मगर अपना कर्तव्य नहीं निभाते हुए केन्द्रीय सरकार को जब जिम्मेदार कहा जाता है तो उसका उत्तर देना ही पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

दिनांक 15 मई, 2007 को उत्तर दिए जाने के लिए टार्गेट प्लस योजना

***563. श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टार्गेट प्लस योजना पर भारी धनराशि खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इससे लाभान्वित हुए निर्यातकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निर्यातक इस योजना के अंतर्गत अभी भी लाभ प्राप्त करने हेतु प्रतीक्षारत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस योजना को बेहतर बनाने के लिए इसे संशोधित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) दर्जाधारकों के लिए डीएफसीई (शुल्क मुक्त ऋण हकदारी) स्कीम दिनांक 1.4.2003 से शुरू की गई थी। यह स्कीम केवल उन दर्जाधारकों तक सीमित थी जिन्होंने वर्ष 2003-04 में कम-से-कम 25 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात किया था तथा जिनकी उत्तरोत्तर वृद्धि 25% थी। सितम्बर, 2004 में इस स्कीम को कठोर बनाया गया था, संशोधित किया गया था और टारगेट प्लस स्कीम के रूप में पुनः नामित किया गया था। टारगेट प्लस स्कीम को

निर्यातों में उत्तरोत्तर वृद्धि को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। दर्जाधारक भारत के निर्यात प्रयासों में 60% से अधिक का योगदान करते हैं और पर्याप्त रूप से अधिक निर्यात करने के लिए इन निर्यातकों को टारगेट प्लस स्कीम द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। दिनांक 30.4.2007 की स्थिति के अनुसार प्राप्त 1923 आवेदनों में से 897 दावों को 4725 करोड़ रुपए के शुल्क ऋण के अनुदान द्वारा वितरित किया गया है, 229 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं जिनमें दावे की राशि 574.63 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) दिनांक 31.3.2007 तक प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर जोनल समिति द्वारा विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है। कुल 797 आवेदन, जिनमें दावे की राशि 3792.10 करोड़ रु. है, त्रुटियुक्त और अपूर्ण पाए गए थे।

(ङ) और (च) सरकार ने उत्तरोत्तर निर्यातों को 5% पर शुल्क ऋण लाभ प्रदान करके, पेट्रोलियम, अनाजों, अयस्कों, चीनी और रत्न एवं आभूषण को स्कीम के कार्यक्षेत्र से हटाकर और पात्रता मानदण्ड को 10 करोड़ से कम कर 5 करोड़ रु. कर के वर्ष 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए टारगेट प्लस सकीम को संशोधित कर दिया है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान निर्यातों के लिए संचालित होने के बाद टारगेट प्लस स्कीम को 1.4.2006 से और उसके उपरांत निर्यातों के लिए समाप्त कर दिया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा योजना

***567. श्रीमती मिनाती सेन:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु उपाय करती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आई.सी.डी.एस. योजना के कुल लाभार्थियों में से अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित जनजातियों के अनुपात का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई.सी.डी.एस. लाभार्थियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) आई.सी.डी.एस. स्कीम में शुरू से ही यह परिकल्पित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के चयन में, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। शहरी परियोजनाओं में वार्डों के चयन में अनुसूचित जाति बहुल मलिन बस्तियों की वरीयता दी जाएगी। इन अनुदेशों को समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता रहा है। इसी प्रकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों/बस्तियों में आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना को वरीयता देने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ख) पहले, आई.सी.डी.एस. स्कीम का प्रबन्धन सूचना तंत्र राष्ट्र स्तर पर आई.सी.डी.एस. के लाभार्थियों से संबंधित जाति-वार आंकड़े एकत्रित नहीं करता था। ऐसे आंकड़ों का संकलन केवल राज्य/जिला स्तर पर ही किया जाता था। तथापि, वर्ष 2004-05 से ऐसे आंकड़े राष्ट्र स्तर पर भी संकलित किए जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 में पूरक पोषण के 5,03,86,296 लाभार्थियों में से 2,09,28,775 लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के थे, जो कुल लाभार्थियों का 41 प्रतिशत (26 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 15.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति) है। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वर्ष 2004-05 के आंकड़े उपलबध हैं, उनसे संबंधित आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत 31.3.05 तक की स्थिति, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 के आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना के समय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों/बस्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए तथा जहां तक संभव हो, आंगनवाड़ी केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को संस्वीकृति प्रदान करते समय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पुन: कहा गया है कि आंगनवाड़ी केन्द्र का चयन करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को प्राथमिकता प्रदान की जाए।

विवरण

वर्ष 2004-05 में आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत पूरक पोषण प्राप्त कर रहे लाभार्थियों (6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं) [जनजातीय-उपयोजना एवं विशिष्ट घटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी सूचना] की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	पूरक पोषण प्राप्त कर रहे बच्चों/गर्भवती महिलाओं/शिशुवती माताओं की कुल संख्या			पूरक पोषण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों/महिलाओं की संख्या			पूरक पोषण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति के बच्चों/महिलाओं की संख्या			पूरक पोषण प्राप्त कर रहे अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की कुल संख्या
		बच्चे	गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं	पूरक पोषण के कुल लाभार्थी	बच्चे	गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं	अनुसूचित जनजाति के कुल लाभार्थी	बच्चे	गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं	अनुसूचित जाति के कुल लाभार्थी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2151747	543162	2694909	332617	68480	401097	653253	147159	800412	1201509
2.	अरुणाचल प्रदेश	79899	13571	93470	119518	29772	149290				149290
3.	असम	1103139	148030	1251169	194800	48700	243500	172640	43160	215800	459300
4.	छत्तीसगढ़	1421264	370961	1792225			671524			251972	923496
5.	गुजरात	1596847	281687	1878534			452000			180000	632000
6.	गोवा	34482	8931	43413	6573	1288	7861	1367	257	1624	9485
7.	हरियाणा	942054	232857	1174911			0	368045	93521	461566	461566
8.	हिमाचल प्रदेश	319945	71183	391128	18546	4122	22668	97348	21262	118610	141278
9.	जम्मू-कश्मीर	182978	39982	222960	28656	9121	37777	22000	5000	27000	64777
10.	झारखंड	1205904	370988	1576892	402326	120233	522559	225914	75328	301242	823801
11.	कर्नाटक	2124020	509312	2633332	298906	78555	377461	526347	115078	641425	1018886
12.	केरल	908602	156242	1064844	18363	3864	22227	131545	21772	153317	175544
13.	मध्य प्रदेश	2817839	698755	3516594	656724	166206	822930	404659	101146	505805	1328735
14.	महाराष्ट्र	4208504	649060	4857564	1015699	171840	1187539	676939	125638	802577	1990116
15.	मेघालय	188184	33329	221513	188184	33329	221513	0	0	0	221513
16..	मिजोरम	109899	26368	136267	125138	27478	152616			0	152616
17.	नागालैण्ड	371466	40237	411703	288460	80187	368647	6283	914	7197	375844
18.	उड़ीसा*	3695410	668828	4364238	1112749	226135	1338884			0	1338884
19.	पंजाब	442806	136177	578983	107	296	403	247339	109619	356958	357361
20.	राजस्थान	2711322	609298	3320620	450719	99940	550659	706281	162307	868588	1419247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	तमिलनाडु	1850102	508775	2358877	31614	9634	41248	542343	164172	706515	747763
22.	त्रिपुरा	203918	30045	233963	81766	12495	94261	47485	8559	56044	150305
23.	उत्तर प्रदेश	4828282	1527396	6355678	4116000	1029000	5145000			0	5145000
24.	उत्तरांचल	407675	97892	505567	18086	3560	21646	88919	19538	108457	130103
25.	पश्चिम बंगाल	3428248	397985	3826233	225235	27166	252401	938482	113193	1051675	1304076
26.	अण्डमान व निकोबार	18599	5538	24137	2495	385	2880	0	0	0	2880
27.	छत्तीसगढ़	1789	7556	39345	0	0	0	10022	2617	12639	12639
28.	दमन व दीव	6330	1263	7593	1223	202	1425	246	56	302	1727
29.	दिल्ली	392557	30465	423022	0	0	0	144451	26911	171362	171362
30.	लक्षद्वीप	3877	986	4863	6401	1434	7835			0	7835
31.	पांडिचेरी	27210	8918	36128			0	7512	2325	9837	9837
32.	बिहार	3555564	775353	4330917							
33.	मणिपुर										
34.	सिक्किम										
35.	दादर व नगर हवेली	12520	2184	14704							
	कुल	41382982	9003314	50386296	9740905	2253422	13117851	6019420	1359532	7810924	20928775

आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत कुल लाभार्थियों के संदर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों का प्रतिशत-41.54%

नोट: छायांकित भाग: आंकड़े उपलब्ध नहीं।

*उड़ीसा राज्य में, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों में अनुसूचित जाति के लाभार्थी भी शामिल हैं।

[हिन्दी]

योग को अनिवार्य विषय बनाना

***568. श्री पंकज चौधरी:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी स्कूलों में योग को एक अनिवार्य विषय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के मुख्य घटकों में से एक घटक योग है जो वर्ष 1988 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या में माध्यमिक विद्यालय स्तर तक अनिवार्य विषय रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना, 1988 में प्राथमिक, अपर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भी योग सहित स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अलग और अनिवार्य विषय के रूप में जारी रखा गया है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यचर्या क्षेत्र को पुनः निर्धारित किया गया है और इसमें अनौपचारिक रूप से प्राथमिक स्तर से आगे योग शिक्षा शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। कक्षा VI से कक्षा X तक योग को स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा पाठ्यचर्या का अभिन्न घटक माना गया है।

जाति आधारित जनगणना

***569. श्री सज्जन कुमार:**
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, ईसाइयों तथा विमुक्त खानाबदोश एवं अर्द्ध खानाबदोश जनजातियों (डी.एन.टी.एन.टी.एस. एन.टी.) आदि सहित जातियों की कुल जनसंख्या का आकलन करने के उद्देश्य से देश में कोई जाति आधारित जनगणना करवाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह जनगणना कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1951 से प्रत्येक दशकीय जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी जानकारी एकत्रित की गई है। प्रत्येक जनगणना में अन्य धार्मिक समुदायों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं क्योंकि अनुसूचित जाति की स्थिति का निर्धारण व्यक्ति द्वारा धारित धर्म पर निर्भर करता है। 1951 में लिए गए सरकार के निर्णय के अनुरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि से कोई भी जाति आधारित जनगणना नहीं की गई है और अभी तक यही स्थिति है।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा में सुधार

***570. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में कोई सर्वेक्षण/अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उच्च शिक्षा के गिरते स्तर के मद्देनजर इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राज्य-वार कितनी अनुदान सहायता दी गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए पात्र कालेजों और विश्वविद्यालयों को विकास सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन स्कीमों का लक्ष्य अन्य के साथ-साथ पाठ्यचर्या सुधार, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और प्रबोधन और अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक अंतर-विश्वविद्यालय केन्द्र है, विभिन्न गुणवत्ता पैमानों पर समय-समय पर विश्वविद्यालयों और कालेजों का मूल्यांकन करती है। केन्द्र सरकार राज्यों को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता अनुदान नहीं देती है।

विस्फोटकों के लिए लाइसेंस जारी करना

***571. डा. के. धनराजू:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भवन निर्माण उद्देश्यों के लिए खदानों में चट्टानों को तोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले विस्फोटकों के विनिर्माण, ढुलाई, सम्भलाई और भण्डारण हेतु लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आज तक तमिलनाडु सहित राज्य-वार कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रणाली की निगरानी के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका कितना अनुपालन किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। खदानों में चट्टानों के विस्फोटन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किए गए विस्फोटक-लाइसेंसों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 30 अप्रैल, 2007 को कुल लाइसेंसों की संख्या भी विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियमावली, 1983 के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने के लिए, समय-समय पर राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। राज्यों से अन्य बातों के साथ-साथ इन बातों को पालन करने के लिए कहा गया है-विस्फोटक लाइसेंस चाहने वाले आवेदकों के पिछले इतिहास का भलीभांति सत्यापन करना; जिन भूमियों पर विस्फोटकों का भंडारण/प्रयोग किया जाना है उनके स्वामित्व की सूक्ष्मता से जांच करना; विनिर्माण लाइसेंस जारी करते समय सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखना; विस्फोटकों के विनिर्माण, बिक्री, परिवहन और प्रयोग की चौकसी रखना तथा ऐसे विस्फोटक ठेकेदारों को लाइसेंस जारी न करना जिनके पास खनन के लाइसेंस न हों। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के अधिकारियों तथा जिला प्रशासन द्वारा नियमित निरीक्षण और लाइसेंसधारकों के रिकॉर्डों की सूक्ष्म जांच से नियमों, विनियमों व उनके तहत दी गई सलाहों का अच्छा अनुपालन सुनिश्चित हुआ है।

विवरण

खदानों में चट्टानों के विस्फोटन हेतु प्रयोग के लिए जारी किए गए विस्फोटक-लाइसेंसों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	जारी करने का वर्ष 2004-05	2005-06	2006-07	30/4/2007 की स्थिति के अनुसार लाइसेंस धारकों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	5	5	6	33
2.	आंध्र प्रदेश	57	55	38	741
3.	अंडमान निकोबार	0	0	0	7
4.	असम	3	8	8	66
5.	बिहार	0	1	1	25
6.	छत्तीसगढ़	9	4	18	189
7.	चंडीगढ़	0	0	0	9
8.	दमन और दीव	0	0	1	5
9.	दिल्ली	0	0	0	1
10.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	3

1	2	3	4	5	6
11.	गोवा	4	3	1	67
12.	गुजरात	31	17	20	453
13.	हरियाणा	3	0	6	48
14.	हिमाचल प्रदेश	14	24	29	182
15.	झारखंड	18	18	12	461
16.	जम्मू-कश्मीर	10	8	10	61
17.	कर्नाटक	12	11	14	195
18.	केरल	125	102	75	714
19.	लक्ष्यद्वीप	0	0	0	5
20.	मेघालय	4	10	1	53
21.	महाराष्ट्र	75	56	36	1041
22.	मणिपुर	0	0	0	1
23.	मध्य प्रदेश	17	7	21	323
24.	मिजोरम	4	1	5	16
25.	नागालैण्ड	0	0	0	1
26.	उड़ीसा	6	5	7	174
27.	राजस्थान	18	17	18	354
28.	सिक्किम	0	1	5	6
29.	तमिलनाडु	27	20	23	312
30.	त्रिपुरा	3	3	1	11
31.	उत्तरांचल	4	2	20	83
32.	उत्तर प्रदेश	4	3	3	161
33.	पश्चिम बंगाल	5	9	5	277
	कुल	458	390	384	6078

[हिन्दी]

सीमेंट संयंत्र

*572. **श्री राकेश सिंह:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत बड़े, मझोले और लघु सीमेंट संयंत्रों का राज्यवार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन किया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमेंट की मांग और आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की स्थिति के अनुसार सीमेंट के इन संयंत्रों में राज्यवार कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं;

(ङ) क्या सराकर के पास देश में और अधिक सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) देश में कार्यरत सीमेंट संयंत्रों के बारे में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में उत्पादित सीमेंट की मात्रा इस प्रकार है:

वर्ष	(मिलियन मीट्रिक टन-लगभग)
2004-05	132
2005-06	148
2006-07	161

(ग) सीमेंट की मांग के बारे में राज्य-वार सूचना संकलित नहीं की जाती है। सीमेंट विनिर्माताओं द्वारा सीमेंट प्रेषणों पर क्षेत्र-वार सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(घ) सीमेंट उद्योग में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या 1.35 लाख के आस-पास है। संयंत्र-वार रोजगार के आंकड़े केन्द्रीयकृत तौर पर नहीं रखे जाते।

(ङ) और (च) सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। अप्रैल, 2004 और मार्च, 2007 के बीच, नए सीमेंट संयंत्र लगाने अथवा मौजूदा संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 377 औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, जो निवेश-आशयों को दर्शाते हैं।

विवरण I

सीमेंट संयंत्र

क्र.सं.	राज्य	संयंत्र	स्थान
1	2	3	4
1.	असम	सीसीआई बोकाजन	बोकाजन
2.	आंध्र प्रदेश	मेंचेरियल	मेंचेरियल
		कियोसराम सीमेंट	रामागुण्डम
		ओरिएन्ट	देवापुर
		जुआरी सीमेंट	कृष्णा नगर
		आदिलाबाद	आदिलाबाद

1	2	3	4
		तन्दूर	तन्दूर
		विजयवाडा (जी)	विजयवाडा
		विजाग (जी)	विशाखापटनम
		नाडिकुडे दुर्गा सीमेंट	नाडिकुडे
		चिलामकुर वर्क्स	चिलामकुर
		विसाका सीमेंट	तन्दूर
		येररागुन्टला वर्क्स	येररागुन्टला
		रासी सीमेंट	वडापल्ली
		श्री विष्णु सीमेंट	सीतापुरम
		जयन्तीपुरम	जग्गयापुट
		अल्ट्राटेक-एपीसीडब्ल्यू	ताडपात्री
		किस्टना	किस्टना
		केसीपी लि.	मचेरला
		पनयाम सीमेंट	बग्गनीपल्ले
		रेन इण्डस लि.-यूनिट-1	रामापुरम
		रेन इण्डस लि.-यूनिट-2	रचेरिया
		पन्ना ताडपात्री 1 और 2	ताडपात्री
		माई होम इण्डस्ट्रीज लि.	मेल्लाचेरूयू
3.	बिहार	कल्याणपुर सीमेंट	बंजारी
4.	छत्तीसगढ़	जामुल	जामुल
		सेंचुरी सीमेंट	टिल्डा
		ग्रासिम सीमेंट, रायपुर	रायपुर
		अकालतारा	अकालतारा
		मंधर	मंधर
		आशसमेटा	बिलासपुर
		अल्ट्रा टेक-एचसीडब्ल्यू	हिर्मी
		अम्बूज ईस्टर्न-सीटीजी	भाटापाड़ा
		लाफार्ज सोनादिह	सोनादिह

1	2	3	4
5.	दिल्ली	दिल्ली (जी)	तुगलकाबाद
6.	गुजरात	सिक्का	सिक्का
		सौराष्ट्र सीमेंट	रानावव
		गुजरात सिंधी सीमेंट	बेरावल
		पोरबन्दर	पोरबन्दर
		अल्ट्रा टेक-गुजरात	पीपावव
		जाफराबाद	जाफराबाद
		मागदल्ला (जी)	मागदल्ला
		अंबुजा सीमेंट	कोडिनार
		गजअबूजा सीमेंट	कोडिनार
		संघी इण्डस्ट्रीज लि.	आबदासा ताल्लुका
7.	हिमाचल प्रदेश	गागल-1	गागल
		गागल-2	गागल
		राजबन	राजबन
		अंबूजा सीमेंट-एचपी	दारलाघाट
8.	हरियाणा	सीसीआई, चरखी दादरी	चरखी दादरी
9.	जम्मू-कश्मीर	जे एंड के सीमेंट लि.	खरेब
10.	झारखण्ड	चेलबासा	चेलबासा
		सिन्दरी	सिन्दरी
		लाफार्जे सीमेंट-जोजोबेरा (जी)	सिंभू
		लेमोस सीमेंट	खलारी
		सोने वेली	जापला
11.	कर्नाटक	वाडी	वाडी
		वाडी न्यू	वाडी
		वासादेवता सीमेंट	सेदम
		राजश्री सीमेंट	मालखेड
		मैसूर सीमेंट	अम्मासान्दरा
		कुर्कन्टरा	कुर्कन्टरा

1	2	3	4
		शाहबाद	शाहबाद
		बागलकोट उद्योग लि.	बागलकोट
12.	केरल	मालाबार सीमेंट	पालघाट
		मालाबार सीमेंट (जी)	अलापुझा
13.	महाराष्ट्र	चन्दा	चन्दा
		मानिकगढ़ सीमेंट	मानिकगढ़
		राजश्री-होतगी (जी)	होतगी
		अल्ट्राटेक-एसीडब्ल्यू	चन्दरपुर
		रत्नागिरी (जी)	रत्नागिरी
		इण्डो रामा (जी)	रायगढ़
		ओरिएन्टसीमेंट-जलगांव (जी)	जलगांव
		मराठा सीमेंट	चन्दरपुर
14.	मध्य प्रदेश	किमोर	किमोर
		बिरला विकास	सतना
		सतना सीमेंट	सतना
		माइहार सीमेंट	माइहार
		विक्रम सीमेंट	जावाड रोड
		डायमंड सीमेंट-1	दामोह
		डायमंड सीमेंट-2	दामोह
		नीमच	नीमच
		जेपी रीवा	रीवा
		जेपी बेला	बेला
		प्रिज्म सीमेंट	सतना
15.	मेघालय	मावमलूह चेरा	चेरापूंजी
		मेघालय सीमेंट लि.	लम्शोन्ग
16.	उड़ीसा	अल्ट्राटेक-जेसीडब्ल्यू (जी)	झारसुगुडा
		ओसीएल इंडिया लि.	राजगंगपुर
		बारगढ़ सीमेंट लि.	बारगढ़

1	2	3	4
17.	पंजाब	अंबुजा सीमेंट रोपड़ (जी)	रोपड़
		अंबुजा सीमेंट भठिण्डा (जी)	भठिण्डा
		ग्रासिम भठिण्डा (जी)	भठिण्डा
18.	राजस्थान	एसीबी, लखेरी	लखेरी
		बिरला सीमेंट	चित्तौरगढ़
		चित्तौर सीमेंट	चित्तौरगढ़
		मंगलम सीमेंट	मोराक
		नीरश्री सीमेंट	मोराक
		आदित्य सीमेंट	शंबुपुरा
		जेके सीमेंट, निंबाहेडा	निंबाहेडा
		जेके सीमेंट, मंगरोल	मंगरोल
		जेके सीमेंट, गोटन	गोटन
		लक्ष्मी सीमेंट	सिरोही रोड
		जेके उदयपुर उद्योग	उदयपुर
		अंबुजा सीमेंट-राब्रियावास	पाली
		श्री सीमेंट	बिवाड
		बिनानी सीमेंट	सिरोही रोड
		श्रीराम सीमेंट	कोटा
19.	तमिलनाडु	मदुक्कराई	मदुक्कराई
		ग्रासिम, साउथ	रेड्डीपलायम
		संकर नगर	तलाईयूथू
		संकरीदुर्ग	संकरीदुर्ग
		दालावोई	त्रिचि
		अलंमगुलम	अलंमगुलम
		अरियलूर	अरियलूर
		रामसमीराजा नगर	रामसमीराजानगर
		अलथियूर वर्क्स-1	अलथियूर
		अलथियूर वर्क्स-2	अलथियूर

1	2	3	4
		चेटीनाड-करूर	करूर
		चेटीनाड-करिकली	करिकली
		डालमिया सीमेंट	डालमियापुरम
		अल्ट्रा टेक-एआरसीडब्ल्यू (जी)	अराकोनम
20.	उत्तर प्रदेश	टिकारिया (जी)	टिकारिया
		बिड़ला सीमेंट-रायबरेली (जी)	रायबरेली
		डायमंड सीमेंट-झांसी (जी)	झांसी
		चुर्क	चुर्क
		डल्ला	डल्ला
		चुनार (जी)	चुनार
		जेपी-सदवा खुर्द (जी)	सदवा खुर्द
		जेपी-अयोध्या (जी)	टांडा
21.	पश्चिम बंगाल	दोमोदर सीमेंट एंड स्लैग (जी)	पुरूलिया
		दुर्गापुर (जी)	दुर्गापुर
		दुर्गा हाईटैक सीमेंट (जी)	दुर्गापुर
		अंबुजा ईस्टर्न-डब्ल्यू बी (जी)	संकरेली
		अल्ट्राटैक-डब्ल्यूबीसीडब्ल्यू (जी)	दुर्गापुर

स्रोत: सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन।

टिप्पणी: 600 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक या कम विनिर्माण क्षमता के सीमेंट संयंत्रों को लघु सीमेंट संयंत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। इन संयंत्रों के संबंध में संयंत्र-वार आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा संकलित नहीं किए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 200 लघु सीमेंट संयंत्र चालू हालत में हैं, जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता लगभग 6.40 मिलियन मीट्रिक टन है।

विवरण II

विनिर्माताओं द्वारा सीमेंट प्रेषण पर राज्य/क्षेत्रवार सूचना

(मी. टन में)

क्षेत्र/राज्य	2004-2005	2005-2006	2006-2007
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
उत्तरांचल	1469025	1825327	2224678
हरियाणा	4246272	4927989	5586963

1	2	3	4
पंजाब	5234700	5655314	6496646
राजस्थान	6967151	8272687	9128267
हिमाचल प्रदेश	1451307	1593116	1866561
चंडीगढ़	189300	264824	366128
दिल्ली	3749830	3503851	2971621
जम्मू-कश्मीर	948213	1014125	1239966
	24255798	27057233	29880830
पूर्वी क्षेत्र			
असम	1118907	1086297	1039697
मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्य	949436	767764	943810
बिहार	3799958	4360263	4493352
झारखंड	2314005	2630632	2632060
उड़ीसा	3901128	4145911	4431604
पश्चिम बंगाल	6223014	6588906	6928017
छत्तीसगढ़	2090960	3081464	3522010
	20397408	22661237	23990550
दक्षिणी क्षेत्र			
आंध्र प्रदेश	8550427	11464571	12588332
तमिलनाडु	9553896	11129207	12839594
कर्नाटक	8105356	9382226	11115173
केरल	6129367	6499769	6974530
पांडिचेरी	263543	329063	388514
अंडमान और निकोबार	50535	76550	110873
गोवा और दमन तथा दीव	779610	486579	431325
	33432734	39367965	44448341
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	8709984	9121286	10072940
महाराष्ट्र	15876368	16784422	18192196
	24586352	25905708	28265136

1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश	14118806	14202156	15895733
मध्य प्रदेश	6287257	6368673	6508519
	20406063	20570829	22404252
कुल प्रेषण	123078355	135562972	148989109

स्रोत: सीमेंट विनिर्माता ऐसोशिएशन

उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें बढ़ाना

***573. श्री रशीद मसूद:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में सीटें बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय शैक्षिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में वार्षिक अनुमत्य क्षमता के अतिरिक्त दाखिला क्षमता में 54 प्रतिशत की अनिवार्य बढ़ोतरी का प्रावधान है ताकि अनारक्षित श्रेणी में सीटों की संख्या अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले, शैक्षिक सत्र में सीटों की संख्या से कम न हो। तथापि इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम के अनुवर्ती शैक्षिक सत्र के दौरान वार्षिक संस्वीकृत संख्या को एक साथ बढ़ाना वित्तीय, भौतिक अथवा शैक्षिक बाध्यताओं या शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के कारण सम्भव न हो तो यह संख्या सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि में बढ़ाई जा सकती है। 4 जनवरी, 2007 को लागू इस अधिनियम को भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 29 मार्च, 2007 के आदेश द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में उपयुक्त अधिनियम की धारा 6 के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले

***574. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:**
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस वर्ष मार्च के महीने में गुवाहाटी में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मेले की मुख्य विशेषताएं क्या रही तथा इसमें किस बात पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया; और

(च) इसमें अंतर्ग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) देश के विभिन्न भागों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले वाणिज्य मंत्रालय के अधीन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 2007-08 के दौरान आईटीपीओ द्वारा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले आयोजित करने का प्रस्ताव है;

(1) दिल्ली इंटरनेशनल लैदर फेयर, नई दिल्ली, 18-20 मई, 2007

(2) दिल्ली बुक फेयर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 1-9 सितंबर, 2007

(3) इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, नई दिल्ली, 14-27 नवंबर, 2007

(4) इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड फायर एक्जीबिशन, नई दिल्ली, 19-22 दिसंबर, 2007

(5) आईटी इंडिया फेयर, नई दिल्ली, 21-24 जनवरी, 2008

(6) इंडिया इंटरनेशनल लैदर फेयर, चेन्नई, 31 जनवरी-3 फरवरी, 2008

(7) इंटरनेशनल लैदर गुड्स फेयर, कोलकाता, 22-24 फरवरी, 2008

(8) टेक्स-स्टाइल्स इंडिया, प्रगति मैदान, नई दिल्ली, 3-6 मार्च, 2008

(9) आहार इंटरनेशनल फूड फेयर, नई दिल्ली, 10-14 मार्च, 2008

(घ) आईटीपीओ द्वारा ऐसा कोई मेला आयोजित नहीं किया जाता।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दहेज प्रतिषेध कानून

***575. श्री बापू हरी चौरे:**
श्री संजय धोत्रे:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दहेज प्रतिषेध संबंधी कानूनों में निवारक दंड का प्रावधान करके उसे और अधिक कड़ा बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग में हाल ही में, उपबंधों को और अधिक कारगर और सख्त बनाने के लिए कानूनों में कतिपय संशोधनों की अनुशंसा की है। अनुशंसाओं की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

सुनामी पीड़ित

***576. श्री के.सी. पल्लानी शामी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा. करेंगे कि:

(क) सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में योजना आयोग के कोर समूह द्वारा हाल ही में की गई मध्यावधि समीक्षा के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या और कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) योजना आयोग में कोर ग्रुप द्वारा सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा अक्टूबर 2006 के दौरान की गई थी। पुनर्निर्माण/पुनर्वास की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए संशोधित लागत अनुमानों/निधियों को चरण-बद्ध करने के संबंध में समीक्षा करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। समीक्षा के आधार पर, मंत्रियों के शक्तिप्राप्त ग्रुप (ई जी ओ एम) ने 10.1.07 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की चार वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किए जाने वाले 9822.10 करोड़ रु. के सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम के लिए संशोधित लागत अनुमानों का अनुमोदन किया।

ई जी ओ एम ने यह निर्णय भी लिया कि:

(1) कार्यक्रम में किसी भी बड़े घटाव-बढ़ाव की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कार्यान्वयन एजेंसियों को लोगों को राहत प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने की दृष्टि से वैज्ञानिक ढंग से कार्य को पुरा करने चाहिए न कि रोजगार देने वाली एजेंसी की तरह।

(2) वर्ष 2008-09 से आगे सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम की समय-सीमा को बढ़ाने हेतु एक प्रावधान की व्यवस्था करने के लिए योजना आयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया है।

(3) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन/प्रबोधन हेतु तिमाही भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए।

कयर उद्योग

***577. श्री पन्नियन रवीन्द्रन:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर केरल में कयर उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कुछ इकाइयां बंद होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में केरल सहित राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कयर इकाई के बंद होने की कोई भी घटना फिलहाल सरकार के जानकारी में नहीं आई है। तथापि, वर्ष 2004-05 में केरल में सूखे और माइट रोग के कारण नारियल उत्पादन प्रभावित हुआ था तथा कयर उत्पादों के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री की कमी का सामना करना पड़ा था। कच्ची सामग्री की कमी की पूर्ति पड़ोसी कयर उत्पादक राज्यों से किया गया। केरल सरकार के अनुरोध पर, भारत सरकार ने पड़ोसी देशों से कयर फाइबर के नि:शुल्क आयात करने हेतु सितम्बर, 2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी थी। कयर उत्पादों के उत्पादन तथा इसकी उत्पादकता में वृद्धि हेतु कयर क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कयर बोर्ड (कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित संगठन) अनेक स्कीमों (विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है) का संचालन कर रहा है जिसके लिए कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय द्वारा वार्षिक बजट आवंटन प्रदान किया जाता है। कयर बोर्ड के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात जैसे सभी प्रमुख विकास पैरामीटरों में वृद्धि का रूझान दर्शा रहे हैं, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(उत्पादन, निर्यात: मीट्रिक टन में)
(रोजगार: लाख व्यक्ति)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
उत्पादन	353700	364000	385000	410000
निर्यात	84183	102253	122927	136027
रोजगार	5.78	5.86	6.06	6.22

2. पारंपरिक उद्योगों के पुनःसृजन के लिए स्फूर्ति योजना के तहत विकास के लिए जून तथा अक्टूबर, 2006 में 12 राज्यों (केरल के 4 क्लस्टर सहित) को शामिल करते हुए 25 क्लस्टरों को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. इसके अतिरिक्त कयर बोर्ड ने 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कयर उद्योग के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन हेतु एक नई स्कीम बना रहा है जिसमें कयर उद्योग से जुड़े कारीगरों और लघु स्तरीय उत्पादकों के उपार्जन में बढ़ोतरी तथा रोजगार सृजन, अद्यतन मशीनरी, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार, हस्क उपयोगिता में वृद्धि आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय-न्यूनतम निर्यात मूल्य एवं खरीद मूल्य प्रवर्तन स्कीम, रिबेट योजना आदि से संबंधित मुद्दों पर केरल सरकार से प्रतिवेदन प्राप्त करता रहा था। केरल सरकार को सूचित किया गया कि इन स्कीमों को लागू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केरल सरकार से एक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया था जिसमें महिला कयर योजना नामक स्कीम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार से दावों का निपटान एवं भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय कयर अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान, तिरूवनंतपुरम् को अपनाने जैसे प्रस्तावों का उल्लेख किया गया था। उक्त प्रतिवेदनों पर विचार करते हुए महिला कयर योजना और विपणन विकास सहायता हेतु वर्ष 2005-06 के लिए कयर बोर्ड के संशोधित अनुमान के रूप में अतिरिक्त निधि प्रदान की गई थी। राष्ट्रीय कयर अनुसंधान और प्रबंधन संस्थान को अपनाने के संबंध में केन्द्र सरकार की असहमति के बारे में इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को सूचित किया गया कि कयर बोर्ड के अंतर्गत पहले से ही दो अनुसंधान संस्थान एक अल्पूझा, केरल और दूसरा बैंगलोर में केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता से कार्यरत है। हाल ही में (जुलाई, 2006) केरल सरकार द्वारा एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल में घाटे में चल रहे सहकारी समितियों को देखते हुए रिबेट स्कीम को पुन: लागू करने के बारे में कहा गया है। कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने उक्त तथ्य पर विचार करते हुए राज्य सरकार को

सूचित किया कि कयर उत्पादों के संवर्धन के लिए रिबेट स्कीम की तुलना में विपणन विकास सहायता योजना अधिक लचीला और व्यापक है तथा इसे प्रभावी रूप से प्रचार किए जाने की आवश्यकता है।

विवरण

कयर उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने, इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के संबंध में कयर क्षेत्र की सहायता करने की दृष्टि से कयर बोर्ड निम्नोक्त/स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है।

(1) उत्पादन के विकास हेतु बुनियादी संरचना वित्तीय सहायता नई इकाइयों की स्थापना करने लिए अधिकतम 1.5 लाख रु. के अध्यधीन मशीनरी लागत के 25 प्रतिशत की दर से दी जाती है।

(2) प्रचार उपायों, कोओपरेटिव तथा पब्लिक सेक्टर की इकाईयों को मार्किट विकास सहायता, ट्रेड फेयरों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने, कयर बोर्ड शौरूमों तथा बिक्री डिपो का अनुरक्षण करना ताकि वे मानक मूल्यों पर गुणवत्ता उत्पादों की आपूर्ति कर सके।

(3) ''महिला कयर योजना'' के तहत स्पिनिंग में महिला कारीगरों को प्रशिक्षण, इसके तहत रैट्स (कयर स्पिनिंग) की खरीद लागत के 75% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

(4) उद्यमित विकास कार्यक्रम तथा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम ताकि उद्यमों का संवर्धन तथा गुणवत्ता जागरूकता बनायी जा सके।

(5) अनुसंधान और विकास प्रयासों को तीव्र करना ताकि कयर फाइबर के एक्सटेक्शन तथा प्रोससिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां शुरू की जा सके तथा मशीनरी का विकास, उत्पाद विविधीकरण, नए उत्पादों इत्यादि को शुरू किया जा सके।

(6) वर्ष 2005-06 के दौरान प्रयोग आधार पर ''उत्पादन वृद्धि संबद्ध कयर कामगार कल्याण योजना'' नामक एक योजना कार्यान्वित की गई। इस योजना में वर्कशेड, सामान्य सुविधा केन्द्र, सामुदायिक हाल, स्वास्थ्यवर्धक टायलेट सुविधाओं, पीने के पानी की सुविधा आदि के निर्माण की परिकल्पना की गई। इस योजना के अधीन केरल सहित विभिन्न राज्यों को 130 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए। कयर बोर्ड 11वीं योजना शुरू करने के लिए इस योजना का मूल्यांकन कर रहा है।

डकार कार्य योजना

***578. श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डकार कार्य योजना पर हस्ताक्षर कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार सभी को शिक्षा प्रदान करने की योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी तक कितनी सफल हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 26-28 अप्रैल, 2000 को डकार, सेनेगल में आयोजित एक बैठक में द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम ने 'डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन, एजुकेशन फॉर ऑल' को अपनाया था। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्रवाई के प्रति डकार फ्रेमवर्क एक सामूहिक वचनबद्धता है। भारत डकार फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर करने वाले 164 देशों में से एक है। डकार फेमवर्क ने सभी के लिए शिक्षा के निम्नलिखित छह लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति अपनी वचनबद्धता की:—

(1) विशेष रूप से सर्वाधिक असहाय एवं लाभवंचित बच्चों के लिए बाल्यकाल-पूर्व देखभाल एवं शिक्षा का व्यापक विस्तार तथा सुधार।

(2) यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2015 तक सभी बच्चे, विशेष रूप से बालिकाएं, विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चे और अल्पसंख्यक अच्छी गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करें तथा उसे पूरा करें।

(3) यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त अधिगम तक समानतापूर्ण पहुंच और जीवन-कौशल कार्यक्रमों द्वारा सभी युवाओं और प्रौढ़ों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं पूरी हों।

(4) वर्ष 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता, विशेषतः महिला साक्षरता के स्तरों में 50 प्रतिशत सुधार तथा सभी प्रौढ़ों के लिए बुनियादी एवं सतत शिक्षा तक समानतापूर्ण पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करना।

(5) बालिकाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा तक पूर्ण पहुंच और उसमें उपलब्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हुए वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विभेदों को समाप्त कर 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना।

(6) शिक्षा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सुधार करना और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना ताकि सभी व्यक्ति विशेष रूप से साक्षरता, अंक ज्ञान और आवश्यक जीवन कौशलों के मान्य और परिमेय अधिगम परिणाम प्राप्त कर सकें।

(ग) सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में की गई कार्रवाई की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

लक्ष्य 1: विशेष रूप से सर्वाधिक असहाय एवं लाभवंचित बच्चों के लिए बाल्यकाल-पूर्व देखभाल एवं शिक्षा का व्यापक विस्तार तथा सुधार।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यान्वित करता है जिसमें छह सेवाओं का एक पैकेज है, नामत: पूरक पोषाहार (2) टीकाकरण, (3) स्वास्थ्य जांच, (4) रैफरल सेवाएं, (5) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, (6) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। इस योजना के तहत 6284 परियोजनाओं में 7.81 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों के एक नेटवर्क के माध्यम से 654.65 लाख लाभार्थियों, जिनमें 543.43 लाख बच्चे (0-6 वर्ष) और 111.22 लाख गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं, को सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

लक्ष्य 2: यह सुनिश्चित करना कि वर्ष 2015 तक सभी बच्चे, विशेष रूप से बालिकाएं, विषम परिस्थितियों में रह रहे बच्चे और अल्पसंख्यक अच्छी गुणवत्ता की नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करें तथा उसे पूरा करें।

निम्नलिखित तालिका में चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2004-05 के अनुसार प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों, अनुसूचित जाति के बच्चों और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात के वर्ष 2000-01 और 2004-05 के पृथक-पृथक लैंगिक आंकड़े दिए गए हैं।

वर्ष	श्रेणी	प्राथमिक		
		बालक	बालिकाएं	कुल
2000-01	सभी	104.9	85.9	95.7
2004-05	सभी	110.7	104.7	107.8
2000-01	अ.जा.	107.3	85.8	96.8
2004-05	अ.जा.	123.3	106.6	115.3
2000-01	अ.ज.जा.	116.9	85.5	101.1
2004-5	अ.ज.जा.	128.1	115.5	121.9

सर्व शिक्षा अभियान सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2001-02 में शुरू किया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान शैक्षिक अवसरों के समान वितरण तथा लैंगिक विभेदों के निवारणार्थ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बालिकाओं की शिक्षा की लागत की पूर्ति के लिए शैक्षिक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत लक्षित कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक (मुस्लिम) समुदायों की अधिक जनसंख्या वाले जिलों को विशेष महत्व के जिलों के रूप में अभिचिह्नित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि विशेष आवश्यकता वाले प्रत्येक बच्चे को उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, लाभवंचित वर्गों के निर्धन बच्चों को अधिक नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करने और शिक्षण-कक्ष कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने सितम्बर 2004 में पके हुए मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम शुरू किया है।

लक्ष्य 3: यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त अधिगम तक समानतापूर्ण पहुंच और जीवन-कौशल कार्यक्रमों द्वारा सभी युवाओं और प्रौढ़ों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं पूरी हों।

,युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने एक व्यापक राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 बनाई है जो यह स्वीकार करती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से भागीदार होने के लिए युवाओं को आवश्यक ज्ञान, कौशलों और योग्यताओं से बेहतर ढंग से परिपूर्ण होना आवश्यक है। किशोरावस्था स्वास्थ्य, विकास, जीवन कौशल शिक्षा और सशक्तीकरण के लिए एक नए कार्यक्रम के रूप में 59 जिलों में ग्राम स्तर पर किशोर क्लब शुरू किए गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश की 6284 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं में आई.सी.डी.एस. योजना के एक अंग के रूप में किशोरियों के लिए किशोरी शक्ति योजना कार्यान्वित कर रहा है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास एवं आय सृजन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

लक्ष्य 4: वर्ष 2015 तक प्रौढ़ साक्षरता, विशेषत: महिला साक्षरता के स्तरों में 50 प्रतिशत सुधार तथा सभी प्रौढ़ों के लिए बुनियादी एवं सतत शिक्षा तक समानतापूर्ण पहुंच के लक्ष्य को प्राप्त करना।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत की साक्षरता दर 64.8% (पुरुष 75.26%; महिला 53.67%) थी। 15-35 वर्ष आयु-वर्ग के सभी निरक्षर प्रौढ़ों को कार्यसाधक साक्षरता और सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया है। साक्षरता स्तरों में सुधार के लिए संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उच्चतर साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रधान साधन रहा है। वर्तमान में देश के 110 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान और 176 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जिन 65 जिलों में विभिन्न कारकों के चलते संपूर्ण साक्षरता अभियान ठप हो गए हैं उनमें अवशिष्ट निरक्षरता परियोजनाएं चलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड के 47 जिलों में महिला साक्षरता के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

लक्ष्य 5: बालिकाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता की बुनियादी शिक्षा तक पूर्ण पहुंच और उसमें उपलब्धि सुनिश्चित करने पर ध्यान देते हुए वर्ष 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विभेदों को समाप्त कर 2015 तक शिक्षा में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करना।

चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2004-05 के अनुसार शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बच्चों की सभी श्रेणियों से संबंधित लैंगिक समानता सूचकांक नीचे तालिका में दिया गया है:

कक्षा	सभी बच्चे
1-5	0.95
6-7	0.88
9-12	0.79

प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अपने घटकों के साथ सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं विशेष रूप से देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों की बालिकाओं की शिक्षा कं संवर्धन के प्रयास करता है।

लक्ष्य 6: गुणवत्तापरक शिक्षा के सभी पहलुओं में सुधार करना और उत्कृष्टता सुनिश्चित करना ताकि सभी व्यक्ति विशेष रूप से साक्षरता, अंक ज्ञान और आवश्यक जीवन कौशलों के मान्य और परिमेय अधिगम परिणाम प्राप्त कर सकें।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं, शिक्षण-अधिगम सामग्री के विकास को सुकर बनाने के लिए अनुदान, सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों आदि के प्रावधान के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार करता है। शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से देश में 571 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान संस्वीकृत किए गए हैं। 6700 ब्लॉक संसाधन केन्द्रों और 66000 क्लस्टर संसाधन केन्द्रों के माध्यम से शिक्षकों, को व्यावसायिक सहायता भी प्रदान की जाती है, जिनमें बाल-केन्द्रित, कार्यकलाप आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा संशोधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना बाल केन्द्रित शिक्षा के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 (1) स्कूली ज्ञान को स्कूल-बाह्य जीवन से जोड़ने, (2) अधिगम को रटंत अध्ययन पद्धति से अलग करना सुनिश्चित करने, (3) पाठ्यचर्या को पाठ्यपुस्तकों की परिधि से बाहर निकालने के लिए उसे समृद्ध करने, (4) परीक्षाओं को लचीला बनाने के निर्देशात्मक सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 पर आधारित नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार कर लिए गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशी व्यापार संबंधी योजनाओं का विस्तार

***579. डा. चिन्ता मोहन:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रियायतें देकर विदेशी व्यापार संबंधी योजनाओं का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने निर्यातकों के लाभान्वित होने का अनुमान है;

(घ) क्या सेवा कर छूट के कारण भारतीय कंपनियों का निर्यात बढ़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी वृद्धि हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी हां। विदेश व्यापार नीति का वार्षिक परिशिष्ट दिनांक 19.4.2007 को घोषित किया गया था जिसका विवरण डीजीएफटी की वेबसाइट www.dgft.delhi.gov.in पर उपलब्ध है।

(ग) उन निर्यातकों की संख्या बताना संभव नहीं है जिनके लाभान्वित होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) सेवा कर वापसी/छूटों से भारतीय निर्यातों की प्रातिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारत से पण्य वस्तुओं का निर्यात 2005-06 में 103 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2006-07 में 124.63 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था।

निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण

***580. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन संस्थानों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) देश तथा विश्व में तकनीकी जनशक्ति की मांग को देखते हुए सरकार ने तकनीकी शिक्षा में निजी पहल को अनुमति दे दी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने नई तकनीकी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और विद्यमान संस्थाओं में नए तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए कड़े मानदंड तथा मानक निर्धारित किए हैं। ये मानदण्ड तथा मानक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाईट (www.aicte.emet.in) पर उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए ट्रस्ट/सोसायटीज/विश्वविद्यालयों से आवेदनपत्र आमंत्रित करता है। जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्ड और मानकों को पूरा करते हैं उन्हें तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने के लिए अनुमोदन दिया जाता है। इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना के पश्चात भी यदि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को लगता है कि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों और मानकों को पूरा नहीं कर रहे है तो उनका अनुमोदन वापस ले सकता है, उनकी दाखिला क्षमता को कम कर सकता है या कोई दाखिला नई श्रेणी के अंतर्गत रख सकता है।

छात्रों की जानकारी के लिए अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की एक सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद समय-समय पर देश के मुख्य समाचारपत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी करता रहता है जिसमें वह सभी सम्बंधितों को किसी भी तकनीकी संस्था में प्रवेश लेने से पहले उसके अनुमोदन स्थिति जानने के लिए सचेत करता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के समक्ष अनुमोदिन न किए गए ऐसे संस्थाओं की सूची है जो तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, यह सूची अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

[अनुवाद]

आतिशबाजी के सामान का निर्यात

***581. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आतिशबाजी के सामान का निर्यात करने से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार को विशेषकर तमिलनाडु के आतिशबाजी विनिर्माताओं को अपने उत्पादों को अन्य देशों को निर्यात करने संबंधी जटिल नियमों के कारण हो रही असुविधाओं की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) आतिशबाजी के सामान के निर्यात से पिछले 3 वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा मिलियन अम. डालर
2003-04	0.06
2004-05	0.17
2005-06	0.16
2006-07 (अनंतिम)	0.18

(ख) निर्यातों के बारे में कोई विशेष समस्या आतिशबाजी के सामान के विनिर्माताओं द्वारा भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत रत्न पुरस्कार

5313. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी भी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा कौन से दिशानिर्देश अपनाए गए हैं; और

(ख) जिन व्यक्तियों को भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है उनके नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मणिकराव होडल्या गावित): (क) भारत रत्न संबंधी कानून और नियमों के अनुरूप, यह अलंकरण, कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति हेतु किए गए असाधारण कार्य और उच्च कोटि की लोक सेवा के सम्मान में प्रदान किए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार हेतु सिफारिशें प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती हैं और इनकी घोषणा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात की जाती है। किसी भी व्यक्ति को चुनने के लिए किसी से भी परामर्श लेने का प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। इसके लिए किसी भी औपचारिक सिफारिशों की आवश्यकता नहीं होती है।

*(ख) आज की तारीख तक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किए गए 40 व्यक्तियों के नामों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में है। संत तुकादोजी महाराज के संबंध में भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया है।

विवरण

भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	नाम	राज्य
1	2	3
1.	डा. जाकिर हुसैन	आंध्र प्रदेश
2.	लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई	असम
3.	लोकनायक जयप्रकाश	बिहार
4.	डा. राजेन्द्र प्रसाद	बिहार
5.	डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	दिल्ली
6.	श्रीमती अरुणा आसफ अली	दिल्ली
7.	श्री राजीव गांधी	दिल्ली
8.	श्री गुलजारी लाल नंदा	गुजरात
9.	श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	गुजरात
10.	सरदार वल्लभ भाई पटेल	गुजरात
11.	डा. एम विश्वेश्वर्य्या	कर्नाटक
12.	श्री आचार्य विनोबा भावे	महाराष्ट्र
13.	डा. भीमराव रामजी अम्बेडकर	महाराष्ट्र

*दिनांक 15.5.2007 के वाद-विवाद के प्रश्न संख्या 5313 के उत्तर के भाग 'ख' में दिनांक 4.12.2007 को सभा में दिये गये शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से बाद में सुधार किया गया और तदनुसार मांग 'ख' में निम्न परिवर्तन किया गया:

"(ख) आज की तिथि तक भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किये गए 40 व्यक्तियों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।"

1	2	3
14.	डा. धोंडे केशव कर्वे	महाराष्ट्र
15.	श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	महाराष्ट्र
16.	कुमारी लता दीनानाथ मंगेशकर	महाराष्ट्र
17.	डा. पांडुरंग वमन काणे	महाराष्ट्र
18.	श्री वी.वी. गिरि	उड़ीसा
19.	श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	तमिलनाडु
20.	डा. चन्द्रशेखर वेंकटारमण	तमिलनाडु
21.	श्री चिदाम्बरम सुब्रामणियम	तमिलनाडु
22.	श्री कुमारास्वामी कामराज	तमिलनाडु
23.	श्रीमती एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी	तमिलनाडु
24.	श्री मारुदुर गोपालन रामाचंद्रन	तमिलनाडु
25.	डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	तमिलनाडु
26.	डा. भगवान दास	उत्तर प्रदेश
27.	उस्ताद बिसमिल्लाह खान	उत्तर प्रदेश
28.	पंडित गोविन्द बल्लभ पंत	उत्तर प्रदेश
29.	श्रीमती इंदिरा गांधी	उत्तर प्रदेश
30.	श्री जवाहर लाल नेहरू	उत्तर प्रदेश
31.	श्री लाल बहादुर शास्त्री	उत्तर प्रदेश
32.	श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	उत्तर प्रदेश
33.	डा. बिधान चंद्र राय	पश्चिम बंगाल
34.	मदर मैरी टेरेसा बोजाक्सहियू टेरेसा	पश्चिम बंगाल
35.	श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद	पश्चिम बंगाल
36.	श्री सत्यजीत राय	पश्चिम बंगाल
37.	खान अब्दुल गफ्फार खान	पाकिस्तान
38.	डा. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	दक्षिण अफ्रिका
39.	प्रोफेसर अमर्त्य सेन	यू.के.
40.	पंडित रविशंकर	यू.एस.ए.

[अनुवाद]

सीमेंट उद्योग संबंधी याचिका

5314. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधात्मक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास सीमेंट उद्योग के विरुद्ध कोई याचिका लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त याचिका को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) सीमेंट उद्योग के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एमआरटीपीसी) के पास लंबित मामलों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। चूंकि एम.आर.टी.पी.सी. एक अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण है, अतः इन मामलों के निपटान की निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है।

विवरण

एम.आर.टी.पी. आयोग के पास लंबित याचिकाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	मामला सं.	पार्टियां	स्थिति
1	2	3	4
1.	आरटीपीई 99/1990	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम सीमेंट विनिर्माता एसोसिएशन	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन

1	2	3	4
2.	एमटीपीई 2/1992	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम एसोसिएटेड सीमेंट कं. लि., मुंबई	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
3.	आरटीपीई 83/2000	डीजी, एमआरटीपीसी और मैं, गायत्री एजेंसिज कांचीपुरम बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ, चेन्नई	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
4.	आरटीपीई 21/2001	श्री सर्वजीत एस. मोखा और अन्य बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ और अन्य	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
5.	आरटीपीई 32/2006	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लि. और दो अन्य	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
6.	यूटीपीई 86/2006	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम विभिन्न सीमेंट विनिर्माता	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
7.	आरटीपीई 52/2006	दि बिल्डर्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम सीमेंट विनिर्माता संघ	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
8.	आरटीपीई 1/2007	डीजी, एमआरटीपीसी बनाम एसोसिएटेड कंपनीज लि.	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन
9.	आरटीपीई 4/2007	जयमीन स्टील कार्पोरेशन बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	प्रारंभिक तहकीकात के बाद जांच के अधीन

[हिन्दी]

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

5315. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के प्रावधानों और संवितरण का ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार सहित राज्य सरकारों द्वारा मांगी गयी कुल छात्रवृत्ति राशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं;

(ग) मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के रूप में विद्यार्थियों में संवितरित राशि का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभान्वितों की संख्या कितनी रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों को जारी और संवितरित राशि के समय का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

डीटीएच और सीएएस सेवाएं

5316. **श्री धर्मेन्द्र प्रधान:**
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) सेवाएं देने वाली कंपनियां जनता को कथित तौर पर गुमराह कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा आगे क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में, सरकार द्वारा कोई और कदम उठाने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्र

5317. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2006-07 के द्वितीय चरण में कर्नाटक सरकार द्वारा अतिरिक्त 2646 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 405 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वीकृति देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास 7 मार्च, 2006 को अग्रेषित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह मामला अभी भी केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ङ) कर्नाटक सरकार ने दिनांक 7.3.2006 को 2646 आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा 405 लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की मांग भेजी। कर्नाटक सरकार का यह प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया तथा दिनांक 21.12.2006 को प्रशासनिक संस्वीकृति भेज दी गई।

पुनर्निर्माण योजना

5318. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 2005 के दौरान बाढ़ के परिणामतः क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं के दीर्घकालीन पुनर्निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) गुजरात सरकार ने वर्ष 2005 के दौरान आई बाढ़ के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं के दीर्घकालीन पुनर्निर्माण हेतु 2936.26 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसका वर्गवार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ग	राज्य सरकार द्वारा लक्षित वित्तीय आवश्यकता (करोड़ रुपए में)
स्वास्थ्य	147.51 रु.
शहरी अवसंरचना	960.69 रु.
जल संसाधन/आपूर्ति/सिंचाई	43.75 रु.
ऊर्जा	1126.63 रु.
सड़कें और इमारतें	557.68 रु.
आवास	100.00 रु.
कुल	2936.26 रु.

दीर्घकालीन पुनर्निर्माण हेतु धन की आवश्यकताओं के आकलन के लिए एक प्रस्ताव अंतर मंत्रालयी समिति (आई एम सी) के समक्ष रखा गया है।

समझौता/समझौता ज्ञापन

5319. श्री नवीन जिन्दल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल, 2007 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उज्बेकिस्तान और अजरबैजान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दौरे के दौरान किसी समझौते/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वाणिज्य राज्य मंत्री ने अप्रैल, 2007 में उज्बेकिस्तान और अजरबैजान की यात्रा की थी।

(ख) वाणिज्य राज्य मंत्री ने ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित भारत-उज्बेकिस्तान अंतरसरकारी आयोग के सातवें सत्र की सह-अध्यक्षता की थी जिसमें व्यापार एवं निवेश, वस्तु, सूचना प्रौद्योगिकी, परिवहन, कृषि, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, खनिज एवं धातु, तेल एवं गैस क्षेत्रों आदि में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत और अजरबैजान के बीच व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी अंतरसरकारी आयोग की स्थापना हेतु एक करार पर 11 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किए गए थे। व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग संबंधी भारत-उज्बेकिस्तान अंतरसरकारी आयोग के सातवें सत्र के प्रोटोकॉल पर 13 अप्रैल, 2007 को हस्ताक्षर किए गए।

डीएवीपी के वीडियो स्पॉट्स और वृत्तचित्रों की दर

5320. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के वीडियो स्पॉट्स और वृत्तचित्रों के निर्माण की दर हाल ही में संशोधित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संशोधित दरों का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, (डी ए वी पी) के माध्यम से वीडियो स्पॉट्स और वृत्तचित्र फिल्मों के निर्माण की दरों में जून, 2006 में संशोधन किया गया है। दर सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

ऑडियो-वीडियो निर्माण हेतु दर कार्ड
(अप्रैल, 2003 से लागू, अप्रैल, 2004 में संशोधित)
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
तीसरा तल, पी.टी.आई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

1 जून, 2006 से संशोधित

(सूचीबद्ध निर्माताओं हेतु श्रव्य-दृश्य निर्माणों हेतु विद्प्रनि की शर्तों एवं निबंधनों के साथ पढ़ा जाए।)

रेडिया स्पॉट्स/जिंगल्स

सॉफ्टवेयर की आवश्यकता निम्नानुसार है:

1. एक ब्रॉडकास्ट सी डी कॉपी (यदि एक सी डी में एक से अधिक स्पॉट/जिंगल्स डाले जाते हैं तो प्रति स्पॉट/जिंगल एक)।
2. डीएवीपी रिकार्ड कॉपियां - एक मास्टर डी ए टी + 2 ऑडियो सी डी
3. ग्राहक रिकार्ड कॉपियां - 3 ऑडियो सी डी

(रिकार्ड प्रतियों में, एक ही समय निर्मित सभी हिन्दी स्पॉट्स को उसी डी ए टी/सी डी में डाला जा सकता है तथा एक स्पॉट के सभी भाषाई संस्करणों की भण्डारण स्थान में किफायत करने के लिए एक डी ए टी/सी डी में डाला जा सकता है। जब एक स्पॉट/जिंगल से अधिक को एक टेप/सी डी में डाला जाता है, तो मौजूदा प्रचलन के अनुसार प्रत्येक स्पॉट/जिंगल से पूर्व शीर्षक घोषणा/आईडी संख्या रहेगी। प्रत्येक टेप/सीडी एवं इसके कवर पर शीर्षक, विषय, अवधि, भाषा, ग्राहक, डीएवीपी/कार्यकारी निर्माता नाम, निर्माण वर्ष का उल्लेख करते हुए उचित दर से लेबल किया जाना चाहिए।

पुनः रिकार्डिंग प्रभारों में एक ब्रॉडकास्ट सी डी कॉपी, एक डीएवीपी कॉपी तथा एक ग्राहक सी डी कॉपी शामिल होंगी।

प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम

1. एक ब्रॉडकास्ट सी डी कॉपी प्रति कार्यक्रम
2. डीएवीपी रिकार्ड कॉपियां - एक मास्टर डी ए टी 1 + ऑडियो सी डी (भण्डारण स्थान में किफायत करने

के लिए एक से अधिक कार्यक्रमों को एक डी ए टी/सी डी में डाला में जा सकता है। तथापि, हिन्दी एपीसोड वाली डी ए टी/सी डी को अलग रखा जाना चाहिए)।

3. ग्राहक रिकार्ड कॉपियां - एक ऑडियो सी डी (भण्डारण स्थान में किफायत करने के लिए एक से अधिक कार्यक्रमों को एक डी ए टी/सी डी में डाला जा सकता है। तथापि, हिन्दी एपीसोड वाली डी ए टी/सी डी को अलग रखा जाना चाहिए।

पुराने एपीशेडों की पुन: रिकार्डिंग एवं पुन: संपादन हेतु प्रभारों में एक ब्रॉडकास्ट सीडी, एक डीएवीपी सी डी तथा एक ग्राहक सी डी के प्रभार शामिल होंगे।

विविध ऑडियो कार्य

60 मिनट तक मास्टर सी डी (डी ए टी/ऑडियो कैसेट से) हेतु अंतरण प्रभार - 400 रु. के स्थान पर 200 रु.

स्पूल एवं डी ए टी की दर को हटा दिया गया है। ऑडियो सी डी/ऑडियो कैसेट की दर 50 रुपए रहेगी।

वीडियो स्पॉट/जिंगल/डाक्यूमेंटरी/टेली फिल्में इत्यादि

साफ्टवेयर की आवश्यकता/मांग निम्नानुसार है:

(1) एक बेटा/डी.वी.सी प्रो प्रसारण प्रति (चैनलों की आवश्यकता के अनुसार वि.दृ.प्र.नि. द्वारा अपेक्षित प्रारूप) - प्रति स्पॉट प्रति भाषा एक टेप यदि एक स्पॉट से ज्यादा हो तो एक टेप में डाला जा सके।

(2) एक बेटा/डी.वी.सी. प्रो. वि.दृ.प्र.नि. की आवश्यकता के अनुसार (अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक मिश्रित + गैर मिश्रित) रिकार्ड प्रति।

(3) दो डी.वी.डी. + दो वी.सी.डी. वि.दृ.प्र.नि. की रिकार्ड प्रति के अनुसार।

(4) दो डी.वी.डी. + दो वी.सी.डी. ग्राहक की रिकार्ड प्रति के अनुसार।

(5) दो ऑडियो सीडी जिनमें प्रसारण क्षमता का ऑडियो ट्रैक हो (हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के स्पॉट/जिंगल्स के लिए)

(6) अच्छी गुणवत्ता के छायाचित्र (मुद्रित प्रचार के लिए यदि विदृप्रनि/ग्राहक द्वारा प्रयोग की जरूरत पड़े)

(रिकार्ड प्रतियों में, संग्रहण तथा जगह की मितव्ययता के लिए एक बेटा/डी.वी.डी./सीडी रिकार्ड में एक से अधिक स्पॉट/जिंगल डाली जा सकती है, हालांकि, जिन बेटा/सीडी में हिन्दी स्पॉट/जिंगल्स हैं उन्हें अलग रखा जाए। प्रत्येक स्पॉट का नाम, विषय, अवधि तथा भाषा का उल्लेख हो। प्रत्येक टेप/डी.वी.डी./वी.सी.डी. तथा उसके आवरण पर शीर्षक, विषय, अवधि, भाषा, ग्राहक का नाम, विदृप्रनि/कार्यकारी निर्माता का नाम, निर्माण का वर्ष स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। डी.वी.डी./वी.सी.डी. कंप्यूटर तथा डी.वी.डी./वी.सी.डी. प्लेयर दोनों में प्रयोग की जा सकें।

साफ्टवेयर की आवश्यकता निम्नानुसार है

बेटा एस पी में स्पांसर्ड वीडियो प्रोग्राम (कम से कम 6 कार्यक्रम) मास्टर प्रोडक्शन के लिए 2 डी.वी.डी. + 2 वी.सी.डी. (प्रत्येक ग्राहक के लिए 1 और विदृप्रनि के लिए 1) सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। एक मास्टर बेटा/विदृप्रति प्रो (इंडिरनेशनल ट्रैक) और एक टेलीकास्ट बेटा/डी.वी.सी. प्रो (चैनल की आवश्यकता के अनुसार विदृप्रनि द्वारा यथा वांछित। डबिंग के लिए 2 डी.वी.डी. + 2 वी.सी.डी.) (प्रत्येक ग़ाहक के लिए 1 और विदृप्रनि के लिए 1) सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। एक मास्टर (मिक्सड) और एक बेटा डी.वी.सी. प्रो टेलीकास्ट कॉपी।

विविध वीडियो कार्य

(क) बेटा एस पी/डी. वी सी प्रो में वीडियो संग्रहण

प्रभार वही रहेंगे जबकि एक बेटा/डी वी सी और 2 डी वी डी/वी सी डी कॉपियों के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी।

(ख) अतिरिक्त बेटा टेलीकास्ट/डी वी सी प्रो कॉपी

5 मिनट तक	1250 के स्थान पर 1,000
30 मिनट तक	1,600 के स्थान पर 1,200
60 मिनट तक	1,500 के स्थान पर 2,200

(ग) मास्टर वी सी डी के लिए अंतरण प्रभार

डीगी बेटा से	2,500 के स्थान पर 2,000
बेटा एस पी से	1,200 के स्थान पर 5,00
वी एच एस से	हटा दिया गया है।

वी सी डी कॉपी (ब्रांडेड वी सी डी के साथ) 50

(वी सी डी कंप्यूटर के साथ-साथ वी सी डी प्लेयर में उपयोग किया जा सके)

(घ) मास्टर डी वी डी हेतु अंतरण प्रभार

डीगी बेटा से 3,500 के स्थान पर 2,500

बेटा एस पी से 2,500 के स्थान पर 1,000

डी वी डी कॉपी 500 के स्थान पर 100 (ब्रॉडिड डी वी डी सहित)

(ङ) ग्राफिक्स

टैक्स्ट आधारित स्लाइड/सुपर 200 के स्थान पर 100

सचित्र/ग्राफ आधारित स्लाइड 500 के स्थान पर 200

(च) पुराने स्पॉट्स/फिल्मों हेतु संशोधन प्रभार

जबकि प्रभार वही है, सॉफ्टवेयर आवश्यकता 2 डीवीडी/वी सी डी कॉपियों की है।

(छ) प्रदर्शन उपस्करों (परिवहन एवं तकनीशियन सहित) को किराये पर लेना

जबकि प्रभार वही हैं, क्रम संख्या 1 पर उल्लिखित वी एच एस प्लेयर को वी सी डी/डी वी डी प्लेयर से बदला जा सकता है।

टिप्पणी: सी एस यू, मुम्बई/कोलकाता को बड़ी संख्या में भेजने के लिए क्रम संख्या 4 में उल्लिखित पैकिंग प्रभारों को 150 से घटाकर 100 किया गया।

लेबल लगाने संबंधी अनुदेश: प्रत्येक टेप/सीडी एवं इसके कवर पर स्पॉट कार्यक्रम का शीर्षक, विषय, अवधि, भाषा, ग्राहक नाम, विदृप्रनि/निर्माण एजेंसी का नाम तथा निर्माण वर्ष का उल्लेख करते हुए उचित रूप से लेबल किया जाना चाहिए।

ऑडियो-वीडियो निर्माण हेतु दर कार्ड (1.4.03 से लागू)
1.4.2004 से संशोधित
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
तीसरा तल, पीटीआई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

(सूचीबद्ध निर्माताओं हेतु विदृप्रनि की शर्तों एवं निबंधनों के साथ पढ़ा जाए)

रेडियो स्पॉट्स/जिंगल्स

(क) एक से अधिक भाषा में

रेडियो स्पॉट्स	मास्टर संस्करण	भाषा संस्करण
60 सैकेंड तक	7,500	6,000
60 सैकेंड से अधिक	8,000	6,500

रेडियो जिंगल/गीत/सिग्नेचर ट्यून

	मास्टर संस्करण	भाषा संस्करण (समान संगीत ट्रैक सहित)	भाषा संस्करण (पृथक तैयार क्षेत्रीय संगीत ट्रैक सहित)
60 सेकेंड तक	13,000	6,500	10,000
120 सेकेंड तक	15,000	7,500	12,000
120 सेकेंड से अधिक	18,000	9,000	15,000

(ख) केवल एक भाषा में—मास्टर संस्करण का 50 प्रतिशत अतिरिक्त

समेकित दरों में पटकथा, उत्तम ध्वनि एवं संगीत/ऑडियो डिजाइन, अतिरिक्त लघु संस्करण (जिसे एक साथ संपादन के माध्यम से ही किया जा सकता है), मॉस्टर (डी ए टी एक ब्रॉडकास्ट कॉपी आकाशवाणी की आवश्यकतानुसार स्पूल/डी ए टी/सी डी), डीएवीपी कॉपी (एक ऑडियो कैसेट एवं एक सी डी) तथा ग्राहक कॉपी (एक ऑडियो कैसेट तथा एक सी डी) हेतु प्रभार शामिल हैं।

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

स्पॉट्स हेतु पुनः रिकार्डिंग प्रभार-2000

जिंगल्स हेतु पुनः रिकार्डिंग प्रभार-5000

अनुमोदित पटकथा के अनुसार निर्माण करने के पश्चात् यदि पटकथा में परिवर्तन किया जाता है तथा कलाकारों को रिकॉर्डिंग हेतु पुनः बुलाना पड़ता है तो पुनः रिकार्डिंग प्रभार स्वीकार्य होंगे। यदि स्पॉट/जिंगल में परिवर्तन संपादन के माध्यम से ही किया जा सकता है, और यदि फिर भी, स्पॉट को अनुमोदित पटकथा के अनुसार किया जाता है तो किसी भी प्रकार का प्रभार स्वीकार्य नहीं होगा। तथापि, यदि मात्र संपादन के माध्यम से ही पूर्व में अनुमोदित (पुराने) स्पॉट/जिंगल में परिवर्तन किया जाता है तो संपादन प्रभार के रूप में 1000 रुपए स्वीकार्य होंगे। इनमें एक ग्राहक एवं एक डीएवीपी कॉपी (डीएवीपी द्वारा की गई मांग अनुसार ऑडियो कैसेट अथवा सी डी) शामिल होगी। ब्रॉडकास्ट हेतु प्रभार अतिरिक्त होंगे।

प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम

(क) एक भाषा से अधिक से केन्द्रीयकृत निर्माण

10 मिनट तक	7,500
15 मिनट तक	8,500
30 मिनट तक	12,000
60 मिनट तक	16,000

(ख) मात्र एक भषा में निर्माण अथवा यदि (ग्राहक के विशेष अनुरोध पर) प्रत्येक भषा में निर्माण का विकेन्द्रीयकरण किया जाता है, अर्थात् स्थानीय विशेषज्ञों, कलाकारों, एंकरों, परामर्शदाताओं इत्यादि सहित सम्बन्धित भाषाई राज्य में अलग से।

उक्त दरों से 50 प्रतिशत अधिक

केवल विदूप्रनि के उत्पादनों पर लागू

औसत प्रति भषा समेकित दरों में पटकथा, उत्तम ध्वनियों सहित उत्पादन, मास्टर (डीएटी), एक ब्रॉडकॉस्ट कॉपी (आकाशवाणी की आवश्यकतानुसार स्पूल/डीएटी/सीडी) तथा एक डीएवीपी कॉपी एवं एक ग्राहक कॉपी (डीएवीपी द्वारा की गई मांग के अनुसार टेप या सीडी) हेतु प्रभार शामिल हैं। निर्माण में सिग्नेचर धून, एक मिनट तक ओपनिंग/क्लोजिंग/चेंज ओवर म्यूजिक/जिंगल, ड्रामा, स्टॉक वाईसेस, म्यूजिक/गीत, समाचार, स्टूडियो रिकार्डिंग साक्षात्कार/विशेषज्ञ टिप्पणियां, दूरभाष/ई-मेल/पत्रों के माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रश्न, एंकर/कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा प्रश्नों के उत्तर देना, ऑडियो कैसेट या सीडी (ब्रॉडकास्ट कॉपियों का भुगतान अलग होगा) में एक डीएवीपी कॉपी एवं एक ग्राहक कॉपी सहित प्रोमोस का निर्माण शामिल होते हैं। पुरस्कार राशि के भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एक मिनट से अधिक की अवधि का किसी भी लिखे गए नए गीत के लिए 5,000 रु. का अतिरिक्त भुगतान किया जायेगा। कार्यक्रम अत्यंत सृजनात्मक होना चाहिए तथा मनोरंजक एवं पारस्परिक वार्ता के रूप में सूचना प्रदान करने वाले विविध तत्व एवं अंश समाहित होने चाहिए। निर्माता श्रोताओं से प्राप्त पत्रों तथा आकाशवाणी स्टेशनों के साथ हुए उनके परस्पर संवाद के आधार पर प्रत्येक तीन माह में एक फीडबैक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

केवल विदूप्रनि के उत्पादनों पर लागू

यदि ग्राहक द्वारा कार्यक्रम में फील्ड साक्षात्कारों के लिए विशेष रूप से मांग की जाती है, तो कार्यक्रम निर्माण के स्थान से 200 कि.मी. से अधिक लोकेशनों हेतु दो व्यक्तियों के लिए वास्तविक परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति सहित मास्टर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त का भुगतान किया जायेगा। 800 कि.मी. तक की यात्रा रेल (प्रथम श्रेणी/एसी-2 टायर) अथवा सड़क मार्ग द्वारा तथा 800 कि.मी. से अधिक की यात्रा हवाई मार्ग (इकोनॉमी क्लॉस) द्वारा की जा सकती है। निर्माता को ऐसी यात्रा करने के लिए डीएवीपी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिए तथा सहायक दस्तावेजों जैसे कि साक्षात्कार करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से पत्र, फोटोग्राफ, अपने दावे के समर्थन में वाहन को किराये पर लेने, प्रयुक्त टिकट अथवा बिल प्रस्तुत करने चाहिए। यदि निर्माता फील्ड पेशेवरों के माध्यम से 200 कि.मी. से अधिक स्थलों से साक्षात्कार करवाने का प्रबंध कर लेता है तथा कार्यक्रम के निर्माण स्थल से कोई यात्रा नहीं करता है, तो भी मास्टर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त के रूप में स्वीकार्य रहेगा। कार्यक्रम के निर्माण स्थल से 200 कि.मी. के भीतर फील्ड साक्षात्कार रिकार्डिंग करने के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है।

यदि कोई ग्राहक दर्शकों के प्रत्येक पत्र/ई-मेल आदि का उत्तर भेजने के लिए पद्धति की विशेष रूप से मांग करता है, तो महानिदेशक, विदूप्रनि के अनुमोदन से दर ढांचा समिति द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर उक्त के लिए प्रभारों का कुल योग निकाला जा सकता है।

पुराने एपीसोडों (कुछ अंशों को हटाते हुए) का पुनः सम्पादन में एक डीएवीपी एवं एक ग्राहक कॉपी (मांग अनुसार ऑडियो कैसेट्स अथवा सी.डी.) हेतु प्रभार शामिल होते हैं। ब्रॉडकॉस्ट कॉपी हेतु प्रभार अतिरिक्त होंगे।

15 मिनट तक	-	500 रुपए
15 मिनट से अधिक	-	750 रुपए

पुराने एपीसोडों (कुछ पुराने अंशों को बदलने के लिए कुछ अंशों का पुनः रिकार्डिंग करना) की पुनः रिकार्डिंग एवं पुनः सम्पादन करने में ध्वनियों, सम्पादन, एक डीएवीपी कॉपी तथा एक ग्राहक कॉपी (ऑडियो कैसेट्स अथवा सी.डी.) हेतु प्रभार शामिल होते हैं। ब्रॉडकॉस्ट कॉफी हेतु प्रभार अतिरिक्त होंगे।

केवल विदूप्रनि के उत्पादनों पर लागू

15 मिनट तक	-	1500 रुपए
15 मिनट से अधिक	-	2000 रुपए

विविध ऑडियो कार्य

ऑडियो कैसेट संग्रह (60 मिनट तक)

(क) डीएटी/स्पूल से

	अतिरिक्त इनपुट्स रहित	अतिरिक्त इनपुट्स जैसे कि ध्वनियां सम्पादन आदि, सहित
5 मिनट तक	500	1,500
30 मिनट तक	800	1,800
60 मिनट तक	1,200	2,200

दर में एक डीएवीपी एवं एक ग्राहक कॉपी (मांग अनुसार ऑडियो कैसेट्स अथवा सी.डी.) हेतु प्रभार शामिल होते हैं।

(ख) ऑडियो कैसेट से वीडियो कैसेट तक अतिरिक्त इनपुट्स रहित - 300

दर में एक डीएवीपी कॉपी तथा एक ग्राहक कॉपी (ऑडियो कैसेट में) हेतु प्रभार शामिल होते हैं।

केवल विदुप्रनि के उत्पादनों पर लागू

अतिरिक्त कॉपियां

अतिरिक्त 'ख' कॉस्ट कॉपी (स्पूल) 5 मिनट तक	250
10 मिनट तक	400
15 मिनट तक	450
30 मिनट तक	550
60 मिनट तक	750
अतिरिक्त 'ख' कॉस्ट कॉपी (डी ए टी) 30 मिनट तक	500
60 मिनट तक	750
ऑडियो कैसेट (90 मिनट तक)	50
मॉस्टर सी डी (डी ए टी/स्पूल/ऑडियो कैसेट से) हेतु ट्रांसफर प्रभार	
(30 मिनट तक)	400
(60 मिनट तक)	500
ऑडियो सी डी कॉपी (ब्रॉण्डिड सी डी सहित 60 मिनट तक)	50

वीडियो स्पॉट/जिंगल/वृत्तचित्र/टेलीफिल्म आदि

फॉर्मेट-बेटा एसपी/डिगी बेटा

बेटा एसपी फार्मेट हेतु दर

	मास्टर	डबिंग	भाषाई संस्करण
60 सेकेंड तक	1,00,000	10,000	50,000
120 सेकेंड तक	1,20,000	12,000	60,000
5 मिनट तक	1,50,000	15,000	75,000
10 मिनट तक	1,75,000	17,500	85,000
15 मिनट तक	2,00,000	20,000	1,00,000
25 मिनट तक	2,25,000	22,500	1,10,000
30 मिनट तक	2,50,000	25,000	1,25,000
(30 मिनट पश्चात् प्रो-राटा)			

केवल विदुप्रनि के उत्पादनों पर लागू

* समेकित दर में पटकथा, लोकेशन, 200 कि.मी. तक यात्रा, मॉडल, एंकर, शूटिंग, सम्पादन, जिंगल, 2-डी एनीमेशन, शीर्षक देना/उप-शीर्षक देना/टैक्स्ट, संगीत, वाईसओवर, पृष्ठभूमि प्रभाव, विशेष प्रमाण, अतिरिक्त लघु संस्करण (जिसे साथ-साथ संपादन के माध्यम से किया जा सकता है), दो वीएचएस, दो सीडी, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक में एक मास्टर कॉपी तथा एक टेलीकास्ट कॉपी हेतु प्रभार शामिल हैं। ब्रॉडकास्ट गुणवत्ता ऑडियो ट्रैक तथा एक डीएटी मास्टर समाविष्ट करने वाले दो ऑडियो टेपों/सीडी भी मुहैया करनी हैं, यदि ऑडियो स्पॉट/जिंगल के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए ग्राहक/डीएवीपी द्वारा उक्त की मांग की जाती है। (ब्रॉडकास्ट कॉपी का भुगतान अतिरिक्त किया जाएगा)। अग्रणी मॉडल/एंकर देखने में सुन्दर एवं अनुभवी होने चाहिए। आधुनिक संपादन तकनीक का उपयुक्त प्रयोग में टैक्स्ट/विजुअल्स को करना, मल्टी लेयरिंग, कम्पोजिंग, क्रामा की शामिल होती हैं। विजुअल रूप से फिल्म को अत्यंत रूप से समृद्ध बनाने के लिए विशेष प्रभाव आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिल्म को सभी सार्वजनिक एवं निजी चैनलों का अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉस्ट मानकों को पूरा करना चाहिए। 3-डी एनीमेशन हेतु प्रभार अतिरिक्त होंगे।

* संदेश उन्मुख जांच स्पॉट (20 सेकेंड तक) हेतु प्रभारों में एंकर के सिंगल लोकेशन शूट में मास्टर हेतु 50,000 रु. तथा डब्बिंग हेतु 10,000 रु. शामिल हैं। यदि संदेश किसी प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा दिया जाता है, तो टिप्पण के 2 एवं 3 बिन्दु के अनुसार मानदेय/शुल्क स्वीकार्य होगा।

केवल विदुप्रनि के उत्पादनों पर लागू

* यदि मात्र स्टॉक शॉट्स से फिल्म तैयार की जाती है तथा कोई शूटिंग शामिल नहीं की गई है तो मूल निर्माण प्रभारों का 60 प्रतिशत स्वीकार्य होगा।

* शूटिंग रहित किसी एनीमेशन/ग्रॉफिक फिल्म के लिए वास्तविक एनीमेशन/ग्रॉफिक प्रभारों के अतिरिक्त मूल निर्माण प्रभारों का मात्र 25 प्रतिशत ही स्वीकार्य होगा। इसमें कुल अवधि का 25 प्रतिशत तक स्टॉक शूट्स भी समाहित होंगे।

* डब्बिंग संबंधी प्रभारों में आवाज, संपादन, संगीत, दो वीएचएस/सीडी, एक मास्टर (मिश्रित) तथा एक टेलीकास्ट कॉफी शामिल हैं। ग्राफिक/2-डी/3-डी एनीमेशन हेतु प्रभार अतिरिक्त होंगे।

* भाषाई संस्करण में डब्बिंग, आंचलिक विषयवस्तु, चरित्र, पार्टी, कलाकार, आंचलिक स्थलों में आउटडोर शूटिंग, भाषाई ग्रॉफिक /एनीमेशन के अतिरिक्त कार्यक्रम में आंचलिक रूप सुनिश्चित करना शामिल होगा। भाषाई संस्करण ग्राहक के अनुरोध पर तैयार किये जायेंगे। भाषाई संस्करण अन्य भाषाओं में डब्बिंग सहित आंचलिक वार (दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, पूर्व एवं उत्तर-पूर्व) भाषा वार तैयार किये जा सकते हैं। 200 कि.मी. से अधिक आउटस्टेशन शूटिंग हेतु परिवहन प्रभारों की प्रतिपूर्ति संगत दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर मास्टर के मामले में अनुसार स्वीकार्य होगी।

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

* परिवहन संबंधी प्रभारों की प्रतिपूर्ति ग्राहक के मुख्यालय से 200 कि.मी. से अधिक के लिए वाहन किराये पर लेने के लिए प्रयुक्त रेलवे/हवाई टिकट अथवा बिल प्रस्तुत करने पर प्रति स्पॉट प्रति फिल्म स्वीकार्य है। यदि लोकेशन 800 कि.मी. तक है, प्रतिपूर्ति 5 सदस्यों तक के तकनीकी क्रू हेतु तथा मात्र परफार्मिंग प्रमुख मॉडल/एंकर का आने-जाने का रेल (प्रथम श्रेणी/एसी-2 टायर) किराया अथवा एक गैर-एसी वाहन का किराया प्रभार स्वीकार्य है। यदि स्थल 800 कि.मी. से अधिक होता है तो निकटतम एयरपोर्ट तक इकोनॉमी श्रेणी द्वारा आने तथा जाने का हवाई किराया स्वीकार्य है। ऐसी यात्रा, जिसके लिए भुगतान की मांग की जाती है, करने से पूर्व विदृप्रनि की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

* एक दिन के लिए बेटा एसपी में पुनः शूटिंग के लिए 15,000 रु. स्वीकार्य होंगे। यदि निर्माण पश्चात् अनुमोदित पटकथा में परिवर्तन किया जाता है तो नये निर्माण हेतु पुनः शूटिंग संबंधी प्रभार स्वीकार्य होंगे।

बेटा एसपी में प्रायोजित वीडियो कार्यक्रम (न्यूनतम 6 कार्यक्रम)

		(मास्टर) 15 मिनट	(मास्टर) 30 मिनट	डब्बिंग 15 मिनट	डब्बिंग 30 मिनट
क.	फिक्शन/डोकू-ड्रामा/वृत्तचित्र/क्वीज (देश के विभिन्न भागों से भागीदारों सहित) फार्मेट	1,50,000	2,25,000	15,000	20,000
ख.	मैग्जीन/टॉक शो/क्वीज (स्थानीय भागीदारों सहित) फार्मेट	1,00,000	1,50,000	15,000	20,000

* समेकित दर में पटकथा, लोकेशन, सैट, मॉडलों, एंकर, शीर्षक देने/उप-शीर्षक देने/टैक्सट/2-डी एवं 3-डी एनीमेशन्स, शूटिंग (यात्रा लागत सहित देश के किसी भी भाग में), सम्पादन, संगीत, वाइसओवर, विशेष प्रभाव, प्रोमोस का निर्माण, दो वीएचएस, दो सीडकी, एक मास्टर (अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक) तथा एक टेलीकॉस्ट कॉपी संबंधी प्रभार शामिल होते हैं।

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

* डब्बिंग संबंधी प्रभारों में वाइसिस, संपादन, संगीत, शीर्षक देना/उप-शीर्षक देना/टेक्सट, एनिमेशन, दो वीएचएस, एक मॉस्टर (मिश्रित) तथा एक टेलीकॉस्ट कॉपी शामिल होते हैं। यदि कार्यक्रम को आंचलिक पहचान एवं रूप दिये जाने के एंकर, विजुअल एवं संपादन संबंधी परिवर्तन भी किये जाते हैं तो डब्बिंग प्रभारों का अतिरिक्त 50 प्रतिशत स्वीकार्य होगा। यदि कास्ट, वेशभूषा, पार्टी आदि में भी परिवर्तन किया जाता है तब इस अतिरिक्त राशि का 100.00 प्रतिशत अलग से होगा।

विविध वीडियो कार्य

बेटा एस पी में वीडियो संग्रह

5 मिनट तक	2,000
30 मिनट तक	2,500
60 मिनट तक	3,000

(प्रभार में शीर्षक/ग्रॉफिक प्लेट, एक बेटा तथा दो वीएचएस/सी टी कॉपियां शामिल हैं)

अतिरिक्त बेटा 'टी' कॉस्ट कॉपी

फिल्म 50 मिनट तक	1,250
फिल्म 30 मिनट तक	1,600
फिल्म 60 मिनट तक	2,200

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

अतिरिक्त वी एच एस कॉपिज (बेटा एस पी अथवा डिगी बेटा से)

फिल्म 5 मिनट तक	120
फिल्म 30 मिनट तक	150
फिल्म 60 मिनट तक	180
फिल्म 2 घंटे तक	250
फिल्म 3 घंटे तक	350

मास्टर वी सी डी हेतु ट्रांसफर प्रभार

(एक सी डी की अवधि - **ब्रॉण्डिड** सी डी सहित 60 मिनट तक)

डिगी बेटा से	2,500
बेटा एस पी से	1,200
वी एच एस से	400
वी सी डी कॉपी	50

(वी सी डी कंप्यूटर एवं वी सी डी प्लेयर-दोनों के अनुरूप होनी चाहिए)

मास्टर डी वी डी हेतु ट्रांसफर प्रभार
(एक डी वी डी की अवधि - 60 मिनट तक)

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

डिगी बेटा से	3,500
बेटा एस पी से	2,500
डी वी डी कॉपी	500

ग्रॉफिक्स

टैक्स आधारित स्लाइड/सुपर-200 प्रति स्लाइड

सचित्र/ग्रॉफ आधारित स्लाइड-500 प्रति स्लाइड

एनीमेशन

2-डी एनीमेशन (टैक्स, ग्राफ, लोगो)	-	1000 प्रति सेकेंड
2-डी कैरेक्टर एनीमेशन	-	3000 प्रति सेकेंड
3-डी एनीमेशन (टैक्स, ग्राफ, लोगो)	-	2000 प्रति सेकेंड
3-डी कैरेक्टर एनीमेशन	-	5000 प्रति सेकेंड

पुराने स्पॉट्स/फिल्मों हेतु संशोधन प्रभार
(दो वी एच एस/सी डी कॉपियों हेतु प्रभारों सहित)

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

1. एक दिन के लिए पुन:शूटिंग (बेटा एस पी) 15,000
2. वॉइस ओवर
   (कलाकार एवं स्टूडियो हेतु प्रभारों सहित) 5,000
3. पुन: सम्पादन 5,000
4. ग्राफिक/एनीमेशन हेतु प्रभार अतिरिक्त होंगे।

प्रदर्शन उपस्करों (परिवहन तथा तकनीशियन सहित) को किराये पर लेना

1.	वी एच एस प्लेयर	-	500
2.	बेटा प्लेयर	-	2,500
3.	स्क्रीन सहित प्रोजेक्टर (2000 एलुमिनी)	-	3,500
4.	सॉउण्ड सिस्टम (1000 वाट)	-	2,000

टिप्पणी

1. उक्त दरें उत्तम गुणवत्ता के मानक निर्माणों हेतु हैं। यदि ग्राहक द्वारा फिल्म फॉर्मेट में शूटिंग एवं पोस्ट प्रोडक्शन भव्य सैट, स्मोक, क्वान्टैल आदि जैसे हाई एनड मशीनों पर पोस्ट प्रोडक्शन एवं कॉम्पोटिंग/विशेष प्रभाव अथवा किफायती गुणवत्ता वाले निर्माण जैसे विशेष इनपुट्स सहित अतिविशेष गुणवत्ता वाले निर्माणों की मांग की जाती है, तो महानिदेशक, विदृप्रनि के अनुमोदन से, मामले-दर-मामले आधार पर, दर ढांचा समिति द्वारा विशेष दरों को नियत किया जा सकता है। ग्राहक द्वारा विशेष मांग करने पर तथा महानिदेशक, विदृप्रनि के अनुमोदन पर ही डिगी बेटा में निर्माण किया जायेगा।

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

2. ग्राहक द्वारा विशेष रूप से मांग किये जाने पर, एक फिल्म स्टार/उच्च पद वाला टीवी/स्टेज कलाकार/गायक/संगीतकार का एक लाख रुपये तक अतिरिक्त शुल्क पर उपयोग किया जा सकता है। निर्माता को कलाकार से समझौते से नियत राशि सहित अनुमति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। यदि ऐसी मांग की जाती है तो डीएवीपी कलाकार के साथ समझौते से और अधिक राशि तय कर सकता है। महानिदेशक, डीएवीपी कलाकार की महत्ता एवं राशि की अनुमोदन तथा निर्णय करने में अंतिम प्राधिकारी होंगे। शुल्क का भुगतान कलाकार/गायक को सीधे ही कर दी जायेगी।

3. यदि उच्च व्यक्तित्व (कलाकार/गायक/प्रसिद्ध व्यक्ति आदि) द्वारा नि:शुल्क समर्थन किया जाता है, तो हम निर्माता को नि:शुल्क समर्थन की व्यवस्था करने के लिए तथा ऐसे मामलों में होने वाले अतिरिक्त आकस्मिक व्ययों को पूरा करने के लिए 20,000 रुपये का मानदेय का भुगतान कर सकते हैं। ऐसे मानदेय की स्वीकृति सम्बन्धी विदृप्रनि का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

4. यदि निर्माता द्वारा सॉफ्टवेयर भेजा जाता है, तो वास्तविक पोस्टेज की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा पैकेजिंग प्रभारों का

भुगतान भी 150 रुपये की दर से यदि टेप बड़ी संख्या में सी एस यू, मुंबई/कोलकाता भेजे जाते हैं तथा 30 रुपये की दर से, यदि टेप अलग-अलग रेडियो/टी वी स्टेशनों को भेजे जाते हैं किया जायेगा।

5. ऑडियो एवं वीडियो कैसेट्स एवं सी डी/डी वी डी का बड़ी संख्या में डुप्लीकेशन करने पर-51 से 100 अदद के लिए 5 प्रतिशत, 101 से 500 अदद के लिए 10 प्रतिशत, 501 से 1000 अदद के लिए 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 अदद के लिए 20 प्रतिशत तथा 2000 से अधिक के लिए 30 प्रतिशत की रियायत दी जायेगी जिसमें डिजाइन किया हुआ कवर, इनले कार्ड, स्टीकर, ग्राहक/विदृप्रनि की आवश्यकतानुसार सी डी/डी वी डी पर प्रिंट शामिल हैं।

केवल विदृप्रनि के उत्पादनों पर लागू

6. प्रत्येक ऑडियो/वीडियो निर्माण की अलग-अलग ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट कॉपी प्रत्येक भाषा में प्रस्तुत की जायेगी। तथापि, न्यनूतम स्थान में भण्डारण करने के लिए, विभिन्न ऑडियो/वीडियो निर्माणों की मास्टर, ग्राहक एवं डीएवीपी कॉपियों को प्रत्येक वीडियो उत्पाद से पूर्व अंग्रेजी में शीर्षक प्लेट (शीर्षक, विषय, अवधि, भाषा) सहित एक अथवा अधिक टेपों/सी डी, जैसा भी मामला हो, में प्रस्तुत किया जा सकता है।

7. मॉस्टर निर्माण हेतु डिगी बेटा, पुनःशूटिंग, पुनः सम्पादन, संग्रह तथा अतिरिक्त टेलीकास्ट कॉपी हेतु दरें बेटा एस पी की दरों से 30 प्रतिशत अतिरिक्त होंगी।

8. निर्माण में किसी इनपुट का प्रयोग करने के लिए किसी सार्वजनिक/निजी संगठन अथवा व्यक्ति को रायल्टी का भुगतान करने की जिम्मेदारी निर्माता की होगी।

9. यह दर कार्ड तीन वर्षों हेतु लागू रहेगा तथा यदि इस अवधि के दौरान संशोधन की आवश्यकता अनुभव की जाती है, तो उक्त का निर्धारण महानिदेशक, विदृप्रनि के अनुमोदन से दर ढांचा समिति द्वारा किया जाएगा।

चमड़ा उद्योग

5321. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि संभावना तथा विशेषत: अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार संभावना के मद्देनजर चमड़ा उद्योग की पहचान को विशेष बल दिये जाने वाले क्षेत्र के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के भीतर चमड़े के खेत्र में विश्व व्यापार में कम से कम पांच प्रतिशत भागीदारी करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चर्म निर्यात परिषद द्वारा तैयार की गई संभावना संबंधी योजना के अनुसार, चर्म एवं चर्म उत्पादों का निर्यात वर्ष 2010-11 तक 7 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाने का अनुमान है।

इग्नू द्वारा चिकित्सा कार्यक्रम का विकास

5322. श्री अनन्त नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सहयोग से कुछ चिकित्सा कार्यक्रम विकसित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इग्नू और आईसीएमआर के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने समय-समय पर पारस्परिक रूप से पहचान किए गए तथा सहमत क्षेत्रों में मेडिकल शिक्षा तथा प्रशिक्षण विकसित करने, केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित करने, शैक्षिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुभव बांटने तथा कार्यान्वयन कार्यनीतियों तथा कार्य योजना आदि के संयुक्त विकास हेतु दिनांक 12.4.2007 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर में दूरदर्शन का प्रसारण

5323. श्री किरेन रिजीजू: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषत: अरुणाचल प्रदेश में स्थापित दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य कर रहे आकाशवाणी केन्द्रों का राजय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण उक्त राज्यों में ये दूरदर्शन तथा आकाशवाणी केन्द्र ठीक से काम नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कमी का ब्यौरा क्या है तथा इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित दूरदर्शन केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यशील आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क में स्टाफ की समग्र रूप में कमी है, क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं बिना किसी स्टाफ संस्वीकृति/आंशिक स्टाफ संस्वीकृति के चालू की गई हैं। ये परियोजनाएं दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्रों से लिए गए स्टाफ की पुन: तैनाती के जरिए परिचालित की गई हैं। पर्याप्त स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण पूर्वोत्तर राज्यों नामत: सत्रसाल(असम), चेरापूंजी(मेघालय), अम्बासा(त्रिपुरा) और जौलाईबारी(त्रिपुरा) स्थित 04 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय आंशिक ट्रांसमिशन रिले कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त स्टाफ की अनुपलब्धता के कारण गंगटोक (सिक्किम) स्टूडियो केन्द्र में क्रियाकलाप सीमित हैं। उपरोल्लिखित पांच दूरदर्शन केन्द्रों में तैनात करने के लिए किसी स्टाफ को संस्वीकृति नहीं दी गई है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, विवरण-II में उल्लिखित सभी आकाशवाणी केन्द्र उपयुक्त रूप से कार्यशील हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों में आइजॉल, ईटानगर और कोहिमा स्थित एफ.एम. परियोजनाएं तकनीकी रूप से तैयार हैं लेकिन स्टाफ की कमी के कारण ये परियोजनाएं शुरु नहीं की जा सकीं। इसके अतिरिक्त, शिलांग स्थित 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर, अगरतला स्थित 10 किवा एफ एम ट्रांसमीटर अनंतिम रूप से चालू कर दिए गए हैं। रिक्त पदों को भरने तथा नए पदों का सृजन करने संबंधी मामलों को प्रसार भारती के लिए गठित मंत्री समूह के पास भेज दिया गया है।

विवरण I

दिनांक 1.4.2004 से 30.4.2007 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित किए गए दूरदर्शन केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	दूरदर्शन केन्द्रों के नाम
1.	असम	1. अ.श.ट्रां. नजीरा
		2. अ.श.ट्रां. सत्रासाल
		3. अ.श.ट्रां. नागांव
		4. अ.श.ट्रां. गोलपाड़ा
		5. अ.श.ट्रा. धुबरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	
3.	मेघालय	1. अ.श.ट्रां. चेरापूंजी
4.	मणिपुर	1. उ.श.ट्रां. इंफाल
		2. अ.श.ट्रां. उखरूल
5.	मिजोरम	1. उ.श.ट्रां. आइजोल
6.	नागालैंड	1. उ.श.ट्रां. कोहिमा
7.	सिक्किम	1. स्टूडियो-गंगटोक
8.	त्रिपुरा	1. अ.श.ट्रां. अम्बासा

अ. श. ट्रां.-अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

उ.श.ट्रां-उच्च शक्ति ट्रांसमीटर

विवरण II

पूर्वोत्तर में कार्यशील आकाशवाणी केन्द्रों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	आकशवाणी केन्द्रों के नाम
1	2	3
1.	असम	1. गुवाहाटी
		2. सिलचर
		3. डिब्रूगढ़

1	2	3
		4. जोरहाट
		5. हॉफलौंग
		6. नौगांव
		7. दीफू
		8. कोकराझार
		9. धुबरी
		10. तेजपुर
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. ईटानगर
		2. पासीघाट
		3. तवांग
		4. तेजू
		5. जीरो
3.	मेघालय	1. तुरा
		2. शिलांग
		3. जोदाई
		4. नांगस्टोइन
		5. विलियमनगर
4.	मणिपुर	1. इंफाल
5.	मिजोरम	1. आइजोल
		2. लंगलेह
		3. सैहा
6.	नागालैण्ड	1. कोहिमा
		2. मोकाकचुंग
		3. मोन
		4. त्वेनसांग
7.	सिक्किम	1. गंगटोक
8.	1. अगरतला	
		2. बैलोनिया
		3. कैलाशहर

[अनुवाद]

क्षेत्रीय चलचित्र

5324. श्री एम. अप्पादुराई: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय चलचित्रों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सामाजिक सरोकारों यथा बालिका विकास इत्यादि विषय पर क्षेत्रीय चलचित्रों के निर्माण हेतु सरकार को कितने प्रस्ताव मिले हैं;

(ग) इन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या ऐसे क्षेत्रीय चलचित्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई दिशानिर्देश तय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय फिल्मों के लिए संस्वीकृत राशि निम्नानुसार है:

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.)	-	47,56,000 रु.
बालचित्र समिति, भारत (सी.एफ.एस.आई)	-	1,18,75,867 रु.
फिल्म प्रभाग (एफ.डी.)	-	गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु कोई विशिष्ट बजट आबंटित नहीं किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बालिका विकास इत्यादि जैसे सामाजिक निमित्तों पर क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों की संख्या:

एन.एफ.डी.सी	-	शून्य
सी.एफ.एस.आई	-	67
एफ.डी	-	08

(ग) इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है:

एन.एफ.डी.सी	-	उपरोक्त (ख) में दिए गए तथ्यों के मद्देनजर लागू नहीं।
सी.एफ.एस.आई	-	तीन प्रस्ताव उपयुक्त पाए गए थे, दो फीचर फिल्में बना ली गई हैं और एक निर्माणाधीन है।

एफ.डी. – कोई भी प्रस्ताव अनुमोदित नहीं हुआ था क्योंकि लघु काल्पनिक फिल्मों के निर्माण हेतु स्कीम 2002-03 से बंद कर दी गई थी।

(घ) और (ङ) एन.एफ.डी.सी. ने फिल्म निर्माण और इससे संबंधित क्रियाकलापों हेतु स्कीमों के विनियमन के लिए उप-विधियां तैयार की हैं। सी.एफ.एस.आई में प्राप्त प्रस्तावों की पहले एक पटकथा समिति द्वारा पुनरीक्षा की जाती है जो कि एक बाल फिल्म बनाने के कथा-सारांश की जांच करती है और तत्पश्चात् बजटीय अनुमोदन के लिए निर्माण समिति के समक्ष प्रस्तुत करती है। तथापि, क्षेत्रीय फिल्मों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई पृथक दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं। फिल्म प्रभाग किसी फिल्म के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। यह घरेलू निर्देशकों के जरिए फिल्मों का निर्माण करता है और संविदा आधार पर बाहरी निर्माताओं को फिल्में भी सौंपता है। इसलिए, वित्तीय सहायता देने हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

5325. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार आंगनवाडी कार्यकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा उनका प्रशासनिक नियंत्रण/वेतन/मजदूरी तथा नियुक्ति हेतु अर्हता मानदण्ड का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार महिला कार्यकर्ता सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों की संख्या कितनी है;

(ग) राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राप्त ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री समुदाय आधारित "अवैतनिक कार्यकर्त्री" हैं। उसका चयन स्थानीय समुदाय से किया जाता है तथा उसे सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मासिक मानदेय दिया जाता है। यह कार्यकर्त्री ब्लॉक स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की भूमिका एवं दायित्व का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार को समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के विभिन्न संघों/परिसंघों से ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं। जिन संघों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ हैं: अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका संघ, दिल्ली; बी.टी.ए.डी. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका संघ, असम; अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कृटि समिति, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका संघ, बैंगलोर। इन ज्ञापनों में उल्लिखित प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:

* 'ग' और 'घ' श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के समान दर्जा तथा उससे जुड़े लाभ प्रदान करना।
* सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन का भुगतान करना।
* पारिश्रमिक को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना।
* सेवानिवृत्ति के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों को एकमुश्त 1,00,000 रुपए एवं सहायिकाओं को 50,000 रुपए का भुगतान करना।
* सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को भविष्य निधि, पेंशन आदि जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
* मानदेय को बढ़ाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 3000 रुपए तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 2000 रुपए करना।

सरकार ने सितम्बर, 2006 में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के मौजूदा स्तर तथा अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए समीक्षा समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा सरकार इस पर विचार कर रही है।

विवरण I

आंगनवाड़ी कार्यकर्मियों की भूमिका एवं दायित्व

1. इस कार्यक्रम के संचालन में समुदाय का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त करना।
2. प्रत्येक बच्चे का हर माह वजन करना, वृद्धि कार्ड में आरेख में बच्चे का वजन दर्ज करना, उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि में बच्चों/माताओं को भेजने के लिए रेफरल कार्ड का प्रयोग करना, तथा छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल कार्ड बनाना और दौरे पर आने वाले चिकित्सीय एवं अर्धचिकित्सीय कार्मिकों को ये कार्ड दिखाना।
3. वर्ष में एक बार अपने क्षेत्र के सभी परिवारों, विशेषकर उन परिवारों की माताओं एवं बच्चों को त्वरित सर्वेक्षण करना।
4. तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी में स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कार्यकलाप आयोजित करना तथा आंगनवाड़ी में प्रयुक्त स्थानीय खिलौने और खेल-कूद के उपकरण तैयार करने में सहायता करना।
5. छह वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती एवं शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों एवं स्थानीय व्यंजन विधियों पर आधारित पूरक पोषण प्रदान करना।
6. स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा माताओं को स्तनपान/शिशुओं एवं छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों के संबंध में परामर्श प्रदान करना। स्थानीय समुदाय की परिचित होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों विवाहित महिलाओं को परिवार नियोजन/बच्चों के जन्म पर नियंत्रण के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं।
7. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां अपने गांव में जन्म एवं मृत्यु के पंजीयक/उप पंजीयक के रूप में अधिसूचित पंचायत सचिव/ग्राम सभा सेवक/ए.एन.एम. को प्रतिमाह जन्म लेने वाले बच्चों की सूचना प्रदान करेगी।
8. नवजात शिशु के विकास पर विशेष बल देते हुए, सभी बच्चों के विकास में कारगार भूमिका निभाने में माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से माता-पिता को शिक्षित करने के लिए घर-घर जाना।
9. यथा-निर्धारित फाइलें और रिकार्ड तैयार रखना।
10. इस कार्यक्रम के स्वास्थ्य घटक, जैसे कि प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच, प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरांत जांच इत्यादि के कार्यान्वयन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों की सहायता करना।
11. आंगनवाड़ी केन्द्र में आई.एफ.ए. और विटामिन 'ए' की खुराक रखकर इन दवाओं के वितरण में ए.एन.एम. की सहायता करना।
12. आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत एकत्र की गई सूचनाएं ए.एन.एम. को प्रदान करना। तथापि, ए.एन.एम. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रिकार्ड से प्राप्त सूचनाओं पर ही निर्भर नहीं रहेगी।
13. गांव में होने वाले किसी भी ऐसे घटनाक्रम की जानकारी पर्यवेक्षकों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों को देना, जिन मामलों पर, विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन के संबंध में, पर्यवेक्षकों/बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाना जरूरी है।
14. अन्य संस्थाओं (महिला मंडलों) के संपर्क में रहना तथा अपने कार्यों में गांव के प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की महिला अध्यापकों तथा छात्राओं की सहायता लेना।
15. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्त मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्री (आशा) का स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने और आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत रिकार्ड तैयार करने के कार्यों में मार्गदर्शन करना।
16. किशोरी शक्ति योजना के कार्यान्वयन में सहायता करना तथा सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों/अभियानों के माध्यम से किशोरियों, उनके माता-पिता और जन समुदायों को भी प्रेरित एवं शिक्षित करना।
17. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार कार्यन्वयन में भी सहायता करेंगी और किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत यथा-निर्धारित रिकार्ड भी तैयार करेंगी।
18. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य किट/गर्भनिरोधकों और अनुप्रयोजनीय प्रसव किट आदि के भण्डारक का कार्य भी कर सकती हैं। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णयनुसार प्रसव किटों का वितरण या काउंटर पर दी जाने वाली दवाओं को छोड़कर अन्य दवाएं देने का कार्य ए.एन.एम. या आशा पदनामित कार्यकर्त्रियों द्वारा किया जाएगा।

19. घरों के दौरे करने के समय अक्षम बच्चों की पहचान करना तथा उन बच्चों को तत्काल निकटस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला अक्षमता पुनर्वास केन्द्र भेजना।

20. पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियानों के आयोजन में सहायता करना।

21. अतिसार, हैजा जैसे आपातकालिक मामलों की सूचना ए.एन.एम. को देना।

विवरण II

वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 (30.9.2006 तक) के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं (कार्यरत) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	आंगनवाड़ी सहायिकाएं	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां	आंगनवाड़ी सहायिकाएं	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (30.9.2006 तक की स्थिति)	आंगनवाड़ी सहायिकाएं (30.9.2006 तक की स्थिति)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	53423	53605	55505	55342	59734	56727
2.	अरुणाचल प्रदेश	2359	2359	2359	2359	2359	2359
3.	असम	24797	24834	25384	25383	25384	25383
4.	बिहार	35213	31964	60041	59797	60041	59797
5.	छत्तीसगढ़	20128	20086	20150	19728	22149	21865
6.	गोवा	1004	984	996	969	1011	983
7.	गुजरात	35497	35916	35738	35337	34406	33789
8.	हरियाणा	13446	13526	13446	13526	13446	13526
9.	हिमाचल प्रदेश	7325	7329	7092	7307	7079	7298
10.	जम्मू-कश्मीर	10398	10398	10520	10363	10520	10363
11.	झारखण्ड	21727	15072	21021	20989	20948	20760
12.	कर्नाटक	39757	40257	40139	40497	43831	43404
13.	केरल	25096	24793	25177	24932	25311	25251
14.	मध्य प्रदेश	47985	48014	49051	48740	49267	48290
15.	महाराष्ट्र	60934	59912	62224	61215	66639	66678
16.	मणिपुर	4496	4491	4495	4491	4495	4491

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	2218	2218	2265	2265	3143	3143
18.	मिजोरम	1361	1361	1361	1361	1592	1592
19.	नागालैण्ड	2622	2623	2770	2770	2761	2761
20.	उड़ीसा	33367	33952	33554	34008	34135	34706
21.	पंजाब	14475	14362	14607	14571	14599	14566
22.	राजस्थान	35620	35590	35607	35562	39370	38068
23.	सिक्किम	497	498	497	499	737	695
24.	तमिलनाडु	42279	13044	0	36258	42677	36258
25.	त्रिपुरा	3789	3761	3789	3761	5681	5659.
26.	उत्तर प्रदेश	93887	91695	100122	100226	114909	112354
27.	उत्तरांचल	6449	6347	6629	6598	7499	7346
28.	पश्चिम बंगाल	53228	520091	53873	53342	54031	53448
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	527	527	621	621	621	621
30.	चण्डीगढ़	300	300	329	329	329	329
31.	दिल्ली	3842	3842	3852	3852	3902	3902
32.	दादर व नगर हवेली	138	138	138	138	138	138
33.	दमन व दीव	87	87	87	87	87	87
34.	लक्षद्वीप	74	74	74	74	74	74
35.	पांडिचेरी	677	677	677	677	677	677
	कुल अखिल भारत	699022	657327	694190	727974	773582	757388

राजभाषा कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान

5326. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय में राजभाषा कर्मचारियों के पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1996 से राजभाषा विभाग द्वारा दिए जा रहे संशोधित वेनमान को इन कर्मचारियों को न दिए जाने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) संसदीय कार्य मंत्रालय में राजभाषा संबंधी पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:

पद की श्रेणी	पद की संख्या
हिन्दी अधिकारी	1
हिन्दी अनुवादक ग्रेड-1	1
हिन्दी अनुवादक ग्रेड-2	2

(ख) राजभाषा विभाग ने दिनांक 1.1.1996 से केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सी.एस.ओ.एल.एस.) के सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक और कनिष्ठ अनुवादक के वेतनमानों को संशोधित किया था। क्योंकि यह मंत्रालय केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में शामिल नहीं है इसलिए संशोधित वेतनमान इस मंत्रालय में कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

[अनुवाद]

वस्त्र समिति

5327. श्री के.एस. राव: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र उद्योग तथा वस्त्र मशीनरी पर उप-कर की दर तथा इसके संग्रहण की पद्धति क्या है;

(ख) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वस्त्र समिति की उपयोगिता तथा कार्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार वस्त्र समिति उप-कर समाप्त करने और अपना राजस्व खुद जुटाने या वस्त्र समिति को समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेगोवन): (क) वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समिति भारत में विनिर्मित वस्त्र और वस्त्र मशीनरी की मात्रा पैर सरकार द्वारा अधिसूचित विनिर्दिष्ट दर पर उपकर वसूल रही है। वर्तमान में शुल्क की दर 1.6.1977 से 0.05% यथा मूल्य है। सरकार द्वारा यथा निर्धारित वसूली की लागत को घटाकर वसूली गई उपकर की राशि भारत की समेकित निधि में जमा की जाती है। उपकर की वसूली की पद्धति नीचे दी गई है:

(1) विनिर्माता निर्धारित प्रपत्र में वस्त्र मदों और वस्त्र मशीनरी के लिए विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर उपकर के भुगतान के लिए समिति द्वारा मांग नोटिस तिमाही आधार पर जारी किया जाता है। विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर, समिति केन्द्रीय उत्पाद विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अथवा पिछली दो तिमाहियों में लागए गए उपकर के औसत के आधार पर उपकर की राशि का निर्धारण करती है।

(2) यदि विनिर्माता निर्धारित समय के भीतर उपकर की राशि का भुगतान नहीं करता है और नोटिसों का जवाब नहीं देता है, तब एक अंतिम नोटिस जारी किया जाता है और फिर भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उपकर की वसूली के लिए संबंधित जिला समाहर्ता को पत्र भेजा जाता है।

(ख) वस्त्र समिति ने पिछले कुछ वर्षों में अपने आपको विनियामक स्वरूप से विकासात्मक स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है और वर्तमान में यह समिति वस्त्र व्यापार और उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं दे रही है जिसमें वस्त्र परीक्षण और तकनीकी सेवाएं, लघु और मध्यम उद्यमियों को आईएसओ 9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन पाने के लिए तकनीकी सहायता, आईएसओ 14000 एवं एस ए 8000 संबंधी परामर्शी सेवाएं, वस्त्र व्यापार और उद्योग से संबंधित डाटाबेस विकसित करने के लिए सर्वेक्षण/गणना अध्ययन आदि आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा, समिति को समूह विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है और परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए विस्तार केन्द्रों का इसका एक नेटवर्क है जो अलग-अलग वस्त्र समूहों में उद्योग से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है

(ग) और (घ) सरकार ने 18.1.2007 से वस्त्र समिति अधिनियम के तहत सिले-सिलाए परिधानों को उपकर लगाए जाने से छूट दे दी है। पिछले कुछ वर्षों से वस्त्र समिति के राजस्व में वृद्धि हो रही है। वस्त्र समिति को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अर्धसैनिक बलों की तैनाती

5328. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों के अशांत क्षेत्रों में अर्धसैनिक बलों (पीएमएफ) की तैनाती का अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान में किसी परिवर्तन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) इस समय इस प्रकार का कोई ठोस प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ब्राजील संस्कृति महोत्सव

5329. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-ब्राजील संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) ने जनवरी से मार्च, 2008 तक भारत में ब्राजील सांस्कृतिक महोत्सव तथा जुलाई से सितम्बर, 2008 तक ब्राजील में भारत सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत के किन अन्य शहरों में यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा और ऐसे महात्सव के आयोजन पर होने वाले व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में इन महोत्सवों के आयोजन में सहयोग करने वाले मंत्रालयों/संगठनों का ब्यौरा क्या है

(ङ) ब्राजील सहित अन्य देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत का विचार पारस्परिक आधार पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां।

(ग) भारत में ब्राजील उत्सव मुख्य शहरों जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। किए जाने वाले खर्च की पुष्टि अलग-अलग मामलों के आधार पर की जाएगी।

(घ) संस्कृति मंत्रालय इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, ललित कला अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी जैसी एजेंसियों के माध्यम से उत्सवों का आयोजन करेगा।

(ङ) और (च) ब्राजील के अतिरिक्त ऐसे सांस्कृतिक उत्सवों का पोलैण्ड, मिस्र और रूस जैसे देशों के साथ पारस्परिक आधार पर आयोजन करने का प्रस्ताव किया गया है।

यौन उत्पीड़न विधेयक

5330. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार यौन उत्पीड़न विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मसौदा विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है जैसाकि दिनांक 3 मई, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) उक्त विधेयक को कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2007 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर 31 मार्च, 2007 तक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए डाल दिया गया था। इसका विज्ञापन समाचार पत्रों में भी दिया गया था। प्रत्युत्तर में कई टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ग) इस स्थिति में विधेयक को संसद में पुरःस्थापित करने की कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है। तथापि, सरकार मानसून सत्र में इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के पूरे प्रयास कर रही है।

पंचायत शिक्षा मित्र कार्यक्रम

5331. श्री सीताराम सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में विशेषकर बिहार में पंचायत शिक्षा मित्र कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक उक्त कार्यक्रम हेतु राज्य-वार कितनी राशि आवंटित, वितरित और खर्च की गई;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उक्त कार्यक्रम हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) अध्यापकों की नियुक्ति सम्बद्ध राज्यों की निबंधन और शर्तों के अनुसार की जाती है। प्राथमिक स्तर पर संविदा आधार पर स्थानीय रूप से नियुक्त अध्यापकों की भूमिका का मूल्यांकन करने हेतु भारत सरकार ने 12 राज्यों में एक स्वतंत्र एजेन्सी के माध्यम से अध्ययन करवाया है।

शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष मूल्य

5332. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही के वर्षों में शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अपनाने की प्रवृत्ति को धक्का लगा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा धार्मिक परंपराओं में मानवीय तत्वों का निरादर किए बिना शिक्षा में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) वर्ष 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, संस्कृति और मानव मूल्यों जिसमें धर्मनिरपेक्ष मूल्य शामिल हैं, को प्रोत्साहित करती है जो शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर रूढ़िवाद, धार्मिक कट्टरपन, हिंसा, अंधविश्वास और भाग्यवाद को खत्म करने में मदद करते हैं।

वर्ष 2005 में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना स्कूली छात्रों में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 जो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित धर्मनिरपेक्ष, समानतावाद और बहुसंख्यक समाज के भारत के संवैधानिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन लेती है, यह कहती है कि "भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है जिसका अर्थ है कि सभी पंथों का आदर किया जाता है परंतु साथ ही भारत राज्य किसी विशेष पंथ को वरीयता नहीं देता। आज की आवश्यकता यह है कि बच्चों में सभी लोगों के प्रति आदर का भाव उत्पन्न करवाया जाए, चाहे उनका मजहब कुछ भी हो।" इस दस्तावेज में आगे कहा गया है कि भारत एक बहु-सांस्कृतिक समाज है जो विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय संस्कृतियों से मिल कर बना है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन की शैली और सामाजिक रिश्तों की उनकी समझ एक दूसरे से काफी अलग होती हैं। सभी समूहों को सह-अस्तित्व और विकास करने के समान अधिकार हैं, और शिक्षा प्रणाली का हमारे समाज में अंतर्निहित सांस्कृतिक विविधता के अनुकूल होना आवश्यक है। एन.सी.ई.आर.टी. ने नए पाठ्यक्रम प्रकाशित किए हैं जो स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों के लिए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समाविष्ट करते है और उसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के अनुरूप चरणबद्ध तरीके से पाठ्यपुस्तक विकास की प्रक्रिया आरंभ की है।

पड़ोसी देशों को शुल्क मुक्त बाजार में प्रवेश

5333. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ पड़ोसी देशों को शुल्क मुक्त बाजार में प्रवेश की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो ये देश कौन-कौन से हैं और उन्हें किस स्वरूप और सीमा तक बाजार में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है; और

(ग) इसका भारतीय उद्योग और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां। 3-4 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने सार्क के उन अल्प विकसित देशों (एलडीसी) को भारत में शुल्क मुक्त पहुंच की इस वर्ष की समाप्ति से पहले अनुमति देने के अपने निर्णय की घोषणा की थी जो दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

(ख) ये एलडीसी बंग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल है। अफगानिस्तान, जिसे 14वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, भी अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात एलडीसी और साफ्टा पर हस्ताक्षर करने वाला हो जाएगा। साफ्टा का चरणबद्ध व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम जो 1 जुलाई, 2006 से लागू हो गया है, के अनुसार सार्क के गैर अल्प विकसित देश (एनएलडीसी) और साफ्टा पर हस्ताक्षर करने वाले के रूप में भारत ने दिनांक

31.12.2008 तक संवेदनशील सूची की मदों को छोड़कर सार्क एलडीसी के लिए शून्य प्रतिशत तक टैरिफ घटाने का निर्णय पहले ही ले लिया था।

(ग) वर्तमान निर्णय से भारत एक साल पहले एलडीसी के लिए साफ्टा टीएलपी पूरा करेगा। भारत ने नेपाल और भूटान को उन देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए जाने के अनुसार पहले ही बाजार पहुंच प्रदान की हुई है। बंगलादेश को छोड़कर मालदीव और सार्क के नए सदस्य बनने वाले अफगानिस्तान की निर्यात संभावना पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, एलडीसी के लिए साफ्टा टैरिफ रियायतों में साफ्टा के अंतर्गत भारत की संवदेनशील सूची की मदों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए वर्तमान निर्णय से भारतीय उद्योग और व्यापार पर किसी गंभीर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[हिन्दी]

डीटीएच का फायदा

5334. श्री वी.के. ठुम्मर
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) दर्शकों का कोई रिकार्ड रखती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा यह निर्धारित करने का क्या आधार है कि डीटीएच दर्शकों के लिए फायदेमंद है अथवा नहीं और सरकार को इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) दर्शकों को डीटीएच से अभी तक कितना फायदा हुआ है तथा इसका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसा रिकॉर्ड रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन और निजी क्षेत्र द्वारा डी टी एच सेवाओं के प्रावधान से देशभर में टेलीविजन दर्शकों को बहुचैनल टेलीविजन कार्यक्रम उपलबध हुए हैं। दर्शकों के पास केबल और डी.टी.एच. सेवाओं में से चुनने का भी एक विकल्प है जिसके फलस्वरूप सेवाप्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता हितैषी पैकेज प्रस्तुत करके और अपनी ग्राहक सेवा तथा अन्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाए जाने से दो प्रकार के सेवा प्रदाताओं के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। डी.टी.एच. सेवाओं से उन ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य अंतस्थ और दूरस्थ क्षेत्रों को भी काफी लाभ मिला है जहां पर या तो केवल दूरदर्शन का स्थलीय ट्रांसमिशन उपलब्ध है अथवा कोई सेवा उपलब्ध नहीं है। डी.टी.एच. सेवाओं के कारण इन क्षेत्रों के दर्शक अपने सूचना और मनोरंजन के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम रहे हैं।

[अनुवाद]

फिल्म निर्माताओं का पैनल बनाना

5335. श्री अनवर हुसैनः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने लगभग एक साल पहले फिल्म निर्माताओं का पैनल बनाने हेतु विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थिति और ब्यौरा क्या है; और

(ग) विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र से चुने गए आवेदकों के नाम और संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जी हां। विज्ञापन के उत्तर में कुल 361 आवेदन प्राप्त हुए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र से 26 आवेदन प्राप्त हुए थे। अभी तक चयन नहीं किया गया है।

रूस द्वारा भारतीय चावल पर प्रतिबंध लगाना

5336. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमारः क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यी बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत से रूस को किए गए चावल के वार्षिक निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रूस ने हाल ही में भारत से चावल का आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(घ) क्या रूस द्वारा आयातित भारतीय चावल में निर्धारित सीमा से अधिक कीटनाशक पाए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस मुद्दे पर सरकारी स्तर पर बातचीत की गई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत से रूस को चावल के निर्यात का विवरण:

	2003-04		2004-05		2005-06	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु.)
बासमती	206.73	76.65	94.42	38.96	179.20	70.96
गैर बासमती	74952.40	5572.59	3769.02	458.63	24776.34	2805.54
कुल	75159.13	5649.24	3863.44	407.59	24955.54	2876.50

स्रोत: डीजीसीआईएस

(ख) और (ग) जी हां। पशु एवं पादप स्वच्छता निगरानी से संबंधित रूसी एजेंसी (रोसेलखोजनाइजार) ने कीटनाशियों के पता लगाने के दावे के कारण रूस को भारत से चावल के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए 27 अप्रैल, 2007 को एक अधिसूचना जारी की थी।

(घ) और (ङ) रूसी पक्ष ने इसका कारण डिमेथोएट पाया जाना बताया है जो रूसी विनियमनों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है।

(च) से (ज) जी हां। पहले 4.12.2006 को पशु और पादप स्वच्छता निगरानी सम्बन्धी रूसी एजेंसी (रोसेलखोजनाइजार) ने थाइलैण्ड, वियतनाम, श्रीलंका, अमरीका और भारत से कीटनाशियों का पता लगाने के दावे के कारण चावल का आयात निलंबित करने की घोषणा करते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी।

घोषित निलम्बन को हटाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप पशु और पादप स्वच्छता निगरानी के लिए रूसी संघीय सेवा परिसंघ (एफएसवीपीएसआरएफ) के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 19-24 फरवरी, 2007 तक भारत का दौरा किया। यात्रा के अंत में एक प्रोटोकॉल पर सहमति हुई थी जिस पर जब दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

तथापि, हाल में दिनांक 1.5.2007 से लगाया गया प्रतिबंध प्रोटोकॉल का उल्लंघनकारी है और भारत सरकार रूसी प्राधिकारियों के साथ मामले को उठा रही है।

सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 संशोधन

5337. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर से विदेशों से 10 को-आप्शंस उपलब्ध कराने हेतु सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) 10 अप्रवासी भारतीय (एन आर आई) सिखों को कों-ओप्शंस उपलबध कराने हेतु सिख गुरूद्वारा अधिनियम में संशोधन किए जाने के लिए 25.11.2006 को एस जी पी सी के जनरल हाऊस द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 18 की एक प्रति इस मंत्रालय को प्राप्त हुई है। ऐसे प्रस्तावों की विस्तृत जांच संबंधित विभागों/राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके की जाती है।

[हिन्दी]

शिक्षकों की नियुक्ति

5338. श्री गिरिधारी यादव:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय और संस्थाएं शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी मानक का अनुपालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालय और संस्थाएं कौन-कौन सी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 13.8.1990 को जारी भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन, दिनांक 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अंतिम रूप से यथासंशोधित, के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत आने वाली अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, लोक निधियों से सहायता प्राप्त करने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालय संस्थाओं में प्रारंभिक स्तर से लेकर लेक्चरर स्तर तक सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर लागू होते हैं। नीति के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है।

यू.जी.सी. ने दिनांक 24.1.2007 के अपने पत्र सं.एफ. 1-4/1994 (एस.सी.टी.) द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं/सम विश्वविद्यालयों के सभी रजिस्ट्रारों को लेक्चरर स्तर तक शैक्षणिक पदों को भरने के लिए भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण नीति को तुरंत कार्यान्वित करने की सूचना दी है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

5339. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रसार भारती के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने और प्रसार भारती की स्वायत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) जी, हां। प्रसार भारती के विभिन्न कर्मचारी संघों से पदोन्नति, वेतन वृद्धि, संवर्ग-पुनर्गठन, आवास आदि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) विभिन्न स्तरों अर्थात् मंत्रालय और प्रसार भारती में उपर्युक्त मुद्दों पर उपचारात्मक/उपयुक्त कार्रवाई की गई है। मंत्रालय में बातचीत के लिए कर्मचारी संघों को आमंत्रित किया गया है और उन्हें उनकी मांगों की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। प्रसार भारती के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों जैसे कुछ मुद्दों की जांच एक मंत्री-समूह द्वारा की जा रही है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

5340. श्री सुकदेव पासवान:
श्री रामकृपाल यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शैक्षिक विषयों में की गई अ.जा./अ.ज.जा., अ.पि.व. और अन्य वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान सभी आरक्षित पदों को भर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) अपेक्षित ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। तथापि, 12 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षण-पदों पर की गई नियुक्तियों की केन्द्रीय विश्वविद्यालयवार संख्या तथा वर्तमान में रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अपने लिए बने संसद अधिनियम और उसके तहत बनाई गई संविधियों द्वारा शासित होता है। संगत संविधियों के अनुसार, किसी विश्वविद्यालय में शिक्षकों के स्थायी पदों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद शामिल हैं, पर सभी नियुक्तियां इन पदों को विधिवत विज्ञापित किए जाने और संबंधित अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा

साक्षात्कार किए जाने के बाद इन संविधियों के तहत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यकारिणी परिषद द्वारा की जाती है। चयन समिति में अन्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय के विजिटर की हैसियत से राष्ट्रपति जी का एक नामिती शामिल होता है। उपर्युक्त के मद्देनजर, जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त शिक्षण पदों, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद शामिल हैं, को भरने के मामले में इस मंत्रालय की भूमिका चयन समितियों को विजिटर के नामिती प्रदान करने तक सीमित है, सरकार यू.जी.सी. के जरिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को बैकलॉग भरने के लिए स्मरण कराती रहती है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने के लिए जनवरी, 2005 में विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और कुलपतियों को संबोधित पत्रों की एक श्रृंखला के अलावा, इस मंत्रालय ने दो बैठकें-एक पांच पिछड़े केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के साथ दिनांक 6 सितम्बर, 2006 को और दूसरी सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों के साथ दिनांक 29 नवम्बर, 2006 को आयोजित की। रिक्त पदों, जिनमें आरक्षित पद भी शामिल हैं, को भरा जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

विवरण

पिछले दस वर्षों के दौरान शिक्षण पदों पर की गई नियुक्तियों की केन्द्रीय विश्वविद्यालयवार संख्या और वर्तमान में रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	पिछले दस वर्षों के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या				वर्तमान में रिक्त पड़े आरक्षित पदों की संख्या			टिप्पणियां
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
1.	मणिपुर विश्वविद्यालय*	1	1	-	उ.न.	2	1	8	भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
2.	जामिया मिलिया इस्लामिया	29	9	3	उ.न.	18	8	-	चयन प्रक्रिया चल रही है।
3.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	17	18	-	222	-	-	-	-
4.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	3	6	-	87	-	-	-	-
5.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	3	76	-	125	18	-	-	-
6.	मिजोरम विश्वविद्यालय	21	12	-	उ.न.	2	-	-	-
7.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	उपलब्ध नहीं				12	6	-	-
8.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय**	5	3	-	उ.न.	उपलब्ध नहीं			पद रिक्त परंतु विज्ञापित
9.	तेजपुर विश्वविद्यालय	12	7	16	उ.न.	-	-	-	-
10.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	25	7	-	259	3	3	-	भर्ती प्रक्रियाधीन
11.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	11	4	2	-	2	2	-	भर्ती प्रक्रियाधीन
12.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था होने के कारण आरक्षण नीति लागू नहीं				लागू नहीं			-

उ.न. उपलब्ध नहीं

* इस विश्वविद्यालय को अक्टूबर, 2005 में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

** इस विश्वविद्यालय को जुलाई, 2005 में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया।

टिप्पणी: व्याख्याता के स्तर पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की नीति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 27 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने की प्रक्रिया में लगे हैं।

बाल विवाह विधेयक

5341. **श्री सुग्रीव सिंहः**
श्री किसनभाई वी. पटेलः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार भारतीय लड़कियों की विवाह करने की औसत आयु कितनी है;

(ख) क्या बाल विवाह निवारण कानून को लागू करने के बाद इस प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन आया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त कानून बालिका विवाह की औसत आयु में किस सीमा तक वृद्धि कर पाया है;

(च) देश में विवाहित बालिकाओं का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता प्रतिशत कितना है; और

(छ) विवाहित बालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 दिसम्बर, 2005 से अगस्त, 2006 तक 29 राज्यों में कराया गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) के प्रमुख संसूचकों के अनंतिम निष्कर्षों के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में से 44.5% का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पहले विवाह की औसत आयु 16.4 है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के अनुसार, 20 से 24 वर्ष की आयु की जिन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था, उनका राज्य-वार प्रतिशत तथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के अनुसार पहले विवाह की राज्य-वार औसत आयु का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) से (ङ) बाल विवाह का निषेध करने तथा तत्संबंधी अधिनियम के उपबंधों को पहले से अधिक कारगर बनाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाने के लिए "बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006" नामक एक नया कानून भारत के राजपत्र में 11 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया है।

(च) और (छ) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, ये सर्वेक्षण नहीं कराए गए हैं।

विवरण

राज्य	20 से 24 वर्ष की उन महिलाओं का (प्रतिशत) जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ		पहले विवाह के समय औसत आयु
	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99)	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1998-99)
1	2	3	4
भारत	44.5	50.0	16.4
आंध्र प्रदेश	54.7	64.3	15.1
अरुणाचल प्रदेश	40.6	27.6	18.7
असम	38.0	40.7	18.1
बिहार	60.3	44.3	14.9

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	51.8	61.3	एन.ए.
दिल्ली	21.2	19.8	19.0
गोवा	11.7	10.1	23.2
गुजरात	33.5	40.7	17.6
हरियाणा	39.8	41.5	16.9
हिमाचल प्रदेश	12.3	10.7	18.6
जम्मू-कश्मीर	14.0	22.1	18.2
झारखंड	61.2	64.1	एन.ए.
कर्नाटक	41.2	46.3	16.8
केरल	15.4	17.0	20.2
महाराष्ट्र	38.8	47.7	16.4
मध्य प्रदेश	53.0	64.7	14.7
मणिपुर	12.7	9.9	21.7
मेघालय	24.5	25.5	19.1
मिजोरम	20.6	11.6	22.0
नागालैण्ड	21.1	22.9	20.1
उड़ीसा	36.3	37.6	17.5
पंजाब	19.4	11.6	20.0
राजस्थान	57.1	68.3	15.1
सिक्किम	30.1	22.3	19.8
तमिलनाडु	21.5	24.9	18.7
त्रिपुरा	41.0	37.7	एन.ए.
उत्तर प्रदेश	53.0	64.3	15.0
उत्तरांचल	22.6	25.9	एन.ए.
पश्चिम बंगाल	53.3	45.9	16.8

[हिन्दी]

बच्चों के लिए काम कर रहे गैर-सरकारी संगठन

5342. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और जिले-वार विशेषकर महाराष्ट्र के जालना जिले में बेघर, उपेक्षित और अपराधी बच्चों के लिए काम कर रहे संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में ऐसे और संगठनों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(छ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बच्चों के कल्याणार्थ इन गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को एनजीओ-वार, राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी) (क) देश भर में बेघर, उपेक्षित तथा अपराधी बच्चों के कल्याणार्थ कार्य कर रहे संगठनों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही (1) किशोर न्याय कार्यक्रम (2) निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम (3) देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याणार्थ स्कीम; तथा (4) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों को सहायता स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(ख) से (च) वित्तीय सहायता के लिए राज्य सरकारों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों पर संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के साथ-साथ सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात ही संगठन परियोजनाएं स्थापित करते हैं।

(छ) इन स्कीमों के अंतर्गत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, गैर-सरकारी संगठन-वार आबंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष संगठनों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। तथापि, 'किशोर न्याय कार्यक्रम' के अंतर्गत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को निधियां किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे गृहों के लिए जारी की जाती हैं। तत्पश्चात राज्य सरकारें विभिन्न गृहों के लिए मानकों के अनुसार निधियां संवितरित करती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

भारत-आसियान बौद्धिक संपदा अधिकार संस्थान

5343. श्री नरहरि महतो: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आसियान प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में मानव संसाधन क्षमताओं के सृजन और उनमें प्रशिक्षण में सहायता करने हेतु भारत-आसियान बौद्धिक संपदा अधिकार संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, भारतीय उद्योग संघ तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर 'आसियान' (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) कमिटी द्वारा नई दिल्ली में 6 और 7 नवंबर, 2006 को आयोजित किए गए 12वें टैक्नोलॉजी समिट एण्ड टैक्नोलॉजी प्लेटफार्म में, अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प लिया गया था कि आसियान क्षेत्र के हितों को पूरा करने के लिए मानव संसाधन क्षमताओं के निर्माण एवं प्रशिक्षण हेतु एक इंडिया-आसियान इंस्टिट्यूट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी की स्थापना पर विचार किया जाए।

[अनुवाद]

गुणवत्ता मानक लागू करना

5344. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधी मानक में सुधार लाने तथा लघु उद्योगों (एसएसआई) को आधुनिक परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं हैं;

(ख) क्या उक्त योजनाओं से लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने में सहायता मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार ने वस्तुओं की गुणवत्ता संबंधी मानक में सुधार लाने तथा लघु उद्योगों को आधुनिक परीक्षण उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं आरंभ करने की पहले की है। इन योजनाओं से लघु उद्योग क्षेत्र को वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिली है। इसका विवरण निम्नोक्त है:

(1) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र एवं फील्ड टेस्टिंग स्टेशन

लघु उद्योग मंत्रालय ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में स्थित चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों तथा जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, बंगलौर, हैदाराबाद, पांडिचेरी एवं चंगनावेरी (एट्टमानूर) में स्थित सात फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों की स्थापना की है। ये केमिकल, मैकेनिकल, मेटालर्जिकल तथा इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में सामान्य रूप से उद्योगों को तथा विशेष रूप से लघु उद्योगों को परीक्षण एवं अंशाकन सुविधाएं प्रदान करते हैं।

ये क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र आईएसओ (17025) के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है। विगत दो वर्षों में इन परीक्षण केन्द्रों/स्टेशनों द्वारा 14,746 लघु उद्योग इकाइयां लाभान्वित हुई हैं तथा 56,701 कार्यों का परीक्षण किया गया है।

(2) उद्योग संघों द्वारा परीक्षण केन्द्र

योजना का उद्देश्य मुख्यत: राज्य में स्थित लघु उद्योग इकाइयों सहित औद्योगिक इकाइयों को संगत मानक विर्निष्टताओं के अनुसार कच्चे माल, घटकों तथा तैयार उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रस्तुत करने हेतु परीक्षण केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देना है।

इस प्लान स्कीम के तहत, भारत सरकार उन उद्योग संघों को जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों की परीक्षण प्रयोगशालएं स्थापित करने तथा प्रचालित करने की इच्छा रखते हैं तथा राज्य सरकारों एवं उनके स्वायत्त निकायों के विद्यमान गुणवत्ता चिन्ह्न केन्द्रों (क्यूएमसी) के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए भी, परीक्षण उपकरणों और मशीनरी की लागत के 50 प्रतिशत के बराबर एक बारगी पूंजी अनुदान सहायता प्रदान करती है।

विगत दो वर्षों में, केन्द्रीय अनुदान सहायता के लिए 3 क्यूएमसी तथा 8 परीक्षण प्रयोगशालाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया है।

(3) आईएसओ-9000/14001 प्रमाणन प्रतिपूर्ति योजना

लघु उद्योग मंत्रालय ने विशेष रूप से लघु उद्योग इकाइयों को उनके कार्यानिष्पादन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से, उन्हें आईएसओ 9000 तथा आई एस ओ 14001 प्रमाणन के अनुसार क्रमश: अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) तथा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) अपनाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए वर्ष 1994 में एक योजना का आरंभ किया है। इस योजना के तहत किए गए व्यय के 75 प्रतिशत अथवा 75,000 (अधिकतम), जो लघु उद्योगों ने प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए खर्च किया है, की प्रतिपूर्ति उन्हें की जाती है।

इसके अतिरिक्त योजना को अधिकतम 75,000 रु. की प्रतिपूर्ति के अधीन, हैजार्ड, एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉएण्ट सर्टिफिकेशन (एचएसीसीपी) प्रमाणन भी जो 1.4.2007 से लागू है, को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है। विगत दो वर्षों के दौरान, योजना के तहत 6898 लघु इकाइयां लाभान्वित हुई हैं तथा उन्हें 32.31 करोड़ रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

(4) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा उत्पाद प्रमाणन योजना

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उत्पाद प्रमाणन योजना का प्रचालन करता है जिसके तहत विनिर्माताओं को संगत भारतीय मानकों का पालन करने वाले उत्पादों पर आईएसआई मार्क के प्रयोग के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत भारतीय माकनों का पालन करके गुणवत्ता की प्राप्ति की जाती है। भारतीय मानक बगैर किसी पक्षपात के बड़े तथा साथ ही साथ लघु उद्योगों पर लागू हैं।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रचालित उत्पाद प्रमाणन योजना मुख्यत: स्वैच्छिक प्रकृति का है। तथापि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिहाज से भारत सरकार ने पहचाने गए कुछ उत्पादों के लिए इसे विभिन्न विधानों जैसे कि पीएफए अधिनियम, बीआईएस अधिनियम, ईसी अधिनियम, आदि के तहत, बीआईएस प्रमाणन के साथ विनिर्मित करना अनिवार्य बना दिया है। बीआईएस लघु उद्योग को 15 प्रतिशत की दर से इसके द्वारा लगाई गई न्यूनतम मेकिंग शुल्क में रियायत प्रस्तुत करता है। बीआईएस ने 31.3.2007 के अनुसार बड़े पैमाने की इकाइयों को 3499 लाइसेंस तथा लघु इकाइयों को 15787 लाइसेंस जारी किए हैं। लघु उद्योगों द्वारा बीआईएस से प्राप्त किए गए प्रमाणपत्र से लघु उद्योग इकाइयों को अपने उत्पादों के विपणन में सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

जनजातीय गांव

5345. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में कितने जनजातीय गांव हैं;

(ख) किसी गांव को एक जनजातीय गांव घोषित करने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन जनजातीय गांवों के विकास की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने किसी ग्राम को जनजातीय ग्राम के रूप में घोषित करने से संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं तथा जनजातीय ग्रामों के विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है और न ही यह मंत्रालय विभिन्न राज्यों में जनजातीय ग्रामों की संख्या के बारे में किसी प्रकार के आंकड़ों का रख-रखाव करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ग्राम योजनाओं जैसी सूक्ष्म स्तरीय आयोजना का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों का है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

5346. श्री एम. शिवन्ना: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने उक्त अधिनियम को संशोधित करने से उद्भूत होने वाले संभावित निहितार्थों पर अपनी चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) आज की तारीख में केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उक्त अधिनियम को हाल ही में सीएसबी (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा संशोधित किया गया था।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2006 को किसानों, रीलरों, बुनकरों एवं परिधान विनिर्माताओं आदि जैसे रेशम उत्पादन क्षेत्र में सभी स्टॉक होल्डर्स के व्यापक हित में उच्च गुणवत्ता के रेशम कीट बीज के उत्पादन तथा प्रमाणन का नियमन करने के लिए आवश्यक प्रावधान प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से पारित किया गया है। यह चीन जैसे देशों से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आवश्यक था। गुणवत्ता वाली रेशम का उच्च उत्पादकता के साथ उत्पादन इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को केन्द्रीय रेशम कीट बीज समिति, संकर प्राधिकरण समिति, पंजीकरण समिति इत्यादि तथा इसे संबंधित अन्य मामलों के द्वारा पूरा किया जाता है।

(ग) और (घ) सीएसबी (संशोधन) अधिनियम, 2006 को विभिन्न राज्यों द्वारा व्यक्त दृष्टिकोणों पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तैयार मसौदा नियमों को कर्नाटक सहित विभिन्न रेशम उत्पादक राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। किसानों तथा अन्य सटेक होल्डर्स के साथ अनेक विचार-विमर्श तथा पारस्परिक क्रिया शीर्ष स्तर पर सुनिश्चित की गई थी तथा मसौदा संशोधनों

को अंतिम रूप देने के समय राज्यों के दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया था।

समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात

5347. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएटिड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) एसोचेम ने यह सूचना दी है कि उनकी खाद्य प्रसंस्करण संबंधी विशेषज्ञ समिति ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मत्स्य ग्रहण पोतों की क्षमता संवर्धन और समुद्री खाद्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता में वृद्धि जैसे उपायों के जरिए समुद्री उत्पादों के निर्यात में पर्याप्त बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

[हिन्दी]

दिल्ली में ट्रैफिक जाम

5348. डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री जे.एम. आरुन रशीद:
श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में आज की तारीख तक ट्रैफिक-पुलिस द्वारा जुर्माने के रूप में कितनी धनराशि एकत्र की गई है;

(च) क्या ट्रैफिक नियमों के पालन में सख्ती बरतने और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए जुर्माने के फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ने की शंका है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात और यातायात जाम को हल करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली यातायात पुलिस, आवधिक आधार पर विशेष अभियान चलाती रही है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

- भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर बसों और वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों के विरुद्ध।
- तीन सीट वाले रिक्शों (टी एस आर) के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने, अधिक भाड़ा वसूल करने, इंकार करने, और मीटर में छेड़खानी करने के लिए विशेष तौर पर रेलवे स्टेशनों और अंतर-राज्य बस टर्मिनलों पर।
- अनुचित और अनधिकृत पार्किंग के विरुद्ध।
- चौराहों के नियमों का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध।
- "प्रवेश निषेध" के प्रतिबंधों का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध।
- प्रातःकाल और सायंकाल में लाल बत्ती पार करने के विरुद्ध।
- स्थानीय रूप से तैयार किए गए साइकल रिक्शों (जुगाड़) के विरुद्ध।
- मद्यपान करके ड्राइविंग करने के विरुद्ध।
- सुरक्षा एहतियातों का पालन न करते हुए कंटेनर ले जाने वाले के विरुद्ध।
- दोषपूर्ण ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, फैंसी लाइट, हैड लाइट आदि के विरुद्ध।

- खतरनाक ढंग से ड्राइविंग करने, मद्यपान करके ड्राइविंग करने, तेजगति से ड्राइविंग करने के लिए माल और यात्री वाहनों तथा फुट बोर्ड आदि पर यात्रा करने के विरुद्ध।
- अधिक माल भरने और माल के ऊपर लोगों को बैठाने के लिए भारी परिवहन वाहनों (एच टी वी) और हल्के माल वाहनों (एल जी वी) के विरुद्ध।
- रात के दौरान (2200 बजे से 0200 बजे) गति और यातायात के अन्य कानूनों से संबंधित यातायात कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए।
- स्कूलों के निकट और कालोनियों के अंदर अवयस्क द्वारा ड्राइविंग किए जाने और हेल्मेट न पहनने के लिए।
- दो पहिया स्कूटरों पर दोषपूर्ण नम्बर प्लेटों के विरुद्ध।
- शहर में भवन निर्माण सामग्री आदि ढोने वाले ट्रैक्टरों और ट्रॉलियों के विरुद्ध।
- रिहायशी क्षेत्रों/सड़क के किनारे खड़े किए गए वाणिज्यिक परिवहन/माल वाहक वाहनों के विरुद्ध।
- रंगीन टॉप लाइटों का अनधिकृत प्रयोग किए जाने के विरुद्ध।
- अनधिकृत बसों और ग्रामीण परिवहन वाहनों (आरटीवी) को चालने के विरुद्ध।

यातायात पुलिस, उन क्षेत्रों में यातायात कानूनों और नियमों को लागू करने के लिए अपराध विशिष्ट अभियान भी चलाती रहती है जिनमें सड़क अनुशासन और सुरक्षा के स्तर में सुधार करने का सीधा संबंध होता है। सिग्नल का उल्लंघन किए जाने, दोषपूर्ण/खतरनाक ड्राइविंग किए जाने, अवयस्क द्वारा ड्राइविंग किए जाने, सीट की बैल्ट न पहनने, तेज गति से ड्राइविंग करने, हेल्मेट के बगैर सवारी करने, मद्यपान करके ड्राइविंग करने, प्रेशर हार्न का प्रयोग करने, स्टॉप लाइन पार करने, ड्राइव करते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग किए जाने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली पुलिस ने जनवरी से अप्रैल की अवधि के दौरान यौगिक राशि के रूप में 16,25,12,150 रुपए और चालू वर्ष के दौरान जनवरी से 15 अप्रैल तक अदालती जुर्माने के रूप में 3,77,69,900 रुपए की राशि वसूली है।

(च) जी नहीं, श्रीमान।

(छ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात और यातायात जाम की समस्या हल करने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं:

(1) स्थल पर ही चालान करना;

(2) ऑन-लाइन अभियोजन चलाना;

(3) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर बसों और वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों के विरुद्ध आवधिक रूप से विशेष अभियान चलाना;

(4) उन क्षेत्रों में यातायात कानूनों और नियमों का अपराध-विशिष्ट प्रवर्तन करना जिनमें सड़क अनुशासन और सुरक्षा स्तर में सुधार करने का सीधा संबंध है। सिग्नल का उल्लंघन किए जाने, दोषपूर्ण/खतरनाक ड्राइविंग किए जाने, अवयस्क द्वारा ड्राइविंग किए जाने, सीट की बेल्ट न पहनने, तेज गति से ड्राइविंग करने, हेल्मेट के बगैर सवारी करने, मद्यपान करके ड्राइविंग करने, प्रेशर हार्न का प्रयोग करने, स्टॉप लाइन पार करने, ड्राइव करते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग किए जाने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है;

(5) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ वाणिज्यिक वाहन के ड्राइवरों और स्कूलों बच्चों सहित सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी श्रेणियों के लोगों में शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है

(6) अल्पावधिक यातायात प्रबंधन स्कीमें चलाने के उद्देश्य से प्रमुख एजेंसियों अर्थात् पी डब्ल्यू डी, एम सी डी, एन डी एम सी, डी डी ए और दिल्ली छावनी बोर्ड का समन्वय और सहयोग प्राप्त किया जाता है;

(7) यातायात जाम दूर करने, सुरक्षित और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाएं तथा प्रदूषण कम करने के लिए कम लागत और उच्च लागत यातायात प्रबंधन उपाय अपनाना;

(8) कम लागत की यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करना;

(9) कंप्यूटरीकृत क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करना;

(10) बिजली की खपत की लागत कम करने के लिए सोलर सिग्नल स्थापित करना और निर्बाध सिग्नल व्यवस्था प्रदान करना, स्पष्ट और बेहतर दिखाई देने वाले यातायात सिग्नलों की व्यवस्था करना;

(11) एक निश्चित दूरी से सिग्नल रिफलेक्टर की दृष्टिगोचरता में सुधार करने के लिए एल ई डी सिग्नल स्थापित करना;

(12) लाल बत्ती पार किए जाने और गति सीमाओं का उल्लंघन किए जाने को रोकने के लिए लाल बत्ती और गति उल्लंघन प्रवर्तन जांच प्रणाली स्थापित करना;

(13) जहां उल्लंघनकर्ता द्वारा उल्लंघन किए गए स्वरूप को उसे दिखाया जा सकता है वहां यातायात कानूनों का निवारण करने, शिक्षित करने और प्रवर्तन करने के लिए चलते-फिरते यातायात कानून प्रवर्तन/शिक्षण यूनिट स्थापित करना;

(14) तेज गति की जां करने के लिए स्पीड राडार गन;

(15) होटलों, पबों, बारों और उन स्थानों के निकट, जहां लोग मद्यपान करते हैं और वाहन चलाते हैं वहां पर मोटर-चालकों द्वारा मद्यपान करके वाहन चलाये जाने के विरुद्ध औचक जांच करने के लिए मद्यपान का पता लगाने वाला यंत्र;

(16) यातायात का सुरक्षित और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए रिट्रो रिफ्लक्टिव गेजेट्री का प्रावधान;

(17) यातायात का सुचारू प्रवाह बनाए रखने के लिए यातायात सिग्नलों का समक्रमण;

(18) चुने हुए चौराहों पर यातायात की स्थिति पर आन-लाइन नजर रखने के लिए ''ट्रैफिक मानीटरिंग सिस्टम'' का कार्यान्वयन करना;

(19) ''सड़क आपदा प्रबंधन वाहन'' नामक एक बहु-उपयोगी वाहन को देश में डिजाइन किया गया, तैयार किया गया और यातायात पुलिस द्वारा उसे उपयोग में लाया गया जिसमें आपात स्थिति में अत्यावश्यक उपयोग के लिए कई प्रकार के औजार और गैजेट होते हैं;

(20) चुने हुए स्थानों पर वेरिएबल मैसेज साइन स्थापित करना ताकि सड़क का उपयोग करने वालों को पूर्व सूचना और सलाह दी जा सके जिससे वे पहले से ही और दूसरे सुविधाजनक स्थानों में जाने/चक्कर लगाने की योजना बना सकें;

(21) यातायात सहायता लाइन-यातायात संबंधी मामलों पर शिकायतें करने/सुझाव देने के लिए आम जनता को चौबीसों घंटे टेलीफोन सं.-23378888 की सुविधा;

(22) यातायात वेबसाइट-दिल्ली यातायात पुलिस ने अपनी वेबसाइट विकसित की है जिस पर यातायात पदाधिकारियों की टेलीफोन संख्या से संबंधित कोई भी सूचना और यातायात पुलिस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचना, माउस क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। दिल्ली यातायात पुलिस की यू आर एल, www.delhitrafpolice.nic.in की वेबसाइट पर है;

(23) शिकायतों/सुझाव ई-मेल करने या दिल्ली की सड़कों पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए ई-मेल सुविधा का प्रावधान/वरिष्ठ यातायात अधिकारियों के ई-मेल पते jcpt-delhi@vsnl.net, dcptdlh@-satyam.net.in., dcptsrdlh@yahoo.com, dcptndr @yahoo.com और dcp-t-vip@yahoo.com. पर है।

(24) एस एम एस ट्रैफिक इंफार्मेशन डिस्सेमिनेशन सिस्टम शुरू करना जिसमें यातायात दूसरी ओर मोड़ने, यातायात सिग्नल खराब होने, किसी भी सड़क पर जाम लगाने, सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा देने, नोटिस का ब्यौरा आदि देने संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है। एस एम एस सुविधा, मोबाइल सं. 9811452220 के माध्यम से एक बार आम जनता के 150 सदस्यों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

5349. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य मंत्रालय के एक दल ने हाल ही में विदेशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दौरा किए गए देशों का ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दौरों के उद्देश्य क्या थे;

(ग) क्या इस दल ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के स्थलों का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो इन दौरों के परिणाम का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वाणिज्य विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सिंगापुर, थाईलैंड और चीन स्थित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) का दौरा किया था। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य इन देशों में एसईजेडों की विधिक एवं अवधारणात्मक संरचना को समझना था। इस दल को इन देशों के एसईजेडों की अवधारणा एवं उद्देश्यों में अंतरों की जानकारी मिली और इन एसईजेडों के कार्यचालन का प्रारंभिक अनुभव प्राप्त हुआ।

[हिन्दी]

बंद चाय बागानों का पुनरूद्धार

5350. श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री हरिभाऊ राठौड़:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास बंद चाय बागानों के पुनरूद्धार की कोई योजना है जैसाकि दिनांक 22 अप्रैल, 2007 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके पुनरूद्धार पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने देश के अनेक चाय बागानों के बंद होने के कारणों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) बंद पड़े चाय बागानों के पुनरूद्धार के लिए एक पैकेज संबंधित मंत्रालयों/विभागों तथा संगठनों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा रोजगारोन्मुखी शिक्षा

5351. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने देश में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कोई कारगर कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य विशेषकर झारखंड में रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शैक्षिक संस्थानों तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न संस्थानों के माध्यम से रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में विद्यालय पाठ्यचर्या के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य आधारित शिक्षा को संस्थागत बनाने की वकालत की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के अनुरूप तैयार किए गए पाठ्यक्रमों तथा नई पाठ्यपुस्तकों में सभी विषय की पाठ्यपुस्तकों में कार्य संबंधी घटकों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है।

10+2 स्तर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर में बढ़ोतरी करना, कुशल जनशक्ति की मांग तथा आपूर्ति के बीच अंतर को कम करना और उच्चतर शिक्षा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान करने हेतु विविध शैक्षिक अवसर उपलब्ध करना है। इस स्कीम के प्रमुख उद्देश्य मुख्यधारा के पाठ्यक्रमों के अलावा 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत करना है। पंडित सुंदर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल जो एन.सी.ई.आर.टी. का एक संघटक इकाई है, ने 82 पाठ्यक्रमों को अभिनिर्धारित किया है। इस स्कीम के अंतर्गत, लगभग 9500 विद्यालयों को 21000 सेक्शनों के संचालन हेतु अनुमोदित कर दिया गया है जिनमें 10 लाख विद्यार्थियों के नामांकन की क्षमता होगी। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर व्यावसायिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु उन्हें अनुदान दिया जाता है। हालांकि, पिछले 3 वर्षों के दौरान झारखंड राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

स्वतंत्रता दिवस, 2006 के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी के अभिभाषण के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा कौशल विकास से संबंधित एक कार्यबल 6.12.2006 को गठित किया गया है जो 11वीं योजनावधि तथा उससे आगे की अवधि के दौरान व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के निमित्त उपाय सुझाएगा।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीय शिक्षा संस्थाना द्वारा देशभर में फैले लगभग 1000 प्रत्यायित व्यवसायिक संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक पॉलीटेक्निक, कृषि विज्ञान केन्द्र, जनशिक्षण संस्थान आदि भी रोजगारान्मुखी पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैरियर उन्मुखी कार्यक्रम को सहायता प्रदान करता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्तीर्ण होने वाले स्नातक वेतनभोगी क्षेत्र अथवा स्वरोजगार क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार हेतु जानकारी, कौशल तथा अभिरूचि रखते है।

[अनुवाद]

यूनेस्को योजनाएं

5352. **श्री मंजुनाथ कुन्नुरः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) यूनेस्को द्वारा सहायता प्राप्त एवं वित्तपोषित सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत यूनेस्को से प्राप्त सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी)ः (क) और (ख) यूनेस्को द्वारा सरकार की किसी भी योजना तथा कार्यक्रमों को सीधे तौर पर सहायता नहीं दी जाती है अथवा इनका वित्तपोषण नहीं किया जाता है। यूनेस्को प्रमुख रूप से वित्तपोषण एजेन्सी नहीं है। तथापि, यह ऐसे क्षेत्रों जो इसके अधिदेश के भीतर हो तथा भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों से संबंधित हो, में कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परामर्शी सेवाओं आदि जैसे कार्यकलापों का संचालन करता है। पिछले द्विवार्षिक 2004-05 और वर्तमान द्विवार्षिक 2006-07 के दौरान यूनेस्को द्वारा संचालित कार्यकलापों में बालिकाओं हेतु शिक्षा, लाभवंचित जनसंख्या तक पहुंचने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग, मानवाधिकार के रूप में शिक्षा, कमजोर एवं लाभवंचित समूहों हेतु शिक्षा, साक्षरता (प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम), एच.आई.वी./एड्स रोकथाम शिक्षा कार्यक्रम, जीवन कौशल, सभी के लिए शिक्षा से संबंधित मामलों तथा मुद्दों पर ध्यान देना, गरीबी उपशमन आदि जैसे कार्यकलाप शामिल किए गए हैं।

निर्यात संवर्धन परिषदें

5353. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनीः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी निर्यात संवर्धन परिषदों तथा सम्बद्ध एजेंसियों को विशिष्ट निर्यात रणनीतियां तैयार करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश)ः (क) और (ख) वर्ष के दौरान, निर्यात निष्पादन लक्ष्यों के संदर्भ में निर्यात संवर्धन परिषदों एवं संबंधित एजेंसियों की वार्षिक कार्ययोजनाओं और निर्यात कार्यनीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी, फोकस क्षेत्रों में बाजार पहुंच इत्यादि जैसी निर्यात संवर्धन परिषदों की पहलों एवं कार्यकलापों की समीक्षा भी की जाती है ताकि परिषद की वार्षिक कार्ययोजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

5354. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुखः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्य सरकारों ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पदों पर नियुक्तियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने संबंधित राज्य में उक्त पद पर नियुक्ति करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) निम्नलिखित राज्य मानवाधिकार आयोगों ने अध्यक्ष का पद भर लिया है: (1) असम (2) आंध्र प्रदेश (3) जम्मू और कश्मीर (4) केरल (5) मध्य प्रदेश (6) मणिपुर (7) उड़ीसा (8) राजस्थान (9) तमिलनाडु (10) पश्चिम बंगाल (11) गुजरात

निम्नलिखित राज्य मानवाधिकार आयोगों में अध्यक्ष का पद खाली है: (1) छत्तीसगढ़ (2) हिमाचल प्रदेश (3) महाराष्ट्र (4) पंजाब (5) बिहार (6) कर्नाटक (7) उत्तर प्रदेश

(ग) और (घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 के अनुसार, राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती हैं, जिसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति शामिल हैं। अतः यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुरूप अपने-अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग (एस एच आर सी) का गठन करें और उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करें। तथापि, केन्द्र सरकार ने उन सभी राज्यों को, जिन्होंने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं किया है, एस एच आर सी का गठन शीघ्रता से करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी की है।

(ङ) जैसा उपर्युक्त (क) और (ख) में किए गए उल्लेख के अनुरूप।

[अनुवाद]

कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

5355. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के हॉस्टलों की स्थापना करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य योजना के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कामकाजी महिलाओं के लिए 2007-08 के दौरान और हॉस्टलों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित की गई/आबंटित की जाने वाली निधियों का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में एक विधेयक लाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह विधेयक कब तक पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ने कामकाजी महिला हॉस्टलों का मांग आधारित सर्वेक्षण करने तथा इस आधार पर स्थानों के लिए प्रस्तावों की अनुशंसा करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया है। नए हॉस्टल भवनों की संख्या मांग के मूल्यांकन के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगी।

(ङ) कामकाजी महिला हॉस्टल स्कीम के लिए 2007-08 के बजट में 15 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

कॅयर जिओ टेक्सटाइल्स का उत्पादन

5356. श्री अमिताभ नंदी: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कॅयर जिओ टेक्साटाइल्स के उत्पादन की संस्थापित क्षमता तथा इसके वास्तविक उत्पादन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कॅयर जिओ टेक्सटाइल्स का देश-वार कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) कॅयर जिओ टेक्सटाइल्स के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कॅयर जिओ-टेक्सटाइल्स की स्थापित क्षमता लगभग 30,000 मी.टन है। विगत तीन वर्षों के दौरान कॅयर-जिओ-टेक्सटाईल का आंकलित उत्पादन निम्नोक्त है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन में)
2004-05	15,000
2005-06	22,500
2006-07	25,000

कॅयर-जिओ-टेक्सटाईल की स्थापित क्षमता तथा उत्पादन के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सांख्यिकी का संकलन इस समय कॅयर बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है। (कॅयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित सांविधिक संगठन)।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कॅयर-जिओ-टेक्सटाईल के निर्यात के संबंध में देश-वार ब्यौरा निम्नोक्त है:

कॅयर-जिओ-टेक्सटाईल के निर्यात के संबंध में ब्यौरा (देश-वार)

देश	2004-05		2005-06		2006-07	
	मात्रा (मी. ट.)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. ट.)	मूल्य (लाख रु.)	मात्रा (मी. ट.)	मूल्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6	7
यूएसए	773.08	327.29	911.58	358.10	1371.63	528.63
जापान	381.67	185.99	421.27	191.61	453.65	217.06
फ्रांस	351.41	168.88	471.75	230.60	407.53	204.58
जर्मनी	220.72	113.42	81.04	39.11	247.03	123.87
बेलजियम	124.33	54.42	109.23	49.10	106.96	44.30
यूके	99.78	44.86	61.36	27.07	24.34	14.18
नीदरलैण्ड	58.33	34.81	33.08	18.07	66.53	36.36
ऑस्ट्रिया	56.37	28.68	126.05	68.82	56.65	20.25
ताइवान	110.73	25.27	17.14	4.59	3.10	1.30
इटली	48.13	24.16	157.43	79.34	103.89	50.17
स्वीडन	18.04	10.28	3.10	1.60	12.14	4.80
हांगकांग	17.91	8.30	-	-	20.75	10.74
ऑस्ट्रेलिया	28.25	7.40	43.49	14.86	63.97	21.34
स्विटजरलैंड	14.65	6.39	-	-	31.10	16.05
कनाडा	7.38	3.92	20.26	11.72	15.45	6.63
फिनलैंड	5.96	3.41	-	-	3.83	2.36
नॉरवे	6.46	2.27	-	-	-	-
ग्रीस	-	-	14.80	6.83	-	-
कुवैत	-	-	12.44	5.73	7.58	3.45
इजराइल	-	-	7.49	4.04	14.98	8.01

1	2	3	4	5	6	7
स्पेन	–	–	6.55	2.94	–	–
आइरिश गणतंत्र	–	–	6.44	2.45	–	–
यूगोस्लाविया	–	–	4.97	1.23	–	–
न्यूजीलैण्ड	–	–	2.86	0.73	–	–
ब्राजील	–	–	–	–	20.25	11.72
यूएई	–	–	–	–	8.91	6.70
डेनमार्क	–	–	–	–	4.23	2.73
	2323.20	1049.75	2512.32	1140.56	3044.51	1335.22

(ग) कॅयर-जिओ-टेक्सटाईल के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से कॅयर बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में भाग ले रहा है तथा कॅयर-जिओ-टेक्सटाईल का कटाव नियंत्रण में उपयोग को तथा बायोइंजीनिरिंग प्रयोग में इसके उपयोग को सर्वप्रिय बना रहा है। कॅयर बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय कटाव नियंत्रण संघ का सदस्य है तथा आई.ई.सी.ए. के सम्मेलनों में नियमित रूप से भाग ले रहा है। बोर्ड जिओ टेक्सटाईल सहित कॅयर उत्पादों के संवर्धन के लिए विदेशों में प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता मिलनों, उत्पाद संवर्धन कार्यक्रमों, तथा केटालॉग शो में भी भाग ले रहा है।

एन.सी.ई.आर.टी. कार्यक्रम

5357. **श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) ने बच्चों एवं शिक्षकों के लिए कुछ नए कार्यक्रम आरंभ किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.सी.ई.आर.टी. शिक्षकों के लिए नियमावली तैयार करने तथा स्कूलों में वाचन स्थलों (रीडिंग कार्नर्स) की स्थापना करने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अपनायी गई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 में बच्चों और शिक्षकों से संबंधित सरोकारों पर एक नए ढंग से ध्यान दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने फेस-टू-फेस पद्धति और टेलीकानफ्रेसिंग के माध्यम से नई पाठ्यपुस्तकों के उपयोग के सम्बन्ध में शिक्षकों और मास्टर ट्रेनर्स के लिए कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शिक्षकों की जागरूकता को बढ़ाने तथा प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की पढ़ने संबंधी आदत को प्रोत्साहित करने योग्य नए प्रकार की ग्रेडयुक्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए अपने यहां वाचन विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया है। इस प्रकोष्ठ के उद्देश्यों में अध्ययन सामग्री के उपयोग के लिए शिक्षक मैनुअल तैयार करना और चुनिंदा विद्यालयों में वाचन स्थलों की स्थापना करना शामिल है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र

5358. **श्री कैलाश जोशी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा देश के विश्वविद्यालयों में संचालित किए जा रहे महिला अध्ययन केन्द्रों का विश्वविद्यालय-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यू.जी.सी. इंदौर में केन्द्र को पुनः आरंभ करने तथा अन्य विश्वविद्यालयों में उक्त केन्द्रों की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कालेजों में 72 महिला अध्ययन केन्द्र मौजूद हैं। केन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इंदौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई महिला अध्ययन केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है तथा विभिन्न राज्यों में अन्य विश्वविद्यालयों में उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त हो रहे हैं।

विवरण

क्र.सं.	विश्वविद्यालय/संस्थान/कालेज का नाम
1	2
1.	आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर
2.	श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, तिरूपति
3.	काकतिया विश्वविद्यालय, वारंगल
4.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
5.	गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
6.	दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
7.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
9.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, नई दिल्ली
10.	एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वड़ोदरा
11.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर
12.	साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, सूरत
13.	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
14.	डी.ए.वी. कालेज फार गर्ल्स, यमुनानगर
15.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला
16.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर
17.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
18.	गवर्नमेंट कालेज ऑफ एजूकेशन, एम.ए. रोड, श्रीनगर, कश्मीर
19.	गवर्नमेंट डिग्री कालेज, कठुआ (जम्मू कश्मीर)
20.	गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कालेज, कैनाल रोड, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
21.	गवर्नमेन्ट कालेज फार वूमेन, एम ए रोड, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)
22.	गवर्नमेंट कालेज फार वूमेन, गांधी नगर, जम्मू
23.	मीर कालेज फार एजूकेशन, बी सी रोड, जम्मू
24.	गवर्नमेंट कालेज फार वूमेन परेड, जी सी डब्ल्यू, परेड ग्राउंड, जम्मू
25.	रांची वूमेन्स कॉलेज, रांची
26.	कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़
27.	मैसूर विश्वविद्यालय, मैसूर
28.	मंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर
29.	मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलगंगोत्री
30.	कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी
31.	केरल विश्वविद्यालय, केरल
32.	कालीकट विश्वविद्यालय, मलप्पुरम
33.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
34.	सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पी जी (ऑटोनॉमस) कालेज, भोपाल
35.	पुणे विश्वविद्यालय, पुणे
36.	एस एन डी टी महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई
37.	शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर

1	2
38.	नागरपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
39.	टाटा इंस्टीट्यूट फार सोशल साइंसेज, मुम्बई
40.	श्रीमती चांदीबाई हिम्मतमल मनसुखामी कालेज, उल्हासनगर
41.	उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर
42.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल वर्क एण्ड सोशल सांइसेज, भुवनेश्वर
43.	पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
44.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जोधपुर
45.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
46.	जनार्दन राय नगर राजस्थान विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय), उदयपुर
47.	बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली
48.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी
49.	अलगप्पा विश्वविद्यालय, कराईकुड़ी
50.	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरूचिरापल्ली
51.	भरतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर
52.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडइकनाल
53.	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फार होम साइंस एण्ड हायर एजूकेशन फार वूमेन, कोयंबटूर
54.	लेडी डॉक कालेज, मदुरै
55.	जस्टिस बशीर अहमद सैयद कालेज फर वूमेन, चेन्नई
56.	पी एस जी आर कृष्णामल कालेज फार वूमेन, कोयंबटूर
57.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
58.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
59.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
60.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, दार्जीलिंग
61.	पांडीचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी (वित्तीय सहायता केवल दसवीं योजना के दौरान प्रदान की गई थी।)
62.	कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता
63.	जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता
64.	पी डी वूमेन्स कालेज, जलपाईगुड़ी
65.	गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी
66.	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़
67.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा
68.	गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा
69.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
70.	बरहमपुर विश्वविद्यालय, बरहमपुर
71.	नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर
72.	गोवा विश्वविद्यालय, गोवा

लघु उद्योगों संबंधी सर्वेक्षण

5359. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री संतोष गंगवार:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) ने लघु तथा मध्यम उद्योगों के बारे में इस क्षेत्र में विदेशी निवेश के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है तथा इसमें किन बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने लघु तथा मध्यम उद्योगों के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश के पश्चात् इनके हितों की रक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से

(ग) अति लघु, लघु तथा मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए दिसंबर, 2006-मार्च 2007 के दौरान नीतिगत प्रभाव तथा भविष्यगामी परिदृश्य पर 19वें भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई) बिजनेस आउटलुक सर्वेक्षण का लक्ष्य भारतीय उद्यमों के भविष्य को देखने तथा मुख्य नीतिगत पहलों को प्राथमिकता देने की कोशिश करते हुए, समग्र रूप से एमएसई क्षेत्र में सामान्य प्रचलित मनोदशा को महसूस करना है। अति लघु, लघु तथा मझौले उद्योगों के सदस्यों से प्राप्त एक हजार से अधिक प्रतिक्रियाओं की समीक्षा के आधार पर सर्वेक्षण का मुख्य निष्कर्ष देश में आगामी 5-10 वर्षों में व्यवसाय की स्थिति में सकारात्मक बदलाव का अनुमान करता है।

(घ) और (ङ) व्यापार उदारीकरण के परिणामस्वरूप, सरकार ने एमएसईज को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में मदद करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन पर विशेष ध्यान देना, क्लस्टर एप्रोच द्वारा अवसंरचनात्मक सहायता, ऋण की समय पर उपलब्धता, आधुनिक प्रबन्धन प्रणाली को अपनाना, इलेक्ट्रानिक अवसंरचना तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का उपयोग करना, वैश्वीकरण से उपजी समस्या का सामना करने के लिए एमएसई को मदद करने के लिए विपणन एवं समय से सूचना प्रसार करना शामिल है। इसके अलावा, उपरी सीमा तक सीमाशुल्क बढ़ाने एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने, आयात में वृद्धि की स्थिति में रक्षोपाय करना आदि के रूप में बचाव उपलब्ध हैं। इसके अलावा, सरकार ने अति लघु, लघु तथा मझौले उद्यमों का विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 लागू किया है तथा एमएसईज के संवर्धन एवं विकास के लिए तथा उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए 'एमएसईज के संवर्धन हेतु पैकेज' की घोषणा की है।

[अनुवाद]

डी.टी.एच. के लिए मूल्य विनियमन

5360. श्री निखिल कुमार: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण ने हाल ही में यह कहा है कि प्रसारणकर्ताओं द्वारा वितरकों को सभी चैनल लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को डायरेक्ट-टु-होम (डी.टी.एच.) के लिए मूल्य विनियमन लाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण ने टाटा स्काई लि. बनाम जी टर्नर लि. एवं अन्य के मामले में वर्ष 2006 की याचिका संख्या 189 (ग) में दिनांक 31.3.2007 के अपने आदेश में "क्या एक वितरक अपनी इच्छानुसार चैनल चुन सकता है?" प्रश्न पर चर्चा की है। माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण ने इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

"तथापि, प्रश्न यह है कि क्या एक वितरक अपनी इच्छानुसार चैनल चुन सकता है? 'अनुरोध पर' शब्दों का प्रयोग यह संकेत दे सकता है कि चैनल प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति किसी विशेष प्रसारक से ही अपनी इच्छानुसार चैनल को चुनने की स्थिति में हो सकता है और उसे वह चैनल प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए वह अनुरोध करता है। हम इस प्रश्न को एक उपयुक्त मामले में निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं।"

जहां तक डायरेक्ट-टु-होम (डी टी एच) हेतु मूल्य निर्धारण करने का संबंध, माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण ने टिप्पणी की है कि "मूल्य निर्धारण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा किया जाना चाहिए। दिनांक 14 जुलाई 2006 को दिए गए निर्णय में इस अधिकरण ने ट्राई द्वारा मूल्य निर्धारण किए जाने तक अंतरिम रूप में एक मानदंड निर्धारित किया था कि प्रसारक, डीटीएच ऑपरेटर से केबल प्लेटफॉर्म के लिए इसकी निर्धारित कीमत का 50% प्रभारित करेगा। इस समय हम उक्त मानदंड को जारी रखना चाहेंगे और हम यह बात दोहराते हैं कि इस संबंध में ट्राई को शीघ्रातिशीघ्र मूल्य निर्धारण और विनियमन करना चाहिए।"

(ग) दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टी डी एस ए टी) के निर्णय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी है।

उद्योगों पर सुनामी का प्रभाव

5361. श्री मनोरंजन भक्त: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में हाल ही में आयी सुनामी प्राकृतिक आपदा ने द्वीपसमूह के औद्योगिकीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है क्योंकि उद्यमियों ने द्वीपसमूह से पलायन करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) द्वीपसमूह में इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार किसी भी उद्यमी के द्वीपसमूह से पलायन करने की सूचना नहीं है। तथापि, लघु व्यापारियों एवं व्यवसायियों को सुनामी से आर्थिक नुकसान हुआ है, जिसके लिए सरकार ने एक पुनरुज्जीवन पैकेज की घोषणा की है। इनमें 26.12.2004 की स्थिति के अनुसार 2.00 लाख रुपये की बकाया ऋण राशि को बट्टे खाते में डालना तथा 2.00 लाख रुपये से अधिक के ऋण के संदर्भ में 3 वर्ष के लिए ब्याज की माफी शामिल है। पुनरुज्जीवन पैकेज के तहत कुल 12,673 लाभग्राहियों को मुआवजे के तौर पर 530,275,758 रुपये की राशि वितरित की गई है।

प्रसार भारती का अर्जन

5362. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रसार भारती द्वारा वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या प्रसार भारती का अर्जन इसके राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रसार भारती के राजस्व व्यय तथा विकासात्मक कार्यकलापों के लिए कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) प्रसार भारती के अर्जन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) प्रसार भारती अर्थात दूरदर्शन और आकाशवाणी का गत तीन वर्षों का वर्ष-वार राजस्व अर्जन का ब्यौरा संलग्न विवरण क्रमशः I और II में दिया गया है। दूरदर्शन के संबंध में राजस्व अर्जन के आंकड़े अवस्थिति-वार दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रसार भारती का निधीयन पैटर्न भारत सरकार द्वारा विस्तृत रूप से तय किया जाता है क्योंकि विशिष्ट उद्देश्यार्थ अनुदान और ऋण एवं यह निधियां सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों पर खर्च की जाती हैं। इसलिए प्रसार भारती के व्यय को इसके स्वयं के राजस्व से वहन करने या किसी अन्य क्रियाकलाप हेतु प्रसार भारती द्वारा निधियों के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रसार भारती ने राजस्व अर्जन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) स्व-वित्त कमीशनिंग की स्कीम की शुरूआत की गई।

(2) देश के आठ विभिन्न स्थानों पर विपणन प्रभाग स्थापित किए गए।

(3) विपणन प्रभागों के परामर्श से अधिक राजस्व अर्जन करने वाले कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है।

(4) विषय-वस्तु में सुधार लाने और अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए कुछ सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परामर्श से विशेष कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

(5) समारोहों इत्यादि को कवर करने के लिए विशेष कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है।

(6) दर्शकों/श्रोताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों में अतिरिक्त समाचार कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है।

(7) एक नकद बहिर्प्रवाह स्कीम शुरू की गई है जिसमें एक ओर राजस्व अर्जन तथा दूसरी ओर कवरेज का विस्तार होता है।

(8) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले प्रणाली का अधिष्ठापन।

(9) फोन-इन डिवाइसेज और क्षेत्रीय रिकार्डिंग के जरिए श्रोताओं की प्रत्यक्ष सहभागिता बढ़ाने के लिए अंतरक्रियात्मक कार्यक्रमों का प्रसारण।

(10) एक बाजार अभिमुख अभियांत्रिकी प्रभाग के रूप में आकाशवाणी के संसाधनों की शुरूआत करना।

(11) हाल ही में आकाशवाणी के सभी केन्द्रों ने अपने विशिष्ठ लक्षित श्रोतागण नामतः महिलाओं, बच्चों, युवाओं, ग्रामीण समुदाय, संगीत प्रेमियों, औद्योगिक कार्यकर्ताओं और किसानों इत्यादि के लिए समर्पित समय स्लाटों में वृद्धि की है।

(12) रिकार्डिंगों की बिक्री, विभिन्न मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, बाहरी विभागों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि जैसे अन्य स्रोतों की खोज करना।

विवरण I

दूरदर्शन के संबंध में वर्ष 2004-05 से 2006-07 के लिए सकल राजस्व

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	नेशनल नेटवर्क	374.18	571.93	302.63
2.	डीडी-2/मेट्रो	0.78	0.51	0.00
3.	डीडी-वर्ल्ड	0.06	0.10	0.15
4.	डीडी-आईएमडी डिवीजन	0.64	0.74	0.00
5.	डीडी-दिल्ली अ.श.ट्रां.	13.94	12.24	21.11
6.	डीडी-स्पोर्ट्स	85.06	114.94	60.36
7.	डीडी-भारती	0.05	0.05	0.02
8.	डीडी-न्यूज	28.22	13.74	10.68
9.	डीसीडी	14.80	0.00	193.83
10.	डीडी-किसान चैनल	10.80	81.16	96.52
11.	डीडी-कशीर चैनल	0.00	0.50	0.00
12.	अगरतला	0.42	0.70	0.00
13.	अहमदाबाद	4.66	4.69	7.04
14.	आइजॉल	0.20	0.43	0.12
15.	अकोला	0.07	0.07	0.02
16.	अमृतसर	0.00	0.03	0.04
17.	इलाहाबाद	0.04	0.00	0.00
18.	औरंगाबाद	0.00	0.22	0.19
19.	बंगलौर	9.37	9.94	7.07
20.	बरेली	0.00	0.13	0.00
21.	भोपाल	4.39	2.79	1.25
22.	भवानीपटना	0.00	0.00	0.03

1	2	3	4	5
23.	भुवनेश्वर	4.97	5.29	4.26
24.	चंडीगढ़	0.10	0.08	0.19
25.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00
26.	चेन्नई	10.45	9.06	8.12
27.	देहरादून	0.02	0.08	0.00
28.	डिब्रूगढ़	0.00	0.01	0.00
29.	गोवा	0.06	0.03	0.28
30.	गोरखपुर	0.18	0.27	0.12
31.	गुलबर्गा	0.01	0.02	0.01
32.	गुवाहाटी	6.73	8.40	2.39
33.	गुवाहाटी (पीपीसी)	0.51	2.19	0.00
34.	हिसार	0.09	0.09	0.10
35.	उ.श.ट्रां. आगरा	0.00	0.00	0.01
36.	हैदराबाद	10.29	8.95	9.97
37.	इंफाल	0.20	0.40	0.00
38.	ईटानगर	0.20	0.37	0.00
39.	इंदौर	0.00	0.00	0.02
40.	जयपुर	5.38	3.91	2.53
41.	जालंधर	8.92	9.42	8.86
42.	जलगांव	0.00	0.03	0.02
43.	जम्मू	0.04	0.04	0.03
44.	उ.श.ट्रां. कानपुर	0.00	0.00	0.08
45.	कसौली	0.00	0.06	0.08
46.	कोच्चि	0.00	0.09	0.15
47.	कोहिमा	0.17	0.39	0.00

1	2	3	4	5
48.	कोलकाता	17.69	15.31	18.10
49.	लेह	0.00	0.02	0.01
50.	लखनऊ	7.39	8.60	7.89
51.	मसूरी	0.00	0.03	0.04
52.	मुंबई	24.73	26.61	36.38
53.	मुजफ्फरपुर	0.00	0.00	0.00
54.	नागपुर	0.11	0.05	0.05
55.	पटना	3.49	3.72	1.82
56.	पांडिचेरी	0.02	0.03	0.02
57.	पोर्ट ब्लेयर	0.00	0.08	0.08
58.	रायपुर	0.57	1.22	0.80
59.	राजकोट	0.01	0.02	0.01
60.	रामपुर	0.00	0.01	0.00
61.	रांची	1.52	0.92	0.22
62.	सेलम	0.02	0.06	0.01
63.	शिलांग	0.21	0.37	0.00
64.	शिमला	0.05	0.20	0.59
65.	सिल्चर	0.00	0.25	0.00
66.	सोलापुर	0.01	0.06	0.01
67.	श्रीनगर	0.55	0.66	0.48
68.	तिरूचिरापल्ली	0.04	0.00	0.00
69.	त्रिवेन्द्रम	11.49	9.53	11.86
70.	तुरा	0.16	0.37	0.01
71.	वाराणसी	0.05	0.09	0.04
72.	विविध आवती	1.16	14.67	0.70
73.	वितरण	0.00	0.00	0.82
	योग	665.27	946.96	818.22

विवरण II

आकाशवाणी के संबंध में वर्ष 2004-05 से 2006-07 के लिए सकल राजस्व

(राशि रुपये में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
गुजरात दमन एवं दीव	10497795	19215000	32765577
कर्नाटक	28819171	42359164	50063162
मध्य प्रदेश एवं चंडीगढ़	24877581	33572342	46104376
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़	18893532	31338804	50653607
तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	104839004	110669285	136167620
उड़ीसा	11068 187	15041053	14074742
दिल्ली	75367947	203772712	177778022
आंध्र प्रदेश	31158950	52618197	44973960
राजस्थान	15168497	34958764	27120048
पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	30182130	33211319	48623136
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल	58150429	86438941	70382642
महाराष्ट्र एवं गोवा	37126155	48809463	58748796
बिहार, झारखंड	35115900	81596270	94133236
जम्मू-कश्मीर	12579371	18948085	20462679
केरल एवं लक्षद्वीप	56326372	62116723	73816221
सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सेंट्रल विंडो बुकिंग के माध्यम से सीएसयू, आकाशवाणी, मुंबई द्वारा अर्जित राजस्व	660388851	1153477168	1082730724
किसानवाणी	150000000	199551000	224878000
आकाशवाणी संसाधन	197019342	450420225	355066909
आकाशवाणी रिकॉर्डिंग	1668464	3807564	4364175
एसटीआई (पी.)	7493403	6386270	9776566
विविध राजस्व	-	-	70800000
क्रिकेट विश्व कप, 2007	-	-	96361055
ग्रामीण विकास मंत्रालय का अभियान	-	-	11700000
प्रसार भारती में जमा आकाशवाणी संसाधनों के लिए अतिरिक्त राजस्व	-	-	35000000
योग	1566741081	2688308349	2836545253

[हिन्दी]

शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली

5363. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 'शिक्षा के लिए वार्षिक जिला सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2005-06 जारी की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2005-06 में जारी जिला रिपोर्ट कार्ड वर्ष 2005-06 के डी.आई.एस.ई. डाटा के संग्रह, संकलन और विश्लेषण पर आधारित है। जिला रिपोर्ट कार्ड के ब्यौरे वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

डी.आई.एस.ई. डाटा शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल अवसंरचना में निरंतर सुधार दर्शाता है। स्कूलों की संख्या में वर्ष 2003-04 के 931471 के मुकाबले वर्ष 2005-06 में 1124033 की और छात्र-शिक्षण कक्ष अनुपात में वर्ष 2003-04 के 42:1 के मुकाबले वर्ष 2005-06 में 39:1 का सुधार हुआ है। शिक्षकों की कुल संख्या में वर्ष 2003-04 में 3667637 के मुकाबले वर्ष 2005-06 में 4690176 की वृद्धि हुई है जबकि प्रारंभिक शिक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात में 36:1 का सुधार हुआ है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2003-04 के 89 से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 103.77 हो गया है।

[अनुवाद]

सीमेंट के मूल्य में वृद्धि

5364. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री कैलाश मेघवाल:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री ए. साई प्रताप:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:
श्री नरहरि महतो:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की सीमेंट उत्पादक कंपनियों ने मार्च, 2007 से सीमेंट के उपभोक्ता बिक्री मूल्य में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के अनुरोधों के बावजूद सीमेंट कंपनियां सीमेंट के मूल्यों को कम करने के लिए इच्छुक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सीमेंट मूल्यों में कमी करने के उद्देश्य से सीमेंट उद्योग को कोई पैकेज प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस वजह से सरकार द्वारा कितना वित्तीय बोझ वहन किए जाने की संभावना है; और

(छ) सीमेंट मूल्यों में प्रतिशत-वार कितनी कमी आने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीमेंट विनिर्माताओं ने दिनांक 9 मार्च, 2007 को सरकार को यह आश्वासन दिया है कि निवेश राशि के बढ़ाने की स्थिति में भी वे एक वर्ष की अवधि तक सीमेंट का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे तथा शुल्क रियायत का लाभ यदि कोई हो, उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

5365. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बसों इत्यादि वाहनों को चलाने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों का ईमानदारीपूर्वक पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल व्यक्तियों की अलग-अलग वाहन-वार संख्या कितनी है;

(ग) प्रत्येक चालक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के मानदण्डों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने सूचित किया है कि वे दिल्ली में बसों को चलाने के बारे में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को कड़ाई से लागू कर रहे हैं। वर्ष 2004, 2005, 2006 और 30 अप्रैल, 2007 तक के दौरान दिल्ली में दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की वाहन-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दुर्घटनाओं में संलिप्त ड्राइवरों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई में शामिल हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त/रद्द करना, यातायात उल्लंघन आदि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को पंच करना तथा कानून के संगत उपबंधों के अंतर्गत गिरफ्तारी/अभियोजन चलाना।

(घ) भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के पालन को लागू करने तथा दिल्ली की सड़कों पर यातायात संकट और यातायात जाम का हल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वाहन का प्रकार	2004		2005		2006		2007 (30 अप्रैल तक)	
	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एम्बुलेंस	1	0	3	1	4	0	5	2
बैलगाड़ी	2	0	1	0	0	0	0	0
ब्लूलाइन बस	202	110	284	157	330	109	97	33
बस डी टी सी	162	57	159	64	148	62	46	17
मिनी बस	261	30	229	66	191	44	56	16
दूसरी बसें	593	139	469	86	330	94	108	30
अन्य राज्यों की बसें	49	18	22	10	17	17	10	5
स्कूल बस	0	1	5	2	11	3	6	1
निजी कार	2072	231	2157	204	2292	240	760	85
क्रेन	9	3	7	4	10	7	0	1
साइकिल रिक्शा	3	0	2	1	1	0	1	0
आपूर्ति वैन	19	2	36	11	39	10	13	2
हाथवाली गाड़ियां	3	2	1	0	0	0	1	0
भारी गाड़ियां	658	270	696	284	638	282	174	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मैटाडोर	3	1	15	2	1	0	6	0
सैन्य साहन	14	7	36	8	1	2	3	0
पुलिस वाहन	0	1	3	2	6	0	0	1
स्कूटर/मोटर साईकिल	1173	142	1343	156	1378	182	468	66
स्टीम रोलर	4	6	1	4	0	0	1	0
टैंकर	43	20	51	21	37	20	11	4
टैक्सी	42	9	45	6	81	12	24	5
टैम्पो	658	110	557	160	750	188	212	57
तांगा/रेहड़ा	0	1	0	0	1	0	0	0
ट्रैक्टर	93	36	83	33	71	34	23	12
ट्रैलर/कंटेनर	42	25	25	10	30	19	13	4
तिपाहिया/मोटर साईकिल रिक्शा	271	31	348	34	305	43	113	8
अंजान वाहन	1609	725	1695	723	1608	800	526	268
कुल	7986	1977	8273	2049	8280	2168	2677	704

विवरण II

दिल्ली की सड़कों पर अव्यवस्थित यातायात और यातायात जाम की समस्या हल करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

(1) स्थल पर ही चालान करना;

(2) ऑन-लाइन अभियोजन चालाना;

(3) भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर बसों और वाणिज्यिक माल वाहक वाहनों के विरुद्ध आवधिक रूप से विशेष अभियान चलाना;

(4) उन क्षेत्रों में यातायात कानूनों और नियमों का अपराध-विशिष्ट प्रवर्तन करना जिनमें सड़क अनुशासन और सुरक्षा स्तर में सुधार करने का सीधा संबंध है। सिग्नल का उल्लंघन किए जाने, दोषपूर्ण/खतरनाक ड्राइविंग किए जाने, अवयस्क द्वारा ड्राइविंग किए जाने, सीट की बेल्ट न पहनने, तेज गति से ड्राइविंग करने, हेल्मेट के बगैर सवारी करने, मद्यपान करके ड्राइविंग करने, प्रेशर हार्न का प्रयोग करने, स्टॉप लाइन पार करने, ड्राइव करते समय मोबाइल फोन आदि का प्रयोग किए जाने के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है;

(5) सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, वाणिज्यिक वाहन के ड्राइवरों और स्कूली बच्चों सहित सड़क का इस्तेमाल करने वाले सभी श्रेणियों के लोगों में शिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है;

(6) अल्पावधिक यातायात प्रबंधन स्कीमें चलाने के उद्देश्य से प्रमुख एजेंसियों अर्थात् पी डब्ल्यू डी, एम सी डी, एन डी एम सी, डी डी ए और दिल्ली छावनी बोर्ड का समन्वय और सहयोग प्राप्त किया जाता है;

(7) यातायात जाम दूर करने, सुरक्षित और सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और सड़क दुर्घटनाएं तथा प्रदूषण कम करने के लिए कम लागत और उच्च लागत यातायात प्रबंधन उपाय अपनाना;

(8) कम लागत की यातायात प्रबंधन स्कीमें लागू करके यात्रा समय में कमी करना;

(9) कंप्यूटरीकृत क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू करना;

(10) बिजली की खपत की लागत कम करने के लिए सोलर सिग्नल स्थापित करना और निर्बाध सिग्नल व्यवस्था प्रदान करना, स्पष्ट और बेहतर दिखाई देने वाले यातायात सिग्नलों की व्यवस्था करना;

(11) एक निश्चित दूरी से सिग्नल रिफलेक्टर की दृष्टिगोचरता में सुधार करने के लिए एल ई डी सिग्नल स्थापित करना;

(12) लाल बत्ती पार किए जाने और गति सीमाओं का उल्लंघन किए जाने को रोकने के लिए लाल बत्ती और गति उल्लंघन प्रवर्तन जांच प्रणाली स्थापित करना;

(13) जहां उल्लंघनकर्ता द्वारा उल्लंघन किए गए स्वरूप को उसे दिखाया जा सकता है वहां यातायात कानूनों का निवारण करने, शिक्षित करने और प्रवर्तन करने के लिए चलते-फिरते यातायात कानून प्रवर्तन/शिक्षण यूनिट स्थापित करना;

(14) तेज गति की जांच करने के लिए स्पीड राडार गन;

(15) होटलों, पबों, बारों और उन स्थानों के निकट, जहां लोग मद्यपान करते हैं और वाहन चलाते हैं वहां पर मोटर-चालकों द्वारा मद्यपान करके वाहन चलाये जाने के विरुद्ध औचक जांच करने के लिए मद्यपान का पता लगाने वाला यंत्र;

(16) यातायात का सुरक्षित और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए रिट्रो रिफ्लक्टिव गेजेट्री का प्रावधान;

(17) यातायात का सुचारू प्रवाह बनाए रखने के लिए यातायात सिग्नलों का संक्रमण;

(18) चुने हुए चौराहों पर यातायात की स्थिति पर आन-लाइन नजर रखने के लिए "ट्रैफिक मानीटरिंग सिस्टम" का कार्यान्वयन करना;

(19) "सड़क आपदा प्रबंधन वाहन" नामक एक बहु-उपयोगी वाहन को देश में डिजाइन किया गया, तैयार किया गया और यातायात पुलिस द्वारा उसे उपयोग में लाया गया जिसमें आपात स्थिति में अत्यावश्यक उपयोग के लिए कई प्रकार के औजार और गैजेट होते हैं;

(20) चुने हुए स्थानों पर वेरिएबल मैसेज साइन स्थापित करना ताकि सड़क का उपयोग करने वालों को पूर्व सूचना और सलाह दी जा सके जिससे वे पहले से ही और दूसरे सुविधाजनक स्थानों में जाने/चक्कर लगाने की योजना बना सकें;

(21) यातायात सहायता लाइन-यातायात संबंधी मामलों पर शिकायतें करने/सुझाव देने के लिए आम जनता को चौबीसों घंटे टेलीफोन सं. 23378888 की सुविधा;

(22) यातायात वेबसाइट-दिल्ली यातायात पुलिस ने अपनी वेबसाइट विकसित की है जिस पर यातायात पदाधिकारियों की टेलीफोन संख्या से संबंधित कोई भी सूचना और यातायात पुलिस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सूचना, माउस क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। दिल्ली यातायात पुलिस की यू आर एल, की वेबसाइट पर है;

(23) शिकायतों/सुझाव ई-मेल करने या दिल्ली की सड़कों पर यातायात प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए ई-मेल सुविधा का प्रावधान/वरिष्ठ यातायात अधिकारियों के ई-मेल पते पर है।

(24) ए1 एम एस ट्रैफिक इंफार्मेशन डिस्सेमिनेशन सिस्टम शुरू करना जिसमें यातायात दूसरी ओर मोड़ने, यातायात सिग्नल खराब होने, किसी भी सड़क पर जाम लगाने, सड़क दुर्घटनाओं का ब्यौरा देने, नोटिस का ब्यौरा आदि देने संबंधी सूचना प्राप्त की जा सकती है। ए1 एम एस सुविधा, मोबाइल सं. 911452220 के माध्यम से एक बार आम जनता के 150 सदस्यों द्वारा उपयोग में लाई जा सकती है।

अन्य पिछड़ा वर्ग कोटा का लागू किया जाना

5366. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री पी.सी. थामस:
श्री पन्नियन रविन्द्रन:
श्री प्रबोध पांडा:
श्री के. धनराजू:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री हितेन बर्मन:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री गुरुदास दासगुप्त:

श्री चंद्रकांत खैरः
श्री रवि प्रकाश वर्माः
श्रीमती मनोरमा माधवराजः
श्री पी. करूणाकरनः
श्री असादुद्दीन ओवेसीः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लागू करने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार आईआईटी तथा आईआईएम में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी हां।

(ख) से (घ) मामला न्यायालय के विचाराधीन है। केन्द्र सरकार ने रिट याचिकाओं को एक वृहद पीठ को सौंपने के लिए आवेदन किया है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर आदेश को सुरक्षित रखा है।

अल्पसंख्यक दर्जा

5367. श्री पी.सी. थामसः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के दर्जे का निर्णय किसी सांविधिक निकाय द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उच्च शिक्षा में व्यावसायिक तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं के स्वामित्व या प्रबंधन का अल्पसंख्यक दर्जा निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या है;

(ग) उन व्यावसायिक महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें वर्ष 2006-07 के दौरान आज तक अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया गया/घोषणा की गई;

(घ) क्या राज्य सरकारों के पास इस सम्बन्ध में कोई शक्ति है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा वह उपयुक्त सरकार प्रदान करती है जिसके क्षेत्राधिकार में ये संस्थाएं स्थित होती हैं। इस संबंध में कोई विवाद होने पर प्रभावित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग से सम्पर्क कर सकती हैं। केन्द्र सरकार ने किसी व्यावसायिक कॉलेज को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान नहीं किया है। राज्य सरकारों से इस प्रकार का दर्जा प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 12(ख) के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी किए हैं, की सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

क्र.सं.	संस्था का नाम
1	2
1.	मेस्को इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड कम्प्यूटर साईंसेस, मुस्तैदपुरा, हैदराबाद-500006 (आंध्र प्रदेश)
2.	मेस्को कॉलेज आफ फार्मेसी, मुस्तैदपुरा, हैदराबाद-500006 (आंध्र प्रदेश)
3.	संत निश्छल सिंह महिला शिक्षा कॉलेज, संतपुरा, यमुना नगर
4.	प्रोवीडेन्स कॉलेज आफ टीचर एजुकेशन फार वूमेन, कोजीकोड
5.	रूड़की कॉलेज आफ फार्मेसी, ग्राम किशनपुर, रूड़की (उत्तरांचल)
6.	न्यू जूनियर कॉलेज आफ एजूकेशन, उदगीर, जिला-लातूर
7.	विक्टोरिया कॉलेज आफ एजूकेशन, भोपाल (मध्य प्रदेश)
8.	मालंकारा आर्थोडॉक्स सिरियन चर्च मेडिकल कॉलेज, कालेनचेरी, एर्नाकुलम, केरल

1	2
9.	मार स्लिवा कॉलेज आफ नर्सिंग, चेरपुमकल, पालाई, कोट्टायम, केरल
10.	डा. सोमेरवेल सी.एस.आई. मेडिकल कॉलेज, काराकोनम, त्रिवेन्द्रम, केरल
11.	सी.एस.आई. कॉलेज आफ नर्सिंग, काराकोनम, त्रिवेन्द्रम, केरल
12.	सेंअ जोसेफ कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, पालाई, चूंडाचेरी, कोट्टायम, केरल
13.	वी.आई.एफ. कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, मोइनाबाद मंडल, जिला-आर.आर. (आंध्र प्रदेश)
14.	इर्विंग क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
15.	सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, बोरीविली (पश्चिम), मुम्बई
16.	सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, बोरीविली (पश्चिमी), मुम्बई
17.	सेंट मैरी कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, कोचमपली मंडल, नलगोंडा, आंध्र प्रदेश
18.	सदन कॉलेज आफ फार्मेसी, हिमायत सागर रोड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
19.	डॉन बोस्को टेक्नीकल इंस्टीट्यूट, दर्गा रोड, पार्क सर्कस, कोलकाता
20.	डा. वी.आर.के. वूमेन कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, जिला-आर.आर., हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
21.	अरकाय कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, बोधान, निजामाबाद, आंध्र प्रदेश
22.	आयान कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, मोइनाबाद मंडल, जिला-आर.आर., आंध्र प्रदेश
23.	साधन वूमेन कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, खैराताबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
24.	साफा कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश

1	2
25.	मोना कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, जिला-नलगोंडा, आंध्र प्रदेश
26.	हाई पॉइंट कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, जिला-आर.आर., आंध्र प्रदेश
27.	डा. वी.आर.के. कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, जिला-करीमनगर, आंध्र प्रदेश
28.	सेक्रेड हर्ट इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश
29.	अंजुमन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, भटकल, कर्नाटक
30.	शाज कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, जिला-आर.आर., आंध्र प्रदेश
31.	क्यूबा कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, नल्लौर, आंध्र प्रदेश
32.	शाज कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, जिला-आर.आर., आंध्र प्रदेश
33.	क्यूबा कॉलेज आफ इंजीनियरी एंड टेक्नोलॉजी, नल्लौर, आंध्र प्रदेश
34.	एमटेक फाउंडेशन इंस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीड, महाराष्ट्र
35.	आदर्श महिला प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज आफ एजूकेशन, आनन्द, गुजरात
36.	पुष्पगिरी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर, तिरूवला, केरल
37.	पुष्पगिरी कॉलेज आफ डेंटल साइंसेस, तिरूवला, केरल
38.	पुष्पगिरी कॉलेज आफ फार्मेसी, तिरूवला, केरल
39.	पुष्पगिरी कॉलेज आफ नर्सिंग, तिरूवला, केरल
40.	आईशाबाई कॉलेज आफ एजूकेशन, जे.जे. हास्पिटल, बायकुला, मुम्बई
41.	साफा कॉलेज आफ फार्मेसी बी. गांव टण्डरापाडु, जिला-कुर्नूल, आंध्र प्रदेश

अर्ध-सैनिक बलों में अंशदायी पेंशन योजना

5368. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों से उन्हें नई अंशदायी पेंशन योजना से छूट देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या वित्त तथा रक्षा मंत्रालय ने अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को इस योजना से छूट दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए एक मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) नई अंशदायी पेंशन योजना से छूट दिए जाने के केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के अनुरोध पर और अन्य संबंधित मुद्दों पर विचार किए जाने के लिए एक मंत्री दल का गठन किया गया है। इस संबंध में किसी निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है।

गोला-बारूद का विनिर्माण करने वाली अवैध इकाईयां

5369. श्री अबु अयीश मंडल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में गोला-बारूद का विनिर्माण करने वाली अवैध इकाईयों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि अवैध रूप से शस्त्र और गोलाबारूद का निर्माण करने वाली इकाईयां कुछ राज्यों में मौजूद हैं जहां गुप्त रूप से घरों में स्थित कुटीर-उद्योग स्तर पर यह निर्माण किया जाता है।

(ख) और (ग) राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर अवैध शस्त्र और गोलाबारूद का निर्माण करने वाली इकाईयों की निरंतर जांच करने और उनका भंडाफोड़ करने के लिए कहा जाता है। जनवरी 2007 में भोपाल (मध्य प्रदेश) में नक्सली तत्वों द्वारा चलाई जा रही हथियार और गोलाबारूद का निर्माण करने वाली दो इकाईयों का संबंधित राज्य पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किया गया।

समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देश

5370. श्री एस. अजय कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए दिशानिर्देशों में आंशिक संशोधन करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को विदेशी नागरिकों तथा अनिवासी भारतीयों को नियुक्त करने की भी अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सं. 14/3/2004-प्रेस (भाग-1)
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

निम्नलिखित के लिए दिशानिर्देशों में आशोधन:

(1) समाचार और समसामयिक विषयक संबंधी समाचारपत्रों और आवधिकियों का प्रकाशन।

(2) विदेशी समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करणों का प्रकाशन।

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2007

उपरोल्लिखित विषय पर दिनांक 31 मार्च, 2006 को जारी किए गए मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आंशिक आशोधन में खंड 4 (iv) में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

क्र.सं.	मौजूदा खंड	संशोधित खंड
1.	खंड सं. 4(iv) सभी कंपनी वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए परामर्शदाता (या किसी अन्य पद पर) अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में नई कंपनी में नियुक्त/संलग्न किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी विदेशी/अनिवासी भारतीय के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करेंगी।	खंड सं. 4 (iv) कंपनी, वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए परामर्शदाता (या किसी अन्य पद पर) अथवा नियमित कर्मचारी के रूप में नई कंपनी में नियुक्त/संलग्न किए जाने के लिए प्रस्तावित किसी भी विदेशी/अनिवासी भारतीय के नाम और ब्यौरे के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि तदोपरांत, किसी व्यक्ति को सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं होता है तो कंपनी ऐसे व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

2. अन्य खंड यथावत हैं।

ह.

(बिपुल पाठक)

निदेशक (आई पी)

दूरभाष: 23381592

अवैध आग्नेयास्त्र

5371. श्री उदय सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सहित देश में अवैध आग्नेयास्त्रों का व्यापार फल-फूल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अवैध आग्नेयास्त्रों का प्रयोग अपराधियों द्वारा किया जा रहा है तथा विभिन्न राज्य पुलिस बल या एजेंसियां ऐसी बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने में असफल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अवैध अस्त्रों के विनिर्माण एवं प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अस्त्र अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) यह सुझाने वाली कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि अवैध आग्नेयास्त्रों का व्यापार दिल्ली में या देश के अन्य भागों में फल-फूल रहा है।

(ग) और (घ) कुछेक ऐसे अवैध आग्नेयास्त्र आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तथापि, यह सुझाने वाली कोई जानकारी नहीं है कि राज्य सरकारें उन्हें रोकने में नाकाम रही हैं। भारत सरकार के निदेशों के अंतर्गत, राज्य और संघ शासित क्षेत्र, गैर-लाइसेंसी/अवैध शस्त्रों का पता लगाने के लिए निरंतर अभियान चलाते हैं। किसी भी अपयोजन की रोकथाम हेतु राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नियमित रूप से शस्त्रों के लाइसेंसशुदा व्यापारियों और विनिर्माताओं का उचित निरीक्षण किया जाता है। आयुध अधिनियम में मौजूदा उपबंध, अवैध हथियारों का विनिर्माण करने और इस्तेमाल करने के अपराधों से निपटने और अपराधियों को जवाब तलब करने के लिए काफी प्रभावकारी हैं चूंकि निर्धारित दंड कठोर हैं जो तीन वर्ष की सजा से लेकर आजीवन कारावास/मृत्युदंड तक है।

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के अंतर्गत ऋण सुविधा

5372. डा. टोकचोम मैन्या: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना हैं;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में नए उद्योग शुरू करने के लिए शत-प्रतिशत ऋण सुविधा उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का उक्त ऋण स्वीकृत करते समय स्थानीय लोगों एवं उद्यमियों को प्राथमिकता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 दिनांक 1.4.2007 को अधिसूचित की गई है और यह उसी तारीख से लागू होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला आयोग

5373. श्री अब्दुल्लाकुट्टी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को महिलाओं के प्रति अत्याचार/अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आरोपित व्यक्तियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार/आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय महिला आयोग ने सूचित किया है कि किसी भी राज्य सरकार से उसे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ऋण से जुड़ी पूंजी राजसहायता योजना

5374. श्री विजय कृष्ण: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण से जुड़ी पूंजी राजसहायता योजना (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अद्यतन करने हेतु निर्धारित धनराशि का अल्प उपयोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 के दौरान कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) उक्त योजना के बारे में लघु उद्योग इकाईयों एवं बैंकरों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या अड़चनों को दूर करने के लिए सीएलसीएसएस में संशोधन किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित लघु उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) 31 मार्च 2007 तक या जब तक नोडल अभिकरणों द्वारा वितरित कुल कैपिटल सब्सिडी की संस्वीकृति 600 करोड़ रुपये तक पहुंच जाए, जो भी पहले हो, तक वैध थी।

योजना के आरंभ होने से लेकर 31 मार्च, 2007 तक भारत सरकार द्वारा नोडल अभिकरणों को जारी कुल निधि 116.38 करोड़

रुपये (लगभग) है। इसमें से, 73.5 करोड़ रुपये वर्ष 2006-07 के दौरान जारी किए गए हैं।

(ग) सीएलसीएसएस के बारे में लघु उद्योग इकाइयों और बैंकरों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ सुग्राही/जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) की बैठकों में इस योजना की प्रगति की समीक्षा, बैंक प्रबंधकों के सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में सूचनाएं समाविष्ट करना, न्यूजलेटरों के द्वारा प्रचार, आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता है। सीएलसीएसएस 31.3.2007 को समाप्त हो गई है।

शहरों के नामों में परिवर्तन

5375. श्री सी. एच. विजयशंकर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से कुछ शहरों के नामों में परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को अन्य राज्य सरकारों से भी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) राज्य में 12 शहरों के नामों में परिवर्तन के बारे में कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव की जांच मौजूदा नीति संबंधी निदेश-निर्देशों के संदर्भ में की गई है और प्रक्रिया के अनुसार संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणी मांगी गई है। प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान, पंजाब और मध्य प्रदेश राज्य, प्रत्येक से दो-दो प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य, प्रत्येक से एक-एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

रबड़ पौधरोपण

5376. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में रबड़ पौधारोपण परियोजना भारत-बंग्लादेश सीमा पर घुसपैठ तथा तस्करी रोकने में सक्षम रही है जैसा कि 21 मार्च, 2007 के 'द इकोनॉमिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी योजना का विस्तार अन्य देशों की सीमा पर करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि त्रिपुरा में रबड़ पौधा-रोपण परियोजना, भारत-बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ और तस्करी रोकने में सक्षम हुई हो। किसी भी देश के साथ सटी सीमा पर ऐसी योजना शुरू करने का गृह मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा-पार की अवैध गतिविधियां रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) चौबीसों घंटे गश्त लगाना (पैदल, घोड़े और ऊंट पर, नावों और वाहनों से), नाकेबंदी करना (सीमा पर घात बिछाना) और निगरानी चौकी स्थापित करके सीमा पर नजर रखना। सीमा सुरक्षा बल के जल विंग के वाटर क्राफ्ट तैनात करके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी के तटवर्ती क्षेत्रों पर निगरानी रखी जा रही है।

(2) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाना और तेज रोशनी करना।

(3) सीमा सड़कों का निर्माण करना।

(4) विशेष अभियान चलाना।

(5) सहयोगी एजेंसियों के साथ सहयोग करना।

[हिन्दी]

मदरसों में पढ़ाए जाने वाले विषय

5377. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मदरसों की संख्या कितनी है तथा उनमें कौन-कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार द्वारा राज्य-वार कितने मदरसों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या इन मदरसों में शिक्षा के माध्यम एवं पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर देश में मदरसों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। इन मदरसों में पढ़ाए जा रहे सभी विषयों के ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) राज्यों को जारी किए गये अनुदान और लाभान्वित मदरसों की संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विज्ञान, गणित और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को केवल उन्हीं मदरसों में पढ़ाना आरम्भ किया जाता है, जो स्वैच्छिक रूप से ऐसा करने के लिए आगे आते हैं।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य का नाम	मदरसों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	97	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	
3.	असम	291	
4.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	54	
5.	बिहार	4102	
6.	चंडीगढ़	25	
7.	दादरा व नगर हवेली	1	
8.	दमन व दीव	8	
9.	दिल्ली	254	
10.	गोवा	1	
11.	गुजरात	1727	
12.	हरियाणा	238	
13.	हिमाचल प्रदेश	47	
14.	जम्मू-कश्मीर	शून्य*	
15.	कर्नाटक	323	
16.	केरल	6000	
17.	लक्षद्वीप	33	
18.	मणिपुर	24	
19.	मेघालय	शून्य	
20.	महाराष्ट्र	952	
21.	मध्य प्रदेश	6000	
22.	मिजोरम	शून्य	
23.	नागालैण्ड	शून्य	
24.	उड़ीसा	140	
25.	पांडिचेरी	शून्य	
26.	पंजाब	29	
27.	राजस्थान	1985	
28.	सिक्किम	1	
29.	त्रिपुरा	129	

1	2	3	4
30.	तमिलनाडु	27	
31.	पश्चिम बंगाल	507	
32.	उत्तर प्रदेश	4292	
33.	उत्तरांचल	16	
34.	छत्तीसगढ़	35	
35.	झारखंड	180	
	कुल	27518	

*राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वहां कोई मदरसा नहीं है बल्कि राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित 86 प्राइवेट स्कूल हैं।

विवरण II

मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 तक जारी की गई राशि

(रु. लाखों में)

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
	राशि	मदरसों की संख्या	राशि	मदरसों की संख्या	राशि	मदरसों की संख्या
आंध्र प्रदेश	–	–	35.20	60	48.60	135
बिहार	–	–	79.92	111	–	–
जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	12.60	20
उड़ीसा	–	–	168.96	116	189.84	145
मध्य प्रदेश	421.56	446	384.00	446	287.69	457
महाराष्ट्र	–	–	3.16	4		
केरल	–	–	59.04	84	338.91	429
त्रिपुरा	45.72	127	45.72	127	45.72	127
उत्तर प्रदेश	–	–	235.25	683	2481.96	3380
तमिलनाडु	0.72	1	–	–		
चंडीगढ़	0.72	1	–	–	0.72	2
छत्तीसगढ़	–	–	–	–	242.92	208
कर्नाटक	–	–	–	–	77.41	72
उत्तराखंड	–	–	–	–	109.03	143
कुल	468.72	575	1011.25	1631	3835.40	5118

[अनुवाद]

शिक्षा क्षेत्र में बजट आबंटन

5378. **श्री अबु अयीश मंडल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र के लिए आबंटित किए गए बजट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार शिक्षा क्षेत्र के लिए औसत अंतर्राष्ट्रीय बजट के स्तर को प्राप्त करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई पहलों/ प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न निजी संस्थाओं में गरीब विद्यार्थियों को प्रवेश उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को उचित प्राथमिकता दी है। नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हेतु किए आबंटन में वृद्धि हुई है:

वर्ष	आबंटन (रु. करोड़ में)
2004-05	8225.00
2005-06	15243.76
2006-07	20745.50
2007-08	28674.00

(ख) और (ग) 11वीं योजना दृष्टिकोण-पत्र के अनुसार, सरकार का प्रयास 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के कम-से-कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

(घ) शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है। सरकार का प्रयास प्रारम्भिक स्तर पर सभी को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का है। कोई विद्यार्थी गरीब होने के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को शैक्षिक ऋण प्रदान करने के दिशानिर्देश दिए गए हैं।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

5379. **श्री देविदास पिंगले:**
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष नवोदय विद्यालयों पर धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) इन विद्यालयों को खोले जाने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) ये विद्यालय विद्यमान नवोदय एवं जवाहर विद्यालयों से किस प्रकार भिन्न हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार द्वारा घोषित किए गए नए जवाहर विद्यालय खोल दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों का राज्य-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) योजना आयोग ने यह सूचित किया है कि उन जिलों में जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की पर्याप्त जनसंख्या है वहां विशेष नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इस मामले में कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। 2007-08 के बजट में इस उद्देश्य के लिए 275.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

यूरोप के बाजार में काजू की मांग

5380. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोप के बाजार में भारतीय काजू की बहुत अधिक मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा वर्ष 2007-08 के दौरान यूरोप के देशों को निर्यात किए गए काजू की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) काजू के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इससे कितना राजस्व अर्जित हुआ?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान काजू का हमारा कुल निर्यात 1,18,540 मी. टन का हुआ था जिसका मूल्य 2,455.15 करोड़ रुपए था जिसमें से 843.21 करोड़ रुपए मूल्य के 41,962 मी. टन का निर्यात यूरोपीय देशों को किया गया था। प्रमुख यूरोपीय बाजार नीदरलैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और ग्रीस हैं।

(ग) और (ङ) पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2007-08 के दौरान यूरोपीय देशों को काजू गिरी का निर्यात निम्नानुसार रहा है:

भारत से काजू गिरी का निर्यात

अवधि	यूरोपीय देशों को		कुल निर्यात		%हिस्सा	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (रु./करोड़)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (रु./करोड़)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (रु./करोड़)
2004-05	40822	884.00	126667	2709.24	32.33	32.63
2005-06	41965	947.18	18540	2514.86	37.93	37.66
2006-07	43296	843.21	114143	2455.15	35.40	34.34
2007-08 (अप्रैल, 07)	3036.81	59.85	8312	168.24	36.54	35.57

स्रोत: सीईपीसी द्वारा विभिन्न सीमा शुल्क गृहों से यथासंकलित।

(घ) काजू के निर्यात को बढ़ाने के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजने, व्यापार मेलों में भागीदारी करने, काजू संबंधी साहित्य, सांख्यिकी, व्यापार सूचना आदि प्रकाशित करने जैसे निर्यात संवर्धन के पारस्परिक उपायों के अलावा, काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के जरिए भारत सरकार की एमडीए, एमएआई तथा योजना स्कीमों के अंतर्गत निर्यात संवर्धन कार्यकलाप भी चलाए जाते हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

5381. श्री जुएल ओराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण मानदण्डों में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय संसाधन प्रबंधन मानदण्डों में छूट दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे विश्वविद्यालयों को अपने स्वयं के संसाधन सृजित करने की अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अन्य वित्तीय पुनर्संरचना किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर हेतु औद्योगिक नीति

5382. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर लघु उद्योग संघ के शिष्टमण्डल ने हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा गठित मंत्रियों के समूह से मुलाकात की है तथा अनुरोध किया है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त हो रही पूर्वोत्तर हेतु औद्योगिक नीति (एनईआईपी) को अगले दस वर्षों तक विस्तारित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर हेतु औद्योगिक नीति की सुस्पष्ट शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र उद्योग संघ (एफआईएनईआर) ने पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 में संशोधन संबंधी एक अभ्यावेदन मंत्री समूह को सौंपा था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति को और 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का सुझाव शामिल था।

(ख) और (ग) अब पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में संशोधन कर लिया गया है और दिनांक 1.4.2007 को एक नई नीति, 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपी), 2007' अधिसूचित कर दी गई है। एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

फा.सं. 10(3)/2007-डी.बी.ए.2/एन.ई.आर.
भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007

सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों और दूसरी रियायतों का एक पैकेज अनुमोदित किया है, जिसका नाम 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 होगा। यह पैकेज 1.4.2007 से प्रभावी होगा और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की परिकल्पना है:

(1) दायरा

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति (एनईआईपी), 1997 में जो 24.12.1997 को घोषित की गई थी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा राज्य शामिल थे। एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 के तहत सिक्किम भी शामिल होगा। फलस्वरूप, दिनांक 23.12.2002 के का.ज्ञा. सं. 14(2)2002-एसपीएस के तहत घोषित 'सिक्किम राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति व अन्य रियायतें' एवं उसके तहत स्कीमें अर्थात, केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना, 2002 केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2002 तथा केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना, 2002 जिन्हें दिनांक 24.12.2002 की अधिसूचना सं. फा.सं. 14(2)/2002-एसपीएस द्वारा अधिसूचित किया गया था, 1.4.2007 से बंद कर दी जाएंगी।

(2) अवधि

समस्त नई इकाइयां और मौजूदा इकाइयां, जो पर्याप्त विस्तार करेंगी, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं होगा और जो एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 को अधिसूचित किए जाने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू करेंगी, व्यावसायिक उत्पादन आरंभ करने की तारीख से दस वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।

(3) स्थापना स्थल की निरपेक्षता

सभी नई व मौजूदा औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्याप्त विस्तार करने पर प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे, चाहे वे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं भी स्थित हों। फलस्वरूप, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में 'विशेष बल दिए जाने वाले' तथा 'गैर-विशेष बल वाले' उद्योगों के बीच का अंतर 1.4.2007 से समाप्त कर दिया जाएगा।

(4) पर्याप्त विस्तार

पर्याप्त विस्तार के प्रोत्साहन उन इकाइयों को दिए जाएंगे, जो 'क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजनार्थ संयंत्र और मशीनरी के स्थिर पूंजी निवेश के मान में 25 प्रतिशत या अधिक का वृद्धि' करेंगी, जबकि पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में वृद्धि की यह सीमा $33^1/_2$ प्रतिशत थी।

(5) उत्पाद-शुल्क छूट

जैसा कि पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में व्यवस्था थी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बनाये जाने वाले तैयार उत्पादों पर 100 प्रतिशत उत्पाद शुल्क छूट जारी रखी जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जहां तैयार माल के उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल मध्यवर्ती उत्पादों पर दिया गया 'सेनवेट' (उन उत्पादों को छोड़कर जो अन्यथा मुक्त हैं या जिन पर शून्य शुल्क दर लागू होती है),

तैयार उत्पादों पर क्षेत्र उत्पाद शुल्क से अधिक है, इस प्रकार के फालतू 'सेनवेट' जमा को लौटाने के तरीके वित्त मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किए जाएंगे।

(6) आयकर छूट

एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 के तहत आयकर में 100 प्रतिशत छूट उसी प्रकार जारी रहेगी, जिस प्रकार यह एन.ई.आई.पी., 1997 के तहत उपलब्ध थी।

(7) पूंजी निवेश राजसहायता

पूंजी निवेश राजसहायता को, संयंत्र और मशीनरी में निवेश के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया जाएगा और इस दर से राजसहायता के स्वत: अनुमोदन हेतु सीमा 1.5 करोड़ रुपये प्रति इकाई होगी, जबकि पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 के तहत यह 30 लाख रुपये तक उपलब्ध थी। इस प्रकार की राजसहायता निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र सहकारी क्षेत्र की इकाइयां तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों द्वारा स्थापित इकाइयों के लिए लागू होंगी। 1.5 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन अधिकतम 30 करोड़ रुपये तक की पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान करने के लिए, एक अधिकार प्राप्त समिति होगी जिसके अध्यक्ष सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग होंगे। इस समिति में सदस्यों के तौर पर शामिल होंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग, व्यय विभाग के सचिव, योजना आयोग के प्रतिनिधि, उस उद्योग का विषय देखने वाले भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के सचिव तथा दावा करने वाली इकाई जहां स्थापित की जानी है उस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्य सचिव/सचिव (उद्योग)।

30 करोड़ रुपये से अधिक राजसहायता के पात्र प्रस्तावों को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) ब्याज राजसहायता

एन.ई.आई.आई.पी.पी., 2007 के तहत, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 की ही भांति कार्यशील पूंजी ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज राजसहायता प्रदान की जाएगी।

(9) व्यापक बीमा

नए औद्योगिक एकक और साथ ही उनके पर्याप्त विस्तार पर मौजूदा एकक 100% बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(10) नकारात्मक सूची

निम्नलिखित उद्योग एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे:

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के 24वें अध्याय के तहत आने वाली समस्त वस्तुएं, जो तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू विकल्पों से संबंधित हैं।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के 21वें अध्याय के तहत यथा-शामिल पान मसाला।

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 2.9.1999 की अधिसूचना सं. सां.आ. 705(ई) और दिनांक 17.6.2003 की अधिसूचना सं. सां.आ. 698(ई) द्वारा यथाविनिर्दिष्ट 20 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक के थैले।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के 27वें अध्याय के तहत आने वाली वस्तुएं, जिनका उत्पादन पेट्रोलियम, तैल या गैस रिफाइनरियों द्वारा किया गया हो।

(11) सेवा/अन्य क्षेत्रों संबंधी उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

एनईआईआईपीपी, 2007 के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहन निम्नलिखित सेवा-क्षेत्रों के कार्यकलापों/उद्योगों पर लागू होंगे:

1. सेवा क्षेत्र

(1) होटल (जो दो सितारा श्रेणी से नीचे के न हों), रोपवे सहित साहसिक और फुरसत में खेले जाने वाले खेल;

(2) नर्सिंग होम के रूप में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, जिनमें कम से कम 25 बिस्तरों की क्षमता हो और वृद्धाश्रम;

(3) रोजगारपरक प्रशिक्षण संस्थान, जैसे-होटल प्रबंधन, केटरिंग और फूड क्राफ्ट, उद्यमिता विकास, नर्सिंग और पैरामेडिकल, नागरिक उड्डयन संबंधित प्रशिक्षण, फैशन, डिजाइन और औद्योगिक प्रशिक्षण से संबंधित संस्थान।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को आयकर अधिनियम की धारा 10ए और 10एए के मौजूदा प्रावधानों के तहत कुछ कर रियायतें पहले ही प्राप्त हैं। फिर भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों या सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी एसईजेड के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधनों का उपलब्ध न होना। तदनुसार आयकर अधिनियम की धारा 80 आईसी के तहत यथाप्राप्त कर लाभ सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी प्रशिक्षण केन्द्रों और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी हार्डवेयर एककों को दिए जाएंगे।

2. जैव प्रौद्योगिकी उद्योग हेतु प्रोत्साहन

एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत लाभों के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भी उसी प्रकार पात्र होंगे जिस प्रकार ये अन्य उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं।

3. विद्युत जनित्रण उद्योग के लिए प्रोत्साहन

विद्युत जनित्रण संयंत्रों को आयकर अधिनियम की धारा 81ए के उपबंधों द्वारा यथा प्रशासित प्रोत्साहन मिलना जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत यथालागू परम्परागत तथा गैर-पराम्परागत स्रोतों दोनों पर आधारित 10 एमडब्ल्यू तक के विद्युत जनित्रण संयंत्र भी पूंजी निवेश राजसहायता, ब्याज राजसहायता तथा व्यापक बीमा के लिए पात्र होंगे।

(12) एनईआईआईपीपी, 2007 के क्रियान्वयन हेतु मानीटरिंग तंत्र की स्थापना

इनईआईआईपीपी, 2007 के क्रियान्वयन के लिए एक मानीटरिंग तंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में एक 'उच्च स्तरीय समिति'/एक परामर्शदायी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें राजस्व, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग (डोनर), बैंकिंग तथा बीमा मंत्रालयों/विभाग, के सचिव योजना आयोग के प्रतिनिधि, सीएमडी, एनईडीएफआई के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग संघों सहित प्रमुख पणधारक भी शामिल होंगे। इसके अलावा केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक 'ओवर साइट कमेटी' का गठन किया जायेगा जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के उद्योग मंत्री इसके सदस्य होंगे।

(13) मूल्यवर्धन

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वास्तविक औद्योगिक कार्यकलाप, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत लाभ उन वस्तुओं के बारे में स्वीकार्य नहीं होंगे जिनके लिए केवल परिधीय कार्यकलाप जैसे भंडारण के दौरान परिरक्षण, सफाई संबंधी आपरेशन, पैकिंग, पुनः पैकिंग लेबलिंग अथवा पुनः लेबलिंग, सोर्टिंग, खुदरा बिक्री मूल्य की छपाई में बदलाव आदि होते हैं।

(14) परिवहन राजसहायता योजना

परिवहन राजसहायता योजना 31 मार्च, 2007 से आगे उन्हीं शर्तों पर जारी रहेंगी। तथापि, योजना का पूर्व मूल्यांकन किया जायेगा ताकि संभावित रहस्योद्‌घाटन तथा दुरूपयोग को रोकने के आवश्यक सुरक्षोपाय शुरू किए जा सकें।

(15) नोडल एजेंसी

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) का एनईआईआईपीपी, 2007 के अंतर्गत राजसहायताओं के संवितरण हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना जारी रहेगा।

2. दिनांक 24 दिसंबर, 1997 के का.ज्ञा. सं.ईए/1/2/96-आईपीडी (एनईआईपी, 1997) के तहत घोषित "पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतें" 1 अप्रैल, 2007 से बंद हो जायेगी। वे औद्योगिक एकक, जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2007 को अथवा इससे पूर्व शुरू कर दिया है, इनईआईपी, 1997 के अंतर्गत लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त करते रहेंगे।

3. सरकार के पास जनहित में नीति के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अपने संबंधित अधिनियमों/नियमावलियों/अधिसूचनाओं आदि में संशोधन करने और इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हिदायतें जारी करने का अनुरोध है।

(एन.एन. प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

निम्नलिखित को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग तथा योजना आयोग।

(2) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों के मुख्य सचिव।

(3) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्यों के सचिव (उद्योग)।

(4) पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहाटी।

निम्न को भी प्रतिलिपि प्रेषित:

(1) मंत्रिमंडल सचिवालय

(2) प्रधान मंत्री का कार्यालय (पीएमओ)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना

5383. श्री राकेश सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के 9वीं-12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत केवल 172 पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मद्देनजर ऐसे पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम के अंतर्गत सम्पूर्ण देश में कुल 1000 छात्रवृत्तियों में से 75 छात्रवृत्तियां अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। पुरस्कारों की संख्या मध्य प्रदेश सहित किसी विशेष राज्य के लिए निर्धारित नहीं है।

[अनुवाद]

वीरता पुरस्कार

5384. श्री बापू हरी चौरे: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऑल इंडिया प्रेजिडेंट्स डिस्टिंग्विश्ड एण्ड मेरिटोरियस पुलिस मेडल अवार्डीज वेलफेयर एसोसिएशन से अन्य पुरस्कारों को वीरता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस पदकों के समान बनाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) ऑल इंडिया प्रेजिडेंट डिस्टिंग्विश्ड एंड मेरिटोरियस पुलिस मैडल आवार्डीज वेलफेयर एसोसिएशन ने वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को मिलने वाली सुविधा के समान ही उन्हें सुविधा दिए जाने की मांग की है। तथापि, सेवा पदक और वीरता पदक, दो अलग-अलग प्रकार की श्रेणियों के पदक हैं और इन्हें अलग-अलग प्रयोजनार्थ दिया जाता है। वीरता पदक, विशिष्ट वीरता के लिए दिया जाता है जब कि सेवा पदक, उत्कृष्ट/महत्वपूर्ण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को दिया जाने वाला मौद्रिक भत्ता, पदक से संबंधित नियमों के उपबंधों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन नियमों के तहत सेवा पदक प्राप्तकर्ताओं को कोई मौद्रिक भत्ता दिए जाने का प्रावधान नहीं है। राज्य सरकारों आदि द्वारा वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को कुछ अन्य लाभ भी दिए गए हैं।

मकान किराया भत्ता (एच आर ए) का भुगतान

5385. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अर्द्ध-सैनिक बलों में कार्यरत कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों को एच आर ए के भुगतान के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने अर्द्ध-सैनिक बलों, विशेषकर सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के नए भर्ती किए गए उन कार्मिकों को एच आर ए प्रदान किया है जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तथा जो मेस में रह रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन कार्मिकों को परिसर के बाहर उचित आवास आवंटित करने का है, जो मेस में रहना नहीं चाहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में विभिन्न रैंकों को सरकारी आवास या मकान किराया भत्ता (एच आर ए)/क्वार्टर के

बदले में मुआवजा (सी आई एल क्यू) निम्नलिखित प्राधिकार के अनुरूप प्रदान किया जाता है:

(1) कांस्टेबल (प्रविष्टि ग्रेड)-कुल संख्या का 35% ।

(2) हैड कांस्टेबल-कुल संख्या के 47% से 95% तक।

(3) अधीनस्थ अधिकारी-कुल संख्या के 25% से 100% तक।

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले नये भर्ती किए गए कार्मिक, समग्र प्राधिकृत प्रतिशतता के भीतर एच आर ए/सी आई एल क्यू के लिए भी पात्रता रखते हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय पुलिस बल कार्मिकों को ऑपरेशनल स्थिति की अपेक्षा के अनुरूप बैरेक/मैस आवास में रहना होता है। परिवार आवास या एच आर ए/सी आई एल क्यू भी प्राधिकार और उपलब्धता के अनुरूप प्रदान किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहन

5386. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष सत्याग्रह आंदोलन के 100 वर्ष और स्वतंत्रता संघर्ष के 150 वर्ष मनाने के मद्देनजर सरकार का विचार विशेष पैकेज के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ग) सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में अन्य कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) *पेंशन में वृद्धि:* स्वतंत्रता सेनानी और मृतक स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नी/पति की पेंशन को 2 अक्टूबर, 2006 से 6000 रुपए मासिक से बढ़ाकर 10,000 रुपए मासिक कर दिया गया है।

(2) *प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की समिति:* स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित मुद्दों पर विचार किए जाने के लिए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति गठित की गई है ताकि वह स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सुविधाओं में सुधार संबंधी सुझाव तुरंत उपलब्ध करा सके और मुद्दों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जा सके। इस समिति का गठन 26.2.2007 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 25.4.2007 को आयोजित की गई थी।

(3) *स्मारक डाक टिकट:* संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सत्याग्रह आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने का अनुमोदन कर दिया है।

(4) *राज्यों की पहलें:* सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे यह देखें कि स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को उनके द्वारा इस समय प्रदान की जा रही सुविधाओं में सुधर हो।

छोटी वस्त्र इकाइयां

5387. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्रों की वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है और छोटी वस्त्र इकाइयां अच्छा व्यापार करने के लिए कमर कस रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान भारतीय वस्त्रों की अनुमानित मांग कितनी होगी तथा इसमें लघु वस्त्र क्षेत्र तथा हथकरघा क्षेत्र का कितना-कितना हिस्सा होगा; और

(घ) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने तथा बुनकरों एवं हथकरघा क्षेत्र को नियमित कार्य के आर्डर प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्य विभाग के डीजीसीआईएंडएस के अनंतिम अध्याय-वार व्यापार आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2006-07 के दौरान वस्त्र के कुल निर्यात में 2005-06 की तुलना में 7.67% की वृद्धि हुई है। तथापि, सरकार वस्त्र निर्यात के इकाई-वार आंकड़े नहीं रखती है। अध्याय-वार वस्त्र निर्यात के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

अध्याय	मद	2005-06	2006-07 (अनंतिम)
50	रेशम	392.43	385.56
51	ऊन	80.88	85.44
52	कपास	2984.23	3786.82
53	अन्य वेज वस्त्र फाइबर	157.49	179.26
54	मानव-निर्मित फिलामेंटस	917.06	1010.37
55	मानव-निर्मित स्टेपल फाइबर	822.87	1017.18
56	वेडिंग नॉन वूवन रोपस	86.42	93.68
57	कालीन	1121.14	1173.12
58	विशेष वूवन फैब्रिक्स, टफ्टेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स, लेस, टेपस्ट्रीज, ट्रिमिंग्स, इम्ब्रायडरी	152.64	144.63
59	इम्प्रिगनेटेड, कोटेड, कवर्ड अथवा लेमिनेटेड टेक्सटाइल फेब्रिक्स, औद्योगिकी प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रकार का वस्त्र सामान	79.04	83.96
60	निटेड अथवा क्रोचेटेड फेब्रिक्स	49.62	75.17
61	अपैरल एवं क्लोदिंग उपस्कर का सामान, निटेड अथवा क्रोचटेड	3191.13	3617.99
62	अपैरल एवं क्लोदिंग उपस्कर का सामान, निटेड अथवा क्रोचेटेड नहीं	5435.50	5271.88
63	अन्य मेडअप टेक्सटाइल आर्टिकल्स, सेटस, वोर्म क्लोदिंग एंड वोर्न टेक्सटाइल आर्टिकल्स, रैग्स	2380.69	2295.36
	कुल वस्त्र निर्यात (मिलियन अमरीकी डालर)	17851.13	19220.42

(ग) 2007-08 से 2009-10 तक वस्त्र ओर अपैरल का अनुमानित निर्यात

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

क्र.सं.	मद	2007-08	2008-09	2009-10
1.	सिलेसिलाए परिधान	12987	17355	23593
2.	सूती वस्त्र	5645	7573	9185
3.	मानव-निर्मित वस्त्र	2574	3012	3524
4.	ऊन एवं ऊनी वस्त्र	110	124	141
5.	रेशम वस्त्र	497	542	590
	कुल	21813	28606	37033
6.	हस्तशिल्प	1653	1917	2224
7.	कयर एवं कयर विनिर्मित	198	234	276
8.	पटसन	360	417	484
	कुल योग	24024	31174	40017

(घ) वस्त्र मदों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(1) सरकार ने उत्तर प्रदेश में भदोही, मुरादाबाद और कश्मीर में श्रीनगर में और इनके आस-पास समूहों के विकास के लिए पहल की है।

(2) सरकार ने इरोड, श्रीविल्लिपुत्तूर, करूर आदि (तमिलनाडु), नगरी, जमालमदुगु (आंध्र प्रदेश), कन्नूर (केरल), भागलपुर (बिहार) और फलिया (पश्चिम बंगाल) के ग्रामीण/सुदूर स्थानों में स्थित हथकरघा समूहों में खरीद/उत्पादन केन्द्र स्थापित किए हैं। सरकार उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उत्पाद विकास परियोजनाएं भी चला रही है।

(3) डिजाइन विकास, उत्पाद तकनीक और गुणवत्ता आदि में सुधार के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन तथा सहायता देने के लिए बुनकरों और कारीगरों के साथ सीधी बातचीत।

(4) हथकरघा उत्पादों की प्रमाणिकता के प्रमाणन के लिए सरकार ने 28 जून, 2006 को "अथाकरघा मार्क" योजना शुरू की। इस योजना में हथकरघा मार्क वाले हथकरघा उत्पादों के निर्यात कारोबार के 50% के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य की 2.5% की दर से शुल्क ऋण सुविधा की अनुमति है।

(5) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(6) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनाक्षित कर दिया है।

(7) इन क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(8) कपास की उत्पादकता एवं गुणता में सुधार के लिए सरकार ने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), शुरू किया है। बेहतर कृषि प्रथाओं, गुणवत्ता की बीजों, बाजार अवसंरचना में सुधार तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(9) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" तथा "वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना" का विलय कर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(10) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा माननिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(11) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(12) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिनिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(13) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.2005 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(14) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की आठ शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(15) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई है ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

[हिन्दी]

नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम

5388. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत स्कूलों में उत्तर माध्यमिक स्तर पर एक नया व्यावसायिक पाठ्यक्रम आईएफएम शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने स्कूलों में आई एफ एम पाठ्यक्रम शुरू किया गया है;

(घ) क्या आई एफ एम पाठ्यक्रम चलाने के लिए किसी प्रमुख संस्थान का सहयोग लिया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) शैक्षिक सत्र, 2007-08 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध कुछ चयनित स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वित्तीय मार्केट प्रबंधन में एक नया व्यवसायिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इस पैकेज हेतु पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम सामग्री विभिन्न स्टेकहोल्डरों एवं उद्योग की सहायता से तैयार की गई है। यह पाठ्यक्रम नेशनल स्टाक एक्सचेंज, मुम्बई के सहयोग से शुरू किया गया है और इसके लिए संयुक्त रूप से प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध 75 स्कूलों का इस पाठ्यक्रम के संचालन हेतु चयन किया गया है, लेकिन इनमें से कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है।

हस्तशिल्प को बढ़ावा

5389. श्री महावीर भगोरा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने शिल्पकारों को लाभ पहुंचा;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए विपणन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कार्यक्रमों से कितने लोगों को लाभ पहुंचा तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार बेची गई हस्तशिल्प वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में चयनित शिल्प कलस्टरों के लिए एकीकृत विकास हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई); विपणन एवं सहायता सेवा; डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; निर्यात संवर्धन; अनुसंधान एवं विकास; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना; क्रेडिट गारंटी, हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना और राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजनाएं राज्य विशिष्ट नहीं हैं और देशभर में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभान्वित शिल्पियों की संख्या संलग्न विवरण-I में उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार रिलीज की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में उपलब्ध है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार आयोजित विपणन कार्यक्रमों और लाभान्वित लोगों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में उपलब्ध है। विपणन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार बेची गई हस्तशिल्प वस्तुओं का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

विवरण I

वर्ष (2004-05) के दौरान राज्य-वार और योजना-वार लाभार्थियों की संख्या

क्रमांक	राज्य	ए एच वी आई	नि.सं.	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	बीमा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	323	12	200			120	5650	6950
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0					135		135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	अरुणाचल प्रदेश	0			200				200
4.	असम	1790	9	1000	200	645	2700	5849	12193
5.	बिहार	1034	5	180		15		304	1538
6.	चण्डीगढ़	0							0
7.	छत्तीसगढ़	265		100			60	615	1040
8.	दिल्ली	120	40	1700	100	1905	30	1087	4982
9.	गोवा	0				300	481	781	
10.	गुजरात	8266		250		210	20	1978	10724
11.	हरियाणा	350			100	525			975
12.	हिमाचल प्रदेश	1315		50		420	250	3945	5980
13.	झारखण्ड	600		60		45			705
14.	जम्मू-कश्मीर	1710	12	120		330	1515	2920	6607
15.	कर्नाटक	373		450		780	30	2421	4054
16.	केरल	570				330	15	6205	7120
17.	मध्य प्रदेश	982	6	1250		600		1429	4267
18.	महाराष्ट्र	190		200		915		1233	2538
19.	मणिपुर	700		420		30	480		1630
20.	मेघालय	0		60					60
21.	मिजोरम	165		60		15	120		360
22.	नागालैण्ड	695	5	60			880		1640
23.	उड़ीसा	555		600		330	95	8611	10191
24.	पंजाब	133		60		345	75	1118	1731
25.	पांडिचेरी	0					15		15
26.	राजस्थान	475		250		555	20	1756	3056
27.	सिक्किम	0				150			150
28.	तमिलनाडु	3530		50		390	180	5381	9531
29.	त्रिपुरा	840		210					1050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	उत्तर प्रदेश	3441	9	1080	200	1845	2680	7151	16406
31.	उत्तरांचल	0		280		345	235		860
32.	पश्चिम बंगाल	2150	10	1200		630	15	3293	7293
	कुल	30572	108	9890	800	12300	9670	61427	124767

वर्ष (2005-06) के दौरान राज्य-वार और योजना-वार लाभार्थियों की संख्या

क्रमांक	राज्य	ए एच वी वाई	नि.सं.	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	बीमा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3952	3	420		970	280	6418	12043
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0							0
3.	अरुणाचल प्रदेश	500		120			20		640
4.	असम	2356	25	1390	200	915	150	4408	9444
5.	बिहार	1070		90	200	390	40	5310	7100
6.	चण्डीगढ़	0							0
7.	छत्तीसगढ़	0	5			150			155
8.	दिल्ली	400	142	1800		1080	60	167	3649
9.	गोवा	200		150	100	165	20	349	984
10.	गुजरात	16600		270		750	90	5872	23582
11.	हरियाणा	520		180		660	40		1400
12.	हिमाचल प्रदेश	296		260		915	40	2461	3972
13.	झारखंड	300		270		195	110		875
14.	जम्मू-कश्मीर	2090	12	630		855	770	3356	7713
15.	कर्नाटक	1660	3	150		405	50	2670	4938
16.	केरल	285				210	10	10595	11100
17.	मध्य प्रदेश	1684	9	250		690	120	2241	4994
18.	महाराष्ट्र	0		470		420	145	1977	3012
19.	मणिपुर	3405		800		360	110		4675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	मेघालय	300		80		150	30		560
21.	मिजोरम	75							75
22.	नागालैण्ड	1330		330			330	120	2110
23.	उड़ीसा	550		600		540	70	3287	5047
24.	पंजाब	133		350		210	10	1459	2162
25.	पांडिचेरी	0				175	150		325.
26.	राजस्थान	750		630		720		2599	4699
27.	सिक्किम	0					10		10
28.	तमिलनाडु	630		500		360	305	4127	5922
29.	त्रिपुरा	513					30		543
30.	उत्तर प्रदेश	3620	10	2200	200	1470	1515	10205	19220
31.	उत्तरांचल	100		150		405	120		775
32.	पश्चिम बंगाल	1615	5	700		495	10	2943	5768
	कुल	44934	214	12790	700	13985	4425	70444	147492

वर्ष (2006-07) के दौरान राज्य-वार और योजना-वार लाभार्थियों की संख्या

क्रमांक	राज्य	एएचवीवाई	नि.सं.	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	बीमा	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1600	6	300	200	1590	70	6204	9970
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0							0
3.	अरुणाचल प्रदेश	200			100		20		320
4.	असम	1140	60	400	300	1470	70	12071	15511
5.	बिहार	828			200	405	80	2935	4448
6.	चण्डीगढ़	0							0
7.	छत्तीसगढ़	0		60					60
8.	दिल्ली	700	96	470	200	2055	200	1597	5318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	गोवा	200				165		379	744
10.	गुजरात	750		110	100	765	10	9135	10870
11.	हरियाणा	300		90	100	540	30		1060
12.	हिमाचल प्रदेश	220			100	765	40	2994	4119
13.	झारखंड	1030				330	10		1370
14.	जम्मू-कश्मीर	720		180	200	210	70	3871	5251
15.	कर्नाटक	247	3	300	200	570	40	3266	4626
16.	केरल	600			100	315	20	9756	10791
17.	मध्य प्रदेश	1613				480	50	1775	3918
18.	महाराष्ट्र	500				525	20	1813	2858
19.	मणिपुर	1025		80	100	900	80		2185
20.	मेघालय	300			100	150	10		560
21.	मिजोरम	200			100		10		310
22.	नागालैण्ड	810				315	20		1145
23.	उड़ीसा	1370		390	300	1650	170	3841	7721
24.	पंजाब	256		60		60	60	1509	1945
25.	पांडिचेरी	0			100	150	10		260
26.	राजस्थान	250	3	200	100	825	10	6669	8057
27.	सिक्किम	0		30					30
28.	तमिलनाडु	1077	139	240	200	405	50	8888	10999
29.	त्रिपुरा	112		50					162
30.	उत्तर प्रदेश	4270	6	700	200	3810	370	9458	18814
31.	उत्तरांचल	860		30		825	70	3631	5416
32.	पश्चिम बंगाल	1562	6	280	300	345	40	5889	8422
	कुल	22740	319	3970	3300	19620	1630	95681	147260

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, योजना-वार रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	राज्य	निर्यात	विपणन एवं सहायता सेवाएं	डिजाइन	प्रशिक्षण	एसएचटीपी	अनु. एवं वि.	कल्याण योजना	बीमा योजना	ए एच वी आई	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	1.37	11.92	18.28	4.45	4.88	30.00	0.00	0.00	177.42	248.32
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	14.87	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	27.71	44.56
4.	असम	27.47	49.78	43.94	10.90	70.98	0.00	1.75	0.00	326.40	531.22
5.	बिहार	3.28	8.87	3.48	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	15.63	34.66
6.	दिल्ली	568.69	287.55	0.00	1.50	0.71	34.04	0.00	0.00	33.60	926.09
7.	गोवा	0.00	0.00	374.77	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	375.78
8.	गुजरात	5.83	43.32	57.62	0.00	4.67	20.44	0.00	0.00	108.04	239.92
9.	हरियाणा	0.00	39.42	0.00	1.10	2.88	4.97	0.00	0.00	31.72	80.09
10.	हिमाचल प्रदेश	0.00	13.38	3.63	1.14	7.90	0.00	0.00	0.00	125.03	151.08
11.	झारखण्ड	0.00	1.27	0.84	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	10.91	16.60
12.	जम्मू-कश्मीर	156.57	84.39	439.45	0.00	24.44	9.12	0.00	0.00	54.18	768.15
13.	कर्नाटक	0.00	40.03	11.16	3.56	6.75	0.00	0.00	0.00	40.32	102.46
14.	केरल	0.00	10.08	0.00	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	44.32	59.82
15.	मध्य प्रदेश	11.55	34.38	80.15	0.53	2.29	0.00	0.00	0.00	69.73	198.63
16.	महाराष्ट्र	20.00	38.15	4.13	0.00	1.35	2.25	0.00	0.00	33.04	98.92
17.	मणिपुर	0.00	10.44	12.4	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	17.74	47.06
18.	मेघालय	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
19.	मिजोरम	0.00	3.32	10.00	0.48	1.62	0.00	0.46	0.00	16.59	32.47
20.	नागालैण्ड	0.67	5.69	35.19	1.20	14.64	0.00	1.20	0.00	12.04	70.63
21.	उड़ीसा	0.00	46.70	80.05	0.65	6.27	0.00	0.00	0.00	76.79	190.46
22.	पंजाब	0.00	3.67	1.80	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00	15.12	24.42
23.	पाण्डिचेरी	0.00	5.55	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.17	6.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	राजस्थान	0.00	114.03	49.88	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	88.01	254.38
25.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	तमिलनाडु	63.11	19.39	97.75	10.25	7.73	0.00	5.25	0.00	31.15	234.63
27.	त्रिपुरा	0.00	13.87	3.80	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	49.09	68.94
28.	उत्तर प्रदेश	46.27	105.01	305.91	0.00	94.27	10.50	0.00	0.00	261.06	823.02
29.	उत्तरांचल	0.00	22.49	15.23	0.34	9.44	0.00	0.00	0.00	21.14	68.64
30.	पश्चिम बंगाल	27.85	21.72	117.83	0.00	10.88	4.58	0.00	0.00	166.41	349.27
31.	छत्तीसगढ़	0.00	2.18	14.85	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	19.34	38.98
	कुल	932.66	1051.47	1762.74	36.10	307.44	115.90	8.66	0.00	1873.34	6088.31*

*टिप्पणी: उपरोक्त व्यय सहायता अनुदान योनजाओं के अंतर्गत हस्तशिल्प के विकास से जुड़े क्रियाकलापों से संबंधित है।

वर्ष 2005-06 के दौरान हस्तशिल्प योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार, योजना-वार रिलीज की गई निधियां

क्रमांक	राज्य	एएचवीवाई	डिजाइन	एमएसएस	निर्यात	प्रशिक्षण सहित एसएचटीपी	अनु. एवं वि.	बीमा योजना	कल्याण योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	267.74	42.60	62.70	21.67	16.35	30.00			440.96
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.	0.00	0.00	8.59				8.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	27.56	0.85	0.00	0.00	0.80				29.21
4.	असम	342.24	57.75	172.22	69.90	21.52	9.92		5.00	678.55
5.	बिहार	13.76	6.02	15.33	0.00	5.84				40.95
6.	छत्तीसगढ़	11.24	0	4.24	10.00	0.00				25.48
7.	दिल्ली	16.31	107.13	236.28	879.16	4.41	33.74			1277.03
8.	गोवा	1.00	10.05	5.75		0.80				17.60
9.	गुजरात	329.61	7.65	39.10		2.52				401.22
10.	हरियाणा	36.57	7.65	39.10		2.52				85.84
11.	हिमाचल प्रदेश	96.8	23.25	75.14		11.75				206.94
12.	झारखंड	18.00	2.60	41.66		1.68				63.94
13.	जम्मू-कश्मीर	115.14	710.53	70.23	287.25	112.02	5.00		20.00	1320.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	कर्नाटक	65.37	5.95	11.83		3.10	3.00			89.25
15.	केरल	94.18	0	13.81	8.79	0.20			1.10	118.08
16.	मध्य प्रदेश	70.73	17.38	41.12	25.86	4.88	1.50			161.47
17.	महाराष्ट्र	18.78	25.15	35.57		12.10			2.75	94.35
18.	मणिपुर	76.37	50.70	27.04		12.28			10.00	176.39
19.	मेघालय	1.50	4.85	3.56		1.20				11.11
20.	मिजोरम	0.37	0.85	0.00		0.00				1.22
21.	नागलैण्ड	40.06	6.8	19.00		18.13				83.99
22.	उड़ीसा	207.	48	26.50	70.31		10.19			314.48
23.	पंजाब	56.97	11.90	5.76		1.19				75.82
24.	पॉण्डिचेरी	0.00	0.00	4.70		7.21				11.91
25.	राजस्थान	58.59	36.11	63.70		0.00				158.40
26.	सिक्किम	0.00	0	0.00		0.40				0.40
27.	तमिलनाडु	93.76	28.92	19.70	2.43	28.96				173.77
28.	त्रिपुरा	36.76	3.60	0.00		3.98				44.34
29.	उत्तर प्रदेश	363.48	423.98	268.40	62.38	136.43	1.91			1376.50
30.	उत्तरांचल	40.13	1.70	31.88		12.20				85.91
31.	पश्चिम बंगाल	120.17	29.96	23.66	42.93	2.05	4.62			223.39
	कुल	2620.67	2160.33	1419.95	1410.37	444.54	92.63	*100.00	38.85	7797.34

*टिप्पणी: उपरोक्त व्यय सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत हस्तशिल्प के विकास से जुड़े क्रियाकलापों से संबंधित है।

वर्ष 2006-07 के दौरान विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	राज्य	एएचवीवाई	नि.संव.	अनु. एवं वि.	डिजाइन	प्रशिक्षण	विपणन	एसएचटीपी	रा.गा.शि. स्वा.यो.	बीमा योजना	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	189.84	22.23		24.86	2.2	131	33.79			403.92
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0		0	0	0	0			0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	38.14			0	11	0	547			44.71
4.	असम	228.13	70.93	1.35	99.3	3.3	136.41	44.73			584.15
5.	बिहार	22.7			3.5	4.15	20.64	9.38			60.37
6.	चण्डीगढ़	0			0		35	0			35
7.	छत्तीसगढ़	11.97	16.39		1.8		0	0			30.16
8.	दिल्ली	46.33	825.27	18.81	107.41	6.64	181.11	20.42			1205.99
9.	गोवा	1			0		8.06	4.68			13.74
10.	गुजरात	238.94	5		30.84	1.1	42.75	3.7			322.33
11.	हरियाणा	59.82			6.02	1.1	34.07	11.52			112.53
12.	हिमाचल प्रदेश	76.61			5.24	1.1	56.93	5.54			145.42
13.	झारखण्ड	26.25			0.84		20.64	6.36			54.09
14.	जम्मू-कश्मीर	85.21	5		282.25	2.2	11.99	124.18			510.83
15.	कर्नाटक	32.3	13.48		28.69	2.36	57.11	10.47			144.41
16.	केरल	49.23	4.9	3.09	0	1.1	18.77	1.52			78.61
17.	मध्य प्रदेश	44.76	21.11	1.65	0.85	0	22.61	9.88			100.86
18.	महाराष्ट्र	14.92			5.94		71.25	8.36			100.47
19.	मणिपुर	163.36	3.63	3.21	20.15	1.1	52.96	34.05			278.46
20.	मेघालय	0.98			0	1.1	5.75	8.32			16.15
21.	मिजोरम	36.38			0	1.1	0.00	2.34			39.82
22.	नागालैण्ड	15.32			0.85	0	12.6	20.38			49.15
23.	उड़ीसा	155.53			32.88	3.3	55.85	30.36			277.92
24.	पंजाब	56.43			12.07	0	5.75	9.92			84.17
25.	पांडिचेरी	0			0	1.1	11.48	2.68			15.26
26.	राजस्थान	172.29	5.06		11.75	1.1	100.33	1.32			291.85
27.	सिक्किम	0			0.85	0	0.00	2.23			3.08
28.	तमिलनाडु	129.31	64.4	1.35	9.2	3.05	63.67	16.18			287.16
29.	त्रिपुरा	46.15			4	0	0	0			50.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	उत्तर प्रदेश	568.43	33.348	43.91	414.63	14.58	264.02	121.82			1460.87
31.	उत्तरांचल	63.89			5.96	0	32.56	16.2			118.61
32.	पश्चिम बंगाल	72.34	29.01	1.5	12.15	8.8	27.83	10.62			162.25
	कुल	2646.56	1119.89	74.87	1122.03	61.58	1481.14	576.42	501	0	7583.49*

*टिप्पणी: उपरोक्त व्यय सहायता अनुदान योजनाओं के अंतर्गत हस्तशिल्प के विकास से जुड़े क्रियाकलापों से संबंधित है।

विवरण III

पिछले तीन वर्षों (2004-05 से 2006-07 तक) के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र में आयोजित विपणन कार्यक्रमों और लाभान्वित लोगों का विवरण

क्रमांक	राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
		कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	645	13	970	16	1590
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
4.	असम	7	645	16	915	26	1470
5.	बिहार	1	15	8	390	9	405
6.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	-	-	1	150	-	-
8.	दिल्ली	28	1905	27	1080	29	2055
9.	गोवा	2	300	2	165	2	165
10.	गुजरात	5	210	14	750	15	765
11.	हरियाणा	8	515	8	660	9	540
12.	हिमाचल प्रदेश	10	420	16	915	15	765
13.	झारखण्ड	3	45	4	195	4	330
14.	जम्मू-कश्मीर	4	330	12	855	5	210
15.	कर्नाटक	7	780	9	405	11	570

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	केरल	4	330	5	210	3	315
17.	मध्य प्रदेश	4	660	10	690	5	480
18.	महाराष्ट्र	7	915	10	420	8	525
19.	मणिपुर	2	30	6	360	6	900
20.	मेघालय	-	-	1	150	1	150
21.	मिजोरम	1	15	-	-	-	-
22.	नागालैण्ड	-	-	4	330	3	315
23.	उड़ीसा	4	330	9	540	29	1650
24.	पंजाब	5	345	5	210	4	60
25.	पांडिचेरी	-	-	2	175	1	150
26.	राजस्थान	10	555	12	720	10	825
27.	सिक्किम	1	150	-	-	-	-
28.	तमिलनाडु	8	390	6	360	9	405
29.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
30.	उत्तर प्रदेश	33	1845	35	1470	65	3810
31.	उत्तरांचल	5	345	9	405	10	825
32.	पश्चिम बंगाल	6	630	6	495	14	345
	कुल	172	12300	250	13985	309	19620

[अनुवाद]

साक्षरता दर

5390. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 1991 की जनगणना की तुलना में प्राप्त की गई दशकीय साक्षरता वृद्धि दर का लिंग-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में कौन-कौन से राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र लिंग-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार शीर्ष पर रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) 2001 की जनगणना के अनुसार पिछले दशक के दौरान देश में साक्षरता दर में 12.63% की बढ़ोत्तरी हुई है। पुरुष साक्षरता में 11.13% और महिला साक्षरता में 14.38% वृद्धि हुई है। साक्षरता दरों और उनमें दशकीय अंतर को दर्शाने वाला लिंग-वार और राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 2001 की जनगणना के अनुसार 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय औसत से अधिक संपूर्ण दशकीय साक्षरता वृद्धि दर (12.63%), 12 राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक महिला साक्षरता वृद्धि दर (14.38%) और 10 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक पुरुष साक्षरता वृद्धि दर (11.13%) दशाई है, जैसा कि संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर 1991			साक्षरता दर 2001			दशकीय अंतर		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	55.12	32.72	44.08	70.32	50.43	60.47	15.20	17.71	16.39
2.	अरुणाचल प्रदेश	51.45	29.69	41.59	63.83	43.53	54.34	12.38	13.84	12.75
3.	असम	61.87	43.03	52.89	71.28	54.61	63.25	9.41	11.58	10.36
4.	बिहार	51.37	21.99	37.49	59.68	33.12	47.00	8.31	11.13	9.51
5.	छत्तीसगढ़	58.07	27.52	42.91	77.38	51.85	64.66	19.31	24.33	21.75
6.	गोवा	83.64	67.09	75.51	88.42	75.37	82.01	4.78	8.28	6.50
7.	गुजरात	73.13	48.64	61.29	79.66	57.80	69.14	6.53	9.16	7.85
8.	हरियाणा	69.10	40.47	55.85	78.49	55.73	67.91	9.39	15,26	12.06
9.	हिमाचल प्रदेश	75,36	52.13	63.86	85.35	67.42	76.48	9.99	15.29	12.62
10.	जम्मू-कश्मीर	उ.न.	उ.न.	उ.न.	66.60	43.00	55.52	–	–	–
11.	झारखंड	55.8	25.52	41.39	67.30	38.87	53.56	11.50	13.35	12.17
12.	कर्नाटक	67.26	44.34	56.04	76.10	56.87	66.64	8.84	1253	10.60
13.	केरल	93.62	86.17	89'.81	94.24	87.72	90.86	0.62	1.55	1.05
14.	मध्य प्रदेश	58.54	29.35	44.67	76.06	50.29	63.74	17.52	20.94	19.07
15.	महाराष्ट्र	76.56	52.32	64.87	85.97	67.03	76.88	9.41	14.71	12.01
16.	मणिपुर	71.63	47.60	59.89	80,33	60.53	70.53	8.70	12.93	10.64
17.	मेघालय	53.12	44.85	49.10	65.43	59.61	62.56	12.31	14.76	13.46
18.	मिजोरम	85.61	78.60	82.27	90.72	86.75	88.80	5.11	8.15	6.53
19.	नागालैण्ड	67.62	54.75	61.65	71.16	61.46	66.59	3.54	6.71	4.94
20.	उड़ीसा	63,09	34.68	49.09	75.35	50.51	63.08	12.26	15.83	13.99
21.	पंजाब	65.66	50.41	58.51	75.23	63.36	69.65	9.57	12.95	11.14
22.	राजस्थान	54.99	20.44	38.55	75.70	43.85	60.41	20.71	23.41	21.86
23.	सिक्किम	65.70	46.76	56.94	76.04	60.40	68.81	10.34	13.64	11.87
24.	तमिलनाडु	73.75	51.33	62.66	82.42	64.43	73.45	8.67	13.10	10.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	त्रिपुरा	70.58	49.65	60.44	81.02	64.91	73.19	10.44	15.26	12.75
26.	उत्तरांचल	72.79	41.63	57,75	83.28	59.63	71.62	10.49	18.00	13.87
27.	उत्तर प्रदेश	54.82	24.37	40.71	68.82	42.22	56.27	14.00	17.85	15.56
28.	पश्चिम बंगाल	67.81	46.56	57.36	77.02	59.61	68.64	9.21	13.05	11.28
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	78.99	65.46	73.02	86.33	75.24	81.30	7.34	9.78	8.28
30.	चंडीगढ़	82.04	72.34	77.81	86.14	76.47	81.94	4.10	4.13	4.13
31.	दादरा व नगर हवेली	53.56	26.98	40.71	71.18	40.23	57.63	17.62	13.25	16.92
32.	दमन और दीव	82.66	59.40	71.20	86.76	65.61	78.18	4.10	6.21	6.98
33.	दिल्ली	82.01	66.99	75.29	87.33	74.71	81.67	5.32	7.72	6.38
34.	लक्षद्वीप	90.18	72.89	81.78	92.53	80.47	86.66	2.35	7.58	4.88
35.	पांडिचेरी	83.68	65.63	74.74	88.62	73.90	81.24	4.94	8.27	6.50
	संपूर्ण भारत	64.13	39.29	52.21	75.26	53.67	64.84	11.13	14.38	12.63

विवरण II

राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्शाने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

I. संपूर्ण साक्षरता दर

1. राजस्थान (21.86%)
2. छत्तीसगढ़ (21.75%)
3. मध्य प्रदेश (19.07%)
4. दादरा और नगर हवेली (16.92%)
5. आंध्र प्रदेश (16.39%)
6. उत्तर प्रदेश (15.56%)
7. उड़ीसा (13.99%)
8. उत्तरांचल (13.87)
9. मेघालय (13.46%)
10. अरुणाचल प्रदेश (12.75%)
11. त्रिपुरा (12.75%)

II. महिला साक्षरता दर

1. छत्तीसगढ़ (24.33%)
2. राजस्थान (23.41%)
3. मध्य प्रदेश (20.94%)
4. उत्तरांचल (18.00%)
5. उत्तर प्रदेश (17.85%)
6. आंध्र प्रदेश (17.71%)
7. उड़ीसा (15.83%)
8. हिमाचल प्रदेश (15.29%)
9. हरियाणा (15.26%)
10. त्रिपुरा (15.26%)
11. मेघालय (14.76%)
12. महाराष्ट्र (14.71%)

III. पुरुष साक्षरता दर

1. राजस्थान (20.71%)
2. छत्तीसगढ़ (19.31%)
3. दादरा और नगर हवेली (17.62%)
4. मध्य प्रदेश (17.52%)
5. आंध्र प्रदेश (15.20%)
6. उत्तर प्रदेश (14.00%)
7. अरुणाचल प्रदेश (12.38%)
8. मेघालय (12.31%)
9. उड़ीसा (12.26%)
10. झारखंड (11.50%)

[हिन्दी]

नकली वस्त्र सामग्री

5391. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राजस्थान में प्रसिद्ध कोटा डोरिया साड़ियां तथा मध्य प्रदेश में चंदेरी साड़ियों की नकल से उत्पन्न हुए संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की वस्त्र सामग्री की क्षेत्रीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए वस्त्र सामग्री की इस नकल पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार किसी कार्य योजना के माध्यम से कोटा डोरिया और चंदेरी साड़ियों के उत्पादन को बढ़ावा तथा प्रोत्साहन देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोटा डोरिया और चंदेरी साड़ियों के बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) भारत सरकार को कोटा डोरिया और चंदेरी साड़ियों की नकल के कारण उत्पन्न हुए संकट की कोई सूचना नहीं मिली है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों ने सूचित किया है कि चंदेरी और कोटा डोरिया साड़ियां को माल का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत करके संरक्षित किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार चंदेरी कोटा डोरिया साड़ियों सहित उत्पादों के प्रोत्साहन और विकास के लिए विभिन्न हथकरघा योजनाओं को कार्यान्वित करती रही है। राजस्थान सरकार ने कोटा डोरिया साड़ियों के विकास के लिए व्यापक परियोजना तैयार की है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(च) कोटा डोरिया और चंदेरी साड़ियों की बाजार में अच्छी मांग है।

[अनुवाद]

विकलांग बच्चे

5392. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) को बहुत से विषयों में अच्छे अंक लाने में शारीरिक रूप से विकलांग तथा दृष्टिहीन बच्चों को हो रही कठिनाईयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने का सी बी एस ई का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जानकारी दी है कि उसने शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को पहले से ही कुछ छूट एवं रियायतें दे रखी हैं, जैसाकि मानसिक रूप से विकृत, दृष्टिहीन और मूक/बधिर विद्यार्थियों को तृतीय भाषा की परीक्षा में बैठने से छूट; कक्षा 10 तथा 12 में बोर्ड के शारीरिक तथा स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के स्थान पर फिजियोथेरापी अभ्यास; कक्षा 10 में दो अनिवार्य भाषाओं के स्थान पर एक भाषा के अध्ययन का विकल्प।

बोर्ड परीक्षा हेतु निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं:

(1) कक्षा-10 स्तर के लिए गणित, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक विज्ञान तथा इंग्लिश कम्युनिकेटिव विषयों के पेपरों में दृष्टिमूलक जानकारी वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्नों की व्यवस्था करना।

(2) कक्षा 12 स्तर हेतु इतिहास, भूगोल तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों के पेपरों में दृष्टिमूलक जानकारी वाले प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्नों की व्यवस्था करना।

(3) कक्षा-10 स्तर पर गणित तथा विज्ञान विषयों के पेपरों में दृष्टिहीन विद्यार्थियों हेतु बड़े अक्षरों वाले प्रश्न पत्रों की अलग से व्यवस्था करना।

(4) दिल्ली क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले दृष्टिहीन विद्यार्थियों को उत्तर लिखने हेतु टाइपराइटरों/कंप्यूटरों के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(5) कक्षा 10 तथा 12 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों को एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाता है।

(6) लिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी जाती है।

(7) उत्तर-पुस्तिकाओं का अलग से मूल्यांकन किया जाता है।

(8) दिल्ली में परीक्षाओं में बैठने वाले दृष्टिहीन विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी जाती है।

(9) शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की सुविधा हेतु विशेष परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जाती है।

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उपनियमों में प्रत्येक सम्बद्ध संस्थान के लिए यह निर्धारित किया गया है कि वह ढलानों, शौचालयों एवं स्वचालित सीढ़ियों पर श्रव्य सिग्नलों जैसी सुविधाओं की व्यवस्था करें।

(ख) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव उसके विचारार्थ नहीं है। तथापि, उत्तर-पुस्तिकाओं के उचित मूल्यांकन करने के प्रयोजनार्थ शिक्षकों को समुचित रूप से संवेदनशील बनाया जाता है।

निजी जासूसी एजेंसियां

5393. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी जासूसी एजेंसियों के कार्यकरण के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी जासूसी एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित करने तथा उन्हें कानून के दायरे में लाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) इस समय सरकार के पास निजी जासूसी एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कोई विनियामक नहीं है। अत: निजी जासूसी एजेंसियों के कार्यकरण के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार देश में मौजूद सभी निजी जासूसी एजेंसियों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून की परिधि में कार्य करते हैं और विनियामक तंत्र के प्रति जवाबदेह हैं।

(ङ) इस संबंध में एक विधेयक शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

अर्ध-सैनिक बलों हेतु पुनर्वास बोर्ड

5394. श्री मिलिन्द देवरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्द्ध-सैनिक बलों (पीएमएफ) हेतु एक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड (डब्लयूआरबी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या उक्त बोर्ड हेतु सरकार द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बोर्ड स्थायी निकाय है अथवा अस्थायी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों (सी पी एम एफ) के कार्मिकों के लिए कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी) के गठन हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है। यह बोर्ड बारी-बारी से नियुक्ति के आधार पर सी पी एम एफ के महानिदेशक की अध्यक्षता में सभी सी पी एम एफ से लिए गए सात सदस्यों से बने एक शीर्ष निकाय के तहत कार्य करेगा और यह बोर्ड सेवा के दौरान मृतक कार्मिकों के आश्रितों की चिकित्सा आधार पर अयोग्य घोषित किए गए कार्मिकों की और अन्यं भूतपूर्व-केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल के कार्मिकों की देखभाल करेगा।

यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को मान्यता

5395. श्री के.एस. राव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा प्रत्येक राज्य में उच्च शिक्षा तथा विशुद्ध विज्ञान के पाठ्यक्रम चलाने वाले कितने विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार ज्ञान क्षितिज में विस्तार करने में सक्षम मूल विचारक तैयार करने के लिए चार विषयों के विशेष अध्ययन हेतु चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, अंतर-विषयीय अधिगम प्रकृति और ज्ञान के दो संबंधित क्षेत्रों का गहन अध्ययन वाला दो वर्षीय स्नातकोत्तर अध्ययन जिसके पश्चात् डाक्टरेट उपाधि हेतु अनुसंधान पाठ्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956' की धारा 2 (एफ) के तहत प्रत्येक राज्य में मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्यों के नाम	विश्वविद्यालयों की संख्या	राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या	राज्य विधानमण्डल अधिनियम के तहत स्थापित संस्थान
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	22	-	02
2.	अरुणाचल प्रदेश	02	-	-
3.	असम	06	01	-
4.	बिहार	15	-	01
5.	चंडीगढ़	02	01	-
6.	छत्तीसगढ़	08	-	-
7.	गोवा	01	-	-
8.	गुजरात	21	-	-
9.	हरियाणा	08	-	-

1	2	3	4	5
10.	हिमाचल प्रदेश	05	-	-
11.	जम्मू-कश्मीर	07	-	01
12.	झारखंड	07	-	-
13.	कर्नाटक	24	-	-
14.	केरल	09	01	-
15.	मध्य प्रदेश	17	-	-
16.	महाराष्ट्र	41	01	-
17.	मणिपुर	02	-	-
18.	मेघालय	01	-	-
19.	मिजोरम	01	-	-
20.	नागालैण्ड	01	-	-
21.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	16	02	-
22.	उड़ीसा	12	-	-
23.	पांडिचेरी	01	-	-
24.	पंजाब	11	01	-
25.	राजस्थान	21	-	-
26.	सिक्किम	01	-	-
27.	तमिलनाडु	35	02	-
28.	त्रिपुरा	02	-	-
29.	उत्तर प्रदेश	33	01	01
30.	उत्तरांचल	10	01	-
31.	पश्चिम बंगाल	18	02	-
	कुल	360	13	05

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति संबंधी अध्ययन

5396. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-2004 की अवधि हेतु पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा नौकरियों के सृजन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां। वर्ष 2004 में टाटा इकोनॉमिक कन्सल्टेंसी सर्विसेज (टीईसीएस) द्वारा पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 1999 से सितम्बर, 2004 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर में कुल 1,067.28 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कुल 681 एकक स्थापित किए गए और 20,709 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ।

(ख) कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) टी.ई.सी.एस. के प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 1.4.2007 को एक नई पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007 अधिसूचित की गई है, जिसके द्वारा इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहन प्राप्त होने की आशा है।

अध्यापकों के कॉलेजों की संबद्धता

5397. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने कई शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता जारी की है परंतु तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों ने एनसीटीई के मानदंडों के अनुपालन के अभाव में उन्हें संबद्ध नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान एनसीटीई द्वारा तमिलनाडु में अध्यापकों की शिक्षा के कितने कॉलेजों को मान्यता/अनुमति प्रदान की है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर तमिलनाडु में अध्यापकों को शिक्षा के कॉलेजों की बढ़ती संख्या को विनियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता प्रदान न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में मान्यता प्रदान की गई अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	तमिलनाडु राज्य में मान्यता प्रदान की गई अध्यापक शिक्षा कालेजों की संख्या
2004-05	193
2005-06	394
2006-07	428

(घ) और (ङ) संस्थाओं अथवा अतिरिक्त प्रवेश संख्या/पाठ्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया, समय-समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, नियम तथा विनियमों में निर्धारित की गई है। संस्था विशेष को अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए मानदंडों तथा मानकों से सम्बद्ध सभी निर्धारित शर्तों को अवश्य पूरा करना चाहिए। इन मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों, आवास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अन्य भौतिक सुविधाओं, योग्य स्टाफ जिसमें शिक्षण तथा शिक्षणेतर कार्मिक शामिल होते हैं, आदि से संबंधित शर्तों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने तथा मानदंड एवं मानक निश्चित करने की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु विनियम नवम्बर, 2002 में प्रतिपादित किए थे। इन विनियमों के अधिक्रमण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम (मान्यता, मानदंड तथा प्रक्रिया) को दिसम्बर, 2005 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधिसूचित किया गया तथा 13.1.2006 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन विनियमों में यह प्रावधान है कि पूरी तरह से भरे हुए आवेदनों पर आवेदन प्राप्ति से 30 दिन के भीतर संबद्ध क्षेत्रीय समिति के कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाएगी। विवरण संबद्ध क्षेत्रीय समिति की सरकारी वेबसाइट पर डाले जाने होते हैं। तत्पश्चात संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र की एक प्रति कि साथ लिखित संसूचना की एक प्रति राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भेजी जाएगी। संसूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन 60 दिनों के अंदर आवेदनों पर अपनी सिफारिशें क्षेत्रीय समिति के कार्यालय को भेजेंगे। यदि सिफारिशें नकारात्मक हैं तो राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उसके विस्तृत कारण/आधार बताएंगे जिसे आवेदन निर्णय लेते समय क्षेत्रीय समिति ध्यान में रख सकें। यदि 60 दिनों के निर्धारित समय में राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से कोई संसूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह मान लिया जाएगा कि संबद्ध राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

आवेदक संस्था द्वारा अपेक्षित मानदण्डों को पूरा किया गया है, इस बात से आश्वस्त होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की सम्बद्ध क्षेत्रीय समिति मान्यता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के मानदण्डों तथा मानकों तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के अन्य प्रशिक्षण प्रावधानों, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों का पालन कर रही हैं, मान्यता-प्राप्त संस्थाओं को सम्बद्ध क्षेत्रीय समितियों को निर्धारित प्रपत्र में कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होती है। क्षेत्रीय समितियों में इन रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है तथा कमियों को दूर करने के लिए उन्हें संस्था के ध्यान में लाया जाता है। इसके अलावा एन.सी.टी.ई. अधिनियम के खण्ड 13 के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त संस्थाओं के निरीक्षण एन.सी.टी.ई. मुख्यालय द्वारा किए जाते हैं और एन.सी.टी.ई. अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन में कमी को निवारण के लिए संस्थाओं के ध्यान में लाया जाता है।

यह ध्यातव्य है कि जबकि एन.सी.टी.ई. की चार क्षेत्रीय समितियों को मान्यता के आवेदनों के अनुमोदन अथवा रद्दकरण का अधिदेश प्राप्त है, क्षेत्रीय समितियों द्वारा पारित आदेशों पर अपीलीय प्राधिकार एन.सी.टी.ई. अधिनियम के खण्ड 18 के तहत परिषद (एन.सी.टी.ई.) के पास है। यह भी ध्यातव्य है कि इस अधिनियम के खण्ड 16 में यह भी अधिदेश दिया गया है कि एन.सी.टी.ई. अधिनियम के खण्ड 14 और 15 के तहत संबद्ध क्षेत्रीय समिति से मान्यता प्राप्त किए बिना संस्थाओं के कोई परीक्षा निकाय संबद्धता, अनंतिम अथवा अन्यथा, प्रदान नहीं करेंगे अथवा परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे।

शुल्क मुक्त गेहूं का आयात

5398. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार न केवल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए शुल्क-मुक्त गेहूं के आयात हेतु समय बढ़ा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) दिनांक 1 मार्च, 2002 की राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमाशुल्क में गेहूं के आयात पर सीमाशुल्क की शर्तरहित शून्य दर निर्धारित की गई है। यह दर 31 दिसम्बर, 2007 तक वैध है।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री रोजगार योजना

5399. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किए गए ऋण का राज्य-वार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को पीएमआरवाई के अंतर्गत आवेदकों को ऋण प्रदान न करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पी.एम.आर.वाई. के तहत राज्य वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चूककर्ता बैंक जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनके संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(च) लाभग्राहियों से प्राप्त शिकायतों को सही कार्रवाई हेतु संबंधित बैंक को संदर्भित किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा भी विभिन्न कदम उठाए जाते हैं जिनमें बैंक को ऋण स्वीकृति-पत्र की एक प्रतिलिपि संबंधित जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) को पृष्ठांकित करने को कहा जाता ताकि वह लाभग्राहियों को वितरण-पूर्व की औपचारिकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकें, बैंकों को अनुदेश देना कि वह आवेदन-पत्रों का निपटारा निर्धारित समय अवधि के अंदर करें, बशर्ते कि ऋण आवेदन अन्य सभी प्रकार से पूर्ण हो, शामिल है। जिला चयन समिति को परियोजनाओं तथा लाभग्राहियों का चयन तथा सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए अनुदेश भी जारी किए गए हैं।

विवरण I

पीएमआरवाई के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त ऋण का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बैंकों द्वारा संवितरित ऋण (लाख रु. में)		
		2003-04	2004-09	2005-06
1	2	3	4	5
1.	हरियाणा	4258.84	4294.93	5272.34
2.	हिमाचल प्रदेश	2232.75	2285.89	2438.78
3.	जम्मू-कश्मीर	621.27	667.47	583.89
4.	पंजाब	4728.70	5141.36	4966.79
5.	राजस्थान	7078.78	7087.30	7830.71
6.	चंडीगढ़	42.09	123.16	45.99
7.	दिल्ली	624.08	557.12	480.89
8.	असम	3863.75	5724.27	3635.78
9.	मणिपुर	367.97	304.23	349.96
10.	मेघालय	347.49	529.40	515.14
11.	नागालैण्ड	49.36	102.45	3121.58
12.	त्रिपुरा	1527.01	1379.653	1642.31

1	2	3	4	5
13.	अरुणाचल प्रदेश	608.86	434.80	397.55
14.	मिजोरम	826.50	133.20	439.52
15.	सिक्किम	22.23	22.80	19.76
16.	बिहार	8163.68	8887.83	9359.65
17.	झारखंड	3953.63	3783.49	3560.89
18.	उड़ीसा	5739.25	6819.02	7991.59
19.	पश्चिम बंगाल	1889.35	2534.39	3245.55
20.	अंडमान एवं निकोबार	130.29	109.21	109.26
21.	मध्य प्रदेश	12127.05	12738.88	12592.48
22.	छत्तीसगढ़	2087.12	1987.65	2130.18
23.	उत्तर प्रदेश	27171.63	29211.20	29709.28
24.	उत्तरांचल	3648.40	4468.32	5202.88
25.	गुजरात	3252.41	3058.89	3197.72
26.	महाराष्ट्र	9599.54	11953.16	12732.17
27.	दमन एवं दीव	2.10	3.51	10.66
28.	गोवा	90.54	35.20	36.64
29.	दादरा एवं नगर हवेली	0.00	15.00	16.00
30.	आंध्र प्रदेश	11125.44	14718.59	12402.79
31.	कर्नाटक	7166.13	8866.82	11635.13
32.	केरल	7508.50	8487.30	10407.66
33.	तमिलनाडु	4914.67	6752.80	7540.70
34.	लक्षद्वीप	11.21	2.72	3.90
35.	पांडिचेरी	130.24	918.19	1094.47
	विनिर्दिष्ट नहीं	843.64	918.19	1094.47
	अखिल भारतीय	136754.50	154278.51	164874.45

स्रोत: आर बी आई

विवरण II

चूककर्ता बैंकों का विवरण, जिनके विरुद्ध ऋण प्रदान न करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल प्राप्त शिकायतें	मुख्य चूककर्ता बैंकों के नाम
वर्ष 2004-05			
1.	असम	2	भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक लि., विजया बैंक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स
2.	दिल्ली	1	
3.	हरियाणा	2	
4.	हिमाचल प्रदेश	1	
5.	झारखण्ड	2	
6.	महाराष्ट्र	2	
7.	तमिलनाडु	4	
9.	उत्तर प्रदेश	1	
	कुल	15	
वर्ष 2005-06			
1.	असम	11	यूको बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, करूर वैश्य बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2.	कर्नाटक	1	
3.	मध्य प्रदेश	1	
4.	महाराष्ट्र	2	
5.	राजस्थान	1	
6.	तमिलनाडु	11	
7.	त्रिपुरा	1	
8.	उत्तर प्रदेश	1	
	कुल	29	
वर्ष 2006-07			
1.	असम	4	यूनाइटेड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, आंध्र बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
2.	बिहार	1	
3.	हिमाचल प्रदेश	1	
4.	तमिलनाडु	4	
5.	उत्तर प्रदेश	7	
	कुल	17	

टेलीफोन टैपिंग

5400. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन टैप करने के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व अनुमति अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय ने फोन-टैप करने के लिए राज्य-वार कितने मामलों में अनुमति दी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 5(2) और उक्त अधिनियम के तहत निर्मित नियमों के अनुरूप, भारत सरकार में केवल केन्द्रीय गृह सचिव और राज्य सरकारों के मामलों में सचिव, प्रभारी गृह विभाग, भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था के हित में और अपराध के उत्प्रेरण की रोकथाम हेतु संदेशों के अवरोधन के लिए प्राधिकृत हैं। यह सुनिश्चित करने हेतु कठोर कानूनी प्रणाली विद्यमान है कि इस शक्ति का इस्तेमाल केवल ऐसे मामलों में हो जो उक्त उपबंधों की परिधि में आते हैं और ऐसे मामलों में ब्यौरों को प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

[अनुवाद]

डीटीएच ब्रॉडकास्टरों हेतु मूल्य निर्धारण

5401. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) ब्रॉडकास्टर अपने चैनलों के लिए मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) जीं, हां।

(ख) देश के अधिकांश भागों में विनियामक अधिदेश द्वारा वृत्तिभोगी केबल टी वी सेवाओं के लिए एक संबोधनीय प्रणाली के जरिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं है। केबल टी वी सेवाओं हेतु कैस को अधिसूचित क्षेत्रों में अनिवार्य बनाया गया है जोकि देश के बहुत सीमित भाग में हैं। उन सभी क्षेत्रों में जहां कैस लागू नहीं है, बाजार में प्रभुत्व रखने वाले वृत्तिभोगी केबल टेलीविजन ऑपरेटरों के लिए किसी विनियामक अधिदेश द्वारा एक संबोधनीय प्रणाली की शुरूआत करना अपेक्षित नहीं है। इसलिए, डी टी एच सेवाओं हेतु कीमत निर्धारण के विनियमन का संभावित अर्थ यह निकाला जा सकता है कि नए प्रवेशी डी टी एच ऑपरेटर, वितरण की वृत्तिभोगी पद्धति, जिसका बाजार में प्रमुख हिस्सा है, की तुलना में विषमता से विनियमित होते हैं।

(ग) सरकार की राय यह है कि सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि होने पर बाजार की शक्तियों से कीमतों में कमी होगी।

एमएमटीसी, एसटीसी और पीईसी का विलय

5402. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमएमटीसी, एसटीसी तथा प्रोजेक्ट एण्ड इक्विपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक कंपनी के रूप में विलय होने का प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के "बिजनैस स्टेंडर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा विलय के तौर-तरीके क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार ने कंपनियों के कर्मचारी संघों के साथ कोई वार्ता की है;

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) इन कंपनियों का कब तक विलय होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) उदारीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएमटीसी लि., एसटीसी लि. और पाईसी लि. की भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन करने और इन संगठनों के व्यवसाय नमूनों तथा प्रक्रियाओं और उनके दीर्घकालिक

स्थायित्व तथा वृद्धि के लिए अनुशंसित व्यवसाय नमूने और प्रक्रियाओं को अंगीकृत करने के लिए अपेक्षित ढांचागत परिवर्तन यदि कोई हों, की सिफारिश करने के लिए एक परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया गया था।

(ग) और (घ) एमएमटीसी लि., एसटीसी लि. और पीईसी लि. को सरकार द्वारा परामर्शदाता फर्म की सिफारिशों पर अपने फीड बैक के लिए कर्मचारियों से परामर्श करने के लिए कहा गया है।

(ङ) इन संगठनों के विलय के मुद्दे पर अभी तक सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

[हिन्दी]

कपास की खरीद

5403. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसंबर, 2006 में कपास की बंपर फसल होने के बावजूद भी सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की तुलना में कपास को कम मूल्य पर खरीदा गया है;

(ख) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार, मूल्यों के नयूनतम समर्थन मूल्य के स्तर तक गिर जाने के दिन से ही अपनी नामित एजेंसियां नामत: भारतीय कपास निगम लि. और नेफेड के माध्यम से बिना किसी मात्रात्मक प्रतिबंधों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अभियान चलाती है।

[अनुवाद]

जनश्री बीमा योजना

5404. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/हेल्परों द्वारा देय प्रीमियम को माफ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/हेल्परों से प्राप्त प्रीमियम से कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) और (ख) भारत सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए दिनांक 1.4.2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना शुरू की है।

इस स्कीम के तहत किश्त की राशि प्रति सदस्य 280 रुपये वार्षिक है, जिससे से 100 रुपये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा कोष से, 100 रुपये भारत सरकार द्वारा तथा 60 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं (बीमित सदस्य) द्वारा दिये जाते हैं। कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं द्वारा दी जाने वाली 80 रुपये की राशि दिनांक 1.4.2007 से दो वर्षों लिए माफ कर दी गई है।

(ग) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं द्वारा दी गई किश्त से अब तक प्राप्त कुल राशि वर्ष 2004-05 में 4,62,56,720 रुपये, वर्ष 2005-06 में 3,87,97,600 रुपये और वर्ष 2006-07 में 3,67,70,640 रुपये है।

[हिन्दी]

खाद्य वस्तु संबंधी पेटेन्ट नियम

5405. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा पेटेन्ट नियमों में जटिलताओं के कारण भारतीय कंपनियों को अपनी खाद्य वस्तुओं का पेटेन्ट प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसे नियमों को सरल बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन खाद्य वस्तुओं के क्या नाम हैं जिनका सरकार द्वारा अभी तक पेटेन्ट किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पेटेन्ट कार्यालय ने निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के लिए उत्पाद पेटेन्ट प्रदान किए हैं:

पेटेन्ट संख्या	आवेदक	आविष्कार का शीर्षक
200285	श्री कृष्णामचारी रामू और सुश्री लवण्या रामू	लो ग्लीसमिक स्वीट्स
194205	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	उन्नत फैट स्प्रेड कम्पोजीशन

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज न करना

5406. श्री काशीराम राणा:
श्री तुकाराम गणपतराव रैंगे पाटील:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज न करने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक केन्द्र सरकार को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी शिकायतों के आधार पर रैंकवार दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अनुदेश जारी किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और सदन के पटल पर रखी दी जाएगी।

तीर्थ यात्रियों पर अत्याचार

5407. श्री सज्जन कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में वैष्णों देवी जाने वाले तीर्थयात्रियों को अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों द्वारा धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार जैसी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अर्द्ध सैनिक बल के को नए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार तीर्थयात्रियों के साथ अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों द्वारा धक्का-मुक्की और दुर्व्यवहार किए जाने के किसी भी ममाले की कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

[अनुवाद]

विज्ञान अनुसंधान में सुधार

5408. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में देश की स्थिति में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय पद्धति के अंतर्गत बुनियादी विज्ञान अनुसंधान को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रो. एम.एम. शर्मा की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया था। अपनी रिपोर्ट में कार्यबल ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान वैज्ञानिकों के 1000 पदों का सृजन, दस वर्षों के उपयुक्त स्तर के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों से पी.एच.डी. करने वालों की संख्या में पांच गुणा वृद्धि, संयुक्त अनुसंधान परियोजना तथा प्रशिक्षण के माध्यम से विश्वविद्यालयों और सी एस आई आर प्रयोगशालाओं सहित राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं के बीच औपचारिक संबंध को प्रोन्नत करना, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अनुसंधान का अंतर्निहित घटक, गुणवत्तापरक वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए विश्वविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना और सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के अग्रणी विभागों में बुनियादी विज्ञानों में नेटवर्किंग केन्द्रों की स्थापना की भी सिफारिश की है। सरकार द्वारा ये सिफारिशें मंजूर कर ली हैं और इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कार्यबल को एक अधिकार प्राप्त समिति का दर्जा दे दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निधियों के आबंटन के लिए इन प्रस्तावों को अपनी योजना में सम्मिलित कर लिया है। राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों को हाल ही में अप्रैल, 2007 में नई दिल्ली में हुए राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इन पहलों के बारे में अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

एन सी ई आर टी पुस्तकों की गुणवत्ता

5409. श्री रशीद मसूद: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन सी ई आर टी द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों की गुणवत्ता स्तरीय नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसे सुधारने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 के अनुरूप प्रकाशित की गई पाठ्य-पुस्तकें पाठ्य-पुस्तक विकास दलों ने तैयार की है जिनमें राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित विषय विशेषज्ञ तथा विद्वान शामिल हैं। समृद्ध विषय-वस्तु वाली इन पाठ्य-पुस्तकों में प्रत्येक विषय से संबंधित नवीनतम जानकारी शामिल की गई है। इन पाठ्य-पुस्तकें में प्रयुक्त किए गए कार्टूनों तथा रंग-बिरंगे दृष्टांतों के कारण ये पाठ्य-पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए काफी आनन्ददायक एवं रोचक पठन सामग्री बन गई हैं।

[अनुवाद]

खनिज अन्वेषण कार्य

5410. श्री पनियन रवीन्द्रन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा विभिन्न राज्यों विशेषकर केरल में खनिज अन्वेषण हेतु शुरू किए कार्यों के ब्यौरे क्या है;

(ख) क्या ऐसे क्षेत्रों में खनन क्रियाकलापों का वाणिज्यिक अन्वेषण शुरू हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में केरल में खनन की क्या संभावनाएं हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम ई सी एल) ने देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न खनिजों के लिए विस्तृत गवेषण किया है। इसके द्वारा अब तक 1,26,513 मिलियन टन खनिज भण्डारों की पुष्टि की जा चुकी है। प्रमाणिक किए गए राज्यवार भण्डार, संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

केरल राज्य में, एमईसीएल ने स्वर्ण के लिए प्रारंभिक गवेषण और चूनापत्थर के लिए विस्तृत गवेषण किया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

खनिज	ब्लॉक	जिला	भण्डार (मिलियन टन)
स्वर्ण	माक्दा-नीलाम्बर	मल्लापुरम	1.07
चूनापत्थर	वालायर	पलक्कड	23.66

(ख) और (ग) केरल राज्य में, वालायर चूनापत्थर भण्डार में एमईसीएल द्वारा प्रमाणित किए गए चूनापत्थर भण्डारों के आधार पर मै. मालाबार सीमेंट द्वारा सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया है।

ऐसे अन्य खनिज सम्भवित-स्थल जहां एमईसीएल द्वारा किए गए कार्य के आधार पर गवेषण/खनन कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं, नीचे दिए गए हैं:

(1) पूर्वी तट बॉक्साइट भण्डार के पंचपटमाली बॉक्साइट भण्डार भाग को नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) द्वारा विकसित किया गया है;

(2) मलंजखण्ड ताम्र सम्भावित-स्थल को हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एच सी एल) द्वारा ओपनकास्ट के जरिए विकसित किया गया है;

(3) बनवास ताम्र भण्डार का विदोहन एचसीएल द्वारा किया जा रहा है;

(4) हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड (एच जी एम एल) ने हट्टी स्वर्ण भण्डार के स्वर्ण का गवेषण आरंभ किया है;

(5) भपलीमाली बॉक्साइट भण्डार का इण्डाल (आई एन डी ए एल) द्वारा खनन किया गया है।

(6) झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में एमईसीएल द्वारा गवेषित अनेक कोयला ब्लॉक्स को कोल इण्डिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा विकसित किया गया है;

(7) लिग्नाइट भण्डारों के लिए एमईसीएल के गवेषण प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में पिट हेड विद्युत संयंत्र की स्थापना की जा सकी।

(घ) केरल में, विभिन्न खनिजों के संसाधनों के आधार पर, भविष्य में ग्रेनाइट, गारनेट, ग्रेफाइट, स्वर्ण, लौह अयस्क (मेग्नेटाइट), क्वार्टज/सिलिका बालू, क्यानाइट और टेल्क/स्टीयटाइट/सोप स्टोन आदि के खनन की संभवनाएं विद्यामान हैं।

विवरण

एमईसीएल द्वारा (अपनी शुरूआत से मार्च, 07 तक) प्रमाणित किए गए भण्डारों का राज्य-वार, खनिज सारांश

भण्डार (मिलियन टन में)

खनिज	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	झारखंड	गुजरात	जम्मू-कश्मीर	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महा-राष्ट्र	मेघा-लय	नागा-लैण्ड	उड़ीसा	राजस्थान	सिक्किम	तमिल-नाडु	उत्तरां-चल	पश्चिम बंगाल	छत्तीस-गढ़	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
कोयला	10075.2	55.7	138.0	26242.4	-	-	-	-	7443.1	5000.8	79.5	2.5	9291.7	-	73.4	-	-	10185.7	15128.00	83715.8
लिग्नाइट	-	-	-	-	937.77	19.7	-	-	-	-	-		-	3829.6	-	28733.3	-	-	-	33520.2
ताम्र-अयस्क	0.5	-	-	64.5	-	-	6.4	-	375.2	3.4	-		0.3	123.3	0.04	-	-	-	-	573.7
सीसा-जस्ता-तांबा-अयस्क	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	141.5	-	-	-	1.8	-	153.3
बहुधात्विक अयस्क		-	-	-	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	0.5	-	0.8	-	-	11.5
बॉक्साइट	394.4	-	-	23.4	4.6	-	-	-	-	31.7	-	-	813.6	-	-	-	-	-	9.7	1277.3
लौह अयस्क	-	-	-	1970.0	-	-	220.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.6	2445.4
स्वर्ण अयस्क	14.1	-	-	0.01	-	-	11.6	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.8
डायमकॉंग्लो	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-		-	-	-	-	-	-	2.9
चूना पत्थर	491.3	-	-	-	-	-	-	23.7	8.9	-	230.0	-	-	1702.7	-	-	-	-	-	2456.5
डोलोमाइट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.7	53.7
मैग्नेसाइट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	-	-	12.0
सिल्ली मैग्नाइट		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
निकिल अयस्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.6	-	-	-	-	-	-	64.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
मैग्नीज अयस्क	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2
ग्रेफाइट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	1.3
ग्लास सैण्ड	-	-	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5
फ्लुअराइट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77	-	-	-	-	-	0.8
टंगस्टन अयस्क	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	4.0
फुलर्स अर्थ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1084.8	-	-	-	-	-	1084.8
भराई बालू	-	-	-	13.3	-	-	-	-	-	113.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.1
क्वार्टजाइट	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	—	-	-	-	-	-	6.5
वॉलास्टोनाइट	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	1.5
दुर्लभ धातु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	-	0.2
कुल	10982.3	[illegible]	172.5	28313.6	950.6	19.7	238.9	24.7	7837.3	5156.9	309.4	2.5	10170.1	7686.1	73.9	28734.8	12.8	10187.6	15446.0	126381.3
																				1,31.7
																			सकल योग	126513

प्रमाणित किए गए अन्य भण्डार—हरियाणा में 5.11 एमटी टिन अयस्क, हिमाचल प्रदेश में 94.1 एमटी रॉक साल्ट, कर्नाटक में 0.01 क्रोमाइट, मिजोरम में 0.215 एमटी चूनापत्थर और राजस्थान में 32.29 एमटी रॉक फॉस्फेट।

बिना भवन और बिना मूलभूत सुविधाओं वाले केन्द्रीय विद्यालय

5411. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में केन्द्रीय विद्यालय बिना भवनों और बिना मूलभूत सुविधाओं के चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने केन्द्रीय विद्यालय अपने भवनों में चल रहे हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में इन केन्द्रीय विद्यालय में कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं;

(घ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों में भवनों के निर्माण और मूलभूत सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा अभी तक राज्य-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) देश के कुल 960 केन्द्रीय विद्यालयों में से 742 केन्द्रीय विद्यालय अपने भवनों में चलाए जा रहे हैं। शेष 218 केन्द्रीय विद्यालय अस्थाई आवास में संचालित किए जा रहे हैं। सभी केन्द्रीय विद्यालयों को, वे चाहे अपने भवन में संचालित किए जा रहे हैं या अस्थाई भवन में, मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अपने भवने में संचालित किए जा रहे केन्द्रीय विद्यालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I दिया गया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए आवंटित तथा खर्च की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

कुल संचालित केन्द्रीय विद्यालयों तथा अपने भवन में संचालित केन्द्रीय विद्यालयों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संचालित केन्द्रीय विद्यालयों की सं.	अपने भवन में संचालित केन्द्रीय विद्यालय की संख्या
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02	02
2.	आंध्र प्रदेश	47	39
3.	अरुणाचल प्रदेश	12	09

1	2	3	4
4.	असम	50	35
5.	बिहार	38	21
6.	चंडीगढ़	05	05
7.	छत्तीसगढ़	24	19
8.	दादरा और नगर हवेली	01	00
9.	दमन और दीव	01	00
10.	दिल्ली	41	34
11.	गोवा	05	05
12.	गुजरात	42	38
13.	हरियाणा	27	21
14.	हिमाचल प्रदेश	20	11
15.	जम्मू-कश्मीर	36	15
16.	झारखंड	31	18
17.	कर्नाटक	35	28
18.	केरल	28	25
19.	लक्षद्वीप	01	00
20.	मध्य प्रदेश	79	67
21.	महाराष्ट्र	53	50
22.	मणिपुर	07	04
23.	मेघालय	07	07
24.	मिजोरम	02	00
25.	नागालैण्ड	05	02
26.	उड़ीसा	34	25
27.	पांडिचेरी	02	02
28.	पंजाब	39	30
29.	राजस्थान	56	49
30.	सिक्किम	02	02
31.	तमिलनाडु	34	29
32.	त्रिपुरा	06	02
33.	उत्तर प्रदेश	95	78
34.	उत्तरांचल	42	25
35.	पश्चिम बंगाल	51	45
	कुल	960	742

विवरण II

वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा भवन निर्माण पर खर्च की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2005-06 के दौरान भवन निर्माण पर खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)	वर्ष 2006-07 के दौरान भवन निर्माण पर खर्च की गई राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00	6.41
2.	आंध्र प्रदेश	451.01	699.96
3.	अरुणाचल प्रदेश	666.45	263.97
4.	असम	856.00	2643.50
5.	बिहार	709.93	601.58
6.	चंडीगढ़	00	35.00
7.	छत्तीसगढ़	555.86	372.40
8.	दादरा और नगर हवेली	00	00
9.	दमन और दीव	00	00
10.	दिल्ली	571.29	00
11.	गोवा	16.50	00
12.	गुजरात	255.13	235.96

1	2	3	4
13.	हरियाणा	309.99	374.76
14.	हिमाचल प्रदेश	257.71	464.94
15.	जम्मू-कश्मीर	354.02	160.34
16.	झारखंड	430.00	539.99
17.	कर्नाटक	596.30	1153.48
18.	केरल	316.39	625.81
19.	लक्षद्वीप	00	00
20.	मध्य प्रदेश	928.91	1461.55
21.	महाराष्ट्र	447.60	829.98
22.	मणिपुर	15.00	10.00
23.	मेघालय	357.00	257.45
24.	मिज़ोरम	55.00	150.00
25.	नागालैण्ड	00	00
26.	उड़ीसा	800.81	1367.88
27.	पांडिचेरी	1.65	00
28.	पंजाब	358.19	732.23
29.	राजस्थान	928.27	951.28
30.	सिक्किम	00	00
31.	तमिलनाडु	390.34	224.98
32.	त्रिपुरा	90.00	310.00
33.	उत्तर प्रदेश	529.59	577.99
34.	उत्तरांचल	220.00	552.65
35.	पश्चिम बंगाल	824.13	588.62
	कुल	12293.07	16192.71

कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु मंजूरी

5412. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु मंजूरी देने में अनेक अभिकरण शामिल हैं जिससे निर्यात संव्यवहार में विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे अभिकरणों की संख्या को कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विमानपत्तनों और समुद्रपत्तन के समीप निर्यात संबंधी शीतागारों की भी स्थापना का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना कब तक होने की संभावना है; और

(छ) सरकार द्वारा अभिकरणों की संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) कृषि वस्तुओं के निर्यात हेतु कई प्रकार की स्वीकृतियां अपेक्षित होती हैं। ये निर्यात की जाने वाली वस्तु, घरेलू विनियमनों और आयातक देशों की अपेक्षाओं पर निर्भर होती हैं। उदाहरणार्थ, जापान को आम के निर्यात हेतु फल का वाष्प-ताप उपचार अपेक्षित होता है जबकि अमेरिका को निर्यात हेतु विकिरण अनिवार्य होता है। मूंगफली के निर्यात हेतु एपीडा से निर्यात प्रमाण-पत्र अपेक्षित होता है। मांस के निर्यात हेतु पोत-लदान पूर्व निरीक्षण अनिवार्य होता है। ये ऐसी अन्य अपेक्षाओं में से हैं जिन्हें इन वस्तुओं के लिए पूरा करना होता है।

(ग), (घ) और (छ) जी हां। एजेंसियों एवं अपेक्षित स्वीकृतियों में कमी सहित प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जहां संभव होता है, वहां घरेलू विनियमनों और आयातक देशों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा विचार किया जाता है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद के लिए प्रलेखीकरण एवं विनियामक स्वीकृतियों को सुसंगत एवं सरल बनाया जा रहा है।

(ङ) और (च) कृषि उत्पाद के निर्यात को सुकर बनाने के लिए अवसंरचना विकास हेतु चल रहे कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

(एपीडा) ने दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम और मुम्बई स्थित हवाई अड्डों पर कोल्ड चेन के रख-रखाव हेतु शीघ्र खराब होने वाले कार्गों हेतु केन्द्र (सीपीसी) स्थापित किए हैं। कोचीन, बागडोगरा, कोलकाता, गोवा, नासिक हवाई अड्डों और हल्दिया समुद्री पत्तन पर ऐसी सुविधाओं के प्रावधान का मामला उठाया गया है।

कृषि और ग्रामीण उद्योग हेतु नई योजनाएं

5413. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में आज की तिथि तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार, विशेषकर आंध्र प्रदेश के लिए कितनी धनराशि आबंटित/जारी/खर्च की गई है; और

(ङ) इस समय क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में विचारार्थ नई योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ये प्रस्ताव केवल प्रारंभिक स्तर पर हैं और पांच योजनाओं में प्रत्येक योजना के लिए वर्ष 2007-08 हेतु केवल एक अस्थाई बजट प्रावधान तैयार किया गया है। तथापि, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(घ) इन पांच योजनाओं में प्रत्येक योजना के लिए वर्ष 2007-08 हेतु आबंटित अस्थाई निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2007-08 के लिए बजट प्रावधान
1.	खादी बुनकरों और कारीगरों के लिए वर्कशेड एवं आवासीय योजना	5.00
2.	खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना	5.00
3.	कमजोर संस्थान हेतु नर्सिंग निधि सहित खादी संस्थान की आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु पैकेज	5.00
4.	ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की पुनःसंरचना	50.00
5.	कॅयर उद्योग हेतु पुनर्विकास, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन	25.00

(ङ) सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) देश में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, कॅयर बोर्ड तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है;

(1) खादी तथा पॉलिवस्त्र कार्यों के विकास की योजनाएं: इस उद्देश्यार्थ खादी तथा पॉलिवस्त्र कार्यों की कार्यक्षम पूंजीगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त करने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों के पक्ष में 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आई एस ई सी) जारी किया जाता है और 4 प्रतिशत तथा वास्तविक ऋण दर पर के बीच के अंतर के लिए केवीआईसी द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। खादी/पॉलिवस्त्र उत्पादन की रिटेल बिक्री पर वर्षभर सामान्य छूट के रूप में 10 प्रतिशत छूट और वर्ष में 108 दिवसों के लिए अन्य 10 प्रतिशत विशेष छूट दी जाती है।

(2) खादी एवं ग्रामोद्योग के तहत उत्पादों के विविधीकरण तथा विकास के उद्देश्य से और विभिन्न केवीआई

उत्पादों की पैकेजिंग (पी आर ओ डी आई पी) में सुधार लाने के लिए उत्पाद विकास संरचना संवर्धन तथा पैकेजिंग की योजना शुरू की गई है।

(3) खादी ग्रामोद्योगों तथा कॅयर क्षेत्रों में 104 चिन्हित क्लस्टरों में परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन के लिए अक्टूबर, 2005 में परम्परागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु निधि की योजना (स्फूर्ति) शुरू की गई है।

(4) क्लस्टर आधारित ढंग से केवीआई कार्यक्रमों के लिए समान सुविधा सेवाएं प्रदान करने हेतु एक ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर आई एस सी) योजना चल रही है।

(5) केवीआईसी से मार्जिन मनी सहायता और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिसूचित बैंकों से ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग परियोजनाएं स्थापित करने हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी) कार्यान्वित किया जा रहा है।

(6) कॅयर बोर्ड के माध्यम से कॅयर क्षेत्र में महिला कॅयर योजना, उत्पादन अवसंरचना तथा घरेलू/निर्यात बाजार विकास सहायता बढ़ाना कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(7) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

1. खादी बुनकरों और कारीगरों के लिए वर्कशेड एवं आवासीय योजना: यह एक बिल्कुल वैसी ही योजना है जो वस्त्र मंत्रालय में कार्यान्वित की जा रही है।

2. खादी उद्योग तथा कारीगरों की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना: इसका उद्देश्य कौशल स्तरोन्नयन के साथ-साथ कारीगरों को बेहतर मजदूरी सुनिश्चित करने के अलावा, खादी उत्पाद के मूल्य संवर्धन, सिलेसिलाए वस्त्रों, मुस्लिन खादी, सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करने, आवश्यकता आधारित रंगाई तथा मुद्रण सुविधाओं के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में 'ए प्लस' तथा 'ए' श्रेणी की 200 खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

3. कमजोर संस्थाओं हेतु नर्सिंग निधि सहित खादी संस्थाओं की अवसंरचना विकसित करने हेतु पैकेज: इस योजना में खादी का उत्पादन बढ़ाने के लिए और रोजगार का आधार विस्तारित करने के लिए करघों तथा चरखों की प्रतिस्थापना की परिकल्पना की गई है। इस योजना का संबंध बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण से भी है।

4. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की पुनःसंरचना: इस योजना का व्यापक प्रस्ताव है जिसमें प्रमुख रोजगार सृजन योजनाओं के एकीकरण की अपेक्षा की गई है तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम।

5. कॅयर उद्योग हेतु नवीनीकरण, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन: इस योजना के दो घटक हैं। पहला नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण भाग है। हस्क का उपयोग बढ़ावा, हस्क को कॅयर उत्पादों में बेहतर अंतरण दर और प्रत्येक वर्ष लगभग 50000 श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना कुछेक लक्ष्य हैं।

दूसरा भाग 5 मेगा क्लस्टरों के संवंर्धन से संबंधित है—केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उड़ीसा में एक-एक।

[हिन्दी]

क्रोम-अयस्क खानों का बंद होना

5414. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक क्रोम-अयस्क खानों के बंद होने के कारण राज्यवार कितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी बंद पड़ी खानों को पुनः चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम) जोकि खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक किसी क्रोमाइट खान को बंद नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुमशुदा लोग

5415. श्री दुष्यंत सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में गुमशुदा लोगों से संबंधित सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो ने इस संबंध में कोई कदम उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुमशुदा लोगों के बारे में अद्यतन सूचना देने के लिए राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) ''तलाश'' नामक एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली है जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों अर्थात् गुमशुदा व्यक्तियों, अपहृत व्यक्तियों, गिरफ्तार किए गएं व्यक्तियों, पहचाने न जा सके व्यक्तियों, पहचाने न जा सके शवों, वांछित व्यक्तियों, भगोड़े व्यक्तियों और पलायनकर्ताओं का पता लगाने के लिए एक एकीकृत प्रणाली है। एन सी आर बी, केवल समन्वय स्थापित करने के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मामलों की सूचना प्राप्त करता है और देश में गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में आंकड़े एकत्र नहीं करता है। इस संबंध में मिलान करने का कार्य, नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग, शारीरिक बनानवट (गठन, लम्बाई, रंग, चेहरे का आकार, आखें, बाल, अपंगता आदि) जैसे कई मैरामीटरों के आधार पर किया जाता है। गुमशुदा व्यक्तियों का मिलान, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, पहचाने न जा सके शवों और पहचाने न जा सके व्यक्तियों से भी किया जाता है। मिलान हो जाने पर उनके परिणाम संबंधित जिले/पुलिस स्टेशन को उनकी ओर से आगे की कार्रवाई किए जाने के लिए भेजे जाते हैं। एन सी आर बी ने सभी प्रकार के व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े अद्यतन करने के लिए एप्लिकेशन साफ्टवेयर के साथ ''तलाश'' प्रणाली में उपलब्ध 1995 से 2006 तक का ''तलाश'' अपना डाटाबेस, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा है। आज की तारीख तक ''तलाश'' प्रणाली का वर्तमान डाटाबेस, 2,21,887 है जो एन सी आर बी की वेबसाइट "ttp://ncrb.nic.in" पर भी उपलब्ध है। डाटाबेस में सभी आयु समूह के 1,45,457 व्यक्ति गुमशुदा हैं।

आमों का निर्यात

5416. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री जुएल ओराम:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय आमों के निर्यात के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी निबंधन तथा शर्तें क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आमों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है;

(ग) क्या भारत सरकार ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका में 'आम महोत्सव' का आयोजन किया है;

(घ) यदि हां, तो उक्त महोत्सव में आम की अति लोकप्रिय किस्म सहित शामिल की गई आमों की किस्मों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संयुक्त राज्य अमरीका को आमों के निर्यात से भारतीय किसानों को विश्व में सबसे बड़े फल बाजार में प्रवेश करने के लिए बढ़ावा मिला है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका को आमों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) ने मैंगो स्टोन वीविल को कम करने के लिए 400 जीआई डोज पर विकरणित भारतीय

आमों के आयात की अनुमति दे दी है। विकिरण सुविधा को यूनाइटेड स्टेट्स-एनिमल एंड प्लांट हेल्थ इंस्पेक्शन सर्विस (यूएस-एपीएचआईएस) द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2007 को अनुमोदित किया गया था। संयुक्त राज्य को आमों की पहली खेप 27 अप्रैल, 2007 को भेजी गई थी। तदनुसार, पिछले 3 वित्त वर्षों में यूएसए को आम का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय आमों के लिए अमेरिकी बाजार के खुल जाने से भारतीय आम उपजकर्ताओं को अधिक अवसर प्राप्त हुए हैं।

(छ) अमेरिका को आमों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए एपीडा ने विभिन्न उपाय शुरू किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) जून, 2007 में अमेरिका में आम संवर्धन अभियान का आयोजन, आयातकों एवं निर्यातकों के बीच परस्पर बातचीत, सूचना का प्रसार तथा अमेरिका में विभिन्न प्रदर्शनियों में भागीदारी के जरिए भारतीय आमों का संवर्धन।

(2) लासल गांव, नासिक में विकिरण सुविधा का उन्नयन।

(3) आमों के उपचार के लिए विकिरण सुविधा हेतु मानक प्रचालन पद्धति दस्तावेजों (एसओपी) को तैयार करना एवं उनका प्रसार।

(4) बैकवर्ड तथा फारवर्ड श्रृंखलाओं के लिए पैक हाउसों हेतु एसओपी तैयार करना एवं उनका प्रसार।

(5) यूएस को निर्यात के लिए फलों की स्वीकार्यता हेतु यूरेपगैप मानकों के अनुरूप अभिज्ञात किए गए बगीचों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(6) दोनों देशों के बीच सहमत प्रोटोकॉल के आधार पर दिशा-निर्देश तैयार करना।

विदेशी नागरिक

5417. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:
श्री अबु अयीश मंडल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बड़ी संख्या में ऐसे विदेशी नागरिक रह रहे हैं जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है जोकि एक चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में राज्यवार तथा देशवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे विदेशी नागरिक देश में आपराधिक गतिविधियों में भी लिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में ऐसे विदेशी नागरिकों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) ऐसे विदेशी राष्ट्रिक जो अपनी वीजा वैधता से अधिक समय तक ठहरते हैं और यहीं रुक जाते हैं, उनका पता विदेशी राष्ट्रिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर आर ओ)/विदेशी राष्ट्रिक पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर ओ) द्वारा लगाया जाता है। चूंकि ऐसे विदेशी राष्ट्रिक जिनकी प्रथम यात्रा में 180 दिनों से अधिक के लिए ठहरना अपेक्षित नहीं होता, उनका पंजीकरण नहीं किया जाता इसलिए अधिक ठहरने के संबंध में उनका पता तभी लगता है जब वे यहां से प्रस्तान करते हैं। अधिक ठहरने वाले विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाना और उनको वापस भेजना एक सतत प्रक्रिया है। भारत में अवैध रूप से ठहरने वाले विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने और उन्हें वापिस भेजने के अधिकार विदेशी राष्ट्रिक अधिनियम, 1946 की धारा 3(2)(ग) के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे अवांछित विदेशी राष्ट्रिकों के देश में पुन: प्रवेश को रोकने के लिए भी उपयुक्त कारवाई की जाती है। अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त विदेशी राष्ट्रिकों के विरुद्ध कार्रवाई, देश के कानूनों के अनुरूप, कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की जाती है। तय सीमा से अधिक ठहरने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के अभियोजन और दोषसिद्धि संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते।

दंगा पीड़ित

5418. श्री अनवर हुसैन:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री देविदास पिंगले:
एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्री रशीद मसूद:
श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे के पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैकेज के संवितरण के लिए क्या कोई मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की विचार अन्य राज्यों के दंगा पीड़ितों को भी इसी प्रकार का मुआवजा देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से दंगा पीड़ितों की सूची प्राप्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(छ) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित सांप्रदायिक सौहार्द विधेयक में ऐसे मुद्दों से निपटने का है; और

(ज) यदि हां, तो केवल गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए भेजे पैकेज की घोषणा करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने वर्ष 2002 के गुजरात के साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए एक पैकेज की घोषणा की है। पैकेज के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1. मृत्यु के मामले में, राज्य सरकार द्वारा पहले ही दी गई सहायता के अतिरिक्त 13.5 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी।
2. चोट के मामले में, राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता में से घटाकर 1.25 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता दी जाएगी।
3. आवासीय संपत्ति और गैर-बीमाकृत व्यवसायिक/औद्योगिक संपत्ति के नुकसान पर राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से 10 गुणा अनुग्रह राशि पहले ही दी गई राशि को कम करके दी जाएगी।

   सरकार के निर्णय के अनुरूप 1984 के सिख विरोधी दंगों के पैकेज की तर्ज पर उक्त देय पैकेज को कार्यान्वित करने हेतु एक उपयुक्त तंत्र बनाया जाना है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) प्रश्न उठता।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान।

(च) प्रश्न उठता।

(छ) जी हां, श्रीमान। विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करना है।

(ज) उक्त पैकेज की घोषणा अक्टूबर, 2006 में अन्य के अलावा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

अनन्य आर्थिक क्षेत्र

5419. श्री मनोरंजन भक्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अनन्य आर्थिक क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) अनन्य आर्थिक क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो सीमांतगर्त जलक्षेत्र से परे और उसके आस-पास का क्षेत्र हो तथा ऐसे क्षेत्र की सीमा, सीमांतर्गत जल क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र के मूल आधार से 200 समुद्री मील और अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम 1976 (1976 का 80) की परिधि के अंतर्गत हो। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी इस अधिनियम के अंतर्गत कवर किया गया है।

बाल फिल्म परिसर

5420. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई कुछ परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकी और इन्हें ग्यारहवीं योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हैदराबाद में चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया परिसर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है जैसाकि निर्धारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विशेषकर आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ऐसे क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) और (ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ग्यारहवीं योजनागत स्कीमों को अभी अंतिम रूप प्रदान किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) योजनागत स्कीम "हैदराबाद में बालचित्र समिति परिसर" हेतु दसवीं पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजना (ब.प्रा.) 2006-07 में 1.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था। तथापि, यह परियोजना शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि इस मामले पर उक्त परिसर हेतु आबंटित भूमि की कीमत, इसकी निर्माण-लागत तथा दिन-प्रतिदिन के परिचालन और रखरखाव सहित प्रस्तावित परिसर के निकटवर्ती फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना के बारे में भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश की सरकार के बीच पत्राचार किया जा रहा था।

(ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ग्यारहवीं योजनागत स्कीमों को अभी अंतिम रूप प्रदान किया जाना है।

शिक्षक-छात्र अनुपात

5421. **श्री रघुनाथ झा:**
श्री सर्वे सत्यनारायण:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार शिक्षकों तथा छात्रों का अनुपात क्या है;

(ग) क्या यह अनुपात सही है;

(घ) यदि नहीं, तो शिक्षक-छात्र अनुपात में भारी अंतर के क्या कारण हैं; और

(ङ) विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों के अनुपात के अंतर को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सर्व शिक्षा अभियान ने शिक्षक-छात्र अनुपात को 1:40 करने की दृष्टि से प्रत्येक नए प्राथमिक स्कूल के लिए दो शिक्षकों, प्रत्येक नए उच्च प्राथमिक स्कूल के लिए तीन शिक्षकों और अतिरिक्त शिक्षकों के मानदंडों के अनुसार 2006-07 तक 10.12 लाख शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए हैं।

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा स्तर पर राज्यवार शिक्षक-छात्र अनुपात तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसकी शुरूआत से लेकर वर्ष 2006-07 तक संस्वीकृत शिक्षकों के पदों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्तर पर तथा बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात खराब रहा है जिसके लिए उनके संबंद्ध सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त शिक्षक संस्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्र-शिक्षक अनुपात 2005		सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसकी शुरूआत से लेक वर्ष 2006-07 तक संस्वीकृत कुल शिक्षक
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	63
2.	आंध्र प्रदेश	26.29	23.08	36300

1	2	3	4	5
3.	अरुणाचल प्रदेश	24.93	24.13	2924
4.	असम	31.88	18.36	5410
5.	बिहार	79.95	80.84	184081
6.	चंडीगढ़	25.11	24.13	785
7.	छत्तीसगढ़	40.94	37.87	50786
8.	दादरा और नगर हवेली	उ.न.	उ.न.	750
9.	दमन और दीव	उ.न.	उ.न.	66
10.	दिल्ली	35.27	30.16	20
11.	गोवा	उ.न.	उ.न.	195
12.	गुजरात	36.24	37.19	1848
13.	हरियाणा	44.05	35.63	6104
14.	हिमाचल प्रदेश	21.80	20.01	2994
15.	जम्मू-कश्मीर	18.72	21.66	16976
16.	झारखंड	54.58	54.12	83709
17.	कर्नाटक	33.47	36.57	16395
18.	केरल	24.29	23.18	248
19.	लक्षद्वीप	उ.न.	उ.न.	13
20.	मध्य प्रदेश	36.69	31.34	90477
21.	महाराष्ट्र	28.26	28.42	1236
22.	मणिपुर	उ.न.	उ.न.	123
23.	मेघालय	20.90	16.51	6543
24.	मिजोरम	उ.न.	उ.न.	898
25.	नागालैण्ड	14.25	14.44	168
26.	उड़ीसा	38.33	40.09	64734
27.	पांडिचेरी	24.17	25.89	30
28.	पंजाब	35.30	23.52	3070
29.	राजस्थान	38.48	35.31	86516

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	15.89	19.84	468
31.	तमिलनाडु	39.24	47.878	18866
32.	त्रिपुरा	22.41	22.02	3311
33.	उत्तर प्रदेश	76.97	47.04	233583
34.	उत्तरांचल	31.39	20.34	4532
35.	पश्चिम बंगाल	50.06	64.45	87881
	संपूर्ण भारत	41.50	35.00	1012103

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006

5422. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन:**
श्री गुरूदास दासगुप्त:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले राज्यों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति हेतु मापदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने में अपनी अनिच्छा जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) देश में उक्त अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या दिल्ली महिला आयोग को महिलाओं के प्रति घरेलू प्रताड़ना/हिंसा के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(छ) यदि हां, तो अक्टूबर, 2006 माह से आज तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ज) प्रत्येक शिकायत पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर एवं उत्तर प्रदेश राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, दिल्ली एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (वर्ष 2005 का 43) के अधीन संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने की पुष्टि कर दी है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य सरकारों ने भी इस विषय में कार्रवाई शुरू किए जाने की सूचना भेजी है।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 8(2) के अनुसार, जहां तक संभाव हो संरक्षण अधिकारी महिलाएं होनी चाहिएं। संरक्षण अधिकारियों के लिए आवश्यक अर्हताएं व अनुभव घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियमावली, 2006 के नियम संख्या 3 में निर्धारित किए गए हैं। यह नियमावली उक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार व अधिसूचित की गई है। नियम संख्या 3 के अनुसार, नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारी सरकारी अधिकारी या गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य हो सकते हैं और इस विषय में वरीयता महिलाओं को दी जाएगी। संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में कार्य का कम-से-कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा संरक्षण अधिकारी के रूप में उसका कार्यकाल कम-से-कम तीन वर्ष का होना चाहिए राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी को इस अधिनियम व नियमावली के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन हेतु आवश्यक कार्यालयी सहायता प्रदान करेगी।

(ग) और (घ) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से कहा है कि वे इस अधिनियम के कार्यान्वयन के उपाय तत्काल करें। इन उपायों में संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति एवं आवश्यक अवसंरचना के प्रावधान, सेवा प्रदान करने वालों का पंजीकरण तथा संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदान करने वालों और इस अधिनियम के उपबंधों संबंधी जानकारी का प्रचार-प्रसार करना शामिल है।

(च) से (ज) दिल्ली महिला आयोग ने सूचित किया है कि 41 मामले दर्ज किए गए हैं और हेल्पलाइन पर प्रारंभिक पंजीकरण के पश्चात् इन मामलों की सुनवाई आयोग के सदस्य करते हैं और फिर ये मामले समस्या के समाधान हेतु अगली कार्रवाई के लिए संबंधित जिला संरक्षण अधिकारी के पास भेज दिए जाते हैं।

वस्त्र उद्योग में अवसंरचना

5423. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग चीन जैसे देशों की तुलना में कमजोर अवसंरचना की वजह से बढ़ते बाजार में बाधा उत्पन्न कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) वस्त्र क्षेत्र में रोजगार के वर्तमान आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) वस्त्र कामगारों को दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार को मालूम है कि अवसंरचना संबंधी बाधाएं भारत में वस्त्र उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा हैं। वस्त्र के विभिन्न उपक्षेत्रों के विखंडन की कमजोरी और उत्कृष्ट अवसंरचना की अनुपलब्धता को निष्प्रभावी बनाने के लिए चल रही दो योजनाओं, अर्थात् निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए पी ई एस) और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) को मिलाकर विकास संभावित क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2005 में एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) शुरू की थी।

(घ) 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार, वस्त्र क्षेत्र में कुल रोजगार लगभग 88.02 मिलियन था।

(ङ) वस्त्र क्रियाकलाप मुख्यतः विकेन्द्रीकृत तथा निजी क्षेत्रों में केन्द्रित हैं। इसलिए, सरकार वस्त्र कामगारों को कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है। तथापि, संगठित तथा विकेन्द्रीकृत उप क्षेत्रों में विभिन्न कल्याणकारी एवं राहत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थाओं को संबद्ध करना

5424. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 को अलपसंख्यकों को उनके महाविद्यालयों/संस्थाओं के संबंध में संबद्ध करने/मान्यता देने हेतु अधिनियमित किया गया था, चूंकि वे ऐसा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित विश्वविद्यालयों से संबद्ध किए जाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा तथा स्थिति क्या है;

(घ) कितने अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थाओं को छठी अनुसूची के अंतर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया गया, विशेषकर उन महाविद्यालयों/संस्थाओं जो छः केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार में स्थित नहीं हैं; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अलपसंख्यक शिक्षा संस्था आयोग (संसोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 10क (1) में यह व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था अपनी पसंद के किसी विश्वविद्यालय से संबंधन की मांग कर सकती है बशर्ते इस प्रकार का सम्बद्धन उस अधिनियम के तहत स्वीकार्य हो जिसके तहत उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

(ग) प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए आवेदनों की संख्या, जिनकी संस्था लगभग 350 से अधिक है, के बारे में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग को दो आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से एक एमईटीएएस एडवेन्टिस्ट कॉलेज, सूरत से संबंधित था और इसे दिनांक 25 मई, 2006 को संबंधन प्रदान कर दिया गया है।

(ङ) इस अधिनियम की धारा 10क(2) के परन्तुक में समय-सीमा निर्धारित की गई है और प्रभावित आवेदक संस्थाएं इस अधिनियम की धारा 11(ख) के अधीन आयोग को याचिका प्रस्तुत कर सकती है।

गोलमेज सम्मेलन

5425. श्री नवीन जिन्दल:
श्री अनन्त नायक:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर (जे एंड के) संबंधी तीसरा गोलमेज सम्मेलन अप्रैल, 2007 के दौरान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर पर पांच कार्यबलों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या इन पर उक्त सम्मेलन में चर्चा की गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में भागीदारों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान। जम्मू और कश्मीर पर तीसरा गोल मेज सम्मेलन 24 अप्रैल, 2007 को दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वालों ने स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई व्यापक चर्चा की प्रक्रिया को चालू रखने से उन समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती हैं।

(ग) जम्मू और कश्मीर पर पांच कार्य समूहों में से चार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) से (च) सम्मेलन में राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य विश्वास निर्माण के उपायों पर कार्य समूह-1 द्वारा सुझाए गए दृष्टिकोण का सैद्धांतिक रूप से समर्थन किया गया अर्थात मानव अधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करना; विधवाओं, अपंगों और आतंकवाद तथा हिंसा के अन्य पीड़ितों के राहत और पुनर्वास में सुधार करना; तथा राज्य की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का अनुरक्षण करना। इसमें जम्मू और कश्मीर में सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संबंध में कार्य समूह द्वारा व्यक्त चिन्ताओं तथा कश्मीरी पंडितों की उनके घरों को वापसी को सुकर बनाने की तात्कालिक आवश्यकता की सराहना की गई।

सम्मेलन में लोगों के आपसी सम्पर्क को सुदृढ़ करने तथा नियंत्रण रेखा के पार व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की गई। इसने कार्य समूह की सिफारिशों तथा इन प्रक्रियाओं को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता तथा व्यापार, पर्यटन और जीवन के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में ऐसे सम्पर्कों और विनिमयों को व्यापक और विशाल बनाने का समर्थन किया।

सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर के संतुलित आर्थिक विकास पर कार्य समूह-III की सिफारिशों का समर्थन किया गया और उनको आगे ले जाने के लिए कदम उठाने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया।

सम्मेलन में सुशासन पर कार्य समूह-IV की सिफारिशों का पूरी तरह समर्थन किया गया तथा शासन की व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं में अधिक कार्यकुशलता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाने तथा सरकार को लोगों के ओर निकट लाने के उद्देश्य से उनको सही परिप्रेक्ष्य में लागू करने का राजय सरकार से अनुरोध किया गया।

[हिन्दी]

पी एम एफ में अतिरिक्त बटालियनें

5426. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री संतोष गंगवार:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अर्द्ध-सैनिक बलों में अतिरिक्त बटालियन बनाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो आई टी बी पी सहित बलवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अलग-अलग नई नियुक्ति की प्रक्रिया कब तक पूरी किए जाने की संभावना है; और

(घ) ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात जवानों पर किस सीमा तक दबाव कम होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में 2005-07 की अवधि के दौरान सशस्त्र सीमा बल की 20 बटालियनों के गठन तथा 2006-09 के दौरान आई टी बी पी की 20 बटालियनों के गठन का अनुमोदन किया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भी अक्टूबर, 2006 में मंजूर 10 अतिरिक्त बटालियनों का गठन कर रहा है।

(घ) आई टी बी पी में अतिरिक्त बटालियनों के गठन से ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर तैनात जवानों के लिए क्रमवार ड्यूटी के लिए पर्याप्त कार्मिक उपलब्ध रहेंगे जिसके परिणामस्वरूप उन पर दबाव कम रहेगा।

[अनुवाद]

कपास का आयात

5427. श्री सुग्रीव सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कुल कितने मूल्य का और कितनी मात्रा में कपास का आयात किया गया?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आयातित कपास का कुल मूल्य एवं मात्रा निम्नलिखित है:

वर्ष	मूल्य (लाख रु. में)	मात्रा (टन में)
2003-04	157001.37	252976
2004-05	109959.78	183061
2005-06	68830.56	98240
2006-07 (अप्रैल-दिसंबर, 06)	46397.55	58693

स्रोत: डीजीसीआईएंड एस, कोलकाता।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा आयोग की स्थापना

5428. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में लगभग 95 प्रतिशत श्रमिक अकुशल है और इसकी उत्पादकता कुशल श्रमिकों की तुलना में 14 गुणा ज्यादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी तक उनके कौशल को विकसित करने और उन्हें अधिक सक्षम बनाने के लिए कोई पहल नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा आयोग की स्थापना करके अकुशल श्रमिकों और महिला श्रमिकों को प्रशिक्षत करके उनका आकलन करने और उन्हें दक्षता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए देश में 600 संस्थाओं की स्थापना करने का है जैसा दिनांक 22 मार्च, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विस्तृत योजना तैयार की गई है; और

(च) इस प्रस्ताव से देश में अकुशल श्रमिकों को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट संख्या 409, 50वां चक्र (1993-94) पर आधारित अनुमान के अनुसार, देश के मजदूर वर्ग का केवल 5.06 प्रतिशत युवा व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित हैं।

(ख) और (ग) प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस (2006) के अपने अभिभाषण में व्यावसायिक शिक्षा पर एक मिशन की शुरूआत की घोषणा की थी। उस घोषणा के परिणामस्वरूप योजना आयोग द्वारा 6.12.2006 को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान तथा इसे आगे व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक कार्यबल गठित किया गया था।

(घ) से (च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

नवोदय विद्यालयों की स्वायत्तता

5429. श्री रशीद मसूद:
श्री गणेश सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नवोदय विद्यालयों को चलाने के लिए उत्तरदायी संगठनों को पूरी स्वायत्ता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विद्यालयों में उपयोग हेतु खाद्यान्नों की खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को भी उक्त विद्यालयों में वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) 'नवोदय विद्यालय समिति' मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत स्वायत्त संगठन है। समिति अपनी कार्यकारी समिति के साथ अपने संगम ज्ञापन में निर्धारित किए गए सोसायटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। संगम ज्ञापन के अनुसार मंत्रालय समिति को निदेश दे सकता है, सोसायटी के कार्य और प्रगति की समीक्षा कर सकता है और उसके मामलों की जांच कर सकता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (च) समिति द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से कम्प्यूटर खरीदने और निर्माण एजेंसियों को संविदा देने के संबंध में मंत्रालय को अप्रैल, 2007 में एक शिकायत प्राप्त हुई है। नवोदय विद्यालय समिति से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला

5430. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के लेखाओं में हाल ही में एक घोटाले का पता लगाया गया है, जैसाकि दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं और एफ आई आर दर्ज की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) जी, हां। राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, आंध्र प्रदेश ने सूचित किया है कि सर्व शिक्षा अभियान, आंध्र प्रदेश के सहायक लेखा अधिकारी द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)/सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) की 14,98,03,378 रुपए की राशि का अप्राधिकृत बैंक खाते में विपथन कर दिया गया। 2.4.2007 को नगर केन्द्रीय अपराध केन्द्र में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार आगे की जांच-पड़ताल के लिए मामले को सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा तीन लेखा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और अन्य तीन को एस.एस.ए./डी.पी.ई.पी. के राज्य परियोजना कार्यालन से स्थानांतरित कर दिया गया है।

पाकिस्तान से गेहूं का आयात

5431. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पाकिस्तान से गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान से कितनी मात्रा में गेहूं का आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान से गेहूं का आयात जारी रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पाकिस्तान से गेहूं आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एसटीसी ने एक मिलियन टन गेहूं के आयात हेतु निविदा जारी की है और किसी देश/कंपनी के ऐसे आपूर्तिकर्ता इसकी बोली लगा सकते हैं जो विनिर्देशनों को पूरा करते हों।

(ग) पाकिस्तान से आयात नगण्य रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान से आयातित गेहूं की मात्रा के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मात्रा (टन)
2006-07	शून्य
2005-06	0.01
2004-05	0.01

(स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस)

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में उत्तर दिया गया है।

व्यापार और प्रदर्शनी केन्द्र

5432. श्री जुएल ओराम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खाड़ी क्षेत्र में व्यापार और प्रदर्शनी केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ धनराशि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) खाड़ी क्षेत्र में एक व्यापार एवं प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है।

कॅयर बोर्ड के कार्यालय

5433. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरि जिले में राज्यवार और संघ राज्यवार कॅयर बोर्ड के कितने कार्यालय हैं;

(ख) क्या महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग और रत्नागिरी जिले में कॅयर व्यापार की व्यापक संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कॅयर बोर्ड के और कार्यालय खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कॅयर बोर्ड के कार्यालय खोलने हेतु क्या मापदण्ड हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) कॅयर बोर्ड की देश भर में 45 स्थापनाएं (30 शोरूमों सहित) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थापनाओं की सं.
1	2	3
1.	केरल	9
2.	तमिनाडु	4
3.	कर्नाटक	3
4.	आंध्र प्रदेश	4
5.	उड़ीसा	2
6.	पश्चिम बंगाल	2
7.	सिक्किम	1
8.	असम	2

1	2	3
9.	त्रिपुरा	1
10.	उत्तर प्रदेश	5
11.	मध्य प्रदेश	1
12.	महाराष्ट्र	1
13.	गुजरात	1
14.	राजस्थान	1
15.	चंडीगढ़	1
16.	दिल्ली	3
17.	उत्तरांखड	1
18.	जम्मू-कश्मीर	1
19.	बिहार	1
20.	झारखंड	1
	कुल	45

महाराष्ट्र में कॅयर बोर्ड ,मुंबई में शोरूम चला रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। महाराष्ट्र एक उत्पादक राज्य है, जिसके पास 32,000 हैक्टेयर नारियल की खेती का क्षेत्र है तथा कॅयर उद्योग का मूलभूत कच्चा माल अथात् नारियल की भूसी राज्य में पर्याप्त तौर पर उपलब्ध है। मुंबई, पुणे, इत्यादि जैसे वाणिज्यिक शहर कॅयर उद्योग के उत्पादों की मार्किटिंग के संबंध में अच्छा खासा कार्यक्षेत्र प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र में इस उद्योग के विकास की संभाव्यता है।

(घ) से (च) मार्च, 2007 में कॅयर बोर्ड ने कॉलिज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्नॉलॉजी, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के प्रांगण में एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र जिसमें फाइबर एक्सट्रैक्शन इकाई तथा ऑटोमेटिक स्पिनिंग इकाई तथा एक कम्पोस्टिंग इकाई होगी, की स्थापना के संबंध में स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्तावित केन्द्र नए उद्यमियों के साथ-साथ मौजूदा कॅयर प्रसंस्करण इकाइयों को प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सुविज्ञता प्रदान करने के लिए एक इन्क्यूबेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा। कॅयर बोर्ड के विचाराधीन देश में और नए कार्यालय खोलने के संबंध में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं हैं।

क्षेत्र में कॅयर उद्योग का विकास मुख्य मानदंड होते हुए कॅयर उत्पादन और उपयुक्त विकास संभावनाओं, नए कच्चे माल, कार्य शक्ति की उपलब्धता, विपणन संभाव्यता, नई प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप, कौशल उन्नयन और बाजार संवर्धन के क्षेत्रों में स्थिति के आकलन के बाद कॅयर-बोर्ड के नए कार्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है।

केन्द्र-राज्य संबंध पर सम्मेलन

5434. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या टिप्पणियां और सुझाव दिए गए;

(ग) क्या सम्मेलन में किसी कमजोर कड़ी और कमियों की पहचान की गई; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): क्या (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न उठता।

[हिन्दी]

पोषण के लिए नए मानक

5435. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोषण के नए मानक निर्धारित करने के लिए कोई कार्यशाला आयोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यशाला देश में कुपोषण की समस्या को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) बच्चों के शारीरिक विकास/पौषणिक स्थिति का अनुवीक्षण करने के लिए विकास चार्ट/मानदण्ड महत्वपूर्ण होते हैं। 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केन्द्र/विश्व स्वास्थ्य संगठन के विकास मानकों का भारत सहित विश्व के अधिकतर देशों में प्रयोग किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2006 में बाल विकास के नये मानदण्डों की शुरूआत की है तथा यह सिफारिश की है कि इन्हें सभी सदस्य राष्ट्र अपनायें। इस मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के नये बाल विकास मानदण्डों को अपनाने के विषय पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से 8-9 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य नये विकास मानकों को अपनाने के संबंध में विशेषज्ञों, पोषाहारवेत्ताओं, जन स्वास्थ्य प्रैक्टिशनरों आदि की राय जानना था। कार्यशाला में इन नये विकास मानदण्डों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

(ग) और (घ) यह कार्यशाला विश्व स्वास्थ्य संगठन के नये बाल विकास मानदण्डों को अपनाने पर एकमत बनाने के विशिष्ट उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसे प्राप्त कर लिया गया।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना

5436. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेशम कीट पालन के लिए फसल बीमा योजना लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना सुचारू रूप से नहीं चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या है; और

(ङ) रेशम कीट पालन क्षेत्र में लगे सभी किसानों को फसल बीमा के लाभ पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने रेशम उत्पादन करने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति के लिए सहायता देने की दृष्टि से नौवीं योजना के बाद से विभिन्न रेशम उत्पादक राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित रेशम उत्पादन योजना ''उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम'' के तहत फसल बीमा योजना तैयार की है। यह बीमा योजना एक फसलीय/द्विफसलीय/बहुफसलीय/शुद्ध अथवा मिश्रित प्रकार के सभी रेशम कीटों पर लागू है। ये बीमा योजनाएं विभिन्न बीमा कंपनियों, नामतः नेशनल इन्श्योरेंश कं. लि.; यूनाइटेड इंडिया एंश्योरेंस कं. लि.; ओरिएंटल इंश्योरेंस कं. लि., जो सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्यान्वयन के लिए तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अभिकल्पित हैं, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं।

(ग) और (घ) यह योजना निम्नलिखित कारणों से अच्छी तरह से निष्पादन नहीं कर रही है:

* बीमाकृत राशि बहुत कम होने के कारण प्रतिक्रिया कम है और इसके अतिरिक्त प्रीमियम भी काफी कम है।
* दावों की उच्च दर।
* दावों को सत्यापित करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं।
* बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटान में अत्यधिक विलंब।

(ङ) भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से रेशम उत्पादन में फसल बीमा के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों से परामर्श किया है। न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. रेशम उत्पादन में फसल बीमा करने की एक नई योजनां के साथ आगे आई है, जिस पर 11वीं योजना के दौरान कार्यान्वयन करने के लिए विचार किया जा रहा है।

रेशम कीट का उत्पादन

5437. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों में रेशम कीट उत्पादन के क्षेत्र में कुछ वर्षों में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में रेशम कीट के उत्पादन में और सुधार लाने और इसकी खेती में लगे किसानों की आजीविका को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में रेशम उत्पादन की स्थिति नीचे दी गई है:

वर्ष	शहतूत पौधारोपण के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन	
		रिलीज कोया (मि. टन)	कच्ची रेशम (मी. टन)
2002-03	5,394	4,005	490
2003-04	4,025	2,124	285
2004-05	5,073	3,101	443
2005-06	6,614	5,225	739
2004-05 की तुलना में % वृद्धि/कमी	30.37	68.49	66.82
वृद्धि दर	7.54	10.52	17.00

दसवीं योजना अवधि के दौरान राज्य ने रेशम उत्पादन के क्षेत्र में वृद्धिपरक उपलब्धि प्राप्त की है। दसवीं योजना (दसवीं योजना के 4 वर्षों) के लिए शहतूत खेती तथा कच्ची रेशम के उत्पादन की वृद्धि दर क्रमशः 7.5% तथा 17% थी।

(ख) वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान तमिलनाडु में शहतूत पौधारोपण के तहत जिला-वार क्षेत्र तथा कच्ची रेशम उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	जिला	शहतूत पौधारोपण के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर)			कच्ची रेशम का उत्पादन (मी. टन)		
		2003-04	2004-05	2005-06	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कृष्णागिरी	1220.30	1322.74	1479.66	89.00	139.50	202.70
2.	धर्मपुरी	401.08	513.40	758.04	22.10	41.30	67.30
3.	सलेम	109.38	213.30	311.78	4.54	11.00	22.10
4.	इरोड	540.40	750.54	1055.43	55.39	85.10	167.60
5.	कोयम्बटूर	379.56	447.38	730.18	26.94	39.70	81.00
6.	नीलगिरीज़	28.58	25.94	25.04	0.77	1.00	1.20
7.	बेल्लोर	473.24	532.64	536.06	37.28	45.90	52.60
8.	कांचीपुरम	0.00	0.00	1.70	0	0	0.10
9.	थिरूवल्लौर	16.00	20.00	22.30	0.56	1.30	1.20

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	तिरूवन्नामलाई	83.28	103.16	120.18	4.15	770	9.50
11.	नामक्कल	178.39	237.58	259.76	9.44	17.50	26.70
12.	करूर	26.60	37.54	34.50	0.67	1.20	2.50
13.	त्रिची	53.78	65.66	84.84	1.83	2.60	6.90
14.	पेरामबलूर	9.60	21.60	22.00	0.41	0.50	1.30
15.	पुडुकोटाई	32.90	71.40	89.20	0.95	2.50	7.00
16.	थंजाबुर	16.20	26.2	49.20	0.63	1.20	2.30
17.	विलुपुरम	66.86	82.6	93.32	3.74	5.90	9.00
18.	कुडालोर	15.38	12.90	17.10	0.29	0.40	0.80
19.	मदुरई	21.58	30.60	48.20	1.12	2.00	3.60
20.	थेनी	117.00	177.50	275.40	8.88	13.80	24.30
21.	विरुद्धनगर	16.64	24.80	38.80	0.96	1.20	2.90
22.	रामनड	2.70	6.10	10.60	0.05	0.10	0.30
23.	सिवागनगाई	0.00	1.40	11.60	0	0	0.10
24.	डिन्डीगुल	132.64	222.54	385.84	11.09	15.10	33.50
25.	त्रिरूनेवेली	71.36	113.70	143.20	3.43	5.80	11.50
26.	थुथुकुडी	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00
27.	कन्याकुमारी	12.00	12.00	10.00	0.50	0.60	0.80
	कुल	4025.44	5073.22	6614.00	285.00	443.00	739.00

(ग) दसवीं योजना के दौरान, तमिलनाडु सहित देश में उत्तम रेशम का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के जरिए केन्द्र प्रायोजित योजना अर्थात उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) कार्यान्वित किया है। सीडीपी के तहत संघटकों का उद्देश्य स्थानीय पौधरोपण का विकास एवं विस्तार, कृषि अवसंरचना का विकास, रेशम का रिलिंग एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उद्यम विकास कार्यक्रम आदि है। दसवीं योजना के दौरान सीडीपी ने रेशम उत्पादन के तहत भौगोलिक क्षेत्र की कवरेज, सभी श्रेणीयों के किसानों को शामिल करने तथा नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत के रूप में लगातार प्रगति की है।

दिल्ली पुलिस में महिलाएं

5438. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में दिल्ली पुलिस में श्रेणीवार अलग-अलग महिलाओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या सरकार के पास बैकलॉग भरने के लिए दिल्ली पुलिस में और अधिक महिला पुलिसकर्मी भर्ती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त पुलिसकर्मी की भर्ती कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) दिल्ली पुलिस में महिला कार्मिकों के स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	रैंक	स्वीकृत पदों की सं.	रिक्त पदों की सं.
1.	सहायक पुलिस आयुक्त	1	-
2.	निरीक्षक	71	3
3.	उप निरीक्षक	135	4
4.	सहायक उप निरीक्षक	305	7
5.	हैड कांस्टेबल	448	1
6.	कांस्टेबल	1900	-

दिल्ली पुलिस में सेवा निवृत्ति, त्याग पत्र मृत्यु, बर्खास्तगी इत्यादि के कारण पदों की उत्पत्ति और ऐसे खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

रूस में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर प्रतिबंध

5439. श्री रघुबीर सिंह कौशल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी-कंपनियों द्वारा रूस में खुदरा व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक अन्य देशों ने भी विदेशी कंपनियों द्वारा खुदरा व्यापार किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन देशों का ब्यौरा एवं नाम क्या हैं जहां पर अन्य देशों द्वारा खुदरा व्यापार करने की अनुमति है; और

(च) उन निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत हमारे देश में खुदरा व्यापार करने की अनुमति है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) अन्य देशों की विदेशी निवेश संबंधी नीतियों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(च) खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति नहीं है। फिर भी सरकार ने 'एकल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी है:

(1) एकल ब्रांड उत्पादों के खुदरा व्यापार के लिए सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ 51 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी जायेगी।

(2) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रांड' के होने चाहिए।

(3) उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से केवल उसी ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए; तथा

(4) एकल ब्रांड के उत्पादों के खुदरा व्यापार में केवल उन्हीं उत्पादों को शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड किया गया है।

औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन के अंतर्गत क्लस्टर/स्थल

5440. श्री महावीर भगोरा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान औद्योगिक अवसंरचना के उन्नयन की योजना के अंतर्गत इसके दायरे में राज्यवार कितने क्लस्टर/स्थल लाए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त क्लस्टरों/स्थलों के संबंध में राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने क्लस्टरों/स्थलों के लिए धनराशि जारी की गई;

(घ) सरकार का शेष धनराशि को कब तक जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या उक्त योजना का मूल्यांकन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत परियोजनाओं हेतु जारी की गई निधियां की राज्यवार सूचना क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में दी गई हैं।

(घ) इन परियोजनाओं की मंजूरी हो जाने पर अग्रिम के रूप में सभी स्वीकृत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है। क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा पहले जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुत किये जाने पर केन्द्रीय अनुदान की बाकी की किस्तें जारी की जा रही हैं।

(ङ) से (च) अब तक आईआईयूएस का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन शुरू नहीं किया गया है।

विवरण I

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत राज्यवार परियोजनाओं का ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	कल्स्टर/परियोजना	अनुमोदित परियोजना लागत	स्वीकृत केन्द्रीय अनुदान	जारी की गई केन्द्रीय अनुदान की राशि 31.3.2007 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	फार्मा कलस्टर, हैदराबाद	66.16	49.62	16.54
2.		ऑटो कलस्टर, विजयवाड़ा	31.08	23.31	7.80
3.	छत्तीसगढ़	इस्पात और धातु-कर्म कलस्टर, रायपुर	65.55	31.76	21.07
4.	गुजरात	रसायन कलस्टर, वाटवा, अहमदाबाद	69.86	41.39	13.79
5.		रसायन कलस्टर, अंकलेश्वर	152.83	50.00	40.50
6.		रत्न और आभूषण कलस्टर, सूरत	75.00	50.00	16.70
7.	हरियाणा	वस्त्र कलस्टर, पानीपत	54.53	40.90	13.63
8.	कर्नाटक	मशीन औजार कलस्टर, बंगलौर	135.50	49.10	47.65
9.		ढलाई घर कलस्टर, बेलगांव	24.78	18.57	18.02
10.	केरल	जूट कलस्टर, अलपुझा	56.80	42.60	14.20
11.	मध्य प्रदेश	ऑटो कलस्टर, पीतमपुर	59.99	44.99	33.30
12.	महाराष्ट्र	वस्त्र कलस्टर, इकलकरनजी	66.55	32.70	21.80
13.		ऑटो कलस्टर, पुणे	59.99	44.99	43.64
14.	उड़ीसा	धातुकर्म कलस्टर, जाजपुर	80.60	47.00	31.32
15.	पंजाब	वस्त्र कलस्टर, लुधियाना	17.19	12.69	8.42

1	2	3	4	5	6
16.	राजस्थान	संगमरमर कलस्टर, किशनगढ़	30.80	27.60	9.20
17.	तमिलनाडु	ऑटो कलस्टर चेन्नई	47.49	27.74	11.70
18.		चमड़ा कलस्टर, अम्बूर	67.34	43.94	29.30
19.		खाद्यान्न, अनाज और रेशा कलस्टर, मदुरै	39.96	29.97	10.00
20.		पम्प, मोटर और ढलाईघर कलस्टर,	59.08	39.59	38.40
21.	उत्तर प्रदेश	चमड़ा कलस्टर, कानपुर	27.34	9.75	3.25
22.	पश्चिम बंगाल	बहु-उद्योग कलस्टर, हल्दिया	67.25	36.97	24.64
23.		ढलाईघर कलस्टर, हावड़ा	126.74	40.70	13.47
24.		रबड़ कलस्टर, कोलकाता	29.74	15.72	5.24

नोटः उपर्युक्त सभी परियोजनाएं वर्ष 2004-05 में अनुमोदित की गई थी। वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में भी परियोजना अनुमोदत नहीं की गई है।

विवरण II

आईआईयूएस के अंतर्गत पिछले तीन वर्ष के दौरान जारी की गई राज्यवार निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	7.80	16.54	0
छत्तीसगढ़	0	9.96	11.11
गुजरात	33.40	37.59	26.78
हरियाणा	13.63	0	0
कर्नाटक	22.56	0	43.11
केरल	14.20	0	0
मध्य प्रदेश	16.65	0	16.65
महाराष्ट्र	15.00	10.90	39.54
उड़ीसा	15.66	0	15.66
पंजाब	4.21	0	4.21
राजस्थान	9.20	0	0

1	2	3	4
तमिलनाडु	21.70	35.98	52.96
उत्तर प्रदेश	1.95	1.30	0
पश्चिम बंगाल	19.01	12.02	12.32
कुल	194.97	124.29	222.34

नोट: उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित राशि वर्ष 2003-04 में योजना के प्रारंभ होने से सभी स्वीकृत 26 परियोजना के बारे में है।

गैर-सरकारी संगठनों को निधियां

5441. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) उन्हें महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए आबंटित की गई निधियों का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को आबंटित निधियों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार गैर-सरकारी संगठन-वार तथा योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गैर सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सरकार को उनके द्वारा निधियों के दुरूपयोग की शिकायतें मिली है तथा उक्त गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों के मनमाने रवैये को रोकने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को प्रोत्साहन

5442. श्री बापू हरी चौरे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये निर्यातक इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ख) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु अपनी निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(1) अवसंरचना विकास स्कीम

(2) बाजार विकास स्कीम

(3) गुणवत्ता विकास स्कीम

(4) अनुसंधान विकास स्कीम

(5) परिवहन सहायता स्कीम

11वीं योजना स्कीमों के अनुरूप प्राप्त आवेदनों पर सहायता हेतु विचार किया जाएगा। इन स्कीमों के अंतर्गत प्रोत्साहन सभी राज्यों में निर्यातकों को उपलब्ध है।

(ग) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभी पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.बी.एस.ई. पाठ्यचर्या में परिवर्तन

5443. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी बी एस ई पाठ्यचर्या में कुछ परिवर्तन करने और उच्चतर माध्ययिमक स्तर पर फोटोग्राफी, थियेटर तथा पत्रकारिता जैसे विषय शुरू करने की योजना बना रहा है जैसा कि दिनांक 25 मार्च, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनको कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इसने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शुरू करने के लिए निम्नलिखित पाठ्यक्रम तैयार किए है:

1. रचनात्मक लेखन तथा अनुवाद अध्ययन
2. वित्तीय प्रबंधन
3. सामान्य स्वास्थ्य देखभाल
4. फैशन डिजाइन तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि रचनात्मक लेखन तथा अनुवाद अध्ययन और वित्तीय प्रबंधन विषयों को शैक्षिक सत्र, 2007-08 से शुरू करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अन्य पाठ्यक्रमों को चरणबद्ध ढंग से शुरू किए जाने की योजना है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाना

5444. श्री आनंदराव विठोबा अडसूलः क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य लक्ष्य के अनुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्यों तथा अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या अवैध बांग्लादेशी प्रवासी तथा इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों के कार्यकर्ता असम से घुसपैठ करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) बाड़ लगाने के कार्य को पूरा करने के लिए निर्धारित संशोधित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा लागत में कितनी बढ़ोतरी हुई हैं; और

(छ) ऐसे लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ 3286.859 कि.मी. बाड़ लगाने की मंजूरी दे दी है। मार्च 2007 तक, 2495.36 कि.मी. बाड़ लगा दी गई है। निम्नलिखित प्रमुख कारणों के कारण मार्च, 2007 तक समस्याग्रस्त क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य पूरा नहीं किया जा सका:

(1) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज के भीतर बाड़ के निर्माण पर बीडीआर द्वारा आपत्ति किया जाना।

(2) लंबित भूमि अधिग्रहण मामले

(3) अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट आबादी की मौजूदगी।

बाड़ लगाने का शेष कार्य मामलों का समाधान करने के पश्चात शुरू किया जाएगा।

बाड़ लगाने (कि.मी. में) के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

राज्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धियां
पश्चिम बंगाल	1528	1180
असम	223	191
मेघालय	399	380
त्रिपुरा	736	656
मिजोरम	400	88

(घ) से (ङ) सरकार असम सहित भारत-बांग्लादेश सीमा से होने वाली घुसपैठ की समस्या से पूरी तरह अवगत है। सरकार ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और तस्करी को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) गश्त करके सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी करना

(2) बाड़ और सीमा सड़कों का निर्माण

(3) विशेष अभियान चलाना

(4) सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय करना

(च) से (छ) बाड़ लगाने के शेष लक्ष्यों का निर्धारण लंबित मुद्दों को सुलझाने के पश्चात किया जाएगा।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

5445. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री अमिताभ नन्दी:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:
श्री अनन्त नायक:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्रीमती करूणा शुक्ला:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाओं के लिए सिफारिश किए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक अनुमोदित अनुमोदन के लिए लंबित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है तथा प्रस्तावों को अनुमोदित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में नए क्षेत्र बनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो बनाए गए नए क्षेत्रों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (घ) किसी विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) की अधिसूचना के लिए वैध औपचारिक अनुनमोदन रखने वाले विकासकर्ता के लिए विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के निमय-7 के अनुसार राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है। राज्य सरकार की कोई और सिफारिश अपेक्षित नहीं होती है। दिनांक 10 फरवरी, 2006 को एसईजेड अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद एसईजेडों की स्थापना के लिए प्रदत्त 234 औपचारिक अनुमोदनों में से 103 एसईजेडों को अधिसूचित किया जा चुका है जिनमें से 40 को चालू वित्त वर्ष के दौरान अधिसूचित किया गया है। आज की स्थिति के अनुसार किसी भी एसईजेड को स्थगित नहीं रखा गया है। अब तक औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेडों और अधिसूचित किए गए एसईजेडों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रदत्त औपचारिक अनुमोदन	अब तक जारी की गई अधिसूचनाएं
1.	आंध्र प्रदेश	44	27
2.	असम	–	–
3.	बिहार	–	–
4.	चंडीगढ़	2	1
5.	छत्तीसगढ़	–	–
6.	दादरा एवं नगर हवेली	–	–
7.	दिल्ली	1	–
8.	गोवा	4	1
9.	गुजरात	19	8
10.	हरियाणा	19	7
11.	हिमाचल प्रदेश	–	–
12.	झारखंड	1	1
13.	कर्नाटक	27	14
14.	केरल	10	6
15.	मध्य प्रदेश	4	2
16.	महाराष्ट्र	47	13
17.	उड़ीसा	5	–
18.	पुड्डूचेरी	1	–
19.	पंजाब	4	2
20.	राजस्थान	3	1
21.	तमिलनाडु	25	16
22.	उत्तरांचल	3	–
23.	उत्तर प्रदेश	8	3
24.	पश्चिम बंगाल	7	1
	कुल	234	103

[हिन्दी]

सती की घटनाएं

5446. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक सरकार को राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार सती की कितनी घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) क्या उक्त अपराध के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या निर्णय दिए गए;

(घ) इस पर राज्य-वार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सती की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कड़ा कानून बनाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत वर्ष 2003 तथा 2004 में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया। वर्ष 2005 में इस अधिनियम के तहत राजस्थान में एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसके लिए 18 लोगों को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से वर्ष 2006 की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) से (च) इस सम्बन्ध में सती (निवारण) अधिनियम, 1987 लागू है। यह अधिनियम मंत्रालय के वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंटरनेट पर विषैले रसायनों को बेचा जाना

5447. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्ट्राईचिनाइन, आर्सेनिक तथा साइनाड जैसे विषैले रसायन इंटरनेट पर असानी से बिक्री के लिए उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आतंकवादी प्राणघातक पदार्थों की आपूर्ति करने अथवा इन्हें निर्मित करने के लिए अब इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देशों में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार के ध्यान में ऐसी कोई जानकारी नहीं लाई गई है।

यू जी सी द्वारा राज्य अधिनियमों में संशोधन

5448. श्री एम. अप्पादुरई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) ने कुछ समय पहले नियुक्तियों अथवा दाखिलों के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए है जोकि राज्य अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यू जी सी ने इन दिशानिर्देशों को बनाने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया है तथा उन्हें तदनुसार अपने अधिनियमों में संशोधन करने का परामर्श दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या कई मामले दायर किए गए हैं और राज्य सरकारों द्वारा लंबित रखे गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में यू जी सी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 14 जून, 2006 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम (विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध संस्थाओं में शिक्षकों की नियुक्ति और कैरियर प्रोन्नति हेतु आवश्यक न्यूनतम योग्यताएं) (द्वितीय संशोधन) में संशोधन को अधिसूचित किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार कथित अधिसूचना किसी राज्य अधिनियम का उल्लंघन नहीं करती।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

संविधान की छठी अनुसूची का कार्यान्वयन

5449. श्री रामदास आठवले: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय बहुल क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में संविधान की छठी अनुसूची कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से राज्यों में संविधान की छठी अनुसूची कार्यान्वित करने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) भारत के संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान इस समय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने छठी अनुसूची के अंतर्गत दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित करने की सिफारिश करते हुए एक संकल्प अपनाया है। छठी अनुसूची में राज्य के कुछ क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार से भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एन आई एस आई ई टी)

5450. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एन आई एस आई ई टी) के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान एन आई एस आई ई टी द्वारा लघु उद्यमियों के लिए संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लघु उद्यमियों ने इससे लाभ उठाया;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एन आई एस आई ई टी के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (निसिएट) जिसे अब राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संस्थान के रूप में पुनः नामत किया गया है, का उद्देश्य और लक्ष्य उद्यमिता विकास में प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान करने, प्रलेखन कार्य करने तथा उद्यमिता व उद्यम विकास से सम्बद्ध सूचना का प्रसार करने के माध्यम से सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों का सम्वर्धन और विकास करना तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

(ख) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष संस्थान द्वारा विभिन्न राज्यों में लघु उद्यमियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा लाभान्वित लघु उद्यमियों की संख्या सम्बन्धी ब्यौरा निम्नोक्त है:

राज्य का नाम	2004-05		2005-06		2006-07	
	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित लघु उद्यमियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित लघु उद्यमियों की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभान्वित लघु उद्यमियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	90	3805	106	4847	41	1737
कर्नाटक	13	559	38	2000	61	2828
राजस्थान	11	285	05	125	-	-
असम	-	-	-	-	04	160

इसके अलावा, संस्थान आन-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता रहा है, विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नोक्त है:

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	हितग्राही लघु उद्यमियों की सख्या
2004-05	129	3075
2005-06	73	1809
2006-07	84	1826

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना

5451. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अति लघु तथा लघु उद्योग इकाइयों के लिए खरीद प्राथमिकता नीति को लागू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में सुगमीकरण परिषदों का गठन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेष रूप से तमिलनाडु के संबंध में ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) इनको कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ख) केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2005 के खण्ड-11 के तहत सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) द्वारा उत्पादित उत्पादों तथा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए वरीयता नीति बनाने के सम्बन्ध में आवश्यक कदमों की शुरूआत की है। केन्द्र सरकार कार्यकारी आदेश, अपने मंत्रालयों/विभागों/सी.पी.एस.यू., इत्यादि द्वारा की जाने वाली खरीद में एम.एस.ई. को वरीयता नीति के माध्यम से पहले ही कार्यान्वयन करती है। इस गैर-सांविधिक नीति में एम.एस.ई. से एकमात्र खरीद के लिए कतिपय उत्पादों का आरक्षण, मुफ्त टेंडर की व्यवस्था के माध्यम से इन इकाईयों को सुविधा प्रदान करना बायाना राशि जमा करने से छूट, 15 प्रतिशत, इत्यादि तक की मूल्य वरीयता शामिल है। बहुत सी राज्य सरकारें एम.एस.ई. के हित लाभ हेतु अपनी नीतियों को वरीयता देती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) से (ङ) एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 प्रत्येक राज्य के लिए यह अनिवार्य करता है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में उनको शासित करने वाले नियमों को अधिसूचित करने के उपरांत कम से कम एक सूक्ष्म तथा लघु उद्यम सुविधा परिषद (एम.एस.ई.एफ.सी.) का गठन करें। भारत सरकार राज्य सरकार के क्रियाकलाप में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से एम.एस.ई.एफ.सी. के लिए मॉडल रूल्स बनाती है। केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अब तक 9 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने अपने नियमों को अधिसूचित करने के उपरांत एम.एस.ई.एफ.सी. गठित

कर ली है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई, त्रिचिरापल्ली, मदुराई तथा कोयम्बटूर में 4एम.एस.ई.एफ.सी. के गठन को अधिसूचित किया है।

वस्त्र उद्योग पर सर्वेक्षण

5452. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग को और अधिक निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए सी आर आई एस आई एल के साथ मिलकर एक संयुक्त सर्वेक्षण किया है जैसाकि दिनांक 2 अप्रैल, 2007 के 'द बिजनेस स्टैन्डर्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकार ने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (घ) सरकार ने वर्ष 2007-08 के लिए 25060 मिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य रखा है।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता एवं गुणत्ता में सुधार के लिए सरकार ने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), शुरू किया है। बेहतर कृषि प्रथाओं, गुणवत्ता की बीजों, बाजार अवसंरचना मेंसुधार तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(5) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से ''निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना'' तथा ''वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना'' का विलय कर ''एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(7) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(8) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(9) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की आठ शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(11) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

नर्सरी-शिक्षा

5453. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री पारसनाथ यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान संरचना क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संरचना की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी प्राइवेट स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में समरूपता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो वर्तमान में नर्सरी में दाखिले के लिए कितनी आयु होना अनिवार्य है;

(च) क्या पहली कक्षा में दाखिले के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार को जानकारी है कि महानगरों के नर्सरी स्कूलों में प्रवेश समाज के संपन्न वर्गों को दिया जाना जारी है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) यद्यपि ''शिक्षा'' विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, लेकिन प्राथमिक-पूर्व शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कोई नियामक ढांचा निर्धारित नहीं किया गया है। मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, भारत सरकार समेकित बाल विकास सेवा स्कीम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है। प्राथमिक-पूर्व शिक्षा इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली छह सेवाओं में से एक है, जो इस स्कीम के अंतर्गत स्थापित आंगनवाड़ी केन्द्रों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्रदान की जाती है। 30.9.2006 तक की स्थिति के अनुसार, आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत प्राथमिक-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या 271.27 लाख है।

(घ) से (झ) भारत सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसे मामलों का अनुवीक्षण नहीं किया जा रहा है।

टीवी चैनल

5454. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में कितने चैनल चल रहे हैं;

(ख) आज की तिथि के अनुसार सरकार के पास अपने टीवी चैनलों को भारत से अपलिंक की अनुमति मांगने संबंधी कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ग) ऐसी अपलिंकिंग की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की ऐसे कार्यक्रमों का अनुवीक्षण करने के लिए कोई प्रणाली है, जो भारत के बाहर बनाए जाते हैं तथा देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से दिखाए जाते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो देश में ऐसे कार्यक्रमों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) 30.4.2007 तक की स्थिति के अनुसार, मंत्रालय ने भारत से अपलिंक करने के लिए 222 निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों को अनुमति दी है और विदेश से अपलिंक किए जा रहे 6 टी.वी. चैनलों को भी भारत में डाउनलिंक करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अतिरिक्त 54 विदेशी टी.वी. चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने की अनंतिम अनुमति दे दी गई है।

(ख) भारत से अपलिंक किए जाने की अनुमति हेतु 71 निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों के प्रस्ताव मौजूदा अपलिंकिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) निजी उपग्रह टी.वी. चैनलों को अपलिंक करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी मानदंड भारत से अपलिंकिंग हेतु दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित हैं जो कि मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mib.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

(घ) से (च) केबल सेवा के जरिए प्रसारित अथवा पुनः प्रसारित उपग्रह टी.वी. चैनलों के सभी कार्यक्रमों में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिताओं के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों का पालन किया जाना होता है। चैनलों के लिए डाउनलिंक किए गए कार्यक्रमों का रिकॉर्ड 90 दिनों की अवधि के लिए रखना और जब भी आवश्यक हो सरकार की किसी एजेंसी के समक्ष इसे प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है जैसाकि डाउनलिंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित किया गया है। सरकार ने उपग्रह टी.वी. चैनलों की विषय-वस्तु की मॉनीटरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनीटरिंग केन्द्र की स्थापना करने की भी संस्वीकृति दे दी है।

परीक्षा संबंधी सुधार

5455. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनसीईआरटी के फोकस ग्रुप ने परीक्षा संबंधी सुधारों पर कुछ आधारभूत उपायों का सुझाव दिया है जैसाकि दिनांक 23 अप्रैल, 2007 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फोकस ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों को सीबीएसई तथा राज्य परीक्षा बोर्डों को भेज दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सीबीएसई तथा राज्य परीक्षा बोर्डों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा गठित परीक्षा सुधार संबंधी राष्ट्रीय फोकस ग्रुप ने अनेक परीक्षा से संबंधित सुधारों की सिफारिश की है जिसमें प्रश्नों के स्वरूप में परिवर्तन, प्रश्नों का उत्तर देने के समय में लचीलापन, अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना, स्कूल आधारित सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करना, विषय चुनने में लचीलापन, वे छात्र जो उसी स्कूल में अगली कक्षा में पढ़ना चाहते हों, के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को ऐच्छिक बनाना तथा परीक्षा को कम तनाव वाली तथा छात्र अनुकूल बनाना आदि शामिल हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा कुछ राज्य परीक्षा बोर्डों ने प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करना, विभिन्न विषयों में आंतरिक मूल्यांकन को महत्व देना, ग्रेडिंग प्रणाली शुरू करना, सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन आदि जैसी कुछ सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

केन्द्र राज्य संबंधों पर पंछी आयोग

5456. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्रीमती मनोरमा माधवराज:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्र राज्य संबंधों पर एक आयोग गठित किया है जैसा कि दिनांक 28 अप्रैल, 2007 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कार्यान्वित सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा कितनी सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की गई और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में एक नया पंछी आयोग गठित किया है;

(च) यदि हां, तो इस आयोग के विचारार्थ विषय सरकारिया आयोग के विचारार्थ विषयों से किस प्रकार भिन्न है;

(छ) क्या सरकार ने पंछी आयोग गठित करने से पहले राज्य सरकारों से परामर्श किया था; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) सरकार ने दिनांक 27 अप्रैल, 2007 की राजपत्रित अधिसूचना द्वारा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में केन्द्र-राज्य संबंधों पर एक नये आयोग का गठन किया है। आयोग को दो वर्षों के भीतर सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) सरकारिया आयोग की तुलना में न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में नये आयोग के विचारार्थ विषय ज्यादा व्यापक हैं। दोनों आयोगों के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए है।

(छ) जी नहीं, श्रीमान।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

"केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश न्यामूर्ति श्री आर एस सरकारिया (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में जून, 1983 में गठित आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:"

"आयोग शक्तियों, कार्यों और दायित्वों के संबंध में संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की सभी रूप में जांच और समीक्षा करेगा और ऐसे परिवर्तनों अथवा अन्य उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हो।

केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों में हुए हैं और हमारे संबिधान निर्माताओं द्वारा आजादी की सुरक्षा के लिए और देश की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने के लिए काफी परिश्रम से तैयार की गई उन स्कीमों और संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सर्वोच्च महत्व का है।"

उपर्युक्त की तुलना में, केन्द्र-राज्य संबंधों के संबंध में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री मदन मोहन पुंछी (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित नए आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

(1) आयोग भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विद्यमान व्यवस्थाओं के कार्य संचालन, अपनाए जा रहे स्वस्थ दृष्टांतों, विधायी संबंधों, प्रशासनिक संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन उपबंधों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, पंचायती और व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे परिवर्तनों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा जो उपयुक्त हों।

(2) केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कार्य संचालन की जांच और समीक्षा करते समय और अपेक्षित परिवर्तनों और उपायों की सिफारिशें करते समय आयोग उन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखेगा जो पिछले वर्षों, खासतौर पर पिछले दो दशकों में हुए हैं और योजना तथा संविधान के ढांचे का पूरा सम्मान करेगा। ऐसी सिफारिशें आवश्यक होगी जिनसे देश की एकता और अखण्डता को सुदृढ़ करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सुशासन सुनिश्चित करने की नई चुनौतियों से निपटा जा सके और नई सहस्त्राब्दि के प्रारंभिक दशकों में गरीबी और अशिक्षा के उन्मूलन के लिए सतत तथा तीव्र आर्थिक विकास के नए अवसर प्राप्त किए जा सकें।

(3) उपरोक्त के संबंध में जांच और सिफारिशें करते समय आयोग द्वारा निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखा जाएगा किंतु वह अपने अधिदेश को इन तक ही सीमित नहीं रखेगा:

(क) साम्प्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा के बड़े पैमाने पर एवं दीर्घकाल तक जारी रहने के दौरान अथवा अन्य किसी ऐसे सामाजिक संघर्ष, जिसके फलस्वरूप दीर्घकालिक व तीव्र हिंसा हुई हो, के दौरान राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(ख) बड़ी परियोजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार जैसे कि नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना जिन्हें पूरा होने में आमतौर पर 15-20 वर्ष लगेंगे और ये पूरी तरह राज्यों के समर्थन पर निर्भर हैं।

(ग) संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को निर्धारित अवधि के भीतर शक्तियों एवं स्वायत्ता के प्रभावी प्रत्यायोजन को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(घ) जिला स्तर पर स्वतंत्र नियोजन एवं बजट बनाए जाने की अवधारणा और प्रथा को बढ़ावा देने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(ङ) विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय सहायता को राज्यों की भूमिका के साथ सम्बद्ध करने में राज्यों की तुलना में केन्द्र की भूमिका, उत्तरदायित्व और क्षेत्राधिकार।

(च) पिछले राज्यों के पक्ष में सकारात्मक विभेद के आधार पर दृष्टिकोण तथा नीतियों को अंगीकार करने में केन्द्र की भूमिका, दायित्व और क्षेत्राधिकार।

(छ) विशेष रूप से केन्द्र से निधियों के अंतरण पर राज्यों की अधिक निर्भरता को देखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में 8वें से 12वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का प्रभाव।

(ज) मूल्य संवर्धित कर प्रणाली की शुरूआत होने के पश्चात माल के उत्पादन तथा बिक्री पर अलग-अलग कर लगाए जाने की आवश्यकता तथा प्रासंगिकता।

(झ) एक एकीकृत एवं अखण्डित घरेलू बाजार स्थापित करने के उद्देश्य से तथा सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अध्याय XVIII में दी गई इसकी सिफारिशों को स्वीकार करने में राज्य सरकारों की अनिच्छा के संदर्भ में भी अंतर-राज्य व्यापार को मुक्त करने की आवश्यकता।

(ञ) एक ऐसी केन्द्रीय विधि प्रवर्तन एजेंसी स्थापित किए जाने की आवश्यकता जो उन अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत हो जिनकी अंतर-राज्य तथा/अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति हो एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ते हों।

(ट) राज्यों में केन्द्रीय बलों की, जब और जहां परिस्थितियों की ऐसी मांग हो, स्वतः तैनाती के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के अंतर्गत एक समर्थक विधायन की व्यवहार्यता।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों को बंद किया जाना

5457. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की कुछ और मिलों को बंद करने निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और मिल-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप मिल-वार कितने कामगारों के प्रभावित होने की संभावना है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार का विचार इन मिलों की वर्तमान देनदारियों का निपटारा किस प्रकार करने का है;

(ङ) क्या सरकार ने पहले निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से तीस मिलों को पुनः चालू करने का निर्णय लिया था;

(च) यदि हां, तो अन्य मिलों को छोड़े जाने के क्या कारण हैं;

(छ) प्रस्तावित संयुक्त उद्यम में निजी कंपनियों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ज) तीस मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) और मंत्री समूह (जीओएम) द्वारा अनुमोदित संशोधन पुनर्वासन योजना के अनुसार संयुक्त उद्यम के जरिये पुनरूद्धार की जाने वाली 30 मिलों में से 12 गैर-कार्यात्मक मिलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि इन मिलों में कोई उत्पादन क्रियाकलाप नहीं चल रहे हैं और ज्यादातर कर्मचारियों ने संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) के तहत सेवानिवृत्ति ले ली है। निर्णय के अनुसार इसमें से 2 मिलें बंद कर दी गई हैं तथा 10 और मिलों को बंद किया जाना है। इन मिलों के विशेष कर्मचारियों को भी एमवीआरएस की पेशकश की गयी है। इन 10 मिलों में प्रभावित होने वाले कामगारों का मिल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की गैर-अर्थक्षम मिलों के बंद होने से प्रभावित हुए कामगारों के लिए एक उदार संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) की पेशकश की है। इस योजना में कामगारों को मजदूरी में संशोधन की तिथि के आधार पर कामगारों को अनुग्रह राशि के भुगतान में 50% से 100% तक वृद्धि करने का प्रावधान है। इसके अलावा, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण देने तथा पुनर्तैनाती के लिए एक योजना बनाई है और एनटीसी के कर्मचारी ऐसे कार्यक्रमों से लाभान्वित होते हैं।

(घ) बंद मिलों की विद्यमान देयताओं के निपटान के लिए एनटीसी द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ङ) से (ज) संयुक्त उद्यम के जरिये तीस मिलों का पुनरूद्धार किए जाने का प्रस्ताव था। तथापि, चूंकि इन मिलों में से 12 में उत्पादन पूरी तरह बंद हो चुका था और ज्यादातर कर्मचारियों ने एमवीआरएस ले ली है, अतः बीआईएफआर और मंत्री समूह (जीओएम) एनटीसी की प्रमुख भागीदारी से संयुक्त उद्यम के जरिये शेष 18 मिलों का पुनरूद्धार करने के लिए अनुमोदन किया है जिसमें इन 18 मिलों में से एक मिल अर्थात इंडिया यूनाइटेड मिल सं. 6, मुंबई की भूमिका पर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर का विकास शामिल है।

विवरण

बंदी के लिए राज्य-वार प्रस्तावित 10 मिलों में 1.4.2007 की स्थिति के अनुसार नामावली में कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/मिल का नाम	1.4.2007 की स्थिति के अनुसार नामावली में कर्मचारियों की संख्या
आंध्र प्रदेश		
1.	अनंतपुर काटन मिल्स	7
कर्नाटक		
2.	श्री येल्लमा काटन मिल्स	2
पंजाब		
3.	खरार टेक्सटाइल मिल्स	84
4.	सूरज टेक्सटाइल मिल्स	49
राजस्थान		
5.	महालक्ष्मी मिल्स	129
6.	श्री बिजय काटन मिल्स	82
गुजरात		
7.	अहमदाबाद न्यू टेक्सटाइल मिल्स	92
उत्तर प्रदेश		
8.	स्वदेशी काटन मिल्स नैनी	152
बिहार		
9.	बिहार को-ओपरेटिव मिल्स	129
असम		
10.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	92
	कुल	818

सीमेंट का आयात

5458. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रशीद मसूद:
श्री संतोष गंगवार:
श्री राकेश सिंह:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमेंट की मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने सीमेंट आयात का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मूल्य और मात्रा का ब्यौरा क्या है तथा किन देशों से इनका आयात किए जाने की संभावना है; और

(ग) देश में सीमेंट की तेजी से बढ़ती कीमतों को घटाने में सीमेंट आयात के कितना सहायक होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) सीमेंट का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत किया जाता है और कोई भी अपेक्षित मात्रा का आयात कर सकता है बशर्ते यह बीआईएस मानकों के अनुरूप हो। सीमेंट की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से दिनांक 21 जनवरी, 2007 की स्थिति के अनुसार सीमेंट पर आयात शुल्क 12.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया था। अपनी बजट घोषणा में सरकार ने सीमेंट पर दोहरी उत्पाद शुल्क संरचना भी लागू की है (190 रुपए प्रति बैग से ज्यादा अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) वाले सीमेंट पर 600 रुपए प्रति मी. टन का उत्पाद शुल्क और 190 रु. प्रति बैग या उससे कम अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) वाले सीमेंट पर 100 रुपए प्रति मी. टन का उत्पाद शुल्क)।

उपर्युक्त के अलावा, वित्त मंत्रालय ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क समाप्त कर दिया है (दिनांक 3 अप्रैल, 2007 से सीमेंट पर उत्पाद शुल्क तथा 4% के विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क के समतुल्य)। आयातकों को सीमेंट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2003 जिसमें अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन का प्रावधान है, का पालन करना होगा।

डिजास्टर रिस्पोंस एंड डिजास्टर मिटिगेशन फंड्स

5459. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में डिजास्टर रिस्पोंस फंड एंड डिजास्टर मिटिगेशन फंड की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन फंडों की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 26 दिसंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 46 और 47 में क्रमशः राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि और राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि सृजित किए जाने का प्रावधान है। इन निधियों का सृजन अभी तक नहीं किया गया है।

इन निधियों के सृजन की पद्धति संबंधित मंत्रालय और योजना आयोग के साथ परामर्श करके तैयार की जा रही है।

लौह-अयस्क की बंद की गई खानें

5460. श्री अनंत नायक: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बंद की गई लौह-अयस्क खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खानों में खनन कार्यकलापों को बंद करने के क्या कारण है;

(ग) इन खानों को बंद किए जाने के कारण प्रभावित कर्मचारियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, खान को अंतिम रूप से बंद करने के लिए आई बी एम से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई लौह-अयस्क खान बंद नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू उत्पादन इकाई

5461. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन इकाइयों का ब्यौरा क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान एसईजेड क्षेत्रों में तम्बाकू के उत्पादन हेतु स्वीकृति दी गई है;

(ख) इनके उत्पादन, निर्यात, निर्यात गंतव्य का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक इकाई द्वारा कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा प्रवर्तकों/स्वामियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन इकाइयों को सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार लाइसेंस दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्पादकों ने अपने एसईजेड क्षेत्रों में और एसईजेड क्षेत्रों के बाहर बनाई जा रही सिगरेटों के ब्रांड नामों की घोषणा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (च) वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा चालू वर्ष में किसी भी विशेष आर्थिक जोन में तम्बाकू विनिर्माता इकाइयों की स्थापना हेतु कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

तकनीकी संस्थाओं द्वारा शुल्क और मूल दस्तावेजों को लौटाया जाना

5462. श्री जुएल ओराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी तकनीकी संस्थाओं को छात्रों द्वारा अपना नाम कटवाने पर शुल्क और मूल दस्तावेजों को लौटाने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश तकनीकी संस्थाओं ने सरकार के निदेशों का अनुपालन नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की धारा 20(1) के अंतर्गत क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को छात्र द्वारा कार्यक्रम छोड़ने पर शिक्षा शुल्क वापस करने और संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों द्वारा मूल विद्यालय/संस्था छोड़ने के प्रमाणत्र न रखने पर निर्देश जारी किए है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इस सम्बंध में दिनांक 19 अप्रैल, 2007 के सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले सम विश्वविद्यालयों सहित तकनीकी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का अनुपालन न करने वाली तकनीकी संस्थाओं के सम्बंध में कोई फीडबैक नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निर्देश लागू करने का उत्तरदायित्व दिया गया है।

हस्तशिल्प केन्द्र

5463. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ने हस्तशिल्प हेतु स्रोत केन्द्रों को स्थापित करने के लिए पांच स्थलों में से एक के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या सहित उद्देश्य और कार्य क्या है;

(ग) क्या परिषद द्वारा उत्पादन हेतु किन्हीं केन्द्रों तथा बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। तथापि, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ई पी सी एच), नई दिल्ली ने हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन हेतु वाणिज्य मंत्रालय की निर्यात के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्य को सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय विपणन परियोजना को जोर-शोर से आरंभ किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग को राजसहायता

5464. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों को कोई राजसहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजसहायता में वृद्धि किए जाने का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत 20.4.2005 के ऋण संपर्क पूंजी सहायता योजना शुरू की है। योजना में वस्त्र प्रसंस्करण उद्योगों के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जा रही 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% की दर से पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस क्षेत्र के लिए सब्सिडी की मात्रा में वृद्धि करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

[हिन्दी]

एकल बालिका को निःशुल्क शिक्षा

5465. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एकल बालिका को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की योजना में परिवर्तन किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना की एकल बालिका लाभार्थियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परिवर्तन के एकल बालिका को निःशुल्क शिक्षा का योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली अपने माता-पिता की इकलौती बालिका हेतु स्कीम कक्षा 6 तथा उससे आगे की कक्षाओं में शुल्क से पूरी तरह छूट देकर शुरू की गई है। कई स्कूलों ने इसका विरोध किया और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, और स्कीम के संचालन पर स्थगन ले लिया। अतः इस स्कीम में संशोधन करते हुए वर्ष 2006-07 से कक्षा XI और XII में पढ़ने वाली इकलौती बालिका संतान के लिए छात्रवृत्ति स्कीम प्रारंभ की गई है।

(ग) कक्षा XI तथा XII हेतु छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (ङ) इस छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मेधावी एकल बालिका विद्यार्थियों को प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत करना है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान कक्षा XI तथा XII हेतु छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत शामिल एकल बालिकाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2006-07
1	2	3
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	3
3.	असम	11
4.	बिहार	5

1	2	3
5.	छत्तीसगढ़	24
6.	गुजरात	9
7.	हरियाणा	14
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू-कश्मीर	5
10.	झारखंड	12
11.	कर्नाटक	19
12.	केरल	339
13.	मध्य प्रदेश	25
14.	महाराष्ट्र	9
15.	मणिपुर	1
16.	मेघालय	1
17.	नागालैण्ड	1
18.	उड़ीसा	8
19.	पंजाब	9
20.	राजस्थान	34
21.	तमिलनाडु	60
22.	त्रिपुरा	2
23.	उत्तरांचल	6
24.	उत्तर प्रदेश	48
25.	पश्चिम बंगाल	25
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
27.	चंडीगढ़	3
28.	दिल्ली	72
29.	पुडुचेरी	1
30.	विदेशी विद्यालय	4
	कुल	756

पेटेंट अधिनियम

5466. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकरण और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) पद्धति के मद्देनजर प्रक्रिया पेटेंट अधिनियम के स्थान पर उत्पाद पेटेंट अधिनियम के प्रवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उत्पाद पेटेंट को अपनाने के कारण लघु उद्योगों पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव की समीक्षा करने हेतु कोई समिति अथवा जांच समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो धनराशि की कमी के कारण अनुसंधान के खर्च को वहन करने में असमर्थ लघु उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी और उत्पाद अनुसंधान हेतु सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है अथवा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) लघु उद्योगों में उत्पाद पर रॉयल्टी के संबंध में सरकार की क्या भूमिका है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ख) खाद्य, औषधि एवं रसायनिक खोजों के लिये उत्पाद पेटेंट प्रणाली 1 जनवरी, 2005 से लागू की गई है। अतः लघु उद्योगों पर उत्पाद पेटेंट के प्रभाव का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

(ग) प्रौद्योगिकी उन्नयन, उन्नत संयंत्र एवं मशीनरी का अधिग्रहण तथा प्रबंधन एवं प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये सरकार कई योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है जिसके तहत लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता सहित, प्रोत्साहन उपलबध कराए जाते हैं। लघु उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास हेतु वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की भी एक योजना है। लघु उद्योग एककों में जागरूकता का सृजन करने के लिये सरकार संवेदनशील संबंधी कार्यक्रमों का भी आयोजन कर रही है।

(घ) रायल्टी लाइसेंसप्रदाता तथा लाइसेंसधारी के बीच समझौते की विषयवस्तु है। पेटेंट अधिनियम, पेटेंट के उपयोग की स्थिति में संगत रायल्टी भुगतान की व्यवस्था करता है।

पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति

5467. श्री महावीर भगोरा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज द्वारा निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान पैकेज के अंतर्गत जारी धनराशि और सम्मिलित लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त पैकेज के अंतर्गत राज्य-वार रोजगार के कितने अवसरों का सृजन हुआ है;

(घ) क्या पैकेज का मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) औद्योगिक एककों के दावों का निपटारा करने के लिए निधियां जारी की गई हैं। जारी की गई निधियों और ऐसे दावों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) वर्ष 2004 में टाटा इकोनॉमिक कन्सल्टेंसी सर्विसेज (टी.ई.सी.एस.) द्वारा पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 1999 से सितम्बर, 2004 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर में कुल 1,067.28 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कुल 681 एकक स्थापित किए गए और 20,709 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ। टी.ई.सी.एस. की सिफारिशें और पैदा किए गए रोजगार के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। टी.ई.सी.एस. की सिफारिशों के आधार पर पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति, 1997 में संशोधन किया गया है और दिनांक 1.4.2007 को 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति, 2007' नामक एक नई नीति अधिसूचित की गई है।

विवरण I

केन्द्रीय पूंजी निवेश राजसहायता

(करोड़ रुपये में)

राज्य	2004-05		2005-06		2006-07	
	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि	दावों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7
असम	25	3.37	124	15.75	44	6.68
अरुणाचल प्रदेश	3	0.55	3	0.61	1	0.17
मेघालय	16	3.40	26	5.01	5	0.80
मिजोरम	0	0.00	6	0.51	-	-
नागालैण्ड	0	0.00	0	0.00	126	1.07
त्रिपुरा	5	0.18	1	0.30	2	0.36
सिक्किम	1	0.23	7	0.75	5	0.50
केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना						
असम	75	2.60	49	3.59	27	3.94
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	1	0.04	-	-

1	2	3	4	5	6	7
मेघालय	61	1.54	16	0.41	2	0.21
मिजोरम	0	0.00	0	0.00	–	–
नागालैण्ड	0	0.00	0	0.00	–	–
त्रिपुरा	11	0.15	1	0.26	–	–
सिक्किम	1	0.14	0	0.00	–	–

केन्द्रीय व्यापक बीमा योजना

(रुपये में)

राज्य	2004-05 राशि	2005-06 राशि	2006-07 राशि
असम	15251769	17028906	6717000
अरुणाचल प्रदेश	203303	233303	–
मणिपुर	–	–	–
मेघालय	2207122	2353279	3181000
मिजोरम	0	0	–
नागालैण्ड	0	10436	–
त्रिपुरा	186092	403041	167000

विवरण II

टी.ई.सी. द्वारा किया गया प्रभाव मूल्यांकन

(वर्ष 1999 से सितम्बर, 2004 तक)

राज्य	एककों की संख्या	निवेश (करोड़ रुपये)	प्रतिशत भाग	पैदा किया गया प्रत्यक्ष रोजगार
असम	520	528.19	49.49	12,422
मेघालय	61	441.01	41.32	6,056
अरुणाचल प्रदेश	11	39.86	3.73	577
त्रिपुरा	34	31.58	2.96	665
नागालैण्ड	46	19.64	1.84	4.39
मिजोरम	4	4.00	0.39	300
मणिपुर	5	3.00	0.28	250
योग	681	1,067.28	100.00	20,709

टी.ई.सी.एस. के मुख्य निष्कर्ष

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे निवेशों की बहुलता, अर्थात, 69 प्रतिशत नई इकाइयां 1.0 करोड़ रुपये से भी कम निवेश से स्थापित की गई और उनमें से केवल 18 प्रतिशत ही 1-2 करोड़ की श्रेणी में थी।

2. सेक्ट्रल स्तर पर, कुल निवेश का लगभग 50 प्रतिशत सीमेंट, धातुकर्मी विज्ञान एवं लौह-मिस्त्रधातुओं में 20 प्रतिशत चाय में, 8 प्रतिशत खाद्यों व पेयों में तथा 7 प्रतिशत कास्मेटिक व उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में था जिस पर उत्पाद शुल्क की उच्च दर लागू थी।

3. स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों, जैसा कि चाय और जूट ने भी इस नीति से लाभ उठाया।

4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल औद्योगिक निवेश में कुल निवेशों का असम और मेघालय राज्यों का मिलाकर 91 प्रतिशत हिस्सा था।

5. 18 जोर दिए जाने वाले उद्योगों में से, जिनकी पहचान स्थानीय संसाधनों के आधार पर की गई थी, केवल 6 उद्योगों, नामत: खाद्य, कृषि आधारित, अनाज आधारित उत्पाद, कागज उत्पाद, प्लास्टिक और खनिज आधारित उद्योगों ने ही प्रर्याप्त निवेश आकर्षित किया।

6. निवेशों का प्रवाह अधिकांशत: उच्च उत्पाद शुल्क वाले उद्योगों में उत्पाद शुल्क छूट का फायदा उठाने से प्रेरित था और उत्पाद शुल्क वापसी के 50 प्रतिशत से अधिक भाग का फायदा तम्बाकू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में लिया गया, जिनमें निवेश की मात्रा कम थी।

7. घटती ब्याज दरें पूर्वोत्तर क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी और ब्याज दरें 100 प्रतिशत ऋणाधार अपेक्षाओं के साथ 14-15 प्रतिशत बनी हुई हैं। बैंकिंग संस्थाएं अभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र को अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र मानती हैं जो सावधि ऋण ब्याज राजसहायता की जरूरतों की ओर संकेत करता है।

8. आधारभूत सुविधाओं की तंगी, विशेषकर बिजली की उपलब्धता/विश्वसनीयता, बाजार का आकार उद्यमिता क्षमता तथा ऋण सुविधाओं की कमी के साथ-साथ सुरक्षा चिंता के विषय निवेश को दूर रखने वाले प्रमुख कारक रहे हैं।

9. पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति का चाय क्षेत्र पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

10. निवेश प्रवाह मुख्यत: उत्पाद शुल्क लाभों के दृष्टिकोण से संचालित हुआ। हैंडलूम, हस्तशिल्प और कृषि उद्योग जैसे क्षेत्र, जो उत्पाद शुल्क के दायरे से बाहर हैं, पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में सक्षम नहीं रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्षेत्र उच्च रोजगार सम्भाव्यता वाले क्षेत्र भी हैं।

11. समग्र लागत लाभों के बारे में किए गए समूचे विश्लेषण से स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति का सकारात्मक प्रभाव हुआ है, फिर भी यह वांछित स्तर तक नहीं हुआ है।

12. एन.ई.आई.पी., 1997 के बाद में जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए घोषित किए गए विशेष पैकेजों का पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेशों के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

टी.ई.सी.एस. की मुख्य सिफारिशें

किए गए अध्ययन एवं विभिन्न पणधारकों से विचार-विनियम के आधार पर टी.ई.सी.एस. ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(1) पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति को वर्ष 2007 से आगे बढ़ाना।

(2) नीति के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों को इकाइयों के स्थान पर ध्यान दिए बिना, मौजूदा इकाइयों एवं नई इकाइयों के लिए लागू करना।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं, पर्यटन स्वास्थ्य देखभाल और निर्माण कार्यकलापों आदि जैसे सेवा क्षेत्रों में लिए भी प्रोत्साहनों को लागू करना।

(4) गुणवत्ता संबंधी आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान।

(5) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट।

(6) परिवहन राजसहायता योजना दस वर्षों के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए, जिसमें राज्यों के भीतर वस्तुओं का संचलन भी परिवहन राजसहायता हेतु पात्र हो।

(7) एक विस्तृत एवं ग्रेड पूंजी निवेश राजसहायता का आरंभ करना।

(8) ब्याज राजसहायता के मौजूदा स्तर को बढ़ाना तथा इसे आवधिक ऋणों पर भी लागू करना।

(9) ''पर्याप्त विस्तार'' की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाना।

(10) सेवा क्षेत्र के उद्योगों को सेवा कर से छूट प्रदान करना।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति

5468. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक छात्रों की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने हेतु निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए भी अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अल्पसंख्यकों को शैक्षिक योजना का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति की समीक्षा की थी। समिति ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2004-05 और आवधिक रिपोर्ट 2006-07 में कई सिफारिशें की हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित करने संबंधी सिफारिश सहित इन सिफारिशों से सभी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों को अवगत करा दिया गया है। राज्य सरकारों ने इन सुझावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और उनमें से कुछ तो समिति के सुझावों पर पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा अनुवीक्षण समिति अल्पसंख्यक समुदायों, शैक्षिक संस्थाओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ निरंतर तालमेल कर रही है और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते समय इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

सुपारी का निर्यात-आयात

5469. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की सुपारी का आयात और निर्यात किया गया और सुपारी के आयात-निर्यात वाले देशों के नाम क्या हैं; और

(ख) कर्नाटक से सुपारी के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) आयातित और निर्यातित सुपारी की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

	आयात		निर्यात	
	मात्रा टनों मे	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा टनों में	मूल्य करोड़ रु. में
2004-05	34,104	47	4,615	25
2005-06	56,344	80	4,113	28
2006-07*	56,035	87	2,268	12

*आयात हेतु आंकड़े नवम्बर, 2006 तक और निर्यात हेतु आंकड़े अक्टूबर, 2006 तक के हैं।

देश-वार ब्यौरे वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी, खण्ड-1 (निर्यात) और खण्ड-2 (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशन में दिए गए हैं जो संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

5470. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर चुके विशेष आर्थिक क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकासकर्ताओं द्वारा केन्द्र सरकार को आवश्यक दस्तावेज भेजे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो अधिसूचना जारी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) गुजरात सहित विभिन्न राज्य-सरकारों हेतु लंबित प्रस्तावों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ख) जी हां। औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेडों तथा अब तक अधिसूचित एसईजेडों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रदत्त औपचारिक अनुमोदन	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित एसईजेड
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	44	27
2.	चंडीगढ़	2	1
3.	दिल्ली	1	–
4.	गोवा	4	1
5.	गुजरात	19	8
6.	हरियाणा	19	7
7.	झारखंड	1	1
8.	कर्नाटक	27	14
9.	केरल	10	6
10.	मध्य प्रदेश	4	2
11.	महाराष्ट्र	47	13
12.	उड़ीसा	5	–
13.	पुडुचेरी	1	–
14.	पंजाब	4	2
15.	राजस्थान	3	1
16.	तमिलनाडु	25	16
17.	उत्तरांचल	3	–
18.	उत्तर प्रदेश	8	3
19.	पश्चिम बंगाल	7	1
	कुल	234	103

(ग) से (ङ) अधिसूचना जारी करने के लिए विकासकर्ता को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 7 के अनुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना अपेक्षित होता है जिन्हें उसके द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किया जाता है। तथापि भूमि के अधिग्रहण सहित एसईजेडों से संबंधित विभिन्न मुद्दे विचाराधीन रहने तक यह निर्णय लिया गया था कि 63 अधिसूचित एसईजेडों से आगे औपचारिक रूप से अनुमोदित एसईजेडों के संबंध में अधिसूचनाएं अधिकार प्राप्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद ही जारी की जाएं। ईजीओएम ने अब अधिसूचनाएं जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है तथा 5 अप्रैल, 2007 के बाद 40 और अधिसूचनाएं जारी की चुकी है।

[हिन्दी]

कश्मीरी आंतकवादियों को विदेश से धन

5471. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में आतंकवादी को विदेश से धन प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला;

(ग) इन मामलों में कौन-कौन से देश लिप्त है; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	सूचित मामले
1.	2004	04
2.	2005	12
3.	2006	16

(ग) जम्मू और कश्मीर के आतंकवादी गुटों का वित्त पोषण विभिन्न देशों में स्थित निर्वासित कश्मीरी और मुस्लिम संगठन कर रहे हैं।

(घ) आतंकवादियों के वित्तपोषण की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियां परस्पर समन्वय और आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं। इसके अलावा, आतंकवादियों के वित्त पोषण से संबंधित ठोस और कार्रवाई योग्य सूचना हासिल करने के लिए सरकार ने एक विशेष आर्थिक आसूचना सैल भी गठित किया है।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद

5472. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद का विचार अपना प्रबंध संस्थान स्थापित करने का है; जैसा कि दिनांक 9 अप्रैल, 2007 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इनके स्थानों को दर्शाते हुए तत्संबंधी उद्देश्यों सहित राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितना खर्चा होने का अनुमान है; और

(घ) प्रस्तावित संस्थानों को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी) के अधीन अपैरल प्रबंधन संस्थान की अवधारणा उनके अपने कैम्पस में अपैरल प्रबंधन और संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ नए प्रतिस्पर्धी युग में अपैरल उद्योग प्रबंधन के लिए अपेक्षित तीव्र प्रतिस्पर्धा वाली शिक्षा प्रदान कराना है।

(ग) सरकार, अपैरल इंटरनेशनल मार्ट के निर्माण, जिसमें ए ई पी सी का अपैरल प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा, के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है।

(घ) यह संस्थान अगस्त, 2007 तक स्थापित किए जाने की आशा है।

विज्ञापन दर

5473. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय कुछ समाचारों-पत्रों विशेषकर बड़े समाचार-पत्रों विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) दरों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापन को प्रकाशित करने के इच्छुक न होने के कारण समस्याओं का समाना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डीएवीपी ने पीएसयू/स्वायत्तशासी निकायों के विज्ञापन को डीएवीपी की दरों के अनुसार स्वीकार करने हेतु समाचार-पत्रों को मनाया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर समाचार-पत्र स्वामियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या दर संरचना समिति ने विज्ञापन दरों को अंतिम रूप दे दिया है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): (क) से (ग) भारतीय समाचारपत्र सोसायटी (आई एन एस) ने सभी सदस्य समाचारपत्रों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों के विज्ञापनों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय की दरों पर प्रकाशित न करने का निदेश

दिया है। डा. ए.वी.पी., विज्ञापन नीति के खंड 18 (च) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विज्ञापनों को प्रकाशित करने से मना करने वाले समाचार-पत्रों को पत्र लिखता रहा है। अभी तक उनसे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (ङ) जी, हां। प्रिंट, मीडिया विज्ञापन दरों के संबंध में दर संरचना समिति की सिफारिशों को दिनांक 1.1.2006 से कार्यान्वित कर दिया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

दर संरचना समिति की सिफारिशें

1. कार्ड दरों पर सहमत नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि समाचारपत्र प्रतिष्ठान कार्ड दरों को किस आधार पर निर्धारित करते हैं। कार्ड दरों के निर्धारण में लागत के अतिरिक्त ध्यान में रखे गए तथ्यों को भी नहीं बनाया गया। कार्ड दरों पर दी गई छूट में भिन्नता कार्ड दरों में दी गई छूट को निर्धारित करने की प्रक्रिया भी मुहैया नहीं कराई गई।

2. समिति ने 5 सेमी की मानक कालम चौड़ाई वाले 100000 की प्रसार संख्या वाले दैनिकों के लिए 114.31 रु. प्रति कालम से.मी. की दर की सिफारिश की है, जिसको मानक न्यूजप्रिंट के लिए 26500 रु. प्रति एम.टी. न्यूजप्रिंट की लागत तथा लागत के अन्य विविध कारकों, छोटे एवं मझोले समाचारमत्रों के लिए वेटेज, पुलिंग पावर वेटेज तथा उचित लाभ के अतिरिक्त कमीशन के आधार पर निर्धारित किया गया है।

3. समिति ने 5 से.मी. की मानक चौड़ाई वाले 100000 की प्रसार संख्या वाले अनबाउंड प्रकाशनों के लिए 131.38 रु. प्रति कालम से.मी. की दर की सिफारिश की है, जिसे ग्लेज्ड पेपर पर 32500 रु. प्रति एम.टी. की दर तथा लागत के अन्य विविध कारकों, छोटे एवं मझोले समाचारपत्रों के लिए वेटेज, पुलिंग पावर वेटेज तथा उचित लाभ के अतिरिक्त कमीशन के आधार पर निर्धारित किया गया है।

4. समिति ने 5 से.मी. मानक कालम चौड़ाई वाले 1000000 की प्रसार संख्या वाले बाउंडेड प्रकाशनों के लिए 145.47 रु. तथा 162.54 रु. प्रति कालम से.मी. की दर की सिफारिश की है, जिसे लागत के अन्य विविध कारकों, छोटे एवं मझोले समाचारपत्रों के लिए वेटेज, पुलिंग पावर वेटेज तथा उचित लाभ के अतिरिक्त कमीशन पर विचार करते हुए मानक न्यूजप्रिंट हेतु 265000 रु., तथा ग्लेज्ड पेपर हेतु 32500 रु. प्रति एम.टी. आधार पर निर्धारित किया गया है।

5. समिति सिफारिश करती है कि विदृप्रनि को प्रदत्त 15 प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त वर्तमान में मान्य 10 प्रतिशत श्रृंखला छूट को समाचारपत्रों के कालमों में प्रकाशित यूपीएससी के विज्ञापनों के लिए जारी रखा जाए।

6. समिति ने 1000000 तक की प्रसार संख्या के लिए मौजूदा 16 स्लैबों की तुलना में प्रतियों की प्रसार संख्या के आधार पर दैनिकों, साप्ताहिकों, पाक्षिकों तथा मासिकों को प्रकाशनों हेतु 10 स्लैब दर ढांचे की सिफारिश की है। न्यूनतम स्लैब को 2000 से बढ़ा कर 5000 प्रसार संख्या कर दिया गया है।

7. कुछ समाचारपत्रों ने प्रकाशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयामों को अपनाया है, जिससे समग्र आकार में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई है। अनेक अन्य समाचारपत्र भी नए आयामों को अपनाने की योजना बना रहे हैं, अतः समिति ने सिफारिश की है कि दर प्रायोजनों के लिए मानक विज्ञापन इकाई कालम से.मी. के स्थान पर वर्ग से.मी. होनी चाहिए। 100000 के सर्कुलेशन वाले दैनिकों के लिए 22.86 रुपए प्रति वर्ग से.मी. की दर की सिफारिश की गई है। समाचारपत्रों और पत्रिकाओं, जिनका सर्कुलेशन 100000 से अधिक है, की प्रत्येक 1000 अतिरिक्त प्रतियों के लिए वही दरें लागू होंगी। इसी प्रकार, साप्ताहिक/मासिक/अनबाउंड/बाउंड प्रकाशनों के लिए विज्ञापन हेतु उपयोग किए गए वास्तविक स्पेस के लिए प्रति वर्ग से.मी. की दर से भुगतान किया जाए।

8. अनुशंसित दर ढांचा 1 जनवरी, 2006 से लागू किया जाए, ताकि इसे सुझाए गए दर अनुबंध अवधि के अनुरूप बनाया जा सके। अनुशंसित दर ढांचा तीन वर्षों की अवधि अर्थात, 21 दिसम्बर, 2008 तक लागू रहेगा। इसके पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती है।

9. अनबाउंड एवं बाउंड साप्ताहिकों, पाक्षिकों और मासिकों को आम तौर पर दैनिकों की तुलना में अत्यधिक वेटेज दिया जाता है। समिति दैनिकों के लिए संस्तुत दरों की तुलना में साप्ताहिकों, पाक्षिकों और मासिकों के लिए निर्धारित मौजूदा विभेदक दरों को जारी रखने की सिफारिश करती है।

10. समिति की सिफारिश है कि रंगीन विज्ञापनों की दर श्याम-श्वेत विज्ञापनों की दरों की तुलना में से 40% तक बढ़ा दी जाए।

11. यदि न्यूजप्रिंट की लागत में अत्यधिक परिवर्तन होता है तो एक 1.1.2006 से प्रभावी होने वाली सिफारिश की दरें बढ़त्तरी फार्मूले के आधार पर वर्ष में एक बार संशोधित की जा सकती है। इस प्रयोजन के लिए न्यूजप्रिंट/ग्लेज्ड पेपर की संशोधित कीमत न्यूज प्रिंट/ग्लेज्ड पेपर पर आई लागत के औसत आधार पर निर्धारित होनी चाहिए।

12. समिति सिफारिश करती है कि इस प्रकार के सभी समाचारपत्रों के लिए एबीसी सर्कुलेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया जाए, जो 75000 से अधिक सर्कुलेशन का दावा करते हैं। इससे एबीसी के कार्यभार में अत्यधिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। उन्हें जांच कार्य करने के लिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेटों को अधिक संख्या में सूचित करने के साथ-साथ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेटों का पैनल बनाने का परामर्श दिया जाए।

13. 2500 प्रतियों से अधिक प्रसार वाले समाचारपत्रों के लिए समिति ने सिफारिश की है कि जिन कॉस्ट आकाउंटेंट के पास प्रैक्टिस करने के वैध प्रमाणपत्र है, उन्हें प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेट के अलावा सर्कुलेशन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भी प्राधिकृत किया जा सकता।

14. समिति सिफारिश करती है कि प्रस्तावित दरें समाचारपत्रों के श्रृंखला समूह के प्रत्येक संस्करण पर, इसे इसकी प्रसार संख्या के तथ्यों तथा इन्हें दी गई पृथक के आधार पर, एक पृथक इकाई मानते हुए, लागू होंगी।

15. समिति सिफारिश करती है कि भिन्न आर.एन.आई. संख्या वाले दैनिक समाचारपत्रों के रविवारीय संस्करणों हेतु सम्बन्धित दैनिकों की प्रचलित दरों को उनके साप्ताहिक अंकों के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है।

16. समिति सिफारिश करती है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा स्वायत्त निकायों को विदृप्रनि के माध्यम से अपने विज्ञापन भेजने का निदेश दिया जाए चूंकि इसकी दरें अत्यधिक कम हैं, जिसके कारण विज्ञापन पर होने वाले सार्वजनिक व्यय में कमी आएगी।

17. समिति सिफारिश करती है कि 2000 की मौजूदा छूट सीमा को आर.एन.आई. द्वारा प्रसार संख्या जांच के प्रयोजनार्थ 5000 की प्रसार संख्या तक बढ़ाया जाए। कॉस्ट/चार्टर्ड एकाउंटेंटों के प्रमाणपत्र विदृप्रनि द्वारा स्वीकार किए जाए।

स्कूल में बच्चों का दाखिला

5474. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री रायापति सांबासिवा राव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में बच्चों के स्कूल में दाखिला लेने की संख्या कम है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में दाखिले का आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान जारी धनराशि से प्रत्येक स्कूल हेतु आंध्र प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान स्कूल में विशेषकर आंध्र प्रदेश सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में बच्चों के दाखिले की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या ग्रामीण स्कूलों में बालिकाओं के दाखिले की संख्या में शहरी क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ज) क्या कुछ राज्य बच्चों को स्कूल भेजने और उनके लिए गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने में अब भी काफी पीछे हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (झ) वर्ष 2004-05 में कक्षा I-XII (6

से 18 वर्ष की आयु) के लिए आंध्र प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तथा बाल-बालिकावार सकल नामांकन अनुपात का विवरण संलग्न है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वार्षिक कक्षावार नामांकन आंकड़े अलग से एकत्र नहीं किए जाते इसीलिए इन क्षेत्रों के लिए सकल नामांकन अनुपात की गणना अलग से नहीं की जा सकती।

राज्यों को विद्यालयवार और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रवार निधियां आबंटित नहीं की जाती है।

सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम के तहत प्रारम्भिक शिक्षा में बालिकाओं की सुलभता को बढ़ाया जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बालिकाओं की सतत सहायता के लिए लचीली अध्ययन पद्धति, बाल्यकाल पूर्व देखभाल, शैक्षिक पहल, सामुदायिक कार्रवाई जैसी व्यवस्था करने के लिए भी उपाय किए गए हैं। मध्याह्न भोजन स्कीम जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, शिक्षा गारंटी स्कीम केन्द्रों और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा केन्द्रों के सभी बच्चों को पका-पकाया भोजन प्रदान करने की व्यवस्था से भी विद्यालय में नामांकन तथा सहभागिता में वृद्धि हुई है।

विवरण

वर्ष 2004-05 में कक्षा I से XII तक (6 से 18 वर्ष की आयु) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सकल नामांकन अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2004-05 में कक्षा I से XII तक (6 से 18 वर्ष आयु वाले) के लिए सकल नामांकन अनुपात		
		बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	75.38	71.98	73.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	93.52	80.97	87.42
3.	असम	74.72	71.14	72.97
4.	बिहार	58.81	41.61	50.68
5.	छत्तीसगढ़	95.11	82.63	88.97
6.	गोवा	88.78	85.98	87.42
7.	गुजरात	87.14	73.56	80.77
8.	हरियाणा	68.15	67.62	67.91
9.	हिमाचल प्रदेश	118.46	114.39	116.50
10.	जम्मू-कश्मीर	63.70	58.17	61.02
11.	झारखंड	62.51	51.09	56.99
12.	कर्नाटक	82.32	79.51	80.95
13.	केरल	83.55	82.90	83.23
14.	मध्य प्रदेश	94.26	84.38	89.56
15.	महाराष्ट्र	89.68	88.00	88.88

1	2	3	4	5
16.	मणिपुर	104.27	98.77	101.56
17.	मेघालय	92.03	96.90	94.44
18	मिजोरम	89.17	85.52	87.37
19.	नागालैण्ड	56.75	56.20	56.48
20.	उड़ीसा	92.15	81.87	87.11
21.	पंजाब	59.58	63.01	61.13
22.	राजस्थान	89.66	71.73	81.20
23.	सिक्किम	83.29	85.92	84.60
24.	तमिलनाडु	97.08	94.54	95.84
25.	त्रिपुरा	87.95	82.91	85.49
26.	उत्तर प्रदेश	75.65	66.47	71.34
27.	उत्तरांचल	91.83	88.81	90.38
28.	पश्चिम बंगाल	75.88	71.60	73.80
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	84.07	85.79	84.89
30.	चंडीगढ़	64.77	66.73	65.67
31.	दादरा व नगर हवेली	95.97	82.61	89.63
32.	दमन व दीव	109.81	109.76	109.79
33.	दिल्ली	74.13	83.44	78.39
34.	लक्षद्वीप	54.88	54.39	54.65
35.	पुडुचेरी	109.70	100.66	105.10
	भारत	79.75	72.32	76.20

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए सहायता

5475. श्री सुग्रीव सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार एवं सुविधाएं प्रदान करने और मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का राज्य एव संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकार विज्ञान एवं गणित के अध्यापकों के वेतन और दोनों विषयों संबंधी सहायक सामग्री के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में इस सहायता से कितनी संस्थाएं लाभान्वित हुई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान अभी तक किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई है। क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राज्यों को जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्न राज्यों में इस प्रकार की सहायता से लाभान्वित हुए संस्थानों का ब्यौरा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

विवरण

क्षेत्र गहन तथा मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

जारी की गई राशि (रुपए लाख में)

राज्य का नाम	2004-05	मदरसों की संख्या	2005-06	मदरसों की संख्या	2006-07	मदरसों की संख्या
क. अवसंरचनात्मक सुविधा विकास						
आंध्र प्रदेश	-		1000.00		664.25	
हरियाणा	450.00		-		-	
मध्य प्रदेश	57.28		-		-	
उत्तर प्रदेश	1229.72		634.87		-	
ख. मदरसा आधुनिकीकरण						
आंध्र प्रदेश	-	-	35.20	60	48.6	135
बिहार	-	-	79.92	111	-	-
चंडीगढ़	00.72	1	-		0.72	2
जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	12.6	20
उड़ीसा	-	-	168.96	116	189.84	145
मध्य प्रदेश	421.56	446	384.00	446	287.69	457
महाराष्ट्र	-	-	3.16	4	-	-
तमिलनाडु	00.72	1	-	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	235.25	683	2481.96	3380
त्रिपुरा	45.72	127	45.72	127	45.72	127
छत्तीसगढ़	-	-	-	-	242.92	208
उत्तराखंड	-	-	-	-	109.03	143
केरल	-	-	59.04	84	338.91	429
कर्नाटक	-	-	-	-	77.41	72

महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करने संबंधी कानून

5476. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के लिए अनिवार्य मूल्यांकन कराने संबंधी कानून बनाने पर विचार कर रही है जिससे कि ये अपने शिक्षकों, छात्रों, अवसंरचना ओर सामान्य शैक्षिक माहौल के गुणवत्ता मूल्यांकन से बच न सकें।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कानून बनाने का अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(ग) यह किस सीमा तक लाभदायक रहेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठते।

ऑनलाईन धोखाधड़ी के मामले

5477. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो आन लाईन धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं;

(ख) लोगों को ऑनलाईन धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार ऑनलाईन धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज किए गए और इनमें कितनी धनराशि आंतर्ग्रस्त है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान पुलिस द्वारा राज्य-वार अलग-अलग कितने मामले सुलझाए गए/नहीं सुलझाए गए है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनसुलझे मामलों को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों का ऐसा कोई आंकड़ा आधार अनुरक्षित नहीं रखा जाता। उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को इंटरनेट व्यापार में अनाधिकृत लेन देन के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसने, उनकों निवारण के लिए भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एन एस ई) को भेजा है। इसके अतिरिक्त सेबी को एन एस ई द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान एन एस ई को यूजर-आई डी और पासवर्ड के दुरूपयोग के बारे में कुल 16 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एक्सचेंज ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने उप-कानूनों के अनुसार कार्रवाई की है और 16 शिकायतें में से 10 को हल कर लिया गया है। सेबी ने इंटरनेट व्यापार शुरू करने हेतु सदस्यों को अनुमोदन प्रदान करने से पहले स्टॉक एक्सचेंज द्वारा न्यूनतम शर्तें निर्धारण सुनिश्चित करने और सिस्टम आवश्यकताओं को व्यवस्थित करने के लिए कहा है। एक्सचेंजों को सिस्टेमिक कमियों के कारणों की जांच करने के लिए सिस्टम आडिट संचालित करने का भी सुझाव दिया गया है। इंटरनेट व्यापार सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक्सचेंजों ने सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में सदस्यों द्वारा अपने इंटरनेट व्यापार सिस्टम की आडिट प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होता है। इंटरनेट आधारित व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाले साफ्टवेयर के लिए नयूनतम सुरक्षा मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं। स्टॉक ब्रांकिंग एन्टीटीस, निवेशकर्ताओं को वेबसाइट ऑनलाइन भारतीय दंड संहिता सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत धनराशि आबंटन

5478. श्री अनंत नायक: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वर्ष-वार विभिन्न राज्यों में जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत अनुसूचित जिलों विशेषकर उड़ीसा में क्या-क्या कार्य किए गए और उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ख) राज्यों से प्राप्त सूचना के आधार पर, 2002-03 से 2005-06 तक की अवधि के लिए जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के

अंतर्गत राज्यवार व्यय की गई राशि दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस चरण पर, वर्ष 2006-07 के लिए राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि उपलब्ध नहीं है, क्योंकि लेखा परीक्षा वर्ष की बाद की छमाही में किया जाता है। जनजातीय उपयोजना की निधियों का उपयोग अनुसूचित क्षेत्र जिलों सहित राज्य के अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि जनजातीय उपयोजना में से अनुसूचित क्षेत्र (जिलों) में किए गए कार्यों का विशिष्ट ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	जानजातीय उपयोजना के अंतर्गत व्यय की गई राशि (करोड़ रुपए में)			
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	487.16	705.18	856.93	785.66
2.	असम	118.64	141.01	160.00	206.07
3.	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4.	छत्तीसगढ़	512.04	581.35	1176.68	1168.66
5.	गोवा	-	-	-	-
6.	गुजरात	634.09	793.19	971.53	1435.34
7.	हिमाचल प्रदेश	161.76	112.05	122.69	146.51
8.	जम्मू-कश्मीर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
9.	झारखंड	768.58	787.78	1536.94	2357.33
10.	कर्नाटक	106.00	990.04	88.34	133.23
11.	केरल	79.48	511.50	80.04	71.86
12.	मध्य प्रदेश	686.72	839.00	1176.38	1477.19
13.	महाराष्ट्र	243.28	450.22	337.62	928.53
14.	मणिपुर	279.60	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
15.	उड़ीसा	724.92	652.24	655.32	788.15
16.	राजस्थान	306.10	363.64	417.39	565.63
17.	सिक्किम	1.41	28.64	41.40	299.42
18.	तमिलनाडु	34.29	84.99	83.67	101.83
19.	त्रिपुरा	161.55	172.08	213.89	268.14
20.	उत्तराखंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21.	उत्तर प्रदेश	4.00	3.50	6.33	12.17
22.	पश्चिम बंगाल	59.37	72.90	94.97	228.61

ऊन का उत्पादन

5479. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारा देश ऊन के उत्पादन में आत्मनिर्भर है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में ऊन के उत्पादन, मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में और कितनी कीमत की ऊन आयात की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊन के उत्पादन, मांग, आपूर्ति, आयातित ऊन की मात्रा तथा मूल्य के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(मि. कि.ग्रा. में लगभग)

वर्ष	उत्पादन	कच्ची ऊन का आयात	*मांग/आपूर्ति/खपत	आयातित कच्ची ऊन का मूल्य (करोड़ रु. में)
2004-05	44.60	84.76	129.36	867.02
2005-06	44.90	90.18	135.08	902.97
2006-07 (नवम्बर, 06 तक)	45.20	70.27	115.47	719.66

(स्रोत: कृषि मंत्रालय/सीडब्ल्यूडीबी तथा टीक्ससी, मुंबई के जरिए डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता)

*चूंकि उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा ऊन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के क्षेत्राधिकार से एक मद के रूप में हटा दिया गया है, अतः मंत्रालय द्वारा ऊन की मांग/खपत से संबंधित आंकड़े संकलित नहीं किये जाते हैं तथा खपत के आंकड़े आनुमानित आंकड़े हैं।

[हिन्दी]

पूछताछ संबंधी उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश

5480. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने अपराध में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी और पूछताछ संबंधी कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कोई पहल की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मौजूदा दिशा-निर्देशों और न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कोई अंतर है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) उच्चतम न्यायालय के डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (रिट याचिका आपराधिक सं. 1986 की 539) के मामले में गिरफ्तारी/निरूद्धि के मामले में अपनाए जाने वाले दिशा निर्देश जारी किए है।

(ख) गिरफ्तारी के संबंध में उच्चतम-न्यायालय के दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं:

(1) गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ करने वाले पुलिस कार्मिक को सही-सही दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और पदनाम के साथ नामपट्टी पहननी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ करने वाले ऐसे सभी पुलिस कार्मिकों के ब्यौरे एक रजिस्टर में रिकार्ड किए जाने चाहिए।

(2) गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार ज्ञापन तैयार

करेगा और ऐसा ज्ञापन कम से कम ऐसे एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो या तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य होगा अथवा उस इलाके का सम्मानित व्यक्ति होगा जहां से गिरफ्तारी की गई है। इस पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा भी प्रति हस्ताक्षर किए जायेंगे और इस पर गिरफ्तारी का समय और तिथि अंकित होगी।

(3) वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या जिसे निरूद्द किया गया हो और जिसे पुलिस स्टेशन या जांच-पड़ताल केन्द्र या किसी अन्य लॉक-अप में हिरासत में रखा जा रहा हो, वह एक मित्र या रिश्तेदार या उसकी जान-पहचान के किसी अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिसे उसके कल्याण में रूचि हो, को यथा शीघ्र व्यवहार्य समय पर यह सूचित करने का पात्र होगा कि उसे गिरफ्तार किया गया है और उसे स्थान विशेष में निरूद्द किया गया जब तक कि ऐसी गिरफ्तारी ज्ञापन की अधिप्रमाणित करने वाला गवाह, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वयं ऐसा मित्र या कोई रिश्तेदार न हो।

(4) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने का समय और स्थान और हिरासत की जगह के बारे में, पुलिस द्वारा जिले में कानूनी सहायता संगठन के माध्यम से और संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन द्वारा जिले के निकटतम मित्र या रिश्तेदार को गिरफ्तारी के बाद से 12 घंटों की अवधि के अंदर टेलीग्राफ से सूचित किया जाना चाहिए।

(5) जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरूद्द किया जाता है, वैसे ही गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके इस अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए कि वह इस बारे में किसी को सूचित कर सकता है।

(6) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में उसे निरूद्द करने के स्थान पर डायरी में इस आशय की प्रविष्टि की जानी चाहिए जिसमें उसके निकट मित्र का नाम भी दिया जाना चाहिए जिसे उसकी गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है और उन पुलिस पदाधिकारियों के नाम और ब्यौरे भी दिए जाने चाहिए जिनकी हिरासत में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रखा गया है।

(7) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, जहां वह ऐसा अनुरोध करता हो, गिरफ्तारी के समय और बड़े या छोटे राज्यों की भी जांच की जानी चाहिए यदि ऐसे जख्म उसके शरीर पर गिरफ्तारी के समय रहे हों और उस समय इन्हें रिकार्ड भी किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, दोनों द्वारा "निरीक्षण ज्ञापन" पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसी प्रति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जानी चाहिए।

(8) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, संबंधित राज्य या संघ शासित क्षेत्र के निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा नियुक्त, अनुमोदित डाक्टरों के पैनल के किसी डाक्टर द्वारा, हिरासत में रखे जाने के प्रत्येक 48 घंटे पर प्रशिक्षित डाक्टर द्वारा चिकित्सा जांच करवाई जानी चाहिए। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा सभी तहसीलों और जिलों के लिए ऐसा पैनल तैयार करना चाहिए।

(9) ऊपर लिखित गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां इलाके के मजिस्ट्रेट को उनके रिकार्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।

(10) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है यद्यपि ऐसी अनुमति पूरी पूछताछ के दौरान नहीं दी जा सकती है।

(11) सभी जिला और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष उपलब्ध किया जाना चाहिए जहां गिरफ्तारी के 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत में रखने के संबंध में गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा सूचना दी जाएगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष के नोटिस बोर्ड पर इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ग) से (च) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2005 के जरिए अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में 50क नामक एक नई धारा शामिल की गई है। इस धारा में किसी की व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है। 23 अगस्त, 2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2006 में गिरफ्तारी के संबंध में उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव 'गिरफ्तारी के संबंध में कानून' पर विधि आयोग की 177वीं रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट को तैयार करते समय विधि आयोग ने डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी ध्यान रखा है।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध

5481. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध लगातार बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार अलग-अलग अपराध-वार विशेषकर बलात्कार, हत्या और अपहरण का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन अपराधों को रोकने और समाधान करने के लिए एक व्यापक कानून लाने का है; और

(ङ) ऐसे अपराधों के विरुद्ध महिलाओं और बच्चों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने और पुरूषों के समकक्ष स्थान देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005 में महिलाओं के प्रति अपराधों की 155553 घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुईं, जो कि वर्ष 2004 के आंकड़ों से 0.8% ज्यादा है। बच्चों के प्रति अपराधों के मामले में वर्ष 2005 में कुल 14975 घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई, जो कि वर्ष 2004 के आंकड़ों से 3.8% ज्यादा है।

(ख) महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण, निरक्षरता व गरीबी। अपराधों से संबंधित जानकारी व जागरूकता से भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

(ग) इस विषय में विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की वेबसाइट www.ncrb.nic.in पर उपलब्ध है।

(घ) से (ङ) महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों के संबंध में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों संबंधी मौजूदा कानूनों में सुधार किया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 नामक कानून 26.10.2006 को लागू हो गया। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 भी अधिनियमित कर दिया गया है। इनके अतिरिक्त, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण तथा बच्चों के प्रति अपराध (निवारण) नामक विधेयकों पर विचार किया जा रहा है। अवैध व्यापारियों के संबंध में पहले से अधिक कठोर दंड का उपबंध करने के लिए अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कार्रवाई की जा रही है।

यह मंत्रालय पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजकों, चिकित्सा अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों इत्यादि जैसे विभिन्न पक्षों के लिए महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता विकास, संचेतना व समर्थन कार्यक्रम भी चला रहा है।

चूंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए गृह मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह जारी करते हुए, उनसे यह कहता है कि वे महिलाओं एवं बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों पर किए जाने वाले अत्याचारों की रोकथाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दांडिक न्याय प्रणाली में सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करें।

नक्सलवादियों द्वारा एसईजेड पर हमले का लक्ष्य

5482. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सलवादी देश में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और उनके प्रवर्तकों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं जैसाकि दिनांक 21 अप्रैल, 2007 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि नक्सलवादी प्रस्तावित विशेष आर्थिक जोन और इसके प्रवर्तकों पर हमला करने की कोई योजना बना रहे हैं जैसा कि दिनांक 21 अप्रैल, 2007 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है। तथापि, सी पी आई (माओवादी) सहित कुछ नक्सलवादी ग्रुप विशेष आर्थिक जोन स्थापित किए जाने का विरोध इस आधार पर कर रहे हैं कि इससे कृषकों के हित को हानि पहुंचेगी क्योंकि

वे अपनी कृषि भूमि से वंचित हो जाएंगे और उससे केवल बड़े औद्योगिक घराने और भवन निर्माता/संवर्धक ही लाभान्वित होंगे।

सरकार का विचार है कि नक्सलवादी समस्या गंभीर चिंता का विषय है, इसलिए इस मुद्दे का समाधान सुरक्षा और विकास दोनों ही मोर्चों पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

5483. श्री महावीर भगोरा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जनजाति के छात्रों को पूर्व-मैट्रिक, मैट्रिक तथा मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति की कितनी राशि प्रदान की जा रही है तथा ये प्रावधान किस तिथि से लागू हैं;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि के वर्तमान रूझान को देखते हुए विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार छात्रवृत्ति की धनराशि बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो धनराशि में बढ़ोतरी करने का आधार क्या है और छात्रवृत्ति की संशोधित धनराशि कितनी निर्धारित किए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) नए प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य का कितना-कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातीय छात्रों द्वारा केवल मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना की व्यवस्था करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों (पीएमएस) के लिए निर्मुक्त राशि 10137.71 लाख रुपए (2004-05), 21018.09 लाख रुपए (2005-06) और 25503.409 लाख रुपए (2006-07) थी।

(ख) से (ङ) समय-समय पर मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दरों और पात्रता के लिए आय की उच्चतम सीमा की समीक्षा की जाती है। औद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर नियत आय की उच्चतम सीमा को 1,00,000 रुपए वार्षिक के मौजूदा स्तर में संशोधन करके उसमें वृद्धि करने पर विचार किया जा रहा है।

(च) यह योजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, जिनकी लागत के एक भाग को वहन करने की प्रतिबद्ध देयता है। इस प्रतिबद्ध देयता के अलावा, भारत सरकार 100% केन्द्रीय सहायता देता है। संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता का स्तर, पिछली पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष के दौरान, योजना के अधीन उनके द्वारा वहन किए गए वास्तविक व्यय के स्तर के समकक्ष है। जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों का संबंध है, भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संपूर्ण लागत वहन करती है।

अर्द्ध सैनिक बलों में आत्महत्या के मामले

5484. श्री हेमलाल मुर्मु:
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री संतोष गंगवार:
श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध सैनिक बलों (पी एम एफ) में आत्महत्याओं तथा भातृहत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बल वार, रैंक वार, लिंग वार आत्महत्या के कुल कितने मामलों की रिपोर्ट दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका क्या परिणाम निकाला; और

(ङ) उक्त अधिकारियों के आश्रितों का पुनर्वास करने तथा योग की कक्षाएं संचालित करने, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने तथा कलाकारों द्वारा प्रदर्शन आदि के माध्यम से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) केन्द्रीय पुलिस बलों में आतहत्याओं तथा मातृहत्याओं के मामलों में वृद्धि की कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं देखी गई है।

(ख) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (घ) जांच न्यायालय का आयोजन किया गया है और जहां अपेक्षित है, आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ङ) पीड़ितों के पात्र आश्रितों को अनुमोदित स्कीम के अनुसार नियुक्त किया जाता है और ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश का नकद भुगतान आदि भी मंजूर किया जाता है। अपने कार्मिकों के बीच तनाव को कम करने के लिए बलों द्वारा योग कक्षाएं मनोरंजन सुविधाएं, खेल, मनोचिकित्सक परामर्श आदि जैसे उपाय उपलब्ध करवाए जाते हैं।

विवरण

	रैंक	सी आर पी एफ			सी आई एस एफ			बी एस एफ			आईटीबीपी			ए आर			एन एस जी			एस एस बी		
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
1.	उप अधिकारी	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01
2.	निरीक्षक/उपनिरीक्षक/सहायक उपनिरीक्षक	-	-	01	02	01	02	01	03	01	-	01	-	-	12	11	01	-	-	-	-	01
3.	हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल	26	19	28	03	10	05	33	34	42	03	02	03	-	03	09	-	-	-	01	06	04
4.	अन्य रैंक	02	-	01	01	02	01	01	05	01	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	पुरूष	26	19	30	06	11	08	35	43	44	03	03	04	10	15	20	01	-	-	01	06	06
6.	महिला	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-

मानव दुर्व्यापार

5485. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने प्रतिवेदनों में देह-व्यापार के लिए कन्याओं और महिलाओं के दुर्व्यापार के प्रति चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रथा के सामाजिक/आर्थिक पक्ष के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार पर एक कार्रवाई अनुसंधान किया तथा 24 अगस्त, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे इस अवैध व्यापार की प्रवृत्ति व आयामों का पता चलता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा इसका मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा यूनिसेफ के सहयोग से एक समेकित कार्य योजना तैयार कर रहा है।

(ग) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित ''भारत में वेश्यावृत्ति में संलग्न लड़कियां/महिलाएं'' विषय पर किए गए एक अध्ययन (वर्ष 2002-2004 के बीच) से पता चलता है कि देश में वेश्याओं की संख्या बढ़ रही है। इस अध्ययन के मुताबिक देश में 28 लाख वेश्याएं हैं, जिनमें से 35.47% वेश्याओं ने 18 वर्ष की आयु से पहले ही इस पेशे में प्रवेश कर लिया था।

[अनुवाद]

जापान के साथ संयुक्त उद्यम

5486. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान जापानी निवेशकों द्वारा निवेश के लिए प्राप्त किसी संयुक्त उद्यम प्रस्ताव को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जिनमें उक्त अवधि के दौरान जापान द्वारा निवेश किया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान जापान द्वारा राज्य-वार निवेश की गई पूंजी का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान संयुक्त उद्यम अनुमोदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जापान से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह दर्शाने वाला क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान जापान से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण I

एफआईपीबी द्वारा अप्रैल, 2005 से मार्च, 2007 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संयुक्त उद्यम प्रस्तावों का ब्यौरा

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	पंजीकरण संख्या और तारीख	भारतीय कंपनी का नाम और पता	विदेशी सहयोगी का नाम और पता	विदेशी इक्विटी (रुपये में)	विदेशी इक्विटी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	28 27 जनवरी, 2005	**देश: जापान** चौधरी एंटरप्राइजेज प्रा. लि. आर डी/21, कोलिन्स पाथ सेक्टर 2बी विधान नगर, दुर्गापुर-713212, प. बंगाल	श्रीमती रेको कुरोडा चौधरी, जापानी श्री एस ए आवहीजीत चौधरी बंगलादेशी (दोनों निवेशक जापान के)	5.94	83.19
	स्थान: पश्चिम बंगला (पश्चिम बंगाल) अनुमोदन सं. (तारीख): 109(31 मई, 2005)		विनिर्माण की मद: पोलिमर उत्पाद, पोलिरेथान और सिलिकोन रबड़ पुर्जे तथा हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर के असंबलिंग हेतु सूचना और प्रौद्योगिकी के कार्यकलापों में नियोजित		
2.	76 14 मार्च, 2005	सुजुकी मोटर कार्पोरेशन मार्फत अर्नेस्ट एंड यंग बी-26 कुतब इंस्टीट्यूशन एरिया नई दिल्ली-110016	सुजुकी मोटर कार्पोरेशन, जापान	120.00	30.00
	स्थान: हरियाणा (हरियाणा) अनुमोदन सं. (तारीख): 79(31 मई, 2005)		विनिर्माण की मद: फोर व्हील्स वाहन, पुर्जे और उनके सहायक पुर्जे और अन्य संबद्ध एवं प्रसंगिक कार्यकलाप		
3.	86 17 मार्च, 2005	टेलब्रोस आटोमोटिव कम्पोनेन्टस लि. 14/1 मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003 हरियाणा	नीप्पन लीकलैस कार्पोरेशन, जापान	72.00	60.00

1	2	3	4	5	6
	स्थानः चेन्नई फरीदाबाद (हरियाणा) अनुमोदन सं. (तारीख): 78(31 मई, 2005)		विनिर्माण की मदः होंडा ग्रुप ऑफ कंपनी के गैसकिट्स की जरूरत को पूरा करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी (मैसर्स निप्पन लेकलैस टेलब्रो प्रा. लि.) में विनिर्माण सुविधाएं होंगी		
4.	87 17 मार्च, 2005	मदरसन ऑटोमेशन प्रा. लि. मार्फत प्राइसवाटर हाउस कुपर्स प्रा. लि. सुचेता भवन, विष्णु दिगबंर मार्ग नई दिल्ली	यास्कवा इलेक्ट्रीक कार्पोरेशन, जापान	7.21	66.00
	स्थानः दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 80(31 मई, 2005)		विनिर्माण की मदः औद्योगिक रोबोट और रोबोट आटोमिशन लाइनों के लिए इंजीनियरी सेवाएं जैसे वैल्डिंग असैम्बली लाइन जरनल असैम्बली लाइन और प्रेस लाइन आदि		
5.	101 08 मई, 2006	बेलसोनीका कार्पोरेशन जापान मि. साडो कुरीसा कुरीसावा इंटरनेशनल लीगल सर्विस आफिस 71 असाडा-चो, हामामतसु सिट शिजुओका प्रेक-432-8043 जापान	बेलसोनीका कार्पोरेशन जापान	84.00	70.00
	स्थानः राजय दर्शाया नहीं गया (राज्य दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 138(30 जून, 2006)		विनिर्माण की मदः (1) सामान्य तौर पर दुपहिया ओर चौपहिया शिट मैटल, चेसिस स्टैक्चरल और रिगिंग उपकरणों का विनिर्माण (2) टूलिंग, जिग्स और एलाईक का उत्पादन (3) स्थापित किये गये उपकरणों के रख-रखाव और बिक्री के बाद सेवा उपलब्ध कराना		
6.	129 25 अप्रैल, 2005	नीता जिलेटिन इंक, जापान मार्फत एच. ताचीवाना, केरल केमिकल्स एंड प्रोटई पो.बो.सं. 4262, 50/1002 एसबीटी एवेन्यु, पानामपिल्लै ना कोच्चि-682036	नीता जिलेटिन इंक, जापान	3.00	25.00
	स्थानः एरनाकुलम (केरल) अनुमोदन सं. (तारीख): 110(31 मई, 2005)		विनिर्माण की मदः ओसीन और डीकेलसियम फास्फेट के उत्पादन में नियोजित।		
7.	172, 31 अगस्त, 2006	ओसीएस ओवरसीज कूरियर सर्विस क.लि. मार्फत डीएसके लीगल, 2 के पालम मार्ग, वसन्त विहार नई दिल्ली-110057	ओवरसीज कूरियर सर्विसेज क. लि., जापान	84.00	76.00

1	2	3	4	5	6
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख) 197(31 अक्टूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: जर्नल कैरियर कूरियर, बैगेज ट्रांसपोर्टर्स, फारवर्डिंग एंड क्लीयरिंग, एजेंट्स, तथा भारत और विदेश में कूरियर सेवाओं के पैकिंग और रीपैकिंग एजेंट		
8.	180, 7 सितम्बर, 2006	एनएसके लि. मार्फत एसआर बाटलीबाय एंड कंपनी दूसरा तल, द कैपिटल कोड एलएससी फेस-3, ओल्फ पामे मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-10067	एनएसके लि. टोकियो अथवा इसके संबद्ध/सहायक नामितियों के द्वारा	412.50	75.00
	स्थान: चेन्नई (तमिलनाडु) अनुमोदन संख्या (तारीख) 194(31 अक्टूबर, 2006)		विनिर्माण की मद: एचयूओबी यूनिट-1, मैग्नेटिक क्लच बीयरिंग (एमसीडी) और बालबीयरिंग का विनिर्माण		
9.	191 18 सितम्बर, 2006	संवर्धना मदरसंन फाइनेंस लि. मार्फत प्राइसवाटरहाउसकूपर, 11-ए सुचेता भवन, दूसरा तल, विष्णु दिगम्बर मार्ग पर, नई दिल्ली	एनीस्टइवाता कार्पोरेशन, जापान इसके संबद्ध/सहायकों द्वारा	5.10	51.00
	स्थान: राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 221(30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: स्प्रे गन्स, स्प्रे गन, स्प्रे प्रिंटिंग, इक्वीपमेंट, पेंट कोटिंग इक्विपमेंट आदि का विपणन और बिक्री 1 इन उत्पादों का थोक व्यापार		
10.	213, 12 अक्टूबर, 2006	ओरिक्स कार्पोरेशन, जापान मार्फत एजेडबी एंड पार्टनर्स एक्सप्रेस टावर्स, 23वां तल नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-400021	ओरिक्स कार्पोशन, जापान	22.43	49.00
	स्थान: ग्रेटर मुम्बई (मुम्बई) (महाराष्ट्र) अनुमोदन सं. (तारीख): 231(30 नवम्बर, 2006)		विनिर्माण की मद: निवेश प्रबंधन और परामर्शदात्री सेवाएं उपलब्ध कराना (फंड और नॉनफंड आधारित गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां)		
11.	389 13 दिसंबर, 2005	डेन्सु इंक, जापान मार्फत दुआ कन्सल्टिंग प्रा. 301-303 टोलस्टोय हाउस 15 टोलस्टेय मार्ग, नई दिल्ली-110001	डेनसु इंक, जापान	10.75	74.00
	स्थान: राजय का नाम दर्शाया नहीं गया (राज्य का नाम दर्शाया नहीं गया) अनुमोदन सं. (तारीख): 313 (31 जनवरी, 2006)		विनिर्माण की मद: विज्ञापन और विपणन संबंधी संचार कार्यकलापों को करने के लिए तीसरे संयुक्त उद्यम की स्थापना करना।		

1	2	3	4	5	6
12.	401 20 दिसंबर, 2005	सी.एल. इंडिया प्रा. लि. 1898/18 गोविन्दपुरी एक्टेंशन नई दिल्ली-110019	मियामा होता, जापान	0.00	49.98
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 315(28 फरवरी, 2006) अनुमोदन पत्र की किसी शर्त के विलोपन/संशोधन के कारण संशोधन		विनिर्माण की मद: जापान के लिए रेडीमेड गारमेंट्स के वस्त्रों का निर्यात		
13.	416 30 दिसंबर, 2005	फरिसीमा (आई) इंस्पैकशन सेंटर प्रा. लि. ई-250, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2 नई दिल्ली-110048	फैशन कलोथर फरिसीमा कं. लि. जापान	8.10	90.00
	स्थान: दिल्ली (दिल्ली) अनुमोदन सं. (तारीख): 82(31 मार्च, 2006)		विनिर्माण की मद: निर्यात हेतु रेडीमेड गारमेंटसके माल की जांच करने हेतु एक गारमेंट इन्सपैक्शन चेकिंग हाउस की स्थापना करना		

कुल वित्तीय मामले: 13 कुल विदेशी इक्विटी मिलियन रुपये में 835.03

विवरण II

अप्रैल, 2005 से मार्च, 2007 तक जापान से क्षेत्र-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों का विवरण

(राशि मिलियन में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		योग	
		एफडीआई रुपये में	एफडीआई यूएस डालर	एफडीआई रुपये में	एफडीआई यूएस डालर	एफडीआई रुपये में	एफडीआई यूएस डालर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	धातुकर्मी उद्योग	0.00	0.00	47.79	1.07	47.79	1.07
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	99.34	2.24	72.00	1.62	171.34	3.86
3.	विद्युत उपकरण (साफ्टवेयर तथा विद्युत सहित)	147.81	3.32	378.93	8.35	526.74	11.67
4.	दूरसंचार	2,345.36	52.74	8.39	0.18	2,353.75	52.93
5.	परिवहन उद्योग	1,702.24	38.84	479.65	10.85	2,181.89	49.69

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	औद्योगिक मशीनरी	2.40	0.06	97.54	2.15	99.94	2.20
7.	मशीन औजार	645.23	14.82	0.00	0.00	645.73	14.82
8.	अर्थमूविंग मशीनरी	2,043.02	44.84	0.00	0.00	2,043.02	44.84
9.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	25.00	0.57	446.27	9.64	471.27	10.21
10.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	0.00	0.00	8.29	0.19	8.29	0.19
11.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	0.00	0.00	5.04	0.11	5.04	0.11
12.	उर्वरक	0.00	0.00	210.00	4.62	210.00	4.62
13.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	691.57	15.44	200.46	4.43	892.03	19.87
14.	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
15.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	1,182.65	27.16	9.00	0.20	1,191.65	27.36
16.	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुगदी	0.00	0.00	2.07	0.05	2.07	0.05
17.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	100.00	2.25	5.00	0.11	105.00	2.36
18.	रबड़ उत्पाद	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00
19.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	0.00	0.00	0.45	0.01	0.45	0.01
20.	परामर्श सेवाएं	19.90	0.46	38.36	0.83	58.26	1.28
21.	सेवा क्षेत्र	50.00	1.15	270.90	6.09	320.90	7.24
22.	होटल तथा पर्यटन	2.14	0.05	0.46	0.01	2.60	0.06
23.	व्यापार	153.96	3.47	947.81	21.02	1,101.77	24.50
24.	विविध उद्योग	40.00	0.88	596.30	13.21	636.30	14.09
	कुल योग	9,250.69	208.29	3,824.73	84.74	13,075.42	293.02

टिप्पण: 1. क्षेत्र विशिष्ट राशि में एसआईए/एफआईपीबी मार्ग के तहत प्राप्त अंतर्वाह, मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण और आरबीआई के स्वतः मार्ग से प्राप्त राशि शामिल है।

2. एफडीआई अनुमोदनों के प्रति एडीआर/जीडीआर/एफसीसीबी के माध्यम से अंतर्वाहों को शामिल नहीं किया गया है।

3. अंतर्वाहों में केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल हैं।

4. आरबीआई मुंबई के साथ सामंजस्य के अध्यधीन उपर्युक्त अन्तर्वाह अनंतिम है।

विवरण III

अप्रैल, 2005 से मार्च, 2007 तक के दौरान जापान से राज्य-वार (आरबीआई की क्षेत्रवार के अनुसार) एफडीआई अंतर्वाह

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय	सम्मिलित राज्य	2005-06 अप्रैल-मार्च		2006-07 अप्रैल-मार्च		योग	
			एफडीआई रुपये में	एफडीआई यूएस डालर में	एफडीआई रुपये में	एफडीआई यूएस डालर में	एफडीआई रुपये में	एफडीआई यूएस डालर में
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	2.00	0.05	11.32	0.25	13.32	0.30
2.	अहमदाबाद	गुजरात	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03	0.00
3.	बंगलूर	कर्नाटक	2,426.46	54.55	148.96	3.27	2,575.41	57.82
4.	कोच्ची	केरल, लक्षद्वीप	8.54	0.19	0.00	0.00	8.54	0.19
5.	मुम्बई	महाराष्ट्र; दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीव	1,302.53	29.88	974.69	21.81	2,277.23	51.69
6.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	146.52	3.34	89.60	2.01	236.12	5.34
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	6.90	0.15	6.90	0.15
8.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश का भाग और हरियाणा	1,118.52	25.25	2,379.22	52.46	3,497.74	77.71
9.	नई दिल्ली	गोवा	4.03	0.09	0.46	0.01	4.50	0.10
10.	नहीं दर्शाये गये राज्य		4,242.08	94.94	213.57	4.78	4,455.65	99.72
		कुल योग	9,250.69	208.29	3,824.73	84.74	13,075.42	293.02

टिप्पणी: 1. केवल इक्विटी पूंजी संघटक शामिल हैं।
2. क्षेत्र-वार एफडीआई अंतर्वाह आरबीआई के क्षेत्र-वार अंतर्वाह द्वारा वर्गीकृत किए जाते हैं। जो आरबीआई, मुम्बई द्वारा तैयार किये जाते हैं।
3. मौजूदा शेयरों के अधिग्रहण के जरिये अंतर्वाह दर्शाता है। इसके लिए क्षेत्र-वार सूचना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं दी जाती है।
4. आर.बी.आई. मुम्बई के साथ सामंजस्य के अध्यधीन उपर्युक्त अंतर्वाह अनंतिम है।

आयातित वाइन और स्पिरिट पर प्रशुल्क

5487. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आयातित वाइन और स्पिरिट पर प्रशुल्क में कटौती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित कटौती से घरेलू मदिरा व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घरेलू मदिरा व्यापार के हित की रक्षा हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ख) आयातित शराब एवं स्पिरिटों पर टैरिफ दरों को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतंत्रता सेनानियों को सुविधाएं

5488. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए प्रबुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति गठित की है जैसा कि दिनांक 1 अप्रैल, 2007 के 'हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों और उनके हकदार आश्रितों को उपलब्ध सुविधाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा भी की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (च) सम्मान पेंशन के अतिरिक्त, जिसे 2 अक्टूबर, 2006 से 6,000 प्रति माह से बढ़ाकर 10,000 रु. प्रति माह कर दिया गया था, स्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित सुविधाएं भी उपलब्ध हैं:

* एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और विधवा को आजीवन मुफ्त रेलवे पास (प्रथम श्रेणी/एसी स्लीपर);
* केन्द्र सरकार के सभी अस्तालों और सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधायें। स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी जी एच एस) की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;
* स्थापना प्रभारों के बगैर और आधा किराये का भुगतान करने पर संभाव्यता के अध्यधीन टेलीफोन कनेक्शन;
* दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों को सामान्य पूल का रिहायती आवास (समग्र रूप से 5% विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत);
* स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु के बाद स्वतंत्रता सेनानी की विधवा/विधुर को छः माह की अवधि तक आवास रखने की अनुमति भी दी जाती है; और
* जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है उनके लिए नई दिल्ली में स्थापित फ्रीडम फाइटर्स होम में आवास की व्यवस्था।

उपर्युक्त सुविधाओं के अतिरिक्त, अंडमान के भूत-पूर्व स्वतंत्रता सेनानी निम्नलिखित सुविधाओं के भी पात्र हैं:

* एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और विधवा को वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए मुफ्त समुद्री यात्रा की सुविधा; और
* एक साथी के साथ स्वतंत्रता सेनानी को वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा के लिए मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा।

स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदान की जा रही है सभी प्रमुख सुविधायें, उनकी विधवा/विधुरों को भी प्रदान की जाती हैं।

सत्याग्रह आंदोलन की शताब्दी के अवसर पर प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति का गठन किया गया है जो स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी ताकि वह स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के सुझाव दे सके और स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को दी जा रही सुविधाओं में तत्काल सुधार करने के सुझाव दे सके और मुद्दों को समय-बद्ध ढंग से हल किया जा सके।

इस समिति का गठन 26.2.2007 को किया गया था। समिति की पहली बैठक 25.4.2007 को हुई। समिति का कार्यकाल दो वर्ष का है।

साक्षरता कार्यक्रम

5489. श्री सुग्रीव सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा कितना आबंटन किया गया और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कितनी धनराशि खर्च की और

(ख) वर्ष 2007-08 के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ख) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के तहत निधियां राज्यवार आवंटित नहीं की जाती अपितु कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों, एजेंसियों को पहले संस्वीकृत किए गए कार्यक्रमों के पूरा होने तथा लेखाओं के निपटान के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए बजटीय आवंटन तथा किए गए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	व्यय
2004-05	250.00	236.47
2005-06	290.00	249.30
2006-07	235.50	213.48

पिछले तीन वर्षों के दौरान संबद्ध कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रौढ़ शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी किए गए अनुदान की राज्यवार राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा के लिए वर्ष 2007-08 के लिए 401 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया ।

विवरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी किया गया अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1124.60	2485.82	2200.59
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.97	100.44	38.05
3.	असम	184.23	103.73	249.01
4.	बिहार	1168.67	1048.37	473.73
5.	छत्तीसगढ़	546.24	387.33	716.59
6.	गोवा	16.08	26.80	23.19
7.	गुजरात	742.57	1121.58	333.39
8.	हरियाणा	446.25	461.88	193.88
9.	हिमाचल प्रदेश	40.65	70.02	37.67
10.	जम्मू-कश्मीर	153.09	158.96	218.29
11.	झारखंड	220.84	1169.97	371.57

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	2774.54	2071.06	1819.42
13.	केरल	742.16	498.70	677.97
14.	मध्य प्रदेश	3199.81	635.50	3202.16
15.	महाराष्ट्र	591.14	3314.32	1020.62
16.	मणिपुर	172.88	157.80	107.71
17.	मेघालय	194.11	33.35	157.26
18.	मिजोरम	15.00	18.73	107.79
19.	नागालैण्ड	152.68	24.97	23.93
20.	उड़ीसा	791.77	669.47	303.63
21.	पंजाब	48.02	470.26	209.80
22.	राजस्थान	2332.96	972.20	1517.23
23.	सिक्किम	0.00	36.60	12.00
24.	तमिलनाडु	1846.28	1268.76	1377.85
25.	त्रिपुरा	344.86	31.14	82.25
26.	उत्तर प्रदेश	2335.75	3206.66	1792.79
27.	उत्तरांचल	287.49	891.64	760.01
28.	पश्चिम बंगाल	1753.03	2017.65	2196.71
29.	चंडीगढ़	149.06	28.61	148.10
30.	दिल्ली	127.03	133.87	105.37
31.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	11.74	17.01	0.00

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ निर्यात संवर्धन

5490. **श्री इक़बाल अहमद सरडगी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय छह प्रमुख क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख निर्यात संवर्धन के लिए स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रोत्साहन देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्यात संवर्धन परिषद का विचार एसएचजी की परियोजनाओं के लिए निर्यात बाजार बनाने में सहायता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ख) विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों में से एक कार्यनीति विशेष फोकस क्षेत्रों को अभिज्ञात करने और उन्हें पोषित करने की है जिससे खासकर अर्द्ध-शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे। तथापि विदेशी व्यापार नीति के जरिए आज की तारीख तक स्व-सहायता समूहों को संवर्धित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (घ) निर्यात संवर्धन परिषदों का मूलभूत उद्देश्य स्व-सहायता समूहों सहित सभी श्रेणियों के भारतीय निर्यातों का संवर्धन और विकास करना है।

पुलिस स्थापना बोर्ड

5491. **श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:**
श्री शैलेन्द्र कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने किसी पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इस बोर्ड की क्या-क्या शक्तियां दी गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में पुलिस स्थापना बोर्ड के गठन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस बोर्ड के गठन के क्या कारण है और पुलिस बल के कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (ङ) पुलिस सुधारों के एक उपाय के रूप में संघ सरकार, राज्य सरकारों को यह सलाह देती रहती है कि वे पुलिस स्थापना बोर्ड गठित करने पर विचार करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 22 सितम्बर, 2006 को दिए गए अपने निर्णय में राज्य सरकारों को निदेश दिया कि वे अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस स्थापना बोर्ड गठित करें ताकि पुलिस अधीक्षक के रैंक और इससे उच्च रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरणों, तैनातियों, पदोन्नतियों और सेवा संबंधी अन्य मामलों पर निर्णय लिया जा सके और पुलिस अधीक्षक के रैंक और इससे उच्च रैंक के अधिकारियों के स्थानांतरणों और तैनातियों के संबंध में राज्य सरकारों को सिफारिशें की जा सकें। उपलब्ध सूचना के अनुसार कुछ राज्य सरकारों ने पुलिस स्थापना बोर्ड गठित कर लिए हैं। चूंकि इन बोर्डों का गठन हाल में किया गया है इसलिए पुलिस बल के कार्यकरण में इसके प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी।

खाद्य पदार्थों संबंधी आयात-निर्यात नीति

5492. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्य पदार्थों संबंधी वर्तमान आयात-निर्यात नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय किसानों को खाद्य पदार्थों के अत्यधिक आयात की वजह से अपने उत्पादों का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल पाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) आयात एवं निर्यात के लिए विस्तृत मद-वार नीति आयात एवं निर्यात मदों का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 में उपलब्ध है।

वचनबद्ध दरों के भीतर सीमाशुल्क टैरिफ में समायोजनों के जरिए आयातों को नियंत्रित किया जाता है। यह तंत्र खाद्य तेल, नारियल, चाय, कॉफी, काली मिर्च, स्किम्ड दुग्ध पाउडर, कुक्कुट उत्पादों आदि के मामले में कारगर ढंग से प्रयोग किया गया है। कीमतों के विनिर्दिष्ट स्तरों से कम हो जाने की स्थिति में किसानों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार खरीद संकार्य शुरू करती है। आयातों को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के प्रावधानों, मांस खाद्य उत्पाद आदेश, पैकेजिंग अपेक्षाओं, स्वच्छता एवं पादप-स्वच्छता उपायों आदि के जरिए भी नियंत्रित किया जाता है। आयातों में किसी वृद्धि की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा प्रमुख खाद्य मदों सहित 300 संवेदनशील मदों के आयात की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी

5493. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री शिशुपाल एन. पटले:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एन यू ई पी ए) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्ष के मद्देनजर प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति का आकलन करने का है; जैसा कि दिनांक 17 अप्रैल, 2007 के 'दैनिक जागरण'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सर्वेक्षण का क्या प्रमुख निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या विद्यालय के पक्के भवनों, अध्यापकों, पाठ्य पुस्तकों जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण देश में शिक्षा के स्तर और विद्यालयों में दाखिल बच्चों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) किन-किन राज्यों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पक्के भवनों का प्रतिशत सबसे कम है;

(च) क्या एन.यू.ई.पी.ए., सर्वेक्षण के अनुसार आधे से ज्यादा प्राथमिक विद्यालय बिना प्रधानाध्यापकों के चल रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) 17 अप्रैल, 2007 के दैनिक जागरण की रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय द्वारा 2005-06 में जारी जिला रिपोर्ट कार्ड पर आधारित है। यह रिपोर्ट वर्ष 2005-06 के डी.आई.एस.ई. डाटा के संग्रह संकलन ओर विश्लेषण पर आधारित है। जिला रिपोर्ट कार्ड के ब्यौरे वेबसाइट www.dpepmis.or पर देखे जा सकते हैं।

डी.आई.एस.ई. डाटा शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर स्कूल अवसंरचना में निरंतर सुधार दर्शाता है। स्कूलों की संख्या में वर्ष 2003-04 के 931471 के मुकाबले वर्ष 2005-06 में 1124033 की और छात्र-शिक्षण कक्ष अनुपात में वर्ष 2003-04 के 42:1 के मुकाबले वर्ष 2005-06 में 39:1 का सुधार हुआ है। शिक्षकों की कुल संख्या में वर्ष 2003-04 में 3667637 के मुकाबले वर्ष 2005-06 में 4690176 की वृद्धि हुई है जबकि प्रारंभिक शिक्षा के लिए छात्र शिक्षक अनुपात में 36:1 का सुधार हुआ है। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2003-04 के 89 से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 103.77 हो गया है।

अवसंरचना संबंधी सुविधाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

5494. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अवसंरचना संबंधी सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्षेत्र	एफडीआई सीमा/इक्विटी	प्रवेश मार्ग	शर्तें	आईपीपी विभाग द्वारा जारी संबंधित प्रेस नोट www.dipp.gov.in
1	2	3	4	5
एयरपोर्ट				
(क) ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट	100 प्रतिशत	स्वत:	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
(ख) मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन www.civilaviation.nic.in	प्रेस नोट 4/2006
निर्माण विकास परियोजनाएं जिनमें आवास, वाणिज्यिक क्षेत्र रिसॉर्ट, शैक्षिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर, टाउनशिप शामिल है	100 प्रतिशत	स्वत:	प्रेस नोट 2 (2005 सीरीज) द्वारा अधिसूचित शर्तों के अध्यधीन ये शामिल हैं: क. पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सबसिडरी के लिए 10 मिलियन अमरिकी डालर तथा संयुक्त उद्यम के लिए 5 मिलियन अमरिकी डालर की न्यूनतम पूंजी। ये राशि कंपनी के व्यापार आरंभ करने के 6 महीनों के भीतर लानी होगी ख. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र-सेवा आवास प्लॉटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर: विकास परियोजना के निर्माण के मामले में 50 हजार वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र: और सम्मिलित परियोजना के मामले में उपर्युक्त में से कोई एक (नोट-अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के लिए प्रेस नोट 2/2005 में दी गयी शर्तें लागू नहीं हैं)	प्रेस नोट 2/2005 और 2/2006

1	2	3	4	5
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र				
क. शोधन को छोड़कर बाजार अध्ययन और प्रतिपादन समीकरण निवेश/वित्तीय व्यवस्था पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन के लिए अवसंरचना की स्थापना	100 प्रतिशत	स्वत:	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी क्षेत्रवार विनियमों के अध्यधीन और पेट्रोलियम उत्पादों के वास्तविक व्यापार और विपणन के मामले में 5 वर्ष के अंदर भारतीय भागीदार/जनता के पक्ष में 26 प्रतिशत इक्विटी का विनिवेश www.petroleum.nic.in	प्रेस नोट 1/2004 और प्रेस नोट 4/2006
ख. शोधन	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में 26 प्रतिशत, निजी कंपनियों के मामले में 100 प्रतिशत	एफआईपीबी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में) (निजी कंपनियों के मामले में) स्वत:	क्षेत्रवार नीति की शर्त पर www.petroleum.nic.in	प्रेस नोट 2/2000
दूरसंचार				
क. बेसिक एंड सेल्युलर, यूनिफाईड एसेस सर्विसेस, नेशनल/इंटरनेशनल-1 लांग डिस्टेंट, वी-सेट, पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेस (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल	74 प्रतिशत (एफडीआई सीमा के उद्देश्य से लाइसेंसधारी कंपनी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों को शामिल करना चाहिए। विदेशी निवेश में एफडीआई, एफआईआई,	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	प्रेस नोट 3 (2007 श्रृंखला) में अधिसूचित दिशानिर्देशों की शर्त पर	प्रेस नोट 3/2007

1	2	3	4	5
कम्युनिकेशन सर्विसेस (जीएमपी सीएस) और अन्य वैल्यू एडेड टेलीकॉम सर्विसेस	एनआरआई, एफसीसीबी, एडीआर, जेडीआर, कन्वर्टेबल प्रफरेंस शेयर शामिल होने चाहिए। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब होगा सुसंगत आधार पर कंपनी/कंपनियों, जो लाइसेंसधारी कंपनी तथा उनके नियंत्रक कंपनी/कंपनियों या वैधानिक कंपनी (जैसे म्यूचुअल फंड, ट्रस्ट) के शेयरधारी है, में विदेशी निवेश। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा लाइसेंसधारी कंपनियों के शेयरों के नियंत्रण को ''भारतीय नियंत्रण'' माना जाएगा। किसी भी स्थिति में भारतीय शेयरधारिता 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।			

1	2	3	4	5
ख. गेटवेज, रेडियो पेजिंग, एंड-टू-एंड वेंडविथ के साथ आईएसपी	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 प्रतिशत से अधिक एफआईपीबी	दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंस लेने और सुरक्षा संबंधित अपेक्षाओं की शर्त पर www.dotindia.com	प्रेस नोट 4/2001
ग. गेटवे, के बिना आईएसपी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर प्रावाइडिंग डार्क फाईबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस टावर (केटेगरी-1) इलेक्ट्रानिक मेल एंड वायस मेल	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वत: 49 से अधिक एफआईपीबी	यदि ये कंपनियां विश्व के किसी अन्य भाग में सूचीबद्ध हैं तो इस शर्त के अध्याधीन कि ऐसी कंपनियां 5 वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी 26 प्रतिशत इक्विटी विनिवेश कर देंगी इसके अतिरिक्त जहां कहीं अपेक्षित हो लाइसेंस लेने और सुरक्षा अपेक्षाओं को देखते हुए www.dotindia. com	प्रेस नोट 9/2000 और प्रेस नोट 2/2007
घ. दूरसंचार उपकरणों का निर्माण	100 प्रतिशत	स्वत:	क्षेत्रवार अपेक्षाओं की शर्त पर wwwdotindia.com	प्रेस नोट 2/2000
बिजली का उत्पादन (परमाणु ऊर्जा को छोड़कर), पारेषण, वितरण और बिजली की खरीद-फरोख्त	100 प्रतिशत	स्वत:	विद्युत अधिनियम 2003 के उपबंधों की शर्त पर www.powermin.nic.in	प्रेस नोट 2/1998, 7/2000 और 4/2006
पतन	100 प्रतिशत	स्वत:	क्षेत्रीय विनियमन के अध्यधीन	प्रेस नोट 2/2000
सड़क एवं राजमार्ग	100 प्रतिशत	स्वत:	क्षेत्रीय विनियमन के अध्यधीन	प्रेस नोट 2/2000
जहाजरानी	100 प्रतिशत	स्वत:	क्षेत्रीय विनियमन के अध्यधीन	प्रेस नोट 2/2000

[हिन्दी]

पुनर्वास पैकेज

5495. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खान के लिए किसी पुनर्वास पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब से लागू हो जाने की संभावना है;

(ग) उक्त पैकेज से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त पैकेज में प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार का ब्योरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना राष्ट्रीय नीति 2003 (एन पी पी आर आर-2003) तैयार की है। इस नीति में विस्थापित लोगों/हटाये गये लोगों को दिये जाने के लिए न्यूनतम प्रावधान निर्धारित किये गये हैं और ये मैदानी इलाकों में 500 अथवा अधिक परिवारों को अथवा पहाड़ी इलाकों में 250 अथवा अधिक परिवारों को एक साथ विस्थापित करने वाली परियोजनाओं, मरूभूमि विकास कार्यक्रम ब्लाकों तथा भारतीय संविधान की अनुसूची-V तथा VI में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। नीति में परिकल्पित पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना अनुदान तथा लाभ सभी परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए लागू होते हैं।

[अनुवाद]

पत्थरों का निर्यात

5496. श्री रनेन बर्मन: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान कितनी मात्रा में प्राकृतिक पत्थर यथा ग्रेनाइट/संगमरमर/बलुआ पत्थर का निर्यात किया गया और विस्फोट पद्धति द्वारा खदानों से ऐसे उत्पादों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीयव बाजार में बढ़ती मांगों के मद्देनजर विस्फोट पद्धति पर निर्भर रहने के स्थान पर उत्खनन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 और 2006-07 (अप्रैल से सितम्बर, 06) के दौरान ग्रेनाइट, संगमरमर, बालू रेत और अन्य उत्पादों के कुल निर्यात का मूल्य क्रमशः 456198.84 लाख रु. और 298984.05 लाख रु. था और भारत में प्राकृतिक पत्थरों के उत्खनन उद्योग जहां तक संभव होता है, नियंत्रित विस्फोट की नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करते हैं जिससे पत्थरों को कम-से-कम नुकसान होता है। यह प्रौद्योगिकी अमेरिका, स्वीडन, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि जैसे उन्नत देशों में प्रयोग की जाती है। ग्रेनाइट, संगमरमर, बालू रेत और अन्य भवन-निर्माण पत्थर गौण खनिजों में आते हैं। सरकार ने देश में ग्रेनाइट और संगमरमर के संरक्षण, क्रमिक विकास तथा वैज्ञानिक खनन के लिए 1999 में ग्रेनाइट (संरक्षण और विकास) नियम तथा 2002 में संगमरमर विकास और संरक्षण को अधिसूचित किया है। राज्य सरकारों को ग्रेनाइट के खनन पट्टों और गौण खनिजों के संबंध में खनिज रियायतों को भी नियमित करने के लिए और इससे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए हैं।

नैनो-साइंस के लिए विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान

5497. श्रीमती निवेदिता माने: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नैना साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए बम्बई, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों को विशेष अनुदान आबंटित करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 29 मार्च, 2007 के द टाइम्स ऑफ इंडिया में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य विश्वविद्यालयों को भी इसी प्रकार की धनराशि देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) तीन पुराने विश्वविद्यालय नामत: मुम्बई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय को उनकी 150वीं वर्षगांठ समारोह के आयोजन के भाग के रूप में नैनो-साइंस एवं नैनो टेक्नोलॉजी/बायो मेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी केन्द्र स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को केन्द्र सरकार की ओर से अंशदान के रूप में 100 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान आवंटित किया है। अन्य कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो नजदीक भविष्य में अपनी 150वीं वर्षगांठ का विशेष समारोह आयोजित करेगा।

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स

5498. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआर सी) को अद्यतन बनाने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त रजिस्टर को पूरा करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या उक्त पंजिका का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकरण का प्रारूप क्या है तथा पंजीकृत नागरिक सूचना का ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान एन आर सी को अद्यतन बनाने के लिए विभिन्न राज्यों विशेषत: असम में आबंटित जारी और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) उक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ग) से (च) असम सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, 1951 को अद्यतन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005-06 में राज्य सरकार को 1.02 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस कार्य के लिए राज्य सरकार को 2 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराए जाने के लिए सहमति हुई है।

[हिन्दी]

मुक्त व्यापार समझौते

5499. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने किन-किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने घरेलू उद्योगों पर मुक्त व्यापार समझौतों के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) भारत ने निम्नलिखित देशों के साथ मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं:

(1) केवल वस्तुओं को शामिल करते हुए भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार पर 28 दिसम्बर, 1998 को हस्ताक्षर किए गए थे और उसका कार्यान्वयन मार्च, 2000 से शुरू हुआ था।

(2) भारत और सिंगापुर ने 29 जून, 2006 को एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए हैं जो 1 अगस्त, 2006 से लागू हुआ है। सीईसीए में अन्य बातों के साथ-साथ वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में मुक्त व्यापार करार शामिल हैं।

(3) 6 जनवरी, 2004 को इस्लामाबाद में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क सदस्य देशों (बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) द्वारा वस्तुओं को शामिल करते हुए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए थे और वह 1 जनवरी, 2006 से लागू हो गया है। साफ्टा के अंतर्गत टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम 1 जुलाई, 2006 से शुरू हुआ है।

(4) नेपाल और भूटान के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार संधियां भी हैं जिनके अंतर्गत गैर-पारस्परिकता के आधार पर इन दोनों देशों से वस्तुओं की शुल्क-मुक्त पहुंच का प्रावधान किया गया है।

(ख) से (घ) अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ वार्ता शुरू करने से पहले प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारों का घरेलू उद्योग पर प्रभाव सहित उनकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से और संयुक्त अध्ययन दलों के जरिए अध्ययन किए जाते हैं। शीर्षस्थ वाणिज्य एवं उद्योग मडलों, उद्योग एसोसिएशनों सहित घरेलू हितबद्ध पक्षों और प्रशासनिक मंत्रालयों एवं विभागों के साथ भी परामर्श किए जाते हैं। घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए इन करारों में मदों की संवेदनशील/नकारात्मक सूचियां रखे जाने का प्रावधान होता है जिन पर एफटीए के अंतर्गत सीमित अथवा कोई टैरिफ रियायत प्रदान नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को क्षति होने की स्थिति में किसी देश को पाटनरोधी एवं रक्षोपायों जैसे उपाय करने की अनुमति दी जाती है।

[अनुवाद]

बॉक्साइट का खनन

5500. श्री अमिताभ नन्दी: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बॉक्साइट के खनन से क्षेत्र के लोगों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को गंभीर खतरा पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश से बॉक्साइट खनन की जानकारी नहीं मिली है और इसलिए क्षेत्र की आबादी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को कोई खतरा नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के आलोक में, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुटका विनिर्माताओं के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते

5501. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई गुटका विनिर्माताओं के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने, गुटका विनिर्माताओं और अंडरवर्ल्ड के बीच रिश्तों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 387 और 34 के साथ पठित धारा 120 बी, और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 की धारा 3 (1) (ii), 3(2) और 3(4) के तहत 9.2.2005 को एक मामला सं. आर सी. 4 (एस)/2005-एस सी आर-III/नई दिल्ली दर्ज किया है।

[अनुवाद]

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद

5502. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने भारतीय रुपये के मजबूत होने के बावजूद वस्त्र निर्यात के लक्ष्य को कम कर दिया है जैसाकि दिनांक 9 अप्रैल, 2007 के बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) निर्यात लक्ष्य को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ग्यारहवीं योजना के लिए वस्त्र निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ख) जी, हां। रुपए की मजबूती अन्य कारणों में से एक है।

(ग) सरकार सूती वस्त्रों सहित वस्त्र के निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए सतत उपाय करती रही है। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नलिखित हैं:

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता एवं गुणता में सुधार के लिए सरकार ने कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी), शुरू किया है। बेहतर कृषि प्रथाओं, गुणवत्ता की बीजों, बाजार अवसंरचना में सुधार तथा जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।

(5) वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के उत्पादन आधार के विस्तार के उद्देश्य से ''निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना'' तथा ''वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना'' का विलय कर ''एकीकृत वस्त्र पार्क योजना'' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समय मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का एक विकल्प दिया गया है।

(7) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिष्टि वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(8) परिधान निर्यातकों को उनके पिछले वर्ष के दौरान वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक ट्रिमिंग एवं अलंकरण मदों की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति दी गई है।

(9) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.2005 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की आठ शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केन्द्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(11) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

(घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

टाइटेनियम के भण्डार

5503. श्री मनोरंजन भक्त: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र की रेत में टाइटेनियम के भारी भण्डारों का पता लगाने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने यह संकेत दिया है कि श्री काकुलम से दक्षिण तट तक सर्म्पूण पूर्वी तट पर दुर्लभ खनिजों की प्रचुरता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) टाइटेनियम के भण्डारों का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी ए ई) के तहत गवेषण और अनुसंधान संबंधी परमाणु खनिज निदेशालय (ए एम डी) ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भाग में टाइटेनियम धारक खनिजों अर्थात् इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोजीन के संसाधनों का गवेषण किया है। ए.एम.डी. द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयानगरम और विशाखापत्तनम जिलों में 61.22 मिलियन टन इल्मेनाइट (टाइटेनियम धातु का प्रमुख खनिज) संसाधनों की पहचान की गई है।

(ग) से (घ) जी, हां। ए.एम.डी. ने उत्तर में श्रीकाकुलम से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु सीमा तक 982 कि.मी. लम्बी तटरेखा

पर दुर्लभ खनिजों से युक्त अनेक भण्डारों की पहचान की है। आंध्र प्रदेश में लगभग 153.7 मिलियन टन टाइटेनियम खनिज होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें 139.73 मिलियन टन इल्मेनाइट, 8.78 मिलियन टन रूटाइल और 5.20 मिलियन टन ल्यूकोजीन शामिल है।

(ङ) डी.ए.ई. द्वारा दिनांक 16.10.1998 को अधिसूचित की गई तटीय खनिज नीति के तहत् सरकार ने तटीय बालू में टाइटेनियम धारक खनिजों के विदोहन के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दे दी है ताकि इन भण्डारों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय

5504. श्री अबु अयीश मंडल: क्या मानव संसाधन विकास **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की कोई रिपोर्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों में भारत का कोई स्थान है; और

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) जबकि कुछ संस्थाओं या एजेंसियों ने कुछ मानदण्ड निर्धारित कर कभी-कभी विश्वविद्यालयों या शैक्षिक संस्थाओं की रैंकिंग की सूची प्रकाशित करती है, हालांकि विश्वविद्यालयों की विश्वव्यापी रैंकिंग के लिए कोई प्रमाणिक सरकारी अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी नहीं है।

खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा

5505. श्री भर्तृहरि महताब: क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उड़ीसा में खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना करने की अपार संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर उड़ीसा में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित/उपयोग की गई धनराशि का राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ख) जी, हां। सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) उड़ीसा सहित समग्र देश में 20000 की आबादी वाले लघु कस्बों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी), सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन करती है। इसी प्रकार से उड़ीसा सहित खादी उद्योग का संवर्धन समग्र देश में के वी आई सी के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा किया जाता है। खादी में बड़ी ही कम दर पर निवेश करने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की बड़ी ही आश्चर्यजनक संभाव्यता है। जहां तक आर ई जी पी का संबंध है वर्ष 2006-07 के दौरान आर ई जी पी के कार्यान्वयन हेतु 372.63 करोड़ रुपये के वी आई सी के लिए निर्धारित किए गए हैं तथा वर्ष 2007-08 के दौरान यह आवंटन बढ़ाकर 445 करोड़ रुपये कर दिया गया है। स्कीम के शुरू होने (अप्रैल, 1995 से) से लेकर मार्च, 2007 तक आर ई जी पी के तहत लगभग 2.59 लाख ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना की गई है। दसवीं योजना के दौरान आर ई जी पी के तहत स्थापित परियोजनाओं का राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण I में प्रस्तुत है।

(ग) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भाग के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नवीनीकरण के लिए खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 को संशोधित किया गया है और आयोग को पुन: गठित किया गया है। उड़ीसा सहित देश में खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) स्कीमों का कार्यान्वयन कर रही है जैसे कि ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रामण पत्र स्कीम (आई एस ई सी) जिसमें बैंक ऋणों की ब्याज दरों में सब्सिडी प्रदान की जाती है, उत्पाद विकास, डिजाईन हस्तक्षेप तथा डिजाइन सुधार हेतु पैकेजिंग (पी आर ओ डी आई पी) स्कीम तथा खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों की पैकेजिंग तथा के वी आई सी के माध्यम से खादी की बिक्री पर छूट प्रदान करने के लिए छूट स्कीम। खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों/आर ई जी पी इकाइयों की के वी आई सी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे राष्ट्रीय/उपराष्ट्रीय स्तर

की प्रदर्शनियों में खादी उत्पादों की मार्किटिंग में सहायता करने के लिए भाग ले सकें। इसके अलावा सरकार ने वर्ष 2005-06 से शुरू करके 5 वर्ष की अवधि में 100 क्लस्टरों (25 खादी, 50 ग्रामोद्योग तथा 25 कॅयर क्लस्टर) के विकास के लिए परम्परागत उद्योगों के सृजन के लिए फंड स्कीम (एस एफ यू आर टी आई) शुरू की है। एस एफ यू आर टी आई में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए सहायता, गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता बनाना, नये उत्पादों का विकास, पैकेजिंग, नये डिजाइन, मार्किट संवर्धन इत्यादि की परिकल्पना की गई है। एस एफ यू आर टी आई के तहत उड़ीसा के लिए 2 ग्रामोद्योग क्लस्टरों तथा 2 कॅयर विकास क्लस्टरों के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है।

(घ) आर ई जी पी एक केन्द्र क्षेत्र स्कीम है तथा यह स्कीम के लिए अनुदान स्वीकृत करती है। अनुदान के वीआईसी को रिलीज किए जाते हैं जो कि बदले में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को स्वीकृत परियोजनाओं के मद्दे बैंकों को फण्डस रिलीज करती है (मार्जिन मनी सहायता के मद्दे)। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर ई जी पी के तहत के वी आई सी के आवंटित मार्जिन मनी के संबंध में राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में तथा उनका जिन्होंने मार्जिन मनी उपयोग की है, के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण-III में प्रस्तुत है।

विवरण I

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	1	8	8	3	10
2.	दिल्ली	9	7	9	15	13
3.	हरियाणा	677	923	1140	1058	869
4.	हिमाचल प्रदेश	423	414	469	650	760
5.	जम्मू-कश्मीर	105	775	922	1402	1630
6.	पंजाब	1358	882	864	440	591
7.	राजस्थान	3036	2496	1537	2133	1437
8.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	196	58	6	598	127
9.	बिहार	229	88	254	692	814
10.	झारखण्ड	298	323	240	217	128
11.	उड़ीसा	668	1031	991	650	509
12.	पश्चिम बंगाल	2459	3348	2584	2078	1850
13.	अरुणाचल प्रदेश	30	32	43	76	88
14.	असम	559	1223	1658	2229	1088
15.	मणिपुर	79	36	102	65	60

1	2	3	4	5	6	7
16.	मेघालय	153	210	146	206	96
17.	मिजोरम	143	33	162	365	586
18.	नागालैण्ड	64	61	151	316	133
19.	त्रिपुरा	141	244	233	306	30
20.	सिक्किम	16	113	139	106	46
21.	आंध्र प्रदेश	1818	1097	1988	2278	2037
22.	कर्नाटक	1411	1422	934	1314	1689
23.	केरल	789	2046	914	1217	900
24.	लक्षद्वीप	0	9	0	26	0
25.	पांडिचेरी	3	47	7	56	3
26.	तमिलनाडु	764	1568	925	1036	1049
27.	दादरा व नगर हेवली	5	2	0	0	0
28.	गोवा	244	126	138	136	104
29.	गुजरात	126	290	376	516	443
30.	महाराष्ट्र	2249	857	1773	3120	2296
31.	छत्तीसगढ़	216	697	656	551	519
32.	मध्य प्रदेश	703	1041	1361	736	1002
33.	उत्तराखण्ड	375	1106	513	527	402
34.	उत्तर प्रदेश	1677	2134	2210	1532	1281
	कुल योग	21024	24747	23453	26650	22590

*अस्थायी आंकड़े

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत आवंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	29	79	31	5.63	5.30
2.	दिल्ली	43	35.66	12.5	18.67	16.88

1	2	3	4	5	6	7
3.	हरियाणा	804	637.03	2101.03	1465.39	1824.72
4.	हिमाचल प्रदेश	570	720.63	667.63	933.35	1243.75
5.	जम्मू-कश्मीर	267	651.44	670.32	889.3	1053.93
6.	पंजाब	1160	1185	2056.67	1833.1	1657.13
7.	राजस्थान	1052	2063.99	2985.66	3400.45	3273.79
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	89	39.5	100	186.67	45.00
9.	बिहार	752	1155.77	1196	783.13	707.95
10.	झारखण्ड	290	628.05	906	914.21	503.84
11.	उड़ीसा	483	1133.95	1036.43	1086.42	982.13
12.	पश्चिम बंगाल	1280	2930.88	2158.74	2785.12	2366.76
13.	अरुणाचल प्रदेश	300	63.2	97	126.94	114.75
14.	असम	613	1368.88	1431	1874.17	1694.25
15.	मणिपुर	198	69.52	285	227.74	205.88
16.	मेघालय	430	437.03	285	373.34	337.50
17.	मिजोरम	196	112.18	426	558.18	1104.60
18.	नागालैण्ड	157	264.46	162	212.8	192.37
19.	सिक्किम	34	79	171	132.57	243.00
20.	त्रिपुरा	213	248.22	248.11	268.8	119.83
21.	आंध्र प्रदेश	1078	1553.89	2975.63	3610.27	3913.69
22.	कर्नाटक	1220	1257.37	1885	2469.68	2232.60
23.	केरल	1202	1231.45	1193	1705.08	1541.40
24.	लक्षद्वीप	52	2.37	1	1.9	1.72
25.	पांडिचेरी	40	23	23.64	78.74	71.18
26.	तमिलनाडु	605	1451.13	1197.24	1487.79	1410.46
27.	दादरा और नगर हवेली	26	4.74	14	0	0.00
28.	दमन और दीव	28	0	0	0	0.00
29.	गोवा	203	101.4	285	373.34	237.50

1	2	3	4	5	6	7
30.	गुजरात	623	667.16	574	752.31	680.09
31.	महाराष्ट्र	1029	2454.1	1988.15	2342.74	1917.84
32.	छत्तीसगढ़	346	982.53	1112.69	1121.92	1414.22
33.	मध्य प्रदेश	1441	1667.02	1542.74	1584.86	1432.72
34.	उत्तराखण्ड	223	770.81	836.31	746.68	575.00
35.	उत्तर प्रदेश	2662	2729.83	3746	4807.73	3169.95
	कुल योग	19738	28800.19	34401.49	39159.02	36291.73

*अस्थायी

विवरण III

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर.ई.जी.पी. के तहत उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	0.40	10.24	21.45	3.63	11.34
2.	दिल्ली	16.16	12.31	8.09	16.66	18.37
3.	हरियाणा	884.91	1938.96	2142.25	1782.18	1749.34
4.	हिमाचल प्रदेश	643.78	757.11	657.72	889.90	843.74
5.	जम्मू-कश्मीर	179.00	363.45	584.55	833.56	1085.24
6.	पंजाब	1744.62	819.03	1834.63	837.21	1107.84
7.	राजस्थान	2189.08	2890.28	2064.33	2679.91	2096.45
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	78.24	28.44	4.16	218.87	22.15
9.	बिहार	108.13	186.03	281.69	570.54	680.35
10.	झारखण्ड	421.01	198.08	320.60	351.12	187.87
11.	उड़ीसा	156.78	784.11	863.05	837.22	686.26
12.	पश्चिम बंगाल	1202.17	1593.51	1999.62	2100.06	2043.93
13.	अरुणाचल प्रदेश	45.36	52.77	66.03	126.54	144.45

1	2	3	4	5	6	7
14.	असम	375.68	806.83	1277.42	2719.99	1051.28
15.	मणिपुर	110.53	41.19	73.66	43.85	56.24
16.	मेघालय	135.94	121.79	196.03	234.14	149.13
17.	मिजोरम	224.40	61.10	257.48	995.54	769.50
18.	नागालैण्ड	50.15	117.20	204.46	286.22	164.39
19.	त्रिपुरा	106.23	224.02	214.14	289.95	33.27
20.	सिक्किम	6.70	127.67	165.78	139.54	75.72
21.	आंध्र प्रदेश	1775.01	1675.40	3394.19	3627.58	3573.60
22.	कर्नाटक	1560.05	1692.17	1063.83	1697.66	2424.27
23.	केरल	1196.03	2753.15	1027.95	1603.41	1534.00
24.	लक्षद्वीप	0.00	7.42	0.00	16.39	0.00
25.	पांडिचेरी	0.29	11.38	9.05	12.66	4.20
26.	तमिलनाडु	604.08	1362.17	1147.28	1217.13	1510.57
27.	दादरा और नगर हवेली	9.49	4.13	0.00	0.00	0.00
28.	गोवा	198.06	82.98	88.90	103.68	95.25
29.	गुजरात	107.23	130.34	530.55	883.08	774.47
30.	महाराष्ट्र	1541.92	873.25	1439.17	1596.48	1843.44
31.	छत्तीसगढ़	427.33	1098.00	1000.91	1152.87	976.82
32.	मध्य प्रदेश	605.97	1355.07	2125.71	1114.33	1516.50
33.	उत्तराखण्ड	378.01	979.70	578.63	617.86	401.57
34.	उत्तर प्रदेश	2293.52	3415.18	3596.64	2495.99	2434.09
	कुल योग	19371.26	26574.46	29239.95	32095.75	30065.64

*अस्थायी आंकड़े

वस्त्र उद्योग हेतु लक्ष्य

5506. श्रीमती निवेदिता माने: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेक्सटाइल मशीन विनिर्माण उद्योग वर्ष 2010 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएं हैं, जैसाकि दिनांक 9 अप्रैल, 2007 को बिजनेस स्टैंडर्ड में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना की तरह सरकार की टेक्सटाइल मशीन विनिर्माण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) टेक्सटाइल मशीन विनिर्माण उद्योगों की सहायता के लिए क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) से (ख) भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई) ने 2010 के अपने विजन स्टेटमेंट में वस्त्र मशीनरी में 1,40,000 करोड़ रु. के निवेश का अनुमान लगाया है। वस्त्र मशीनरी में 31% की वृद्धि के बावजूद भी भारतीय उद्योग सीआईटीआई के अनुमान को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। वर्तमान में वस्त्र मशीनरी की कुल संस्थापित क्षमता लगभग 3050 करोड़ प्रति वर्ष होने का अनुमान है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान उत्पादन का स्तर क्रमश: 1684 करोड़ रु. तथा 2212 करोड़ रु. के आसपास था। इन अवधियों के दौरान आयात 3393 करोड़ रु. तथा 7100 करोड़ रु. का हुआ था। आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि जहां पिछले एक वर्ष के दौरान मांग लगभग दुगुनी हो गयी है, वहीं स्वदेशी उत्पादन का हिस्सा 33% से कम होकर 24% हो गया है। तथापि, पिछले वर्ष के दौरान स्वदेशी उत्पादन में करीब 31% की वृद्धि हुई है। जहां तक क्षमता का संबंध है कुछ क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतर तथा क्षमता के कारण इसका अभी भी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) भारी उद्योग विभाग ने पूंजीगत माल उद्योग जिसमें वस्त्र इंजीयनरिंग क्षेत्र शामिल है, की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना का प्रस्ताव किया है। इस योजना का उद्देश्य टीईआई एककों को उनकी मौजूदा प्रौद्योगिकी का उन्नयन करने, सामान्य सुविधाओं और अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों की स्थापना करने तथा विशिष्ट पार्कों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना आयोग के विचाराधीन है।

(च) घरेलू उद्योगों के विकास एवं वृद्धि के लिए टैरिफ संरचना से संबंधित सिफारिश और अन्य नीतिगत मुद्दों पर समय-समय पर विचार किया जाता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना

5507. **श्री अमिताभ नन्दी:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री एल. राजगोपाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्याह्न भोजन योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विस्तारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ग) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार इसके दायरे में कितने बच्चे शामिल होने की संभावना है;

(घ) इस योजना का विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना का विस्तार उच्च कक्षाओं के लिए भी करने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। बजट घोषणा के अनुसार, वर्ष 2007-08 में देश के शैक्षणिक तौर पर पिछड़े 3427 ब्लॉकों तक मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार किया जाएगा।

(ख) मध्याह्न भोजन योजना के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन-सह-मानीटरन समिति ने उच्च पर्याप्त मात्रा के पोषण संबंधी मानकों की सिफारिश की है।

(ग) चालू वित्त वर्ष में शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्कूलों में मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत लगभग 2.2 करोड़ बच्चों को शामिल किया जाएगा। शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) चालू वर्ष में शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लॉकों में उच्च प्राथमिक स्तर तक योजना का विस्तार किया जाएगा।

(ङ) से (च) कुछ राज्यों ने कक्षा X तक इस योजना के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। मध्याह्न भोजन योजना का कक्षा X तक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित द्वारा अनुवर्तित शैक्षणिक तौर पर पिछड़े ब्लाक			
		मा.सं.वि.मं. (2001 की जनगणना के अनुसार)	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (1991 की अनुसार)	टी.डब्ल्यू मंत्रालय (1991 की जनगणना के अनुसार)	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	661	0	34	695
2.	अरुणाचल प्रदेश	14	0	0	14
3.	असम	15	0	0	15
4.	बिहार	495	70	22	587
5.	छत्तीसगढ़	60	44	0	104
6.	गुजरात	80	0	0	80
7.	हरियाणा	31	0	0	31
8.	हिमाचल प्रदेश	5	0	0	5
9.	जम्मू-कश्मीर	84	0	0	84
10.	झारखंड	189	0	9	198
11.	कर्नाटक	61	4	0	65
12.	मध्य प्रदेश	184	19	10	213
13.	महाराष्ट्र	36	0	0	36
14.	मणिपुर	1	0	0	1
15.	मेघालय	0	4	0	4
16.	मिजोरम	1	0	0	1
17.	उड़ीसा	154	32	26	212
18.	पंजाब	2	0	0	2

1	2	3	4	5	6
19.	राजस्थान	186	0	0	186
20.	तमिलनाडु	37	0	0	37
21.	त्रिपुरा	7	0	0	7
22.	उत्तरांचल	21	0	0	21
23.	उत्तर प्रदेश	690	20	0	710
24.	पश्चिम बंगाल	58	19	41	118
25.	दादरा और नगर हवेली	1	0	0	1
	कुल	3073	212	142	3427

सी आई ई एफ एल द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम

5508. श्री कैलाश मेघवाल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ इंगलिश एंड फौरन लंगुऐज (सी आई एफ एल) द्वारा अंग्रेजी के अलावा विभिन्न भाषाओं के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास सी आई ई एफ एल को विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ख) जी हां। केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद फ्रेंच, जर्मन, रूसी, स्पेनिश, अरबी एवं जापानी भाषाओं में भी पाठ्यक्रम संचालित करता है।

(ग) से (घ). जी हां। अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अधिसूचना जारी की जा रही है।

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना

5509. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री भर्तृहरि महताब:

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में स्थापित किए गए कृषि और ग्रामीण उद्योगों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसे उद्योगों के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवंटित/प्रयोग की गई धनराशि का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) राज्य सरकारों विशेषकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए प्रस्तावों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों का संवर्धन सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में) द्वारा दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं, अर्थात ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर ई जी पी), जिसका कार्यान्वयन सरकार द्वारा खादी

व ग्रामोद्योग आयोग (के वी आई सी) के माध्यम से किया जाता है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित प्रधान मंत्री रोजगार योजना के माध्यम से किया जाता है। पी एम आर वाई (ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वित) के तहत स्थापित लगभग 50% इकाइयां अनुमानतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। दसवीं योजना में आर ई जी पी के तहत स्थापित परियोजनाओं और पी एम आर वाई के तहत स्थापित स्वरोजगार उद्यमों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) आर ई जी पी एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और योजना के लिए अनुमोदित अनुदान के वी आई सी को जारी किए जाते हैं जो बदले में निधियों (मार्जिन मनी सहायता) को बैंकों को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए जारी करता है। दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आर ई जी पी के तहत के वी आई सी द्वारा आवंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में और उपयोग की गई मार्जिन मनी का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। पी एम आर वाई के तहत सब्सिडी का आवंटन और निधियों को जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर आधारित है। सब्सिडी राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की जाती है जो बदले में आवश्यक राशि कार्यान्वयन बैंकों को जारी करता है। दसवीं योजना अवधि के दौरान पी एम आर वाई के तहत आर बी आई को जारी सब्सिडी की राशि निम्नलिखित है:

वर्ष	पी एम आर वाई के तहत जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रुपये)
2002-03	152.55
2003-04	147.63
2004-05	190.48
2005-06	251.36
2006-07	228.82

दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत उद्यमिता विकास आकस्मिकता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवंटित निधियों तथा साथ ही साथ उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में-V में दिया गया है।

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर ई जी पी के तहत परियोजनाओं तथा पी एम आर वाई के तहत स्वरोजगार उपक्रमों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-VI और VII में दिया गया है जबकि उपलब्धियां उपरोक्त (क) में उल्लिखित विवरण-I और II में पहले से ही दर्शायी गई हैं।

(घ) जहां तक आर ई जी पी के तहत ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के संवर्धन के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों का संबंध है के वी आई सी द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एम डब्ल्यू सी डी) के साथ तालमेल स्थापित किया गया है। आर आई जी पी के तहत विभिन्न फावर्ड-बैकवर्ड संवर्गों जैसे कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, विपणन, जागरूकता कैम्प आयोजित करना, आदि के लिए वित्तीय सहातया भी प्रदान की जाती है। के वी आई सी में आर ई जी पी के तहत महिला उद्यमियों के लाभार्थ एम डब्लयू सी डी के साथ एक समझौता ज्ञापन भी दिया है। समझौता ज्ञापन के अनुसार आर ई जी पी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के रोजगार अवसर सृजित करने तथा उनके उत्पादों का विपणन करने के लिए भी के वी आई सी और एम डब्ल्यू सी डी एक साथ कार्य करने के लिए सहमत हो गए हैं। के वी आई सी ने आर ई जी पी योजना के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा आर ई जी पी के तहत विपणन स्थलों के सृजन के लिए ग्रामीण उद्यमियों के लाभार्थ विभिन्न अन्य संगठनों जैसे कि आर्मी वाईव्स वैल्फेयर एसोसिएशन और नेहरू युवा केन्द्र संगठन के साथ भी तालमेल स्थापित किया है इसके अतिरिक्त विनिर्माण, परीक्षण/गुणवत्ता नियंत्रण, रख-रखाव आदि में आधारभूत संरचना सुविधा एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्र (आर आई एस सी) योजना सरल एवं कारगर बनाने के अतिरिक्त इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा, परियोजना लागत की उच्चतम सीमा, सब्सिडियों की उच्चतम सीमा, चयन से पूर्व एवं पश्चात लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता की दरों के संबंध में डिजाइन मानदंडों को बनाया गया है जो 2007-08 से लागू हैं।

(ङ) उपरोक्त (क) में उल्लिखित औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सीधे आवेदन प्राप्त नहीं किए जाते हैं। आर ई जी पी के तहत कोई पात्र उद्यमी के वी आई सी मार्जिन मनी तथा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग स्थापित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए संभावी उद्यमी को के वी आई सी को राज्य कार्यालयों अथवा सम्बन्धित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्डों (के वी आई बी) जिला कार्यालयों अथवा कार्यान्वयन बैंकों में सीधे एक परियोजना प्रस्ताव

जमा कराना होता है। परियोजना का अनुमोदन सम्बन्धित बैंकों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय अनुमोदन पर निर्भर करता है। इसी प्रकार पी एम आर वाई के तहत शिक्षित बेरोजगार युवा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों से स्वीकार्य सब्सिडी एवं ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योग की स्वरोजगार इकाई स्थापित कर सकते हैं। यह योजना राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस उद्देश्य के लिए संभावी उद्यमी को सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र में एक परियोजना प्रस्ताव जारी करना होता है जो बदले में कार्यान्वयन बैंकों को शार्ट लिस्ट किए गए आवेदन प्रायोजित करता है।

पारस्परिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु फंड योजना (स्फूर्ति) के तहत क्लस्टर विकास के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और पारस्परिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु फंड योजना (स्फूर्ति) के तहत क्लस्टर विकास के लिए प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच कर ली गई है और स्फूर्ति के तहत विकास हेतु खादी के 29 क्लस्टर (राजस्थान में दो सहित), ग्रामोद्योगों के 50 क्लस्टर (राजस्थान में दो सहित) तथा कॅयर के 25 क्लस्टरों की पहचान की गई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरईजीपी के तहत स्थापित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा (इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	1	8	8	3	10
2.	दिल्ली	9	7	9	15	13
3.	हरियाणा	677	923	1140	1058	869
4.	हिमाचल प्रदेश	423	414	469	650	760
5.	जम्मू-कश्मीर	105	775	922	1402	1630
6.	पंजाब	1358	882	864	440	591
7.	राजस्थान	3036	2496	1537	2133	1437
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	196	58	6	·598	127
9.	बिहार	229	88	254	692	814
10.	झारखण्ड	298	323	240	217	128
11.	उड़ीसा	668	1031	991	650	509
12.	पश्चिम बंगाल	2459	3348	2584	2078	1850
13.	अरुणाचल प्रदेश	30	32	43	76	88
14.	असम	559	1223	1658	2229	1088
15.	मणिपुर	79	36	102	65	60
16.	मेघालय	153	210	146	206	96

1	2	3	4	5	6	7
17.	मिजोरम	143	33	162	365	586
18.	नागालैण्ड	64	61	151	316	133
19.	त्रिपुरा	141	244	233	306	30
20.	सिक्किम	16	113	139	106	46
21.	आंध्र प्रदेश	1818	1097	1988	2278	2037
22.	कर्नाटक	1411	1422	934	1314	1689
23.	केरल	789	2046	914	1217	900
24.	लक्षद्वीप	0	9	0	26	0
25.	पांडिचेरी	3	47	7	56	3
26.	तमिलनाडु	764	1568	925	1036	1049
27.	दादरा व नगर हवेली	5	2	0	0	0
28.	गोवा	244	126	138	136	104
29.	गुजरात	126	290	376	516	443
30.	महाराष्ट्र	2249	857	1773	3120	2296
31.	छत्तीसगढ़	216	697	656	551	519
32.	मध्य प्रदेश	703	1041	1361	736	1002
33.	उत्तराखण्ड	375	1106	513	527	402
34.	उत्तर प्रदेश	1677	2134	2210	1532	1281
	कुल जोड़	21024	24747	23453	26650	22590

*अस्थायी आंकड़े

विवरण II

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएमआरवाई के तहत स्थापित स्वरोजगार उद्यमों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(इकाईयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	7008	7277	7755	9563	6770
2.	हिमाचल प्रदेश	2209	2862	2853	2929	2686

1	2	3	4	5	6	7
3.	जम्मू-कश्मीर	605	656	639	544	379
4.	पंजाब	7771	7558	8372	8043	5138
5.	राजस्थान	12267	12769	12919	13875	9982
6.	चण्डीगढ़	47	68	206	72	24
7.	दिल्ली	632	904	819	682	309
8.	असम	4149	5844	8256	5670	1910
9.	मणिपुर	549	520	387	383	89
10.	मेघालय	256	403	568	564	128
11.	नागालैण्ड	107	53	109	2375	384
12.	त्रिपुरा	1085	2043	1747	2032	829
13.	अरुणाचल प्रदेश	294	668	440	447	184
14.	मिजोरम	155	775	142	472	30
15.	सिक्किम	26	30	32	31	20
16.	बिहार	7939	9860	10396	12072	4830
17.	झारखण्ड	4354	4774	4804	4566	2810
18.	उड़ीसा	6725	8779	11339	12823	5119
19.	पश्चिम बंगाल	2528	2822	3796	4616	2410
20.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	142	182	142	150	87
21.	मध्य प्रदेश	16710	19748	20642	20902	9718
22.	छत्तीसगढ़	3006	3275	3276	3463	2371
23.	उत्तर प्रदेश	38016	40481	42534	39984	30379
24.	उत्तराखण्ड	4683	5361	6637	7404	5108
25.	गुजरात	7184	6755	6406	6355	4038
26.	महाराष्ट्र	17631	17230	21819	23684	11186
27.	दमन और दीव	2	3	4	14	8
28.	गोवा	274	116	45	43	18
29.	दादरा और नगर हवेली	10	0	22	24	3

1	2	3	4	5	6	7
30.	आंध्र प्रदेश	13632	17729	22542	21168	6607
31.	कर्नाटक	10026	11929	13931	19057	5515
32.	केरल	9853	14024	16553	21667	12107
33.	तमिलनाडु	9595	12738	16902	19548	11469
34.	लक्षद्वीप	10	17	4	5	0
35.	पांडिचेरी	213	294	329	347	195
	अनिर्धारित	828	897	897	1397	747
	अखिल भारत	190521	219444	248264	266971	143587

*फरवरी, 2007 तक

विवरण III

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरईजीपी के तहत आवंटित मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	29	79	31	5.63	5.30
2.	दिल्ली	43	35.66	12.5	18.67	16.88
3.	हरियाणा	804	637.03	2101.03	1465.39	1824.72
4.	हिमाचल प्रदेश	570	720.63	667.63	933.35	1243.75
5.	जम्मू-कश्मीर	267	651.44	670.32	889.3	1053.93
6.	पंजाब	1160	1185	2056.67	1833.1	1657.13
7.	राजस्थान	1052	2063.99	2985.66	3400.45	3273.79
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	89	39.5	100	186.67	45.00
9.	बिहार	752	1155.77	1196	783.13	707.95
10.	झारखण्ड	290	628.05	906	914.21	503.84
11.	उड़ीसा	483	1133.95	1036.43	1086.42	982.13

1	2	3	4	5	6	7
12.	पश्चिम बंगाल	1280	2930.88	2158.74	2785.12	2366.76
13.	अरुणाचल प्रदेश	300	63.2	97	126.94	114.75
14.	असम	613	1368.88	1431	1874.17	1694.25
15.	मणिपुर	198	69.52	285	227.74	205.88
16.	मेघालय	430	437.03	285	373.34	337.50
17.	मिजोरम	196	112.18	426	558.18	1104.60
18.	नागालैण्ड	157	264.46	162	212.8	192.37
19.	सिक्किम	34	79	171	132.57	243.00
20.	त्रिपुरा	213	248.22	248.11	268.8	119.83
21.	आंध्र प्रदेश	1078	1553.89	2975.63	3610.27	3913.69
22.	कर्नाटक	1220	1257.37	1885	2469.68	2232.60
23.	केरल	1202	1231.45	1193	1705.08	1541.40
24.	लक्षद्वीप	52	2.37	1	1.9	1.72
25.	पांडिचेरी	40	23	23.64	78.74	71.18
26.	तमिलनाडु	605	1451.13	1197.24	1487.79	1410.46
27.	दादरा और नगर हवेली	26	4.74	14	0	0.00
28.	दमन और दीव	28	0	0	0	0.00
29.	गोवा	203	101.4	285	373.34	237.50
30.	गुजरात	623	667.16	574	752.31	680.09
31.	महाराष्ट्र	1029	2454.1	1988.15	2342.74	1917.84
32.	छत्तीसगढ़	346	982.53	1112.69	1121.92	1414.22
33.	मध्य प्रदेश	1441	1667.02	1542.74	1584.86	1432.72
34.	उत्तराखण्ड	223	770.81	836.31	746.68	575.00
35.	उत्तर प्रदेश	2662	2729.83	3746	4807.73	3169.95
	कुल जोड़	19738	28800.19	34401.49	39159.02	36291.73

*अस्थायी

विवरण IV

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरईजीपी के तहत उपयोग में लाई गई मार्जिन मनी का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	0.40	10.24	21.45	3.63	11.34
2.	दिल्ली	16.16	12.31	8.09	16.66	18.37
3.	हरियाणा	884.91	1938.96	2142.25	1782.18	1749.34
4.	हिमाचल प्रदेश	643.78	757.11	657.72	889.90	843.74
5.	जम्मू-कश्मीर	179.00	363.45	584.55	833.56	1085.24
6.	पंजाब	1744.62	819.03	1834.63	837.21	1107.84
7.	राजस्थान	2189.08	2890.28	2064.33	2679.91	2096.45
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	78.24	28.44	4.16	218.87	22.15
9.	बिहार	108.13	186.03	281.69	570.54	680.35
10.	झारखण्ड	421.01	198.08	320.60	351.12	187.87
11.	उड़ीसा	156.78	784.11	863.05	837.22	686.26
12.	पश्चिम बंगाल	1202.17	1593.51	1999.62	2100.06	2043.93
13.	अरुणाचल प्रदेश	45.36	52.77	66.03	126.54	144.45
14.	असम	375.68	806.83	1277.42	2719.99	1051.28
15.	मणिपुर	110.53	41.19	73.66	43.85	56.24
16.	मेघालय	135.94	121.79	196.03	234.14	149.13
17.	मिजोरम	224.40	61.10	257.48	995.54	769.50
18.	नागालैण्ड	50.15	117.20	204.46	286.22	164.39
19.	त्रिपुरा	106.23	224.02	214.14	289.95	33.27
20.	सिक्किम	6.70	127.67	165.78	139.54	75.72
21.	आंध्र प्रदेश	1775.01	1675.40	3394.19	3627.58	3573.60
22.	कर्नाटक	1560.05	1692.17	1063.83	1697.66	2424.27

1	2	3	4	5	6	7
23.	केरल	1196.03	2753.15	1027.95	1603.41	1534.00
24.	लक्षद्वीप	0.00	7.42	0.00	16.39	0.00
25.	पांडिचेरी	0.29	11.38	9.05	12.66	4.20
26.	तमिलनाडु	604.08	1362.17	1147.28	1217.13	1510.57
27.	दादरा और नगर हवेली	9.49	4.13	0.00	0.00	0.00
28.	गोवा	198.06	82.98	88.90	103.68	95.25
29.	गुजरात	102.23	130.34	530.55	883.08	774.47
30.	महाराष्ट्र	1541.92	873.25	1439.17	1596.48	1843.44
31.	छत्तीसगढ़	427.33	1098.00	1000.91	1152.87	976.82
32.	मध्य प्रदेश	605,97	1355.07	2125.71	1114.33	1516.50
33.	उत्तराखण्ड	378.01	979.70	578.63	617.86	401.57
34.	उत्तर प्रदेश	2293.52	3415.18	3596.64	2495.99	2434.09
	कुल जोड़	19371.26	26574.46	29239.95	32095.75	30065.64

*अस्थायी आंकड़े

विवरण IV

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार द्वारा आवंटित और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07	
		निर्मुक्त निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां	निर्मुक्त निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	63.92	164.24	191.44	176.16	293.34	187.81	176.72	सूचित नहीं	191.95	
2.	असम	110.73	69.59	58.97	67.13	100.71	87.44	77.80	सूचित नहीं	1.73	
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.81	1.54	3.47	4.08	5.39	3.54	4.54	5.83	0.42	
4.	बिहार	0.00	40.28	101.54	32.71	19.87	सूचित नहीं	0.00	सूचित नहीं	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	छत्तीसगढ़	0.00	35.3	536.08	26.34	50.84	30.52	41.02	34.73	38.06	
6.	दिल्ली	0.00	सूचित नहीं	0.00	सूचित नहीं	0.00	सूचित नहीं	0.00	सूचित नहीं	0.00	
7.	गोवा	0.00	0.13	0.00	1.43	0.00	सूचित नहीं	0.00	0.12	0.00	
8.	गुजरात	666.94	35.81	20.27	40.06	53.07	29.21	13.38	28.90	0.00	
9.	हरियाणा	38.86	46.64	68.99	45.15	74.20	41.78	45.64	60.04	38.60	
10.	हिमाचल प्रदेश	16.96	10.89	19.48	13.34	5.12	14.06	15.03	10.67	26.77	
11.	जम्मू-कश्मीर	2.49	10.67	13.16	सूचित नहीं	0.00	सूचित नहीं	11.71	0.00	10.30	
12.	झारखण्ड	0.00	24.61	0.00	23.19	34.56	17.03	0.06	33.28	14.62	
13.	कर्नाटक	49.76	104.85	148.93	105.36	173.19	163.16	124.08	139.09	165.91	
14.	केरल	55.26	105.27	112.21	130.20	175.75	165.13	176.63	211.27	202.33	
15.	मध्य प्रदेश	120.21	172.31	149.32	152.58	265.38	164.66	226.32	114.15	209.89	
16.	महाराष्ट्र	29.15	105.04	191.31	124.99	173.92	145.05	128.04	101.52	112.62	
17.	मणिपुर	0.00	4.83	5.57	3.81	4.55	8.82	1.23	5.11	8.24	
18.	मेघालय	1.86	2.49	7.10	8.54	8.29	9.58	8.22	10.61	5.52	
19.	मिजोरम	4.71	5.88	3.61	2.00	3.24	2.96	8.22	4.75	0.00	
20.	नागालैण्ड	6.84	5.09	1.00	7.76	17.12	13.44	22.03	सूचित नहीं	6.79	
21.	उड़ीसा	20.50	72.48	91.34	95.89	147.50	111.35	135.46	134.26	128.31	
22.	पंजाब	30.22	50.52	78.18	45.37	81.45	20.17	55.67	52.75	0.00	
23.	राजस्थान	57.83	75.19	106.01	87.71	104.30	103.41	109.97	126.83	124.90	
24.	तमिलनाडु	40.29	108.63	147.94	104.50	136.75	128.27	155.27	159.27	156.28	
25.	त्रिपुरा	17.35	16.10	18.23	21.96	21.24	19.20	22.70	20.44	20.39	
26.	उत्तर प्रदेश	204.37	423.31	402.53	433.40	644.91	359.17	422.85	446.25	388.87	
27.	उत्तरांचल	0.00	46.83	25.83	52.92	92.76	52.58	64.16	56.63	83.49	
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	18.06	0.00	21.67	19.12	20.27	29.10	36.17	4.96	
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0.59	सूचित नहीं	1.06	0.14	2.51	0.33	0.55	0.82	0.89	
30.	चण्डीगढ़	0.37	0.36	0.47	सूचित नहीं	1.02	1.17	3.98	1.43	1.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	दमन और दीव	0.07	सूचित नहीं	0.04	सूचित नहीं	0.03	सूचित नहीं	0.03	सूचित नहीं	0.11	
32.	दादरा और नगर हवेली	0.11	सूचित नहीं	0.15	सूचित नहीं	0.20	सूचित नहीं	0.19	सूचित नहीं	0.12	
33.	लक्षद्वीप	0.08	सूचित नहीं	0.12	सूचित नहीं	0.14	सूचित नहीं	0.05	सूचित नहीं	0.04	
34.	पांडिचेरी	1.02	2.85	5.37	3.38	4.74	2.08	0.57	2.22	3.38	
35.	सिक्किम	0.10	0.32	0.48	0.38	0.25	0.29	0.89	0.46	0.52	
	कुल	1544.38	1760.12	2010.20	1832.13	2715.43	1902.46	2082.12	1797.59	1947.16	0.00

सूचित नहीं: राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया।

*संवितरण पूरा होने की अंतिम तिथि, 30.6.2007 के बाद राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

टिप्पणी 1: प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राजसहायता और उद्यम विकास हेतु निधियां निर्मुक्त की जाती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की राजसहायता निधियों को निर्मुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है; भारतीय रिजर्व बैंक कार्यान्वयन करने वाले बैंकों के लिए ये निधियां जारी करता है। इसलिए राज्यों को राजसहायता के रूप में दी गयी निधियों का विवरण उपलब्ध नहीं है। ई डी अर्थात प्रशिक्षण और आकस्मिकता इत्यादि से सम्बन्धित निधियां राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों को जारी की जाती हैं।

टिप्पणी 2: पिछले वर्ष के अधिक/घाटे को अगले वर्षों में समायोजित किया जाएगा।

विवरण VI

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आईईजीपी के तहत परियोजनाओं के लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	चण्डीगढ़	56	86	4	22	5
2.	दिल्ली	99	35	26	29	15
3.	हरियाणा	851	673	980	1233	1193
4.	हिमाचल प्रदेश	611	590	626	592	760
5.	जम्मू-कश्मीर	565	717	550	550	724
6.	पंजाब	1225	1261	1228	1206	1493
7.	राजस्थान	2202	2098	1895	1837	2769
8.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	54	42	125	15	152
9.	बिहार	1575	1230	1049	345	638
10.	झारखण्ड	656	671	795	222	745

1	2	3	4	5	6	7
11.	उड़ीसा	1018	916	728	444	885
12.	पश्चिम बंगाल	1348	2402	1865	1660	2268
13.	अरुणाचल प्रदेश	439	67	85	94	103
14.	असम	872	1381	1255	2088	1526
15.	मणिपुर	435	73	250	19	185
16.	मेघालय	613	385	250	148	304
17.	मिजोरम	425	118	374	966	455
18.	नागालैण्ड	345	237	143	212	173
19.	त्रिपुरा	460	250	180	152	219
20.	सिक्किम	140	84	89	74	108
21.	आंध्र प्रदेश	2244	1199	2179	3246	2940
22.	कर्नाटक	1278	1231	1654	1601	2011
23.	केरल	1258	1139	1046	1062	1389
24.	लक्षद्वीप	50	1	1	1	2
25.	पांडिचेरी	94	9	5	10	64
26.	तमिलनाडु	1195	1122	996	880	1212
27.	दादरा और नगर हवेली					
28.	गोवा	432	434	250	148	304
29.	गुजरात	1315	658	504	705	613
30.	महाराष्ट्र	1670	1945	1569	1664	1908
31.	छत्तीसगढ़	508	502	751	826	914
32.	मध्य प्रदेश	2011	1037	1061	1167	1291
33.	उत्तराखण्ड	339	631	500	428	608
34.	उत्तर प्रदेश	3691	2105	3285	3069	3784
	कुल जोड़	30074	25329	26248	26715	31760

*अस्थायी आंकड़े

विवरण VII

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएमआरवाई के तहत स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए लक्ष्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या

(इकाइयों की संख्या)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07*
1	2	3	4	5	6	7
1.	हरियाणा	4600	4050	5100	5303	5480
2.	हिमाचल प्रदेश	2700	3200	3000	3557	3743
3.	जम्मू-कश्मीर	1400	1150	2000	1588	1461
4.	पंजाब	4000	4100	4600	4083	4236
5.	राजस्थान	8300	8100	9100	9328	9579
6.	चण्डीगढ़	300	300	300	351	492
7.	दिल्ली	4600	4400	4500	5179	5457
8.	असम	6900	6600	7500	7387	7643
9.	मणिपुर	1300	1200	1500	1418	1475
10.	मेघालय	300	350	400	361	370
11.	नागालैण्ड	250	300	400	363	373
12.	त्रिपुरा	700	800	1000	1193	1238
13.	अरुणाचल प्रदेश	150	200	200	173	178
14.	मिजोरम	250	200	200	188	195
15.	सिक्किम	50	100	100	66	67
16.	बिहार	18100	14400	16000	16003	16477
17.	झारखण्ड	2900	5350	6500	6978	7213
18.	उड़ीसा	6850	6600	7100	6923	7125
19.	पश्चिम बंगाल	21100	20000	24000	24574	25449
20.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	75	100	150	123	128
21.	मध्य प्रदेश	14300	11750	14000	13507	13937

1	2	3	4	5	6	7
22.	छत्तीसगढ़	2250	4600	6000	5429	5612
23.	उत्तर प्रदेश	25450	22950	26000	26248	26929
24.	उत्तराखण्ड	925	1800	2500	2119	2189
25.	गुजरात	7950	8650	10000	9579	9859
26.	महाराष्ट्र	22150	22800	26000	24614	25439
27.	दमन और दीव	50	50	50	19	20
28.	गोवा	500	400	500	486	504
29.	दादरा और नगर हवेली	50	50	50	27	27
30.	आंध्र प्रदेश	17900	18400	21500	20767	20261
31.	कर्नाटक	10500	10800	12000	11046	11387
32.	केरल	15250	16250	17000	18685	18180
33.	तमिलनाडु	17400	19350	20000	21565	21475
34.	लक्षद्वीप	50	50	50	48	50
35.	पांडिचेरी	450	600	700	722	752
	अखिल भारत	220000	220000	250000	250000	255000

*फरवरी, 2007 तक

[हिन्दी]

रूग्ण वस्त्र मिलें

5510. श्री रामदास आठवले: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले पांच वर्षों से भी ज्यादा से कितनी वस्त्र मिलें रूग्ण पड़ी हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा मिल-वार उनका निष्पाद क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनका पुनरूद्धार करने और आधुनिकीकरण द्वारा उनके स्तर में सुधार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.10.2006 तक 156 वस्त्र इकाइयों को रुग्ण घोषित किया गया है जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	घोषित रुग्ण मिलों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	9
असम	1
दिल्ली	12
गुजरात	12

1	2
हरियाणा	4
कर्नाटक	10
केरल	4
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	35
उड़ीसा	1
पांडिचेरी	1
पंजाब	6
राजस्थान	8
तमिलनाडु	38
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	9
कुल	156

(ख से (घ) सरकार की रूग्ण वस्त्र मिलों को कारगर बनाने/आधुनिकीकरण करने के लिए कोई पृथक निधि योजना नहीं है। तथापि, सरकार ने रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनरूद्धार के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश, रूग्ण इकाइयों का लाभकारी इकाइयों में विलय, रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत बीआईएफआर की स्थापना आदि शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करता रहा है जिनमें औद्योगिक पुनर्वासन के सभी क्षेत्र अर्थात आरंभिक स्तर पर औद्योगिक रूग्णता का पता लगाना, रूग्ण/कमजोर इकाइयों की पहचान करना, इकाइयों की अर्थक्षमता का अध्ययन करना और फिर केवल अर्थक्षम इकाइयों को राहत और रियायतें देना, बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं तथा स्वयं बैंकों के बीच समन्वय बैठाना, संवर्द्धकों के अंशदान के लिए मानदंड, ऋणों के पुनर्भुगतान/पुनर्निर्धारण के लिए विस्तारित अवधि, जुर्माना दर/चक्रवृद्धि ब्याज को परिवर्तित करना तथा माफ करना आदि शामिल है। बीआईएफआर की स्थापना रूग्ण और संभावित रूग्ण कंपनियों का समय से पता लगाने की व्यवस्था करने की दृष्टि से और ऐसी कंपनियों के संबंध में शीघ्र किए जाने वाले आवश्यक निवारक, सुधारक और उपचारात्मक कदमों जिन्हें इन कंपनियों के मामले में उठाए जाने की आवश्यकता है, के तेजी से निर्धारण के लिए की गई है। यह संभावित रूप से अर्थक्षम एककों के संबंध में पुनर्वासन प्रस्ताव तैयार करने के लिए परिचालन एजेंसियां नियुक्त करता है। यह अपने निष्कर्षों के आधार पर पुनर्वासन के संबंध में निर्णय लेता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री शीश राम ओला की ओर से नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड तथा खान मंत्रालय बीच वर्ष 2007-2008 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6518/07]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) ओमनिबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनिबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड, मोती दमन का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6519/07]

(3) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2006 जो 12 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 549(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) नियम, 2006 जो 30 नवम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खादी और ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन विनियम, 2007 जो 19 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 91(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6520/07]

(4) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 9 और 10 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1376(अ) जो 29 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को आयोग की बैठकों में भाग लेने और मत के अधिकार के बिना इसकी चर्चाओं में भाग लेने के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है।

(दो) का.आ. 306(अ) जो 1 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष और इसके उल्लिखित 50 अन्य सदस्य हैं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं.एल.टी. 6521/07]

[अनुवाद]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री संतोष मोहन देव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—(2007 का संख्यांक 9)—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वित्तीय रिपोर्ट देना-(विनियामक लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6522/07]

(दो) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2007 का संख्यांक 9)—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम—चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलापों की समीक्षा—(कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6523/07]

(तीन) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2007 का संख्यांक 10)—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग—(विनियामक लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6524/07]

(चार) मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2007 का संख्याक 11)—संव्यवहार लेखापरीक्षा टिप्पणियां—(विनियामक लेखापरीक्षा)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6525/07]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ पब्लिक कोआपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6526/07]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री प्रफुल पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6527/07]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2007 का संख्यांक 17) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम—अवसंरचना तथा प्रचालनात्मक सुविधाओं की समीक्षा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा), की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6528/07]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) हिन्दी के प्रसार और विकास तथा संघ के विभिन्न आधिकारिक प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग तथा इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने से संबंधित कार्यक्रम के बारे में वर्ष 2005-2006 के लिए 37वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6529/07]

(2) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत वर्ष 2005 के लिए संसदीय राजभाषा समिति, भाग-8 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6530/07]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, संघ राज्य क्षेत्र मिशन प्राधिकरण, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, संघ राज्य क्षेत्र मिशन प्राधिकरण, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6531/07]

(2) (एक) उजाला सोसायटी (सर्वशिक्षा अभियान), जम्मू एवं कश्मीर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उजाला सोसायटी (सर्वशिक्षा अभियान), जम्मू एवं कश्मीर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6532/07]

(4) (एक) कर्नाटक महिला सामख्या सोसायटी, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक महिला सामख्या सोसायटी, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6533/07]

(6) (एक) सर्वशिक्षा अभियान, कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्वशिक्षा अभियान, कर्नाटक, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6534/07]

(7) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, हैदराबाद के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6535/07]

(9) (एक) उत्तर प्रदेश महिला सामख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर प्रदेश महिला सामख्या सोसायटी, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6536/07]

(11) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6537/07]

(13) (एक) सेन्ट्रल तिब्बती स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल तिब्बती स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल तिब्बती स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6538/07]

(15) (एक) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन ऑथोरिटी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान स्टेट मिशन ऑथोरिटी, मेघालय, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6539/07]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पीडीईएक्ससीआईएल), मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पावरलूम डेवलपमेंट एण्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पीडीईएक्ससीआईएल), मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं.एल.टी. 6540/07]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, मैं विशेष आर्थिक जोन, अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उपधारा (3) के अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2007, जो 16 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं.एल.टी. 6541/07]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं।

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6542/07]

(3) (एक) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6543/07]

(5) (एक) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6544/07]

(7) (एक) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6545/07]

(9) (एक) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं.एल.टी. 6546/07]

(10) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2005-06 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6547/07]

(12) (एक) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6548/07]

(14) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6549/07]

(15) मिजोरम यूनिवर्सिटी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं.एल.टी. 6550/07]

(16) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिलचर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6551/07]

(18) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडरी एण्ड फोर्ज टेक्नोलॉजी, रांची के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6552/07]

(20) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6553/07]

(22) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं.एल.टी. 6554/07]

(24) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं.एल.टी. 6555/07]

(25) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** सं.एल.टी. 6556/07]

अपराह्न 12.01 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 12—श्री चन्द्रभूषण सिंह—उपस्थित नहीं।

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान): महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.01$^{1}/_{2}$ बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पन्द्रहवां और सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री गुरुदास कामत (मुम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मैं निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन (चौहदवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2006-2007 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 12वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.02$^{1}/_{2}$ बजे

श्रम संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): महोदय, मैं श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 13वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) के 18वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा, में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण; और

(2) वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2006-2007) के बारे में 14वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति (2006-2007) के 19वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.03 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री शीश राम ओला की ओर से लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेशानुसार खान मंत्रालय से संबंधी कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रख रहा हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 19वीं रिपोर्ट, लोक सभा में 4.8.2006 को प्रस्तुत की गई जो ''अवैध खनन को रोकने'' के संबंध में थी। इस पर की गई कार्रवाई का विवरण दिनांक 15.3.2007 को समिति कार्यालय को भेज दिया गया है। समिति को 19वीं रिपोर्ट में 14 सिफारिशें थीं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई करना अपेक्षित था।

इनके कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में बतायी गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं, इस अनुबंध को पढ़ने में सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और यह अनुरोध करता हूं कि इन्हें पढ़ा गया मान लिया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए एल.टी.सं. 6557/07।

अपराह्न 12.04 बजे

(दो) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 170वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा संसदीय बुलेटिन भाग-2 में जारी किये गए माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के अनुसरण में, मैं महिला एवं बाल विकास विभाग (अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगों 2005-2006 (मांग संख्या 59) पर विभाग से संबद्ध मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 170वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के विषय में अपना वक्तव्य दे रही हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने महिला एवं बाल विकास विभाग (अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) की वर्ष 2005-2006 की अनुदान मांगों की जांच करके अपनी 170वीं रिपोर्ट लोक सभा के साथ-साथ राज्य सभा में भी 16 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 21 सिफारिशें की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग (अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) ने रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों की जांच करके इन सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी, स्थायी समिति को सितम्बर, 2005 में प्रस्तुत की। महिला एवं बाल विकास विभाग (अब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय) समिति की सिफारिशों का अक्षरश: कार्यान्वयन करने के सभी संभव प्रयास कर रहा है।

इसी के साथ मैं इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति का ब्यौरा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अनुदानों की मांगों (2006-07) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 77वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): महोदय, वाणिज्य संबंधी विभाग संबंधित

*सभा-पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए एल.टी.सं. 6558/07।

संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 77वीं रिपोर्ट में 56 सिफारिशें की थीं। 46 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी हो गई है। 6 सिफारिशें विचाराधीन हैं और 4 अन्य सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी की जानी है।

मैं कार्यान्वयन रिपोर्ट की एक प्रति भी इसके साथ सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

विद्यालयों को सहायता के बारे में 19.12.2006 के अतारांकित प्रश्न सं. 3942 के उत्तर में शुद्धि करने तथा उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों संबंधी वक्तव्य*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी. पुरन्देश्वरी): महोदय, मैं दिनांक 19 दिसंबर, 2006 को 'स्कूलों को सहायता' दिए जाने के संबंध में पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3942 के उतर को ठीक करना चाहती हूं जो इस प्रकार है:

प्रश्न का भाग	के स्थान पर	यह पढ़े
(ग)	वर्ष 2003-04 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 145962 विद्यालयों में से सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 88552 थी और इस प्रकार उनकी प्रतिशतता 60.67% थी।	वर्ष 2003-04 के आंकड़ों के अनुसार देश के कुल 99140 विद्यालयों में से सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 58631 थी और उनकी प्रतिशतता 59.14% थी।
(घ)	राज्यवार ब्यौरा संलग्नक-2 में दिया गया है।	संशोधित संलग्नक-2 सभा पटल पर रख दिया गया है।

विलम्ब के कारण इस प्रकार हैं:

दिनांक 19 दिसम्बर, 2006 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3942 में असावधानीवश हुई त्रुटि के कारण ठीक करने वाले विवरण की आवश्यकता पड़ी।

दिनांक 23.2.2007 को यह त्रुटि ध्यान में आई। इस त्रुटि को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। चूंकि बजट सत्र अभी चल रहा है और 22 मई, 2007 तक सदन की कार्यवाही चलेगी अत:, बजट सत्र के दूसरे भाग में इस संशोधित उत्तर को सदन की जानकारी में लाया जाए।

इससे हुई असुविधा के लिए खेद है।

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों आपके सूचनार्थ, मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह के दौरान सभा द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि सभा के सभी वर्ग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

केवल 9 मई, 2007 को तारांकित प्रश्नों के मौखिक उतर दिए जा सके। अन्य दिनों के दौरान व्यावधान और सभा के स्थगन के कारण प्रश्न काल शुरू नहीं हो सका। अत: 101 तारांकित प्रश्नों में केवल 5 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर, 937 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

सभा में श्री गुरूदास दासगुप्त द्वारा "डाकघरों में लघु बचतों के ब्याज दर को बढ़ाकर उसे बैंकों की ब्याज दरों के समतुल्य बनाने ताकि निक्षेपों के निर्गम को रोका जा सके और लघु बचत जमा कर्त्ताओं के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता" तथा श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में प्रस्तावित भारतीय प्रबंध संस्थान की स्थापना की आवश्यकता, जिसे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है" से संबंधित दो ध्यानाकर्षण मामले लिए गए।

*ग्रंथालय में रखा गया, देखिए एल.टी. सं. 6560/07।

सभा में श्री सी.के. चंद्रप्पन द्वारा "भूमंडलीय तापन" के संबंध में नियम 193 के अधीन 3 घंटे 5 मिनटों की अल्पावधि चर्चा की गई। तथापि चर्चा समाप्त नहीं हो सकी।

उक्त अवधि के दौरान अविलम्बनीय लोक महत्व के 17 मामले उठाए गए। इसके अतिरिक्त नियम 377 के अधीन भी 40 मामले उठाए गए थे।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है तो सभा ने 4 घंटे से अधिक के वाद-विवाद के पश्चात विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया।

पिछले सप्ताह के दौरान विभागों संबंधी स्थायी समिति ने एक प्रतिवेदन पेश किया।

व्यवधानों और स्थगनों के कारण सभा का 19 घंटे का समय बर्बाद हुआ।

माननीय सदस्यो, मैं एक बार फिर से आप सभी के सहयोग की अपेक्षा करता हूं ताकि इस देश के सबसे बड़े मंच की कार्यवाही को सुचारू रूप से और गरिमापूर्ण ढंग से चलाया जा सके तथा हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर आते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन ऑवर नहीं चला और हाउस की कार्यवाही बाधित हुई है, तो इसके लिए रूलिंग पार्टी जिम्मेदार है।

...(व्यवधान

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर आता हूं। श्री भर्तृहरि महताब।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बनर्जी। अब आपकी बारी है। मुझे आपका नोटिस मिला है। आपको धैर्य धारण करना चाहिए। मैं प्रत्येक सदस्य को नहीं बुला सकता मैं माननीय सदस्यों से लगातार यह कह रहा हूं। मेरे पास बहुत से मामले हैं। मैं उनमें से कुछ की अनुमति देने जा रहा हूं। मैं एक साथ 10 सदस्यों को नहीं बुला सकता। कृपया, आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, नंदीग्राम मामला बहुत महत्वपूर्ण है।*...(व्यवधान*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कौन सा?

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुनार मल्होत्रा: नंदीग्राम*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप इनकी मदद न करें। ये अपनी देखभाल अपने आप कर सकती हैं। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है, प्रो. मल्होत्रा। इसलिए अध्यक्षपीठ की अनुमति लेकर न बोलने वाले सदस्यों के वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) शहीद सुखदेव की जन्मशती को गौरवपूर्ण तरीके से मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की 150वीं वर्षगांठ और शहीदे आजम भगत सिंह की जन्मशती जैसे दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम मना रहा है। यहां पर भी स्मरणीय है कि महान देश भक्त और शहीद भगत सिंह के परम मित्र सुखदेव का जन्म भी आज से 100 वर्ष पूर्व 15 मई, 1907 को लयालपुर में 1907 में आर्य समाज मोहल्ले के रल्ली देवी और राम लाल थापर के यहां हुआ था। सुखदेव

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कामरेड भगत सिंह और राजगुरू के साथ रहकर सुर्खियों में आए। इन तीन ने मिलकर ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। लाहौर षडयंत्र प्रकरण, 1930 में सुखदेव सिंह मुख्य अभियुक्त थे। इस प्रकरण का नाम ही 'क्राउन बनाम सुखदेव और अन्य' था।

हलांकि सुखदेव को भगत सिंह की तुलना में उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी और उनके बारे में कम ही लिखा गया है। सुखदेव एक निडर और अदम्य रूप से साहसी व्यक्ती थे। उनकी सच्ची देशभक्ति और बहादुरी के कार्यों ने उन्हें एक सच्चा क्रांतिकारी बना दिया था।

अनेक अभ्यावेदन देने के बावजूद भी सरकार इस शहीद के लुधियाना के नीधरा मोहल्ले में स्थित पैतृक घर का रखरखाव करने में असफल रही है। मैं सरकार से शहीद सुखदेव के पैतृक निवास के वर्तमान अधिभोगियों का पुनर्वास करने और शहीद सुखदेव के जन्मदिवस को गौरवपूर्ण ढंग से मनाने का अनुरोध करता हूं।

इसके साथ-साथ में यह अपील करना चाहता हूं कि 1857 में स्वतंत्रता सेनानियों को बड़े पैमाने पर अंडमान में कैद किया गया था। उस समय तक सेल्युलर जेल का निर्माण नहीं हुआ था उन्हें वाइपर थाईलैण्ड में कैद किया था। इस सेल्युलर जेल में ऐसे किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है जिसे यहां पर सबसे पहले रखा गया था बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसीडेन्सी बहुत सारे लोगों को यहां भेजा गया था मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जब हम अपने पहले स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो इस अवसर पर कम से कम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्हें वाइपर द्वीप पर रखा गया की याद में वाइपर द्वीप में एक स्मारक स्तंभ बनाने और उस पर उन नामों का उल्लेख करने जिनका रिकार्ड उपलब्ध है, का अनुरोध करता हूं। कम से कम यह काम तो किया ही जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर समुचित रूप से विचार किया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): हम इस मामले पर विचार करेंगे। यह उपयोगी सुझाव देने के लिए मैं भर्तृहरि महताब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिस पर राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री खारबेल स्वाईं:

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय: मैं आप पर आता हूं। आप बहुत ही माननीय और विशिष्ट सदस्या हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी: इसलिए, मैं आखिरी वक्ता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको आपका अवसर मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि आप सभा की कार्यवाही में भाग ले रही हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): मैं कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा सहित।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: प्रत्येक ...*(व्यवधान)* वे मुझे उत्प्रेरित कर रहे हैं। उनसे कहें कि वे मुझे उत्प्रेरित न करें।

अध्यक्ष महोदय: आप उनकी अनदेखी करें। आप अपनी चतुराई से उनकी अनदेखी कर सकती हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: मैं कहना चाहता हूं कि एमपीलैड योजना की धनराशि को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए करने की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल पिछले सप्ताह में हमने 19घंटे बर्बाद किए हैं।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: लेकिन आम घटना यह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई कार्य नहीं, अधिक वेतन।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: न्यायमूर्ति वेंकटचालिहा आयोग इस संबंध में चर्चा कर चुका है और कुछ सिफारिशें दे चुका है।

[श्री खारबेल स्वाईं]

उसने यह सिफारिश की कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। श्री एस सेजियान ने एक पुस्तक भी लिखी है। आम धारणा यह है कि सभी संसद सदस्य धोखेबाज हैं; वे पैसे का गबन कर रहे हैं; और यह कि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक वर्ष की शुरूआत में संभवतः बड़े सूटकेस खरीदते हैं, और उसमें 2 करोड़ की मुद्रा रखकर सभी संसद सदस्यों को बांट देते हैं और उन्हें अपने तरीके से खर्च करने के लिए कहते हैं।

मगर यह संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति का प्रतिवेदन है; यह पहला प्रतिवेदन है जो दिसंबर 2006 में प्रस्तुत किया गया और स्वयं मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इसमें कहा गया है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना भारत सरकार की एक पूर्ण रूप से वित्त पोषित प्लान योजना है जिसके अंतर्गत धनराशि सीधे तौर पर जिला प्राधिकारियों को जारी की जाती है न कि संसद सदस्यों को।

अध्यक्ष महोदयः हम सभी यह जानते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं मूल रूप से इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः नहीं। आप इस प्रकार संबोधित नहीं कर सकते। ऐसा मत कीजिए; नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है। इसे हटा दिया जाए।

श्री खारबेल स्वाईं: इसमें विकासात्मक प्रकृति के कार्य, जो स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकता पर आधारित हैं और जो सदैव ही सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, जो पेयजल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, सड़क आदि के प्रावधान जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े कार्य सम्मिलित हैं।

अध्यक्ष महोदयः यह सब ठीक है। इन सबके बारे में मालूम है। हर कोई इस बारे में जानता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: यह मात्र सिफारिश स्वरूप है।

महोदय, आपकी इस संबंध में अलग राय हो सकती है। लेकिन कृपया मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदयः इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी अलग राय है अथवा नहीं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं: ठीक है; अगर आपकी अलग राय है; स्वाभाविक तौर पर आप अलग राय कायम करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कृपया मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको अनुमति दे रहा हूं। मैं आपको केवल पढ़कर नहीं बोलने के लिए कह रहा हूं क्योंकि यह हर किसी को मालूम है।

श्री खारबेल स्वाईं: यह जिला प्राधिकारी है, जो योजनाओं को पूरा कर रहा है। दूसरा, इस प्रतिवेदन के पृष्ठ 19 में उल्लेख किया गया है कि धनराशि जारी किए जाने की तुलना में खर्चे का प्रतिशत 90.87 है। क्या ऐसी सरकार द्वारा प्रायोजित कोई अन्य योजना है। जिसमें व्यय 90 प्रतिशत या 91 प्रतिशत हो? यहां व्यय 90 प्रतिशत है। यह इस प्रतिवेदन के पृष्ठ सं. 19 पर उल्लिखित है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य में, विधायकों की अपनी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि है। कर्नाटक के मामले में यह 1 करोड़ रु. है; मध्य प्रदेश के मामले में यह 80 लाख रु. है; राजस्थान के मामले में यह 80 लाख है; मणिपुर में, वे 30 लाख तक की सिफारिश कर सकते हैं; एक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में 28 विधायक होते हैं। नागालैण्ड में यह 78 लाख रु. है; यहां एक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में 60 विधायक हैं। केरल में यह 75 लाख रु. है।

अध्यक्ष महोदयः आप कहना क्या चाहते हैं? आप इसे 5 करोड़ रु. तक बढ़ाना चाहते हैं; ठीक है।

श्री खारबेल स्वाईं: उत्तर प्रदेश के मामले में, यह 1.25 लाख है। लागत के मामले में, यह कहा गया है कि सात कि.मी. सड़क का निर्माण 5 लाख रु. प्रति कि.मी. की दर से किया गया था; 250 हैंड पंपों की स्थापना 20,000 रु. प्रति हैंड-पंप की दर से की गई थी।

अध्यक्ष महोदयः आपको अधिक पैसा चाहिए ठीक है।

श्री खारबेल स्वाईं: दिल्ली के मामले में यह 2 करोड़ रु. प्रति विधायक है।

वर्ष 1998 में, इस धनराशि को 1 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2 करोड़ रु. कर दिया गया था। 2 करोड़ रु. की धनराशि की समतुल्यता कम हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: यह वाद-विवाद नहीं है। आप केवल इसका उल्लेख कर सकते हैं। यह प्रयाप्त है। आप लगातार बोलते नहीं रह सकते।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: 'लगातार बोलते रहने' की कोई बात नहीं है...*(व्यवधान)* अगर मुझे इस मुद्दे को यहा उठाने की अनुमति नहीं दी जाती, तो मैं इसे कहा उठाऊं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति दी जाएगी और अनुमति दी जा रही है, लेकिन इस पर कोई भाषण नहीं दिया जा सकता। आप इस मामले का उल्लेख मात्र कर सकते हैं, यह पर्याप्त है। आप इस तरह बोलते नहीं रह सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना आसन ग्रहण करें। श्री आठवले।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वर्ष 1998 में, एक विद्यालय में कक्षा के निर्माण के लिए मैंने 1.1 लाख रु. के कार्य की सिफारिश की लेकिन, उसी कक्षा के निर्माण के लिए मुझे अब 2 लाख रु. की सिफारिश करनी पड़ेगी। इसलिए, क्रय की समतुल्यता 40 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गई है।

विधायकों, जिला परिषद के सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समीति के सदस्यों, सभी को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत धनराशि आबांटित की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। अनेक माननीय सदस्य अपनी बारी की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, इस योजना की पांच अलग-अलग स्तरों पर निगरानी की जा रही है।

संसद सदस्य स्वयं इसकी निगरानी करता है। जिला प्रशासक इसकी निगरानी करता है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार भी इसकी निगरानी करती हैं और अंतोगत्वा यह जानता ही है, जो इसको देखती है। इसलिए मैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो कि यहां उपस्थित हैं, से यह अपील करता हूं कि वे इस पर प्रतिक्रिया दें। मेरी मंत्री महोदय से यह अपील है कि या तो इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया जाए अथवा इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए ताकि हम लोगों के पास जाकर यह कह सकें कि हमारा काम केवल भाषणबाजी है और हम कुछ नहीं कर सकते...*(व्यवधान)* इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि या तो इसे बंद कर दिया जाए या फिर धनराशि में वृद्धि की जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इस तरह की किसी चीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री ई. पोन्नुस्वामी, श्री ए. कृष्णास्वामी, श्री मंजुनाथ कुन्नुर, श्रीमती किरण माहेश्वरी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती करूणा शुक्ला, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव और श्री पी.एस. गढ़वी को इस मामले से सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खारवेनथन जी भी कहेंगे उसके अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा?

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री खारवेनथन द्वारा कहे जाने वाले शब्दों के अलावा एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: लोग हमारी ओर देख रहे हैं। देश भर में लोग हमारी ओर देख रहे हैं। हम अपने लिए और अधिक धनराशि हेतु लड़ रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने सोचा कि लोग कहेंगे 'काम नहीं, तो वेतन नहीं।'

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री खारवेनथन का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): ईरोड जिले के सत्यमंगलम तालुका को कुधियालाथुर और बारगुर पंचायतों में एक जाति है,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

जिसे 'मलयाली' कहते हैं। उनकी जनसंख्या लगभग 7000 है। वे पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं। अनका व्यवसाय पर्वतों पर उपजने वाली सब्जियों और अन्य उत्पादों को संग्रहित करना और उन्हें आसपास के कस्बों में बेचना है। वे कस्बे से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर रह रहे हैं। उन्हें अस्पृश्य समझा जाता है। उन्हें एस.सी., एस.टी. या बी.सी. नहीं माना जाता। वे अपने बच्चों को विद्यालयों में इसलिए नहीं भेज पाते चूंकि उन्हें जाति प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता। वे सभी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आते हैं। इस ''मलयाली'' जाति को अनुच्छेद 342(2) के अंतर्गत ''ईरोड जिला मलयाली जाति के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के तौर पर शामिल करने हेतु तमिलनाडु सरकार द्वारा एक प्रस्ताव पहले ही भेजा जा चुका है और यह भारत सरकार के पास लंबित है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि ईरोड जिले की मलयाली जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया जाए और समाज के इन गरीब तबके के लोगों की सहायता करें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा। हमें गत सप्ताह सभा को पहले ही 19 घंटे तक स्थगित करना पड़ा है। कल भी लगभग कुछ नहीं हुआ?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जाइए और अपना आसन ग्रहण करें। मेरी अनुमति के बिना किसी को बोलने की इजाजत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन: कपड़े-धोने वाला ''धोबी'' समुदाय असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मिजोरम और दिल्ली में अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है। अन्य राज्यों में इसे पिछड़ी जाति माना गया है। इस ''धोबी'' समुदाय के लोग बहुत गरीब हैं। वे हमारे कपड़ों में सफेदी लाने के लिए इसे रंगते हैं। वे अन्य गांवों और कस्बों में झोपड़ियों और बाहर के इलाकों में रह रहे हैं।

उन्हें विभिन्न राज्यों में 'वन्नार, अगासा, माडिवाला, इकाली, राजाकुला, वेलुथदार, राजका और धोनी के रूप में अलग-अलग नामों से जाना जाता है लेकिन देश भर में उन्हें 'अन्त्यज' अथवा ''नीची जाति'' के रूप में देखा जाता है। देश भर में कदाचित किसी भी नाम से ''धोबी'' को अनुच्छेद 341(2) के अंतर्गत अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

श्री खारबेल स्वाई: उन्हें कम से कम कुछ तो कहने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं मंत्री महोदय, को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सर, क्या आप हामरी भावनाओं से सहमत नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मि. आठवले, आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? मैंने आपको नहीं बुलाया है। तोपदार जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस सभा में यह क्या हो रहा है? क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप चिल्ला क्यों रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खेद है, मुझे कार्यवाही करनी होगी। मैं कार्यवाही करूंगा। कृपया बैठ जाएं। आप जान बूझकर अध्यक्ष पीठ की बात नहीं मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)* *

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, एमपीलैड को खत्म किया जाए। सर, इसे खत्म करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप निरंतर बाधित करते जा रहे हैं। मैं आपका नाम भूल गया हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राम कृपाल जी, थोड़ी कृपा करिए। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

आप अपने नाम को चरितार्थ करें।

...(व्यवधान)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सर, आपके हाथ में है।

अध्यक्ष महोदय: हमारे हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नम्बाडन की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। लोग हमारा मूल्यांकन स्वयं करेंगे। बात केवल इतनी है कि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए जो हम कर रहे हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): हमारे देश में हजारों स्कूल कालेज ऐसे चल रहे हैं जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। ऐसे ''शैक्षिक व्यापार केन्द्रों'' में पढ़ रहे लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में है। बैंक से ऋण लेकर अपना घर गिरवी रखकर भारी कैपिटेशन फीस भर कर ऐसे संस्थानों में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को अंत में जाली प्रमाणपत्र मिलते हैं।

कर्नाटक के आधे से ज्यादा नर्सिंग स्कूल तथा कालेज मान्यता प्राप्त नहीं हैं। केवल केरल से ही सवा लाख छात्र कर्नाटक के विभिन्न नर्सिंग संस्थानों में पढ़ रहे हैं। कई गरीब छात्र और उनके परिवार इस आशा में रहते हैं कि जब पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा तब उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के कदाचार से वे आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों के विरुद्ध सख्त अवक्षेप पारित किए हैं परंतु अभी भी ऐसे कई संस्थान कार्य कर रहे हैं।

अत: केन्द्र सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए जिससे ऐसे सभी गैर मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान तथा अन्य गैर मान्यता प्राप्त स्कूल एवं कालेज तत्काल बंद किए जा सके। ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए जो शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान नहीं करते। सरकार को ऐसे निजी शैक्षिक संस्थानों को रोकने के लिए सख्त एवं समग्र कानून बनाने चाहिए जो कि हमारे छात्रों के लिए बूचड़खाना बन गए हैं।

शिक्षा का आधार केवल राज्य का दायित्व नहीं बना रहना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि पूरे देश में सर्व-सार्विक शिक्षा हो...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कैसे हुआ, यह हम भी देख रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे आदेश नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप ऐसा न करें। इस संबंध में मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी, जो मैं आपको बता दूंगा।

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय यह एक महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय: महत्पूर्ण मामलों की अनुमति दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पता नहीं ये आपस में बातें क्यों चलती रहती हैं। कृपया अन्य माननीय सदस्यों को न रोकें।

अपराह्न 12.28 बजे

(दो) मैं. बाटा उद्योग द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और विक्रय प्रबंधकों को कथित रूप से निकाले जाने के बारे में

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, आपकी अनुमति से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाता हूं जो कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा देश के कामगारों को कष्ट पहुंचाने, इनका शोषण करने तथा नौकरी से निकालने के तरीके के संबंध में है।

अध्यक्ष महोदय: यदि यह राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाला मामला है तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, बात यह है कि बाटा इंटरनेशनल में 700 कामगारों की बिना चार्जशीट छंटनी कर दी गई है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हमारा राष्ट्रीय महत्व का विषय है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता। कृपया यहां आकर बैठें। आप सभा सुव्यवस्थित करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: जब प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में जाएं। इसका क्या मतलब हुआ? कोर्ट जाना महंगा सौदा है। देश के विभिन्न भागों में सात सौ कामगारों को नौकरी से निकाल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: केन्द्र सरकार क्या कर सकती है? मुझे यह बताएं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय विदेशी नियोक्ता उदारीकरण की नीति को गलत समझ रहे हैं। वह यह समझ रहे हैं कि वे भारत में कुछ भी कर सकते हैं।

महोदय, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इन बहु राष्ट्रीय कंपनियों को होश में लाएं और देश के 700 कामगारों की नौकरी बहाल करें। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर पूरी सभा मेरा साथ दे। कोई चार्जशीट नहीं दी गई। माननीय मंत्री जी भी यहां उपस्थित हैं और मैं उनसे इस मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैं स्वयं को इनसे सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, श्री दासगुप्त ने जो मामला उठाया है, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, माननीय मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, यद्यपि यह मामला राज्य सरकार से संबंधित है किन्तु इस संबंध में जो भी सहायता की जा सकती है। हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं 1985 में केन्द्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसे 'असम समझौता' कहा जाता है। इस समझौते में कई प्रावधान थे। तब से 22 वर्ष बीत चुके हैं परंतु कई प्रावधान कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। उदाहरण के लिए 1951 के एनआरसी को अद्यतन करने का मामला है। 20 वर्ष बाद वर्ष 2005 में डा. मनमोहन सिंह ने त्रिपक्षीय वार्ता की और उन्होंने सरकार की ओर से यह घोषणा की कि 1951 की एन आर सी को अगले दो वर्षों में अद्यतन कर दिया जाएगा। परंतु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि रोजगार के अवसरों के अभाव में असम के लोग अपनी जीविका कमाने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाते हैं। वे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा ऐसे अन्य स्थानों में नौकरियां ढूंढते हैं। असम राज्य से 50,000 ऐसे उत्प्रवासी हैं।

दिल्ली में अकसर पुलिस उन्हें पीट देती है और उनसे उनके राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र के बारे में पूछती हैं। परंतु जब वे आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते उन्हें पीटा जाता है और वित्तीय रूप से भी प्रताड़ित किया जाता है।

अत: मैं सरकार से 1951 के एन आर सी का अद्यतन करने तथा असम के लोगों को वोटर्स पहचान पत्र देने का अनुरोध करता हूं। दूसरी बात, पुलिस प्राधिकारियों को इन लोगों को मारने पीटने तथा वित्तीय रूप से तंग न करने का निदेश दिया जाए और तीसरी बात यह है कि 1951 के एन आर सी के अद्यतनीकरण के पूरा होने तक सरकार को पी आर सी तथा प्रोविजनल पहचान पत्र जारी करने के लिए और असली प्रमाणित भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव।

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय मेरी बारी कब आएगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगली बारी आपकी है। मैं इसके बाद अगला नाम आपका लूंगा। यह मामला भी काफी महत्वपूर्ण है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप यह आरोप लगाएगें तो आपको इसका परिणाम भी भुगतना होगा। कृपया आप ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, अगर सदन में एक महिला बोलना चाहती है, तो उसे मौका मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैंने मना किया है?

[अनुवाद]

यह आरोप लगाने का तरीका है? क्या जब भी वे आएंगी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी? क्या यह नियम है कि जब भी कोई सदस्य आएगा तो उसे किसी भी कीमत पर प्राथमिकता मिलेगी? आप मुझे सिखा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठेंगे? सभा में कुछ अनुशासन होना चाहिए।

अपराह्न 12.32 बजे

(तीन) देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु एक केन्द्रीय विधान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के एक तत्कालिक विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सदन का बजट सत्र अंतिम दौर से गुजर रहा है। इस देश में 37 करोड़ असंगठित मजदूर हैं और इस पूरी वर्कफोर्स का 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित मजदूर हैं। चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो, बीड़ी मजदूर हो, निर्माण कार्य करने वाला मजदूर हो, खेतिहर मजदूर हो, कृषि कार्य करने वाला हो, उनके हित में कानून बनाने के लिये माननीय श्रम मंत्री ने कई मौको पर आश्वासन भी दिया है। इस संदर्भ में कई बार प्रदर्शन भी किये गये। इस सदन के भीतर, जब लेबर मिनिस्ट्री की डिमांड्स पर विचार किया गया, उस समय माननीय श्रम मंत्री ने आश्वासन दिया था। अपने जवाब में माननीय मंत्री जी ने समयबद्ध आश्वासन दिया था कि इसी बजट सत्र में जो असंगठित मजदूर हैं, उनके कल्याण और उनकी सोशल सिक्यूरिटी के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिए विधेयक लाया जाएगा। इस सत्र का यह अंतिम सप्ताह है। यूपीए के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में स्पष्ट कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"संप्रग सरकार सभी कर्मकारों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी कर्मकारों में से 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित कर्मकारों का है। बुनकरों, हथकरघा कर्मकारों, पुरूष और महिला मछुआरों, तोडी टैपर्स, चमड़ा कर्मकारों, बागान श्रमिकों, बीड़ी कर्मकारों आदि जैसे कर्मकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।"...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार सर्वोच्च सदन में दिए गए अपने आश्वासन पर खरा नहीं उतर पा रही है, इसके क्या कारण हैं? कई लेबर कमीशन बन चुके हैं, और...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हो गया आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत हो गया मैं यह सहन नहीं कर सकता आप अपने नाम भेज सकते हैं। आप अपनी पर्चियां भेज सकते हैं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कोई और आपके साथ सम्बद्ध नहीं हो सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार कब विधेयक लाएगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देवेन्द्र जी हो गया?

[अनुवाद]

श्री सुनील खां को अपने आपको इस मामले से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए। मैं इसके बारे में काफी सुन चुका हूं।

...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा को एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। यह सच है कि सं.प्र.ग. की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने विपक्ष में रहते हुए तथा सत्ता में आने के बाद भी यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हमारी प्राथमिकता असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए एक विधान बनाने की है। महोदय, इसके बाद इस संबंध में सभी हितधारकों से चर्चा की गई है और हमारे सम्मानीय श्रम मंत्री ने मंत्री समूह से परामर्श आदि द्वारा इस सारे काम को संपादित कर एक महान कार्य किया है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक परसों होनी है। इसमें हम मंत्रिमंडल की स्वीकृति और सहमति प्राप्त करेंगे और इसे इसी सत्र में लाएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमारी प्रतिबद्धता सिर्फ सार्वजनिक प्रचार की खातिर की गई हमारी प्रतिबद्धता नहीं है। यह हमारी हार्दिक प्रतिबद्धता है और हम चाहते हैं कि यह ससंद के माध्यम से निष्पादित और कार्यान्वित हो।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी आपकी सूचना सिर्फ भूमि अधिग्रहण अधिनियम से संबंधित है। कृपया कोई और मुद्दा मत उठाइए।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: में आपको सिर्फ आपकी सूचना की याद दिला रहा हूं।

कुमारी ममता बैनर्जी: यदि मेरे प्रति नहीं तो कभी किसानों के प्रति तो सहानुभूति दिखाइए।।

अध्यक्ष महोदय: आपकी सूचना भूमि अधिग्रहण अधिनियम को रद्द करने के लिए है।

कुमारी ममता बैनर्जी: ठीक है। सबसे पहले, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम महिला होने के नाते लाभ उठाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम अपने आपको ईसान समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि माननीय महिला सदस्य इस बात को समझ चुकी हैं।

कुमारी ममता बैनर्जी: वह इसे समझ चुकी हैं और हर कोई इससे सहमत हो चुका है। हम चाहते है कि हमारे साथ पुरूष या महिला की तरह नहीं बल्कि इंसार के तौर पर बर्ताव किया जाए। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है।

चूंकि सभा की कार्यवाही किसी भी दिन स्थगित की जा सकती है इसलिए मैं इस सभा से अपील करती हूं कि भूमि अधिग्रहण हेतु नया विधान लाया जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 एक कठोर कानून है। यह काला और औपनिवेशिक कानून है। इस कानून के कारण राज्य सरकारें सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नहीं बल्कि व्यक्ति परक प्रयोजन हेतु अपनी भूमि अधिग्रहण शक्ति का दुरूपयोग कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी कठिनाइयां हो रही हैं। यह कार्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान में हो सकता है। किसान राज्य सरकारों द्वारा भूमि छीने जाने के कारण परेशान हो रहे हैं। सर्व प्रथम, मैं चाहती हूं कि आप इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम को रद्द करके नया संशोधन लाए ताकि राज्य सरकारें व्यक्तिगत अथवा निजी प्रयोजनों हेतु इस कानून का दुरूपयोग न कर सकें। उपजाऊ कृषि भूमि पर रियल एस्टेट के कारोबार को बढ़ावा देने

के लिए विशेष आर्थिक जोन के नाम पर किसानों को मारा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप लोग भूख से मरने लगे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है।

मैं आपको उदाहरण दिखा सकती हूं। किसानों ने न्यायालयों में शपथ पत्र दिए हैं कि उन्होंने अपनी भूमि नहीं दी है। परंतु सरकार ने धारा 144 के तहत और पुलिस के माध्यम से*

मैं आपको दो या तीन सुझाव देना चाहती हूं। इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम को तत्काल रद्द कर दीजिए; विशेष आर्थिक जोन नीति को रद्द कीजिए और नई नीति बनाइए, जिसमें किसानों की सहभागिता भी हो। हम उद्योगों को स्थापित किए जाने के विरूद्ध नहीं हैं। परंतु आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप कृषि भूमि छीनकर उद्योगों अथवा वैयक्तिक घरानों को स्थापित नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी अन्य का अहित करके नहीं फल फूल सकता है। उद्योग अपने तरीके से विकास करें; और कृषि अपने तरीके से विकास करें।

मैं उदाहरण दे रही हूं। ये सिंगुर के किसानों द्वारा दिए गए शपथ पत्र हैं जिनमें कहा गया है कि उन्होंने अपनी भूमि नहीं दी है।*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे मेरे पास लाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी राज्य के मामले का उल्लेख नहीं किया जाएगा। यदि मैं कहूं तो कुमारी ममता बैनर्जी आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं पूरी प्रशंसा के साथ कहूं कि आपने एक बहुत अच्छा मामला प्रस्तुत किया है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं किसानों की भूमि अधिग्रहण और समस्याओं के बारे में उल्लेख कर रही हूं।

दूसरे, मैं विभिन्नि पक्षों द्वारा लिखे गए पत्र आपको दिखा सकती हूं। यह पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस (इ) समिति द्वारा लिखा गया पत्र है, यह मार्क्सवादी कार्यकर्ताओं द्वारा लिखा गया पत्र है, यह जनता दल (एस) का पत्र है, यह समाजवादी पार्टी का पत्र है...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे इस प्रकार नहीं दिखा सकती है। नियमों के अंतर्गत इसकी अनुमति नहीं है। आप यह बहुत अच्छी तरह से जानती है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं सिर्फ यह कह रही हूं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी; समाजवादी पार्टी; जनता दल (एस); और जनता दल (यू) सहित सभी राजनीतिक दल इसके विरूद्ध हैं। इन्होंने कहा था कि *... और देश के अन्य भागों में भी सामाजिक तनाव बढ़ गया है। कृपया आप कुछ कीजिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह चुप न बैठें। मैं महोदया सोनिया जी और प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह से इस स्थान का दौरा करने का अनुरोध करती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: स्थान के नाम का उल्लेख यहां पर नहीं किया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह राज्य का मामला है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: बहुत सी महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है; बच्चों को मारा जा रहा है। किसानों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मारा जा रहा है। ...*(व्यवधान)* कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। ...*(व्यवधान)* कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाए। वह बहुत उचित बातें कर रही हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा बोला है। कुमारी ममता बैनर्जी आपने अपने मुद्दे से बहुत अच्छे ढंग से उठाया है। जब आप उन चीजों का उल्लेख कर रही थी तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री तोपदार, आप बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी के भाषण के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। केवल उनके भाषण को ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)**

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, मैंने कहा है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मामले केवल राज्य सरकारों से ही संबंध नहीं रखते हैं। महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामले केन्द्र सरकार से भी संबंध रखते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामले केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में भी आते हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह मूक न रहे। *...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे मेरे पास लाइये। मैं इस पर गौर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: ...*...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया किसी राज्य विशेष का नाम न लें।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं किसी राज्य के नाम का उल्लेख नहीं कर रही हूं। मैं अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के नामों; महिलाओं एवं बच्चों का उल्लेख कर रही हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्यों से संबंधित मामलों को यहां नहीं उठाया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, आप इसका रोज विरोध करते हैं। अब, आप उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह काम करने का तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: मैं इसी मुद्दे को उठा रही हूं जिसे मैं उठा सकती हूं जो केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय:कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री हंसराज अहीर।

...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। ...*(व्यवधान)* बहुत से लोग मारे जा रहे हैं...*(व्यवधान)* मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करती हूं और अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों; महिलाओं और बच्चों को जमीन वापस करने...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं हो रहा है। मैंने श्रीमती अर्चना नायक को आमंत्रित किया है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। मैं आप सबसे सहयोग देने का अनुरोध कर रहा हूं। कुमारी ममता बैनर्जी, मैंने आपको यह मामला उठाने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्रीमती अर्चना नायक को आमंत्रित किया है वह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अधरी चौधरी, मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय सदस्या, श्रीमती अर्चना नायक को आमंत्रित किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुमारी ममता बैनर्जी, आपने अपना मुद्दा उठा लिया है। अब सरकार इस पर विचार करेगी।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): वे अलग-अलग प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहते हैं कि कार्यवाही नहीं चले तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: सरकार को इस मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.47 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.04 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.04 बजे पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*)

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए और ये कार्यवाही का अंग बनेंगे।

(एक) हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली के लिए पानी छोड़े जाने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सज्जन कुमार (बाहरी दिल्ली): महोदय, राष्ट्रीय राजधानी सरकार दिल्ली के दो कार्यरत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स नांगलोई व बवाना से बाहरी दिल्ली ग्रामीण तथा शहर क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। दोनों प्लांटों की ट्रीटमेंट क्षमता अलग-अलग 40 एमजीडी है, परंतु कच्चे पानी की कमी के कारण अभी ट्रीटमेंट करने में लगभग आधी क्षमता से उत्पादन हो रहा है, जिससे इलाकों में पानी की किल्लत है तथा लोगों को कठिनाईयां उठानी पड़ती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है जो एक अस्थाई व्यवस्था है। स्थायी व्यवस्था के लिये दिल्ली सरकार तथा हरियाणा सरकार के बीच सहमति होने के लिये यमुना वेस्टर्न कैनाल से अतिरिक्त कच्चे पानी के बंटवारे के लिए कैनाल की मरम्मत चल रही थी जो पूर्ण हो गई तथा दिल्ली सरकार द्वारा खर्चे का भुगतान कर दिया गया है। कच्चा पानी छोड़ने के लिये केन्द्रीय वाटर कमीशन ने अप्रैल, 2007 में सर्वे किया जाना था।

अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि यमुना वेस्टर्न कैनाल से अतिरिक्त कच्चे पानी को रिलीज करने के लिये शीघ्र आवश्यक कदम उठाये जायें तथा पानी का स्थायी समाधान किया जाये।

(दो) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल को उद्योग का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): महोदय, दिनांक 4 मार्च, 1999 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

पर्यटन को उद्योग घोषित किया गया है। इसके पश्चात 7 नवम्बर, 2002 को एक और अधिसूचना जारी की गयी थी जिसमें पूर्व की कुछ विसंगतियों को दूर कर स्पष्ट किया गया था कि पर्यटन उद्योग घोषित किया गया है।

राज्य सरकार से जुड़े विभिन्न विभागों से पत्राचार करने पर ऊर्जा विभाग ने बताया कि उद्योग वह है जहां बिजली की खपत ज्यादा होती हो और कुछ उत्पादन भी होता हो। लेकिन होटल में ये दोनों ही नहीं होते। इसके अलावा टैरिफ का मामला आरईआरसी के ज्यूरिस्डीकेशन में आता है। इसके अलावा ऐसा ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग विकास सहायता कार्यालय के अंतर्गत पर्यटन इकाइयों को उद्योग मानने से मना कर दिया है।

मैं इस सदन के मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि जब जलदाय विभाग होटल को उद्योग मानते हुए औद्योगिक चार्ज वसूल कर रहा है और विद्युत विभाग होटल को व्यवसाय मानते हुए व्यवसायिक चार्ज वसूल कर रहा है तो मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल को उद्योग का दर्जा देने का कष्ट करें जिससे कि होटल को भी विद्युत एवं व्यवसायिक चार्ज में रियायत मिल सके।

(तीन) कोयला उत्पादन हेतु कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूमि अर्जित किए जाने से विस्थापित किसानों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, देश के कोयला क्षेत्र में कोयला खान परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि अर्जित की जाती है। भूमि अधिग्रहण के समय सी आई एल तथा इससे संलग्न सहयोगी कंपनियों द्वारा विस्थापितों को मुआवजा, नौकरी तथा भूमि का मूल्य देने के बड़े-बड़े वायदे किये जाते हैं लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है कि यह वायदे कभी भी निभाये नहीं गये। फलस्वरूप देश के कोयला खानों के भूअर्जन संबंधित हजारों मामले आज भी लंबित पड़े हुए हैं।

कायेला मंत्रालय तथा सी आई एल ने विस्थापितों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2003 के अंतर्गत नई नीति बनाने का कार्य शुरू किया लेकिन इसमें लागतार विलंब किया जा रहा है। आज देश में भूमि अधिग्रहण के बारे में असंतोष दिखाई दे रहा है। किसानों की कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण हेतु बाजार योग्य मूल्य तथा अधिक मुआवजा देने की मांग हो रही है। कायेला मंत्रालय इसका संज्ञान लेकर अपने पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति में कालोचित बदलाव करें। विस्थापितों को अब तक दिया जा रहा मौद्रिक मुआवजा दुगुना करना चाहिए। किसानों से चर्चा कर उनके भूमि के बाजार के अनुसार मूल्य निर्धारण हो, उसी तरह परियोजना में विस्थापितों को नौकरी देने के लंबित सभी मामलों का तत्काल निपटारा करने का प्रावधान रखे। इतना ही नहीं सी आई एल द्वारा महिलाओं की नियुक्ति में हो रही उपेक्षा को समाप्त कर महिला नियुक्ति के सभी मामलों का निपटान करे और कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण के मामले में खेतीहर मजदूर और महिला मजदूरों को भी नौकरी तथा मुआवजे में अधिक फायदा दिलाने के प्रावधान कर नई नीति शीघ्र घोषित करने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री से अनुरोध करता हूं कि उक्ताशय अनुसार उचित कार्यवाही प्राथमिकता से करने का कष्ट करें।

(चार) देश के सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री महावीर भगोरा: महोदय, स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सकरारों के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों द्वारा निर्धन, गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, टाइफाइड, टी.बी., ब्लड क्लोटिंग, पर्किसन एवं मिर्गी जैसे मरीजों के निःशुल्क ईलाज हेतु वर्ष 2001 में 359 दवाओं की सूची जारी कर सभी सरकारी अस्पतालों में उक्त दवाइयां उपलब्ध रखने के आदेश जारी किये थे। परंतु विभिन्न जांचों, लेखा परीक्षणों एवं सरकारी रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये हैं कि कई दवायें तो पांच-पांच वर्षों तक स्टोर में उपलब्ध नहीं हुई हैं।

देश के दूरदराज, पहाड़ी, आदिवासी, रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो ऐसी दवाएं कभी पहुंची नहीं हैं।

कैग रिपोर्ट के अनुसार देश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी ऐसी है, जहां कई जीवन रक्षक दवाएं पांच-पांच वर्षों तक गायब रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र के अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं होते हैं एवं सामान्य चिकित्सक भी मुख्यालय पर नहीं रहते हैं और ऊपर से दवाइयों की अनुपलब्धता लोगों की असामायिक मृत्यु के प्रमुख कारण हैं।

मैं इस अत्यंत लोक महत्व के विषय की ओर माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर आग्रह करता हूं कि जीवन रक्षक दवायें समस्त

सरकारी अस्पताल में उपलब्ध रहें एवं वरिष्ठ चिकित्सक भी चौबीस घंटे उपलब्ध रहें ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

(पांच) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 92 पर चल रहे कार्य को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

डा. राम लखन सिंह (भिण्ड): महोदय, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से भिण्ड, उत्तर प्रदेश, के इटावा होकर भोगांव तक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 92 की घोषणा वर्ष 1998 में की गई थी। उक्त सड़क मार्ग मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को औद्योगिक रूप से व्यापारिक रूप से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग है। इस मार्ग पर चम्बल, यमुना तथा क्वारी नदी के तीन पुल हैं। मार्ग का अधिकांश भाग क्षतिग्रस्त है, पुलों की दशा भी ठीक नहीं है। कई बार चम्बल नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। महीनों आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। इस मार्ग के हालातों से जनता में आक्रोश व्याप्त है।

सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त राष्ट्रीय राज्य मार्ग को अतिशीघ्र निर्मित कराने को जनता की भावनाओं से अवगत कराना चाहता हूं।

(छह) हिमालय की पारिस्थितिकी की रक्षा करने हेतु हिमालय विकास प्राधिकरण गठित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): अरुणाचल प्रदेश देश का सबसे संसाधन बहुल्य राज्य है। इसे विश्व में भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु के पौधों के कारण सबसे अधिक महत्वपूर्ण जैव विविधता वाला स्थल घोषित किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते उच्च पर्वत श्रृंखला के ऊपर के हिमनद उचित रूप से घट रहे हैं तथा गर्मी में बाढ़ तथा जाड़े में कम मात्रा में पानी दे रहे हैं। इससे अरुणाचल प्रदेश की जलवायु परिस्थिति के संवेदनशील तथा 'डेलीकेट वैलेंस' पर तथा मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

भारत सरकार टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरणीय संरक्षण आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान तथा महत्व नहीं दे रही है। मैं पर्यावरण और वन मंत्री से हिमालय क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए योजना बनाने का हिमालय की स्वाभाविक जलवायु पैटर्न की सुरक्षा करने के लिए हिमालय विकास प्राधिकरण का तुरंत गठन करने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से अरुणाचल प्रदेश में 'ग्लोबल वार्मिंग' के चलते हो रहे जलवायु परिवर्तन का सर्वेक्षण कराने के लिए एक समिति का गठन करने तथा पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए वन संरक्षण हेतु अरुणाचल प्रदेश को विशेष वित्तीय पैकेज देने का भी अनुरोध करता हूं।

(सात) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी लिमिटेड के कार्यकरण को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): सर्वप्रथम मैं 100 साल पुराने बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कंपनी लिमिटेड का पुनरुद्धार करने के लिए सं.प्र.ग. सरकार को धन्यवाद देता हूं। बी.पी.सी.एल. का पुनरुद्धार करने हेतु इसके तीनों प्रभावों में नए ब्रांड लाए जाने की आवश्यकता है। परिसंपत्तियों का उचित उपयोग तथा खुले परिवहन जोन हेतु रिक्त भूमि को किराए पर देने, सीमित आय के लोगों हेतु मल्टीप्लेक्स आवासीय सुविधा तथा नई कार्यपूंजी देने की आवश्यकता है। व्यापार पर ध्यान देने की आवश्यकता है जहां वापसी तीन महीनों के अंदर हो।

यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी फैक्ट्रियां तीन शिफ्टों में कार्य करें तथा उसके बाद ऋण लाइसेंसिंग व्यापार शुरू होना चाहिए। उत्पादन को बाजार मांग से जोड़ना चाहिए तथा उत्पाद चुनाव इसकी मांग के आधार पर होना चाहिए। प्रमुख पुरानी मशीनें उत्पादकता बढ़ाने के लिए बदली जानी चाहिए। प्रणाली में दो टियर से ज्यादा बेसिस निर्णय लेने में समय कम करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसा प्रकाश में आया है कि विपणन विभाग कोलकाता से दिल्ली डिपो में पहले ही स्थानांतरण किया जा चुका है तथा बिना उचित अनुमति के मापदंडों तथा औपचारिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत सरकार की अनुमति के बिना वितरकों को छूट दे रही है। बी.पी.सी.एल. के पुनरुद्धार के लिए 117.19 करोड़ रु. के दो डिमांड ड्राफ्ट पहले ही भेजे जा चुके थे। मैं धनराशि के दुर्विनियोग, कोलकाता से दिल्ली के विपणन बाजार का स्थानांतरण तथा आय अनियमितताओं की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की तुरंत मांग करता हूं।

(आठ) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रह रही थारू जनजातियों को टेलीमेडिसन सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खीरी में अच्छी तादाद में थारू जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। ये सभी

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]
भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में बसे हुए हैं। भारत सरकार से आग्रह है कि इस क्षेत्र में दूरसंचार पर आधारित टेली मेडिसिन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य करें।

(नौ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड का कार्य चालू वर्ष 2007 में प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री सीता राम यादव (सीतामढ़ी): महोदय, बिहार प्रांत के एन.एच.-77, हाजीपुर-मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा पथ की स्वीकृति चार लेन में हुई है। हाजीपुर-मुजफ्फरपुर फेज-1 एवं मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा फेज-3ए में स्वीकृत हुआ है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनवरसा पथ के फेज 3ए में पहले इसी वर्ष से स्वीकृति देकर कार्य प्रारंभ कराया जाये तथा तत्काल इस पथ में शेष बचे भूतही-सोनवरसा पथ, जो जर्जर हालत में है, को तत्काल कुछ राशि देकर मरम्मत कराया जाये।

(दस) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत उड़ीसा में परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उड़ीसा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को ग्रामीण वितरण नेटवर्क तथा घर-घर कनेक्टिविटी के एक अवसर के रूप में देखता है। यद्यपि 5 अक्तूबर, 2005 को सी.पी.एस. यूज, राज्य पावर यूटिलीटिज आर.ई.सी. तथा उड़ीसा सरकार के बीच चौतरफा समझौता किया गया तथा 26 जिलों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अनुमोदन तथा वित्तीय सहायता के मंजूरी हेतु प्रदान की गई है, केन्द्र सरकार ने अब तक परियोजना मंजूर नहीं की है। इसलिए पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण विद्युतीकरण में कोई प्रगति नहीं हुई है।

डी.पी.आर. सर्वेक्षण की आंकड़ों के अनुसार 18189 गांव तथा 38710 बस्तियों का 4,000 करोड़ रु. की कुल या अधिक आवश्यकता से विद्युतीकरण किया जाना है। बाद में, यह अधिसूचित किया गया कि 300 से कम जनसंख्या वाली सभी बस्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह उड़ीसा के अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों के खिलाफ जायेगा जिनकी जनसंख्या एक गांव में हमेशा 300 से कम रहती है। मैं सरकार से आदिवासी गांवों से संबंधित इस पहलू पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

इसके अलावा, इस योजना के अंदर सभी गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण हेतु विचार करना चाहिए। चूंकि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने डी.पी.आर. तैयार करने में लंबा समय लिया है, मंत्रालय द्वारा इसे लंबे समय तक विचाराधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है। मैं सरकार से उड़ीसा के ग्रामीण घरों के त्वरित विद्युतीकरण के लिए त्वरित आबंटन करने तथा धनराशि जारी करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 2.05 बजे

भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 21 पर विचार करेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, अपने सहयोगी श्री पी. चिदम्बरम की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> ''कि स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950 और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएंगा।''

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): बसेल-2 की वर्क पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क शुरू होने से भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी बैंकों सहित सभी बैंकों को न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपनी पूंजी आधार में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इससे बैंकों की अन्तर्राष्ट्रीय साख में सुधार होगा क्योंकि कई देशों के बैंक इन माणकों को अपनाने की प्रक्रिया में हैं।

अनुषंगी बैंकों द्वारा बाजार में संसाधन जुटाने, बैसेल-2 के अन्तर्गत न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को पूरा करने तथा व्यापार में वृद्धि करने, सेबी तथा डिपोजिटरीज अधिनियम के मार्गनिदेशों का पालन करने, अधिनियम के प्रतिबंधित प्रावधानों को हटाने के लिए, शेयरधारिता में और जन भागीदारी बढ़ाने, तथा अन्य परिवर्तन यथा निर्वाचित निदेशकों के लिए उचित तथा समुचित मानदंड, ए.जी.एम. में तुलन पत्र को स्वीकार करना, निर्वाचित निदेशकों की संख्या में वृद्धि इत्यादि के लिए 22 मई, 2006 को लोक सभा में भारतीय स्टेट बैंक अनुषंगी बैंक कानून (संशोधन) विधेयक 2006 प्रस्तुत किया गया था।

विधेयक को लोक सभा के वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि समिति वर्तमान जटिलताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बैंकिग प्रणाली की गतिविधियों में विस्तार करने के लिए संशोधन प्रस्तावों के उद्देश्यों से सहमति रखती है। समिति ने विधेयक में सुधार हेतु कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार समिति द्वारा की गई पांच सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा उस उद्देश्य के लिए मैं पांच सरकारी संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

इन शब्दों के साथ, मैं सिफारिश करता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अनुषंगी बैंक कानून (संशोधन) विधेयक, 2006 के साथ स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित सरकारी संशोधन पर इस सम्माननीय सभा द्वारा किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र अधिनियम 1950 और स्टेट बैंक आफ हैदराबाद अधिनियम, 1950 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री अमिताभ नन्दी (दमदम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006 में दिए गए उद्देश्य और कारणों का विरोध करता हूं।

महोदय, यह उल्लेख किया गया है कि स्थायी समिति ने विधेयक पर चर्चा की है तथा स्थायी समिति की राय पर भी विचार किया गया है। किन्तु मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि स्थायी समिति की बैठक में, एक विगत टिप्पण सहित कतिपय प्रस्ताव रखे गये थे। जबकि स्थायी समिति के विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया है किन्तु स्थायी समिति की बैठक में जिस बात पर विगत टिप्पण किया गया था उसका कोई उल्लेख नहीं है।

इस विधेयक को लाने के लिए हालांकि माननीय वित्त मंत्री ने उद्देश्यों और कारणों की लम्बी सूची हमें दी है तथापि व्यापक रूप से इस विधेयक को लाने का पहला सीमित उद्देश्य जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वह है शेयरधारकों की कठिनाइयों को दूर करना।

इसका दूसरा उद्देश्य है अनुषंगी बैंकों की पूंजी में बढ़ोत्तरी करना। ये दो उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य हैं:—

जैसा मैंने महसूस किया है इस विधेयक में संशोधन लाने के लिए। किन्तु संशोधन विधेयक के उपबंध दूरगामी परिणाम लाना चाहते हैं; जिसकी जांच नहीं की गयी है। उदाहरण के लिए, वर्तमाम में भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी बैंकों में धारिता पर कोई सीमा नहीं है। यह न्यूनतम 55 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हो सकता है किन्तु यह प्रस्ताव किया गया है कि अनुषंगी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक की शेयरधारिता को 51 प्रतिशत पर सीमित किया जाए। इसका तात्पर्य है कि शेयरधारकों को अनुषंगी बैंकों की नीति बनाने का अवसर मिलेगा और उससे वे अनुषंगी बैंक के किसी प्रस्ताव के संदर्भ में शेयर धारकों की बैठक को प्रभावित कर सकेंगे।

मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर शेयरधारकों के मताधिकार की सीमा को 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भी शेयरधारकों को मतदाताओं के प्रतिशत को बढ़ाने का समान अवसर प्राप्त होगा जिससे वे अनुषंगी बैंक की नीति बनाने में निर्णय को प्रभावित कर सकेंगे। यदि इन संशोधनों को स्वीकार किया गया तो निश्चय ही बैंकों पर शेयरधारकों का नियंत्रण होगा। ऐसा होना स्वाभाविक है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अतएव यह मेरा दृढ़ विचार है कि भारतीय स्टेट बैंक की अनुषंगी बैंकों में धारिता पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

यह कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर अनुषंगी बैंकों के शेयरधारक अमूर्त करने की प्रसुविधाओं तथा अन्तरणीयता की कमी के कारण समस्याएं झेल रहे हैं। किन्तु इसे अधिनियम में कोई संशोधन किए बिना दूर किया जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर अन्य विद्यमान शेयरों को प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के ढांचे के भीतर धारण, अमूर्त रूप में अन्तरित किया जा सकता है। इन कठिनाईयों का उल्लेख करके यह प्रस्ताव किया गया है कि शेयर की संख्या के मामले में 200 तक किसी भी व्यक्ति द्वारा शेयरधारिता और मताधिकार के संदर्भ में एक प्रतिशत पर लगी सीमा हटाई जाए इस संशोधन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वित्त मंत्रालय ने स्थायी समिति को अपने उत्तर में कहा है:

"सरकार भी इन बैंकों के दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के लिए एक व्यापक अधिनियम बनाने का प्रस्ताव करती है, जांच कर रही है जिससे सभी सरकारी क्षेत्र के बैंक विनियमित किए जाएंगे।"

मेरे विचार से, इस मामले में सरकार की सोच, पूर्णतरं पूंजी खाता परिवर्तनीयता संबंधी समिति की सिफारिशों पर आधारित है जिसने सिफारिश की है कि "सरकारी क्षेत्र के बैंकों की भलाई के लिए पृथक विधायी ढांचे को समाप्त किया जाना चाहिए।"

[श्री अमिताभ नन्दी]

हालांकि जब यह प्रस्ताव विचाराधीन है तो मैं कोई कारण नहीं पाता हूं कि अभी अनुषंगी बैंकों के लिए इस प्रकार यह संशोधन लाया जाए।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान विधेयक को वापस लें और अनुषंगी बैंकों को अधिकृत पूंजी को वर्तमान मात्र 50 करोड़ रु. से बढ़ाकर 100 करोड़ रु. के स्तर पर लाने के लिए तथा एक होल्डिंग कंपनी के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के अपने बोर्ड से, न कि केवल अध्यक्ष द्वारा, समनुषंगी बैंक के बोर्ड के अध्यक्ष के नामनिर्देशन करने में सक्षम बनाने के लिए एक अलग विधेयक तैयार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस वर्तमान विधेयक का यथा प्रस्तुत स्वरूप में विरोध करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यहां भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आरम्भ में, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बैंकों (राष्ट्रीयकरण के गुणावगुण पर वाद-विवाद शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मिथक है कि कृषि और लघु उद्योग को ऋण सुपुर्दगी में सुधार तथा उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां शाखाएं खोलने के लिए राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता थी। यदि हम और पीछे जाएं तो वर्ष 1913 और 1948 के बीच बैंक विफलता की भरमार थी जब हमारे देश में लगभग 1100 बैंक विफल हुए थे। किन्तु हमारे पास 1935 से और 1948 में राष्ट्रीयकृत भारतीय रिजर्व बैंक तथा 1949 में बैंककारी विनियमन अधिनियम हैं।

हमारे समक्ष विचारार्थ जो विधेयक है वह भारतीय स्टेट बैंक के कई अनुषंगियों की बात करता है। चार दशकों से अधिक समय से स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र एक्ट, 1950, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद एक्ट, 1956 और तत्पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक अनुषंगी बैंक अधिनियम, 1959 प्रभावी हैं। इन तीन अधिनियमों में स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद और भारतीय स्टेट बैंक के अन्य अनुषंगी बैंक चाहे वह स्टेट बैंक आफ पटियाला, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक आफ इंदौर, स्टेट बैंक आफ मैसूर और स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर के गठन और उनकी पूंजी, प्रबंधन, नियंत्रण और अन्य संबंधित मामलों के बारे में प्रावधान हैं।

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि जैसा कि सरकार ने कहा है, इन सभी भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाने की जरूरत है।

मैं इस बात पर बल दूंगा; न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूंजी आधार को बढ़ाने की जरूरत है। इसीलिए यह विधेयक आया है; इसीलिए कई उपबंध का संशोधन शामिल किए गए हैं। पूर्वावधारणा है कि पूंजी आधार को बढ़ाए जाने की जरूरत है, और बैसेल-2 के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता मानदंड पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली की बुनियादी वित्तीय स्थिति सुधारने की आवश्यकता है और इस प्रकार इसकी अन्तर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता में सुधार लाना आवश्यक है चूंकि कई देशों में भी बैंक इन मानकों को अपनाने की प्रक्रिया में है। बैसेल-2 मानदंड अपनाने पर मेरी कोई लड़ाई नहीं है। किन्तु वर्तमान में, गत चार दशकों से जैसी आवश्यकता बतायी गयी है वह 55 प्रतिशत तक है तथा इस विधेयक में इसे घटाकर 51 प्रतिशत करने का प्रयास किया गया है।

मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी इसका उल्लेख किया है। इसे घटाकर 51 प्रतिशत करने की क्या जल्दी थी जबकि 55 प्रतिशत पर भी पूरी संभावना है, आप जमा होने वाली कुल धनराशि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसे घटाकर 51 प्रतिशत करने की क्या आवश्यकता है?

दूसरी बात, जो सरकार करना चाहती है और जो उद्देश्य और कारणों का कथन में कही गयी है कि अनुषंगी बैंकों के शेयरधारकों की समस्याओं को दूर करने तथा अनुषंगी बैंकों की पूंजी को बढ़ाने, बाजार से संसाधन जुटाने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए यह किया गया है। वर्तमान स्वरूप में बैंक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मंत्री महोदय, आप भविष्य में होने वाली किसी बात की संभावना लगा रहे हैं और यह अंदाजा मात्र है। आप अपने समक्ष आज उपलब्ध प्रावधान का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिर भी यह विधेयक आया है। मैं इस संशोधन को लाने की जल्दी को समझने में विफल रहा हूं।

साथ ही मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा कि निदेशक मंडल के लिए नम्यता लाने और कार्पोरेट प्रशासन को सुधारने और अनुषंगी बैंक के बोर्ड को विनियम बनाने के लिए अधिकार प्रदान करने हेतु ये संशोधन किए गए हैं तथा जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं उनसे अनुषंगी बैंकों का संचालन परिवर्तित परिस्थितियों और आधुनिक व्यवसाय प्रथाओं के अनुकूल बनेगा। यह विधेयक न केवल भारतीय स्टेट बैंक के सात अनुषंगियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समतुल्य बनाता है बल्कि पर्याप्त स्वायत्ता तथा आर.बी.आई. की स्वीकृति से विनियम बनाने की इन बैंकों के बोर्ड को स्वतंत्रता भी

प्रदान करता है। मैं इस पहलू का स्वागत करता हूं। कार्यरत अनुषंगी बैंकों को स्वतंत्र बैंकों की तरह काम करना चाहिए। इस संदर्भ में मैं इस विधेयक में जो कुछ प्रस्तावित है उसका पूर्ण समर्थन करता हूं।

वर्तमान कानून के तहत अपने सहयोगी बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक का अंश 55 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता है। वर्तमान संशोधन से इसे 51 प्रतिशत तक कम कर पाना संभव हो सकेगा जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था। यहां मैं इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में कुछ कहें। आखिर अंशधारिता को 55 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करने की आवश्यकता ही क्या है? मेरा सुझाव है कि अनुषंगी बैंकों में भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती होने चाहिए। यह आवश्यक है कि भारतीय रिजर्व बैंक निदेशक मंडल में अपना निदेशक रखें और अधिक्रमण करने की शक्तियां सरकार के पास न हों।

इस विधेयक पर अलग-अलग मत हैं। जब अनुषंगी बैंक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो यह विधेयक लाए जाने की आवश्यकता क्या है? आप इन संशोधनों को क्यों लाना चाहते हैं, कम से कम यह बात स्पष्ट होनी चाहिए।

वर्तमान में, चार अधिनियम अस्तित्व में हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को शासित करते हैं। क्या इन अधिनियमों को मिलाकर एक अधिनियम बना देने का समय नहीं आ गया है? भारतीय स्टेट बैंक के लिए सेवा शर्तें निर्धारित हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि वे सेवा शर्तें जो भारतीय स्टेट बैंक के लिए लागू हैं, उन्हें इन अनुषंगी बैंकों के लिए भी लागू किया जाए?

जब 45 प्रतिशत शेयर जनता से आता है, तो बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्यों न हो? वस्तुत: देश में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है? पूर्णतर पूंजी खाता परिवर्तनीयता समिति ने इस बात की सिफारिश की थी कि सभी वाणिज्यिक बैंकों को एकल बैंक अधिनियम के तहत लाया जाए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को एक ही कानून के तहत लाया जाए? मुझे यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कम्पनी विधि होनी चाहिए। परन्तु यह एक कानून के अंतर्गत होना चाहिए। एक राय है कि बैंक पण्य और बचत दोनों का काम कर रहे हैं तथा बैंकिंग प्रणाली को विकसित करने और इसे मजबूत बनाने की जरूरत है। इसे परिवर्तन हेतु एक सबल सामाजिक तंत्र के रूप में कार्य करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि इसे कम्पनी अधिनियम द्वारा शासित नहीं होना चाहिए। परन्तु साथ ही क्या आर.बी.आई. डायरेक्टर को बने नहीं रहना चाहिए? सदन के अंदर और बाहर भी इस बात की आशंका व्यक्त की गयी है कि अंशधारिता 55 प्रतिशत से 51 प्रतिशत करके भविष्य में निजीकरण करने का प्रयास हो रहा है। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय से इस आशय का उत्तर चाहता हूं कि कम-से-कम ऐसा प्रयास न हो।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: ठीक इसी प्रकार, विधेयक की धारा 22 द्वारा एक नयी धारा 40क को अंतर्विष्ट करने की बात कही गयी है। इस उप-धारा में यह अभिव्यक्ति है: ''लाभांश जिसका संदाय नहीं हुआ है''—इसका क्या अर्थ है? दावारहित लाभांशों को एक विशेष लाभांश खाता में स्थानांतरित किया जाना है। ऐसे प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम अथवा बैंकिंग कम्पनी (अंतरण और अर्जन) अधिनियम में नहीं हैं। मैं इस संबंध में उत्तर जानना चाहूंगा।

सभा के समक्ष रखे संशोधन समय के अनुकूल हैं। अनुषंगी बैंक बाजार में जाकर और अधिक निधियां जुटा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में, स्टेट बैंक आफ पटियाला तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद भारतीय स्टेट बैंक से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेट बैंक आफ हैदराबाद, स्टेट बैंक आफ पटियाला और स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र की पूरी पूंजी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखी जाती है। आप अपना अंश कम करके 51 प्रतिशत क्यों करना चाहते हैं? अंश धारकों के हित के लिए, क्या प्रस्तावित संशोधन बैंकों को समृद्ध व उन्नतिशील बनाएंगे?

नियंत्रण का हित भी भारतीय स्टेट बैंक के पास होगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक अपने अनुषंगी बैंकों की मदद किस प्रकार से करता है।

अंतत:, आखिर भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिक्रमण करने की शक्ति क्यों हो जबकि सरकार के पास बैंकों के कार्यकरण को विनियमित करने के पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं। पूंजी जुटाने की अभी क्या आवश्यकता है जबकि भारतीय स्टेट बैंक के अंश को 55 प्रतिशत से कम किया जा सकता है और पूंजी बढ़ाई जा सकती है। यह भी जरूरी है कि इसे कम करके 51 प्रतिशत कर दिया जाए? वहां निजी नियोजन क्यों किए जाएं? इन नियोजनों का निर्णय कौन लेगा? उचित कर्मिष्ठता शब्द का उपयोग किया जा रहा है। निर्णय लेते समय उचित कर्मिष्ठता का जिक्र किया जा रहा है। परन्तु विपणन का इतिहास अप्रिय है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई तंत्र मौजूद है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

अंत, मैं कहूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक नामिती स्वतंत्र विचार रखने की स्थिति में हैं। परन्तु क्या वह बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के लिए उत्तरदायी होगा? मैं यह बात माननीय मंत्री महोदय से समझना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): महोदय, मैं भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006 का समर्थन करता हूं। मेरा हमेशा से ही यह मत रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के मद्देनजर, माननीय वित्त मंत्री को प्राय: नए विचारों व प्रस्तावों के साथ इस सभा में आना चाहिए। वस्तुत: यह मूल विधेयक 1950 में बना था। इसका अर्थ है कि लगभग 57 वर्ष अथवा 60 वर्ष बीत चुके हैं। स्वाभाविक रूप से, हम अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं हैं। जब वैश्वीकरण हमारे यहां अस्तित्व में नहीं था तब अलग बात थी। एक बार जब हमने वैश्वीकरण को स्वीकार कर लिया है तब हमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार चलना होगा।

पहले जिस पूंजी की सीमा 20 करोड़ रुपये थी, वस्तुत: बाद में यह बढ़कर 1,000 करोड़ रु. हो गयी फिर भी यह अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की तुलना में अपर्याप्त थी। इनकी विश्वसनीयता भी उतनी नहीं होगी जितनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की है जिनके पास बहुत अधिक इक्विटी है। वित्तीय स्थिति के संबंध में भी, जब तक इक्विटी के आस्ति मूल्य व सकल मूल्य के साथ इक्विटी नहीं बढ़ायी जाती, जोखिम अपेक्षाकृत अधिक होता है। यदि कुछ मामले विफल हो गए, जैसा कि हमने अनेक बार देखा है, तो बैंकों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों पर चर्चा होगी। एक समय गैर-निष्पादनकारी अस्तियां एक लाख करोड़ रुपये तक हो गयी थी। बैंकों में विश्वास घटेगा। स्वाभाविक रूप से, हमारे लिए इक्विटी आधार अथवा पूंजी आधार को बढ़ाना जरूरी है। माननीय वित्त मंत्री महोदय इसी आधार को अब बढ़ा रहे हैं।

इसके अलावा, मैं इन बैंकों में निजी शेयरधारकों की भागीदारी का समर्थन तो अवश्य करता हूं परन्तु मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि आखिर उनके अंशों के अनुपात में मतदान के उनके अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं। उदाहरणत: यदि किसी व्यक्ति का 5 प्रतिशत शेयर हो, तो उसे उस अंश तक अपने अधिकार का प्रयोग करने की पूरी आजादी है। हम सुरक्षित हैं क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक का उसके अनुषंगी बैंकों में शेयर 50 प्रतिशत से भी अधिक है। इसका अभिप्राय यह है कि बिना भारतीय स्टेट बैंक की सहमति के कुछ भी नहीं होने वाला। जनता और जमाकर्ताओं के हित सुरक्षित हैं। परन्तु कम-से-कम निजी शेयरधारकों को संतोष प्रदान करने के लिए हमें उस हद तक उन्हें अधिकार देना होगा जहां तक जमाकर्ताओं के हित प्रभावित न हों। इन बातों का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है।

मैं प्रसन्न हूं कि अनेक उद्देश्य जिनका यहां उल्लेख किया गया है बहुत उचित हैं और उनकी आवश्यकता है तथा इन्हें बहुत पहले ही किया जाना चाहिए था।

मैं सभी अनुषंगी बैंकों में 500 करोड़ रु. तक इक्विटी बढ़ाए जाने तथा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा 200 शेयर रखने के पूर्व प्रावधान के स्थान पर इसे बढ़ाकर इसकी सीमा कुल इक्विटी का 10 प्रतिशत करने का समर्थन करता हूं। ठीक इसी प्रकार, मैं अधिमानित शेयरों द्वारा पूंजी बढ़ाए जाने का समर्थन करता हूं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पूंजी की विश्वसनीयता बढ़ाने हेतु इसे पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने की जरूरत होती है। ऐसा अधिमानित तरीके से इक्विटी लेने द्वारा किया जा सकता है जो कि इक्विटी आधार को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार, बैंकों को अधिमानित शेयरों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति देने वाले प्रावधान से पूंजी बढ़ाने का प्रयोजन भी सिद्ध होगा।

जहां तक निदेशक मंडल का प्रश्न है, इस संबंध में इस बात की एक सीमा थी कि निजी शेयरधारकों से केवल 3 निदेशक ही आ सकते हैं। जब तक वे उनके अधिकारों को सीमित करते रहेंगे, मुझे पता नहीं है कि इसका कोई अर्थ है कि संबंधित निदेशकों की संख्या तीन हो अथवा अधिक हो। हम उन निदेशकों की काबिलियत के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं जो निजी शेयरधारकों की ओर से आते हैं। जब हम निदेशकों की काबिलियत को देख रहे हैं तो यदि हम निदेशकों की संख्या तीन से बढ़ाकर अधिक भी कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता हम ऐसा करके कुछ खोएंगे। इन बैंकों में उन निदेशकों के ज्ञान, अनुभव, प्रतिभा, नवीन विचार, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र में उनकी जानकारी और कार्यशैली से लाभ उठाया जा सकता है। अत: मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि वह फिर से इस बात पर विचार करें कि क्या हम अधिक संख्या में निदेशक रखें और क्या उनकी संख्या 3 तक ही सीमित करना उचित होगा।

महोदय, यदि मुझे दोहराना हो तो मैं सभी खंडों में किए गए उपबंधों को ही दोहराऊंगा, परन्तु, इस संदर्भ में, मैं माननीय वित्त मंत्री के ध्यान में सिर्फ एक यही बात लाना चाहता हूं कि एक अमीर आदमी, व्यापारी, निर्यातक या उद्योगपति 12 प्रतिशत, 14 प्रतिशत या 24 प्रतिशत तक के दर पर भी ब्याज चुका सकता है। ऐसी स्थिति वास्तव में एक बार तब हुई थी जब वर्तमान

माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे। मेरा विनम्र अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री इस बात पर विचार करें कि खेतिहर समुदाय के लिए ब्याज दर 4 प्रतिशत की जाए क्योंकि यह समुदाय ऊंचे ब्याज दर का भुगतान नहीं कर सकता। मैं इसका समर्थन करता हूं और मुझे काफी खुशी है कि उन्होंने ब्याज दर को घटाकर सात प्रतिशत कर दिया है, लेकिन इसे और घटाकर चार प्रतिशत किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री तथा वित्त मंत्री दोनों यहां उपस्थित हैं। श्री शरद पवार अभी कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किसान इन ब्याज दरों का भुगतान करने में समर्थ नहीं है। अत: , कृषक समुदाय के लिए ब्याज दर में कमी लाने के लिए उन्हें वित्त मंत्री पर दबाव डालना चाहिए तथा माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करनी चाहिए। ...(व्यवधान) हम सभी उनके साथ हैं तथा हम उन्हें उस स्थिति में ले आएंगे कि उन्हें ब्याज दर में कमी करनी पड़ेगी।

महोदय, आंध्र प्रदेश में हम स्व-सहायता समूहों को तीन प्रतिशत पर धनराशि दे रहे हैं। महोदय, मेरी इस बात पर भरोसा करें कि अर्थव्यवस्था में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। महिलाओं के चमकते चेहरे उनके सशक्तिकरण के प्रमाण हैं, जिन्हें सिर्फ देखा जा सकता है, न कि इस सभा में अभिव्यक्त किया जा सकता है। स्थिति यह है। जब हम सभी का लक्ष्य अर्थव्यवस्था की वृद्धि करना है, गरीब लोगों की स्थिति में सुधार लाना है तथा महिलाओं का शक्तिशकरण करना है, तो इसके लिए सबसे पहले किसानों तत्पश्चात् छोटे व्यापारियों एवं तदनन्तर स्व-सहायता समूहों के लिए ब्याज दर में कमी करनी होगी। ये सभी चीजें वित्त मंत्री द्वारा की जानी चाहिए। उन्हें इसे मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए तथा ऐसा इसी सत्र में अथवा कम से कम आले सत्र तक किया जाना चाहिए, ब्याज दरों में कमी के लिए विधान अथवा आदेश लाया जाना चाहिए।

महोदय, मैं इस विधयेक का समर्थन करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, मैं भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमें निश्चित रूप से इसका पता लगाना चाहिए कि इस विधेयक को लाए जाने का कारण क्या है। राष्ट्रीयकृत बैंकिंग के युग से चलकर हम ई-बैंकिंग के युग में आ चुके हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भारत के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक गांव अथवा कम से कम बड़े गांवों को बैंक की आवश्यकता है तथा वह बैंक के लिए मांग कर रहे हैं। अब जबकि हमें यह चाहिए, मात्र भारतीय स्टेट बैंक की लाखों शाखाएं हैं। इसकी शाखाएं न सिर्फ भारत में हैं, बल्कि विदेशों में भी हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ एक बैंक की इतनी अधिक शाखाएं होना दुष्परिचालनीय है तथा इन सभी का नियमन करना कठिन होता जा रहा है। अगर इन सभी नए अनुषंगी बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलना इसका बड़ा कारण है, तो मैं इस विधेयक का कई तरह से समर्थन करता हूं।

एक अन्य कारण बैसल कैपिटल समझौता बताया गया है। हम इसके अनुसार चलना चाहते हैं। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम राष्ट्रीयकृत बैंकिंग के युग से प्रतिस्पर्धा के युग में आ गए हैं और यह प्रतिस्पर्धा न सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों में है, बल्कि देश में आने वाले निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ भी है। अगर आप काफी सुविधाएं देने वाले निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, तो आपको इन अनुषंगी बैंकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी होगी। मेरा मानना है कि इन छोटे अनुषंगी बैंकों को अधिक स्वायत्तता, अधिक शक्तियां, नयी शाखाएं खोलने के लिए अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनका नेटवर्क न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सके। उन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। अब निजी क्षेत्र के बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। अत:, ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के बैंकों के जाने से पहले वहां जाना चाहिए।

दो वर्ष पूर्व मैं जापान में था। जापान में एक बैंक था जिसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, और उस बैंक का अधिग्रहण भारत के तीन बैंककारों द्वारा किया गया। उन तीन बैंककारों ने भारतीय स्टेट बैंक में तथा कुछ अन्य बैंकों में काम किया था और उन तीन बैंककारों ने उस बैंक को मुनाफे में ला दिया। उन्होंने क्या किया? उस बैंक में पेपर वर्क बिल्कुल नहीं है। यह एक नई अवधारणा है जिसे उन्होंने जापान में शुरू किया है तथा आज यह जापान के बड़े बैंकों में एक है। यह पूर्णतया कम्प्यूटरीकृत है। वहां ई-बैंकिंग है तथा चैक-बुक की भी आवश्यकता वहां नहीं पड़ती है क्योंकि वे अप्रचलित हो चुकी हैं। यह एक नई प्रणाली है जिसे हमें अपनाना है। अत:, प्रतिस्पर्धा के युग में इन छोटे अनुषंगी बैंकों को अधिक स्वायत्तता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

हम 55 प्रतिशत को घटाकर 51 प्रतिशत करने के लिए वाद-विवाद कर रहे हैं? 51 प्रतिशत के साथ भारतीय स्टेट बैंक का नियंत्रण बरकरार रहेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि यह 60 प्रतिशत है, 55 प्रतिशत है? उनके पास न्यूनतम 51 प्रतिशत रहना चाहिए, और यह उनके पास है।

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह]

विधेयक का प्रारूप जिस ढंग से तैयार किया गया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन इन सभी मामलों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के विनियम क्या हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस कहानी के दूसरे पहलू को भी देखा है। सहकारी बैंक विधेयक लाया जा चुका है। हम उन बैंकों के साथ विनियमों की तुलना किस प्रकार करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा होगी। हम इसकी तुलना उनके साथ किस प्रकार करेंगे? इस मुद्दे को भी देखा जाना है।

मेरा मानना है कि सी.एम.डी. के रूप में तथा इन अनुषंगी बैंकों में जाने वाले अधिकारियों के बारे में भी एक उपयुक्त प्रश्न उठाया गया है। क्या वे इन बैंकों में जाकर वे खुश हैं अथवा उनका ऐसा मानना है कि ये अनुषंगी बैंक मूल कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के समान सुविधाएं नहीं देते हैं? इन सभी मुद्दों का भी समाधान किया जाना है।

मेरा मानना है कि वित्त मंत्री को इस मुद्दे की भी जांच करनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक की वृहत् बैंकिंग प्रणाली तुलनात्मक रूप से छोटे बैंक के पास जा रही है। क्या वे इन बैंकों में जाकर खुश हैं? क्या उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। अथवा वे यहां से बाहर निकलकर निजी बैंकिंग प्रणाली में जाना चाहते हैं?

अगर उन्हें वहां भेजा जाता है और वे वहां नाखुश हैं, तो वे इसे छोड़कर निजी क्षेत्र के बैंक में चले जाएंगे। हमें क्षति होगी। हमें इन बिन्दुओं की जांच करनी होगी। अन्यथा, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): धन्यवाद, महोदय। यह विधेयक भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके अनुषंगी बैंकों के बारे में है। मेरा मानना है कि इन संशोधनों की आवश्यकता नहीं है। मुझे अफसोस है कि हम इन संशोधनों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। समय-समय पर बैंकों, बैंकिंग विनियमों आदि में कुछ संशोधनों की आवश्यकता होगी। लेकिन मेरा मानना है कि इस समय ये संशोधन भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके अनुषंगी बैंकों-स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तथा अन्य बैंकों में हिस्सेदारी कम करने के लिए लाया गया है। वास्तव में, इनमें से कुछ अनुषंगी बैंक कई राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निजी क्षेत्र के बैंकों की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की पूंजी 17 करोड़ है तथा इसके पास 34,474 करोड़ रुपए जमा हैं। इसकी 959 शाखाएं हैं तथा इसे 427 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। हम यह पूछना चाहते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है कि सार्वजनिक निर्गम के नाम पर निजी लोगों को 49 प्रतिशत शेयर जारी करने के लिए इन बैंकों में हिस्सेदारी कम की जाए। यह एक काफी खतरनाक कदम है क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक के पास कुल शेयरों की संख्या मात्र 51 प्रतिशत होगी। अंतर मात्र दो प्रतिशत का होगा—51 प्रतिशत तथा 49 प्रतिशत। हम यह भी जानते हैं कि अनेक अवसरों पर जब निजीकरण के प्रस्ताव आए तब लगभग 10 प्रतिशत शेयर बेचे गए तथा निजी लोगों के हाथ में चले गए।

ये बैंक हमारे देश में काफी समय से उत्कृष्ट सेवा दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल की अवधि में वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण निजी क्षेत्र के कतिपय बैंकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी ओर इन निजी क्षेत्र के बैंकों का कोई सामाजिक दायित्व नहीं है, कृषि क्षेत्र, लघु क्षेत्र को ऋण देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए वे बाध्य नहीं हैं और वे मुख्यतया शहरी क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य द्वारा काफी प्रोत्साहन दिए जाने के बावजूद ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जैसे चहेते बैंक पूर्णतया दिवालिया हो गए तथा सरकार को इनके बचाव के लिए आना पड़ा।

लोगों का विश्वास अभी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में है। दुर्भाग्यवश, बैंकिंग विनियमों तथा बैंकिंग नीति में सुधार के स्थान पर ये बदतर होते जा रहे हैं। लघु वित्त के नाम पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा कई बैंक निजी साहूकारों को बढ़ावा दे रहे हैं। वे लोगों का शोषण हर प्रकार से कर रहे हैं, वे 24 प्रतिशत से 36 प्रतिशत की दर पर ब्याज ले रहे हैं। हमें वहां संशोधन करने की आवश्यकता है, हमें वहां नीतियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तनों के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक तथा इनके अनुषंगी बैंकों के शेयर बेचे जा रहे हैं तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से तथा प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मेरा मानना है कि इन बैंकों को पूर्णरूपेण बैंक बनाने के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि ये बैंक स्वतंत्र बैंकों के रूप में कार्य कर सकें।

भारतीय स्टेट बैंक इसमें अपनी शेयर धारिता बनाए रख सकती है तथा इस पर भारतीय रिजर्व का नियंत्रण रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही सार्वजनिक निर्गम के नाम इस निजीकरण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में यह कहा जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कुछ समय के लिए अनुषंगी बैंकों के भी चेयरमैन होंगे। मेरा मानना है कि यह 'कुछ समय' पिछले 60 वर्ष से चल रहा है। इस तरह की अस्पष्ट चीज आवश्यक नहीं

है। उनके स्वतंत्र अध्यक्ष हो सकते हैं तथा अनुषंगी बैंकों के अधिकारियों को भी अध्यक्ष बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। डाइरेक्टरों को उत्तरदायी एवं जवाबदेह होना होगा। अनुषंगी बैंकों के बोर्ड को अधिक्रमित करने की भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियां अत्यंतकारी शक्तियां हैं तथा मेरा मानना है कि यह स्वीकार्य भी नहीं है। मेरा मानना है कि इन संशोधनों को वापस लिया जाना चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने वाले संशोधन लाए जाने चाहिए। सी.पी.आई. की ओर से मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इन संशोधनों का समर्थन नहीं कर सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरयिंकिल): महोदय, मैं एक बैंकिंग विशेषज्ञ नहीं हूं लेकिन मैं दावा करता हूं कि मंत्री जी इन सभी मामलों के विशेषज्ञ हैं! चालीस वर्षों से भी अधिक समय से मैं स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में धनराशि का लेन-देन करता रहा हूं। अपने जीवन में कभी भी मुझे स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की कार्य प्रणाली के बारे में कोई मुश्किल नहीं हुई है। इसके कर्मचारी बहुत अच्छा काम करते हैं। माननीय वित्त मंत्री द्वारा लाए गए विधेयक एवं इसके उद्देश्यों को पढ़ने के बाद मुझे कुछ आशंका हुई है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैं इसके कारण बताऊंगा।

हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। यदि हम इन अनुषंगी बैंकों का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दें तो इसमें कोई बुराई नहीं परंतु इन्हें अनुषंगी बनाकर भारतीय स्टेट बैंक के शिंकजे में रखना सर्वथा उचित नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। यदि प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रुपये होता तो मेरी समझ में आ जाता 100 रुपये मूल्य का शेयर तो स्वीकार्य हैं लेकिन इसका शेष भाग मजाक बनकर रह जाएगा।

यहां कई बातें हैं। सहकारिता अधिनियम में मैंने एक प्रावधान देखा है जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को अनुषंगी बैंकों के निदेशक मंडलों को अधिक्रमित करने का अधिकार दिया गया है। उनकी जब भी मर्जी होगी, जिस प्रकार वे चाहेंगे, वे अधिक्रमण कर लेंगे। अब तक तो वे ठीक तरीके से काम कर रहे थे, आखिर शेयरधारकों द्वारा चुने गए इन सभी निदेशकों को अधिक्रमण करने भी शक्ति क्यों प्रदान की जा रही है? यह ठीक वैसी ही बात है जो सहकारिता अधिनियम में हुई है। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। शेयरधारकों का संस्था में अपना हित होता है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने पैसे निवेश किए हैं। आखिर भारतीय रिजर्व बैंक को निर्वाचित निदेशक मंडल पर अधिक्रमण करने का अधिकार देकर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती क्यों की जाए?

एक और बात यह कि भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष वो भारतीय स्टेट बैंक के ही किसी अधिकारी को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित करने का अधिकार दिया जा रहा है। यहां तक कि अध्यक्ष भी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया जाएगा। क्या यह मजाक नहीं है? यहां तक कि निदेशकों का चयन भी अध्यक्ष ही करता है। उसे हटाए जाना चाहिए। क्या निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना ठीक होगा। मैं ऐसी स्थिति का समर्थन नहीं कर सकता हूं। उनके पास इसके पीछे कारण हो सकते हैं। उनकी पहचान बनाए रखना तथा उन्हें अनुषंगी बैंक के रूप में बनाए रखना तथा उन्हें भारतीय स्टेट बैंक के शिंकजे में लाना स्वीकार्य नहीं है तथा इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल यही नहीं, इसमें कुछ और भी उपबन्ध हैं। वे चाहें तो उन निर्वाचित निदेशकों की संख्या बढ़ा सकते हैं जो शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? आखिर ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने धन का निवेश किया है। वे शेयरधारक हैं। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों में कटौती क्यों हो? वार्षिक बैठक बुलाई जाएगी तथा उसमें निर्वाचित सदस्य होंगे। लेकिन निर्वाचित निकाय को भी भारतीय स्टेट बैंक की मर्जी के अनुसार किसी भी समय हटाया जा सकता है। इस उपबंध में निदेशक मण्डल में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी को नामित करने की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचित भी है तो उसे किसी भी समय हटाया जा सकता है तथा एक व्यक्ति जिसका निदेशक मण्डल से कोई सम्बन्ध नहीं है उसे नामित किया जा सकता है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी नहीं सुना है। ये शेयरधारक ही हैं जो अपनी धनराशि लगाते हैं।

अब अनुषंगी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं। मेरे राज्य केरल के प्रत्येक गांव में स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की शाखा है तथा ऋण मिलता है। ये सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी यदि इन उपबंधों को प्रभावी बना दिया जाता है। इसी कारण से मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। या तो आप केन्द्रीय बैंक को समाप्त कर दें या उन्हें कार्य करने की शक्तियां तथा अधिकार दे दें। इस उपबंध को समाप्त नहीं करना चाहिए। अतः इन्हीं कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। मैं उन सदस्यों के प्रति विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने कुछ मुझे उठाए हैं जो कि इस समय के लिए सुझाव हैं, और जिसके आधार पर वे इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब मैं इनके बारे में स्पष्ट करूंगा तो वे वास्तविकता को मानेंगे कि यह विधेयक उस विधेयक से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है जिसे

[श्री पी. चिदम्बरम]

कि हम राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में पहले से पारित कर चुके हैं। स्टेट बैंक के अनुषंगियों के बारे में जिन उपबंधों को हम ला रहे हैं वे राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में पहले ही यह सभा पारित कर चुकी है। मैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूं।

पहली बात तो यह कि यह विधेयक जल्दबाजी में पारित नहीं किया जा रहा है। हमने इसे लोक सभा में पुर:स्थापित किया और यह स्थायी समिति को भेजा गया। स्थायी समिति का प्रतिवेदन मेरे पास है। स्थायी समिति में श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी के राजनीतिक दल तथा श्री राधाकृष्णन के राजनीतिक दल सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे। केवल एक ही सदस्य ने विमत टिप्पण दिया था तथा उसका कारण वह था जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है तथा मैं इसका समाधान करूंगा। अन्यथा बाकी सभी पहलुओं पर प्रतिवेदन एकमत है। वस्तुत:, श्री महताब स्थायी समिति के सदस्य हैं तथा मैं मानता हूं कि उन्होंने स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर भी किए होंगे। लेकिन मैं उनकी हर शंका का जवाब दूंगा।

पहला प्रश्न यह है कि ये बैंक भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी क्यों हैं? यह विरासत का मामला है। भारतीय स्टेट बैंक ने इन अनुषंगियों को प्रोत्साहन दिया क्योंकि काफी समय से विभिन्न बैंक जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे इन बैंकों में मिल गए। इस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बना। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है। यदि हम सहमत हों तो निश्चित रूप से इन सभी बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक में मिलाया जा सकता है। लेकिन मुझे आशंका है कि इसका सम्बन्धित अनुषंगी बैंकों की ओर से जिनका क्षेत्रीय चरित्र एवं क्षेत्रीय स्वरूप है बहुत अधिक विरोध होगा। मैं समझता हूं कि श्री राधाकृष्णन सबसे पहले खड़े होकर कहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया जाए तथा कर्नाटक से मेरे साथी कहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का भारतीय स्टेट बैंक में विलय नहीं किया जाए।

अपराह्न 3.00 बजे

ये बैंक अनुषंगी हैं क्योंकि यह विरासत का मामला है। तथापि, भारतीय स्टेट बैंक इन बैंकों का वास्तव में स्वामी है। अनुषंगी बैंकों में इसकी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकती है। कृपया याद रखिए कि एक और विधेयक है जिसके माध्यम से सरकार भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की शेयरधारिता को को ले रही है। अंतत: भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक की मालिक बन जाएगी तथा चूंकि यह विरासत का मामला है भारतीय स्टेट बैंक इन अनुषंगियों का स्वामी है, अत: अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार ही इन अनुषंगी बैंकों की स्वामी हो जाएगी वस्तुत: भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में आर.बी.आई. शेयरों की खरीद जुलाई या अगस्त में की जाने वाली है। जब यह होगा, तो भारत सरकार स्टेट बैंक में अधिकांश शेयर की स्वामी लोगों तथा भारतीय स्टेट बैंक या इन अनुषंगी बैंकों की शेयरधारिता में अधिकांश भाग होगा। अप्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार इन अनुषंगी बैंकों में अधिकांश शेयरों का स्वामी होगा। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं। मैंने कई बार स्पष्ट किया है कि हमने अनुषंगी बैंकों में शेयरधारिता 51 प्रतिशत से कम करने के पूर्ववर्ती सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मैंने अनेक अवसरों पर इस सदन में यह बात स्पष्ट की है कि संप्रग सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा स्टेट बैंक समूह का सार्वजनिक स्वरूप बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्ध है और कभी भी शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे नहीं आएगी। ये हमेशा ही सरकारी क्षेत्र के बैंक रहेंगे।

महोदय, दूसरा प्रश्न था कि सरकार शेयर धारिता, को 55 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत क्यों कर रही है? राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह 51 प्रतिशत है। शेयरधारिता को 53 प्रतिशत से घटाकर 51 प्रतिशत किए जाने के दो कारण हैं। सबसे पहले तो इसे राष्ट्रीयकृत बैंकों के बराबर लाने के लिए चाहे वह 51 प्रतिशत है या 53 प्रतिशत, इसका कोई अंतर नहीं पड़ता। 51 प्रतिशत एक महत्वपूर्ण अंग है जबकि 52 या 53 का कोई अंतर नहीं होता क्योंकि नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। ऐसा करने के पीछे दूसरा कारण पूंजी बढ़ाना है। यदि हमें पूंजी उगाहनी है तो हमें बाजार में जाना पड़ेगा तथा जब पूंजी उगाह ली जाएगी तो शेयरधारिता कम हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यह शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे नहीं जाएगी। इसे 51 प्रतिशत कर हम इसे राष्ट्रीकृत बैंकों के बराबर कर रहे हैं जहां यह न्यूनतम 51 प्रतिशत है। यहां भी यह न्यूनतम 51 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में पूंजी उगाहने की गुंजाईश की जाती है। स्थायी समिति ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि बेसल-II नियमों को पूरा करने के लिए सरकार को मात्र स्टेट बैंक समूह में ही 3161 करोड़ रुपये लगाने होंगे। इतनी बड़ी धनराशि सरकार इन बैंकों में निवेश नहीं कर सकती है। उन्हें पूंजी जुटाने के लिए बाजार में जाना ही पड़ेगा। जब वे पूंजी जुटाने के लिए बाजार में जाते हैं, तो 51 प्रतिशत होने से उनके पास पूंजी जुटाने की गुंजाइश बन जाती है। आज, तीन बैंकों अर्थात स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में शेयरधारिता 100 प्रतिशत है। अन्य चार बैंकों में शेयरधारिता 75 प्रतिशत, 98.05 प्रतिशत, 92.33 प्रतिशत तथा 75 प्रतिशत है। इसलिए इनमें पर्याप्त गुंजाइश

है। मैं भविष्य में कई वर्षों के लिए इसे 51 प्रतिशत के आसपास आने की कल्पना भी नहीं करता हूं। लेकिन हम समानता ला रहे हैं।

एक और प्रश्न पूछा गया है कि सरकार कैप को एक प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत क्यों कर रही है? यह भी भारतीय स्टेट बैंक के बराबर है। भारतीय स्टेट बैंक में कैप 10 प्रतिशत है और स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में कैप 1 प्रतिशत है। हम अनुषंगी बैंकों में इस कैप में बदलाव कर रहे हैं। फिर भी भारतीय स्टेट बैंक का नियंत्रण 51 प्रतिशत है, हम कैप को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर रहे हैं। मैं आपको इसके कारण बताऊंगा। विद्यमान धारा 19 में कहा गया तथा इसे मैं उद्धृत करता हूं:

कोई व्यक्ति किसी समनुषंगी बैंक में अपने द्वारा धृत किन्हीं शेयरों की बाबत शेयरधारकों के रूप में दो सौ शेयरों से अधिक के लिए रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा अथवा न ही ऐसे अधिक शेयरों की बाबत विक्रय से भिन्न प्रयोजनों के लिए शेयरधारक के किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा।

हालांकि, निश्चय ही यह परन्तुक राज्य सरकार निगम तथा बीमा अधिनियम में यथापरिभाषित बीमा कंपनियों, स्थानीय प्राधिकारियों, सहकारी समितियों, सरकारी अथवा निजी धार्मिक न्यास के न्यासी अथवा विद्यमान बैंकों के शेयरधारकों को अलग करता है। हालांकि, इन सभी को बाहर करने के पश्चात् एक प्रतिशत का कैप है। आज, यदि किसी राज्य सरकार के पास शेयरों का स्वामित्व है तो भी वह एक प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने एक गलती की है, भारतीय स्टेट बैंक में कैप 10 प्रतिशत है और स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों में यह कैप 1 प्रतिशत है। शेयरधारिता में हम इस कैप को भारतीय स्टेट बैंक के समान कर रहे हैं और शेयरधारक 10 प्रतिशत तक मताधिकार का प्रयोग कर कर सकते हैं।

महोदय, जहां तक मताधिकार का संबंध है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टेट बैंक के माध्यम से सरकार के पास हमेशा 51 प्रतिशत शेयर रहेंगे। अत: वर्चस्व हमेशा सरकार का ही रहेगा। यह मताधिकार उन्हें केवल निदेशक चुनने का अधिकार देता है। हम राष्ट्रीयकृत बैंकों में पहले ही एक संशोधन कर चुके हैं। हमारा कहना है कि 16 प्रतिशत तक आपका एक निदेशक हो सकता है, 16 से 32 प्रतिशत तक अपके दो निदेशक हो सकते हैं और 32 से 49 प्रतिशत तक आपके तीन निदेशक हो सकते हैं। अत: हम शेयरधारकों के पास अधिकतम तीन निदेशकों को चुनने का अधिकार होगा। अधिकांश निदेशकों का नामांकन भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सरकार द्वारा ही किया जाएगा।

अगला प्रश्न 'प्राइवेट प्लेसमेंट' के बारे में पूछा गया था। 'प्राइवेट प्लेसमेंट' का अर्थ प्राइवेट हाथों में सौंपना नहीं है। 'प्राइवेट प्लेसमेंट' एक 'टर्म ऑफ आर्ट' है और यह केवल शेयर जारी करने का एक तरीका है। जैसे कि सार्वजनिक निधि, शेयर जारी करने की पद्धति है उसी प्रकार से 'प्राइवेट प्लेसमेंट' एक 'टर्म ऑफ आर्ट' है और शेयर जारी करने की एक पद्धति है। तर्क के लिए मान लीजिए कई कारणों से हम स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर के पांच प्रतिशत शेयरों को केरल सरकार को आबंटित करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मुझे सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक ईश्यू) नहीं निकलना पड़ेगा। मैं प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा ऐसा कर सकता हूं–और आप देख सकते हैं कि धारा यह भी कहती है कि स्टेट बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार मैं इसे केरल राज्य को आवंटित कर सकता हूं। मान लीजिए मैं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के पांच प्रतिशत शेयरों को कर्नाटक सरकार को आबंटित करना चाहता हूं, मैं प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा ऐसा कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट निजी हाथों में प्लेसमेंट नहीं है। यह शेयरों को आवंटित करने की पद्धति है और धारा में सभी पद्धतियों की जानकारी दी गई है। कौन सी पद्धति अपनाई जानी है इसका निर्णय सरकार द्वारा समय-समय पर लिया जाता है।

अगला प्रश्न प्रतिस्थापन के बारे में है। कृपया धारा को देखिए। आज यदि एक निदेशक मंडल भारी चूक करता है; बड़ी लापरवाही और आपराधिक कार्य करता है तो उस मंडल को हटाने की कोई शक्ति नहीं है। अत: हमारा कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड अधिकतम छह माह तक अधिक्रमण कर सकता है, जिसे असाधारण मामलों में 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। परंतु छह माह में वे बैंक के मामलों को ठीक-ठाक करके नए निदेशक मंडल का गठन कर सकते हैं। सरकारी सोसायटियों के पास यह शक्ति है यदि आप राज्य सरकारी सोसायटी अधिनियम को देखें तो सहकारी समितियों के पंजीयक के पास मंडल को अधिक्रमित करने तथा तत्पश्चात् एक नए मंडल का गठन करने की शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति कानून का उल्लंघन करने वाले तथा लापरवाही बरतने अथवा चूक करने वाले मंडल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आवश्यक है।

मुझे लगता है कि यह प्रमुख मुद्दे हैं जिनके बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। कई प्रावधान हैं और यदि माननीय सदस्य

[श्री पी. चिदम्बरम]

विधेयक के खण्डों के टिप्पण को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि प्रत्येक खण्ड में बताया गया है कि हम इसे क्यों पुरःस्थापित कर रहे हैं। मैं तीन-चार मिनट में विभिन्न प्रावधानों को पढ़कर आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने मताधिकार के बारे में बताया।

दूसरे हम शेयरों को अमूर्त रूप दिए जाने की अनुमति दे रहे हैं। यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है। शेयर अब मूर्त रूप में नहीं होते। हम शेयरों के आपूर्तीकरण के लिए एक धारा पुरःस्थापित करने जा रहे हैं। तब हम कह सकते हैं कि स्टेट बैंक के चेयरमैन की अनुषंगी बैंक का चेयरमैन होने की आवश्यकता नहीं है और वह अनुषंगी बैंक के पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति कर सकता है। यह प्रगतिशील कदम है और लोग वास्तव में स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। स्टेट बैंक के चेयरमैन के एक अनुषंगी बैंक के चेयरमैंन होने से स्वायत्ता में बाधा आती है। परंतु यदि आप...*(व्यवधान)*

श्री अमिताभ नन्दी: क्या चेयरमैन स्वयं को नियुक्त करता है अथवा स्टेट बैंक का बोर्ड उसकी नियुक्ति करता है?

श्री पी. चिदम्बरम: अब स्टेट बैंक का चेयरमैन अनुषंगी के चेयरमैन के रूप में स्टेट बैंक के किसी भी अधिकारी को नामित कर सकता है अथवा अनुषंगी के किसी भी एक्जीक्यूटिव को अनुषंगी के चेयरमैन के तौर पर नामित किया जा सकता है। पहले, उपबंध यह था कि स्टेट बैंक का चेयरमैंन स्वयं अनुषंगी का चेयरमैन होता था। वह प्रत्येक सात अनुषंगियों को कितना समय दे सकता है? उसे स्टेट बैंक को चलाना है। आज हम उसे भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी अथवा एक अनुषंगी के अधिकारी की अनुषंगी का पूर्णकालिक चेयरमैन नामित करने के लिए प्राधिकृत कर रहे हैं।

श्री अमिताभ नन्दी: आप स्टेट बैंक के मंडल को प्राधिकृत क्यों नहीं कर रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: परंतु स्टेट बैंक का चेयरमैन अपने मंडल से विचार-विमर्श किए बिना किसी को वापिस नहीं करेगा। वह अवश्य ही अपने मंडल की सलाह लेगा। परंतु बात यह है कि नामित करने के लिए आप मंडल में चुनाव नहीं लड़ सकते। अनुषंगी के लिए नामित किए गए अधिकारी के चयन के लिए स्टेट बैंक के चेयरमैन पर भरोसा किया जाना चाहिए। आज राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा ग्रामीण बैंक चलाया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक के चेयरमैन द्वारा नामित किया जाता है और वह ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को नामित करता है। परंतु निश्चित रूप से वह आरबीआई के नामिति और सरकार के नामिति से सलाह-मशविरा करेगा और तब उसकी नियुक्ति करेगा। सरकार की मंजूरी अथवा सरकार के नामिति की मंजूरी के बिना यह सब नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा नहीं है? अतः उनकी सलाह ली जाएगी, परंतु नामांकन स्टेट बैंक के चेयरमैन द्वारा किया जाएगा।

एक महत्वपूर्ण धारा, धारा 25(क) शामिल की गई है। इसका कहना है कि निदेशक को ''फिट एंड प्रॉपर'' मानदंड पर खरा उतरना चाहिए। राष्ट्रीयकृत बैंक अधिनियम में पहले ही यह प्रावधान है। हम इसे पुरःस्थापित कर रहे हैं। किसी को भी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसे ''फिट एंड प्रॉपर'' मानदंड पर खरा उतरना चाहिए। यदि उसे ''फिट एंड प्रॉपर'' नहीं पाया जाए तो उसे निदेशक पद से हटाया जा सकता है।

इसमें धारा 25(ख) के रूप में एक नई धारा है। इसमें कहा गया है कि असाधारण मामलों में यदि आर बी आई एक अतिरिक्त निदेशक को नामित करना चाहता है तो वह बैंकिंग नीति के हित में तथा जमाधारकों के हित में निदेशक की नियुक्त कर सकता है।

मैं प्रतिस्थापन का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं।

हमारा कहना है कि ''भुगतान न किए गए लाभांश'' को निवेशक संरक्षण कोष में जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम में ऐसा ही उपबंध है। भुगतान न किया गया लाभांश सात वर्ष बाद निवेशक संरक्षण कोष में जाएगा। इसे कंपनी अधिनियम के समान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अन्यथा, प्रश्न यह है कि जब कोई दावा नहीं होगा तो भुगतान न किए गए लाभांश का क्या होगा वह अब निवेशक संरक्षण कोष में जाता है।

प्रक्रियात्मक धाराएं हैं, जैसे तुलन-पत्र पर चेयरमैन तथा अधिकांश निदेशकों आदि के हस्ताक्षर होने चाहिए।

मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो स्वायत्ता को बाधित करता है अथवा सरकारी क्षेत्र का रूप परिवर्तित करता है अथवा किसी भी प्रकार से भारत सरकार की नीतियों का विरोधाभासी है।

ये उपबंध अनुषंगियों को अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान बनाते हैं। उद्देश्य अनुषांगियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है ताकि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह कार्य कर सकें।

इन बैंकों की शाखाओं की संख्या के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। उनकी बड़ी संख्या में शाखाएं हैं। मुख्य स्टेट बैंक की 9,143 शाखाएं हैं। इसका अर्थ हुआ कि मुख्य स्टेट बैंक की

प्रत्येक दो शाखाओं के लिए एक अनुषंगी शाखा है। यह स्टेट बैंक के आकार का आधा है। सातों अनुषंगी मिलाकर स्टेट बैंक के आकार का डेढ़ गुना है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि हम उन्हें पूर्णकालिक चेयरमैन बनाने की अनुमति दें, उन्हें स्वायत्तता प्रदान करें, हम उन्हें कार्य करने के लिए छूट दें ताकि वे आगे बढ़ सकें तथा और शाखाएं खोल सकें। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मेरी इच्छा इन बैंकों को पूर्ण विकसित करने की है ताकि वे राष्ट्रीयकृत बैंकों से स्पर्धा कर सकें और बहुत सुदृढ़ बैंक बन सकें।

बड़ा प्रश्न है कि इन्हें आपस में विलय कर लेना चाहिए अथवा भारतीय स्टेट बैंक के साथ उनका विलय होना चाहिए, मुझे लगता है कि इसके राजनीतिक, क्षेत्रीय तथा राज्य संबंधी कारण हैं। हम इस प्रश्न को एक और दिन के लिए टाल देते हैं। इन सात अनुषंगी बैंकों को अधिक शक्तियों, अधिक स्वायत्ता के साथ संपूर्ण बैंक बनने दीजिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं माननीय सदस्यों से संशोधनों की मांग न करने तथा विधेयक का समर्थन करने का आग्रह करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र अधिनियम, 1950 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम, 1956 तथा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 12 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 13

धारा 25 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 35-37 के स्थान पर, प्रतिस्थापित करें-

"(क) भारतीय स्टेट बैंक का तत्समय पदेन अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में उसके द्वारा नामनिर्देशित स्टेट बैंक का या समनुषंगी बैंक का कोई पदधारी"। (3)

पृष्ठ 6, पंक्ति 38 के स्थान पर, प्रतिस्थापित करें-

'(ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(ख) वाणिज्यिक बैंक के विनियमन या पर्यवेक्षण से संबंधित मामलों में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाला एक निदेशक, जिसे रिजर्व बैंक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;"। (4)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, आपकी अनुमति से, खंड 15 में, हम स्थायी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर रहे हैं। हम यह उपबंध भी रख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक निदेशक को नामित किया जाएगा। इसलिए सरकार की मंशा (संशोधन) विधेयक के खंड 15 को अस्वीकृत करने की है। इसलिए सत्ता पक्ष खंड 15 के विरुद्ध मतदान करेगा। मैं आप सभी से खंड 15 के विरुद्ध मतदान करने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, खंड 17, खंड 15 जैसा ही है जो भारतीय रिजर्व बैंक के नामिति से संबंधित है। हम सिफारिशों को स्वीकार कर रहे हैं। हम भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती को रख रहे हैं। इसलिए हम खंड 17 के विरुद्ध मतदान कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 18

धारा 34 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 9, पंक्ति 9, के बाद, अंतःस्थापित करें–

'(क) उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"(1) समनुषंगी बैंक का निदेशक मंडल ऐसे समय और ऐसे स्थान पर बैठकें आयोजित करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया संबंधी ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनिर्धारित किए जाएं; और निदेशक मंडल की बैठक वीडियो-कान्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यमों जो विनिर्धारित किए जाएं, के जरिए निदेशक मंडल के निदेशकों की सहभागिता के द्वारा आयोजित की जाए, जो निदेशकों की सहभागिता को रिकार्ड और स्वीकार करने में सक्षम हों तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियों को रिकार्ड एवं संचित किया जा सके:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से परामर्श करके सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन शक्तियों का उल्लेख करे, जिनका वीडियो कान्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों के जरिए की गई निदेशक मंडल की बैठक में प्रयोग नहीं किया जाएगा"।;'। (5)

पृष्ठ 9, पंक्ति 10, "क" के लिए "ख" प्रतिस्थापित करें। (6)

पृष्ठ 9, पंक्ति 12 और 13 का लोप करें। (7)

पृष्ठ 9 में 13वीं पंक्ति के बाद, अंतःस्थापित करें।

'(ग) उपधारा (3) के लिए निम्नलिखित उपधारा (3) प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

"(3) समनुषंगी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में सभी प्रश्नों के संबंध में निर्णय बैठक में उपस्थित निदेशकों या वीडियो कान्फ्रेंसिंग या ऐसे अन्य इलैक्ट्रानिक साधनों के जरिए बहुमत द्वारा लिया जाएगा तथा बराबर मतदान होने के मामले में समनुषंगी बैंक के निदेशक मंडल का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का दूसरा या निर्णायक मत होगा।";'। (8)

पृष्ठ 9, पंक्ति 14, "(ग)" के लिए "(घ)" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (9)

पृष्ठ 9, पंक्ति 17, "(घ)" के लिए "(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (10)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 22

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 10, पंक्ति 34, "2006" के लिए "2007" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (11)

पृष्ठ 11, पंक्ति 2, "2006" के लिए "2007" प्रतिस्थापित किया जाएगा। (12)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 23 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 28

धारा 63 का संशोधन

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 2 और 3 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'(क) उपधारा (1) के लिए, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:-

''(1) समनुषंगी बैंक का निदेशक मंडल स्टेट बैंक से परामर्श करके भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्वानुमोदन लेकर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियम बना सकता है, जो इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के असंगत न हों, ताकि उन सभी मामलों के लिए प्रावधान किया जा सके जिनके लिए इस अधिनियम या फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों को लागू किए जाने के प्रयोजन से प्रावधान किया जाना आवश्यक एवं सामयिक हो।'';' (13)

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1

संशोधन किए गए:

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, ''2006'' के स्थान पर ''2007'' प्रतिस्थापित करें।''

(श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''सत्तावनवें'' के स्थान पर, ''अठ्ठावनवें'' प्रतिस्थापित करें।'' (1) (श्री पी. चिदम्बरम)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.21 बजे

भाण्डागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा में मद सं. 22 पर चर्चा की जाएगी।

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:*

''कि भंडागारों के विकास और विनियमन भंडागार रसीदों की परक्राम्यता, भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

[श्री शरद पवार]

स्थापना के लिए और उससे संबंधित या उसके अनुषंगी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदय, यह एक किसान-हितैषी विधेयक है। सभा को याद होगा कि सरकार ने भंडागारण (विकास और विनियमन) विधेयक 7 दिसम्बर, 2005 को लोक सभा में पेश किया था। यह विधेयक 19 दिसम्बर, 2005 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पास जांच और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया था। स्थायी समिति ने उक्त विधेयक के संबंध में अपना प्रतिवेदन 31 अक्टूबर, 2006 को लोक सभा के माननीय अध्यक्ष को सौंपा और उक्त विधेयक को 23 नवंबर, 2006 को लोक सभा और राज्य सभा के सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 3.22 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन* हुईं]

इस विधेयक का उद्देश्य भंडागारण रसीदों को पूर्ण रूप से एक परक्राम्य लिखत बनाने के लिए देश में एक परक्राम्य भांडागारण रसीद प्रणाली की शुरूआत करने का है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीके से सामान के भण्डारण के लिए प्रोत्साहित करना ताकि उन्हें अधिक लाभ सुनिश्चित हों, वित्त पोषण की लागत को कम करना, आपूर्ति श्रृंखला को कम करना, उत्पादों को उन्नत बनाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पारितोषिक में वृद्धि और बेहतर मूल्य जोखिम प्रबंधन उपलब्ध कराना है। परक्राम्य भाण्डागार रसीदें आरंभ करने से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी में वृद्धि होगी और किसानों को मजबूरी में अपना माल बेचने से सुरक्षा मिलेगी। हालांकि, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रक्रिया अनेक फसलों की देखरेख को दायरे में लेती है, तथापि, किसान को अपने अधिशेष उत्पादों का वैज्ञानिक भांडागार में रखने और ऐसी रसीदों के आधार पर संस्थागत ऋण प्राप्त करने की क्षमता में एक उपयुक्त विधान के अभाव की वजह से बाधा आती रही है। जो कि इसे ही सुचारू बनाता है।

महोदय, मैं माननीय सदस्यगणों को देश में परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली की शुरूआत करने की आवश्यकता के बारे में बताना चाहता हूं। वर्तमान में, ''भांडागार रसीद'' का अर्थ है एक निर्धारित प्रपत्र पर रसीद, जिसे भांडागार की देखरेख करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को जारी करता है, जो भांडागार में वस्तुओं की जमा कराता है। भांडागार रसीदों का उपयोग अब तक भांडागारों में जमा वस्तुओं की एवज में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए समानांतर प्रतिभूति के रूप में होता है। भांडागार रसीदों को अब तक इतनी स्वीकार्यता नहीं मिली है कि वे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित की जा सकें क्योंकि वर्तमान में इनका कोई कानूनी आधार नहीं है।

भांडागार रसीदों की परक्राम्यता को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1891 के दायरे में लाने की संभावना पर विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया। लेकिन विधि मंत्रालय ने अपनी राय जाहिर की कि उस अधिनियम के प्रयोजन के लिए भांडागारण रसीद को परक्राम्य लिखत के रूप में माने जाने हेतु परक्राम्य लिखत अधिनियम में संशोधन करना सलाहयोग्य नहीं होगा। यह बेहतर होगा कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों की सहमति से एक नया विधान अधिनियमित किया जाए।

भांडागार रसीदों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1891 के दायरे में नहीं लाया जा सकता। जिसमें कि मात्र विनिर्दिष्ट साधनों अर्थात् वचन-पत्रों, विनिमय-पत्र, चैक और हुंडी के माध्यम से वित्तीय सरकार का प्रावधान है।

विधिक कार्य विभाग की सलाह पर यह निर्णय लिया गया कि अलग से एक केन्द्रीय विधान बनाया जाए ताकि भाण्डागार रसीदों को पूरी तरह से परक्राम्य बनाया जा सके ताकि वे पूरी तरह से लागू की जा सकें और भाण्डागार रसीदों में पारदर्शिता लाई जा सके।

भांडागारण रसीदों की परक्राम्यता की शुरूआत किए जाने की आवश्यकता इसलिए आ पड़ी है चूंकि भांडागार के संचालकों को वर्तमान में जमाकर्ताओं और बैंकों का न्यासी के रूप से विश्वास प्राप्त नहीं है। यद्यपि, बैंक भांडागार रसीदों की एवज में वित्त पोषण करना चाहे तब भी वे या तो उन संचालकों तक सीमित रहते हैं, जिन पर वे विश्वास करते हैं अथवा उन्हें उपयुक्त भांडागार संचालक की छंटाई में भारी लागत वहन करनी पड़ती है।

यह भांडागार रसीदों को एक पूर्ण परक्राम्य लिखत बनाने के लिए एक नीति और कानूनी रूपरेखा तैयार करके पूरा किया जाएगा। भांडागारण (विकास और विनियम) अधिनियम को अधिनियमित किए जाने का प्रस्ताव है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और अन्य हिस्सेदारों के परामर्श से भांडागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005 का प्रारूप तैयार किया है।

प्रस्तावित विधान में अन्य बातों के साथ-साथ

(1) ऐसे भांडागारों, जो पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से परक्राम्य भांडागार रसीदें जारी करने के इच्छुक हों, के विनियमन का उपबंध करने;

(2) मान्यताप्राप्त प्रत्यायन एजेंसियों के जरिए भांडागारों के प्रत्यामन का उपबंध करने;

(3) भांडागार संचालनकर्ताओं की देनदारियों और दायित्वों को परिभाषित करने;

(4) सुपुर्दगी और पृष्ठांकन द्वारा भांडागार रसीदों की परक्राम्यता के लिए शर्त को परिभाषित करने;

(5) प्रस्तावित विधान के उपबंधों के कार्यान्वयन को नियमित करने और उसे सुनिश्चित करने तथा अपराध और किये गए किसी भी अपराध के संबंध में दंड परिभाषित करने के लिए "भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण" नामक एक प्राधिकरण की स्थापना करने की मांग की गई है।

स्थायी समिति ने इस विधेयक की विस्तार से जांच की और अनेक सुझाव दिए। मैं स्थायी समिति के सभापति और सदस्यों का प्रस्तावित विधान के संबंध में विस्तृत विश्लेषण करने और सिफारिशें देने के लिए आभारी हूं। सरकार को इन सिफारिशों से अत्यधिक लाभ हुआ है और उसने समिति की ज्यादातर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

मैं विधेयक को पारित किए जाने के दौरान समिति के प्रतिवेदन पर आधारित उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

सरकार यह महसूस करती है कि इस विधान को पारित किए जाने से इस देश के और भांडागारण परिदृश्य में किसानों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

सभापति महोदय: प्रस्ताव किया गया:

"कि भांडागारों के विकास और विनियमन, भांडागार रसीदों की परक्राम्यता, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और उससे संबंधित या उसके अनुषंगी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि यू पी ए सरकार के दौरान कृषि परिदृश्य इतना निराशाजनक हो गया है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो भुखमरी और औने-पौने दामों में बिक्री से मर रहे हैं, वे दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं और उन्हें बाढ़ और सूखा जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है।

माननीय मंत्री महोदय ने भांडागारण (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005 के रूप में यह विधान प्रस्तुत किया है। हम आशा करते हैं कि यह विधान उन किसानों के जीवन में नया संचार लाएगा। जो कि संकटपूर्ण स्थिति में हैं। मैं आशा करता हूं कि यदि इस विधान को सही भावना से लागू किया जाए तो इससे किसानों को मदद मिलेगी। किसान कुछ न कुछ हासिल कर पाएंगे।

मूल रूप से, छोटे और सीमांत किसानों को इससे काफी लाभ होगा। लेकिन इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उन एजेंसियों को प्रत्यायन प्रदान करना है, जो भाण्डागार के रूप में कार्य करेगी। ऐसा खरीद मौसम के शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया जाता तो किसानों को एक बार फिर मिल मालिकों, बिचौलियों और उन विभिन्न प्रकार के बड़े शोषकों के हाथों भुगतना पड़ेगा, जो कि धान अथवा गेहूं की खरीद और अधिप्राप्ति के दौरान गरीब लोागें का शोषण करते हैं। ऐसा इसलिए है कि धान औरं गेहूं ऐसे दो मुख्य अनाज हैं, जिन पर हमारा लोकतंत्र निर्भर करता है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रित होती है; इससे गरीबों के लिए खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला विनियमित होती है; और इससे किसान के लिए वित्त पोषण भी विनियमित होता है ताकि उसकी आर्थिक हालत में सुधार हो सके और वह अपने परिवार और देश के लिए अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

इसलिए, मैं सोचता हूं कि इस विधान के अंतर्गत भांडागारण रसीदें परक्राम्य लिखत बन सकती हैं। यदि भांडागारों को प्रत्यायित किया जाए, तो किसान को चावल और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगता है क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल चावल और गेहूं के लिए घोषित किया जाता है लेकिन तिलहन, दलहन, बागवानी फसलों और विभिन्न अन्य फसलें जैसी अनेक अन्य फसलें हैं, जिन पर किसान निर्भर है। यह आवश्यक नहीं है कि भारत में एक ही कृषि क्षेत्र है भारत में विभिन्न प्रकार के अनेक कृषि क्षेत्र हैं जहां अलग-अलग कृषि उत्पाद होते हैं।

तदनुसार, सरकार भाण्डागार बनाने तथा इसकी रसीद को पराक्राम्य लिखत बनाने की योजना बना रही हैं। उन्हें भाण्डागार इस तरीके से बनाने चाहिए ताकि किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने उपज को विभिन्न प्रकार के भाण्डागार में रख सकें। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में आम अधिक हैं। परंतु देश में खाद्य संरक्षण सुविधाओं के अभाव में हर साल देश में 35,000 से 40,999 करोड़ रुपये तक की खाद्य सामग्री का नुकसान हो जाता है। अत: यह खाद्यान्नों के लिए ईमारत बनाने की बात नहीं है परंतु गोदाम चूहों से सुरक्षित होना चाहिए क्योंकि हर साल

[श्री बिक्रम केशरी देव]

एफ सी आई के गोदामों में 20-25 प्रतिशत का नुकसान चूहों के कारण होता है। वायु पहुंचाने की प्रणाली जो आज एफ सी आई के गोदामों में अपनाई जाती है बहुत पुरानी है। इसमें सुधार लाया जाना चाहिए क्योंकि इससे हमें काफी घाटा हुआ है। इसका परिणाम यह होता है कि हमें इस उपज को समुद्र में फेंकना पड़ता है या यह बर्बाद हो जाती है।

भारत एक ऐसा देश है जहां हम, चावल या गेहूं का एक दाना या एक फल या एक सब्जी का नुकसान भी नहीं कर सकते क्योंकि योजना आयोग के अनुसार हमारे देश में अभी भी 20 प्रतिशत गरीबी है। परंतु यदि आप राज्यों में जाएं तो आप देखेंगे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या इससे कहीं अधिक है। यह 35 से 40 प्रतिशत से अधिक है। इसके लिए पी डी एस प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। यह बेहद जरूरी है। अब समय आ गया है कि सरकार को इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए क्योंकि देश के काफी क्षेत्र में अब सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई है। काफी क्षेत्र पर दोहरी खेती होती है। उत्पादन बढ़ गया है। परंतु मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस वर्ष चावल और गेहूं का उत्पादन घट गया है। हमें आस्ट्रेलिया से गेहूं लेना होगा। अत: यदि हमारे पास समय से पहले यह भाण्डागार प्रणाली परक्राम्य लिखत होगी तो मेरे विचार से किसानों को यह दुर्दशा नहीं झेलनी पड़ेगी। जी डी पी में हमारा योगदान केवल दो-प्रतिशत है। जैसा कि योजना आयोग द्वारा अपेक्षा है हम चार प्रतिशत का लक्ष्य पूरा कर सकते थे जो कि हम अब तक नहीं कर पाए हैं। अत: माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया विधान एक अच्छा विधान है। मैं आशा करता हूं कि इससे किसानों को वास्तव में मदद मिलेगी।

अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं अपने जिले कालाहांडी के बारे में कुछ उल्लेख करना चाहूंगा जिससे माननीय मंत्री जी भली-भांति परिचित हैं। हम भारतीय खाद्य निगम पर निर्भर हैं। बोलनगीर जिले में चावल का उत्पादन कालाहांडी से काफी कम है।

इस समय कालाहांडी में हम तीन फसलें उगाते हैं। यहां चावल की 135 मिलें हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा के दौरान वह वहां एक और एफ सी आई जिले का निर्माण करे जो कि अत्यंत आवश्यक है। अब यह एक अधिशेष जिला है तथा यहां दो लाख टन से अधिक चावल का उत्पादन होता है। एक दिन था जब यहां भुखमरी से मौतें होती थी। लोग रायपुर, भिलाई तथा अन्य स्थानों में जा रहे थे। आज यह धान के उत्पादन में एक अधिशेष जिला बन गया है। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि चूंकि यह उनके मंत्रालय में आता है, कालाहांडी के लिए एक एफ सी आई जिला खोला जाए तथा वहां एक संदाय कार्यालय भी खोला जाए।

मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूं। इसका विरोध करने का कोई सवाल नहीं उठता। देश में हमारे किसानों को बैंक में रसीद दिखाकर तुरंत पैसा मिल जाएगा। परंतु बैंकों विशेष रूप से ग्रामीण बैंकों तथा यदि जरूरी हो तो सहकारी बैंकों को प्रत्यायित करना होगा। सहकारी बैंकों को भी प्रत्यायन देना चाहिए ताकि वे भी भाण्डागार में जमा किए गए उत्पादों की रसीद पर किसानों को भुगतान कर सकें। जिससे किसान स्वयं को अगली फसल के लिए तैयार कर सकें। उसे धनराशि की कमी नहीं है तथापि, यह राशि उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है।

कालाहांडी के कपास उत्पादकों को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है। कालाहांडी में दो प्रौद्योगिकी मिशन चल रहे हैं। एक स्पिनिंग मिल है जो बंद पड़ी है। एक भाण्डागार है जहां एक ओटाई मिल है। अपने लम्बे स्टेपल धागे के कारण कालाहांडी की कपास मिस्र की कपास के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है।

कपास का उत्पादन करने वाले इन किसानों को उचित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा। पिछले साल कपास उत्पादन करने वाले तीन किसान लगभग मर ही गए थे। उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की परंतु उन्हें बचा लिया गया। वहां प्रदर्शन चल रहा है। कॉटन कार्पोरेशन तथा आंध्र प्रदेश के निजी उद्योगपति जिन्होंने कपास खरीदी, उन्होंने भुगतान नहीं किया और उनके सभी चैक बाउंस हो गए। अत: इस भाण्डागार विधेयक से निश्चित रूप से इस तरह की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्रीमती पी. सती देवी (बडागरा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक की मुख्य विषयवस्तु पर अपनी आपत्ति प्रकट करती हूं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इससे किसानों को मदद मिलेगी। परंतु इस बात की चर्चा की जानी चाहिए कि क्या इस विधेयक के कार्यान्वयन से विधान के उद्देश्य पूरे हो सकेंगे।

महोदया, मैं एक सरकारी अधिसूचना का उल्लेख करूंगी जिसके मुताबिक किसी निजी व्यवसायी द्वारा चलाए जा रहे भाण्डागार की निर्धारित स्टाक सीमा 50,000 टन है। यदि इस संबंध में उचित निगरानी नहीं रखी जाती तो यह संभव है कि उनके द्वारा अपने

भांडागारों का उपयोग जमाखोरी के लिए किया जा सकता है। इन भाण्डागारों को जमाखोरी का स्थान नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

मैं मंत्रालय के इस उद्देश्य का समर्थन तो करती हूं कि इससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने में लाभ मिलेगा। किन्तु हमें इस बात की शंका है कि आवांछित तत्व इसका लाभ उठाकर वायदा बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। अत: इस विधेयक में विशिष्ट प्रबंध किए जाने चाहिए ताकि इन भांडागार रसीदों के दुरूपयोग को रोका जा सके। अब माननीय मंत्री जी कहते हैं कि इन रसीदों को देने से बैंक से ऋण की सुविधा मिल सकेगी। परंतु आवश्यक कृषि वस्तुओं के मामले में इसका उपयोग वायदा बाजार और सट्टेबाजी का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है।

चूंकि प्रस्तावित विधान किसानों की मदद करने के उद्देश्य से लाया गया है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर रसीदों का वास्तविक मूल्य सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो। इस विधेयक में जमाखोरी रोकने का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुएं अधिनियम के प्रावधान लागू करें।

कृषि राज्य का विषय है। यदि इस संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया जाता है तो राज्य के अधिकार बुरी तरह प्रभावित होंगे। मैं इस कदम का स्वागत करती हूं कि इन भाण्डागार रसीदों की प्रगति पर किसानों को बैंक से ऋण मिल सकेगा। परंतु इन भाण्डागार रसीदों का उपयोग वायदा कारोबार तथा सट्टेबाजी के लिए नहीं होने दिया जाना चाहिए।

इस समय भाण्डागारों के लिए लाइसेंस जारी करने का राज्यों को पूर्ण अधिकार है तथा यह मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र में है। भाण्डागार एजेंसियों के प्रत्यायन का पूरा अधिकार केन्द्र सरकार को देकर यह विधेयक राज्य सरकारों के अधिकार को कम कर रहा है और साथ ही भाण्डागार क्षेत्र में निजीकरण का रास्ता खोल रहा है। स्थायी समिति ने पहले ही सुझाव दिया है कि इस सरकार द्वारा इस बाबत एफ मॉडल अधिनियम बनाया जाना चाहिए और उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकार के अधिकार को कम करने वाले इस विधेयक को पारित करने की सिफारिश करना परस्पर विरोधी होगा। भण्डागार एजेंसियों के प्रत्यायन का पूरा अधिकार केन्द्र सरकार को देने से राज्य सरकार के अधिकार वास्तव में कम हो जाएंगे।

अत: मेरा यह विशेष सुझाव है कि इन मुद्दों पर स्थायी समिति को राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और समिति ने सिफारिश की है कि इस संबंध में राज्य सरकार से परामर्श किया जाना चाहिए। एक विशेष राज्य में कुछ आवश्यक वस्तुएं लाने के राज्य सरकार के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। अत: राज्य सरकारों से नामनिर्दिष्ट सदस्यों वाली राज्य में केन्द्रित सलाहकार परिषदों की नियुक्ति दी जानी चाहिए जिसमें राज्य के आंतरिक कार्यकलापों के लिए इन परिषदों से सलाह लेना अनिवार्य होगा ताकि राज्य सरकार के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसा करके ही इस विधेयक को लागू किया जा सकता है।

मैं इस विधेयक को पारित करने में यह आपत्ति करती हूं।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंहपुर): महोदया, मुझे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। यह निसंदेह किसानों के सपनों और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अति महत्वपूर्ण विधेयक है। ऐसे में यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि क्या गरीब किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सकता है क्योंकि इस बात की पूरी आशंका है कि बिचौलिए किसानों का शोषण कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप इस विधेयक का मूलभूत लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

नई प्रौद्योगिकी लाई जानी चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों में भांडागार स्थापित करने के लिए प्रभावी उपाय करने होंगे। इसके अतिरिक्त, चूंकि मेरा राज्य उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है और इसके अधिकांश क्षेत्र जनजाति-बहुल क्षेत्र हैं अत: भारतीय खाद्य निगम को किसानों को औने-पौने दाम पर बिक्री से बचाने के लिए अधिकांश दूरवर्ती क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलनी चाहिए। जनजातीय क्षेत्रों में भंडारण सुविधा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऐसे भंडागार खोलकर जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे कार्यकलापों की संभावना की सावधानीपूर्वक जांच और समीक्षा की जानी चाहिए। अत:, इस कालाबाजारी को रोकने के प्रबंध करने के लिए कानून के तहत सख्त उपबंध करने होंगे।

इसके अतिरिक्त गेहूं और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य है। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए यह मूल्य अन्य फसलों के लिए भी दिया जाना चाहिए क्योंकि किसान हमारे आर्थिक विकास और ग्रामीण समृद्धि संपन्नता के वास्तविक आधार हैं। हमारी सभ्यता का आरंभ केवल किसानों के आधार पर हुआ था ऐसी परिस्थितियों में, मैं माननीय मंत्री जी से अपील करता हूं

[श्री ब्रह्मानन्द पंडा]

कि विधेयक में खामियों की पहचान की जानी चाहिए और कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए ताकि कानून की मूल भावना का तुरन्त पालन हो सके और गरीब किसानों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया जा सके।

मैं माननीय मंत्री जी से धारा 25 के संबंध में एक अपील करना चाहता हूं। जिन व्यक्तियों को सभापति और सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा उन्हें राजनीतिक संबंधों से मुक्त होना होगा। वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके पास योग्यता, प्रबंधकीय कौशल आदि हों। आगे मैं यह अपील करता हूं कि अपनी पूरी वित्तीय पृष्ठभूमि वाले निर्दलीय व्यक्तियों को प्रायोजित किया जाना चाहिए ताकि वे अलग तरीकों से किसानों के हित का ध्यान रख सकें। इस विधेयक के लक्ष्य को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसानों को सहायता पहुंचाई जाए और उन्हें वृद्धावस्था शोषण से मुक्त किया जाए और हर प्रकार से उनके हित की रक्षा की जाए।

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसमें संदेह नहीं कि थोड़े संशोधन के साथ यह विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक होने के कारण अपने सपनों को पूरा करने में गरीब किसानों के हितों की अवश्य ही पूर्ति करेगा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और इस विधेयक को स्वीकृति हेतु इस सभा में लाने के लिए माननीय मंत्री जी श्री शरद पवार को अवश्य धन्यवाद देना चाहता हूं।

जहां तक गरीब और सीमांत किसानों की स्थिति का संबंध है तो माननीय मंत्री जी और हम सब ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत से भली-भांति परिचित हैं। इन्हें लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के बाजार में कृषि वस्तुओं का मूल्य बहुत कम है। किसी एजेंसी द्वारा रिपोर्ट दी गई है—इसने देश के विभिन्न भागों में एक सर्वेक्षण कराया है—कि फार्म हाउस और बाजार में उपलब्ध कृषि वस्तुओं के मूल्यों में अंतर है। इस क्षेत्र में यह अंतर एक और बारह के अनुपात (1:12) का है, अर्थात, यदि कृषि वस्तु का मूल्य फार्म हाउस में है तो बाजार में इसका मूल्य बढ़कर 11 हो जाता है। इससे कौन लाभांवित हो रहा है। इससे लाभ प्राप्त करने वाले न तो किसान हैं और न ही अन्य व्यक्ति। उपभोक्ताओं को भी कृषि उपज के लिए बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है। इससे जाहिर होता है कि बिचौलिए, जमाखोर, मुनाफाखोर आदि कृषि वस्तुओं को फार्म हाउस से बाजार में लाकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भांडागारों का निर्माण इस संकट से निपटने का एकमात्र तरीका है। इस संबंध में यह विधेयक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि यह विधेयक भांडागार परक्राम्यता रसीदों को जारी करने वाले भांडागारों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का उपबंध करता है। उन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना पड़ेगा क्योंकि यह नितांत आवश्यक है। किसी को भी विनियामक प्रबंध के बिना भांडागार व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

यह बहुत अच्छी बात है कि शीघ्र नष्ट होने वाली और जोखिम वाली वस्तुओं का भंडारण करने वाले भांडागार स्वामियों के लिए कतिपय विशेष शक्तियां हैं। यह बहुत जटिल मुद्दा है क्योंकि सब्जियों सहित अधिकांश कृषि उत्पाद शीघ्र नष्ट होने वाले होते हैं। यदि भांडागारों में वैज्ञानिक प्रबंध न हों अथवा भांडागार स्वामियों को शीघ्र नष्ट होने वाली और जोखिम वाली वस्तुओं का भंडारण करने की शक्ति नहीं दी जाती है तो किसानों को बहुत कठिनाई होगी।

इस संबंध में इस विधेयक का स्वागत है। इस विधेयक में अनेक पहलू हैं परंतु मुझे मालूम नहीं है कि राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है या नहीं।

अपराह्न 3.50 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

यह कार्य भी राज्य सरकारों का कार्य है। इस संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार को कुछ करना होगा। मुझे मालूम नहीं कि यह कार्य किया गया है या नहीं माननीय मंत्री जी उत्तर देते समय हमें सूचित कर सकते हैं ताकि राज्य सरकारें इस विधेयक के साथ आगे बढ़ सकें।

अकेले यह विधेयक पर्याप्त नहीं है। मेरे विचार से कुछ नियम बनाए और अपनाए जाने चाहिए। क्या मंत्री जी इस संबंध में कुछ नियमों को अपनाने पर विचार कर रहे हैं? इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, मंत्री जी यह बिल एक अच्छे उद्देश्य से लाए हैं और उद्देश्य स्पष्ट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट फ्लो बढ़े और पूंजी निवेश बढ़े। मैं अपना संबोधन केवल वेयरहाउसिंग की क्षमता, कार्यप्रणाली और भण्डारण में जो अनियमितताएं हैं, उन तक सीमित करना चाहूंगा। यह बिल दिसम्बर,

2005 में इंट्रोड्यूज हुआ और दुर्भाग्य यह है कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ मंत्री को इसे पारित कराने में 17 महीने लगे। अगर ऐसे काबिल और वरिष्ठ मंत्री को यह महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में इतना समय लग सकता है तो इस शासन के बाकी बिल्स का क्या होगा, ईश्वर मालिक है।

महोदय, मैं मंत्री का ध्यान सबसे पहले सी डब्ल्यू सी और एफ सी आई के गोडाउन्स की इसंपेक्शन की प्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, अगर वे गलत हों तो आप बता दें। दिसम्बर, 2005 तक साल भर में 5,00 फूड स्टोरेज डिपोज के निरीक्षण का लक्ष्य रखा गया था और केवल 377 डिपोज का निरीक्षण किया गया। इसी तरह इंस्पेक्शन ऑफ प्रोक्योरमेंट सेन्टर्स-वार्षिक लक्ष्य 300 और एचीवमेंट रहा 297, इंस्पेक्शन ऑफ रेल हेड्स-वार्षिक लक्ष्य 140, एचीवमेंट रहा 115, इंस्पेक्शन ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स-वार्षिक लक्ष्य 120, एचीवमेंट रहा 87। सबसे ज्यादा चिन्ता की बात यह है कि आपने वर्ष दिसम्बर, 2005 केवल सात कम्प्लेन्ट्स की इंवेस्टीगेशन की और उनमें भी किसी को सजा नहीं हुई। अगर किसी को सजा नहीं हुई, अगर हुई हो तो आप बता दें क्योंकि इसमें दर्शाया नहीं गया है। जो लोग कलाबाजारी करते हैं, घपला करते हैं, उनके खिलाफ केवल सात इंवेस्टीगेशन्स हुई हैं और किसी को भी सजा नहीं हुई।

महोदय, आपने रेल-साइड वेयरहाउसिंग कांप्लेक्स की एक योजना बनाई। आपका उद्देश्य अच्छा था, लेकिन इसमें प्लानिंग कमीशन ने एक नोट लगाया था। प्लानिंग कमीशन ने आपकी इस योजना का विरोध किया था। प्लानिंग कमीशन ने स्पष्ट कहा कि

[अनुवाद]

योजना आयोग की आपत्तियों के बावजूद मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है जिससे यह महसूस हुआ है कि—मैं दिनांक 5 जनवरी, 2007 के 'दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस'' नई दिल्ली से उद्धरण दे रहा हूं—भांडागारों की स्थापना लोटेक कार्यकलाप है और इसे छोटे उद्यमियों द्वारा कराया जा सकता है।

[हिन्दी]

जब छोटे-छोटे उद्योगपति या व्यापारी इस कार्य को कर सकते हैं तो क्या कारण है कि आपने सी डब्ल्यू सी की ज्वाइंट वेंचर में एक कंपनी बनाई एक प्राइवेट पार्टी के साथ, शायद उसका नाम मेसर्स अदानी एक्सपोटर्स है।

जहां तक हमें मालूम है अडानी साहब का वेयरहाउसिंग में कोई योगदान नहीं है, वह कोई और काम करते हैं। फिर क्या आवश्यकता है कि ऐसे लोगों को इसमें शामिल करने की, जब छोटे-छोटे एंटरप्रिन्योर्स

[अनुवाद]

छोटे व्यवसायियों को इस कार्यकलाप में सहभागी बनाया गया है। यह कार्य संयुक्त उद्यम कंपनी को क्यों दिया गया है। इसकी क्या आवश्यकता थी।

[हिन्दी]

मैं एक पाइंट और बताना चाहूंगा। हमारे देश में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना पर काम चला रहा है। यह ठीक है कि आपका उससे सीधा सम्बन्ध नहीं है, लेकिन स्मूथ ट्रैफिक फ्लो के लिए जरूरी है कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से मिलकर बात करें। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश देश का भंडारण केन्द्र हो सकता है। इसकी योजना इस तरह बनाई गई थी। इससे वहां काफी रोजगार का सृजन हो सकता है। यह इस पिछड़े जिले का विकास कर सकता है।

[हिन्दी]

लेकिन वहां कुछ ध्यान नहीं दिया गया है। नेशनल हाईवे नम्बर-3 की हालत जर्जर हो चुकी है। उसे फोर लेन में बनाया जाए, तो वहां वेयरहाउसिंग की एक्टीविटीज हो सकती हैं और काफी लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है।

मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। एफसीआई की जितनी भंडारण क्षमता है, उसके अनुरूप भंडारण नहीं है। 30 जून, 2006 तक बिहार में 5 लाख 23 हजार मीट्रिक टन की क्षमता थी, लेकिन वहां केवल 2 लाख 54 हजार मीट्रिक टन ही भंडारण हुआ है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय आपके प्रदेश पश्चिम बंगाल में 10 लाख 8 हजार मीट्रिक टन भंडारण क्षमता है, लेकिन वहां 4 लाख 11 हजार मीट्रिक टन का ही भंडारण हुआ है। इससे मालूम होता है कि आप भंडारण क्षमता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। आप यह बिल लाए हैं, अच्छी बात है। आप एक योग्य मंत्री हैं। आपका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन कार्य प्रणाली में जो गड़बड़ी है, उसे दूर नहीं करेंगे और कार्य प्रणाली को सुदृढ़ नहीं करेंगे, तो इस बिल का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.57 बजे

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: महासचिव शपथ/प्रतिज्ञान लेने के लिए माननीय सदस्य का नाम पुकारेंगे।

श्री अनिल शुक्ल वारसी (बिल्हौर)

अपराह्न 3.58 बजे

भाण्डागार (विकास और विनियमन) विधेयक, 2005-*जारी*

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): मैं इस सभा के समक्ष लायी गई चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों का अभारी हूं। सदस्यों द्वारा कतिपय आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं स्थिति को स्पष्ट करूं।

अपराह्न 3.59 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

पहले मैं स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करता हूं। इस कानून के पीछे की सोच ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिसमें किसान इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे जिससे कि उन्हें औने-पौने दाम पर बिक्री करनी पड़े। जब अत्यधिक उत्पादन होता है और उत्पाद बाजार में आता है तो हम देखते हैं कि मूल्य घट जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अपनी उपज को ऐसे मूल्य पर बेचना पड़ता है जिस पर वह कुछ भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। लगभग छह महीने पूर्व, संसद सत्र के दौरान प्याज के मूल्य पर सभा में काफी चर्चा हुई थी।

अपराह्न 4.00 बजे

परंतु आज यदि कोई उस क्षेत्र में जाए जहां प्याज का उत्पादन होता है तो वह महसूस करेगा कि प्याज का मूल्य इतना कम हो गया है कि क़िसानों को यह नहीं मालूम है कि वे अपनी उपज का क्या करें। कुछ स्थानों पर तो उन्होंने अपनी उपज को सड़कों पर फेंक दिया। अत:, हम कब तक ऐसा करते रहेंगे?

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए कार्यसूची के अनुसार हमें अपराह्न 4.00 बजे मूल्य वृद्धि पर चर्चा शुरू करनी है। परंतु यदि सभा चाहे तो मंत्री महोदय को उत्तर देने की अनुमति दी जा सकती है और विधेयक पारित कराया जा सकता है।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूं? इस उत्तर के बाद, मद संख्या 24 को अपराह्न 4.30 बजे ले लिया जाए जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग संबंधी चर्चा के उत्तर को आज ही पूरा किया जा सके। दो माननीय मंत्री श्री राजा और श्री कपिल सिब्बल इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): किन्तु ग्लोबल वार्मिंग पर बोलने के लिए कई वक्ता अभी बाकी हैं...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: किन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभा में पहले ही यह घोषणा की है कि चर्चा समाप्त हो गई है और केवल मात्र उत्तर दिया जाना शेष है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइये।

...*(व्यवधान)*

श्री विजय हान्डिक: महोदय, पहले विधेयक को पारित होने दीजिए।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, महंगाई संबंधी चर्चा का क्या हुआ?

सभापति महोदय: इस विधेयक पर मंत्री जी के उत्तर के बाद और ग्लोबल वार्मिंग संबंधी चर्चा का उत्तर देने के बाद, हम महंगाई पर चर्चा करेंगे।

श्री शरद पवार: देश के सामने प्रमुख मुद्दा यह है कि एक ओर किसान आपदाओं की वजह से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं और दूसरी ओर अन्य कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए किसानों को साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। अन्तत:, यदि वह पैसा वापस नहीं कर पाता है तो साहूकारों के दबाव के वजह से हमने कुछ घटनाएं देखी हैं जिनमें किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं। किन्तु कई ऐसे मामले भी हैं जहां किसान को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने की वजह से गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम कब तक किसान द्वारा अपनी फसल को

औने-पौने दामों में बेचने की मजबूरी को स्वीकार करते रहेंगे? यही कारण है कि इस कानून विशेष को लाया जा रहा है। वास्तव में, इसमें क्या उपबंध किये जा रहे हैं? किसान अपनी फसल उगायेगा और इसे उसको प्रत्याधित भाण्डागार में लेकर जायेगा। उसके पास यह अधिकार होगा कि वह अपनी फसल को भाण्डागार में रख सके। उसे इसकी एक पावती मिलेगी और इस पावती को किसी भी बैंक के चेक की तरह उपयोग किया जा सकेगा जिससे कि वह धन प्राप्त कर सकेगा और जब भी इसका निपटान करना चाहे तो उसके पास इसका निपटान करने का अधिकार होगा। इसमें कोई जमाखोरी नहीं है। जब कीमतें एकदम गिर जायेंगी तो उसे अपनी उपज की लागत भी नहीं मिल पायेगी। इस प्रकार, किसान के लिए कुछ सुरक्षोपाय होने चाहिए जिससे उसे उचित कीमत मिल सके। यही चीज इस विशेष प्रकार के कानून द्वारा प्रदान की जानी है। इसीलिए, मैं यह कहता हूं कि किसान हितैषी कानून है।

यहां कुछ ऐसे भी मुद्दे भी उठाये गये हैं कि वहां किस तरह के भाण्डागार होंगे। जिस क्षण यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो कर प्रभावी हो जायेगा, तो मुझे विश्वास है कि देश में भाण्डागार आन्दोलन आरम्भ हो जायेगा। इस देश में कृषि समुदाय की बहुलता है। इसलिए, यहां अनेक भाण्डागारों की आवश्यकता है। आज देश में भाण्डागारों की संख्या सीमित है जो राज्यीय भाण्डागारण निगम अथवा केन्द्रीय भाण्डागारण निगम अथवा कुछेक निजी क्षेत्र के भाण्डागारों के स्वामियों के पास हैं। किन्तु इस विधेयक की वजह से मुझे विश्वास है कि निजी क्षेत्र के संगठनों सहित कई अन्य संगठन आगे आयेंगे और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त भाण्डागारों का निर्माण करेंगे। यह भी पूर्ण सम्भावना है कि कुछ शीतागारों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत भाण्डागारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां किसानों की उपज को सुरक्षित रखा जा सकेगा और इसे खराब होने से भी बचाया जा सकेगा। इसलिए, इस बारे में किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए।

बैंकों के प्रत्यायन के बारे में कतिपय मुद्दे उठाये गये। जिन भाण्डागारों द्वारा पावती दी जायेगी उन्हें बैंकों द्वारा प्रत्यायित होना होगा और बैंकों को पावतियों को स्वीकार करके पैसा देना होगा। इस विधेयक में केवल यही उपबंध किया गया है।

मेरी समझ में नहीं आता कि गेहूं का मुद्दा यहां कैसे उठाया गया किन्तु मैं इस स्थिति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन 73.6 मिलियन टन तक हो गया है। गत वर्ष गेहूं का उत्पादन केवल 69 मिलियन टन हुआ था और यदि हम गत पांच वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन करें तो हम पायेंगे कि ये आंकड़े एक वर्ष को छोड़कर जिसमें यह 72 मिलियन टन तक गया, लगभग 68 से 69 मिलियन टन तक ही रहे। इस वर्ष गेहूं का उत्पादन लगभग 74 मिलियन टन तक हो गया। समस्या यह नहीं है। देश भर में लोगों की खान-पान की आदतें बदल रही हैं। तीन वर्षों पहले तक कुछ राज्यों विशेषकर दक्षिणी राज्यों ने कभी भी गेहूं की मांग नहीं की थी परन्तु अब गेहूं की मांग न केवल दक्षिणी राज्यों से अपितु पूर्वोत्तर राज्यों से भी हो रही है और इससे गेहूं की मांग बढ़ती जा रही है जिससे गेहूं की मांग और आपूर्ति में अन्तर आ रहा है। हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कर सकते हैं और इसीलिए, अब मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता।

एक अन्य मुद्दा यह भी उठाया गया—क्या सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है अथवा नहीं। मैं यहां एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह कानून राज्य भाण्डागारण अधिनियम के कार्य में हस्तक्षेप में नहीं करेगा। वे राज्य के अधिनियम के अंतर्गत पहले की तरह ही कार्य करते रहेंगे और उन्हें भाण्डागारण विधेयक के अंतर्गत पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रयोजनार्थ एक उपबंध इस विधेयक के खंड 3 के परन्तुक के रूप में जोड़ा गया है। इसलिए, यहां न तो कोई हस्तक्षेप है और न ही राज्य सरकारों की शक्तियों में कोई कमी की जा रही है।

एक प्रश्न आवश्यक वस्तु अधिनियम के बारे में उठाया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम एक केन्द्रीय विधान है और इसमें शक्तियां राज्यों को प्रत्यायोजित हैं। यहां 50,000 मिलियन टन की सीमा के बारे में मुद्दा उठाया गया था। कोई भी भाण्डागार 50,000 मिलियन टन तक या 50,000 मिलियन टन से अधिक गेहूं रख सकता है। किन्तु उन्हें अब केवल यही करना होगा कि उन्हें इनकी मात्रा, खरीद की कीमतों आदि से संबंधित सूचना को राज्य सरकारों को भेजना होगा। यह केवल घोषणा मात्र है। इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। मुझे आशा है कि इस स्पष्टीकरण से इस मामले पर माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान हो गया होगा।

महोदय, अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस विधान को समर्थन दिया है। एक प्रश्न यह भी उठा था क्या इससे वस्तुओं की जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं का शोषण होगा अथवा नहीं। मामला यह नहीं है। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है। इसमें एक उपबंध है और कृषि समुदाय को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा और कम से कम वे इस स्थिति में होंगे कि उन्हें अपनी उपज की कीमत तो मिल ही जायेगी। इस विधेयक को प्रस्तुत करने की इच्छा और कारण यही है।

[श्री शरद पवार]

एक माननीय सदस्य ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने में विलम्ब के बारे में प्रश्न पूछा था। इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का निर्णय भूतपूर्व सरकार ने वर्ष 2001 में लिया था। अन्त में, जब यह सरकार सत्ता में आई तो यह विधेयक संसद में पुर:स्थापित किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विधेयक को स्थायी समिति को निर्दिष्ट कर दिया। स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट देने में एक वर्ष का समय लिया। स्थायी समिति की रिपोर्ट की प्राप्ति के तत्काल बाद हमने संसद में इस विधेयक को लाने की तैयारी आरम्भ की।

महोदय, मैं सभा का और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह किसान हितैषी विधेयक है और इससे किसान भी अनुशासित होंगे। उन्हें यह बताया जायेगा कि बाजार की स्थितियों का लाभ कैसे उठायेंगे और उन्हें बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाया जायेगा।

इस भूमिका के साथ, मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक वास्तव में किसानों के लिए सहायक है और मुझे आशा है कि माननीय सभा मेरे सभी सुझावों और संशोधनों को स्वीकार करेगी। स्थायी समिति द्वारा जो भी संशोधन किये गये हैं उन्हें व्यावहारिक रूप से यहां स्वीकार कर लिया गया है और मुझे जब भी अवसर मिलेगा तो उनका प्रस्ताव करूंगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"भाण्डागारों के विकास और विनियमन, भांडागार रसीदों की परक्राम्यता, भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और उससे संबंधित या उसके अनुषंगी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2

परिभाषा

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 3, पंक्ति 19, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" शब्दों के पश्चात् "(जिसके अंतर्गत जमाकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हों, भी है)" अंत:स्थापित करें। (3)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने के लिए भाण्डागारों के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा

संशोधन किया गया:

"पृष्ठ 3, पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें—

"परंतु यह और कि कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऐसे भाण्डागारों के लिए अपेक्षित नहीं होगा जो परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं"।" (4)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 7

भाण्डागारपालों के कर्त्तव्य

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 5, पंक्ति 8, "या अपरक्राम्य" शब्दों का लोप करें।" (5)

पृष्ठ 5, पंक्ति 14, "परिदान" के स्थान पर "रसीद" रखें। (6)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, यथा संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

विनश्वर और परिसंकटमय में माल के संबंध में कार्रवाई करने की भाण्डागारपाल की विशेष शक्तियां

किये गये संशोधन:

पृष्ठ 6, पंक्ति 1, "डाक द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या टैलिग्राफिक रूप से" शब्द अंत:स्थापित करें। (7)

पृष्ठ 6, पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें–

"(9) किसी पृष्ठांकिती को, भाण्डागारपाल के पास अभिलिखित सेवा के लिए पते को संसूचित करने का अधिकार होगा।" (8)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10

माल पर भाण्डागारपाल का धारणाधिकार

किये गये संशोधन:

पृष्ठ 7, पंक्ति 4 से 17 तक का लोप करें। (9)

पृष्ठ 7, पंक्ति 38, "किया जाना है" शब्दों के पश्चात् अंत:स्थापित करें:

"और साथ ही जहां माल का स्वामी अवस्थित है।" (10)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11

भाण्डागार रसीदें

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 8, पंक्ति 32 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें–

"(त) यह तथ्य कि भाण्डागारपाल उसके भंडारण के लिए जमा किये गये माल पर धारणाधिकार रखता है और संभलाई प्रभार;

(थ) कि रसीद केवल माल की घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख तक विधिमान्य होगी जिसके लिए वह जारी की जाती है।"। (11)

पृष्ठ 8, पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें–

"(4) प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभी या किसी वाणिज्या या वाणिज्यों के वर्ग के लिए अथवा भाण्डागारों के किसी वर्ग के लिए उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों को जोड़ सकेगा, लोप कर सकेगा या उनको उपांतरित कर सकेगा।" (12)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 19

कतिपय दशाओं में माल
के परिदान का रोका जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 10, पंक्ति 17 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित रखें–

''माल का, देय प्रभारों का संदाय करने के पश्चात् परिदान किया जाना।

19. जब किसी माल के संबंध में कोई परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी कर दी जाती है, तब, भाण्डागारपाल जमाकर्त्ता या पृष्ठांकिती को माल का तब तक परिदान नहीं करेगा जब तक अभिरक्षक को आरंभिक जमा करने की तारीख से परिदान किये जाने के लिए देय प्रभारों का संदाय नहीं कर दिया जाता है और परक्राम्य भाण्डागार रसीद रद्दकरण के लिए अभ्यर्पित नहीं कर दी जाती है।'' (13)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 19, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 20 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 25

प्राधिकरण का गठन

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 12, पंक्ति 2, ''क्वालिटी नियंत्रण'' के पश्चात् ''कृषि'' अंतःस्थापित करें। (14)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 25, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 34 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 35

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 31 और 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें:

''(ढ) किसी रजिस्ट्रीकृत भाण्डागार में किसी वाणिज्यों के भाण्डागार के लिए आरक्षित रखे जाने हेतु स्थान कि न्यूनतम प्रतिशतता अवधारित करना;

(ण) भाण्डागारपाल के कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों को विहित करना,

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किये जाएं।'' (15)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 43

अपराध और शास्तियां

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 17, पंक्ति 32, ''भाण्डागार रसीद'' के स्थान पर ''परक्राम्य भाण्डागार रसीद'' रखें।'' (16)

पृष्ठ 18, पंक्ति 2, ''भाण्डागार रसीद'' के स्थान पर ''परक्राम्य भाण्डागार रसीद'' रखें। (17)

पृष्ठ 18, पंक्ति 8, ''भाण्डागार रसीद'' के स्थान पर ''परक्राम्य भाण्डागार रसीद'' रखें। (18)

पृष्ठ 18, पंक्ति 9, ''भाण्डागार रसीद'' के स्थान पर परक्राम्य भाण्डागार रसीद'' रखें। (19)

पृष्ठ 18, पंक्ति 21 से 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखें-

''(5) कोई जमाकर्ता जो किसी भाण्डागार व्यक्ति के पास भंडारण के लिए उसके द्वारा परिदत्त माल का मूल्य ऐसी राशि के रूप में घोषित करता है, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह उचित मूल्य है तो वह अपराध करता है और वह ऐसे किसी अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। (20)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 43, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 43, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 44 तथा 45 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 46

प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 19, पंक्ति 12, ''प्राधिकरण'' के पश्चात् ''और अपील प्राधिकरण'' अंत:स्थापित करें।'' (21)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 46, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 47 से 54 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 55

1899 के अधिनियम 2 का संशोधन

संशोधन किये गये:

पृष्ठ 22, पंक्ति 4, ''8क'' के स्थान पर ''8ख'' रखें।'' (22)

पृष्ठ 22, पंक्ति 6, ''8ख'' के स्थान पर ''8ग'' रखें। (23)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 55, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 6, ''2005'' के स्थान पर ''2007'' रखें। (2)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, ''छप्पनवां'' के स्थान पर, ''अठावनवां'' रखें। (1)

(श्री शरद पवार)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री शरद पवार: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.24 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मूल्यवृद्धि के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करेंगे। श्री प्रबोध पाण्डा।

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं मूल्यवृद्धि के इस मुद्दे को इस सम्माननीय सभा में चर्चा हेतु उठाने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हम आम तौर पर लोक सभा के प्रत्येक सत्र में इस विशिष्ट मुद्दे पर चर्चा करते हैं। यू.पी.ए. सरकार से यह अपेक्षा थी कि वह मुद्रास्फीति की दर, जो कि आजकल 6 प्रतिशत से अधिक पर कायम है, को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। वस्तुत:, यह सरकार का परमाधिकार है और विशेष रूप से माननीय वित्त मंत्री का परमाधिकार है कि वे उन आंकड़ों पर विश्वास करें जो कि लोगों को इसके प्रति आश्वस्त कर सके कि कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। इसमें एक समस्या है, चूंकि एक ओर तो सरकार के दृष्टिकोण, विश्वास और दूसरी ओर निचले स्तर पर लोगों, उपभोक्ताओं के कटु अनुभव के बीच भारी अंतर है।

कोई भी व्यक्ति जो कि संयोगवश बाजार जाए, वह इस बात की कसम खा सकता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में गिरावट का रुझान नजर नहीं आ रहा है। बल्कि, सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। बढ़ी हुई कीमतों को वापिस लेने की घोषणा सरकार के लिए अति प्रसन्नता का विषय है लेकिन लोगों का मत इसके विपरीत है।

मैं एन.डी.ए. सरकार के शासन का मात्र उल्लेख करूंगा। जब उस सरकार ने "खुशनुमा एहसास और भारत उदय" के विशेष नारे की बड़ी शेखी के साथ उद्घोषणा की थी, तो लोगों का दृष्टिकोण ठीक इसके विपरीत था। यह अपेक्षा की गई थी कि यूपीए सरकार अलग रास्ता अपनाएगी; वह महंगाई को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी ताकि यह आम लोगों के लिए वहनीय हो सके।

सरकार, विशेष रूप से, माननीय वित्त मंत्री ने इस सम्माननीय सभा में अपने जवाब में कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया। मैं इन आंकड़ों का जिक्र करने जा रहा हूं।

जहां तक थोक मूल्य सूचकांक का संबंध है, पहले ही आंकड़ों में पाया गया है कि अप्रैल 2005 से जनवरी 2006 तक सूचकांक 4.53 था। 24 मार्च 2007 को यह 6.39 प्रतिशत था। यदि हम 10 मार्च और 17 मार्च की तुलना करें तो यह मार्च 2007 से थोड़ा कम था। आवश्यक वस्तुओं के बारे में क्या विचार है? खाद्यान्नों के बारे में क्या विचार है? दाल-रोटी के बारे में क्या विचार है? अन्य आवश्यक वस्तुओं के बारे में क्या विचार है? सरकार के दावे को जनता ने स्वीकार नहीं किया है और यह पहले ही दिल्ली नगर निगम के चुनावों में प्रतिबिंबित हो चुका है। मैं पंजाब और उत्तरांचल के चुनावों का भी उल्लेख कर सकता हूं। जहां तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने का संबंध है, वित्त मंत्रालय द्वारा बेमन से किये गये उपायों का कोई असर नहीं पड़ा है। मूल्य वृद्धि पर गुस्साए गरीब वर्गों और निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्तियों ने अब हड़ताल करनी शुरू कर दी है। अब वे केवल पंजाब, उत्तरांचल, दिल्ली नगर निगम में नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी हड़ताल करने के प्रयास कर रहे हैं। यहां चुप बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब और उत्तरांचल तथा उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम सं.प्र.ग. सरकार के लिए चेतावनी है।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। वित्त मंत्री जी थोक मूल्य सूचकांक के बारे में जिक्र करते रहते हैं परंतु उन्होंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है। औद्योगिक कर्मकारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक की अपेक्षा बहुत तेज दर से बढ़ रहा है। इस संबंध में मैं सिर्फ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि हम जनवरी 2007 के बारे में बात करें तो थोक मूल्य सूचकांक 6.3 प्रतिशत था परंतु सीपीआई-आईडब्ल्यू 6.7 प्रतिशत था फरवरी 2007 का थोक मूल्य सूचकांक 6.4 प्रतिशत था परन्तु सीपीआई-आईडब्लू 7.6 प्रतिशत था। बाजार जाकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने वाले आम आदमी थोक मूल्य सूचकांक की दर पर आधारित वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं। खुदरा मूल्य पर अब तक भी विचार नहीं किया गया है। वस्तु मूल्य सूचकांक पर भी विचार नहीं किया गया है।

ऐसी सूचना मिली है कि प्रधान मंत्री जी ने राज्यों को जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोककर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्यकुशलता में सुधार करके आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी लाने में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए पत्र लिखा है।

पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मुझे मालूम नहीं है कि कितने राज्यों में जमाखोरी पर रोक लगाई गई है। इस सब की निगरानी करने और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों पर छापे मारने के लिए राज्यों को निर्देश दिये गये हैं। परन्तु जमाखोरी पर अब तक रोक नहीं लगाई गई है। जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कोई जोर नहीं दिया गया है और यह जमाखोरी चल रही है। मुनाफाखोरी और जमाखोरी का रूझान जारी है। कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति और बिचौलिए बाजार में कृत्रिम संकट उत्पन्न कर रहे हैं।

इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या सख्त कदम उठाए गए हैं। अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री हमें इस बात से अवगत कराएंगे कि जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है।

महोदय अब सरकार यह घोषणा कर रही है कि मुद्रास्फीति मांग और पूर्ति के अंतर की अभिव्यक्ति है, अत: मांग और पूर्ति दोनों ही तरफ समन्वित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में मांग और पूर्ति के इसी मुद्दे पर जोर दिया था। एक तरफ तो हमें मांग को कम करने की आवश्यकता है और दूसरी तरफ हमें मौद्रिक उपायों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के द्वारा अपनी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। अत: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और इसकी निगरानी करने के संबंध में रिपोर्ट है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई सिफारिशें की हैं। हमने भी इस संबंध में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये लिखित उत्तरों को देखा है जिनमें सिफारिशों और सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में बताया गया है। परंतु अब तक कोई परिणाम दिखायी नहीं देता है।

महोदय, मैं ऋण नीति को सख्त बनाने के बारे में उल्लेख करने जा रहा हूं। यह सही है कि मुद्रा आपूर्ति की दर पिछले वर्ष की लगभग 15 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर इस वर्ष 21 प्रतिशत हो गई है। परन्तु इसका कारण सिर्फ इतना है कि विदेशी निवेशक भारतीय परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए बड़ी धनराशि लाए हैं। यह भी सही है कि हमारे ऋण में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। परंतु आपूर्ति के बारे में क्या विचार है? यदि वस्तुओं और सेवाओं में वृद्धि न हो तो आप इस अंतर को कैसे पायेंगे? अंतर बना रहेगा जोकि और बढ़ जाएगा। इसलिए, मुख्य समस्या मांग की नहीं है। सरकार आपूर्ति बढ़ाने में असफल रही है। इसलिए, वे कुछ वित्तीय उपाय करके मांग को नियंत्रित करने जा रहे हैं।

वे ऋण प्रणाली, ऋण नीतियों और ऋण नियमों को सख्त बनाने जा रहे हैं। यह समुचित विधि नहीं है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि आपूर्ति पक्ष और इस बात पर जोर दिया जाए कि बाजार में और वस्तुओं की पूर्ति कैसे की जाए। विदेश से माल आयात करके ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शरद पवार यहां उपस्थित हैं। वह विदेश से गेहूं आयात कर रहे हैं। अपने देश तथा अपने देश के किसानों से गेहूं खरीदने के बजाय वह विदेशी निवेशकों, विदेशी कंपनियों को अधिक मूल्यों का भुगतान कर रहे हैं। जिससे हमारे किसानों को लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहे हैं। अत: सरकार को अधिक उत्पादन हेतु अधिकाधिक निवेश पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। ताकि बाजार में अधिक माल आएगा और पूर्ति की स्थिति में सुधार हो। उनका विचार अब तक पूरी तरह से अपर्याप्त है। चूंकि इस पक्ष पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है इसलिए वे मांग पक्ष पर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मांग पक्ष को सख्त कैसे बनाया जाए।

मैं अन्य मुद्दों पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। परंतु सबसे अधिक चिंताजनक मुद्दा प्रधान मंत्री जी द्वारा की गई उन टिप्पणियों के बारे में है जो मैंने समाचार पत्रों में तथा वित्त मंत्रालय की टिप्पणियों में भी देखा था। यह मुद्दा पहले ही कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है। मैं केवल वित्त मंत्रालय के नोट का उल्लेख कर रहा हूं, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान परिचालित किया गया था और जिसमें कहा गया है: ''उन लोगों के लिए बुरी खबर है जो यह बड़े-बड़े दावे करते थे कि देश को दहाई के अंक वाली विकास दर के अनिवार्य पथ पर लाया जाएगा और जिससे भारत उदय होगा।'' यह आगामी दिनों की निराशाजनक तस्वीर है। यह समाचार पत्र में पहले ही प्रकाशित हो चुका है। अत: तस्वीर काफी निराशाजनक है और जनता कष्ट उठा रही है।

इस सभा में आप जो कुछ कह रहे हैं उसके बावजूद लगभग प्रत्येक आवश्यक वस्तु के मूल्य बढ़ते ही जा रहे हैं। मंत्री जी

[श्री प्रबोध पाण्डा]

सभा में कुछ अच्छी बात कह रहे हैं। वे यह दावा कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर घट रही है किन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। जो लोग बाजार में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए जाते हैं उन्हें गेहूं के मामले में, आटे के मामले में, मसालों के मामले में, दालों और चावल के मामले में भी कटु अनुभव है। गरीब लोग ज्यादा कुछ नहीं चाहते। वे कम से कम पर्याप्त गेहूं, पर्याप्त चावल, पर्याप्त दालें और कुछ मसाले चाहते हैं। इन सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। आप इसका क्या कारण बतायेंगे?

चिंता की बात यह है कि मैं न केवल राज्यों में हुए उन चुनावों का जिक्र कर रहा हूं जिनका हमने देखा है, बल्कि मैं सम्पूर्ण देश का जिक्र कर रहा हूं। यदि यूपीए सरकार किसी खतरे का सामना कर रही है तो इसका मुख्य बिन्दु मुद्रास्फीति ही होगा।

अपराह्न 4.45 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

मुद्रास्फीति तो पहले ही विद्यमान है। सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। मेरे विचार में यह चर्चा फलदायी रहेगी और माननीय मंत्री जी हमें संतुष्ट कर देंगे कि वह भी वास्तविकता के आधार पर न कि सैद्धांतिक आधार पर कि इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए और सरकार ने अब तक क्या ठोस उपाय किये हैं जिससे कि जनता को यह महसूस हो कि आम आदमी मध्य वर्ग, कष्टकारों और कामकाजी वर्ग के लिए मुद्रास्फीति की दर घट रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं यह चर्चा आरम्भ करता हूं और मुझे आशा है कि इस सभा के माननीय सदस्य, मेरे साथी मुझे सहयोग देंगे और माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे जिससे कि हम संतुष्ट हो सके और आगे बढ़ सकें।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदय, मैं सरकार के साथ-साथ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान देश में बढ़ती महंगाई और मुद्रास्फीति की ओर तथा इस संबंध में अपना और अपनी पार्टी का विरोध जताने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह चौदहवीं लोक सभा का दसवां सत्र है। इन सभी 10 सत्रों में, वाद-विवाद का यदि कोई साझा विषय रहा है तो वह है मुद्रास्फीति और महंगाई। मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान पिछले कुछ वर्षों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक मुझे याद है और मुझे आशा है कि आपको और माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि 1998 और 2004 के बीच हमने शायद ही कभी महंगाई और मुद्रास्फीति पर चर्चा की हो।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): यह वह समय था जब मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा थी ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं उस पर आ रहा हूं। इसका यह अर्थ है कि आपको इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं अपने वरिष्ठ नेता और अनुभवी संसद सदस्य जार्ज साहब से पूछ रहा था कि क्या कारण है कि जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है और इस बार इस यूपीए के रूप में, कीमतें बढ़ने लगती हैं और मुद्रास्फीति अत्यधिक हो जाती है तथा माननीय वित्त मंत्री जी लेम डक बजट ले आते हैं और देश भर के समाचार पत्र एवं पत्रकार उनकी निंदा करने लगते हैं। वे कहते हैं कि वह यह कह रहे हैं, "महोदय, मैं बैठने के लिए खड़ा हुआ हूं।" वे यह भी कहते हैं कि वे यूपीए की रस्साकशी में उलझे हुए हैं जहां उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वे केवल तभी बोल सकते हैं जब सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था अव्यवस्थित हो।

दुर्भाग्यवश, यूपीए सरकार में तीन अर्थशास्त्री है। एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर डा. मनमोहन सिंह विराजमान है। दूसरे मेरे प्रिय मित्र हैं जिनकी 'भूतपूर्व' अच्छे वित्त मंत्री की छवि है-श्री पी. चिदम्बरम तथा योजना आयोग में एक और मित्र है जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष-डा. मोंटेक सिंह अहलूवालिया है।

पिछले तीन वर्षों का यदि कोई निष्पक्ष रूप से सरकार के निष्पादन का वस्तुनिष्ठ ढंग से आर्थिक विश्लेषण करें तो वह यही कहेगा कि देश की अर्थव्यवस्था ऊहापोह की स्थिति में है।

श्री पी. चिदम्बरम: सभापति महोदय, केवल एक मिनट।

श्री अनंत कुमार, महंगाई की बात तो छोड़िए कृपया मुझे एक भी प्रतिष्ठित विश्लेषक दिखाइये जो यह कहता हो। माननीय सदस्य ने कुछ बहुत ही वैध बिन्दु उठाए हैं और उनका उत्तर देना हमारा कर्त्तव्य है और हम उत्तर देंगे-कृपया मुझे विश्व का कोई भी प्रतिष्ठित विश्लेषक दिखाइये-कृपया रिपोर्ट लाइये और पढ़िये-जो यह कहती हो भारत की अर्थव्यवस्था ऊहापोह में है। श्री अनंत कुमार, केवल मात्र तथ्यों के उद्देश्य से आपकी सरकार के छह वर्षों में से तीन में मुद्रास्फीति की औसत दर 5.4 प्रतिशत से ज्यादा थी।

वर्ष 2000-01 में, 52 सप्ताहों में से 48 सप्ताहों में डब्ल्यूपीआई 6 प्रतिशत से अधिक था, इनमें से 22 सप्ताहों में यह 7 प्रतिशत से अधिक था, उसमें से भी 12 सप्ताहों में यह 8 प्रतिशत से अधिक था। मैं इन सभी आंकड़ों की ओर आऊंगा किन्तु मैं एकतरफा वक्तव्य नहीं देना चाहता। महंगाई हम सभी के लिए

चिंता का विषय है। उन्होंने वैध मुद्दे उठाये हैं। आप भी वैध मुद्दे उठाइये। मैं आपको जानता हूं। आप मेरे मित्र हैं। आप वैद्य मुद्दे उठाइये और मैं उनका उत्तर दूंगा किन्तु अर्थव्यवस्था ऊहापोह में है जैसा एकतरफा वक्तव्य मत दीजिए।

इस देश की अर्थव्यवस्था में तीन वर्षों में 8.6 प्रतिशत की औसतन वृद्धि दर्ज की गई है। आपकी सरकार के छह वर्षों में से, पहले पांच वर्षों में इसकी औसत 5.32 प्रतिशत थी। श्री जसवंत सिंह का भाग्य ही समझिए कि यह 5.8 प्रतिशत हो गई।

श्री अनंत कुमार: जब हमारे वित्त मंत्री दिन रात वृद्धि दर का ढोल बजाते हैं तो वह भूल जाते हैं कि वृद्धि दर के लिए मुद्रास्फीति और महंगाई ईंधन का कार्य करती हैं। इसीलिए, वृद्धि दर 9 प्रतिशत है, यद्दि मुद्रास्फीति और महंगाई इतनी न होती तो 9 प्रतिशत से अधिक या 8.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर नहीं मिल पाती।

मैं उनके वक्तव्य पर वापस आ रहा हूं कि मुझे तथ्यों के साथ अपनी बात पेश करनी चाहिए। मैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न विवरणों को पढ़ रहा हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: 'ऑर्गेनाइजर' पत्रिका नहीं।

श्री अनंत कुमार: 'आर्गेनाइजर' पत्रिका नहीं। मैं नहीं समझता कि डा. स्वामीनाथन 'ऑर्गेनाइजर' से है। मैं नहीं समझता इस देश के अन्य बहुत से अर्थशास्त्री एक विचारधारा से हैं।

सर्वप्रथम उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वे कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में असफल रहे है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरी बात सुनिए...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं तैयार नहीं हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आपने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी। मैंने कहा था कि छह में से तीन वर्षों में औसत मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत से अधिक थी। वर्ष 2006-2007 में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, मैं स्वीकार करता हूं कि औसत मुद्रास्फीति 5.4 प्रतिशत से अधिक रही है। आपके छह वर्षों में से तीन के दौरान यह 5.4 प्रतिशत थी।

श्री अनंत कुमार: मैं मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर आऊंगा। मैं केवल यह पढ़ रहा था कि मई 2004 में, सभी वस्तुओं के लिए यह 182.1 था और अब यह 210.9 है। मई, 2004 में, प्राथमिक उत्पादों के लिए, यह 187.2 था और अब यह 218.8 है। खाद्य वस्तुओं के लिए यह 185.5 था और अब यह 218.3 है। 2004 में, सब्जियों के लिए यह 173 था और अब 2007 में अप्रैल के अंत में यह 211.1 है।

जब से संप्रग सत्ता में आई है, डब्ल्यू पी आई 29 प्वाइंट चढ़ा है। और प्रत्येक माह आपने मुद्रास्फीति में प्वाइंट और कीमतों में वृद्धि में एक प्वाइंट जोड़ा है जिसके लिए आपकी सरकार और प्रशासन को धन्यवाद मेरे विचार से यदि आप इससे प्रसन्न होते हैं तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है।

मेरा केवल इतना कहना है कि आप 'आम आदमी' के साथ होने के नारे के साथ आए थे। कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ' आज कोई भी यह कह सकता है कि यदि आम आदमी के साथ किसी ने विश्वासघात किया है तो वह संप्रग और कांग्रेस पार्टी है क्योंकि वे भी यह भली भांति जानते हैं कि डब्ल्यू पी आई एक चीज है और सी पी आई दूसरी। जब मैं सी पी आई कहता हूं तो यह कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है क्योंकि आप केवल उसी का सपना देखते हैं, यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आप सभी यह जानते हैं कि अर्थशास्त्र में यदि डब्ल्यू पी आई 'क' राशि है, तो सीपीआई है डब्ल्यू पी आई जमा 100-150 प्वाइंट। आज मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत के आसपास चल रही है। आरबीआई का 'टॉलरेन्स बैंड 5.5 प्रतिशत था। आपने केवल यह घोषणा की है कि यह 5.5 प्रतिशत है। यह दो से अधिक बार 5.5 प्रतिशत से ऊपर गई है। यदि यह आज 6.7 प्रतिशत है और यदि यह 7 प्रतिशत को पार कर रही है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होगा? यह 8.5 प्रतिशत या 9 प्रतिशत से ज्यादा होगा। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फलों और दालों के साथ क्या होगा? आम आदमी के साथ क्या होगा? यही मूल प्रश्न है। अतएव, मैं यह चाहता हूं कि आप गत तीन वर्षों में ऐसा होने के कारणों का आत्मविश्लेषण करें। आप बढ़ती मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि को रोकने में असफल क्यों रहे?

गत $1^1/_2$ वर्ष में, आपने कई प्रकार के तंत्र बनाए। गत वर्ष भी माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा था और इस वर्ष भी हाल ही में बैंकरों की बैल में संबोधित करते समय यह कहा गया था कि आप वित्तीय उपाय करने जा रहे हैं। मैं उद्धृत करना चाहूंगा:

> ''बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंता के बारे में, माननीय वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 10 फरवरी, 2007 को मंबई में एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेम्बर्स ऑफ इंडिया के दूसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते समय कहा था कि : ''सरकार बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कृषि उत्पादों की

[श्री अनंत कुमार]

आपूर्ति में सुधार सहित सभी आवश्यक वित्तीय कदम उठा रही थी, जबकि यह भी सुनिश्चित किया गया कि इन कदमों से आर्थिक विकास प्रभावित न हो।''

इसके पश्चात, दिसंबर 2006 के दूसरे सप्ताह में भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में अनुसूचित बैंकों के लिए नकदी आरक्षी अनुपात में वृद्धि करने की योजना' की घोषणा की। इसने ऐसा दो बार और किया सरकार ने मुद्रास्फीति दर के बढ़ने पर कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए एक निगरानी समिति भी गठित की जिसके अध्यक्ष मंत्रिमण्डलीय सचिव हैं।

हाल ही में, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने राज्यों को एक पत्र लिखा है जिसमें कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए जमाखोरी को रोकने हेतु उपायों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आप यह भी जानते हैं कि कीमतों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति भी है जो कि मुद्रास्फीति की समीक्षा करती है। ये सारी कवायदे पिछले 11/2 वर्ष में की गई है। संप्रग सरकार के प्रश्नों द्वारा वाहवाही को छोड़ दें तो इस देश के किसी भी समाचार-पत्र, किसी भी आर्थिक पत्रिका या किसी भी सामान्य पत्रिका में एक ही शीर्षक दिखाई पड़ता है-वह है मुद्रा स्फीति और कीमतों में वृद्धि। अतएव, उन्हें यहां पर भी संरक्षित तालियां मिल सकती हैं किन्तु उन्हें उत्तराखंड, पंजाब और दिल्ली नगर निगम चुनावों में जो मिला है वह उनके लिए पत्थर का लेख हैं। उन्हें इस पर गंभीरतापूर्वक चिन्तन करना चाहिए। मेरा मूल प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में कितने उपाय विफल रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री की प्रेस विज्ञाप्ति नियमित तौर पर कहती है कि कीमतें स्थिर हो गई हैं। जो नहीं कहा जाता वह यह है कि कीमतें पहाड़ पर रूकने से पूर्व पहले ही काफी चढ़ चुकी है। खुदरा कीमतों थोक कीमतों से अधिक और कम स्थिर होंगी।

दूसरा विषय यह है कि दालें संप्रग प्रबंधकों द्वारा हल्की प्रतिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है। सरकार ने दाल की कीमतें बढ़ने के पश्चात जून 2006 में दुखी होकर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था किन्तु इससे बढ़ती हुई कीमतों पर रोक नहीं लगा पाई। तूअर दाल की कीमत जून, 2006 में 2,850 रु. प्रति क्विंटल से बढ़कर गत सप्ताह थोक बाजार में 3,700 रु. प्रति क्विंटल हो गई। महोदय, मैं गत सप्ताह की बात कर रहा हूं। उसके पश्चात उड़द दाल मूंग की दाल के साथ-साथ गत वर्ष जून, में 3,110 रु. प्रति क्विंटल से बढ़कर गत सप्ताह 3,450 रु. हो गई।

इसी प्रकार मंडियों में मूंग की दाल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। यह एक अन्य कहानी है कि निर्यात पर प्रतिबंध की घोर अवज्ञा हो रही थी। कीमतों की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि निर्यात प्रतिबंध जिसके बारे में बहुत कुछ बोला गया था उसका घरेलू कीमतों पर बहुत थोड़ा या न के बराबर प्रभाव पड़ा। वास्तव में, निर्यात पर प्रतिबंध से केवल घरेलू व्यापार में गड़बड़ी बढ़ी है। जब कीमतें कम होती है तो कुछ व्यापारी उस वस्तु को रोक पाने में समर्थ है। जाते हैं और जब कीमतें चढ़ जाती हैं तब से स्टॉक निकालते है। कृषि मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं: ''यह विशेषकर दालों के बारे में सच है जिसकी कीमतें प्रति तिमाही चढ़ जाती हैं किन्तु इस कीमत वृद्धि से किसान बहुत थोड़ा कमाते हैं''

अब इस सीजन में गेहूं की खरीद का मामला लेते हैं। मैं वर्ष 2006-2007 की बात कर रहा हूं। केन्द्र ने गेहूं उत्पादन राज्यों पर निजी व्यापारियों को खरीद से दूर रखने के लिए भारी दबाव बनाया। पंजाब और हरियाणा में किसान इस आदेश के विरूद्ध हथियारबंद हो गए और एफसीआई का बॉयकॉट करने की धमकी दी।

अपराह्न 5.00 बजे

उन्होंने भारतीय खाद्य निगम का बहिष्कार करने की धमकी दी है। जब केन्द्रीय न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना कम है और निजी व्यापारी बेहतर मूल्य दे रहे हैं तो हम किसानों को हानि क्यों उठाने दें। वे चाहते हैं कि हम उन पर अंकुश लगाएं। अधिकारी यही कह रहे हैं। यद्यपि सरकार रात-दिन यह कह रही है कि वह मूल्यवृद्धि व मुद्रास्फीति रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है परंतु कुछ भी नहीं हो रहा है। हकीकत में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें वर्ष 1977 और 1979 के दौरान तथा श्री वाजपेयी के नेतृत्व में राज्य सरकार के दौरान किए गए मूल्य नियंत्रण के तरीकों से सबक लेना चाहिए। आप आंकड़े बताते व देते रहेंगे परंतु उन वर्षों में ढ़ाई वर्ष तथा छह वर्ष के दौरान-जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग थी। आवश्यक वस्तुएं आम आदमी और समाज के गरीब तबके के पहुंच के अंदर थीं। उन्हें परेशानी नहीं थीं। आप इस मूल्य वृद्धि के लिए 'ओवर हीटिंग ऑफ द इकानॉमी' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यह 'ओवर हीटिंग ऑफ द इकानॉमी' नहीं है क्योंकि भारत सरकार आज प्रत्येक आरोप दो चीजों पर लगा रही है। पहला आपूर्ति की कमी दूसरा, हाल ही में माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि विश्व के अधिकांश भागों में मुद्रास्फीति की स्थिति है। इसलिए अनेक केन्द्रीय बैंकों ने सक्रियता दिखाते हुए मौद्रिक तरलता को नियंत्रित किया है ताकि मुद्रास्फीति पर काबू पायी जा सके। इसका अर्थ है कि आप महसूस करते हैं कि

मुद्रास्फीति एक वैश्विक समस्या है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह एक वैश्विक समस्या है। परंतु इसके स्थानीय या घरेलू समाधान क्या हैं? इसलिए मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस पार्टी अथवा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन आम आदमी के साथ नहीं बल्कि खास आदमी के साथ है। यह क्वात्रोची के साथ है; यह आम आदमी के साथ नहीं है। आप आम आदमी के साथ नहीं हैं।

वर्ष 2007 का आपका यह बजट यदि याद किया जाएगा तो मात्र 'फलतू जानवरों के भोजन (पेट फूड्स)' के लिए याद किया जाएगा। पालतू जानवरों के भोजन पर छूट दी गयी है। इसके लिए यह बजट याद किया जाएगा। मैं विभिन्न ब्यौरे दे सकता हूं। वर्ष 2006 में, जब मुद्रा स्फीति 5.4 प्रतिशत थी तो माननीय मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक ने चिन्ता व्यक्त की और कहा कि हमारा तात्कालिक लक्ष्य मुद्रा स्फीति को 4 प्रतिशत पर नियंत्रित करने का है। आपने कहा कि आप मुद्रा स्फीति चार प्रतिशत रखेंगे। यह वक्तव्य आपने 4 नवम्बर, 2006 को दिया था-आपने कहा था कि हमारा तात्कालिक लक्ष्य वित्तीय और मौद्रिक आयों के मिश्रण से मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर नियंत्रित करने का है।

इसलिए, वित्त मंत्री जी! आज राष्ट्र आपसे पूछता है कि पिछले तीन वर्षों विशेषकर पिछले डेढ़ वर्षों में मुद्रास्फीति और महंगाई के नियंत्रण के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। मैं अनेक हेडलाइन पढ़ सकता हूं यथा-आसमान छूती गेहूं की कीमतें घरेलू बजट प्रभावित कर रही है, सोया, पाम ऑयल की कीमतों में भी बढ़ोतरी; दोनों के बढ़ते मूल्य में कोई राहत नहीं; भ्रमित करने वाले आंकड़े; उपभोक्ता मूल्य थोक मूल्य सूचकांक से काफी अधिक है; प्राथमिक एवं खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की वजह से मुद्रास्फीति आसमान छू रही है।

उपभोक्ताओं को थोक मूल सूचकांक आंकड़ों से 100-150 आधार अंक अधिक चुकाने पर रहे हैं अर्थात् वर्तमान 6.7 प्रतिशत मुद्रा स्फीति से 150 प्वाइंट्स अधिक। जबकि शहरी नॉन-मैनुअल कामगारों के लिए मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत है, खेतीहर मजदूरों हेतु 7.5 प्रतिशत है तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि प्राथमिक वस्तुओं और खाद्य उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के बावजूद गेहूं व दालों की कीमतें बढ़ी है। मैं ब्यौरों में नहीं जाना चाहता।' आसमान छूती कीमतों में योजना का स्वाद खट्टा कर दिया हैं। खबर थी कि 'सरकार ने एक मूल्य वृद्धि नियंत्रण समिति का गठन किया है।' मुझे पता नहीं इस समिति का क्या हुआ। इस समिति ने क्या किया है? मुझे पता नहीं कि स्थिति रिपोर्ट केवल केबिनेट को ही क्यों दी गयी तथा मुझे सभा पटल पर क्यों नहीं रखा गया। एकीकृत उपभोक्ता सूचकांक के पक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक। 'आपूर्ति में कमी'। 'जमाखोरी की वजह से मूल्यवृद्धि'। 'सब्जियों के दाम बढ़े'। भविष्य में पण्यों की कीमत में उतार-चढ़ाव'। 'मुद्रास्फीति की समस्या'। 'मुद्रास्फीति के कारण गाढ़ी कमाई पर तुषारपात हो रहा हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्लेषकों में से एक ने जो कुछ कहा है उसे मैं उद्धृत करता हूं:

> ''विश्व में वस्तुओं की अपरिवर्ती कीमतों, कम घरेलू आपूर्तियों तथा धनराशि चाहने वाले सीमित स्टॉकों द्वारा भारत को दबाया जा सकता है।''

मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु माननीय वित्त मंत्री बेहतर व्यक्ति है।

> ''ऊंची कीमतों ने सरकार को खाद्यान्नों, चीनी और दालों का आयात करने पर मजबूर कर दिया है, परंतु साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में तीव्र बढ़ोतरी की वजह से इन वस्तुओं का आयात कम करने को मजबूर होना पड़ रहा है।''

महोदय, मैं आपने माध्यम से इन सभी लेखों, भारत की आर्थिक दशा मूल्य वृद्धि व मुद्रास्फीति के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा व्यक्त रायों को मानी माननीय वित्त मंत्री के पास भिजवा दूंगा।

मुख्य प्रश्न यह है कि संप्रग सरकार इस संबंध में क्या कर रही है। मैं महसूस करता हूं कि उन लोगों में जनता के प्रति चिन्ताओं व प्रतिबद्धता में कमी है। इसलिए वे लोग अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने, अपने शासन का प्रयोग करने, इन सभी तंत्रों का व्यापक तरीके से उपयोग करने और मूल्य वृद्धि व मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं। मैं संप्रग सरकार से अनुरोध करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री संसद के समक्ष केवल भाषण ही न दे बल्कि वे स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें जो-केबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी है और जिसे संसद में भी प्रस्तुत किया जाना है तथा संसद के माध्यम से सम्पूर्ण देश को बताएं कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। यदि ये कदम विफल रहे हैं जो आखिर क्यों? मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भविष्य में क्या कार्रवाई की जाएगी।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): माननीय सभापति महोदय, नियम 193 के अधीन महंगाई पर इस चर्चा में बोलने का अवसर देने के लिए मैं अध्यक्षपीठ का धन्यवाद करता हूं। विपक्ष के मेरे

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

माननीय साथियों ने कहा कि केन्द्र पिछले तीन वर्षों में महंगाई रोकने के लिए प्रभावी उत्पाद करने के विफल रहा है। परंतु मैं कतिपय बिन्दुओं को उठाना चाहूंगा, जोकि विरोधाभासी सिद्ध होंगे। महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण इस बारे में सरकार द्वारा कार्रवाई न करना वहीं है क्योंकि सरकार उपाय कर रही है तथा मूल्यों को और बढ़ने से रोकने में कतिपय प्रभावी उपायों के परिणाम थी निकले हैं मैं कुछ कारण बताना चाहूंगा, जिनकी वजह से आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं तथा उत्पादों के मूल्य बढ़े हैं। महंगाई का सीधा संबंध कृषि उत्पादन और कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं तथा विनिर्माण और खपत हेतु उनकी उपलब्धता तथा कुल कृषि उत्पादन की मात्रा से है। जब हम महंगाई के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि जनता तक उनकी पहुंच वितरण और विपणन उत्पादन से जुड़ी होती है। कृषि उत्पादन में कमी आई है, विशेषकर तमिलनाडु में चावल के उत्पादन में कमी आई है। ऐसा तमिलनाडु में कावेरी नदी में सिंचाई हेतु अपेक्षित पानी के बहाव का न होना है। संपूर्ण तंजावुर जिला तीन-चार वर्षों से लगातार सूखे से बुरी तरह प्रभावित है। इसी प्रकार से केरल में, वर्षा के स्तर में अचानक बहुत कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पाद की मात्रा में कमी आई है। उत्तर में, कई राज्यों में बाढ़ के प्रकोप के कारण गेहूं का उत्पादन प्रभावित हुआ है। 1960-61 में गेहूं का उत्पादन 11 मीट्रिक टन था। 1991-2001 की दस वर्ष की आबादी के दौरान गेहूं का उत्पादन बढ़कर 74.6 मीट्रिक टन हो गया था। वर्ष 2006-07 में यह घटकर 72.8 मीट्रिक टन हो गया। गेहूं का कम उत्पादन केवल भारत में ही नहीं बल्कि गेहूं का उत्पादन करने वाले सभी देशों में पाया गया। विश्व भर में गेहूं के उत्पादन में भारी काफी आई। वर्ष 2004-05 में गेहूं का 628 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। वर्ष 2005-06 में यह घटकर 587 मीट्रिक टन रह गया। इससे थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि हुई है। 22.1.2005 से 21.1.2006 तक थोक मूल्य सूचकांक 10.7 प्रतिशत था जोकि 21.1.2007 में बढ़कर 11.8 प्रतिशत हो गया। इसके परिणामस्वरूप छोटे बाजारों और खुदरा दुकानों पर भी गेहूं को मूल्य में वृद्धि हुई। मार्च 2006 में, गेहूं का मूल्य 1100 रु. प्रति क्विंटल था। दिसंबर 2006 में, यह 1750 रु. प्रति क्विंटल था। अप्रैल 2007 में यह घटकर 1500 रु. प्रति क्विंटल हो गया। दिसंबर 2006 में गेहूं का मूल्य 17.50 रु. प्रति किलोग्राम था। मार्च 2007 में यह घटकर 15.50 रु. प्रति किलोग्राम हो गया। केन्द्र सरकार विशेषकर हमारे वित्त मंत्री महोदय द्वारा किए गए सही उपायों के कारण ही मूल्य में यह कमी आई।

मैं, दालों से संबंधित उत्पादन परिदृश्य के बारे में बताना चाहूंगा। विपक्ष से मेरे सहयोगी ने बताया कि दालों के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। वर्ष 2003-04 में दालों का उत्पादन 14.9 मीट्रिक टन था, जोकि अब तक का सबसे अधिक उत्पादन था। वर्ष 2004-05 में यह घटकर 13.1 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2005-06 में उत्पादन स्तर 13.4 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2006-07 में दालों का उत्पादन बढ़कर 14.5 मीट्रिक टन हो गया क्योंकि केन्द्र सरकार ने किसानों को विभिन्न प्रोत्साहन देकर उनका हौसला बढ़ाया था। अन्य देशों से दालों का आयात किया गया। वर्ष 2004-05 में, 1.33 मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया। वर्ष 2005-06 में 1.6 मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया। जनवरी, 2007 तक 1.7 मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया। मैं इस बात से सहमत हूं कि अप्रैल 2006 में मूंग की दाल 30.50 रु. प्रति किलो ग्राम थी, मार्च 2007 में मूंग की दाल का मूल्य बढ़कर 34.50 रु. प्रति किलोग्राम हो गया। जहां तक भारत का संबंध है, उत्पादन स्तर और खपत स्तर में भारी अंतर है। यह इसलिए है कि दालों का उत्पादन उन इलाकों में होता है, जहां अच्छी वर्षा होती है। दालें, वर्षा पर निर्भर होती हैं। जिन वर्षों में वर्षा कम होती है, उन वर्षों में दालों का कम उत्पादन होता है जबकि दालों की हमेशा ही अच्छी खासी मांग रहती है। अपर्याप्त वर्षा के कारण दालों के उत्पादन में उतार चढ़ाव होता है और भारी मांग तथा कम उपलब्धता के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि होती है। केवल अधिक उत्पादन से ही दालों के क्षेत्र में मूल्य कम होने का रास्ता साफ हो सकता है, जोकि देश में कृषि क्षेत्र का ही भाग है। अतः इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शोधित और विकसित विभिन्न प्रकार की दालों की खेती करने के लिए किसानों को शिक्षित तथा प्रोत्साहित किया जाए।

इस समय मैं बताना चाहूंगा कि खाद्य तेल में मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। खाद्य तेलों के मूल्य में उतार-चढ़ाव काफी सीमा तक नियंत्रण में है। वर्ष 2002-03 में खाद्य तेल का उत्पादन 148.4 मीट्रिक टन रहा। एन डी ए शासन के दौरान यह परिदृश्य था। जब यू पी ए सत्ता में आया तो हमने किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के विभिन्न उपाय किए जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005-06 में खाद्य तेलों का 279.8 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। वर्ष 2006-07 में हालांकि उत्पादन स्तर 273.9 मीट्रिक टन पर आ गया पर इससे अत्यधिक मूल्य वृद्धि नहीं हुई। सरकार को जमीनी वास्तविकताओं की पूरी जानकारी है और वह मूल्य वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित कर रही है। हमारे देश में, खाद्य तेल की खपत का स्तर 10 मीट्रिक टन तक पहुंच जाता है। परंतु हमारा घरेलू उत्पादन केवल 6 मीट्रिक टन ही है। यही कारण है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को

सुदृढ़ कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आयातित पॉम ऑयल और सोयाबीन के तेल को वितरित कर रहे हैं। खुले बाजार में भी इनकी अनुमति है। वर्ष 2004-05 में खाद्य तेल का आयात 47 लाख टन था। वर्ष 2005-06 में 42.88 लाख टन खाद्य तेल का आयात किया गया।

जहां तक चीनी के उत्पादन का संबंध है, भारत चीनी का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। वर्ष 2004-05 में 130 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। जनवरी 2006 में चीनी का मूल्य 20 रु. प्रति किलोग्राम था। अप्रैल 2006 में यह घटकर 19.35 रु. प्रति किलोग्राम हो गया। दिसंबर, 2006 में यह घटकर 17.60 रु. प्रति किलोग्राम हो गया। मार्च, 2007 में चीनी का मूल्य घटकर 16 रु. प्रति किलोग्राम हो गया। अत: 2006 से मार्च, 2007 की एक वर्ष की अवधि के दौरान मूल्य में 4 रु. प्रति किलोग्राम की कमी आई। आवश्यकताओं में से एक चीनी के मूल्यों पर काबू पाने के लिए सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप और उसके द्वारा अपनाए गए कड़े उपायों के कारण जनवरी 2006 में चीनी का मूल्य 20 रु. प्रति किलोग्राम से घटकर मार्च 2007 में यह 16 रु. प्रति किलोग्राम हो गया। यह सरकार की इच्छा तथा इसके प्रभावी उपायों को करने के साहस को दर्शाता है।

प्याज ने हमारे खान पान की आदतों में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तथा यह आवश्यक वस्तु बन गई है क्योंकि हमारे देश की महिलाएं हमारे घरों में लगभग प्रत्येक दिन इसका उपयोग करती है। गत दो वर्षों से लगातार इसका उत्पादन स्तर 6.2 मैट्रिक टन रहा है। अतएव, जहां तक प्याज का संबंध है कोई उल्लेखनीय मूल्य वृद्धि नहीं हुई है। आलू तथा अन्य सब्जियां पर्याप्त मात्रा में उपजाई जाती है और इनसे मूल्य वृद्धि नहीं होती है। क्योंकि सरकार प्रभावी उपाय तथा सकारात्मक हस्तक्षेप करती है चूंकि यह सरकार मूल्य वृद्धि की परिस्थिति से भली-भांति परिचित है और सरकार मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लगातार प्रयास करती है।

मूल्य वृद्धि पर निगरानी रखने के लिए जैसे ही सं.प्र.ग. सरकार सत्ता में आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के खिलाफ की कार्रवाई करने को लिखा था। उन्होंने उनसे बाजार तंत्र तथा वितरण प्रणाली को विनियमित करने का भी अनुरोध किया उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने का अनुरोध किया जो गरीबों तथा दबे कुचले वर्ग तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आशा है। चावल, गेहूं, दाल, मिट्टी का तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तंत्र से होता है। केन्द्र ने राज्यों से गरीब लोगों को इन आवश्यक वस्तुओं की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

अब यह उल्लेख किया गया कि इस सरकार ने तेल की कीमत पांच बार बढ़ाई तब इस बात को महत्व नहीं दिया गया कि इसी सरकार ने पेट्रोल की कीमत 2 रु. प्रति लीटर कम भी की। विपक्ष के सदस्य हंगामा मचाते रहे लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को सहजता से भुला दिया। डीजल की कीमत 1 रु. प्रति लीटर घटा दी गई थी। राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 55 लाख टन गेहूं का आयात किया गया। अप्रैल, 2007 में 43 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था। यहां तक कि निजी क्षेत्र के व्यापारियों को गेहूं आयात करने की अनुमति दे दी गई ताकि इसका घरेलू बाजार पर मूल्य वृद्धि को कम करने वाला तथा अच्छा प्रभाव पड़े और गेहूं के मूल्य नहीं बढ़े। जून, 2006 में गेहूं के आयात को प्रोत्साहन देने के लिए आयात शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। सितंबर, 2006 में यह शुल्क 'शून्य' कर दिया गया।

फरवरी 2007 में, खुले बाजार में बिक्री हेतु चार लाख टन गेहूं का आयात किया गया ये सभी उपाय इसलिए किए गए ताकि मूल्यों को कम किया जा सके और गेहूं का मूल्य नहीं बढ़े। इसलिए फरवरी, 2007 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गत वर्ष 22 जून को दाल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया नेफेड ने 449300 टन दाल का आयात किया ताकि घरेलू बाजार में कोई कृत्रिम मूल्य वृद्धि नहीं हो। पाम ऑयल पर आयात शुल्क घटा दिया गया है। खाद्य तेलों तथा सूरजमुखी के तेल पर प्रभार घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। जैसा कि इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई। दुग्ध उत्पादों पर भी शुल्क में कमी की गई। इन उपायों के बावजूद, मूल्य को नियंत्रण में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। अतएव, हम अपनी जिम्मेवारियों के प्रति सजग हैं तथा जमीनी वास्तविकता के प्रति जागरूक है।

मूल्य नियंत्रित करने में, राज्य सरकारों की भी केन्द्र सरकार के साथ साथ जिम्मेदारी है। तमिलनाडु में, कलिंगानार करूणानिधि की अध्यक्षता वाली सरकार ने यह सिद्ध कर दिया कि चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रु. प्रति किलो बेचा जा सकता है। इससे करोड़ों लोग लाभान्वित होते है। जब यह तमिलनाडु में हो सकता है, अन्य राज्य इसका अनुसरण क्यों नहीं करते है-'रय्यत बाजार' अर्थात किसानों की झोपड़ीनुमा 'उझावर संघाई' तमिलनाडु से लगाया गया है। ताकि कृषकों को अपने कृषि उत्पादों जैसे सब्जियों और खाद्यान्नों के लिए भी लाभकारी मूल्य मिल सके।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की है। किसान मुफ्त बाजार केन्द्र तथा स्थान अपने उत्पादों को बेचने के लिए बिना कुछ अदा किए प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें अपना कृषि उत्पाद खेतों से बाजार तक ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा मिलती है जहां वे अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं तथा इससे बिचौलियों तथा अनावश्यक मूल्य वृद्धि से बचा जाता है। इस उपाय से, किसान लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे है जबकि उपभोक्ता सस्ते दामों पर सब्जियां प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं को ताजा उत्पाद मिलता है तथा यह उगाने वाले के द्वारा सीधे उपलब्ध कराया जाता है। डा. कलिंगानार करूणानिधि ने इन उझावार संधाई को तमिलनाडु के हरेक तालुक में खोल दिया है। किसानों को एक रात पहले इन विपणन केन्द्रों तक अपने उत्पादन की ढुलाई मुफ्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करके करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराए गए स्थानों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा यहां पर कोई कर नहीं लगता है।

मैं भारत के अन्य सभी राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूं कि वे वर्तमान में मुख्य मंत्री डा. कलिंगानार करूणानिधि की अध्यक्षता वाली तमिलनाडु सरकार के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं। ऐसा करने की बजाय वे मूल्य वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराते है। राज्य स्तर पर भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। डा. एन. एस. स्वामीनाथन समिति ने सिफारिश की है कि उझावर संघाई योजना समूचे देश में लागू की जानी चाहिए यह किसानों से उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर सब्जियों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। केवल तभी जब हम किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं यथा निवेश के लिए धनराशि आगम, तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराएं, हम उनको कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर सकते है जो मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के अर्थक्षम उपाय होगा।

तमिलनाडु में किसानों को वितरित किए गए 6700 करोड़ रु. के सहकारी ऋण को माफ कर दिया गया है। यह किसानों को उनके ऋण भार को कम करने के रूप में प्रोत्साहन मिला है। एक बूंद त्यारी से तमिलनाडु में क्रांति लाई गई है। देश के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे हैं? मूल्य को नियंत्रित करने के इस प्रकार के उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं? केवल तभी जब किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा तथा उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं जिसके बिना हम उत्पादन एक समान नहीं रख सकते हैं तथा मूल्य नहीं कम कर सकते है। राजनीतिकरण करने या किसी राज्य यथा उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा इत्यादि की ओर इशारा करने से काम नहीं चलेगा। मैं यह बताना चाहता हूं कि केवल केन्द्र सरकार की मूल्य नियंत्रित करने की जिम्मेदारी नहीं है। इसका निर्वहन देश के सभी राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। अब तक मूल्य वृद्धि की रूझान में स्थिरता आई है जिसके लिए केन्द्र सरकार बधाई के पात्र हैं विशेषरूप से हमारे वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जिन्हें मैं अब बधाई देना चाहता हूं। मुझे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए पीठासीन अधिकारी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री समिक लाहिरी (डायमंड हार्बर): सभापति जी, प्राइस-राइज पर जो चर्चा यहां हो रही है, इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए, एनडीए की तरफ से, माननीय अनंत कुमार जी जब भाषण कर रहे थे तो कह रहे थे कि जब एनडीए की सरकार थी, तब प्राइस-राइज पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि प्राइस-राइज हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे याद आ रहा है कि वर्ष 1998 में मैंने भी चर्चा में हिस्सा लिया था। उस चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवगंगा के जो एमपी थे और आज जो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा था, उसमें से कुछ शब्द मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि-

[अनुवाद]

> ''किसी भी सरकार की कार्यसूची में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी संवेदनशील सरकार को मुद्रा स्फीति को अपनी नियंत्रण कार्यसूची में प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। लोग अंततः अपने पेट की खातिर मतदान करते हैं।''

[हिन्दी]

लेकिन अभी क्या हो रहा है और पिछली बार जब प्राइस-राइज पर इस हाउस में चर्चा हुई थी तो उनका क्या कहना था और उनका स्टेटमेंट अखबार में क्या था-

[अनुवाद]

वह था कि यदि आप विकास चाहते हैं तो आपको मुद्रास्फीति के साथ जीना सीखना होगा।

[हिन्दी]

इस सदन में जगह बलदने के साथ इतना परिवर्तन क्यों हो जाता है? उन्होंने जो कहा था वह सच था कि

[अनुवाद]

लोग आखिरकार अपने पेट की खातिर मतदान करते हैं।

[हिन्दी]

जिन लोगों ने उत्तराखंड में वोट दिया है, जिन लोगों ने पंजाब में वोट दिया है और दिल्ली में एमसीडी के चुनावों में वोट दिया है, उन्होंने अपने पेट के आधार पर वोट दिया है, इसीलिए यह नतीजा निकला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों यह प्राइस राइज बार-बार हाउस में चर्चा के लिए आ रहा है? लेफ्ट फ्रंट की ओर से ही यह मुद्दा बार-बार उठाया जा रहा है। जब एनडीए की सरकार थी, तब भी हम प्राइस राइज पर चर्चा को हाउस में लेकर आए थे। आज श्री अनंत कुमार बता रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार थी, तब प्राइस राइज पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। वे शायद भूल गए हैं कि दिल्ली के विधान सभा चुनावों में प्याज ने उन्हें किस तरह से रूलाया था। आज तक उन्हें दिल्ली विधान सभा में ओपोजिशन की बैंचों पर बैठना पड़ रहा है।

महोदय, हम बार-बार इस हाउस में इस विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? इसका क्या कारण है? मेरे ख्याल से अब कांग्रेस पार्टी की समझ में भी यह बात आ रही है कि प्राइस राइज के कारण जनता उनसे दूर होती जा रही है। देश की जनता ने एनडीए की सरकार को सत्ता से क्यों हटाया था? क्या केवल इसलिए कि कुछ फिरकापरस्त ताकतें देश की जनता को टुकड़ों में बांटना चाहते थीं? बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ा कारण थी, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने जन विरोधी नीतियां अपनाई थीं। जरूरी वस्तुओं के दामों को बढ़ने से रोकने में ये लोग नाकाम रहे हैं। मेरे ख्याल से जो नीतियां यह सरकार अपना रही है, लिब्रेलाइजेशन की नीतियां अपना रही है, इस वजह से यह सरकार महंगाई पर काबू रखने में नाकाम हो रही है। पिछले सत्र में एक माननीय सदस्य ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री से यह प्रश्न पूछा था कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण क्या हैं? क्या आपकी सरकार ने इस बारे में कोई जांच-पड़ताल की है? मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा-नो सर। लेकिन मेरे ख्याल से तीन कारण हम अभी बता सकते हैं, सरकार को भी मालूम है कि हमारे देश में फूड इकोनोमी में ग्रोस डिसमैनेजमेंट के कारण महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल के भाव जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, यह भी बढ़ती हुई महंगाई का प्रमुख कारण है। एग्रीकल्चर कोमोडिटीज में फ्यूचर ट्रेडिंग होने की वजह से, जिसे एनडीए की सरकार ने शुरू किया था, इसका भी बढ़ती हुई महंगाई में योगदान है। क्या इस बात से सरकार इंकार कर सकती है? मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, जिससे कि फूड मैनेजमेंट ठीक हो सके? हमारे देश के अंदर पीडीएस के चलते खास कर जो नीचे तबके की आवाम है, आम आदमी है, कम से कम उन्हें सस्ती दर पर खाना मिला करता था। इस सिस्टम को खत्म करने का एनडीए ने जो काम शुरू किया था, यह सरकार आने के बाद भी इस सिस्टम को खत्म करने का काम जारी रहा, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इस सरकार का भी वही कहना है, जो एनडीए की सरकार कहती थी कि फूड सब्सीडी हटाओ, फूड के ऊपर सब्सीडी की कोई जरूरत नहीं है। इस कारण हमारे देश के अंदर फूड के ऊपर से सब्सीडी हटा रहे हैं। सभी को पता है कि सरकार का यह भी एक एटेम्प्ट है।

पीडीएस के तहत आने वाले गेहूं, चावल और चीनी के दाम बढ़ाने के बारे में सरकार सोच रही थी। लैफ्ट पार्टीज की ताकत की वजह से सरकार ने दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ायी लेकिन उनके दिल और दिमाग में यह बात बैठ गई कि सबसिडी नहीं होनी चाहिए। बजट में सबसिडी कितनी है? 2005-06 में फूड सबसिडी 26,200 करोड़ रुपए थी, रिवाइज्ड एस्टिमेट में 23,200 करोड़ रुपए हो गई। 2006-07 में यह 26,200 करोड़ रुपए थी, रिवाइज्ड एस्टिमेट में भी 26,203 करोड़ रुपए हो गई। इस साल के बजट एस्टिमेट में 25,696.2 करोड़ रुपए है। सबसिडी घट रही है। कैसे घट रही है? देश में टोटल प्रक्योरमैंट दिन-प्रतिदिन घट रहा है। इन क्वैंटम प्रोक्योरमैंट घटता जाएगा तो ठीक नहीं होगा। पहले की सरकार ने सबसिडी हटाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दवाईयों में सबसिडी हटाने में कामयाबी नहीं मिली। आप कैसे सबसिडी हटा रहे हैं? पी डी एस में वितरित किए जाने वाले सावधानी की कुल मात्रा-आप इसमें कटौती कर रहे हैं। इसके चलते सबसिडी घटती जा रही है। अगर देश में पीडीएम स्ट्रांग नहीं होगा और उसे मार्किट के हाथ में छोड़ दिया जाएगा तो कैसे हालत बनेगी? अगर गेहूं, चावल, दाल, प्याज और आटे के भाव मार्किट फोर्स के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे तो क्या होगा? इनके दाम दिनोंदिन बढ़ते जाएंगे। आपने आज सब कुछ मार्किट के हाथ में सौंप दिया है। सब कुछ बाजार तय करेगा। हमारे वित्त मंत्री बहुत गर्व के साथ यह कह रहे हैं कि हमारी इकॉनामी आगे बढ़ रही है। हमने 8.7 प्रतिशत की विकास दर्ज किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए आपके दल से दो सदस्य बोलना चाहते हैं। आपको उन्हें भी समय् देना है।

श्री समिक लाहिरी: महोदय, यदि व्यवधान नहीं होता है तो मैं दो या तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करने का प्रयास करूंगा।

[श्री समिक लाहिरी]

[हिन्दी]

मुझे हिन्दी में भाषण करने में ज्यादा समय लगता है क्योंकि हिन्दी मेरी मातृभाषा नहीं है। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ 8.7 परसैंट है। देश के 700 मिलियन लोग खेती के साथ जुड़े हैं। उधर रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? वह दो परसेंट से भी कम है। 700 मिलियन जनता जो खेती के साथ जुड़ी है, वह 8.7 या 9 परसेंट ग्रोथ रेट नहीं देख रही है। उधर ग्रोथ रेट केवल 2 परसेंट है। वे लोग कहां जाएंगे? वित्त मंत्री उनको कहेंगे कि

[अनुवाद]

आप मुद्रास्फीति के साथ जीना सीखें। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपने स्वयं कहा था कि लोग अपने पेट की खातिर मतदान करते हैं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं फूड मैनेजमैंट के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूं। जब गेहूं दूसरे देश से आने की बात चली थी तो पांच बार टैंडर हुए, एक-एक टैंडर में कितना पैसा लगा, कम से कम 40 डॉलर पर-क्विंटल ज्यादा दाम देने पड़े। यह सरकार ट्रेडर्स के हाथ में क्यों अपने आप को समर्पित कर रही है? यही काम एनडीए ने किया था, इसलिए लोगों ने उन्हें ऑपोजिशन बैंचों में भेज दिया। वे ट्रेडर के हाथ में अपने आपको समर्पित कर रहे हैं। यह बहुत दु:ख की बात है कि जब भी पेट्रोल और डीजल की बात आती है, तब ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइज जयादा हो रहे हैं हम क्या करें? इस संबंध में यह बात सही है कि इंटरनेशनल प्राइज में जब कमी आई तब हमारे दबाव के कारण उन्होंने कुछ प्राइज घटाया, लेकिन अब क्या हो रहा है?

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त करें। मैंने आपसे निवेदन किया था कि आपकी पार्टी के दो सदस्य हैं, उनके लिए समय नहीं बचेगा।

श्री समिक लाहिरी: आप हमारे पड़ोसी देश बांग्ला देश, पाकिस्तान, नेपाल की तरफ देखिए, सब जगह फ्यूल का प्राइज हमारे देश के प्राइज से कम है। आप टैक्स लगाते जाएंगे और हमारे देश में महंगाई नहीं होगी? इसके लिए स्ट्रक्चरल चेंज लाना चाहिए। पेटोल और डीजल के दाम इंटरनेशनल दाम के साथ जोड़ने से ही काम नहीं चलेगा, इसके लिए स्ट्रक्चर में बड़ी तब्दीली लाने के लिए भी सोचना होगा। इसके साथ हमें फ्यूचर ट्रेडिंग को भी बंद करना है।

आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि फ्यूचर ट्रेडिंग ऑफ एसेंशिएल कॉमोडिटीज पर पाबंदी लगाइए क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी ने भी यह रिकमेंड की थी कि पेट्रोल, डीजल के दाम को इंटरनेशनल दाम के साथ जोड़ने का यह मामला नहीं है, हमें टैक्स स्ट्रक्चर में भी तब्दीली लानी होगी। ऑयल इम्पोर्ट में एडवोलेरम ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी रिवाइज करना पड़ेगा। होर्डिंग में सरकार ने क्या व्यवस्था की है? हमारे देश में होर्डिंग में कितने लोगों के खिलाफ कदम उठाए हैं? हमारे देश में जो होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, इस संबंध में विभिन्न प्रदेशों की सरकारों के मंत्रियों के साथ कितनी बार कांफ्रेंस की है? हमारे देश में ऐंशियल कॉमोडिटीज एक्ट को डाइल्यूट किया जा रहा है। इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करना होगा और फूड पर सब्सिडी बढ़ानी होगी। ये लोग जो ट्रेडर्स के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते है, उन लोगों को अपने स्टैंड को बदलना होगा, नहीं तो जो हालात एनडीए के हुए हैं उनके साथ ही वही हालात होने वाले हैं और वह दिन इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें अभी भी उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1998 में इसी हाउस में जो कहा था, उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार के वित्त मंत्रालय को संभालेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, आपने महंगाई के विषय पर चर्चा में अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आज महंगाई के विषय पर चर्चा हो रही है, यह हिन्दुस्तान की जनता के दिल को छूने वाला विषय है। जैसा सम्मानित साथी लाहिरी जी कह रहे थे कि कई प्रदेशों में हिन्दुस्तान की जनता ने काफी स्ट्रांग रिस्पांस दिया है और इसकी कीमत भी सरकार को देनी पड़ी है। मैं समझता हूं कि आज पूरे हिन्दुस्तान में जो लोग दूरदर्शन का यह चैनल देख रह होंगे, उनको निश्चित रूप से अपना मन बनाने में मदद मिलेगी कि हिन्दुस्तान किस रास्ते पर जा रहा है और उनका क्या होना है? जब भी महंगाई की बात होती है, तो महंगाई के लिए एक रिलेटिव कन्सेप्ट है कि यह उन लोगों के लिए होती है जो डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास साधन और पैसे कम हैं, जिनका जीना मुश्किल हो रहा है। इसी हिन्दुस्तान में ऐसे भी लोग हैं। इससे एक बात सामने आ रही है कि यहां पर 36 परिवार ऐसे हैं जो खरबपति हैं। दूसरी तरफ 36 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। यह एक बड़ी पैराडोक्सिकल स्टेट है। इसलिए जो 36 खरबपति परिवार हैं, उनके लिए महंगाई कोई समस्या नहीं होती है, उनके लिए यह ग्रोथ है। इजारेदारी के सहारे जो मुनाफाखोरी हो रही है, उनके लिए यह इकोनोमिक ग्रोथ

है, लेकिन जो गरीबी की रेखा से नीचे 36 करोड़ परिवार हैं, उनके लिए हाहाकार है। उनके लिए यह सोचने का अवसर है कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। क्या हम अपना सम्मान और जीवन का स्तर बदस्तूर रख पायेंगे। अथवा आर्थिक कमजोरियों और विवशताओं के कारण कहीं न कहीं कोई नैतिक समझौता करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, पिछले कुछ समय से महंगाई पर काफी विचार-विमर्श हो रहा है, कई बार चर्चा हुई है, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आ रही है। जैसा सब अखबारों और मैगजीन्स में भी छपा है कि जो मूलत: खाने-पीने के आइटम्स हैं, चाहे वह प्याज हो मूंग, उड़द, चावल गेहूं, आटा, चीनी मसालें, सीमेन्ट, स्टील हो, सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में बढ़ रही हैं। आदमी की रसोई का खर्च आज दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। फैमिली को सस्टेन करने का खर्चा तीन गुने से भी ज्यादा हो चुका है। सवाल यह है कि आदमी कहां से लाये और क्या करे। सरकार के लिए भी यह चिंता का विषय है। पहले जो सरकारें थी, वे फील गुड के माहौल में जो रही थीं, इंडिया शाइनिंग के माहौल में जी रही थीं, लेकिन उन्होंने भी कठोर सच्चाई को देखा। हमने कभी शेखचिल्ली की कहानी सुनी थी। उसे कहीं एक अंडा पड़ा मिल गया। उसने ख्याल किया कि अब इस अंडे से मुर्गी निकलेगीं। वह मुर्गी फिर अंडे देगी। फिर हम बकरी खरीदेंगे। वह बकरी बच्चे देगी तो फिर हम भैंस खरीदेंगे। उसके बाद जब पैसा आयेगा तो हम घर बनायेंगे। जब घर बनायेंगे तो हम शादी भी करेंगे और जब शादी करेंगे तो हमारा एक बच्चा भी होगा। जब वह बच्चा ठीक से नहीं चलेगा तो हम उसे एक लात मारकर कहेंगे कि ठीक से चल। बस इसी में धोखा हो गया, वह लात क्या मारी, सपना ही चूर-चूर हो गया और शेखचिल्ली की कहानी मशहूर हो गई। यह कहानी बार-बार दोहराई जाती है और यह कहानी हर आदमी को बार-बार याद आती है, क्योंकि महंगाई के परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। आदमी का मन बदला है, उसका रहन-सहन का स्तर बदला है, उसकी प्रतिक्रियाओं का स्तर बदला, उसके मन में बदले की एक भावना भर दी, जिससे सरकारें बच नहीं पाईं। महंगाई क्यों है, मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन दुनिया जानती है कि बाजार के अंदर जब से आर्थिक विकास की बात आ रही है, बाजार में इतना अधिक पैसा आया है कि हिन्दुस्तान में एक नई क्लास पैदा हो गई है, जिसे खर्च करने में गुरेज नहीं है। चार पैसे की जगह पर वह क्लास चालीस पैसे खर्च कर सकती है और खुश होकर खर्च कर सकती है। पैसा खर्च करना अब एक स्टेटस सिम्बल हो गया है। चवन्नी की चीज दो रुपये में खरीदी, बहुत अच्छी लगी। कारण क्या है, उससे स्टेटस ऊपर उठा। आज पांच-पांच करोड़ रुपये की गाड़ियां हिन्दुस्तान में बिक रही हैं और लोग शौक से खरीद रहे हैं। यह बड़ी अजीब बात है। हमने दुनिया में देखा है, जब भी कोई विक्रेता अपना माल बेचता है तो वह उपभोक्ता की परफॉर्मेन्स बढ़ाने की गारंटी लेता है। वह कहता है कि हमारा सामान महंगा जरूर है, लेकिन अगर आप हमारा सामान खरीदेंगे तो आपकी जनरल परफार्मेन्स बढ़ेगी, यह हमारी गारंटी है। क्योंकि यह कंज्यूमर बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और उन देशों की जनता प्रोडक्ट की कॉस्ट और क्वालिटी डिटरमाइन करती है, लेकिन हिन्दुस्तान में सरकार की मदद से जो लोग कीमतें बढ़ा रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, वे जानते हैं कि हिन्दुस्तान का उपभोक्ता संगठित नहीं है। वह एक्टिव कंज्यूमर नहीं है। उसे हम कुछ भी कंज्यूम करा सकते हैं, किसी भी कीमत पर कंज्यूम करा सकते हैं। बस खाली उसकी मूंछ की बात, उसकी शान की बात हम मार्केटिंग कंसैप्ट में जोड़ दें और आज यही हो रहा है। यहां आदमी विलासिता की हद तक पैसा खर्च कर रहा है और सरकार खुशफहमी में है कि इकोनोमिक ग्रोथ हो रही है। मुनाफखोरी और इकोनोमिक ग्रोथ में बड़ा अंतर होता है। आम आदमी की परचेजिंग पावर बढ़ना या हिन्दुस्तान के 36 करोड़ लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ना एक मुद्दा है।

मुझे लगता है कि अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के अंदर असली मुद्दा गरीबी है या अंडर प्रोडक्टिविटी? आदमी गरीब नहीं है, आदमी सिर्फ अंडर प्रोडक्टिव है। उसको कमाने के जरिये नहीं मिल पा रहे हैं। उसे पूंजी नहीं मिल पा रही है। जो महंगाई है, वह उसकी बची हुई पूंजी पर भी डाका डाल रही है। इसका जो जीवन पर प्रभाव पड़ा है, मैं नहीं समझता कि उसके बारे में बहुत विस्तार से बात करूं क्योंकि इस बारे में हमारे बहुत से वक्ता पहले ही बता चुके हैं।

मैं यहां कहना चाहूंगा कि परिवारों में जो एक खुशहाली का स्तर था, वह गिरा है। आपस में तनाव है और परिवारों में तनाव है। वे यही सोचते रहते हैं कि कहां कम्प्रोमाइस करें, कैसे पूरा करें, इस बात को लेकर परिवारों में झगड़े हो रहे हैं। इसका सबसे बुरा प्रभाव खेती पर पड़ा है। खेती पर हमारे देश की करीब 70 प्रतिशत आबादी निर्भर है। हालत यह है कि किसानों की डीजल खरीदने की क्षमता गिर गई है। जो लोग पहले एक ड्रोल डीजल खरीदते थे, आज वे पांच लीटर के केन में डीजल लेकर आते हैं और किसी तरह से अपना काम चलाते हैं। परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं। मुझे लगता है कि इसके परिणामों से हम बच नहीं सकते।

मेरे पास एक मैगजीन है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि होलसेल प्राइस इंडैक्स का लैवल बढ़ रहा है। उसके लिए

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि होलसेल प्राइस इंडैक्स की ग्रोथ 5.5 प्रतिशत से ऊपर नहीं जानी चाहिए क्योंकि उसके बहुत डिजास्ट्रस कांसीक्वेंसेज होंगे। बड़ी मजेदार बात है कि रिजर्व बैंक ने अपना स्टैंड लिया। उन्होंने ब्याज की दर बढ़ायी। जो बाजार में पूंजी उपलब्ध है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स बढ़े जो सरकार के स्टैंड के खिलाफ था। लेकिन सरकार को लगता है कि यह इकोनॉमिक ग्रोथ है। अभी हमारे पूर्व वक्ता लाहिरी जी कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि अगर हमें आर्थिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो हमें महंगाई के साथ जीना सीखना होगा। कमाल की बात है। महंगाई के साथ जीना हम कैसे सीखेंगे? कौन सा तरीका है जिससे हम महंगाई के साथ जीना सीख सकते हैं? कैसे हम अपना खाना कम करें? कौन सा कपड़ा हम कम पहनें? कौन सी दूसरी आर्थिक क्रियाओं पर हम रोक लगा दें? आप हमें तरीका बता दीजिए। हमारे देश में लगभग 36 करोड़ आदमी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं और जो निश्चित रूप से आशाभरी निगाहों से आपको देख रहे हैं कि आप उन्हें तरीका बताएंगे कि इस बड़े मुल्क में महंगाई के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने बच्चे को पढ़ाया जाता है, कैसे अपने बीमार माता-पिता का इलाज कराया जाता है? जैसे हमारी जो माताएं-बहनें हैं जिनके बदन में खून नहीं है, जिनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति कमजोर है, उनको कैसे सम्मान से रहना सिखाया जाए? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करेंगे और वह रास्ता जरूर बताएंगे कि हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता किस तरीके से महंगाई के साथ इज्जत के साथ जी सके।

मैं जानता हूं कि विवशताएं आपके सामने भी हैं। मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा है कि जब आप कहते हैं कि हमें आर्थिक सुधारों के युग में जीना होगा। हमने उसे मंजूर कर लिया। हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं। सरकार की विवशताएं हैं। आर्थिक सुधार एक विवशता है। लेकिन मेहरबानी करके जो हमारे माननीय मंत्री हैं, वह उस बात पर गौर करते कि आर्थिक सुधारों से पहले व्यापक स्तर पर न्यायिक और प्रशासनिक सुधार लागू कर दिये होते जिससे कि आम आदमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।

आज करप्शन एक बड़ी समस्या है। जो प्राइस इंडैक्स पर जर्नल्स छपते हैं, उसमें हमने देखा और यह एक शॉकिंग स्टेट है कि हिन्दुस्तान की जनता महंगाई के जमाने में लगभग 27,000 करोड़ रुपया जिंदा रहने के लिए रिश्वत देती है। हमारे देश के जनता को छोटे-छोटे कामों-जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है, राशन-कार्ड बनाना है, एफआईआर लिखानी है, जीने के लिए इस देश के अंदर गरीब आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है। यकीन मानिए कि जो सम्पन्न आदमी हैं, जिनके पास संसाधन हैं, उन्हें थाने में रिश्वत नहीं देनी पड़ती। उन्हें राशन-कार्ड के लिए भी रिश्वत नहीं देनी पड़ती। उनके काम अपने आप चल जाते हैं। गरीब जनता जिसके लिए महंगाई एक मुद्दा है, जिसके लिए एक-एक पैसे की कीमत है, उसको आज देश में लगभग 27,000 करोड़ रुपया बेईमान अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ती है। महंगाई के साथ जीने का यह कौन सा तरीका है? मैं समझता हूं कि आपके पास कोई न कोई रास्ता जरूर होगा और आप बताएंगे।

हमारे जो भी संसाधन हैं, उनका हम समुचित इस्तेमाल करें, इफैक्टिव ढंग से करें। हमारा जो डिलीवरी सिस्टम है, जो तंत्र है, जिसके सहारे हिन्दुस्तान की जनता पल रही है, उसके लिये क्या जवाबदेही है। उसकी जवाबदेही केवल अपनी नौकरी के प्रति है। अगर कहा जाये तो यही बात होगी कि उसकी अपनी लीडर के प्रति लॉयल्टी हो जाती है। आज हिन्दुस्तान की जनता के प्रति जवाबदेही का सवाल पैदा हो गया है। माननीय वित्त मंत्री जी को याद दिलाऊं कि जब उन्होंने खुद कहा था। युनाइटेड फ्रंट की सरकार के समय जब पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था तो 36.5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझा सरकार के एक्सचैकर पर पड़ा था। राज्य सरकारें दिवालिया हो गई थी, लेकिन हमारे डिलिवरी सिस्टम का परफार्मेंस लेवल कितना बढ़ा है, यह सोचने का विषय है, शोध का विषय है। एक आम आदमी, जिसे गरीब आदमी कहा जाता है...*(व्यवधान)* मेरी बात सुनिये। आज हिन्दुस्तान की सारी जनता इस बात को सुन रही है। यह बहुत अहम सवाल है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं।

सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में योजनाबद्ध का जो मॉडल हमने बनाया था, उसके अनुसार हमें हर आदमी को एम्पावर करना है, उसे प्रगति के रास्ते पर लाना है, उसका माइंड सैट बदलना है क्योंकि हजारों सालों से इस सामाजिक ढांचे में वह शोषण का शिकार हुआ है, हमें उसे इज्जत की जिन्दगी जीने की मानसिकता देनी है। यह हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम हर आदमी को इन्साफ दें और उसे ऊपर उठायें। हमारे सामने मार्किट रेवेन्यू इकोनोमी का जो मॉडल आ गया है, जिसे बाजार की अर्थ-व्यवस्था कहा जा रहा है, इस साल जो 9 प्रतिशत या उससे अधिक आर्थिक विकास दर है, इस संबंध में प्रधान मंत्री जी भी कह चुके हैं और यह माना जाता है कि जो नई पूंजी जुड़ेगी, वह 1000 बिलियन डालर होगी, कुछ कम-ज्यादा हो सकती है। कहने का मतलब है कि यह राशि 60-70 लाख करोड़ रुपया है। इन हालात में हिन्दुस्तान का प्लांड बजट कितना है-8 लाख करोड़ रुपये का। इसमें कितना कांस्ट्रास्ट है। हम मान सकते हैं कि इसमें

आपकी विवशतायें हैं। आपके लिये बाजार का कम्पलायंस है, आपको सैंसैक्स देखना है। हिन्दुस्तान के हजारों किसान आत्महत्यायें करते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जिस दिन सैंसैक्स 500 अंक नीचे गिर जाता है तो सरकार दहल जाती है, आपकी आर्थिक व्यवस्था दहल जाती है। यह मार्किट रेवेन्यू इकोनोमी बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। यह ग्रोथ इनक्लूसिव न होकर एक्सकलूसिव हो रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वर्मा जी, कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: सभापति महोदय, आपका आदेश है तो मैं खत्म किये देता हूं। मैं जानता हूं कि हमारे और साथी इस विषय पर बोलने वाले हैं और समय का बंधन है, इसलिये मैं अंतिम बात कहकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। सभापति जी, यह बात आ रही है कि भूमंडलीय परिस्थितियों के कारण आर्थिक सुधारों का लाभ आम आदमी को मिलना चाहिये। ऐसे समय में जो सारी योजनायें बन रही हैं कि कैसे आम आदमी को आगे बढ़ायें, प्रायमरी सैक्टर को कैसे मजबूत करें, सैकंडरी सैक्टर कैसे मजबूत करें, ऐसे समय में महंगाई आपकी सारी योजनाओं को बर्बाद कर रही है और आपकी सारी योजनायें मिट्टी में मिलने वाली हैं। हमारे कई पूर्व वक्ता इस बात को कह चुके हैं, जिन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना होगा। आज आम आदमी की परचेजिंग पॉवर को बहुत जबर्दस्त इंटीकेटर मानिये। मैं सरकार को एक बात बता देता हूं कि अगर गरीब आदमी की परचेंजिंग पॉवर नहीं बढ़ती है, उसे आप गरीब आदमी मानते रहेंगे तो वह अनुत्पादक है, अन-प्रोडक्टिव आदमी है। यह आपकी जवाबदेही है। आप उसे प्रोडक्टिव बनाइये, उसे शिक्षित कीजिये, उसकी अर्निंग बढ़ाइये, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिये ह्यूमन रिसोर्सेज में कनवर्ट करिये। यह सरकार की जिम्मेदारी है। अगर हम गरीब आदमी को एक चैरिटी मानते हैं, उसे दया का पात्र मानते हैं और उसे सही इज्जत नहीं देते तो यह इस सदी में अनर्थ साबित होगा। मैंने कहा है कि महंगाई गरीब आदमी से जुड़ा हुआ मामला है, उसके लिये जो पीडीएस दिया गया है, उस पर पुनर्विचार करें।

आप कहते हैं कि हमें महंगाई के साथ जीना सीखना होगा। हमें आपसे कहना है कि पीडीएस को इस लायक करना होगा कि वह आम आदमी की उम्मीदों के साथ चलना सीख सकें। उसमें करप्शन है, बेईमानी है, मिसपरफॉर्मेन्स है, चोरी है। यह जिम्मेदारी भी सरकार की है और इस सिस्टम को इससे मुक्त होना होगा। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। आप समझ लेंगे, यह बड़ी मशहूर कहानी है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपको 15 मिनट हो गए हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मैं कनक्लूड कर रहा हूं। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप सुन लीजिए, आपको मजा आएगा। ...*(व्यवधान)* हमारी पार्टी से मैं अकेला हूं। महोदय, मुझे अनुमति देने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मौलाना को हमने देखा कि वे बाजार गए। वहां मछली बिक रही थी। उनको बहुत अच्छी लगी। वे उठा लाए कि आज मौसम अच्छा है, मछली बनाई जाए। घर पहुंचे तो देखा बेगम साहिबा मुंह फुलाए बैठी हैं कि घर में मसाला नहीं, तेल नहीं। मौलाना साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मछली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर एक तलैया थी। मछली उसमें गिर गई और जिन्दा हो गई। उसने जोर से नारा लगाया–सोनिया गांधी जिन्दाबाद, चिदम्बरम जिन्दाबाद और चली गई।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति जी, संसद के हर सत्र में हम एक बार महंगाई पर इस सदन में चर्चा करते हैं। महंगाई पर बोलने वाले सदस्य, जो महंगाई से पीड़ित हैं, उनके दर्द को सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखने का प्रयास करते हैं। सभापति जी, कुछ महीने पहले पंजाब का चुनाव हुआ, उत्तरांखड का चुनाव हुआ और उनके परिणाम आए। उन परिणामों पर जब मीडिया के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से पूछा गया कि दोनों राज्यों में कांग्रेस की हार किसलिए हुई जबकि उनकी सरकारें थीं और उनके मुख्य मंत्री वहां पर थे, तो उन्होंने कहा कि महंगाई मार गई। सभापति जी, वित्त मंत्री जी सुनें, मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूंगा। जब पंजाब और उत्तराखंड के चुनावों के परिणाम आए और मीडिया के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से पूछा गया कि आपकी पार्टी क्यों हार गई जबकि दोनों राज्यों में आपके मुख्य मंत्री थे, तो जो मैंने अखबारों में उनका जवाब पढ़ा, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वहां पर हमें महंगाई मार गई। इस बात को मैं इसलिए यहां रख रहा हूं कि हमारे प्रधान मंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश में महंगाई बढ़ी है और महंगाई की मार को गरीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो आम आदमी है, वह इस महंगाई को सहन नहीं कर पा रहा है। उसकी जो नाराजगी है, वह सरकार के खिलाफ हुई और इसलिए दो राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। इस बात को प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ओर से महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाया गया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता कि किस प्रकार से महंगाई को रोका जाए और किस प्रकार से महंगाई से आम आदमी को राहत दी जाए। जब वित्त मंत्री जी यहां पर अपने बजट पर बोलते हैं और हर बार इस बात को यहां सदन के सामने रखते हैं कि हमारी

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

जो इकोनॉमी है, उसमें किस प्रकार से सुधार हुआ है, हमारी वित्तीय स्थिति में किस प्रकार से सुधार हुआ है और फिर घरेलू उत्पादकता दर किस प्रकार से बढ़ी है, हमारे रुपये की स्थिति डॉलर की तुलना में किस प्रकार से सुधरी है, उसका उदाहरण यहां पर देते हैं।

सायं 6.00 बजे

हमारे स्टाक मार्केट्स और शेयर बाजार जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उनका संदर्भ यहां देते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी भी मंत्री जी की बजट स्पीच में महंगाई का जिक्र नहीं सुना। यदि मेरी कोई गलती हो तो वित्त मंत्री जी जवाब देते समय उसमें सुधार करें, लेकिन मैंने उनकी बजट स्पीच में आज तक कहीं भी महंगाई के संदर्भ में जिक्र नहीं सुना है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गीते चर्चा कल जारी रहेगी। यदि आप चार-पांच मिनट में समाप्त करना चाहते हैं तो ठीक है अन्यथा हम कल चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, मैं कल इस विषय पर बोलूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। देश के कई राज्यों में कम वर्षा होने के कारण पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिलों में भीषण पेयजल संकट है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में कम वर्षा होने के कारण भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो चुका है। सभी नदी, नाले, कुंए, ट्यूबवेल सूख चुके हैं, लगातार जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। राज्य सरकार की मदद से पानी परिवहन करके लोगों को पीने के लिए पानी दिया जा रहा है।

महोदय, सतना रेलवे स्टेशन में यात्रियों को पानी देने के लिए दो सौ किलोमीटर दूर जबलपुर से ट्रेन से पानी लाने की तैयारी चल रही है। मैंने इस सदन को पूर्व में भी इस बात से अवगत कराया था कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में कम वर्षा के कारण बड़ी तेज गति से जलस्तर नीचे गिरता जा रहा है। हमने जिन जिलों के लिए आशंका व्यक्त की थी, उन्हीं जिलों में गंभीर पेयजल संकट उत्पन्न हो चुका है। जिन जिलों में रोजगार गारंटी योजना है, उन जिलों के लिए मैं भारत सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े तालाब हैं, उनका गहरीकरण मजदूरों से नहीं हो पा रहा है, उन जिलों को यदि विशेष अनुमति मशीन लगाने की दे दी जाए तो भविष्य में वर्षा के पानी का भंडारण किया जा सकता है और उसका लाभ उस जिले के लोगों को मिल सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में भीषण पेयजल संकट को देखते हुए राज्य सरकार की कम से कम सौ करोड़ की मदद केन्द्र सरकार से करने की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित मामलों को माननीय कृषि मंत्री के विचारार्थ लाना चाहूंगी।

हमारे देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए कृषि आय का मुख्य स्रोत है। हमारी कृषि तकनीक सदियों पुरानी है और आधुनिक तकनीकी अविष्कार या तो हमारे किसानों के लिए काफी महंगे हैं या उनमें से अधिकांश इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। यद्यपि किसान देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करता है। जिसका अर्थ है कि हमारे देश की 26 करोड़ जनता बहुत निर्धन है।

हमारे किसानों के पास उचित भण्डारण क्षमता अथवा शीतागार सुविधाओं की कमी के कारण भारी मात्रा में ताजी सब्जियां, फल ओर अनाज नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों को प्रसंस्कृत और मूल्य संवर्धित किया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में शीघ्र नष्ट होने वाले फलों और सब्जियों की उपलब्धता का उपयोग करके भारी मुनाफा कमा रही हैं। जबकि हमारे गरीब किसान जो जीवन भर कठिन मेहनत करते हैं वे हमेशा ऋण और गरीबी में जीते हैं। आजादी के साठ साल के बाद भी हमारे किसान आत्महत्याएं करने को बाध्य हैं।

किसानों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर साथ ही आधुनिक शीतागार सुविधाएं, उचित खरीद व्यवस्था तथा न्यून ब्याज दर पर ऋण व्यवस्था प्रदान करके हमारी कृषि में सुधार लाया जा सकता

है। कृषि क्षेत्र में और कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता है ताकि उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को आधुनिक बनाया जा सके।

अतएव मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगी कि कृषि विपणन, कृषि उत्पादों व संरक्षण व प्रसंस्करण संबंधी और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए। हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में यह अत्यंत सहायक होगा।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, कर्नाटक राज्य में वर्दा नदी के तट पर हवेरी जिले में संगुर चीनी मिल है। इसका संचालन एक सहकारी समिति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में वे इस मिल को चलाने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष कई किसानों ने गन्ना उगाया है। इस मिल के 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर भी कोई अन्य चीनी मिल नहीं है।

रेनुका चीनी मिल ने कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता किया है और संगुर चीनी मिल को तीन वर्षों के लिए पट्टे पर लिया है। प्रथम वर्ष में उन्हें संगुर चीनी मिल के एक करोड़ रु. और दूसरे वर्ष तीन करोड़ रु. देने थे। पहले साल उन्होंने सहमति के अनुरूप एक करोड़ रु. दिए तथा गन्ना उत्पादकों को 1200 रु. प्रति मीट्रिक टन के दर से भुगतान भी किया। उन्हें उस क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों द्वारा उगाए गए गन्ने की पिराई करनी है। रेणुका चीनी मिल प्रसिद्ध है और कर्नाटक में स्वामित्व आधार तथा पट्टा आधार पर इसकी कई मिलें हैं किन्तु इस संगुर मिल की स्थिति पहले से ही खराब हैं और यह रूग्ण है। इसके लिए भी उन्होंने पैसे का भुगतान नहीं किया है और उन्होंने वेतन का भुगतान भी नहीं किया है। अब, इस वर्ष रेणुका चीनी मिल ने जनवरी, 2007 मास में पिराई शुरू की है जबकि उन्हें इसे सितम्बर, 2006 में ही शुरू कर देना चाहिए था। चूंकि उन्होंने देर से मिल शुरू की है इसलिए अभी भी 10,000 मीट्रिक टन गन्ने की पिराई शेष है।

एक सप्ताह पहले वे मिल छोड़ कर चले गए हैं तथा शेष गन्ने की पिराई के लिए वे तैयार नहीं हैं। इस कारण हंगले तालुका में बालम्बिड गांव के श्री रामप्पा गुण्डप्पा ने अपने गन्ने की फसल को आग लगा दी तथा गन्ने के खेत में जाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी परिस्थितियों में, अनेक किसान हताश हैं और मेरे क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करके इस मिल को या तो किसी निजी स्वामी को बेचने अथवा दीर्घ काल हेतु पट्टा आधार पर देने का अनुरोध करता हूं। यदि ऐसा बिल्कुल ही संभव नहीं हो तो केन्द्र सरकार को इस मिल को विशेष पैकेज देना चाहिए, जैसा कि उसने महाराष्ट्र राज्य को दिया है और किसानों की समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं उनके लिए तत्काल राहत चाहता हूं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सरकार को वहां पड़े शेष गन्ने की शीघ्र पिराई के लिए निर्देश दे मेरा यह निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत फिफ्थ फेज का काम शुरू हुआ है। उसके तहत जो सड़कें ली जा रही हैं, वे अच्छी बनी हुई सड़कें ली जा रही हैं। जिन सड़कों पर अभी काम हुआ है, उन्हीं सड़कों को अधिकारियों ने जो पी.डब्ल्यू.डी. वगैरह की एजेंसी या अन्य एजेंसी हैं, जो वहां काम कर रही हैं, उन्होंने उन्हीं सड़कों का एस्टीमेट बनाकर, उसे पास करा दिया है। चूंकि वे सड़कें आलरेडी बनी हुई हैं, और जिन एजेंसियों ने ये सड़कें पास कराई हैं, वे ही वहां काम करेंगी और इसमें करोड़ों रुपए का घपला होगा। जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनका जो मटीरियल निकल रहा है, वही मटीरियल उन सड़कों में डालकर उन्हीं सड़कों को दुबारा बना रहे हैं। चूंकि वे सड़कें आलरेडी बनी हुई हैं और उनका मटीरियल उखाड़ा जा रहा है, जिसके कारण वे इतनी खराब बन रही हैं कि वे मुश्किल से छ: महीने या साल भर चलेंगी। जो हमारी पुरानी सड़कें बनी हुई हैं, वे 40 साल पहले बनी थीं और अब तक सही चल रही हैं और वे अच्छी हैं। उन्हें उखाड़ कर फिर बनाया जा रहा है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिस एजेंसी ने एस्टीमेट्स बनाकर भेजे हैं, उसकी अलग किसी एजेंसी से जांच कराई जाए। उस एजेंसी ने जो अच्छी सड़कें हैं, उन्हें उसमें शामिल कर के भेज दिया है, जिन्हें उखाड़ कर दुबारा बनाएंगे, उसमें करोड़ों रुपए का घपला होगा। यह घपला न हो। इसलिए उसकी जांच कराएं और जो अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): सभापति महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान गुजरात राज्य में गैस प्रयोक्ताओं से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा।

गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (जी एस पी सी एल), गुजरात पेट्रोनेट कंपनी तथा अन्य गैस प्रयोक्ताओं से कांट्रैक्टेड कन्सेशनल रेट के स्थान पर सप्लाई पूल्ड प्राइस आधार पर कीमतें वसूल करके भारतीय गैस प्राधिकरण लिमि. (गेल) द्वारा भारी अन्याय किया जा रहा है।

वर्ष 2000 में जब गुजरात में प्राकृतिक गैस मिला था तथा जब गेल से इस गैस की खरीद के लिए बहुत कम खरीदार थे-तब जीएसपीसीएल, गुजरात पेट्रोनेट कंपनी और कुछ अन्य निजी उद्यमी इस गैस को खरीदने के लिए सामने आए। उन्होंने अनुबंधित दर पर गैस की खरीद के लिए गेल के साथ अनुबंध किया जिसे 2008 और 2010 तक प्रभावी रहना था।

किन्तु हाल ही में गेल ने अचानक मनमाने ढंग से गैस की आपूर्ति को संशोधित दर कांट्रैक्ट कंसेशनल रेट से बदल कर सप्लाई पूल्ड प्राइस कर दी जिसमें विद्युत उत्पादन इकाइयों पर 300 करोड़ रु. का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अंततः इससे राज्य में बिजली की भारी कमी होगी जिससे गरीब किसान तथा राज्य के आम आदमी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करे और 'गेल' अथवा संबद्ध प्राधिकारियों को गुजरात में 'कांट्रैक्टेड कन्सेशनल रेट' पर गैस प्रयोक्ता इकाइयों को गैस की आपूर्ति के लिए अनुबंध का सम्मान करने का निर्देश दे और उन्हें यथाशीघ्र सप्लाई पूल्ड प्राइस पर गैस की दर वसूलने से रोके।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोबिली): सभापति महोदय, मुझे हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाने संबंधी मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूं।

महोदय, हम लोग जानते हैं कि दुनिया में चीनी भाषा के बाद सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा नामतः हिन्दी है। संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रैंच, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी। किन्तु विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। निसंदेह हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से. एक है। यदि हिन्दी संयुक्त राष्ट्र की अधिकारिक भाषा बन जाती है तो यह अत्यंत उत्साहवर्धक होगा। यदि हिन्दी शामिल होती है तो यह एक विश्व शक्ति के रूप में भारत की पहचान का प्रतीक बनेगी। निश्चय ही यह संयुक्त राष्ट्र में भारतीयों को ओर रोजगार की संभावनाओं में योगदान देगी।

भारत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सभी विज्ञान वेदों से उद्भूत हैं। अतएव, भारत ने विश्व को बहुत योगदान दिया है। इसके अलावा, अधिकांश यूरोपीय भाषाओं विशेषतः जर्मन से हिन्दी की समानता है। बिल गेट्स भी तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर साफ्टवेयर विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कम्प्यूटर पर हिन्दी के इस्तेमाल का मार्ग प्रशस्त होगा।

हिन्दी का उद्भव संस्कृत से हुआ है और यह विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। इसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? दुनिया में चीनी भाषा के बाद सर्वाधिक लोग हिन्दी में बोलते हैं। मैं महसूस करती हूं कि यदि संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा के रूप में चीनी को शामिल किया जा सकता है तो हिन्दी को भी शामिल किया जाना चाहिए। पिछले 32 वर्षों प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों में विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन इस भाषा के प्रोत्साहन के लिए किया जा रहा है।

महोदय, संयुक्त राष्ट की एक अधिकारिक भाषा के रूप में हिन्दी को शामिल करने के लिए संसद द्वारा सर्वसम्मति से संकल्प पारित कराने पर विचार करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी। तत्पश्चात् इस संकल्प को संयुक्त राष्ट के पास हमारे अनुरोध को स्वीकार करने हेतु भेजा जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र 100 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। धन्यवाद।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा 66 देशों में किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि भारत मातृ मृत्यु के मामले में पहले स्थान पर है और देश शिशु मृत्यु के मामले में भी पहले स्थान पर है। यह काफी शर्मनाक बात है कि हमारा देश मातृ मृत्यु दर के मामले में इथोपिया, नाइजीरिया और अंगोला जैसे विकसित देशों से आगे है। सारे विश्व की कुल मातृ मृत्यु दर की 48 प्रतिशत मृत्यु भारत में होती है। देश में शिशु मृत्यु दर भी काफी अधिक है। देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए हमें अपनी नीतियों और योजनाओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को मजबूत बनाने की जरूरत है और इसके लिए इस क्षेत्र में सरकारी निवेश में भी भारी वृद्धि की जानी चाहिए।

इसके साथ-साथ सरकार को वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के स्थान पर सार्वभौमिक पीडीएस अपनानी चाहिए ताकि सभी गरीबों और सामान्य वर्गों को उचित दाम पर भोजन मिल सके। आंगनवाड़ी केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने और उनका विस्तार करने से वर्तमान दुर्दशा से निपटने में काफी सहायता मिलेगी। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह तत्काल इस संबंध में आवश्यक उपाय करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पिछले वित्तीय वर्ष में पूरे देश के लगभग 67 ऐसे शहरों का विकास के लिए चयन किया गया, जहां की आबादी 10 लाख है। वह योजना जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकृत मिशन (नूरम) थी। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र पटना का भी उसमें चयन किया गया और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण जो बोधगया शहर है, उसका भी चयन किया गया। एक साल से अधिक हो गया, मगर मुझे देख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अभी तक पटना शहर में शहर के विकास के लिए, जो वहां की समस्या है, वहां की आबादी 20 लाख से भी अधिक है और उसकी आबादी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। वहां जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, वहां की समस्या भी बढ़ रही है। वहां पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, कम्युनिटी हॉल की समस्या, गरीबों के मकान बनाने की समस्या आदि-आदि हैं। बोधगया भी उसी तरह की स्थिति से गुजर रहा है। मगर केन्द्र सरकार के जो निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार राज्य की सरकार ने वहां से अभी तक डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर नहीं भेजी है, जिसकी वजह से इस योजना के अंतर्गत जो राशि जानी चाहिए, लगभग 50 हजार करोड़ रुपया इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सैंक्शन किया है, लेकिन अभी तक एक पैसा भी नहीं जा सका है, जिसकी वजह से पटना शहर की स्थिति बहुत खराब हो गई है और वहां के लोगों के लिए जीना दूभर हो गया है।

अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तब हर जगह आपको रोड पर पानी जमा मिलेगा और नारकीय स्थिति वहां उत्पन्न हो जाएगी। पटना पुराना शहर है, वहां शहर का जो विस्तार होना चाहिए था, वह नहीं हो सका है, चूंकि राज्य सरकार के पास इतनी राशि नहीं है कि वह वहां विकास करा सके। लेकिन दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अभी तक राज्य सरकार ने डी.पी.आर. बनाकर नहीं भेजी है। मैं तो उसमें निवेदन करूंगा कि अगर कुछ रिलैक्सेशन कर सकें, राज्य सरकार की तरफ से विशेष तौर पर जो कुछ व्यवधान आ रहा है, कठिनाई आ रही है, वहां की जनता की समस्या को दूर करने के लिए, तो मेरा शहरी विकास मंत्री जी से निवेदन होगा कि उसको रिलैक्स कीजिए और रिलैक्शन करके पटना शहर और बोधगया, जो दोनों अपने आपमें महत्वपूर्ण शहर हैं, वहां की आबादी को व्यवस्थित करने के लिए, जन-जीवन को ठीक-ठाक करने के लिए, वहां का कूड़ा-कचरा दूर करने के लिए, रोड का चौड़ीकरण करने के लिए, जल जमाव दूर करने के लिए, पीने का पानी, अभी गर्मियों आ गई हैं, रोज वहां सड़क जाम होगी, वहां लोगों को बहुत परेशानी है, लेकिन राज्य सरकार अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, वहां दिक्कत है, शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि शहरी विकास मंत्री विशेष करके जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन के अंतर्गत राशि दें, ताकि पटना शहर की समस्या और बोधगया शहर की समस्या दूर हो सके।

इसी निवेदन के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): मैं सिगरेट के पैकेटों पर क्षेत्रीय भाषाओं में वैधानिक चेतावनी छापने संबंधी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। महोदय, सरकार ने सिगरेट के पैकेटों और विज्ञापनों पर वैधानिक चेतावनी छापने के बारे में एक कानून बनाया है। यह सिगरेट अधिनियम, 1975 में भी विनिर्दिष्ट है और इसे अनिवार्य बनाया गया है कि विभिन्न राज्यों में सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में वैधानिक चेतावनी मुद्रित की जाए। यह चेतावनी कर्नाटक में कन्नड़ तथा तमिलनाडु में तमिल भाषा और इसी प्रकार संबंधित राज्य की भाषा में अंग्रेजी के साथ मुद्रित की जाए। उस कानून के अनुसार यह छापना जरूरी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किंतु इंडियन टोबैगो कंपनी इस कानून का पालन नहीं कर रही है। क्योंकि यह वैधानिक चेतावनी केवल अंग्रेजी भाषा में ही छापी जा रही है। इस संबंध में हमने वर्ष 2002 में जनता दल पार्टी की ओर से इंडियन टोबैगो कंपनी को अनुरोध किया था। कंपनी ने हमें वैधानिक चेतावनी को क्षेत्रीय भाषाओं में छापने का लिखित में आश्वासन

*मूलतः कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

दिया था। किन्तु अभी इसे केवल अंग्रेजी में छापा जा रहा है। हमारा देश एक विकासशील देश है। काफी लोग अपनी मातृभाषा में भी पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। अत: हम आम लोगों से अंग्रेजी में लिखी वैधानिक चेतावनी को समझने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आवश्यक विज्ञापनों को चित्रों के साथ छापा जाना चाहिए।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए और कठोर कानून बनाए। सरकार यह सुनिश्चित करें कि वैधानिक चेतावनी को अंग्रेजी के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में छापा जाए। इससे देश के करोड़ों मासूम लोगों में जागरूकता पैदा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय सभापति महोदय, मैं, आपके माध्यम से, इस सम्मानीय सभा का ध्यान भारतीय अर्थव्यवस्था में उभरती एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। यह प्रवृत्ति है-इस देश में बड़े व्यापारिक घरानों का खुदरा कारोबार में प्रवेश जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है।

खुदरा व्यापार का देश की जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें काफी छोटे-छोटे व्यापारी, मंझौले और छोटे व्यापारी कार्यरत हैं और जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यह लोगों के रोजगार और आजीविका का एक स्रोत बन गया है। काफी लोग इस पर आश्रित हैं। ये लोग असंगठित स्वरूप के है। वे पद दलित और गरीब समुदाय के हैं। अब यदि आप इन बड़ी कंपनियों को खुदरा कारोबार में आने की अनुमति दे देंगे तो वे मुकाबला हार जाएंगे। इसके तीन महत्वपूर्ण परिणाम होंगे।

पहला, इससे बड़े व्यापारियों तथा छोटे-छोटे, छोटे और मंझौले व्यापारियों के बीच एक अनुचित और अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। इसके फलस्वरूप ये लोग प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे और बाजार से बाहर हो जाएंगे।

दूसरे, महोदय ये लोग बाजार में अपना रोजगार, आमदनी और आजीविका खो देंगे। लोगों का यह तर्क है कि बड़ी कपंनियां कार्यकुशलता सुनिश्चित करेगी। हो सकता है कि इससे कार्यकुशलता आए किंतु समानता की तो बलि ही चढ़ जाएगी। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के नाम पर हमें हाशिये पर धकेलने की प्रक्रिया शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले ही कृषि और उद्योग में यह प्रक्रिया विद्यमान है और यदि यह कारोबार के क्षेत्र में भी आ गई तो आर्थिक सुधारों के सारे उत्तरवर्ती प्रभाव लोगों के चेहरे पर दिखाई देने लगेंगे। अत: मानवीयता और लोगों के कल्याण पर ध्यान दिए बिना किए गए आर्थिक सुधारों से हमारी किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। एक तरफ तो हम मूल्य वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी ओर हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं।

हम असंगठित श्रम की कार्य परिस्थितियों को सुधारने हेतु कुछ नहीं कर पाए हैं। यह क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। इसलिए, बड़े कारोबारियों और बड़ी कंपनियों के खुदरा व्यापार में प्रवेश का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ है। आपने दो-तीन दिन पहले यह सुना होगा कि रांची, झारखंड में सब्जी बेचने वाले सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दुकानों और अन्य चीजों की तोड़फोड़ की।

तमिलनाडु में, हमारी पार्टी ने इसका काफी उग्र विरोध किया और यह मांग की कि बड़ी कारोबारी कंपनियों को खुदरा व्यापार में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। तमिलनाडु में राजनैतिक दलों में इस बात पर कोई मतभेद नहीं है। सभी राजनैतिक दलों ने चाहे वे किसी भी पार्टी से संबद्ध हों, इस बात का समर्थन किया कि बड़ी कंपनियों के प्रवेश से छोटी-छोटी दुकानें प्रभावित न हों। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री भी इस बात से सिद्धांतत: सहमत हैं और उन्होंने यह कहा है कि वे खुदरा कारोबार में बड़े कारोबारियों के प्रवेश को विनियमित करने के बारे में केन्द्र सरकार को एक पत्र लिखेंगे।

मैं, माननीय प्रधानमंत्री अथवा इससे संबद्ध मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह देखें कि बड़े कारोबारी घरानों के खुदरा कारोबारों में प्रवेश से छोटे-मोटे कारोबार प्रभावित न हो। इसलिए हमें लोगों के दुख-दर्द को और नहीं बढ़ाना चाहिए। अत: इस कारोबार को विनियमित किया जाए तथा उन्हें यथासंभव छोटे कारोबार में प्रवेश न करने दिया जाए तथा उन्हें उनके कारोबार और कंपनियों तक ही सीमित रखा जाए।

सभापति महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं किंतु आप उसी बात को दुहरा रहे हैं।

प्रो. एम. रामदास: इसलिए, मैं सरकार से बड़े कारोबारी घरानों के प्रवेश को विनियमित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं स्वयं को इस मामले से संबद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): सभापति महोदय, सन् 2001 में जो जनगणना हुई थी, उसके मुताबिक हमारे देश की पापुलेशन सौ करोड़ से ज्यादा है। 1931 में जाति के आधार पर जनगणना

हुई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार शैडयूल्ड कास्ट्स की पोपुलेशन 16.2 प्रतिशत और शैडयूल्ड ट्राइब्स की 8.2 प्रतिशत है। अभी हमने देखा कि जब आईआईटी और आईआईएम में ओबीसी स्टूडैंट्स को आरक्षण देने का वक्त आया तब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 1931 में अगर जाति के आधार पर जनगणना हुई थी तो अब कौन सी पापुलेशन के आधार पर 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना ठीक था कि जब 1931 में जनगणना हुई थी तब कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि जाति के आधार पर जनगणना करने से जाति व्यवस्था बिगड़ सकती है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि कौन सी जाति की पापुलेशन कितनी प्रतिशत है, इसकी जानकारी के लिए 2011 में होने वाली जनगणना जनवरी, 2008 में की जाए। अगर वह जनगणना जाति के आधार पर की जाती है तो हर जाति की परसैंटेज की जानकारी मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर जनगणना करने से जातिवाद बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। गांव-गांव में लोग जानते हैं कि यहां दलित रहते हैं, यहां मराठा रहते हैं, यहां राजपूत रहते हैं और यहां जाट रहते हैं। इसलिए कौन्सटीट्यूशन अमैंडमेंट करके 2011 की जनगणना जनवरी, 2008 में जाति के आधार पर की जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिला रहा हूं। प्रत्येक प्रदेश में पहाड़ियों पर धार्मिक स्थान होते हैं। वहां जाने के लिए कोई साधन बनाने पड़ते हैं। भारत के कई नगरों में रोपवे व्यवस्था हो गई है। कनक वृंदावन से जयगढ़ एवं नाहरगढ़ गलता किले तक 1.5 किलोमीटर लम्बी वीओटी आधारित रोपवे परियोजना के लिए एजेंसी का चयन हो जाने के बाद और सर्वेकाल पूरा हो जाने पर भी रोपवे का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि अगर हम रोपवे लगाएंगे तो उसमें लाखों, करोड़ों रुपये का खर्च आएगा।

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि धार्मिक स्थान नाहरगढ़, जयगढ़, गलताजी पर जाने के लिए जो रोपवे बनने वाला है, उसका सर्वे हो चुका है। इसके लिए आप कुछ धनराशि दें, तो जयपुर में रोपवे बन जायेगा। मेरी केन्द्रीय सरकार से मांग है कि वह रोपवे के लिए आर्थिक सहयोग करके जयपुर में रोपवे का निर्माण कार्य करवायें। इसे मैं याद रखूंगा और जयपुर की जनता भी आपको धन्यवाद देगी।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): सभापति महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.30 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार, 16 मई, 2007/26 वैशाख, 1929 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री अधीर चौधरी	562
2.	श्री चंद्रकांत खैरे श्री रघुवीर सिंह कौशल	563
3.	श्री काशीराम राणा श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	564
4.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	565
5.	श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	566
6.	श्रीमती मिनाती सेन श्री कैलाश मेघवाल	567
7.	श्री पंकज चौधरी श्री किन्जरपु येरननायडु	568
8.	श्री सज्जन कुमार श्रीमती करूणा शुक्ला	569
9.	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन श्री गिरधारी लाल भार्गव	570
10.	डा. के धनराजू	571
11.	श्री राकेश सिंह श्री रामदास आठवले	572
12.	श्री रशीद मसूद	573
13.	श्री जी.एम. सिद्दीश्वर श्री मणी कुमार सुब्बा	574
14.	श्री बापू हरी चौरे श्री संजय धोत्रे	575
15.	श्री के.सी. पल्लानी शामी	576
16.	श्री पन्नियन रवीन्द्रन	577
17.	श्री किसनभाई वी. पटेल श्री बृज किशोर त्रिपाठी	578
18	डा. चिन्ता मोहन श्री रामजीलाल सुमन	579
19.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री एम. अंजनकुमार यादव	580
20.	श्री एस.के. खारवेनथन	581

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	5348
2.	अब्दुल्लाकुट्टी, श्री	5373
3.	आचार्य, श्री बसुदेव	5350
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	5396, 5444, 5468, 5488
5.	अग्रवाल, श्री धीरेंद्र	5348
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	5313, 5388, 5435, 5466, 5485
7.	अजय कुमार, श्री एस.	5370
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	5324, 5397, 5448
9.	आठवले, श्री रामदास	5400, 5449, 5471, 5510
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	5330, 5401, 5445, 5470, 5482
11.	बर्मन, श्री हितेन	5366
12.	बर्मन, श्री रनेन	5496
13.	भडाना, श्री अवतार सिंह	5348
14.	भगोरा, श्री महावीर	5315, 5389, 5440, 5467, 5483
15.	भक्त, श्री मनोरंजन	5361, 5419, 5503
16.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	5320, 5386
17.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	5350, 5502
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	5494
19.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	5366, 5418, 5422
20.	चौरे, श्री बापू हरी	5384, 5442
21.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	5345, 5501

1	2	3
22.	चौधरी, श्री अधीर	5417, 5447
23.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	5366, 5418, 5422
24.	देवरा, श्री मिलिन्द	5329, 5350, 5394
25.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	5354, 5414, 5446
26.	धनराजू, डा. के.	5366
27.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	5337
28.	धोत्रे, श्री संजय	5366, 5442
29.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	5445
30.	गढ़वी, श्री पी.एस.	5445
31.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	5333, 5402, 5452, 5472, 5487
32.	गंगवार, श्री संतोष	5359, 5426, 5458, 5484
33.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	5366, 5442
34.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	5507
35.	हुसैन, श्री अनवर	5335, 5418
36.	जगन्नाथ, डा. एम.	5368
37.	जटिया, डा. सत्यनारायण	5325
38.	झा, श्री रघुनाथ	5365, 5421
39.	जिन्दल, श्री नवीन	5319, 5425
40.	जोशी, श्री कैलाश	5358
41.	करूणाकरन, श्री पी.	5366
42.	खैरे, श्री चंद्रकांत	5364, 5366, 5368, 5433
43.	खारवेनथन, श्री एस.के.	5385, 5436, 5464, 5479
44.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	5391, 5439, 5465, 5480

1	2	3
45.	कृष्ण विजय, श्री	5374
46.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	5366
47.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	5495
48.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	5352
49.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	5350, 5418
50.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	5337
51.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	5314, 5364, 5366, 5456
52.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	5422, 5426
53.	महतो, श्री नरहरि	5343, 5364
54.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	5405, 5499
55.	महताब, श्री भर्तृहरि	5380, 5431, 5505, 5509
56.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	5359, 5445, 5493
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	5333, 5402, 5497, 5502, 5506
58.	मसूद, श्री रशीद	5409, 5418, 5429, 5458
59.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	5363
60.	मेघवाल, श्री कैलाश	5364, 5376, 5430, 5508
61.	मैन्या, डा. टोकचोम	5372
62.	मो. ताहिर, श्री	5418
63.	मोल्लाह, श्री हन्नान	5339, 5426, 5445, 5484
64.	मंडल, श्री अबु अयीश	5369, 5378, 5417, 5504
65.	मुर्मू, श्री हेमलाल	5351, 5484
66.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	5349

1	2	3
67.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	5364
68.	नन्दी, श्री अमिताभ	5356, 5445, 5500, 5507
69.	निखिल कुमार, श्री	5360, 5417
70.	नायक, श्री अनंत	5322, 5425, 5445, 5460, 5478
71.	ओराम, श्री जुएल	5381, 5416, 5432, 5462
72.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	5364, 5366, 5416, 5428, 5458
73.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	5392, 5438
74.	पाण्डा, श्री प्रबोध	5366
75.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	5316, 5342, 5426, 5441
76.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	5428
77.	पासवान, श्री सुकदेव	5340
78.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	5341, 5411, 5426, 5461
79.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	5342
80.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	5342, 5364
81.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	5379, 5418, 5493
82.	पिंगले, श्री देविदास	5379, 5418
83.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	5328, 5393, 5456, 5477, 5491
84.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	5316, 5364, 5399
85.	राजगोपाल, श्री एल.	5362, 5450, 5507
86.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	5315, 5484
87.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	5362, 5420, 5450
88.	राणा, श्री काशीराम	5406
89.	राव, श्री के.एस.	5327, 5395
90.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	5362, 5445, 5474
91.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	5350
92.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	5366, 5410
93.	रावत, प्रो. रासा सिंह	5326
94.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	5321, 5387, 5453, 5474, 5492
95.	रेड्डी श्री, के.जे.एस.पी.	5344, 5423
96.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	5347, 5416
97.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	5408
98.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	5431
99.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	5377, 5403, 5406
100.	रिजीजू, श्री कीरेन	5323, 5426, 5445
101.	साई प्रताप, श्री ए.	5364
102.	सज्जन कुमार, श्री	5407
103.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	5317, 5424, 5451, 5476, 5490
104.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	5498
105.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	5421
106.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	5443
107.	सेन, श्रीमती मिनाती	5404
108.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	5477, 5491
109.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	5366, 5396, 5412, 5443
110.	शिवन्ना, श्री एम.	5346
111.	शिवनकर, प्रो. महोदवराव	5458, 5493
112.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	5316, 5445
113.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	5390, 5469

1	2	3
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	5334, 5377
115.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	5357
116.	सिंह, श्री दुष्यंत	5355, 5415
117.	सिंह, श्री गणेश	5429
118.	सिंह, श्री राकेश	5383, 5458
119.	सिंह, श्री सीताराम	5331
120.	सिंह, श्री सुग्रीव	5341, 5427, 5457, 5475, 5489
121.	सिंह, श्री उदय	5371, 5447
122.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	5382, 5434, 5463, 5481
123.	सुगावनम, श्री ई.जी.	5437
124.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	5408
125.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	5318
126.	थामस, श्री पी.सी.	5366, 5367
127.	तुम्मर, श्री वी.के.	5334, 5403
128.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	5342, 5399, 5441, 5493
129.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	5398, 5454, 5473, 5486
130.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	5353, 5413, 5459, 5509
131.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	5345, 5348
132.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	5336, 5457
133.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	5332, 5336, 5396, 5412, 5455
134.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	5375
135.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	5338, 5501
136.	यादव, श्री गिरिधारी	5338
137.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	5418
138.	यादव, श्री पारस नाथ	5453
139.	यादव, श्री राम कृपाल	5340

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	577
वाणिज्य और उद्योग	:	563, 571, 572, 574, 579, 581
गृह	:	566, 569, 576
मानव संसाधन विकास	:	568, 570, 573, 578, 580
सूचना और प्रसारण	:	562
खान	:	
संसदीय कार्य	:	
लघु उद्योग	:	564
वस्त्र	:	565
जनजातीय कार्य	:	
महिला और बाल विकास	:	567, 575

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	5336, 5399, 5413, 5433, 5505, 5509
वाणिज्य और उद्योग	:	5314, 5319, 5321, 5329, 5333, 5336, 5343, 5347, 5349, 5350, 5353, 5359, 5361, 5364, 5372, 5380, 5382, 5396, 5398, 5402, 5405, 5412, 5416, 5431, 5432, 5439, 5440, 5442, 5445, 5458, 5461, 5466, 5467, 5469, 5470, 5486, 5487, 5490, 5492, 5494, 5499
गृह	:	5313, 5318, 5328, 5337, 5348, 5354, 5365, 5368, 5369, 5371, 5375, 5376, 5384, 5385, 5386, 5393, 5394, 5400, 5406, 5407, 5415, 5417, 5418, 5419, 5425, 5426, 5434, 5438, 5444, 5447, 5456, 5459, 5471, 5477, 5480, 5482, 5484, 5488, 5491, 5498, 5501
मानव संसाधन विकास	:	5315, 5322, 5331, 5332, 5335, 5338, 5340, 5351, 5352, 5357, 5358, 5363, 5366, 5367, 5377, 5378, 5379, 5381, 5383, 5388, 5390, 5392, 5395, 5397, 5408, 5409, 5411, 5421, 5424, 5428, 5429, 5430, 5443, 5453, 5455, 5462, 5465, 5468, 5474, 5475, 5476, 5489, 5493, 5497, 5504, 5507, 5508

सूचना और प्रसारण	:	5316, 5320, 5323, 5324, 5334, 5339, 5360, 5362, 5370, 5401, 5420, 5454, 5473
खान	:	5410, 5414, 5460, 5495, 5496, 5500, 5503
संसदीय कार्य	:	5326
लघु उद्योग	:	5344, 5374, 5450, 5451
वस्त्र	:	5327, 5346, 5387, 5389, 5391, 5403, 5423, 5427, 5436, 5437, 5452, 5457, 5463, 5464, 5472, 5479, 5502, 5506, 5510
जनजातीय कार्य	:	5345, 5449, 5478, 5483
महिला और बाल विकास	:	5317, 5325, 5330, 5341, 5342, 5355, 5373, 5404, 5422, 5435, 5441, 5446, 5448, 35481, 5485.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/27/30/2007 (एन०)
232

© 2007 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।